सप्तम माला, खंड 11, अंक 21, मंगलवार, 16 दिसम्बर, 1980/25 अग्रहायण, 1902 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

(चौथा सत्र)

सत्यमेव जयते

(खंड 11 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपए

## विवय सूची

अंक 21, मंगलवार, 16 दिसम्बर, 1980/25 अग्रहायण, 1902 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत | 1 |
| खक उत्तर : | 1—22 |
| कत प्रश्न संख्या । 419 से 422, 424 से 425, 427 और 428 | |
| खित उत्तर : | 23—172 |
| कित प्रश्न संक्या : 426, 429 से 431 और 433 से 438 | |
| रांकित प्रश्न संक्या 3932 से 3966, 3968 से 3971 और 3973 से 4131 | |
| कार के प्रश्न आदि के वारे में | 172—174 |
| पर रखे गये पत्र | 174—179 |
| उपक्रमों सम्बन्धी समिति | 179 |
| सरा प्रतिवेदन | |
| दत्तक ग्रहण विधेयक-पुर:स्थापित | 180—182 |
| श्री पी० शिवशंकर | |
| ा बापूसाहिब परुलेकर | |
| य सुरक्षा विधेयक | 183—455 |
| ण्ड 3 से 18 तथा 1 | |
| पारित किये जाने का प्रस्ताव | |
| श्री जैल सिंह | |
| श्री चरण सिंह | |
| श्री च्योतिर्मय बसु | |
| श्री राम जेठमलानी | |
| श्री इन्द्रजीत गुप्त | |
| श्री ए० के० राय | |


किसी नात पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी स्य ने पूछा था ।

# लोक सभा

मंगलवार, 16 दिसम्बर, 1980/25 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

---

## मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यगण, प्रारम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, मुझे ग्रेट पीपुल्स खुराल के डिप्टी चेयरमैन, महामहिम शिक्षाविद प्रो० बजारिन शिसेदिब तथा मंगोलियाई संसदीय प्रतिनिधि मंडल के माननीय सदस्यों का, जो हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की यात्रा पर हैं, स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। प्रतिनिधि मंडल के दूसरे माननीय सदस्य हैं :

1. श्री तशेरेनदाशिन नमसराई, संसद सदस्य।
2. श्री बुगागिन नसनजरगाल, संसद सदस्य।

यह प्रतिनिधि मंडल शनिवार 13 दिसम्बर, 1980 को यहां पहुंचा। तब से उन्होंने आगरा तथा जयपुर की यात्रा की है तथा 17 एवं 18 दिसम्बर को वाराणसी की यात्रा करेंगे। इस समय वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम, उनके माध्यम से, ग्रेट पीपुल्स खुराल, वहां की सरकार तथा मंगोलिया गणतंत्र की जनता को अपनी शुभ कामनाएं भेज रहे हैं।

---

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 में संशोधन करने का प्रस्ताव

*419. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **विधि और न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 बहुत पुराना पड़ गया है और इसमें काफी संशोधन किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भारत में हजारों विवाहित पुरुष और महिलाएं जिन पर उक्त अधिनियम लागू होता है दुखी जीवन जी रहे हैं क्योंकि वे इस प्राचीन विवाह विच्छेद विधि से बंधे हैं;

(ग) क्या सरकार का इस विधि में संशोधन करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (घ) 1958 में सरकार ने ईसाइयों में विवाह-विच्छेन और विवाह से संबधित विधि के पुनरीक्षण का प्रश्न विधि आयोग को निर्देशित किया था। विधि आयोग ने इस विषय पर दो रिपोर्टें (पन्द्रहवीं और बाईसवीं रिपोर्ट) पेश की। विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार एक व्यापक विधेयक लोक सभा में तारीख 22 जून, 1962 को पुर:स्थापित किया गया। इस विधेयक पर संसद के सदनों की एक संयुक्त समिति ने विचार करके अपनी रिपोर्ट तारीख 26 नवम्बर, 1963 को प्रस्तुत की। यह विधेयक तृतीय लोक सभा के विघटन पर व्यपगत हो गया। ईसाई समुदाय के कतिपय वर्ग के घोर विरोध के कारण विधेयक पुन: पुर:स्थापित नहीं किया गया। सरकार का इस विधि में संशोधन करन के लिए कोई और कदम उठाने का विचार नहीं है जब तक कि ईसाई समुदाय से इसके लिए कोई पहल नहीं की जाती है।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : महोदय, माननीय विधि मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से मुझे वास्तव में दु:ख हुआ है। मुझे समझ नहीं आता कि इस उत्तर में वे ईसाई समुदाय का ही उल्लेख क्यों कर रहे हैं। यह कानून केवल ईसाइयों पर ही तो लागू नहीं होता। यदि मैं गलती नहीं कर रहा, यह कानून उन सभी लोगों पर लागू होता है जो विवाह पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत विवाहित हैं। इसलिए यह उल्लेख अनावश्यक है। आपकी अनुमति से मैं उन दो या तीन उदाहरणों का सदस्यों की जानकारी के लिये उल्लेख करना चाहूंगा जिन्हें मैं एक वकील होने के नाते जानता हूं। एक महिला डाक्टर का एक इंजीनियर से विवाह हुआ। यह एक परम्परागत विवाह था। महिला डाक्टर को शीघ्र ही पता लगा कि उसका पति नपुंसक था। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों द्वारा उसका इलाज कराया गया, लेकिन नपुंसकता का इलाज नहीं हो सका। तलाक भी नहीं हुआ। एक युवक ने अपने माता-पिता की पसंद की लड़की से विवाह किया। वह पागल सिद्ध हुई और उसे पागलखाने भेज दिया गया। कोई तलाक नहीं हुआ। अधिनियम विशेष के अंतर्गत विवाहित एक सज्जन को दस वर्ष के कारावास की सजा हुई थी। जेल से रिहा होने के पश्चात् उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और उसे व्यभिचार के लिए बाध्य किया। कोई तलाक नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जब तक ईसाई समुदाय की ओर से पहल नहीं की जाती, इस कानून में और आगे कोई संशोधन करने का सरकार का विचार नहीं है। इस उत्तर को ध्यान में रखते हुए, मैं जानना चाहूगा कि क्या सरकार सभी कानूनों पर केवल तभी विचार करती है जब किसी खास समुदाय ने उसके लिए अनुरोध किया हो ? दूसरे, क्या सरकार यह महसूस करती है कि 1869 के अधिनियम द्वारा नियंत्रित स्त्रियों की जैविकी हिन्दू विवाह अधिनियम अथवा मुस्लिम वैयक्तिक कानून द्वारा नियत्रित स्त्रियों की जैविकी से भिन्न है ?

**श्री पी० शिवशंकर** : माननीय सदस्य महोदय की पहली टिप्पणी अधिनियम के लागू किए जाने से सम्बन्धित है कि क्या यह ईसाइयों पर लागू होता है। माननीय सदस्यों की जान-

कारी के लिए मैं अधिनियम की प्रस्तावना पढ़ूंगा जिसमें कहा गया है : "क्योंकि ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्तियों के तलाक से सम्बन्धित कानून में संशोधन करना और वैवाहिक मामलों के कुछ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को सुनिश्चित करना उचित है, इसके द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है....."

इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मैं अधिनियम के और आगे प्रावधानों को नहीं पढ़ूंगा जिनमें केवल ईसाई धर्म मानने वाले व्यक्तियों के बारे में विचार किया गया है और वे भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

उन्होंने कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया है जहां तलाक लेना बड़ा मुश्किल है। मैं मानता हूं कि उनका अनुभव मुझसे ज्यादा है ··(व्यवधान) पूछा गया प्रश्न था कि क्या सभी समुदायों से सम्बन्धित सभी कानूनों पर भावनाओं के आधार पर विचार किया गया है ? मैं कहूंगा कि इन मामलों में समग्र दृष्टि से विचार किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि समुदाय इस बात को कैसे पसंद करेगा कि कानून को संशोधित किया जाना चाहिए अथवा परिवर्तित किया जाना चाहिए। इसी बात के आधार पर सरकार द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस मामले में, जैसा कि मैंने कहा है, 1958 में स्वयं विधि आयोग ने अपनी 15वीं सिफारिश की थी।

तत्पश्चात् इस सिफारिश को समुचित विधेयक के प्रयोजन से विधि आयोग के पास वापस भेजा गया जिसे विधि आयोग ने अपनी बाईसवीं रिपोर्ट के आधार पर पुनः वापस भेज दिया था। मामले को सदन के समक्ष लाया गया। स्वयं समुदाय द्वारा व्यापक असंतोष व्यक्त करने के कारण मामले पर विचार नहीं किया गया। श्रीमान जी, आप जानते हैं कि स्वयं संविधान धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और इस संदर्भ में;

(व्यवधान)

आप ईसाई नहीं हैं। आप स्वयं क्यों परेशान हो रहे हैं ? मेरा आपसे अनुरोध है कि ईसाई संगठनों को इस मामले को उठाने दें और यह सरकार इस तरह के मामले में संशोधन करने की जिम्मेदारी से नहीं बचेगी। जहां तक जैविकी के प्रश्न का सम्बध है, मैं कभी विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा। वे विज्ञान के विद्यार्थी होंगे। उन्हें यह बात समझनी चाहिए।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं माननीय मंत्री महोदय से इस विशेष समस्या के सम्बन्ध में गंभीर रूप से विचार करने का अनुरोध करूंगा। श्रीमान जी, इस युग में जब नारी की स्वतंत्रता के लिये जोरदार मांग हो रही है, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ईसाई स्त्रियों को हिन्दू स्त्रियों के समकक्ष जिनके लिये निर्दयता, धोखेबाजी, परित्याग, पागलपन, असाध्य बीमारियों, धार्मिक भावनाओं, मानसिक असंतुलन, नपुंसकता और अन्य बातों के लिए तलाक का प्रावधान किया है, ईसाई समुदाय की लोकप्रिय राय के अतिरिक्त क्या कठिनाइयां हैं ? दूसरे, महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या हानि है यदि इसके लिए एक सामान्य सिविल न्यायालय की व्यवस्था की जाती है ताकि हिन्दू नारी, मुस्लिम नारी अथवा ईसाई नारी के बीच कोई भेदभाव न किया जाए क्योंकि हमें समग्र रूप से स्त्री के दुःख-दर्दों पर विचार करना है और उन्हें उस धर्म पर आधारित नहीं होना चाहिए जिससे वह स्त्री विशेष सम्बन्ध रखती है। इसको

ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार सामान्य सिविल संहिता अथवा एक जैसी सिविल संहिता बनाने के लिए विचार करेगी ?

प्रश्न का अंतिम भाग (ग), महोदय, यदि इस विधेयक को उस तरह पुर:स्थापित किया जाता है, जैसा कि 1962 में किया गया था, तो उसे राय जानने के लिए परिचालित किया जा सकता है और यह कहने के बजाय कि हम सहमत हैं, हम अपनी राय दे सकते हैं, निसंदेह रूप से हम नहीं जानते कि हम कब विधेयक को पुर:स्थापित कर सकते हैं। क्या आप विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे ?

**श्री पी. शिवशंकर** : महोदय, उन विभिन्न आधारों के संदर्भ में, जिन पर यह बात आधारित है कि क्या तलाक के प्रयोजन से कानून को संशोधित किया जाना चाहिए, यह सरकार माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमत है, परन्तु प्रश्न यह है कि हमारा स्वतंत्र समाज है जहां धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गई है। इसलिए, हमारे जैसे समाज में सख्त रवैया अपनाना असंभव है और आवश्यक तौर पर स्वयं समुदाय को समझना चाहिए और उन्हें स्वयं सुझाव देने चाहिएं, ताकि समुचित संशोधन लाया जा सके। उसके बिना, लोगों की भावनाओं को, खासतौर पर लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना संविधान के विशेष सिद्धान्तों के प्रतिकूल होगा और, मैं कह सकता हूं कि जब तक समुदाय स्वयं इस बात को नहीं उठाता, तब तक सरकार द्वारा किसी भी संशोधन के लिए कार्यवाही करना संभव नहीं होगा।

महोदय, मेरे मित्र ने अनुच्छेद 44 तथा समान सिविल संहिता का उल्लेख किया है। श्रीमान जी, मैं इस बात से अवगत हूं।

(व्यवधान)

महोदय, मेरे मित्र, जो कि एक अत्यंत होशियार वकील हैं, इस बात को जानते हैं कि अनुच्छेद 44 की भाषा बताती है कि राज्य "प्रयास करेगा"। अब इस अभिव्यक्ति "प्रयास करेगा" का केवल यही अर्थ होगा कि चरणबद्ध ढंग से राज्य को कार्य करना होगा, उन निदेशक सिद्धान्तों के बारे में दूसरे अनुच्छेद के समान नहीं, जिनमें आदेश दिया गया है, यह आदेश भिन्न है। यह ज्यादा अधिकार प्रदान करता है। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, सरकार को लोगों की भावनाओं को आवश्यक रूप से समझना है जबकि यह एक ऐसा मामला है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से सम्बन्धित है। यह विशुद्ध रूप से इस पृष्ठभूमि में है, इस स्थिति में एक सामान्य सिविल संहिता बनाने के लिए कार्य करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पक्ष-विपक्ष में यहां बैठे मेरे मित्र राजनीतिक स्थिति से ऊपर नहीं उठते और समाज में एक ऐसा वातावरण तैयार नहीं करते जहां विभिन्न धर्मों के लोगों को स्वयं ही एक सामान्य सिविल संहिता की मांग करनी चाहिए। महोदय, यह स्थिति है जो मुझे स्पष्ट करनी है।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री जैनुल वशीर। ठीक है। इसके लिए पन्द्रह मिनट दिए जाते हैं।

**श्री जेवियर अराकल** : कोई पूरक प्रश्न नहीं था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं। इसके लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। आप दूसरी चर्चा की मांग कर सकते हैं। इस प्रश्न काल में नहीं। मैं आपको दूसरा अवसर दे सकता हूं।

## उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट

*420. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विद्युत के गंभीर संकट के बारे में केन्द्र को सूचित किया है और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने उस राज्य को क्या सहायता दी है; और

(ग) क्या अन्य राज्यों से भी उत्तर प्रदेश को विद्युत सप्लाई कराने के बारे में प्रबंध किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में बिजली की स्थिति पर केन्द्रीय सरकार लगातार ध्यान दे रही है । उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्तूबर, 1980 में भी राज्य में विद्युत सप्लाई की स्थिति के बारे में केन्द्र को सूचित किया था तथा राज्य में विद्युत की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था ।

(ख) ऊर्जा राज्य मंत्री द्वारा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और विद्युत मंत्री के साथ की गई बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था । केन्द्र द्वारा प्रचालित किए जा रहे बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से उत्तर प्रदेश को कुछ सहायता देने के बाबत सहमति इस बैठक के दौरान हुई थी । तथापि, इस प्रकार की सहायता की मात्रा, बदरपुर-दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान प्रणाली से विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, दिन-प्रतिदिन के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है । उत्तर प्रदेश को दी गई सहायता अक्तूबर, 1980 में 115 लाख यूनिट थी, नवम्बर, 1980 में 274 लाख यूनिट थी तथा 1 दिसम्बर से 10 दिसम्बर, 1980 तक 67 लाख यूनिट थी ।

(ग) जी, हां । बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से सहायता दिए जाने के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश को उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा से तथा पड़ौसी पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से समय-समय पर सहायता मिलती रही है । उपरोक्त के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में गिरी जल विद्युत केन्द्र से विद्युत सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश का हिमाचल प्रदेश के साथ एक द्विपक्षीय समझौता भी हुआ है ।

**श्री जैनुल बशर** : उत्तर प्रदेश में विद्युत का गंभीर संकट है । कृषि को हानि हो रही है, उद्योग को हानि हो रही है, कृषि को रोजाना तीन या चार घण्टे बिजली नहीं मिल पाती है । मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने बदरपुर से कुछ विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करके उत्तर प्रदेश को कुछ राहत दी है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है । उत्तर प्रदेश गंभीर संकट का सामना कर रहा है । इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस

बात को जानने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि उत्तर प्रदेश की विद्युत स्थिति में क्या गड़बड़ है, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश विद्युत मण्डल के कार्यों की कोई जांच या सर्वेक्षण किया है, क्या इसमें अदक्षता है ? दो या तीन वर्षों से उत्तर प्रदेश में बुरी विद्युत स्थिति का सामान्य कारण क्या है; और (ख) क्या सरकार केन्द्रीय पूल या अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश को विद्युत संकट का सामना करने के लिए अधिक विद्युत देने पर विचार कर रही है ?

**श्री विक्रम महाजन** : जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, माननीय मंत्री महोदय ने विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और सभी राज्यों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था। हमारे अधिकारी उत्तर प्रदेश गए थे। हमने उत्तर प्रदेश में एक विशेषज्ञ दल उनकी विद्युत स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा था। गत 8 या 9 महीने से जब नई सरकार सत्ता में आई थी, किये गए प्रयासों के कारण विद्युत स्थिति में सुधार हो रहा है और उत्तर प्रदेश में नवम्बर में विद्युत उत्पादन गत वर्ष की अपेक्षा 29 प्रतिशत अधिक था। जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार द्वारा भारी प्रयास करने के कारण ऐसा हुआ है। विद्युत स्थिति में सुधार करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाते हैं और समय बीतने के साथ-साथ मुझे आशा है कि उत्तर प्रदेश में सुधार हो जाएगा। सुधरी हुई स्थिति के परिणामस्वरूप उर्वरक, वनस्पति, दवाई जैसे सभी आवश्यक उद्योगों को विद्युत की कोई कमी नहीं होगी। तथा नए उद्योगों के लिए भी सरकार ने कहा है कि उन्हें विद्युत देने में कोई कमी नहीं की जाएगी। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में स्थिति में सुधार हो रहा है। हम सभी आवश्यक मदद देंगे।

**श्री जैनुल बशर** : कृषि को केवल तीन या चार घण्टे विद्युत मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी विद्युत परियोजनाएं स्वीकृति के लिए भारत सरकार के पास विभिन्न अवस्थाओं में अनिर्णित पड़ी हैं ? कृपया उन परियोजनाओं के नाम बताइए तथा यह बताइए कि उनकी कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है।

**श्री विक्रम महाजन** : लगभग 13 परियोजनायें विभिन्न अवस्थाओं में केन्द्रीय विद्युत एजेंसी के पास पड़ी हैं। पहली लखवारव्यासी बहु उद्देश्यीय परियोजना है। यह इसलिए अनिर्णीत है क्योंकि राज्य को इस विशेष परियोजना पर कुछ उत्तर देने हैं। उसके बाद कोटेश्वर बांध है। एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। खेरा-केन्द्रीय विद्युत एजेंसी तथा अन्य संबंधित संस्थाओं पर आधारित संशोधित परियोजना रिपोर्ट की पुनःप्रतीक्षा की जा रही है।

इसके बाद लाहौरी नाग पुला जल विद्युत परियोजना है। यह 282 मेघावाट प्रोमेक्ट है। परियोजना प्रतिवेदन मार्च, 1980 में प्राप्त हुई थी। उसके बाद किशाव बांध बहु उद्देश्यीय परियोजना कौटली बहल बहु-उद्देश्यीय परियोजना है। उसके बाद अनपारा 'ख' अनपारा 'ग' डोरीघाट, ऐसा···

**अध्यक्ष महोदय** : आप सूची दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री विक्रम महाजन** : पंची घर विस्तार, जवाहरपुर···ये सभी विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(व्यवधान)

**श्री राम प्यारे पनिका** : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की एफर्टस से पिछले एक साल में जब से कि सरकार सत्ता में आयी है तब से उत्तर प्रदेश में 29 प्रतिशत विद्युत का जेनरेशन अधिक हुआ है क्योंकि वहां पर समय से कोयले का इंतजाम हुआ है, स्पेअर पार्ट्स भेजे गये है और वहां प्रशासन में भी चुस्ती आयी है। इसका एक कारण और भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मिश्रा आयोग जो बिठाया था और उसने जो अभियन्ता संघ की मांगों के सम्बन्ध में अपनी संस्तुतियां की थीं उन संस्तुतियों पर माननीय मंत्री जी ने वहां के अभियन्ताओं को कुछ एडहाक पेमेंट कराया था लेकिन वे संस्तुतियां अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुई हैं ? इससे वहां के इंजीनियरों में वेतन आदि के बारे में काफी असंतोष है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि, जैसा कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था, क्या इस आयोग की रिपोर्ट की संस्तुतियों को लागू करवाने के बारे में वे कोई प्रयास करेंगे ?

**श्री विक्रम महाजन** : श्रीमान, हम राज्य सरकार से इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए कहेंगे।

**श्री मलिक एम० एम० ए० खां** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो कि खेती पर निर्भर है, उसके गांवों को आज भी पांच छः घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है, क्या आपने उत्तर प्रदेश के सिलसिले में कोई सर्वे कराया है कि उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली की जरूरत है, और उसमें से कितनी बिजली उसे मिल रही है ?

**श्री विक्रम महाजन** : गवर्नमेंट ने एक पालिसी डिसीजन लिया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कम से कम 6 या 8 घंटे बिजली मिलनी चाहिए और दी भी जानी चाहिए। ऐसा सभी स्टेट्स से कहा है। उत्तर प्रदेश की बाकी स्टेट्स के अलावा दिल्ली और बदरपुर पावर स्टेशन से भी मदद के तौर पर बिजली दी गयी है। अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर में उसे कितनी-कितनी बिजली दी गयी है, उसके फिगर्स मैंने मेन जवाब में दे दिये हैं। अब उत्तर प्रदेश को अगले पांच-छः सालों में ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की कोशिश की जा रही है और इतनी बिजली दी जाने की कोशिश की जा रही है जितनी कि सारे हिन्दुस्तान में बिजली पैदा होती है, उतनी तक उसकी केपेसिटी करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की मदद की जा रही है।

**अध्यक्ष महोदय** : मलिक साहब को पूछ कर यह बताइये कि वहां 6-8 घंटे बिजली मिलती है या नहीं ?

**श्री मलिक एम० एम० ए० खाँ** : मैंने पूछा था कि उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली की जरूरत है, इसका जवाब तो नहीं दिया है।

(व्यवधान)

**गुजरात में बिजली की कमी**

*421. **श्री दौलत सिंहजी जदेजा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में कोयले की कम सप्लाई के कारण हुई बिजली की अत्यधिक कमी के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या यह सच है कि माल डिब्बों के उपलब्ध न होने के कारण बिजलीघरों को ठीक समय पर कोयला सप्लाई नहीं हो पाता है;

(ग) क्या इस तथ्य को देखते हुए सरकार गुजरात राज्य को समुद्री मार्ग से कोयला सप्लाई करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस समय उक्त मामले की क्या स्थिति है ।

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) यद्यपि गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों के पास कोयले का भण्डार कम है, फिर भी कोयले की कमी के कारण किसी भी विद्युत केन्द्र को बन्द नहीं करना पड़ा है ।

(ख) कभी-कभी पर्याप्त संख्या में वैगनों की उपलब्धता में देरी के परिणामस्वरूप कोयले की सप्लाई में देरी हो जाती है, जिससे विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डार की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इस मामले को ऊर्जा मन्त्री ने रेल मन्त्री के साथ उठाया है ।

(ग) और (घ) गुजरात में ताप विद्युत केन्द्रों को कोयला पहुंचाने के लिए हल्दिया से गुजरात के पश्चिमी तट तक समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई किए जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि खानों का, बन्दरगाहों के लिंक का, बन्दरगाह पर पर्याप्त सुविधाओं का तथा कोयले की ढुलाई के लिए उपयुक्त समुद्री जहाजों की पर्याप्तता का समेकित विकास किया जाए । वर्तमान उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात के लिए समुद्री मार्ग से तत्काल कोयले की ढुलाई बढ़ाना व्यवहार्य नहीं समझा गया है ।

**श्री दौलत सिंहजी जदेजा** : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर वही घिसा-पिटा जवाब दिया गया है जिसमें मांगी गई जानकारी अधिक नहीं दी गई है । क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि गुजरात में कोयले की कुल मांग क्या है और वहां कोयले की कितनी मात्रा प्राप्त हो गई है, जल विद्युत शक्ति के अभाव के कारण गुजरात के लोग पूर्णतः कोयले पर निर्भर करते हैं ।

**श्री विक्रम महाजन** : श्रीमान, गुजरात में कोयले की पूर्ति में सुधार हो रहा है । उदाहरणार्थ, गुजरात की मांग 1060 वैगन है और अगस्त से, पूर्ति में सुधार हो रहा है । अगस्त में 50 प्रतिशत तक मांग पूरी की गई, सितम्बर में 62 प्रतिशत मांग पूरी की गई और अक्तूबर में 72 प्रतिशत मांग पूरी की गई और नवम्बर में 88 प्रतिशत मांग पूरी की गई । इस प्रकार सुधार हुआ है परन्तु जहां तक कोयले का संबंध है, देश में कोयला प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । वैगनों की कमी के कारण बाधा उत्पन्न हुई है परन्तु इसमें भी सुधार हुआ है; जैसा कि मैंने कहा है कि रेलवे में भी सुधार हुआ है और मुझे आशा है कि गुजरात की पूरी मांगों को पूरा कर दिया जायेगा ।

**श्री दौलत सिंहजी जदेजा :** मंत्री महोदय से यह बात जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि स्थिति में सुधार हो रहा है। परन्तु व्यवहार में, गुजरात के लोग कोयले को प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस बात पर विचार करेंगे—मेरे प्रश्न का एक भाग है जिसका पूर्णतः उत्तर नहीं दिया गया है क्या पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक कोयले को, जहां पर्याप्त पत्तन सुविधायें हैं, ले जाने के लिये पंजीकृत समुद्री नावों का प्रयोग करेंगे और क्या सरकार ज्वार-भाटे के पानी, कृषि के कूड़े-कचरे व गोबर को ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तित करने तथा गुजरात में उपलब्ध भूरे कोयले के ढेर जैसे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर भी विचार कर रही है ? मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि इन मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है और किस हद तक प्रगति की है ?

**श्री विक्रम महाजन :** जहां तक वैकल्पिक स्रोतों का संबंध है, सरकार ने पहल की है। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, हम गुजरात की ज्वार-भाटे की क्षमता की जांच करने के लिये पर्याप्त धनराशि पहले ही स्वीकृत कर चुके हैं। जांच का कार्य अति शीघ्र शुरू होने वाला है। हम इस विशेष वैकल्पिक स्रोत पर विदेशी परामर्श लेने की भी सोच रहे हैं। समुद्र के संबंध में गुजरात के बिजलीघरों का सम्पर्क पश्चिमी कोयला क्षेत्रों से कर दिया गया है और समुद्री मार्ग द्वारा कोयले की ढुलाई करना संभव नहीं है। बंगाल क्षेत्रों से जुड़े बिजलीघरों से समुद्री मार्ग से कोयले की ढुलाई करना बड़ा सरल है। परन्तु क्योंकि गुजरात बिजलीघरों का सम्पर्क पश्चिम कोयला क्षेत्रों से है, इसलिए एकमात्र संभव ढुलाई व्यवस्था रेल है। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या हम घोल जैसी नयी प्रणाली की कोशिश कर सकते हैं परन्तु वह अन्वेषण की अवस्था में है।

**श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** अध्यक्ष महोदय, यहां बताया है कि 83 प्रतिशत कोयला मिल रहा है। गुजरात में बिजली नहीं मिल रही है इसी वजह से तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर भी 48 घंटे के बजाय 40 घंटे का सप्ताह बनाने की मांग कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है ? इतनी कटौती है, इसके बावजूद बताया जा रहा है कि 83 प्रतिशत पूर्ति हो रही है।

दूसरा मेरा सवाल है कि वहां पर पश्चिम बंगाल से कोयला गुजरात लाने में बहुत समय लगता है तो मध्य प्रदेश से कोयला मिल सके ऐसा प्रावधान किया जाएगा या नहीं ?

**श्री विक्रम महाजन :** मैंने पिछले जवाब में कह दिया है कि गुजरात को कोयला जो दिया जाता है वह वेस्टन कोल फील्ड से दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। गुजरात को मध्य प्रदेश से ही ज्यादा कोयला देते हैं। जहां तक शार्टेज का सवाल है, गुजरात के संबंध में, पिछले महीने कुछ प्राब्लम थी, क्योंकि मानसून कम हुआ, कुछ मशीनें खराब हो गईं, लेकिन आज जो पोजीशन है, आज जो डिमांड है, उसको मीट किया जा रहा है, शार्टेज बहुत मार्जिनल है, 5 प्रतिशत शार्टेज है। अगर 3-4 परसेंट और पिक-अप कर लें तो शार्टेज नहीं होगी।

**श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** तीन-तीन दिन तक कृषि के लिए बिजली नहीं मिलती है और 5 परसेंट कटौती बतलाते हैं। उद्योगों में 20 परसेंट कटौती है और 5 परसेंट कटौती बतला रहे हैं ?

**श्री विक्रम महाजन :** मैंने कह दिया कि जहां तक गुजरात का ताल्लुक है वहां पर बिजली की स्थिति काफी अच्छी है। शार्टेज सिर्फ 5 परसेंट है, अगर पीक आवर स्ट्रेंगर कर लें तो वह भी खत्म हो जाएगी।

**बिहार में संयुक्त क्षेत्र में विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव**

*422. **श्री सूर्यनारायण सिंह :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में संयुक्त क्षेत्र में विद्युत संयंत्र स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) और (ख) बिहार सरकार से कोई औपचारिक विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, बिहार के मुख्य मन्त्री ने अभी हाल ही में केन्द्र सरकार को लिखा है कि राज्य सरकार संयुक्त क्षेत्र में विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करना चाहती है और संयुक्त क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की संकल्पना के लिए सिद्धान्त रूप में केन्द्र सरकार का अनुमोदन देने के लिए अनुरोध उन्होंने किया है। इस संबंध में बिहार राज्य सरकार को प्राप्त हुए दो प्रस्ताव भी संदर्भ के लिए भेजे गए हैं। एक प्रस्ताव जमशेदपुर में लगभग 200 मेगावाट के विद्युत संयंत्र की प्रतिष्ठापना के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का है तथा दूसरा प्रस्ताव पतरातु में 135 मेगावाट का विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए बिहार कास्टिक एण्ड केमीकल्स लिमिटेड का है।

(ग) कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व अभी सरकार को इस मामले की जांच वित्त, उद्योग, कम्पनी कार्य विभाग तथा योजना आयोग जैसे विभिन्न सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ परामर्श करके करनी है।

**श्री सूर्यनारायण सिंह :** मन्त्री महोदय के जवाब से ऐसा लगता है कि पावर जैसे महत्वपूण उद्योग में भी सरकार की जो पुरानी नीति थी उसको छोड़कर ज्वायंट सैक्टर के नाम पर हिन्दुस्तान के इजारेदार औद्योगिक घरानों को घुसाने की साजिश चल रही है। इस ज्वायंट सैक्टर की अवधारणा को छोड़कर इस महत्वपूर्ण उद्योग की स्थापना को फिर से राज्य के क्षेत्र में स्थापित करने पर क्या सरकार विचार करेगी ?

**श्री विक्रम महाजन :** मेरे जवाब को माननीय सदस्य ने देखा होगा। उसमें मैंने साफ कहा है कि बिहार गवर्नमेंट ने हमें प्रोपोजल भेजे हैं और वे अन्डर कंसिड्रेशन हैं। यह कहना कि सरकार ने अपनी नीति छोड़ दी है वाजिब नहीं होगा।

**श्री सूर्यनारायण सिंह :** बिहार में बिजली की गम्भीर स्थिति को देखते हुए जो पुराने ताप बिजली घर चल रहे हैं जैसे बरौनी थर्मल पावर, पतरातु थर्मल पावर वहां क्षमता के अनुसार बिजली पैदा नहीं होती है और क्या उसका कारण यह नहीं है कि जैनरेशन का काम करने वाले इंजीनियर जिन्होंने विदेशों में जाकर प्रशिक्षण हासिल किया था उनको तो सप्लाई में भेज

दिया गया है और ऐसे इंजीनियर्ज को वहां बिठा दिया गया है जिनको जैनरेशन का कोई अनुभव नहीं है ? क्या यह भी सच नहीं है कि मेंटनेंस की बहुत गड़बड़ी है ? साथ ही क्या औद्योगिक सम्बन्ध खराब नहीं है जिसकी वजह से क्षमता के मुताबिक इन ताप बिजलीघरों में पैदावार नहीं हो पाती है ? इन तमाम गड़बड़ियों को दूर करने के क्या आप उपाय निकालेंगे और देखेंगे कि क्षमता के मुताबिक वहां बिजली पैदा हो यदि हां तो वे कौन से उपाय हैं ?

**श्री विक्रम महाजन :** माननीय सदस्य को जान कर खुशी होगी कि बिहार में बिजली की स्थिति हर महीने सुधर रही है। नवम्बर में ढाई सौ मेगावाट बिजली जैनरेट की गई । इस महीने चार सौ मेगावाट तक वह पहुंच गई है। यह उन स्टेप्स का नतीजा है जो हमने लिए हैं, जब से नई सरकार आई है उसने लिए हैं। वहां एक्सपर्ट टीम भेजी गई, मेल के एक्सपर्ट गए, हमारे एक्सपर्ट गए, बाहर से, रूस से मगाए और उन सबने मिलकर जो काम किया उसकी वजह से यह सुधार हुआ है और मुझे आशा है कि आगे भी होता रहेगा ।

**श्री विजय कुमार यादव :** उत्तर से ऐसा लगता है कि बिहार में बिजली की कोई कमी नहीं है और न राज्यों में है । लेकिन बिहार की स्थिति यह है कि वहां न तो लोगों को ट्रांस-फार्मर दिए जा रहे हैं और न ही इलैक्ट्रिक वायर व तार दिया जा रहा है। बिजली अभी भी किसानों को जो छः घटे मिलनी चाहिये और जो केन्द्र की नीति है, छः घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में बिजली की कुल कितनी मांग है और कितनी अभी वहां बिजली पैदा की जा रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह तो बता दिया कि कितनी पैदावार है।

**श्री विजय कुमार यादव :** पैदावार 400 मेगावाट इन्होंने बतायी है। मैंने इसीलिये पूछा कि कुल कितनी मांग है बिहार राज्य में और जो वहां कमी है उसको कैसे पूरा करेंगे ? अभी इन्होंने बताया है कि दो प्रस्ताव बिहार सरकार से आये हैं, जिसकी जानकारी इनको दी गई है, लेकिन बिहार में कुछ दूसरी परियोजनायें भी चल रही हैं वह कौन-कौन सी हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** ब्यौरा दूसरा लिखकर मांग लीजियेगा ।

**श्री विजय कुमार यादव :** कितनी योजनायें बिजली जैनरेशन की बिहार के अन्दर चल रही हैं और उनकी क्षमता क्या है और कब तक पूरी हो जायेंगीं ?

**श्री विक्रम महाजन :** मैंने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि बिहार में बिजली की स्थिति में सुधार हो रहा है। शार्ट कमिन्ग तो है ही, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा रहा है।

जहां तक ताल्लुक है डिमान्ड का बिहार की वह 650 मेगावाट है और सप्लाई जो दिसम्बर में दे रहे हैं वह 400 मेगावाट है। तो मैंने कहा स्थिति में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, शार्ट कमिन्ग्स हैं।

जहां तक नई स्कीमों का ताल्लुक है हमने प्लान बनाया है कि बिहार की जो ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसको हमें अगले 6 साल में डबल कर देना है। इन प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट मैं दे दूंगा। सुवर्ण रेखा सेकेन्ड यूनिट की 65 मेगावाट करने की योजना है, पतरातू ऐक्सटेंशन की 220 मेगावाट, बरौनी छठी यूनिट की 110 मेगावाट, बरौनी ऐक्सटेंशन की 110 मेगावाट,

मुजफ्फरपुर थर्मल स्टेशन की 220 मेगावाट करने की योजनायें हैं । इस ढंग से 725 मेगावाट तक क्षमता हो जायगी । साथ ही साथ सैन्ट्रल सैक्टर में और लगाने जा रहे हैं जिससे बिहार की क्षमता अगले 6-7 साल में दुगनी हो जायगी ।

**श्री कृष्णचंद्र हाल्दर** : मंत्री महोदय ने बताया कि बिहार में कमी लगभग 30 प्रतिशत है । बिजली की कमी के फलस्वरूप औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्र में कुल कितनी हानि हुई है ?

माननीय मंत्री श्री गनी खान चौधरी ने पहले कहा था कि बिजलीघर निजी क्षेत्र में भी स्थापित किए जाने चाहिएं । उन्होंने यह कहा था कि बिजलीघर स्थापित करने के लिए वह विदेशी पूंजी का निवेश भी करना चाहिए । क्या उन्होंने अपनी नीति बदल दी है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न का उत्तर भी पहले ही दिया जा सकता है कि इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

**श्री विक्रम महाजन** : इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं । मैं इस सम्बन्ध में यह दोहराना चाहता हूं कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची 'क' में बिजली के उत्पादन तथा उसके वितरण को भी शामिल किया गया है और उसमें उन उद्योगों की सूची दी गई है जिनके लिए नई एककों को स्थापित करने की अनुमति दी जा चुकी है और यह एकक केवल राज्य सरकार द्वारा ही स्थापित किये जायेंगे । इस संकल्प के अन्तर्गत वर्तमान निजी क्षेत्र की एककों के विस्तार पर न तो किसी प्रकार की रोक लगाई गई है और न राष्ट्रहित के लिए राज्य सरकारों पर निजी क्षेत्र का सहयोग प्राप्त करने पर ही किसी प्रकार की रोक लगाई गई है । अतः इसका आधार केवल राष्ट्रीय हित ही है ।

**धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्र से कोयले की सप्लाई**

*424. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद-झरिया कोयला क्षेत्र से कोयले की सप्लाई में सुधार करने और उसे विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 के उपबन्धों का प्रयोग किया जाएगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) अक्तूबर, 1980 से धनबाद-झरिया कोयला-पट्टी में कोयला का उत्पादन काफी बढ़ गया है । इसलिए भारत कोकिंग कोल लि० की धनबाद-झरिया कोयला पट्टी में घटिया ग्रेड के कोयले और बीहाइव हार्ड कोक की सप्लाई सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दी गई है । अन्य ग्रेडों के कोयले की सप्लाई विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अग्रता के अनुसार की जाती है ।

(ख) बिहार सरकार, यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करेगी ।

**श्री चिरंजीलाल शर्मा** : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के (क) भाग में बताया है कि धनबाद-झरिया पट्टी में कोयले का उत्पादन अक्तूबर, 1980 से काफी बढ़ गया है । क्या मंत्री

महोदय यह बताने की कृपा करेंगे (क) अक्तूबर, 1980 से पहले कोयले का उत्पादन कितना था और आज कितना है, (ख) उत्पादन में हुई वृद्धि की प्रतिशतता क्या है और (ग) इस क्षेत्र में कितने प्रकार का कोयला उपलब्ध होता है ?

**श्री विक्रम महाजन** : नवम्बर, 1980 में उत्पादन 16.2 लाख टन था जो कि नवम्बर, 1979 के आंकड़ों से अधिक है। दिसम्बर तक गत वर्ष दिसम्बर की तुलना में इसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी। जहां तक कोयले की किस्मों का सम्बन्ध है, बिहार कोकिंग कोल लिमिटिड से प्राप्त होने वाले कोयले का दो-तिहाई भाग ऐसा होता है जो कि इस्पात संयंत्रों के काम आता है। गैर-कोकिंग कोयले का उत्पादन 75 लाख टन है जो कि कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई है। हमें आशा है कि हम इस क्षेत्र विशेष में, गत वर्ष की तुलना में कोयले का अधिक उत्पादन करने में सफल होंगे।

**श्री चिरंजीलाल शर्मा** : मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए वह क्या कार्यवाही करेंगे ?

**श्री विक्रम महाजन** : इस क्षेत्र की मुख्य समस्या कानून और व्यवस्था की है और हमने इसका समाधान कर दिया है। केन्द्र से मंत्रियों का एक दल वहां गया था और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की धनबाद-झरिया कोयला पट्टी के लिए एक समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। इस समन्वय समिति की बैठक हर सप्ताह होती है जिसमें कि स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, भारत कोकिंग कोल, शक्ति मंत्रालय, रेलवे विभाग तथा अन्य प्रतिनिधि मिल कर समस्याओं का समाधान खोजते हैं। बैठकों की कार्यवाही का सारांश वह मंत्रालय को भेजते हैं और उनके समक्ष जो समस्यायें होती हैं उनका समाधान भी उच्च स्तर पर खोजा जाता है। यह व्यवस्था—जो कि हमने अभी पिछले सितम्बर से ही आरम्भ की है, के परिणामस्वरूप अक्तूबर में स्थिति में सुधार हुआ है और नवम्बर-दिसम्बर में इसमें और सुधार होने की आशा है। इस व्यवस्था विशेष के फलस्वरूप वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है तथा वहां बिजली की स्थिति भी पहले से अच्छी हो गई है।

**श्री धर्मदास शास्त्री** : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कोल की मूवमैंट की क्या दशा है ? वह इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। उन्होंने इसके बारे में कोई फिगर नहीं दी हैं। दिल्ली में तो कोयले की कमी है ही। इसलिये मंत्री महोदय, कोयले की मूवमैंट के बारे में बतायें कि इसकी क्या पोजीशन है ?

**श्री विक्रम महाजन** : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1977-78 में यह उत्पादन 1010 लाख टन से बढ़कर 1020 टन हो गया है। परन्तु इस वर्ष अर्थात् 1980-81 में दिसम्बर के बाद विशेष रूप से कोयले के उत्पादन में इतनी वृद्धि होगी जितनी कि पिछले पूरे वर्ष में हुई होगी। पहले के वर्षों में प्रत्येक वर्ष लगभग 10 लाख टन उत्पादन वृद्धि होती रही। अब हम केवल दिसम्बर में ही 10 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन करने जा रहे हैं और जनवरी में और 10 लाख टन का अतिरिक्त उत्पादन होने जा रहा है। वर्ष 1980-81 में हम 1130 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ऐसा ही

अगले वर्ष होगा । अतः देश में कोयले के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कोयले को लाने ले जाने का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कुछ बाधायें अवश्य हैं परन्तु सम्भवतः इसका एक कारण यही है कि गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे की अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया गया था परन्तु हम आशा करते हैं कि रेलवे के कार्यकरण में सुधार हो रहा है और हमें आशा है कि इस समस्या को सुलझा लिया जायेगा । जब रेल परिवहन में सुधार होगा तो दिल्ली को भी इसका अपेक्षित लाभ होगा ।

**आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकार और गैर-सरकारी विज्ञापन**

*425. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानूनी आदेश जारी करके आकाशवाणी और दूरदर्शन के कलाकारों और कर्मचारियों को सार्वजनिक तथा गैर-सरकारी विज्ञापनों के लिए अपने पद का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में यह देखा है कि बहुत से कर्मचारी और कलाकार गैर-सरकारी विज्ञापनों के लिए अपने पद का इस्तेमाल करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के ऐसे कलाकारों तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** (क) आकाशवाणी/दूरदर्शन के ऐसे कर्मचारी, जो नियमित सरकारी कर्मचारी हैं, के लिए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों के अंतर्गत अपने आपको, सिवाए सरकार की पूर्व स्वीकृति से, अपने सरकारी कार्यों से बाहर किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में लगान के लिए मनाही है । इन सगठनों के स्टाफ आर्टिस्ट के लिए अपनी संविदा शर्तों के अन्तर्गत, सिवाए सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति से, अपने कार्य से संबंधित किसी लाभकारी या अन्य स्वरूप का कार्य करन के लिए मनाही है ।

(ख) और (ग) आकाशवाणी के दो स्टाफ आर्टिस्टों के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें हाल ही में प्राप्त हुई हैं । मामले की जांच की जा रही है । यदि ये स्टाफ आर्टिस्ट दोषी पाये गये तो उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी ।

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या यह सत्य है कि आज आर्टिस्ट्स के एमालुमेंट्स, रीम्युनरेशन और वर्किन्ग कन्डीशन्ज सतोषजनक नहीं हैं, इसलिए वे बाहर काम करन के लिए मजबूर होते हैं ? क्या रिटन परमिशन के नियम की वजह से फेवरिटिज्म और करप्शन बढ़ता है या नहीं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसंत साठे)** : जो अच्छे आर्टिस्ट्स होते हैं, अक्सर उन्हीं की बाहर मांग होती है । इसलिए जो मामूली स्तर के आर्टिस्ट्स हैं, जिनके एमालुमेंट्स की बात माननीय सदस्या ने कही है, उनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है । इसमें फेवरिटिज्म का सवाल

नहीं है । यदि यह नियम न हो और सब को बाहर काम करने की इजाजत दी जाए, जैसा कि माननीय सदस्या चाहती हैं, तो आमतौर से स्टाफ आर्टिस्ट्स रेडियो और टी वी में काम करके बजाये बाहर ही ज्यादा काम करते रहेंगे । इसलिए यह नियम रखना आवश्यक है । अक्सर पर-मिशन दी जाती है । इसमें फेवरिटिज्म का कोई सवाल पैदा नहीं होता ।

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : मेरे पास इस आशय की शिकायतें आई हैं कि कई आर्टिस्ट्स के साथ फेवरिटिज्म होता है और कई आर्टिस्ट्स के प्रति भेदभाव किया जाता है । मैं यह जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय के शासन में आने के बाद आज तक कितने आर्टिस्ट्स को बाहर काम करने की इजाजत मिली है । क्या सरकार आज की आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्टिस्ट्स के टोटल रीम्युनरेशन और वर्किन्ग कन्डीशन्ज को इम्परूव करने के लिए कोई खास प्रयास कर रही है ? चूंकि स्टाफ आर्टिस्ट्स के लिए वर्तमान रूल्ज को तोड़ना मजबूरन आवश्यक हो जाता है, इसलिए क्या उन्हें बाहर काम करने की इजाजत दी जायेगी ?

**श्री बसंत साठे** : माननीय सदस्या ने फेवरिटिज्म का चार्ज लगाया है । अगर माननीय सदस्या के पास इस तरह का कोई उदाहरण है और यदि वह मुझे वह उदाहरण दें, तो मैं अवश्य उसकी जांच करूंगा । जहां तक एमालुमेंट्स के इम्परूवमेंट का सवाल है, हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं । डी० पी० सी० बनाना और, प्रोमोशन देना, स्टाफ आर्टिस्ट्स को परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स बनाना और उन्हें पेन्शन फैसिलिटीज देना, ये सब कदम उठाये जा रहे हैं और तेजी से उठाए जायेंगे । माननीय सदस्या ने कहा है कि स्टाफ आर्टिस्ट्स को बाहर काम करने का और मौका मिलना चाहिए । रेडियो और टेलीविजन में उनका जो काम हैं, उसमें खलल न पड़ते हुए यदि वे बाहर काम कर सकते हैं, तो हम उनकी मदद करने के लिए सारा प्रयत्न करेंगे ।

**श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : कितने लोगों को इजाजत दी आपने ?

**श्री बसंत साठे** : बहुत से लोगों को दी है ।

**श्री के० लकप्पा** : क्या मैं जान सकता हूं कि पार्ले ग्रुप की कम्पनियाँ रेडियो और दूरदर्शन कर्मचारियों की मिली-भगत से अपने विज्ञापनों में एक विशेष शब्द का निरन्तर प्रयोग कर रहे हैं जबकि इस पर रोक लगा दी गई है ? क्या वे संबधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे ?

**श्री राम विलास पासवान** : सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्राहिबिटेड हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेन्ट से क्या तात्पर्य है और कितने स्टाफ आर्टिस्ट्स आपके हैं जिनको आपने अभी तक रेगुलराइज किया है ?

**श्री बसंत साठे** : रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर्टिस्ट्स हों दोनों पर एक ही नियम लागू है जहां तक कि बाहर काम करने का सवाल है·····

**श्री राम विलास पासवान** : आपके यहां रेडियो और टी वी में रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या परिभाषा है और कितने आपके स्टाफ आर्टिस्ट्स हैं जिनको रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट आपने बनाया है ?

**श्री बसंत साठे** : देखिए, जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स के मातहत सिविल सर्विस की कैटेगरी में आते हैं वे परमानेन्ट रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और स्टाफ आर्टिस्ट्स जो कान्ट्रैक्ट

बेसिस पर कुछ लोग रखे जाते हैं वे स्टाफ आर्टिस्ट की कैटेगरी में आते हैं लेकिन बाहर काम करने के बारे में नियम दोनों के लिए एक ही सा है और वह मैंने अभी बताया है ।

**श्री सुनील मैत्रा** : नियमित सरकारी कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या कितनी है ?

**श्री बसंत साठे** : इस प्रश्न में से यह बात नहीं उठती है । यदि आप अलग नोटिस देंगे तो मैं जानकारी एकत्र करके आपको बता दूंगा ।

**औषधियों का सरकारी माध्यम से आयात किया जाना**

427. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान औषधियों का किन-किन मदों का सरकारी माध्यम से आयात किया गया था और क्या ऐसा उनके मंत्रालय की सिफारिशों पर किया गया था;

(ख) सरकारी माध्यम से आयात किए जाने के क्या कारण हैं और ऐसा किन सांविधिक उपबन्धों के अन्तर्गत किया गया था;

(ग) क्या सरकारी माध्यम से आयात किए जाने के कारण इन मदों के मूल्यों में वृद्धि हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी माध्यम से आयात किए जाने से पहले के और उसके बाद के मूल्य क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

**विवरण**

(क) और (ख) बल्क औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों का आयात भारत सरकार द्वारा आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत दिए गए प्राधिकार से रसायन और उर्वरक विभाग/स्वास्थ्य मंत्रालय और डी० जी० टी० डी० के परामर्श से प्रतिवर्ष किया जाता है । औषध मदों का आयात कैनैलाइजिंग ऐजेंसी के माध्यम से करने का सरकार का मूल उद्देश्य: (i) आयात आवश्यकताओं को जमा करना ताकि विश्व बाजार में सौदे-बाजी की स्थिति का लाभ उठाया जा सके, (ii) नये नाजुक औषधों के आयात/प्रचलन को नियमित करना ताकि उसी के समान भेषजीय मूल्य के औषधों के स्वदेशी उत्पादन पर प्रभाव न पड़े, (iii) स्वदेशी उत्पादन की रक्षा करना, (iv) अनुरूप मूल्यों पर कच्चे माल की समान सप्लाई को सुनिश्चित करना । वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान सारणीबद्ध औषध मदों की सूची अनुबन्ध-I में दी गई है ।

(ग) और (घ) सरणीबद्ध करने से पहले और उसके बाद कुछ सरणीबद्ध औषधों के मूल्यों सी० पी० सी० द्वारा आयातित सामग्री के मूल्य और दूसरी कम्पनियों द्वारा उसी अवधि

के दौरान आयातित उन्हीं औषधों के मूल्यों की एक विश्लेषणात्मक सूची अनुबन्ध-11 में दर्शायी गई है। इस सूची से यह देखा जा सकता है कि सरणीबद्ध ऐजेंसियों के माध्यम से आयात करों के परिणामस्वरूप कुछ चल्क औषधों के मूल्य घटे हैं।

अनुबन्ध-1

**वर्ष 1978-79 में आयात की जाने वाली सरणीबद्ध मदों की सूची**

1. एमी डिपाइरीन।
2. एमपी सिलिन थ्राइहाइड्रेट/एनहाइड्रस/सोडियम।
3. क्लोरमफिनिओल पाउडर, क्लोरमफिनिओल पालमिटेट. क्लोरमफिनिओल स्टीएरेट और क्लोरमफिनिओल सोडियम सक्सीनेट।
4. क्लोरोक्वीन और इसके लवण।
5. डौक्सीसाइलीन।
6. एरीथ्रोमाइसीन (बेस) एरीथ्रोमाइसीन इसटोलेट। एरीथ्रोमाइसीन स्टीरेट और एरीथ्रोमाइसीन इथाइल सक्सीनेट।
7. जिन्टेमाइसीन।
8. इनडोमिथेसिन।
9. मिथाइल बोपा।
10. मेट्रोनिडेजौल।
11. पिपरेजीन एनहाइड्रस और हैक्साहाइड्रेट साल्ट।
12. रिबोफलेबिन (विटामिन बी-2)।
13. स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट।
14. सल्फामिथोक्साजोल।
15. टेट्रासाइक्लीन इसके साल्ट और उप-उत्पाद।
16. थाइमीन मोनो नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोराइड (विटामिन बी-1)।
17. ट्राइमिथोप्रीम।
18. विटामिन डी-3।

**वर्ष 1979-80 में आयात की जाने वाली सरणीबद्ध मदों की सूची**

1. एम्पीसिलिन एनहाइड्रस।
2. एम्पीसिलिन सोडियम।
3. एम्पीसिलिन ट्राइहाइड्रेट।
4. क्लोरमफिनिकोल पालमिटेट।

5. क्लोरमफिनिकोल पाउडर ।
6. क्लोरमफिनिकोल स्टीरेट ।
7. क्लोरमफिनिकोल सोडियम सक्सीनेट ।
8. क्लोरोक्वीन सल्फेट फास्फेट ।
9. क्लोरोक्वीन सल्फेट ।
10. एरीथ्रोमाइसीन इसटोलेट ।
11. एरीथ्रोमाइसीन स्टीरेट ।
12. एरीथ्रोमाइसीन इथाइल सक्सीनेट ।
13. एरीथ्रोमाइसीन बेस ।
14. डौक्सीसाइक्लीन ।
15. स्ट्रप्टोमाइसीन सल्फेट ।
16. जिन्टेमाइसीन ।
17. इन्डोमिथेसिन ।
18. मिथाइल डोपा ।
19. सल्फामिथोक्साजोल ।
20. ट्राइमिथोप्रिम ।
21. डेपसोन ।
22. ई० एम० एम० ई० ।
23. मिथाइल इमिडेजोल ।
24. नोवायडी माइन ।
25. टाइओक ।
26. एमोक्सी सिलीन ।
27. 6 ए० पी० ए० ।
28. ईथीमबुटोल ।
29. विटामिन बी-6 ।
30. कैल्सियम डी पेन्टोथीनेट ।
31. एमाइडोपाइरीन ।
32. पिपरेजीन हैक्साहाइड्रेट/एनहाइड्रस ।
33. विटामिन बी-1 ।
34. विटामिन बी-2 ।
35. टेट्रासाइक्लीन बेस ।
36. टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० ।

अनुबन्ध-2

सी० पी० सी० के माध्यम और वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा आयातित कुछ चुनिंदा औषधों के मूल्यों को दर्शाने वाली व्याख्यात्मक सूची

| क्र० सं० | औषध का नाम | वर्ष 1977-78 | वर्ष 1978-79 | वर्ष 1979-80 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **एथाम्बुटोल** | गैर सरणीबद्ध | गैर सरणीबद्ध | गैर सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | 430.05 | 341.65 | 434.94 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | — | — | 310.93 |
| 2. | **मेथाइल डोपा** | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | 489.76 | 469.93 | 517.10 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | 483.60 | 472.00 | 349.37 |
| 3. | **क्लोरोक्विन फास्फेट** | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | 259.42 | 260.22 | 276.66 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | 255.77 | 259.11 | 273.68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4. | स्ट्रैप्टोमाइसीन सल्फेट | | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | | 328.12 | 367.98 | 376.50 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | | 343.71 | 381.50 | 389.96 |
| | | 1976-77 | | | |
| 5. | डाक्सीसाइक्लीन | गैर सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | 2035.00 | 1615.84 | 1506.57 | 1374.28 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | | 1587.00 | 1377.75 | 1344.00 |
| 6. | ट्रैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोनाइड | | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | | 238.07 | 240.48 | 256.82 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | | 224.46 | 273.60 | 259.31 |
| | | 1976-77 | | | |
| 7. | सल्फामेथोक्साजोल | गैर सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध | सरणीबद्ध |
| | आयात का औसत सी० आई० एफ० मूल्य | 274.76 | 235.10 | 282.61 | 242.08 |
| | सी० पी० सी० के माध्यम से आयात का सी० आई० एफ० मूल्य | | 185.17 | 235.44 | 230.30 |

**श्री रतन सिंह राजदा** : क्या माननीय मंत्री को पता है कि जब लोगों की जीवन-रक्षक औषधियां उपलब्ध न हों और बाजार में उनकी कमी बुरी तरह महसूस की जा रही हो तो औषधियों का सरकारी माध्यम से आयात नीति पूर्णतः विफल हो गई है ? क्या वे बतायेंगे कि दिन-प्रतिदिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है तथा वे क्या पूर्वोपाय करेंगे जिससे लोगों को ऐसी कमी से परेशान न होना पड़े ?

**श्री दलबीर सिंह** : औषधियों की सरकारी माध्यम से आयात नीति असफल नहीं रही। मैंने जो विवरण दिया है उसके अनुबन्ध में यह स्पष्ट है कि सरकारी माध्यम से आयातित औषधियों के मूल्य अन्य माध्यमों से आयातित औषधियों के मूल्यों से कम हैं। अतः यह असफलता नहीं है। यह एक लम्बी सूची है। विवरण में मैंने सभी आंकड़े दिए हैं।

**श्री रतन सिंह राजदा** : महोदय, मैं दोबारा, स्पष्ट करूंगा। मैंने जीवन-रक्षक औषधियों की उपलब्धता के विषय में पूछा था। क्या माननीय मंत्री को पता है कि प्रायः सामान्य आदमी को जीवन-रक्षक औषधियां नहीं मिल पातीं और बम्बई के अस्पतालों तथा देश के ज्यादातर अस्पतालों में लोगों को जीवनरक्षक औषधियां नहीं मिल पाती हैं। यह देश के लोगों क स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जीवन-रक्षक औषधियां व परिष्कृत औषधियां सरलता से उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं ? वे औषधियां आयात कर रहे हैं और उन्होंने एक लम्बी सूची दी है। मैं जानना चाहता हूं कि वे इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं कि जीवन-रक्षक औषधियों की कमी न होने पाए तथा लोगों को उचित मूल्यों पर इनकी नियमित आपूर्ति होती रहे।

**श्री दलबीर सिंह** : जहां तक जीवन-रक्षक औषधियों की कमी का संबंध है, उनकी उपलब्धता पर नजर रखी जा रही है। हम विभिन्न स्रोतों से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं, राज्य सरकारों के औषधि नियंत्रकों तथा क्षेत्रीय औषधि नियंत्रकों, से उनकी रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद हम तत्काल आपूर्ति पर निगरानी रखते हैं। हम उत्पादकों को भी उन क्षेत्रों को औषधियों की शीघ्र आपूर्ति के लिए कहते हैं जहां औषधियों की कमी होती है। हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं। कमी को आयात द्वारा भी पूरा किया जा रहा है। जब यह महसूस किया जाता है कि जीव रक्षक औषधियों की आपूर्ति कम है तो उनका पर्याप्त आयात किया जाता है।

**श्री रतन सिंह राजदा** : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि बल्क औषधियों का सरकारी माध्यम से आयात करने की नीति का निर्माण करते समय क्या संबंधित औषधि उद्योग और डाक्टरों व अन्य संगठनों आदि से उनकी नीति निर्माण से पूर्ण विचार विमर्श किया गया था जिसका वे वार्षिक पुनरीक्षण करते हैं।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : जहां तक नीति निर्माण का संबंध है यह नई नीति नहीं है। सरकारी माध्यम से औषधियों का आयात 1970-71 से चल रहा है। चावड़ा समिति नियुक्त की गई थी और उस समिति ने कई सिफारिशें की थीं कि सरकारी माध्यम से औषधियों का आयात करने से स्थिति सुधरेगी। जहां तक सरकारी माध्यम से औषधियों के आयात का संबंध है वास्तव में, हम चावड़ा समिति द्वारा प्रतिपादित नीति का

पालन कर रहे हैं। यह सिद्ध करने के लिए मेरे पास आंकड़े हैं कि सरकारी माध्यम से औषधियों के आयात द्वारा हमें लाभ हुआ है क्योंकि हमारी सौदा करने की शक्ति बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, जब भी कमी महसूस की जाती है, हम आयात पर निगरानी रख सकते हैं और सरकारी माध्यम से औषधियों का आयात अन्य आयातों की तुलना में काफी सस्ता पड़ता है।

**हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन का हल्दिया एकक**

428. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया यूनिट को किस तारीख को चालू करने का लक्ष्य है;

(ग) उक्त एकक को चालू करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) एकक को चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन की हल्दिया उर्वरक प्रायोजना को नवम्बर, 1979 में यांत्रिक रूप से पूरा किया गया था लेकिन प्लांट उत्पादन आरम्भ नहीं कर सका क्योंकि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड अपेक्षित मात्रा में बिजली सप्लाई करने में असमर्थ था। सरकार ने इस प्रायोजना के लिए एक 20 मेगावाट गैस टर्बाइन स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। इस टर्बाइन के स्थापित होने के बाद उक्त उर्वरक प्लांट को चालू करना संभव हो सकेगा।

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में सारा दोष पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड पर मढ़ दिया है। परन्तु मैं यह नहीं समझ सका कि विद्युत समस्या पर पहले विचार नहीं किया गया और गैस टर्बाइन स्थापित करने का मामला पहले क्यों नहीं उठाया गया। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि गैस टर्बाइन किस तारीख तक स्थापित किया जाएगा और एच० एफ० सी० का हल्दिया एकक कब तक चालू हो पाएगा।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : बिजली की आपूर्ति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से 1976 के प्रारम्भ से बातचीत हो रही है और हर-बार हमें आश्वस्त किया गया कि हमें बिजली मिल जाएगी। परन्तु दुर्भाग्यवश, वे हमें बिजली देने में असमर्थ रहे। अब वे हमें लगभग चार मेगावाट बिजली दे रहे हैं। हाल में, मेरे कलकत्ता प्रवास के दौरान, मैंने मुख्य मंत्री से बिजली की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया था और वे आठ से दस मेगावाट बिजली देने के लिए सहमत हो गए थे। फिर हमने गैस टर्बाइन के लिए मंजूरी दे दी, इसमें लगभग सात महीने लग जाएंगे। तब तक हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी और मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल सरकार भी हमें अपेक्षित बिजली, जो अब केवल 39 मेगावाट है, की आपूर्ति करने में सक्षम हो जाएगी।

——

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## कच्चे तेल की आयात नीति को बदलने का प्रस्ताव

*426. **श्रीमती गुरविन्दर कौर ब्रार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार कच्चे तेल की 1981-82 की आयात नीति को बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** जी, नहीं ।

## पश्चिम बंगाल में रुग्ण औषध एककों में सुधार

429. **श्री समर मुखर्जी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित रुग्ण औषध एककों में सुधार करने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) और (ख) सरकार पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय या राज्य सरकार के प्रबन्ध वाली रुग्ण एककों के प्रबन्ध में सुधार की आवश्यकता के प्रति जागरूक है । सरकार और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई वित्तीय सहायता और वरिष्ठ अनुभवी कर्मियों की तैनाती से उत्पादन और बिक्री में सुधार हुआ है ।

## मोटरगाड़ियों के लिए अलकोहल का प्रयोग

*430. **श्री चतुर्भुज :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि ब्राजील मोटरगाड़ियों आदि के इंजनों में थोड़ा सा परिवर्तन करके, उनमें 20 प्रतिशत तक पेट्रोल के स्थान पर अलकोहल का प्रयोग करने में सफल हुआ है और इस प्रकार वह 1980 में 360 करोड़ डालर का तेल आयात बचा सकेगा और 1990 तक वह ईंधन के रूप में पेट्रोल पर शायद ही निर्भर रहेगा;

(ख) इस बारे में तथ्य और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या भारत में इस प्रकार के अनुसंधान किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम रहा; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां ।

(ख), (ग) एवं (घ) इस बारे में तथ्य नीचे दिए गए हैं :

ब्राजील ने अपने पेट्रोल की खपत के 17 प्रतिशत भाग के स्थान पर अल्कोहल को प्रतिस्थापित किया है। उसने मोटर वाहनों में 20 प्रतिशत अल्कोहल के पेट्रोल के साथ मिश्रण के प्रयोग को सफलतापूर्वक प्रारम्भ किया है जिससे देश को वर्ष 1980 में तेल आयातों में 3600 मिलियन अमेरिकी डालर की बचत होगी। ब्राजील सरकार ने 300,000 ऐसी कारों के निर्माण का जो शुद्ध अल्कोहल द्वारा चलेंगी तथा दूसरी 30,000 कारों को पेट्रोल से अल्कोहल में बदलने का अधिकार दिया है। ब्राजील देश के चीनी उद्योग को 3,000 मिलियन लिटर अल्कोहल के उत्पादन के लिये फिर से सक्रिय कर रहा है तथा अल्कोहल के उत्पादन के लिये डिसटिलरियों (आसवनियों) की संख्या को 300 से 1100 तक बढ़ाया जा रहा है। ब्राजील में अल्कोहल का मुख्य स्रोत गन्ना है। फिर भी कासावा तथा अन्य ईंधन स्रोतों से अल्कोहल का उत्पादन प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

भारत में विशेष रूप से इण्डियन आयल कारपोरेशन के अनुसंधान एवं विकास केन्द्र द्वारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के साथ सम्मिलित रूप से किये गये विस्तृत क्षेत्र परीक्षणों से पता चला है कि पेट्रोल एवं 20 प्रतिशत अल्कोहल का मिश्रण भारतीय वाहनों में बिना ईंधन में संशोधन किये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। भारत में कई अन्य अनुसंधान संस्थाओं में अल्कोहल के ईंधन के रूप में प्रयोग के संबंध में इसी प्रकार के अध्ययन किए गए हैं। हालांकि अल्कोहल के साथ पेट्रोल की ब्लेंडिंग की तकनीकी संभाव्यता स्थापित हो चुकी है, अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## जैसलमेर (राजस्थान) में तेल और गैस की खोज

*431. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में खनिज तेल और गैस की खोज किए जाने के लिए इस समय विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त जिले में तेल और गैस की खोज किए जाने का काम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बजाय आयल इण्डिया कम्पनी लि० को दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो विभाग द्वारा इस कार्य के लिए वर्ष 1980-81 के दौरान कितना खर्च किया जाएगा और इसके लिए कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है;

(घ) तेल की खोज और खुदाई के कार्य के तेजी से कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है; और

(ङ) क्या इस कार्य के लिए जैसलमेर जिला मुख्यालय को प्रधान कार्यालय बनाया जाएगा ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क), (ग) तथा (घ) राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषण के लिए विस्तृत योजना कार्यान्वयनाधीन है। भू-वैज्ञानिक

तथा भूकम्पीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष में 1980-81 में 338.80 लाख रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

(ख) राजस्थान में कुछ क्षेत्र आयल इण्डिया को दिए जाने के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया।

(ङ) इस अवस्था में अभी से कुछ कहना असामयिक होगा।

**प्रेस की स्वतंत्रता सम्बन्धी मैकब्राइड आयोग की रिपोर्ट**

*433. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए मैकब्राइड आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) रिपोर्ट की मुख्य बात क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संचार संबंधी समस्याओं के अध्ययन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय आयोग, जिसे मैकब्राइड आयोग के नाम से जाना जाता है, की रिपोर्ट अनन्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, अपितु इसमें समकालीन सोसाइटियों में संचार संबंधी समूची समस्याओं की जांच की गई है। वस्तुतः यह रिपोर्ट अपनी किस्म की पहली रिपोर्ट है जिसमें विश्व की संचार संबंधी समस्याओं और नीतियों का समग्र रूप से अध्ययन किया गया है। संचार संबंधी समस्याओं और नीतियों का समग्र रूप से अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के पांच भाग हैं — पहले चार भागों में संचार की वर्तमान पद्धतियों और संसाधनों तथा अवस्थापनाओं, नीतियों और मानकों का वर्णन और विश्लेषण किया गया है। पांचवें और अन्तिम भाग में निष्कर्ष और सिफारिशें दी गई हैं और ऐसे विषय दिए गए हैं जिनको आगे अध्ययन करने की आवश्यकता है। सिफारिशों, जिनकी संख्या 82 है, संचार विकास के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। ये निम्नलिखित से संबंधित हैं :—

(क) स्वतंत्रता और आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ करना;

(ख) सामाजिक परिणाम और नए कार्य;

(ग) व्यावसायिक ईमानदारी और स्तर;

(घ) संचार का लोकतन्त्रीकरण; और

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।

सरकार का मत है कि मैकब्राइड आयोग की रिपोर्ट में देश में संचार के विकास संबंधी हमारी नीतियां मोटेतौर से प्रतिबिम्बित होती हैं। सरकार संचार माध्यमों के विकास को

बढ़ावा देने और लोगों को राष्ट्रीय विकास गतिविधि के बारे में सूचित करने और इसमें भाग लेने के लिए उनको प्रेरित करने का आवश्यक साधन मानती है । सरकार का विश्वास है कि इन सिफारिशों से संचार विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ होगा और वर्तमान पद्धति में असंतुलनों और असमानताओं को दूर करने तथा देश में उपयुक्त संचार पद्धतियों के विकास की दिशा में प्रयासों को तेज करने में सहायता मिलेगी ।

**औषधियों का आयात**

434. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस वर्ष औषधियों का आयात करेगी;

(ख) यदि हां, तो अनुमानतः कितने मूल्य की औषधियां आयात की जायेंगी; और

(ग) क्या इन औषधियों पर कोई उत्पादन शुल्क लगता है ।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी हां । सरकार कुछ सरणीबद्ध औषधों स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (सी० पी० सी०) के माध्यम से आयात कर रही है ।

(ख) ऐसे आयात में लगभग 27.90 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लगने का अनुमान है ।

(ग) देश में आयातित औषधों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता है । यद्यपि आयातित बल्क औषधों और मध्यवर्तियों पर सीमा शुल्क लिया जाता है ।

**ऊर्जा अनुसंधान पर व्यय**

*435. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा अनुसंधान पर कितना व्यय किया गया; और

(ख) उनके मंत्रालय के अधीन अनुसंधान संस्थान द्वारा उसका कितना अंश उपयोग में लाया गया ?

**ऊर्जा मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**उच्च घनत्व पौलिथियालीन पी० वी० सी० के लिये कच्चा माल**

*436. **श्री के० लक्प्पा :**

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च घनत्व पौलिथियलीन पी० वी० सी० आदि के मामले में विशेष रूप से देश में उत्पादित कच्चे माल का उत्पादन इसकी कुल मांग का मुश्किल से 30 से लेकर 35 प्रतिशत तक है;

(ख) क्या लघु क्षेत्र में बहुत से औद्योगिक एककों ने पाया है कि देशीय कच्चे माल की किस्म घटिया है और इसका बहुत अपव्यय हो रहा है;

(ग) क्या लघु एककों ने पाया है कि आयातित कच्चे माल से देशीय कच्चे माल का 50 : 50 के अनुपात में मिश्रण तैयार उत्पादों का उत्पादन करने में संतोषजनक परिणाम निकलेंगे; और

(घ) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक कच्चे माल को प्रोसेस करने वाली 14,000 लघु प्लास्टिक एककों को बनाये रखने के लिए उन्हें कच्चे माल की देश की मांग का लगभग 60 से 65 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति देने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने निम्न कोटि के देशी कच्चे माल के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पी० वी० सी० का आयात करने की ओ० जी० एल० के अन्तर्गत अनुमति है और अन्य कच्चे माल जैसे एच० डी० पी० ई०, पोलीस्ट्रीन और पोलीप्रोपीलन का आयात करने की वास्तविक उपभोक्ताओं को अनुमति है।

**दूरदर्शन पर वाणिज्यिक प्रसारण के लिए पृथक चैनल**

*437. **श्री तारिक अनवर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरदर्शन केन्द्रों से वाणिज्यिक प्रसारण के लिए पृथक चैनल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या नया चैनल स्थापित करने के लिये दूरदर्शन द्वारा अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जानी पड़ेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे)** : (क) और (ख) बम्बई दूरदर्शन पर वाणिज्यिक टेलीकास्ट करने के लिए एक अतिरिक्त चैनल की स्थापना के प्रस्ताव को छठी 'योजना' (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप जिसको अभी स्वीकृति दी जानी है, में शामिल किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) किसी भी दूरदर्शन केन्द्र पर दूसरे चैनल के लिए स्टूडियो सुविधाओं और एक ट्रांसमीटर की आवश्यकता होती है। वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपये है।

**तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण**

*438. **श्री अमरसिंह राठवा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1979 और 1980 के वर्षों के दौरान तेल की खोज के लिए किसी स्थल का सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) सर्वेक्षण किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान निम्नलिखित तटीय स्थानों पर सर्वेक्षण कार्य किया है :

| | |
|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश | 1. गंडक नदी के पश्चिम में गाजीपुर-वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र |
| | 2. वाराणसी और इलाहाबाद के बीच |
| 2. विहार | 1. गंडक वसीनत्रैक्ससौल-मुजफ्फरपुर |
| | 2. गंडक नदी के पश्चिम में सिवान क्षेत्र और गंडक नदी के पूर्व में रक्सौल मोतीहारी क्षेत्र |
| | 3. पटना का दक्षिण-पश्चिम |
| 3. हिमाचल प्रदेश | 1. बिलासपुर-शिमला मार्ग से कालका-शिमला मार्ग |
| | 2. कसौली और सासाहन के मध्य, सोलन नदी के क्रोल बेल्ट में सहाथू आउट क्राप्स |
| 4. राजस्थान | 1. सादेवाला तनोत क्षेत्र में पश्चिमी मनहाना टीवा |
| | 2. वाड़मेर का देवी कोट और देवी कोट मचना का दक्षिण-पश्चिम |
| | 3. सूरतगढ़-हनुमानगढ़ |
| | 4. नचना और लाठी |
| | 5. प्लाना-कोलायत-नचना |

| | |
|---|---|
| 5. जम्मू और काश्मीर | 1. पश्चिमी हिमालय |
| | 2. चिनाव नदी और जम्मू रामबाण मार्ग के मध्य |
| 6. पश्चिम बंगाल | 1, डेगाना-नांगला-वोद्रा-पोर्टकेनिंग उस्ती डायमंडहार्बर और नकुंलतला |
| | 2. कन्टाई (कन्थी) इगरा-भाग-वानपुर आफ मिदनापुर, अमताला-धाटल-सेलमपुर |
| | 3. मेगारी-तारकेश्वर-हुगली का चिनसुरा |
| | 4. कृष्णा-नगर-नवाद्वीप, सन्तीपुर |
| | 5. दार्जीलिंग फुटहिल्स |
| | 6. चकदान-जागुली-वरसात क्षेत्र कलकत्ता का |
| | 7. वरसात-चिनसुरा से हुगली नदी के पूर्व तक और कलकत्ता शहर का भाग |
| | 8. दार्जीलिंग और सिक्किम हिमालय के पासीघाट |
| 7. त्रिपुरा | 1. रोखिया-अगरतला-वारामुला-उदयपुर |
| | 2. भैरवी |
| | 3. लेन्टिग एन्टीक्लाइन |
| | 4. रोखिया-तिचना |
| 8. त्रिपुरा-मिजोरम-मणिपुर कछार (जिला-असम) | 1. तिचना-गजोलिया-तुलामूरा का भाग, एंटीक्लाइन |
| | 2. भैरवी |
| 9. अण्डमान निकोबार | 1. जटिंगा घाटी कछार छोटा अण्डमान |
| 10. आंध्र प्रदेश | 1. प्रन्हिता गोदावरी गरवन |
| | 2. अमलापुरम का पश्चिमी भाग |
| | 3. अमलपुरम का उत्तर.पश्चिम भाग |
| | 4. मत्स्यपुरी-पालाकाल्लू |
| | 5. तनुकु-भीमावरम वन्टुमिल्ली |
| | 6. गुडीवड्डा-डलुरु शिमाडोले |
| | 7. रामा चन्द्रपुरम पालावरम आइलैण्ड सहित |
| | 8. भीमाडोल टाडेपल्ले-गुडेम |
| | 9. कृष्णा गोदावरी वसीन |

| | |
|---|---|
| 11. तमिल नाडु | 1. मदनम शियली तिरुमुलाई वसल और तिरुक्कादैयूर |
| | 2. पलार वसीन |
| | 3. पट्टुकोटाई तिरुक्कादैयूर, मयावरम |
| | 4. कुरिंचिपादी, जयन्केदाचोलापुरम |
| 12. गुजरात | 1. मटवान-उगरवाड़ा-कोसम्बा |
| | 2. सावरमती वारेजा वकरोल भीता से उत्तर दक्षिण नवागाम तक |
| | 3. खेतरात-रोखनपुर-सानन्द-वावला-सरखाज |
| | 4. दाभा-पादरा-मियगाम-अटाली-अमोद-जम्बुसर चंचवेल |
| | 5. कैरा-महमेदाबाद-वासो-तारापुर-वोरसाद वासो |
| | 6. जोटाना-नन्दासन-अखज |
| | 7. कादी-नन्दासन-पालियाद |
| | 8. बारेजा-वाल्वा-ढोल्का-ढोल्का-लिम्वासी |
| | 9. सानन्द-वावला-सरखेज-इन्दोरा |
| | 10. तारापुर-कैरा वरसाद |
| | 11. डब्का-मतार-पदरा |
| | 12. अंकलेश्वर-कोसम्बा |
| 13. असम | 1. धखुआ-खाना-धेमाजी-जिला उत्तर लखीमपुर |
| | 2. मरिआनी-नगीनीजान-जिला सिवसागर |
| | 3. वोरहोला-कासोमारी गांव उत्तर-पूर्व सिवसागर, उत्तर-पूर्व रुद्रसागर से ब्रह्मपुत्र तक |
| | 4. दक्षिण-पश्चिम दीमापुर (रंगा-पकर और धनसिरी के जंगल) |
| | 5. बदरपुर.बांसकांदी (रतनपुर) और मसीमपुर कटखाट |
| | 6. राजाबाड़ी नाहरहोबी-मरियानी-नगीनीजान |
| | 7. बदरपुर और कछार का चांदीपुर क्षेत्र |
| | 8. हाथीकली.कछार की पहाड़ियों के उत्तर में |
| नागालैण्ड और असम | 9. बन्दुरसुलिया और नागालैन्ड और असम का समीपवर्ती क्षेत्र |
| | 10. दीमापुर-चोंगाजान |
| | 11. सिलचर-रतनपुर |

जहां तक अपतटीय स्थानों का संबंध है जबकि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इसी समयावधि में भारत के पश्चिमी तथा पूर्वी समुद्रीतट में गहन भूभौतिकीय सर्वेक्षण कार्य किया है। आयल इंडिया लिमिटेड ने महानदी वेसिन में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है।

इन सर्वेक्षणों के फलस्वरूप तथा पहले किये गये सर्वेक्षणों के आधार पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने नये क्षेत्रों में खुदाई के लिए नीचे दिये गये अन्वेषणात्मक स्थलों को जारी किया है :

| | | |
|---|---|---|
| तटवर्ती | गुजरात | कुदारा |
| | | वसना कालियल |
| | | आग्नोज |
| | | दक्षिण वामज |
| | | उत्तरी वामज |
| | | लोहोर |
| | | अम्बलियासन |
| | | ढंगवारवा |
| | | लंघनेज |
| | | कलमसर |
| | | गंधार |
| | | पखाजान |
| | | दक्षिण-पश्चिम मोटवान |
| | | कलोल |
| | | मेहसाना हॉर्स्ट |
| | | जकसाना |
| | | खेरबा |
| | | पनोटी |
| असम | | नवजान |
| त्रिपुरा | | तिचना |
| पश्चिम बंगाल | | जागुली |
| | | नेतरा |
| | | कल्याणपुर |
| | | अभय |

| | |
|---|---|
| तमिलनाडु | कोविल-कलप्पल |
| आंध्र पदेश | मतयपुर |
| | टेटीपक्का |
| | अमलपुरम |
| अपतटीय | आर-7 |
| | आर-12 |
| | मध्य ताप्ती |
| | गोदावरी |
| | महानदी-1 |
| | महानदी-2 |

**पश्चिम बंगाल को कोयले पर रायल्टी का भुगतान**

3932. **श्री सुशील भट्टाचार्य :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि उन्होंने अगस्त, 1980 में पश्चिम बंगाल सरकार को आश्वासन दिया था कि कोयले पर रायल्टी के रूप में 15 करोड़ रुपए का शीघ्र भुगतान कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान की मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**अल्कोहल का उत्पादन**

3933. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या उनका मन्त्रालय पेट्रोल के बदले अल्कोहल के साथ मोटरकारों को चलाने के बारे में नेशनल चीनी संस्थान, कानपुर द्वारा किए गए सफल परीक्षण को ध्यान में रखते हुए अल्कोहल उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए उपाय कर रहा है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** मोटरकार को पेट्रोल के स्थान पर इथाइल अल्कोहल पर चलाने के बारे में राष्ट्रीय चीनी संस्थान द्वारा किए गए किसी प्रयोग की सरकार को जानकारी नहीं है । तथापि इण्डियन आयल कारपोरेशन ने इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल के मिश्रण के प्रयोग के लिए गन्ने के रस से इथाइल अल्कोहल के निर्माण के बारे में राष्ट्रीय चीनी संस्थान से परामर्श किया था । संसाधनों की उपलब्धता के मामलों और अल्कोहल के वैकल्पिक प्रयोग के लाभ, जैसे रसायन उद्योग के लिए नए फीडस्टाक के संदर्भ में संभावित ईंधन के रूप में अल्कोहल के प्रयोग की जांच की जानी है ।

सरकार अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सक्रिय है। डा० एस० पी० भट्टाचार्य की अध्यक्षता में अल्कोहल और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों पर गठित तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 1980 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा को छोड़कर अन्य कच्चा माल मंहगा होने के नाते उनके बारे में तभी विचार किया जाना चाहिए जब शीरे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न हो।

2. चीनी कारखानों और आसवनियों को चीनी कारखानों पर कम से कम चार माह के शीरा उत्पादन का भंडार करने के लिए पर्याप्त पक्का गोदाम उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए और चार माह की खपत के बराबर मात्रा को आसवनी पर रखने को कहा जाना चाहिए।

3. इस समय अल्कोहल उत्पादन की क्षमता कम है और इसमें सुधार करना आवश्यक है।

4. अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना अनिवार्य है :—

(क) अल्कोहल उद्योग को प्राथमिकता का दर्जा दिया जाना चाहिए।

(ख) अल्कोहल के नियंत्रित मूल्यों में संशोधन किया जाना चाहिए और उन्हें लाभकर बनाने के लिए मूल्य फार्मूला में निश्चित वृद्धि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ग) खाण्डसारी शीरे को अल्कोहल के उत्पादन के लिए सभी राज्यों में सप्लाई किया जाना चाहिए ताकि अल्कोहल की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए शीरा की कुल उपलब्धता बढ़ाई जा सके।

उक्त रिपोर्ट को राज्यों तथा आसवनी उद्योगों को सौंपा गया था। इथाइल अल्कोहल (मूल्य नियंत्रण) आदेश में संशोधन करके अगस्त, 1980 में इथाइल अल्कोहल के मूल्यों में संशोधन किया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे—

(1) अल्कोहल का उत्पादन बढाएं,

(2) यह सुनिश्चित करें कि सभी उपलब्ध शीरे का प्रयोग किया जाए,

(3) चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडारण सुविधाओं का शीघ्र सृजन कराना, और

(4) अल्कोहल उत्पादन के लिए खाण्डसारी शीरे के प्रयोग को बढ़ाना।

आसवनी उद्योग से अनुरोध किया गया है कि वे आधुनिकीकरण की कार्य योजना शीघ्र तैयार करें। सरकार सभी आवश्यक और संभव सहायता प्रदान करेगी।

**उड़ीसा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को विधिक सहायता**

3934. **श्री ए० सी० दास** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने का उपबंध है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उड़ीसा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को उनके मामलों में इस प्रकार की विधिक सहायता दी गई थी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विधिक सहायता देने के लिए भारत के संविधान में विशेष उपबंध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 39(क) में यह उपबंध है कि "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।" यह अनुच्छेद ऐसे प्रत्येक नागरिक को लागू होता है जो आर्थिक या अन्य असमर्थता के कारण असुविधाग्रस्त है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। इस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर बताई गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा एक विधिक सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसके अधीन अनुसूचित जाति का ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 2,500 रुपए से अधिक नहीं है या जिसके कब्जे में 2 मानक एकड़ तक भूमि है, अधिभोगाधिकारों की बेदखली के लिए और अस्पृश्यता के मामलों के लिए विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

**हिन्दी साप्ताहिक "हीराबोल" के पंजीकरण में विलम्ब**

3935. **श्री ए० के० राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि धनबाद, बिहार के हिन्दी साप्ताहिक "हीराबोल" के पंजीकरण में, सरकार द्वारा क्षेत्रों में छोटे पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी, वर्षों से विलम्ब किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) और (ख) इस साप्ताहिक पत्रिका को अभी तक पंजीकृत नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रकाशक और मुद्रक से अलग-अलग घोषणापत्र और पत्रिका का पहला संस्करण प्राप्त नहीं हुआ है। यह किसी समाचारपत्र के पंजीकरण के लिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक है।

**पी० वी० सी० लीसे का उत्पादन करने वाली कम्पनियां**

3936. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० वी० सी० लीसे का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं, उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और उनमें पिछले एक वर्ष के दौरान वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का विचार पी० वी० सी० लीसे के अभाव को दूर करने, उसकी कीमतों में तेजी से हो रही वृद्धि तथा उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए पी० वी० सी० लीसे का आयात करने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

| क्रं० सं० | कम्पनी का नाम | स्थापित क्षमता | वर्ष 1979-80 के दौरान उत्पादन |
|---|---|---|---|
| | | (मी. टन) | |
| 1. | दि. अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कं. लि. | 6000 | 3325 |
| 2. | केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स इण्डिया लिमिटेड | 13500 | 10074 |
| 3. | नेशनल आर्गेनिक केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड | 20000 | 17939 |
| 4. | प्लास्टिक रेसिन एण्ड केमिकल्स लिमिटेड | 12000 | शून्य* |
| 5. | श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज | 26400 | 17753 |
| | | 77900 | 49891 |

*संयंत्र फरवरी, 1978 से बंद है।

(ख) पी० वी० सी० रेसिन का आयात ओ० जी० एल० पर स्वीकृत किया जाता है।

**बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उच्च कार्यकारी अधिकारियों के वेतन, कमीशन तथा परिलब्धियों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन**

3937. **श्री के० मालन्ना :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उनकी कम्पनियों के उच्च कार्यकारी अधिकारियों के वेतन, परिलब्धियों तथा कमीशन के बारे में सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लंघन किये जाने के बारे में कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा प्रेषित मार्गदर्शक नियम, पब्लिक कम्पनियों तथा उन प्राइवेट कम्पनियों, जो पब्लिक कम्पनियों की सहायक हों, के प्रबन्ध/पूर्ण-कालिक, निदेशकों अथवा प्रबन्धकों पर लागू नहीं होते हैं। कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिये, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती, केवल उन मामलों के अलावा, जहां ऐसे कार्यकारी, उक्त अधिनियम की धारा 314 (1-ख) के सीमान्तर्गत नहीं आते।

बृहद औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों के प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा मार्ग-दर्शक नियमों के उल्लंघनों की बाबत कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी बृहद् घराने द्वारा संचालित किसी विशेष कम्पनी की बाबत सूचना प्राप्त करने के इच्छुक हों, तो वह सुनिश्चित की जा सकती है व भेजी जा सकती है। सरकार द्वारा प्रेषित स्वीकृतियों के उल्लंघन का पक्ष एक ऐसा मामला है, जो सामान्यत: कम्पनियों के लेखा परीक्षकों द्वारा अवलोकित किया जाता है, तथा इसके किसी उल्लंघन के मामले में उनसे रिपोर्ट विशेषित करने की आशा की जाती है, जिसके आधार पर, विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाती है। यह विभाग इन मामलों का स्वतंत्र रूप से भी विशेष रूप से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अन्तर्गत निरीक्षण तथा धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच के दौरान, जब भी कभी, इस प्रकार के निरीक्षणों/जांचों के आदेश दिये जाते हैं, अवलोकन करता है। कम्पनी रजिस्ट्रार भी, तुलन-पत्रों की तकनीकी संवीक्षा के दौरान, इन विनिर्देशों को अवलोकित करते हैं।

**देश में 1980 के दौरान कोयले के भारी निक्षेपों का पता लगाना**

3938. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों में हाल ही में कोयले के भारी निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो कोयले का 1980 के दौरान किन-किन स्थानों पर और कितनी मात्रा में पता लगा; और

(ग) निक्षेपों के विदोहन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कोयला स्कंध ने आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फैले हुए 14 कोयला क्षेत्रों में कोयले के भंडार निश्चित किये हैं।

इन क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं— आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी; बिहार में झरिया, उत्तरी करणपुरा, सहरजूरी और वेस्ट बोकारो कोयला क्षेत्र; मध्य प्रदेश में विश्रामपुर, हसदेवारंद,

जोहिला, कोरबा, मंदरायगढ़, सिंगरौली और सुहागपुर कोयला क्षेत्र; उड़ीसा में इब नदी कोयला क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र। इन कोयला क्षेत्रों में 1980 के दौरान "प्रमाणित" और "इंगित" भंडार क्रमशः 138 मि० ट० और 1107 मि० ट० निश्चित किये गये हैं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की भूवैज्ञानिक रिपोर्ट मिलते ही कोल इंडिया लिमिटेड/केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान कोयला निक्षेपों की आर्थिक उपयोगिता निर्धारित करते हैं और इन भंडारों से कोयला निकालने की दृष्टि से यदि आवश्यक हुआ तो विस्तृत ड्रिलिंग और समन्वेषण कार्य करते हैं।

**आकाशवाणी की होम सर्विस से प्रसारित कार्यक्रमों का प्रचार करने वाली पत्र-पत्रिकाएं**

3939. **श्री के० प्रधानी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी अपनी होम सर्विस से प्रसारित कार्यक्रमों का प्रचार करने के लिए कुछ पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करती है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकाओं के नाम और उनकी संख्या क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का ऐसा कोई प्रस्ताव भी है जिसके द्वारा हमारे देश की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु आकाशवाणी को अनुदेश दिए जाएं और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा भाषा में कौन सी पत्रिका और किस तारीख से प्रकाशित की जाएगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी लोगों को आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम सूचना देने के लिए आठ कार्यक्रम पत्रिकाएं निकालती है। प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं इस प्रकार हैं :

| क्रम संख्या | पत्रिका का नाम | भाषा जिसमें प्रकाशित होती है। |
|---|---|---|
| 1. | आकाशवाणी | अंग्रेजी |
| 2. | आकाशवाणी | हिन्दी |
| 3. | आवाज | उर्दू |
| 4. | बेतार जगत | बंगला |
| 5. | आकाशी | असमिया |
| 6. | नभोवाणी | गुजराती |
| 7. | वाणी | तेलुगु |
| 8. | वनोली | तमिल |

आकाशवाणी (अंग्रेजी) साप्ताहिक पत्रिका है, जबकि अन्य सभी पत्रिकाएं पाक्षिक पत्रिकाएं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**नैच्युरल गैस, बम्बई के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**

3940. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नैच्युरल गैस बम्बई के कर्मचारियों द्वारा गत महीने की गई हड़ताल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने क्या मांग रखी थी;

(ग) सरकार ने उनकी मांगें कहां तक स्वीकार कर ली हैं;

(घ) क्या दिल्ली गैस में काम कर रहे कर्मचारी भी अपने वेतन को एच० पी० के बराबर करने की मांग कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पेट्रोलियम रसायन और उर्वक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) गत वर्ष के दौरान बम्बई की नैच्युरल गैस कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिल्ली गैस कम्पनी के कर्मचारियों की हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के बराबर अपने वेतन करने से सम्बन्धित कोई मांग सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखकर प्रश्न नहीं उठता।

**थाना, महाराष्ट्र में खाना पकाने की गैस कनेक्शन के लिए लम्बित पड़े हुए आवेदन**

3941. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थाना जिला (महाराष्ट्र) में खाना पकाने की गैस कनेक्शन लेने के लिए लम्बित पड़े हुए कुल आवेदनों की तालुकावार संख्या कितनी है;

(ख) काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे आवेदकों को खाना पकाने की गैस के कनेक्शन जल्दी दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त क्षेत्र में गैस सिलिण्डरों की अत्यधिक कमी है और इस विषय में कई शिकायतें भी की गई हैं; और

(घ) ग्राहकों को गैस सिलिण्डरों की नियमित सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जिला थाना (महाराष्ट्र) में कुल लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या के तालुकावार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

| क्रम संख्या | तालुका का नाम | 1-10-80 की यथास्थिति से लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | थाना | 11,398 |
| 2. | बसीन | 5,960 |
| 3. | भिवान्डी | 4,093 |
| 4. | मोहोने | 816 |
| 5. | कल्याण उल्हासनगर/अम्बरनाथ | 28,766 |
| 6. | पालधर | 4,433 |
| 7. | विरार | 3,966 |
| 8. | दहानू रोड | 1,933 |
| 9. | चिचानी | 5 |
| 10. | बायसर | 28 |
| 11. | डोम्बिवली | 16,810 |
| | | 87,208 |

(ख) बम्बई हाई सम्बद्ध गैस से एल० पी० जी० की अतिरिक्त उपलब्धि की संभावना और मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से उत्पाद की अतिरिक्त उपलब्धि के साथ यह प्रस्ताव दिया गया है कि आवेदकों की प्रतीक्षा सूची का वर्ष 1981 के आरंभ से चरणबद्ध तरीके से निपटान किया जाएगा ।

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के भरने वाले संयंत्रों में कुछ संचालन समस्याओं के कारण क्षेत्र में गैस सिलेंडरों की सप्लाई में कुछ कमी आई है । सप्लाई को पहले ही बढ़ा दिया गया है और ऐसी आशा की जाती है कि सिलेंडर रिफिल्स की बकाया का इस महीने के अन्त तक निपटान कर दिया जाएगा ।

**आय-कर पेनल के अधिवक्ताओं को दिए गए ब्रीफ**

3942. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में आय-कर पेनल के प्रत्येक अधिवक्ता को आय-कर निर्देश विषयक मामलों के बारे में कितने ब्रीफ दिए गए और उनका क्या परिणाम निकला; कितने मामलों में सरकार को सफलता मिली;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आय-कर पेनल के प्रत्येक अधिवक्ता को अपील पक्ष में आय-कर, धन-कर, दान-कर और सम्पदा शुल्क के मामलों से संबंधित कितने रिट आवेदन सौंपे गए;

(ग) पेनल के प्रत्येक अधिवक्ता को मूल पक्ष में आय-कर, धन-कर आदि के बारे में दायर की गई कितनी रिट अर्जियां सौंपी गयीं;

(घ) पेनल के प्रत्येक अधिवक्ता को दाण्डिक पुनरीक्षण के कितने मामले दिए गए जिनमें भविष्य निधि आयुक्त अन्तर्वलित थे; और

(ङ) पेनल के प्रत्येक अधिवक्ता को दाण्डिक पुनरीक्षण के ऐसे कितने मामले दिए गए हैं जिनमें पश्चिमी बंगाल के कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय अन्तर्वलित है ।

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

**कम्पनी ऐक्ट की धारा 233-क के अन्तर्गत विशेष लेखा-परीक्षा**

3943. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1979-80 की वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 89 पर पैरा 71 में संदर्भित मामले की विशेष लेखा-परीक्षा पूरी हो गई है;

(ख) फर्म का क्या नाम है और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की विषय सामग्री क्या है; और

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम की धारा 233-क के अन्तर्गत इस वर्ष किसी विशेष लेखा-परीक्षा का आदेश दिया गया है यदि हां, तो फर्म का क्या नाम है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) विशेष लेखा-परीक्षा के आदेश दिलकुश टी कम्पनी लिमिटेट के विषय में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 233-क के अन्तर्गत जारी किए गए थे । अभी तक विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी ।

**तट-दूर तथा तटीय संसाधनों के लिए समन्वेषण**

3944. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर तेल के लिए समुद्र एवं समुद्र के बाहर खोज सफल रही है;

(ख) इन स्थानों से तेल का निकाला जाना कब तक संभव हो पाएगा; और

(ग) कितना तेल मिलने की संभावना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) आज तक गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और अपतटीय बम्बई-रत्नगिरी और अपतटीय गोदावरी में किया गया तेल अन्वेषण सफल समझा जा सकता है।

त्रिपुरा, राजस्थान, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों और कैम्बे की खाड़ी के उत्तरी भाग के निकट, बम्बई अपतटीय, पांडिचेरी अपतटीय और अण्डमान अपतटीय पर पाए गए हाईड्रो कार्बन्स की वाणिज्यिक व्यवहार्यता और अधिक कुओं को खोद कर परीक्षण करके स्थापित की जानी है।

(ख) गत कई वर्षों से नियमित रूप से गुजरात, असम और बम्बई हाई के अपतट से तेल और गैस का उत्पादन हो रहा है।

(ग) 1-1-1980 की यथा स्थिति में यद्यपि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तटीय और अपतटीय क्षेत्रों में कुल 2757.35 मिलियन मीट्रिक टन के हाईड्रोकार्बन्स भूवैज्ञानिक भंडारों की स्थापना की गई है किन्तु आयल इंडिया लिमिटेड ने खनिज तेल के 31.97 मिलिन मीट्रिक टन के भंडार का संकेत दिया है और उसे साबित किया है।

**इण्डिया पैट्रो-कैमिकल लिमिटेड में उत्पादों की प्रचुरता**

3945. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) में उत्पादों की कम बिक्री के कारण करोड़ों रुपए मूल्य के कई उत्पाद बहुतायत में पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इण्डिया पेट्रो-केमिकल लिमिटेड के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) इण्डियन पेट्रो-केमिकल कारपोरेशन लि० (आई० पी० सी० एल०) 23 मूल उत्पादों, सह-उत्पादों तथा उत्पादों का उत्पादन करता है। यद्यपि वर्ष अप्रैल-नवम्बर 1980 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में बढ़ोतरी हुई है, पर डी० एम० टी० तथा निम्न घनत्व पोलीथीलीन के स्टाक सामान्य अधिक रहा है।

(ख) नैफथा के मूल्य में वृद्धि तथा उसके परिणामस्वरूप कम मांग के कारण स्टाक इकट्ठा हो गया है।

(ग) बिक्री बढ़ाने के लिए इण्डियन पेट्रो-केमिकल्स कारपोरेशन लि० मात्रा बट्टा तथा विशिष्ट उत्पाद प्रयोगों के लिए मूल्य कम करने जैसे कदम उठा रहा है।

**दामोदर घाटी निगम के बोर्ड की बैठकें**

3946. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के वर्तमान चेयरमैन की नियुक्ति के बाद उक्त निगम के बोर्ड की कितनी बैठकें हो चुकी हैं;

(ख) क्या वर्तमान चेयरमैन बोर्ड के सदस्यों से सलाह किए बिना अथवा बोर्ड की बैठकें बिना ही महत्वपूर्ण निर्णय लेता रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) एक बैठक 27-10-1980 को हुई थी। दूसरी बैठक 2-12-1980 को आयोजित की गई थी किन्तु भागीदार राज्य सरकारों में से एक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व बोर्ड में करने वाले सदस्य को यह तारीख सुविधाजनक न होने के कारण बैठक स्थगित करनी पड़ी थी।

(ख) और (ग) दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने अतिआवश्यक किस्म के कुछ निर्णय लिए हैं जो कि दामोदर घाटी निगम (कार्य संचालन) विनियम, 1951 के अंतर्गत अनुज्ञेय है। ये निर्णय अगली या परवर्ती बैठक में निगम को सूचित कर दिए गए हैं/कर दिए जाएंगे।

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को पाइपों तथा ट्यूबों की आवश्यकता**

3947. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, आयल इण्डिया लिमिटेड तथा इण्डियन आयल कंपनी जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को गत तीन वर्षों में कितने मूल्य के तथा कितने मीटर लम्बे पाइपों तथा ट्यूबों जैसे सामान की जरूरत पड़ी;

(ख) टाटा ग्रुप, इण्डियन ट्यूब कम्पनी, टाटा स्टीवर्ट तथा लायड द्वारा कितने प्रतिशत उक्त सामान की सप्लाई की गई; और

(ग) टाटा द्वारा किए जा रहे उत्पादन के अतिरिक्त "समिलैस कोल्ड रोल्ड" ट्यूबों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सीमलेस स्टील ट्यूब (कार्बन और अलाय स्टील) के निर्माण के लिए 3 लाइसेंस-धारी यूनिटें हैं। इन यूनिटों ने नीचे दी गई क्षमताएं स्थापित करली हैं और उत्पादन आरंभ कर दिया है :

| | लाईसेंसीकृत क्षमता [मी० टन] |
|---|---|
| मै० आई० टी० सी० | 55,000 |
| मै० वी० एच० ई० एल० | 40,000 |
| मै० इंडियन सीमलेस मैटल | 15,000 |

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र में एक यूनिट जिसका नाम मै० न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स, है, ने सीमलेस स्टेनलैस स्टील, सीमलेस एलाय स्टील तथा सीमलेस वीयरिंग ग्रेड ट्यूब/पाइपों की क्रमश: 2000 टन, 3000 टन तथा 21,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता स्थापित की है। इस यूनिट

में हालांकि केवल सीमलेस स्टेनलैस ट्यूब का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। इसके अतिरिक्त 50,000 टन सीमलेस स्टील ट्यूब वार्षिक क्षमता के लिए मै० गुजरात औद्योगिक निवेश निगम को एक आशय पत्र प्रदान किया गया है।

**उर्वरक तथा कृषि अनुसंधान विकास के लिए विभिन्न राज्यों में जिलों का चयन**

3948. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों के जिलों में, ब्रिटेन की सहायता से उर्वरक तथा कृषि अनुसंधान विकास के लिए 23 जिलों का चयन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के क्या नाम हैं और उक्त प्रयोजन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों तथा उन पर खर्च की जाने वाली राशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) एक उर्वरक शिक्षण योजना छः राज्यों के चुने हुए 25 जिलों में यूनाइटेड किंगडम सरकार की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य है—कृषि उत्पादन बढ़ावा, उर्वरकों के संतुलित और वैज्ञानिक प्रयास को बढ़ावा देना और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक भंडारन स्थापित करना।

जिलों और राज्यों के नाम निम्न प्रकार हैं :—

असम : डिब्रूगढ़, सिवसागर, गोआलपारा और दरांग।

बिहार : सारण, मथुबनी, मुंगेर और संथाल परगना।

उड़ीसा : पुरी, कटक, कालाहाण्डी और मयुरभंज।

मध्य प्रदेश : बालाघाट, बस्तर, मन्दसौर, ग्वालियर और छतरपुर।

उत्तर प्रदेश : प्रतापगढ़, बस्ती, इटावा और जालौन।

पश्चिम बंगाल : पुरुलिया, मालदा, जलपाईगुडी और कूचबिहार।

पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक जिले में होने वाला खर्च लगभग 88 लाख रुपये है।

**खान-वार कोयले का उत्पादन**

3949. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979–80 में खान-वार कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) राज्यों तथा उद्योगों की आवश्यकताओं की कुल कितने प्रतिशत की अब तक पूर्ति की गई है;

(ग) उक्त अवधि में कोयले के परिवहन के लिए कितने वैगनों तथा ट्रकों का उपयोग किया गया; और

(घ) 1980-81 तथा 1981-82 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) कोलियरी-वार उत्पादन का एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ख) वर्ग 1980-81 के लिए कोयले की मांग योजना आयोग ने 119.8 मि० टन निर्धारित की है । अप्रैल-अक्टूबर, 1980 के बीच उपभोक्ताओं को 59.61 मि० टन कोयला भेजा गया जो कि इस वर्ष की मांग का लगभग 50% है ।

(ग) अप्रैल-अक्टूबर, 1980 के बीच, वैगनों का औसत दैनिक लदान लगभग 8140 था । सड़क के द्वारा कोयले का संचलन लगभग 1.98 मि० टन प्रतिमाह था ।

(घ) वर्ष 1980-81 के लिए 113.5 मि० टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य योजना आयोग के साथ परामर्श करके निश्चित किया गया था । वर्ष 1981-82 के लिए कोयले के उत्पादन का लक्ष्य योजना आयोग से परामर्श करके निश्चित किया जा रहा है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1632/80]

**बरौनी उर्वरक संयंत्र का बंद किया जाना**

3950. **श्री राम सिंह शाक्य :**

**श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कमी के कारण बरौनी उर्वरक संयंत्र बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या सितम्बर-नवम्बर, 1980 के दौरान बिजली की कमी के कारण इस संयंत्र को 12 बार बंद करना पड़ा था;

(ग) क्या सरकार अपेक्षित कच्चे माल की सप्लाई को बनाये रखने में भी असफल हुई थी; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों का उत्तर सकारात्मक है तो बरौनी उर्वरक संयंत्र को शीघ्र फिर से चालू करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (घ) अस्थिर बिजली सप्लाई के कारण बरौनी उर्वरक प्लांट सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के दौरान बन्द रहा । उस अवधि के दौरान कच्चे मालों की कमी नहीं थी । बिहार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा बिजली सप्लाई किये जाने पर नवम्बर, 1980 से प्लांट फिर से चालू हुआ । फिलहाल प्लांट उत्पादन कर रहा है ।

**स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा क्लोरमफेनिकोल आई० पी० के लिए अतिरिक्त मूल्य लिया जाना**

3951. **श्री चन्द्रभालमणि तिवारी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० को क्लोरमफेनिकोल आई० पी० के लिए जारी किए गए पुराने आवंटन आदेशों पर 152 रुपए प्रति किलो अधिक मूल्य वसूल करने की अनुमति दी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में निर्माताओं के माध्यम से की गई सप्लाई पर राष्ट्रीय कोष को बिक्री कर के कारण 6.48 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हानि होगी; और

(ग) राष्ट्रीय कोष को कुल कितनी हानि होगी और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) मूल्य नियंत्रित औषधों के मूल्य सरकार द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अन्तर्गत निर्धारित किए जाते हैं । स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० द्वारा ऐसे मूल्य लिए जाते हैं जिन पर सरकार की समय-समय पर मंजूरी ली जाती है और जिन पर आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तें लागू होती हैं । दिनांक 7-10-1980 से मूल मूल्यों को सं० 460 रुपए प्रति कि. ग्रा. से रुपए 322 प्रति कि. ग्रा. बढ़ा दिया गया है ।

(ख) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित मूल्यों में बिक्री कर और स्थानीय कर शामिल नहीं हैं । अतः बिक्री कर के कारण राजकोष को होने वाली हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पंजाब में भटिंडा तापीय संयंत्र के दो और एककों के निर्माण का प्रस्ताव**

3952. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंजाब में भटिंडा तापीय संयंत्र के दो और एककों के निर्माण संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्षमता क्या-क्या होगी और कितना-कितना पूंजी परिव्यय होगा तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार कितनी धनराशि उपलब्ध करवाएगी; और

(ग) योजना की स्वीकृति मिलने तथा नए एककों की स्थापना होने में अभी कितना समय लगेगा ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) भटिंडा में गुरू नानक देव ताप विद्युत केन्द्र में 210-210 मेगावाट के दो अतिरिक्त यूनिट प्रतिष्ठापित करने हेतु चरण-3 की व्यवहार्यता रिपोर्ट पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 1976 में प्रस्तुत की थी तथा एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में प्रस्तुत की थी । संशोधित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार परियोजना की पूंजीगत लागत 150.43 करोड़ रुपए आंकी गई थी । बाद में पंजाब राज्य बिजली बोर्ड ने रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 को अधिक प्राथमिकता देने की इच्छा व्यक्त की । तद्नुसार रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने

तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दी थी और योजना आयोग ने इसे अनुमोदित कर दिया था। भटिंडा चरण-3 के लिए कोयला लिंक पुन: सुनिश्चित किए जाने हैं क्योंकि इसके लिए पहले बनाया गया कोयला लिंक रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 को दे दिया गया है। जब पंजाब में अतिरिक्त ताप विद्युत क्षमता की प्रतिष्ठापना की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाएगी तब समुचित समयावधि में अन्य विकल्पों के साथ-साथ भटिंडा चरण-3 स्कीम पर स्वीकृति के लिए विचार किया जा सकता है।

**राजस्थान को डीजल और मिट्टी के तेल का आवंटन**

3953. **श्री भीखूभाई :**

**प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने पिछले तीन महीनों में डीजल तथा मिट्टी का तेल अधिक मात्रा में आवंटित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने अकाल के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को हाल में दिए गए ज्ञापन में अपनी मांग का उल्लेख किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :** (क) और (ख) अक्तूबर और नवम्बर, 1980 में राजस्थान सरकार ने केवल अपने राज्य के लिए हाई स्पीड डीजल तेल के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया था।

(ग) हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आवंटन इस उत्पाद के पिछले वर्ष के तद्नुरूपी महीनों के मूल आवंटन से 5% वृद्धि के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोधों के अनुसार, राजस्थान सरकार का अक्तूबर और नवम्बर, 1980 और दिसम्बर, 1980 का एच० एस०-डी० का आवंटन बढ़ा दिया गया है। जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है, आवंटन पिछले वर्ष के तद्नुरूपी महीनों की बिक्री से 5% वृद्धि के आधार पर किया जाता है।

**कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए सुविधाओं के बारे में लेखा-परीक्षा**

3954. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री बड़े औद्योगिक गृहों के अधिकारियों के लिए सुविधाओं के बारे में 29 जुलाई, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5981 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को देखते हुए कि लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति का दायित्व निदेशक मण्डल पर, जो आम वार्षिक बैठक पर प्राय: हावी रहता है और जिसमें उक्त नियुक्तियों को औपचारिक स्वीकृति दी जाती है, होने के कारण वे प्राय: इस बात को सामने नहीं लाते कि कार्यकारी अधिकारी कम्पनी के "स्टाफ-कार" के रूप में उपयोग में लाए जा रहे वाहनों का दुरुपयोग करते हैं और इस प्रकार न केवल परिलब्धियों सहित अपने कुल पारिश्रमिक पर आयकर बचाते हैं बल्कि बिना किसी सीमा के पेट्रोल की भी खपत करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2-क) के उपबन्धों का उल्लंघन करके कार्यकारी अधिकारियों को प्रच्छन्न रूप से दी जा रही परिलब्धियों को रोकने के लिए कोई कठोर उपबन्ध करने का है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) सरकार के पास, कम्पनी की गाड़ियों का कार्यकारियों द्वारा दुरुपयोग, प्रबन्धकीय पारिश्रमिक पर आयकर का अपवंचन तथा पेट्रोल की असीमित खपत को कम्पनी के नोटिस में लाने को लेखा-परीक्षकों की असफलता, यदि कोई हो, की बाबत कोई सूचना नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत, लेखा-परीक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे, ऐसे मामलों और अन्य मामलों, जो लाभ-हानि लेखाओं में अन्तिम रूप से प्रतिबिम्बित हों, में, कम्पनी द्वारा दिए गए ब्यौरों की सच्चाई अथवा अन्यथा को प्रमाणित करें। उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति ने, उपरोक्त सम्बन्ध में, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2-क) के संशोधन से सम्बन्धित कुछ सिफारिशें की हैं। उक्त समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

**ब्राडकास्ट रिसीवर लाइसेंस फीस समाप्त करना**

3955. **श्री हरि कृष्ण शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक और दो बैण्ड के रेडियो के सम्बन्ध में ब्राडकास्ट रिसीवर लाइसेंस फीस को समाप्त किए जाने से लाभदायक परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) एक और दो बैण्डों वाले रेडियो सेटों पर लाइसेंस शुल्क 25 अगस्त, 1980 से समाप्त कर दिया गया है। इस उपाय के परिणामों के बारे में अभी कोई वस्तुनिष्ठ आंकलन करना अति जल्दी होगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान समाचार समिति में सरकारी प्रतिनिधि**

3956. **आचार्य भगवान देव** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान समाचार समिति की प्रबन्ध समिति में सरकार के प्रतिनिधि हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी**

3957. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि० के मुख्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति विभिन्न श्रेणियों में उनके लिए आरक्षित कोटे के अनुसार नहीं की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं और वहां पर कार्य करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पदों को शासित करने वाले निगमों का उल्लंघन कर आरक्षित पदों को अनारक्षित कर दिया जाता है और इन पदों पर सामान्य श्रेणी के अधिकारियों द्वारा अपने सम्बन्धियों और मित्रों को नियुक्त कर दिया जाता है ?

**पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय, में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन अपने केन्द्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के पदों के आरक्षण से सम्बन्धित सरकार के अनुदेशों का पालन कर रहा है। केन्द्रीय कार्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणी वार संख्या नीचे दी जाती है :

| क्रम संख्या | श्रेणी | कर्मचारियों की संख्या | |
|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| 1. | वरिष्ठ सहायक | 1 | — |
| 2. | अवर श्रेणी लिपिक | 6 | 1 |
| 3. | कनिष्ठ आशुलिपिक | 1 | — |
| 4. | ड्राइवर ग्रेड 3 | 1 | — |
| 5. | चपरासी | 2 | 1 |

(ख) जी नहीं।

**असम में घेराबन्दी के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कमी**

3958. **श्री माधवराव सिंधिया :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम आन्दोलन के शुरू होने से नवम्बर, 1980 तक असम में तेल संस्थापनों की की गई घेराबन्दी के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों में कितनी कमी हुई; और

(ख) क्या तेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल वापिस ले लिए जाने पर विभिन्न संस्थापनाओं में कार्य पुनः शुरू हो गया है, यदि हां तो कितनी क्षमता तक बहाली हुई है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) असम में आन्दोलन के परिणामस्वरूप दिग्बोई, गोहाटी, बोंगाईगांव और बरौनी शोधनशालाओं में जनवरी और नवम्बर, 1980 के दौरान, पेट्रोलियम उत्पादों में 847 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबन्धक वर्ग के पद**

3959. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में प्रबन्धक वर्ग के विभिन्न पद कौन-कौन से हैं तथा उनके कार्य की श्रेणी के अनुसार ग्रेड और वेतनमान क्या-क्या हैं; और

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के दिल्ली के क्षेत्रीय कार्यालय के अन्तर्गत इस समय कितने-कितने (एक) सेल्ज इंजीनियर (दो) सेल्ज रिप्रेजेन्टेटिव और (तीन) डिपो सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, उनके वेतनमान क्या-क्या हैं और वे किस-किस ग्रेड में हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के प्रबन्धक वर्ग में निम्नलिखित 8 ग्रेड हैं । प्रत्येक ग्रेड के साथ कुछ कार्य श्रेणियां होती हैं जिसमें विपणन, परिशोधन संचालन, लेखाविधि और प्रशासनिक कार्य शामिल हैं । अतः प्रत्येक ग्रेड के सामने 2/3 निदर्शी वर्ग प्रदर्शित किये गए हैं ।

| एच० पी० सी० ग्रेड | वेतनमान | निदर्शी प्रबन्धक वर्ग |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (क) | रु० 750–40–1150–30–1550 | सेल्ज रिप्रेजेन्टेटिव डिपो सुपरवाइजर सेल्ज इंजीनियर |
| (ख) | रु० 1050–50–1450–60–1750 | डिपो सुपरिन्टेंडेंट टर्मिनल जनरल सुपरवाइजर |
| (ग) | रु० 1450–60–1690–65–1950 | शिफ्ट सुपरिन्टेंडेंट–मैन्यु. (शोधनशाला असिस्टेंट मैनेजर–टर्मिनल्स |
| (घ) | रु० 1600–65–2120 | असिस्टेंट रीजनल मैनेजर-सेल्ज असिस्टेंट मैनेजर–प्रोजेक्ट (प्रौसेस डिजाइन) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| (ङ) | रु० 1850–100–2350 | मैनेजर-मैन्युफैक्चरिंग (शोधन-शाला) मैनेजर–डाटा प्रौसेसिंग |
| (च) | रु० 2000–100–2500 | मैनेजर–टर्मिनल्स फाइनेन्स मैनेजर–शोधनशाला |
| (छ) | रु० 2250–100–2750 | आई० एंड सी० सेल्स मैनेजर फाइनेन्स एंड प्लानिंग मैनेजर |
| (ज) | रु० 2500–100–3000 | जनरल मैनेजर-मार्केटिंग जनरल मैनेजर–रिफाइनरी । |

(ख) इस समय, विशिष्ट पदों के मुकाबले, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में एक सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव और 6 डिपो सुपरवाइजर हैं । इस तरह दिल्ली में कोई सेल्स इंजीनियर नहीं है । उपर्युक्त (क) में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है सेल्स इंजीनियर सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव और डिपो सुपरवाइजर एच० पी० सी० के 'क' ग्रेड अर्थात् 750–40–1150–50–1550 के वेतनमान में हैं ।

**सहायक केन्द्र निदेशक आकाशवाणी जोधपुर का पद**

3960. **श्री अशोक गहलोट** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक केन्द्र निदेशक आकाशवाणी जोधपुर का पद काफी समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने इस पद को भरने के लिए अब तक कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इस पद के खाली होने के कारण केन्द्र का कार्य सुचारू रूप में नहीं चल रहा है;

(घ) यदि हां, तो इसको कब तक भरा जायेगा; और

(ङ) यदि इसको भरा नहीं जाना है तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) (ख) और (घ) आकाशवाणी, जोधपुर में केन्द्र निदेशक का पद 19 जून 1980 से रिक्त पड़ा है । इस पद को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है । संबंधित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पहले ही हो चुकी है और एक पैनल बनाया जा चुका है । उम्मीद है कि इस रिक्ति को शीघ्र ही भर दिया जायेगा ।

(ग) केन्द्र का कार्य सुचारु रूप से चलने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई है ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

**इरकोड, तमिलनाडु में दूरदर्शन केन्द्र**

3961. **श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इरकोड जो कि तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**प्रमुख उद्योगों की क्षमताओं के विस्तार के लिए रियायतें**

3962. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

**श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों जैसे प्रमुख उद्योगों की छठी योजना अवधि के दौरान उत्पादन बढ़ाने हेतु उनकी क्षमताओं के विस्तार के लिये रियायतें देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) सरकार उर्वरक उद्योग को किसी प्रकार की रियायत नहीं दे रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देहर में सतलुज नदी पर मोटर चल सकने वाला पुल**

3963. **श्री वीरभद्र सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में देहर ग्राम में सतलुज नदी पर मोटर चल सकने वाला पुल ब्यास-सतलुज-लिंक परियोजना के निर्माण के कारण अब वर्ष में अधिकांश समय जलमग्न रहता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुल को काफी क्षति पहुंची हैं और उससे वह काफी कमजोर पड़ गया है और यहां तक कि पैदल यातायात के लिए भी खतरनाक बन गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां एक नया पुल बनाने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि उस क्षेत्र के लोगों को यह आवश्यक सुविधा पुनः प्राप्त हो सके ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जब गोविन्दसागर झील भर जाती है तब भाखड़ा बांध के कारण प्रश्न में दिया गया उक्त पुल वर्ष में कुछ डूबा रहता है । यह पुल, ब्यास-सतुलुंज लिंक परियोजना के निर्माण के कारण नहीं डूबा रहता है ।

(ख) वर्ष में कुछ समय डूबे रहने के कारण यह पुल क्षीण हो गया है ।

(ग) इस स्थान पर नए पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। स्लापर पर एक दूसरे पुल का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

**सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा सुरक्षा गारद के पदों पर नियुक्तियां**

3964. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया लिमिटेड के अधीन सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (रांची) में सुरक्षा गारद के 2200 पद खाली पड़े हैं जिन पर स्थानीय होम गार्डों की नियुक्ति होनी चाहिए थी फिर भी इन पदों पर 80 प्रतिशत बाहर के लोग नियुक्त हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय अधिसूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 800/– रुपये के ग्रेड तक के पदों को स्थानीय व्यक्तियों से भरना आवश्यक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि छोटा नागपुर के खनिज तथा औद्योगिक क्षेत्रों में 5 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को भी नियुक्त नहीं किया गया है और इसलिए इस क्षेत्र के 75 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) सुरक्षा गार्डों के लगभग दो हजार पद खाली थे। ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए संबद्ध राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को वरीयता दी जाती है। अब तक भरती किए गए सुरक्षा के गार्डों में से 97% बिहार के हैं।

(ख) सरकारी अनुदेशों के अनुसार, सरकारी उद्यमों में जिन पदों के वेतनमान की अधिकतम सीमा रु० 800/– प्रतिमाह से कम हो उन पर भरती राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के जरिए की जानी चाहिए और भरती के अन्य स्रोतों का सहारा तभी लिया जा सकता है जब कि संबद्ध रोजगार कार्यालय उम्मीदवार उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र दे दें।

(ग) कम्पनी ने अब तक जितने कुल व्यक्ति भरती किए हैं उनमें लगभग 47% छोटा नागपुर और संथाल परगना के अनुसूचित जनजातियों के लोग हैं। वास्तव में तो भूतपूर्व सैनिकों में भी अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को सर्वाधिक वरीयता दी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रेस परिषद द्वारा लेखकों को दिया गया संरक्षण**

3965. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस परिषद के प्रमुख पत्रकारों, प्रेस एजेंसियों, समाचार संगठनों तथा बार कौंसिल आफ इण्डिया, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा साहित्य अकादमी जैसे अन्य संगठनों के साथ परामर्श के बाद नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण तथा साम्प्रदायिक एवं जातीयता के विचारों वाले लेखकों के संबंध में क्या विचार बनाए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) परिषद द्वारा इस मामले में अभी कोई ठोस विचार नहीं बनाए गए हैं। तथापि, इस दिशा में परिषद द्वारा पहले ही उपयुक्त कार्यवाही शुरू की जा चुकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी समाचारों को अनुचित रूप से बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित करना**

3966. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्रों को यह धमकी दी है कि यदि उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी समाचारों को बढ़ा-चढ़ा कर प्रकाशित किया तो उन्हें सरकारी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे;

(ख) इस प्रकार के आदेश किस प्राधिकार से दिए गए हैं; और

(ग) सरकार के पास इस बात का पता लगाने के क्या मापदण्ड हैं कि अमुक समाचार साम्प्रदायिक है अथवा नहीं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) क्योंकि कानून और व्यवस्था का प्रश्न राज्य विषय है, इसलिए जिन प्रेस रिपोर्टों से साम्प्रदायिक भावनाएं भड़कने की संभावना हो, उन पर सामान्यतया संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ध्यान दिया जाता है।

**हैदराबाद में दूरदर्शन काम्पलैक्स**

3968. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में एक दूरदर्शन काम्पलैक्स स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) हैदराबाद में 23-10-77 से एक दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र पहले ही कार्य कर रहा है। हैदराबाद में स्थायी स्टूडियो की स्थापना छठी "योजना" (1978-83) की स्वीकृत स्कीमों में से एक है।

**दामोदर घाटी निगम द्वारा हैलीकाप्टर खरीदने का प्रस्ताव**

3969. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा 80 लाख रुपए की लागत पर हैलीकाप्टर खरीदने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से उस स्थिति में, जबकि 30 वर्षों से दामोदर घाटी निगम का काम हैलीकाप्टर के बिना चल रहा है, अब उसको खरीदना किस कारण आवश्यक हो गया है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) हैलीकाप्टर खरीदने की संभावना का अध्ययन किया जा रहा है ।

(ख) पश्चिम बंगाल और बिहार के विस्तृत क्षेत्रों में बिखरे हुए विद्युत केन्द्रों के बार-बार और गहन क्षेत्र निरीक्षणों में प्रबन्धकों की सहायता करने की दृष्टि से हैलीकाप्टर खरीदने की संभावना के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है ।

**आवश्यक औषधियों के उत्पादन के बारे में हाथी समिति की सिफारिशें**

3970. **श्री के० ए० राजन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सरकारी क्षेत्र में आवश्यक औषधियों के उत्पादन के बारे में हाथी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) (एक) मूल औषधियों, (दो) श्रेणी (एक), (दो), (तीन) और (चार) के अन्तर्गत आने वाली औषधियों, श्रेणी (चार) के अन्तर्गत आने वाली औषधियों के फार्मुलेशन्स का कुल उत्पादन कितना है और उनका मूल्य क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) सिर्फ सरकारी क्षेत्र में आवश्यक औषधों के निर्माण के बारे में हाथी समिति की कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं थी । तथापि समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की :

अनुबन्ध-11 (117 मदें) में गिनाए औषधों/दवाइयों के उत्पादन को सम्बन्धित बल्क औषधों/सक्रिय अवयवों के निर्माण के लिए उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

हाथी समिति की रिपोर्ट के अनुबंध-11 से अध्याय X में सन्निहित उपरोक्त 117 आवश्यक फार्मुलेशनों के उत्पादन के लिए अपेक्षित मुख्य बल्क औषधों के उत्पादन में तेजी लाने के बारे में हाथी समिति की रिपोर्ट की प्रति लोक सभा के पटल पर दिनांक 8 मई, 1975 को रखी गई थी । उत्पादन की अपेक्षित दिशा सरकारी क्षेत्र और भारतीय क्षेत्र को दी गई थी और सभी क्षेत्र (विदेशी क्षेत्र समेत) के लिए खुली थी । इस प्रकार सरकार ने हाथी समिति द्वारा गिनाये गये 117 आवश्यक फार्मुलेशन जो बल्क औषधों के निर्माण के लिए अपेक्षित हैं, सूची दर्शायी है । यह सूची सरकार के हाथी समिति रिपोर्ट पर निर्णय वक्तव्य के अनुबन्ध-1 में दी गई है जिसे लोक सभा पटल पर 29 मार्च, 1978 को प्रस्तुत किया गया था ।

सरकार ने अपनी नीति में औषध उद्योग में सरकारी क्षेत्र को शीर्षस्थ भूमिका की घोषणा की है ।

(ख) वर्ष 1979-80 के दौनान बल्क औषधों और फार्मुलेशनों का उत्पाद क्रमश: 226 करोड़ रुपए और 1150 रुपए का था । फिलहाल विभिन्न श्रेणियों के फार्मुलेशनों के उत्पादन की

देख-रेख नहीं की जाती है, तथापि यह विभाग कुछ जीवन रक्षक और आवश्यक औषध फार्मुलेशनों की उपलब्धता की देख-रेख करती है। तथापि यह अनुमान किया जाता है कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 की अनुसूची-1 में शामिल 43 आवश्यक बल्क औषधों (श्रेणी 1 और 2) की वार्षिक बिक्री 150 करोड़ रुपए और उनसे सम्बन्धित फार्मुलेशनों की वार्षिक बिक्री 750 करोड़ रुपए है।

**स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिया जाना**

3971. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी ला बोर्ड ने स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस दिया है कि क्यों न उसे बन्द कर दिया जाय;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी को यह नोटिस किस आधार पर दिया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कम्पनी ला बोर्ड ने इस कम्पनी को यह स्पष्ट कह दिया है कि उनका कम्पनी के तत्काल परिसमापन के लिए कानूनी कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो उन तथ्यों का पूरा ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर कम्पनी ला बोर्ड को ऐसी कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ा है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

(क) से (घ) प्रादेशिक निदेशक, कम्पनी विधि बोर्ड, कानपुर द्वारा स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को दिनांक 18 अगस्त, 1980 की कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 439 की उप-धारा (6) के अनुसरण में (उनकी अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 71, दिनांक 1 जनवरी, 1966 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस में, कम्पनी से अपना अभिवेदन देने के लिए, अगर कोई हो, पूछा गया था कि क्यों नहीं कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर को कि कम्पनी अपने ऋणों को देने में असमर्थ है इस आधार पर कम्पनी के परिसमापन के लिये याचिका को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जानी चाहिये। उक्त नोटिस, कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, कानपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कि मैसर्स स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के 31 मार्च 1979 तक के तुलन-पत्रों आदि में 16.5 करोड़ रु० (अज्ञेय परिसम्पत्तियों के मूल्य को सम्मिलित करते हुए) की हानि दिखलाई गई थी और इससे आगे उक्त कम्पनी की कुल मुद्रा राशि नकारात्मक थी, जिसमें प्रथम दृश्य यह प्रकट हुआ कि कथित तुलन-पत्र में यथा प्रकट की गई कम्पनी की वित्तीय स्थिति से कम्पनी अपने ऋणों को देने में असमर्थ प्रतीत हुई, के आधार पर जारी किया गया था।

2. कम्पनी अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (5) के उपबन्ध प्रथम दृश्या प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) में

उल्लिखित आधारों पर, जब तक कि यह प्रकट नहीं होता है कि तुलन-पत्र में यथा प्रकट कम्पनी की वित्तीय स्थिति से या अधिनियम की धारा 235 या 237 के अन्तर्गत नियुक्त निरीक्षक की रिपोर्ट से कि कम्पनी अपने ऋणों के देने में असमर्थ है याचिका व्यवहारित नहीं करेगा इससे अधिक आवश्यक है कि कम्पनी रजिस्ट्रार केन्द्रीय सरकार से परिसमापन याचिका को प्रस्तुत करने के लिये पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा और केन्द्रीय सरकार जब तक कि कम्पनी को पहिले अपना अभिवेदन, अगर कोई हो, देने का अवसर दिये जाने के बगैर स्वीकृति नहीं देगी ।

3. प्रादेशिक निदेशक द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड के लिये प्रेषित नोटिस उपरोक्त उपबन्धों के अनुसरण में था, तथा यह कम्पनी के लिये अपना यह अभ्यावेदन देने के लिये एक सूचना के रूप में था कि कम्पनी रजिस्ट्रार की परिसमापन की याचिका प्रस्तुत करने के लिये स्वीकृति क्यों नहीं दी जानी चाहिये ।

4. कम्पनी ने प्रादेशिक, निदेशक कानपुर को भेजे गये अपने दिनांक 11-9-80 के अभ्यावेदन में इसका निषेध किया है कि वह अदायगियों के परिपदव होने पर, अपने ऋणों को चुकान में असमर्थ है । उसने बताया है कि उसने 1979-80 के मध्य उच्चतर व्यापारावर्त प्राप्त किया है एवं इसके बारे में आगे ब्यौरे भेजे हैं साथ ही पुनः बताया है कि इसे अदायगी के लिये परिपक्व होने पर अपनी देयताओं को चुकाने में समर्थ होना चाहिये । कम्पनी ने कथित अभ्यावेदन में सूचित किया है कि उसने 1980-81 के वर्ष में अपने उत्पादन में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि कर ली है तथा कि इसे 1979-80 की तुलना में वर्तमान वर्ष में बेहतर कार्यकरण की आशा है । उपरोक्त तथ्यों तथा कथित अभ्यावेदन की परिस्थियों, की दृष्टि से, यह उपस्थापन किया गया था कि कम्पनी रजिस्ट्रार को, कम्पनी अधिनियम, की धारा 439 (5) के साथ पठित, धारा 433 (ङ) के अन्तर्गत आवेदन पत्र खारिज कर दिया जाये ।

5. कम्पनी के आवेदन-पत्र पर, प्रादेशिक, निदेशक कानपुर द्वारा विचार किया गया था तथा यह निर्णय किया गया था कि कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा, कम्पनी के परिसमापन के लिये एक याचिका प्रस्तुत करने के लिये मांगा गया अनुमोदन प्रदान करने का कोई मामला नहीं बनता था, अतः यह मामला समाप्त कर दिया गया था ।

6. ऊपर यथा वर्णित, प्रेषित किये गये नोटिस के अलावा, कम्पनी को कोई ऐसा इंगित कि नहीं गया है कि इसके परिसमापन के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करने का विचार है । वास्तव में, कम्पनी रजिस्ट्रार को परिसमापन याचिका प्रस्तुत करने की स्वीकृति न देने का निर्णय किया गया है ।

**उद्योगों के लिये गुजरात को कोयले का आवंटन**

3973. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य को सभी उद्योगों के लिये कोयले के 24,000 वैगन आवंटित किये गये थे;

(ख) इनमें से कितने वास्तव में उपयोग किये गये थे; और

(ग) क्या सरकार को इनकी कमी के कारण औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) और (ख) वैगनों की उपलब्धि को विचार में रखते हुए: रेलवे ने गुजरात के उद्योगों के लिए 24,000 वैगन प्रतिमाह नहीं बल्कि 2400 वैगन प्रतिमाह का कोटा निश्चित किया है। गुजरात के उद्योग आयुक्त 2400 वैगनों की यह सारी मात्रा गुजरात के विभिन्न उद्योगों को बांटते हैं। परन्तु गुजरात को वास्तव में तो 2400 वैगन प्रतिमाह की इस आबंटित मात्रा का केवल 30 से 33% ही गया है।

(ग) गुजरात के औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की उपलब्धि में कुछ कमी हुई है। परन्तु कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की दृष्टि से सड़क से ले जाने के लिए भी कोयला दे रही हैं।

**कोयला खानों में 1980 के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या**

3974. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले 10 महीनों के दौरान कोयला खानों में कितनी दुर्घटनाएं हुईं और उन दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुईं व कितने व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुए ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** जनवरी से अक्टूबर, 1980 के बीच कोल इंडिया लि० में 87 घातक दुर्घटनाएं हुईं जिनमें 102 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 790 यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में इसी अवधि के यह आंकड़े इस प्रकार हैं —18 घातक दुर्घटनाएं, 19 व्यक्तियों की मृत्यु और 594 व्यक्तियों को गंभीर चोटें घातक और गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम हो गई है।

**मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज, बम्बई को औद्योगिक लाइसेंस जारी करना**

3975. **श्री रसीद मसूद :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई ने, जिन्हें 1000 टन निःसाबित (एक्सट्रूडिड) पोलिथीलीन के निर्माण का औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है, अपनी सहयोगी फर्म मैसर्ज जीतमल छोगमल, मद्रास के लिए भी इसी प्रकार के लाईसेंस के लिए आवेदन किया था लेकिन उनका आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार का लाइसेंस मैसर्ज सुप्रीम इण्डस्ट्रीज के एक कर्मचारी श्री एल० सी० कावी (अब मैसर्ज सूरज पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, मद्रास) को दिया गया है और उसे सुप्रीम इण्डस्ट्रीज द्वारा ऋण की बड़ी राशि पेशगी के रूप में दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि बेनामी लाइसेंस की प्राप्ति कर मैसर्ज सुप्रीम इण्डस्ट्री ने निःस्रावण (एक्सट्रूजन) के क्षेत्र में एकाधिकार कर लिया है जो इस प्रकार

के अन्य एककों के हितों के लिए हानिकर है, यदि हां, तो मामले में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लि० को 1000 मी० टन प्रति वर्ष निःस्त्रावित पोलीएथिलीन फिल्म के उत्पादन के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है । ऐसे ही लाइसेंस हेतु जीतमल छोगमल के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया था ।

(ख) ऐसी ही किस्म के 600 मी० टन प्रति वर्ष उत्पादन के लिये मैसर्स सूरज पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड को भी एक औद्योबिक लाइसेंस दिया गया है । इस केस में आशय-पत्र एक श्री एल० सी० करवा को दिया गया था जिसने बाद में सूरज पैकेजिंग प्रा० लिमिटेड के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बना ली । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उसको किसी समय मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज द्वारा रोजगार दिया गया था या उसने उनसे कोई उधार लिया है ।

(ग) मंत्रालय के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे यह पता चले कि मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने बेनामी लाइसेंस प्राप्त किया है या उन्होंने प्लास्टिक एक्सट्रशन के उद्योग में एकाधिकार हासिल कर लिया है ।

**बिहार के हजारीबाग जिले में कोयला खानों में आग**

3976. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रामगढ़ के निकट हजारीबाग जिले की कोयला खानों में काफी लम्बे समय से आग लगी हुई है और अभी बुझाई नहीं गई है; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण हैं तथा इसके कारण कितनी हानि हुई है, तथा इस असावधानी के लिये कोई उत्तरदायित्व नियत किया गया है और इसको शीघ्रता से बुझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) हजारीबाग जिले की कुछ खानों में पुराने कोयला निकले हुए स्थानों में कुछ समय से भूमिगत आग जल रही है । इसके अलावा रामगढ़ ओपेनकास्ट खान में धरातल पर पड़े हुए कोयले के पुराने स्टाक में अपने आप होने वाला प्रज्वलन भी होता रहा है ।

(ख) कोयला और अन्य कारबन—प्रवण सामग्री कुछ विशेष परिस्थितियों में बहुत दिनों तक पड़ी रहने दी जाती हैं तो उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं और अपने आप गर्मी पैदा होने लगती है ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में गोवों में गर्मी पैदा होने से कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि इन क्षेत्रों से जितना संभव था उतना कोयला पहले ही निकाल लिया गया है और उसके बाद कार्यस्थलों को छोड़ दिया गया है । ऊपर स्पष्ट किये गये कारणों को देखते हुए कम्पनी के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही दिखाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूमिगत अग्निस्थलों के मामले में संबद्ध क्षेत्रों को अलगाव रोकों के द्वारा सील कर दिया गया है ताकि पड़ौस के क्षेत्रों पर कोई असर न पड़े। रामगढ़ में आग को पानी के द्वारा बुझा दिया गया है।

**पैट्रोल के विकल्प के रूप में एलकोहल**

3977. **श्री कुंभाराम आर्य** : क्या पैट्रोलियम, रसायन, और उर्वरक मंत्री पैट्रोल के विकल्प के रूप में एलकोहल के बारे में 24 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1754 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पैट्रोल के विकल्प के रूप में एलकोहल की संभावना का पता लगाने के लिए गठित अन्तर्विभागीय समिति के प्रतिवेदन के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : अल्कोहल के मोटर स्पिरिट के साथ सम्मिश्रण के प्रयोग की जांच के लिए अन्तर्विभागीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया था। हालांकि ऐसी ब्लेंडिग की तकनीकी संभाव्यता स्थापित हो चुकी है, अल्कोहल की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण ब्लेंडिग के इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

**थीन बाँध परियोजना**

3978. **स्वामी इन्द्रवेश** :

**श्री मंगल राम प्रेमी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थीन बांध प्रस्ताव का सुत्रपात कब हुआ था और बांध तथा इसके बिजली संयंत्रों का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए कब पेश किया गया था;

(ख) थीन बांध परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति और मंजूरी कब दी गई थी और परियोजना के निष्पादन का कार्य कब आरम्भ किया जाना था;

(ग) परियोजना को अन्तिम रूप देने और उसका निष्पादन शुरू करने में विलम्ब के लिए मुख्य कारण क्या है;

(घ) परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण इसी लागत में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा परियोजना के व्यय की पूर्ति के लिए कितनी राशि का केन्द्रीय आबंटन किया गया है; और

(ङ) परियोजना को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) प्रस्ताव का सूत्रपात पंजाब सरकार ने मूलत: 1964 में किया था तथा बाद में 1977 में इसे अद्यतन किया था।

(ख) और (ग) : अन्तर्राज्यीय पहलुओं के शामिल होने के कारण परियोजना का कार्य-निष्पादन पहले नहीं किया जा सका। प्रधान मंत्री द्वारा संबन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ अक्तूबर, 1977 में किए गए विचार-विमर्श के परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि

"पंजाब इस परियोजना पर कार्य आरंभ कर सकता है ।" इस निर्णय के अनुसरण में, अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना का कार्य पंजाब सरकार ने 1978 में अपने हाथ में लिया था । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने फरवरी, 1977 में इस परियोजना की तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दी थी ।

(घ) 1977 के अनुमानों के अनुसार, परियोजना पर 263.16 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है । इसकी तुलना में मूल अनुमान (1964) 69.63 करोड़ रुपए का था । पंजाब सरकार अपनी राज्य योजनाओं के माध्यम से इस परियोजना को वित्त-पोषित कर रही है ।

(ङ) इस परियोजना का कार्य शीघ्रता से पूरा करने की दृष्टि से, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार को किसी भी प्रकार की आवश्यक सहायता देने को इच्छुक है । विवादास्पद मामलों का समाधान करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्यों के साथ विचार-विमर्श करने को तैयार है ।

**थाल-वैशट परियोजना के लिए ठेका**

3979. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

**श्री बापूसाहिब परुलेकर**

**श्री रत्नसिंह राजदा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 650 करोड़ रुपए लागत की थाल-वैशट उर्वरक परियोजना के लिए अमोनिया संयंत्र के लिए सी० ए० ब्राउन को मुख्य ठेकेदार के रूप में हटाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने ब्राउन को ठेकेदार के रूप में हटाये जाने के कारण पूछे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) विश्व बैंक ने थाल वैशट के अमोनिया प्लांट के लिए मैसर्स हाल्डोर टोप्सो को परामर्शदाता के रूप में चयन के बारे में सूचना मांगी है ।

**बम्बई हाई में तट-दूर प्लेटफार्म**

3980. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई हाई में तट-दूर प्लेटफार्म खड़ा करने के लिए टेंडर मांगे हैं;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(ग) यह प्लेटफार्म खड़ा किये जाने के बाद प्रतिदिन कितना उत्पादन होगा; और

(घ) किन-किन देशों ने टेंडर स्वीकार किये हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने, बम्बई हाई में बी० एच० एस० नामक एक प्रक्रिया प्लेटफार्म और एस० एम०, एस० पी० और एस० आर० नामक तीन कूप प्लेटफार्मों और उनको जोड़ने वाली समुद्र के भीतर लाइनों के निर्माण और स्थापना के सम्बन्ध में विश्व-आधार पर टेंडरों को आमन्त्रित किया था ।

(ख) प्रायोजना लागत लगभग 245 करोड़ रुपए की है ।

(ग) स्थापित किये जाने वाले अन्य प्लेटफार्मों सहित इन प्लेटफार्मों से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को बम्बई हाई से 1982 के मध्य तक खनिज तेल का 240,000 बैरल प्रतिदिन की दर से उत्पादन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

(घ) इन टेंडरों के प्रति उन कम्पनियों के उत्तर प्राप्त हुए हैं जो जापान, अमेरिका और फ्रांस में सम्बद्ध हैं ।

**झरिया कोयला क्षेत्रों को आग के कारण भारी हानि**

3981. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झरिया कोयला क्षेत्रों को आग के कारण भारी हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी हानि हो चुकी है और कितनी हानि होने की सम्भावना है; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय झरिया कोयला क्षेत्र में लगभग 70 स्थानों पर आग सुलग रही है । इस आग के कारण 30 मि० टन कोककर कोयला नष्ट हो गया है । इसके अलावा 40 मि० टन और कोयला पिलरों में बन्द हो गया है ।

(ग) आग को बुझाने/सीमित रखने/फैलने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) अग्नि स्थलों के चारों ओर सर्वत्र रेत, क्लाइ ऐश या अन्य अप्रज्वलनशील सामग्री से अलगान रोक बनाना ।

(2) अप्रज्वलनशील रोधकों के साथ पानी के बांध बनाना ।

(3) अग्नि स्थलों में, धरातल से बोर होल छेद करके नाइट्रोजन, कार्बन डायआक्साइड आदि निष्क्रिय गैसें भरना, और

(4) अग्नि स्थलों को पानी में डुबा देना ।

भारत कोकिंग कोल लि० ने लोडना, जोगटा, राजापुर और बरारी में आग से निपटने के लिए पहले ही 4 परियोजनाएं प्रारम्भ कर रखी हैं। इसके अलावा भारत कोकिंग कोल लि० की इण्डस्ट्री, कुसुंडा, पाथरडीह, फुलारीटांड और साउथ तिसरा कोलियरियों में क्रमबद्ध तरीके से आग से निपटने के लिए परियोजना रिपोर्टें तैयार की गई हैं।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० लि० ने भी अपनी जामादोबा और सिजुआ कोलियरियों में आग बुझाने के लिए कदम उठाए हैं। ऐसी रिपोर्ट मिली है कि जामादोबा कोलियरी में आग पर पहले ही काबू पा लिया गया है।

**विद्युत बोर्डों को हाई स्पीड डीजल तथा फनसे-आयल की सप्लाई**

3982. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : आगामी पांच वर्षों के दौरान 210 मेगावाट के अनेक एककों की स्थापना को दृष्टि में रखते हुए राज्य विद्युत बोर्डों को हाई-स्पीड डीजल/फनेस-आयल की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी)** : राज्य विद्युत बोर्डों के हाई-स्पीड डीजल के आवंटन के अनुरोधों पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अनुशंसा के आधार पर विचार किया जाता है तथा उत्पाद की आवश्यक मात्रा जारी की जाती है। इसी प्रकार (विद्युत गृहों) की भट्टी के तेल की आवश्यकता को भी भट्टी के तेल के लिए स्थायी समिति द्वारा जांचा जाता है एवं अन्तिम रूप से निर्णय लिया जाता है। पावरघरों की सारी आवश्यकता को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के सभी सम्भव उपाय किये जाते हैं।

**राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय**

3983. **श्री के० राममूर्ति :**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में हुई राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय लिए गए; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) सम्मेलन ने, और बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल की सिफारिशों, सेंसर-शिप तथा सामुदायिक श्रवण और अवलोकन योजनाओं से संबंधित समस्याओं, रेडियो, दूरदर्शन, क्षेत्रीय प्रचार एककों और गीत नाटक प्रभाग के एककों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विस्तार और उनमें सुधार, लघु और मझोले समाचार पत्रों के लिए सुविधाओं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के बारे में विचार किया था।

राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का आम-तौर से समर्थन किया गया था। सिनेमा के विषय को राज्य सूची से केन्द्रीय/समवर्ती सूची में अंतरित करने के

लिए कार्य दल की सिफारिश पर विचार किया गया था । इस बात पर सहमति थी कि राज्यों की वर्तमान विधायी शक्तियां कम नहीं की जानी चाहिएं । तथापि, केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय स्तर पर अच्छे सिनेमा के विकास में सहायता करने में अर्थ पूर्ण भूमिका अदा कर सके और फिल्म विवरण, फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं का कार्यकरण, प्रादेशिक फिल्मों के प्रदर्शन को संवर्धन और अच्छी गुणवत्ता फिल्मों के लिए प्रदर्शन सुविधाएं उपलब्ध करने जैसे क्षेत्रों, जो सभी राज्यों के लिए समान हैं, को विनियमित कर सके तथा उनको युक्तिसंगत और सुप्रवाही बना सके, इसके लिए अधिकांश भाग लेने वाले इस बात से सहमत थे कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों और अच्छे स्तर की लघु बजट वाली फिल्मों के निर्माताओं की सहायया करने के लिए उपयुक्त कानूनों को बनाने के लिए आवश्यक समवर्ती अधिकार होने चाहिए विशेषकर कमजोर वर्गों और आदिवासी लोगों के लाभ के लिए सामुदायिक श्रवण योजना को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई । राज्य सरकारें उन क्षेत्रों का पता लगायेंगीं जहां इन योजनाओं को संशोधित करना चाहिए या जारी रखना चाहिए । सामुदायिक अवलोकन योजना के लिए, योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत सैटों के लगाने, चलाने और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक धन राशि आबंटित करे । रेडियो सेवा के विस्तार के संबंध में दो मुख्य समस्याएं विदेशी केन्द्रों के हस्तक्षेप और बिजली की कमी की है । इन समस्याओं का समाधान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर और एफ० एम० ट्रांसमीटरों की व्यवस्था करके किया जाएगा । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करें । दूरदर्शन के विस्तार का कार्य चरणों में हाथ में लिया जाएगा । क्षेत्रीय प्रचार एकक राज्य सरकारों के सहयोग से अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेंगे । आम सहमति यह थी कि समाचारपत्रों के सकेन्द्रण और प्रस्तावित डिपो की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम द्वारा सभी राज्यों में अखबारी कागज के दो डिपो खोलने के लिए प्रयास किए जाएं । सम्मेलन ने राज्यों में अन्तः माध्यम प्रचार समन्वय समिति के कार्य संचालन की सराहना की और यह सुझाव दिया कि अधिक स्थायी परिणामों को प्राप्त करने के लिए इसकी गतिविधियों को सुप्रवाही बनाया जाए । सम्मेलन ने सर्वसम्मति से सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय किया कि वह देश में संचार विकास को उचित प्राथमिकता दे और संचार क्षेत्र के लिए अधिक धन राशि दे । सेंसरशिप सम्बन्धी नियमों और विनियमों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों और उनके लागू करने में कठिनाइयों, जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में अन्तर्वेशन होता है और सेंसर बोर्ड द्वारा काटे गए अंशों का प्रदर्शन होता है, पर विचार विमर्श किया गया था । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत (1) प्रत्येक सिनेमाघर जहां कोई फिल्म-विशेष प्रदर्शित की जाती है और (2) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों में उपलब्ध काटछांट की सूची और सेंसर प्रमाणपत्रों; आदि का उपयोग करके सेंसरशिप नियमों और विनियमों को अधिक सख्ती से लागू करें । राज्य सरकारों ने सेंसरशिप संबंधी नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करने में अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया ।

(ख) कुछ सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं, जबकि अन्य राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी होंगीं । सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

**राजस्थान को डीजल का आवंटन**

3984. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1980 के बाद चालू वर्ष में राजस्थान द्वारा डीजल की कुल कितनी मात्रा की उठान की गई;

(ख) नवम्बर, 1980 से अप्रैल, 1981 तक के महीनों के लिए राजस्थान को कितना डीजल देने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य की प्रत्याशित मांग कितनी है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) पहली अप्रैल से 31 अक्तूबर, 1980 की अवधि के दौरान राजस्थान में हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०) तेल की कुल बिक्री लगभग 2,60,813 मी० टन थी ।

(ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1980 के लिए एच० एस० डी० का आवंटन वर्ष 1979 के तदनुरूपी महीनों के मूल आवंटन से 5% वृद्धि के आधार पर किए गए थे । इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के अनुरोध प्राप्त होने पर नवम्बर और दिसम्बर 1980 के लिए अतिरिक्त आवंटन किए गए थे । दिसम्बर, 1980 के बाद एच० एस० डी० का आवंटन उत्पाद की कुल उपलब्धता, पिछले आवंटन/खपत और उसकी परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाएगा ।

(ग) राजस्थान सरकार ने लगभग 75,000 किलो लिटर (लगभग 61980 मी० टन) एच० एस० डी० की प्रतिमाह की मांग प्रस्तुत की है ।

**मत्स्य ग्रहण तथा समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग के संबंध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार व्यापार गृहों से आवेदन-पत्र**

3985. **श्री के० बी० चौधरी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : मत्स्य ग्रहण तथा समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार व्यापार गृहों के अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : अधिनियम की धारा क्रमश: 21 और 22 के अन्तर्गत अपनी गतिविधियों का भारी विस्तार और नये उपक्रमों की स्थापना के लिए, मत्स्य और समुद्री खाद्य पदार्थों के उद्योग के विषय में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित उपक्रमों से प्राप्त और अनिर्णीत आवेदन-पत्रों के ब्यौरों का उल्लेख करता हुआ विवरण-पत्र संलग्न है ।

इससे अलग, मैसर्स ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का जर्मन जनवादी गणराज्य से दो जलपोतों के (82 मीटर लम्बे) चार्टरिंग का अन्य आवेदन पत्र सरकार के पास कृषि मंत्रालय में विचारार्थ अनिर्णीत है ।

## विवरण

मत्स्य तथा समुद्री खाद्य पदार्थ उद्योग के सम्बन्ध में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत अनिर्णीत आवेदन पत्रों के ब्यौरे

| क्रम सं० | कम्पनी का नाम | ए० अव० व्या० व्य० स्तर | आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि | प्रस्तावों के ब्यौरे | परियोजना की लागत | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | धारा–21 | | | |
| 1 | टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड | धारा 20(क)(2) के अन्तर्गत पंजीकृत | 7-7-1979 | 40.20 मी० और 47.57 मी० के दो चले मत्स्य जलपोतों का आयात | 90.00 लाख रुपये | विचाराधीन |
| 2 | यूनियन कार्बाइड आफ इंडिया लि० | धारा 20(क)(1)/(ख(1) के अन्तर्गत पंजीकृत | 10-7-1979 | हालैण्ड से 29.5 मी० के तीन गहरे समुद्र सत्स्य जलपोतों के आयात के लिये | 348.00 लाख रुपये | विचाराधीन |
| | | | धारा–22 | | | |
| 3 | जे. के. केमिकल्स लि. | धारा 20(क)(ii)/(ख)(i) के अन्तर्गत पंजीकृत | 16-12-1978 | अधिग्रहण के द्वारा और या/किराये पर लेने और गहरे समुद्री मत्स्य ट्रेवलरों के द्वारा गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के लिये नये उपक्रम की स्थापना का प्रस्ताव। | 30 लाख रु. के लगभग | विचाराधीन |

**बिहार में बिजली की कमी**

3986. **श्री हरीनाथ मिश्र** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बिजली की भारी कमी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिजली की इस कमी के कारण कृषि कार्यों तथा उद्योगों के कार्यकरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) विद्युत प्रजनन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुधार करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) बिहार में विद्युत की कमी है ।

(ख) यद्यपि राज्य में कोई अधिसूचित विद्युत कटौतियां/प्रतिबंध नहीं हैं, तथापि विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, दिन प्रतिदिन के आधार पर, लोड शैडिंग की जाती है । इससे कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है । तथापि कृषि क्षेत्र को विद्युत की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है ।

(ग) राज्य में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं । इन उपायों में ये शामिल हैं :

(1) 1980-85 की अवधि के दौरान राज्य में 725 मेगावाट अतिरिक्त, क्षमता चालू करना । इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी राज्य को लाभ का हिस्सा प्राप्त होगा ।

(2) केन्द्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण के कमजोर क्षेत्रों का पता लगाने की दृष्टि से तथा मौजूदा क्षमताओं के समुपयोजन में सुधार लाने के एकमात्र उद्देश्य से समयबद्ध आधार पर सुधार एवं नवीकरण कार्यक्रम तैयार करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड की सहायता करने के लिए एक केन्द्रीय कृतिक बल पतरातू तथा बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों को भेजा गया था ।

(3) केन्द्रीय विशेषज्ञों के सम्पूर्ण मार्गदर्शन में एक संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार करने के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड के इंजीनियरों के एक दल का चयन किया गया है ।

(4) रूस द्वारा मूल रूप से सप्लाई किए गए उपस्कर के पुनः स्थापन संबंधी समस्याओं का सर्वेक्षण करने के लिए एक सोवियत विशेषज्ञ दल ने हाल ही में पतरातू ताप विद्युत केन्द्र का दौरा किया था । विद्युत केन्द्र के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपस्कर में परिशोधन आदि करने के लिए सोवियत विशेषज्ञों का एक दल पतरातू विद्युत केन्द्र पर रहेगा ।

(5) स्वदेशी तथा विदेशी साधनों से फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए सहायता दी जा रही है ।

(6) ताप विद्युत केन्द्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण कार्मिकों को सुव्यवस्थित आधार पर प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है ।

**उड़ीसा में गैस एजेन्सियों का आवंटन**

3987. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कुल कितनी तथा किन-किन व्यक्तियों/सहकारी समितियों को गैस की एजेन्सियां आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या कुछ और नई एजेन्सियां आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित तरल पेट्रोलियम गैस की वर्तमान एजेन्सियां/सब-एजेन्सियां हैं :

1. वालसोड़ गैस एजेन्सी, वालसोड़
2. गंजम गैस, बेहरमपुर
3. क्लीन गैस, भुवनेश्वर
4. भुवनेश्वर होल-सेल कन्ज्यू. को-आप. स्टोर्स लि. भुवनेश्वर
5. उत्कल गैस, कटक
6- सुपर हीट, पुरी
7. जय जवान गैस सर्विस, राउरकेला
8. एके गैस सर्विस, सम्बलपुर
9. ए. सूर्यनारायण एंड संस, जेपोर
10. वालाजी गैस एंड जनरल ट्रेडर्स, अस्का
11. ई. नरसिंहा सन, देरहमपुर
12. के. एस. कुममदम संस, रायगढ़
13. इंडस्ट्रियल सप्लायर्स, राउरकेला
14. मनहरलाल कन्हैयालाल, वालसोड़
15. प्रीमियर गैस कंपनी, भुवनेश्वर
16. रामचन्द्रा सुबंधी, पुरी
17. रंजीत एंड कम्पनी, सम्बलपुर
18. सावली गैस कं०, कटक
19. रघुनाथ चौधरी, बुरला
20. पदमा एजेन्सीज, सुनावेदा
21. परेल इन्वेस्टमेंट एण्ड ट्रेडिंग कं०, कटक

(ख) और (ग) 1981-82 के दौरान तेल उद्योग द्वारा उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर 14 खाना पकाने की गैस की एजेन्सियों को खोलने का प्रस्ताव है।

**फिल्म सेंसर बोर्ड का पुनर्गठन**

3988. **श्री राम विहारी बहरा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड का तुनर्गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो फिल्स सेंसर बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या बोर्ड के सदस्यों के लिए कोई अर्हताएं रखी गई हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** (क) जी, नहीं।

(ख) फिल्म सेंसर बोर्ड की वर्तमान संरचना इस प्रकार है।

1. श्री के. एल. खाण्डपुर — अध्यक्ष
2. श्री एम. भक्तवत्सल
3. श्री तपन सिन्हा
4. श्री वी. वी. जौन
5. श्री के. वी. जगन्नाथन् — सदस्य
6. श्रीमती माधुरी शाह
7. श्री वी. नागी रेड्डी
8. कुमारी अनसुया एम. नादकर्णी
9. श्री एल. वी. प्रसाद
10. श्री हृषिकेश मुखर्जी

श्री बी. नागी रेड्डी (क्रम संख्या 7) ने अपना त्यागपत्र दे दिया है।

(ग) बोर्ड के सदस्यों के लिए इस रूप में कोई अर्हताएं निर्धारित नहीं की गई हैं। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से केवल ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों को नामित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस योग्य हों कि वे फिल्मों का लोगों पर प्रभाव का आंकलन कर सकें।

**टेलीविजन पर से लाइसेंस शुल्क समाप्त करना**

3989. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में टेलीविजन की मांग दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां तो क्या इस समय प्रत्येक राज्य में प्रयोग में लाए जा रहे टेलीविजन सेटों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि टेलीविजन सेटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की लोगों की मांग है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लाइसेंस शुल्क से छूट देने अथवा इसे कम करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी, हां ।

(ख) कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, डाक-तार महानिदेशालय टेलीविजन लाइसेंसों के आंकड़े पोस्टल सर्कल-वार रखता है । 31 दिसम्बर, 1978 की स्थिति के अनुसार एक विवरण संलग्न है । 31-12-1979 को टी. बी. लाइसेंसों की कुल संख्या 11,51,311 थी ।

(ग). (घ) और (ङ) टेलीविजन सेटों पर लाइसेंस शुल्क समाप्त करने की कुछ मांगें रही हैं । इस मामले की जांच की गई थी और लाइसेंस शुल्क को समाप्त करना संभव नहीं पाया गया था क्योंकि इससे सरकारी राजस्व पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी । तथापि, कुष्ठ घरों में लगे टी. वी. सेटों को लाइसेंस फीस देने से छूट हैं ।

**विवरण**

**31-12-70 को टी० वी० लाइसेंसों की पोस्टल सर्कल-वार संख्या**

| क्रम संख्या | सर्कल का नाम | टी० वी० लाइसेंसों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 9,120 |
| 2. | बिहार | 964 |
| 3. | दिल्ली | 2,52,635 |
| 4. | गुजरात | 5,126 |
| 5. | जम्मू और कश्मीर | 9,163 |
| 6. | केरल | 58 |
| 7. | कर्नाटक | 105 |
| 8. | महाराष्ट्र | 2,90,708 |
| 9. | मध्य प्रदेश | 1,527 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 10. | उत्तर-पूर्व | 1,16,316 |
| 11. | उत्तर-पश्चिम | 1,16,896 |
| 12. | उड़ीसा | 434 |
| 13. | राजस्थान | 15,137 |
| 14. | तमिलनाडू | 44,917 |
| 15. | उत्तर प्रदेश | 89,975 |
| 16. | पश्चिम बंगाल | 61,012 |
| 17. | आर्मी पोस्टल सर्विस | 1,235 |
| | कुल | 8,99,123 |

**तालचेर में उर्वरक संयंत्र का उत्पादन**

3990. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सितम्बर, 1980 से अब तक बिजली की सप्लाई अपर्याप्त होने के कारण तालचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन बन्द हो गया है;

(ख) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि उक्त संयंत्र की 35 मैगावाट प्रति पाली आवश्यकता की तुलना में उसे केवल 5 मैगावाट बिजली मिल रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) बिजली की सप्लाई में बाधा के कारण सितम्बर, 1980 में तालचेर उर्वरक प्लांट संचालन कार्य को रोकना पड़ा। तालचेर प्लांट को अक्तूबर, 1980 के मध्य से बिजली की सप्लाई सामान्य हो गई।

**मध्य प्रदेश में पंच तापीय बिजलीघर**

3991. **श्री कमल नाथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 840 मेगावाट की क्षमता वाला पंच तापीय बिजलीघर स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस परियोजना पर कार्य कब शुरू होगा; और

(ग) बिजलीघर कब तक बिजली का उत्पादन शुरू करेगा ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थापित किए जाने वाले 340 मेगवाट के ताप विद्युत केन्द्र के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने प्रस्तुत की है ।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन अभी तक पूरा नहीं किया गया है । निवेश संबंधी निर्णय लिए जा सकने तथा परियोजना के बारे में सुनिश्चय किए जा सकने से पहले परियोजना के लिए जल की उपलब्धता आदि जैसे तकनीकी-आर्थिक निवेशों को सुनिश्चित करना होगा ।

**अशोधित तेल का आयात**

3992. **श्री निरेन घोष** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की अशोधित तेल की आवश्यकता को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई सही निर्धारण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(व) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) से (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित कुल मांग देशीय कच्चे तेल के प्रायाशित उपलब्धता तथा देश में उपलब्ध शोधन क्षमता के आधार पर कच्चे तेल के आयात की योजना का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है । तेल समन्वय समिति जो कि पैट्रोलियम विभाग के अधीन स्थापित एक संस्था है, द्वारा प्रतिवर्ष अनुमान तैयार किये जाते हैं तथा सरकार उनका अनुमोदन करती है । वर्ष के दौरान हुए विकासों को दृष्टिगत करते हुए अनुमानों में संशोधन भी किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**देश में पेट्रोल तथा डीजल पम्प**

3993. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30-11-1979 के मुकाबले 30-11-1980 को प्रत्येक राज्य में (प्रत्येक राज्य के लिए पृथक रूप से) उसके कितने पेट्रोल तथा डीजल (संयुक्त रूप से) भारतीय तेल निगम तथा अन्य कम्पनियों (प्रत्येक कम्पनी के लिए अलग रूप से) पम्प और केवल डीजल पम्प थे;

(ख) देश में मांग के अनुपात में पेट्रोल तथा डीजल पम्पों की संख्या में वृद्धि में किन कारणों से रुकावट आती है; और

(ग) उक्त कम्पनियों में से किन्हें राष्ट्रीयकृत किया गया है और कब से किया गया है तथा किन कम्पनियों को अभी तक राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है और उनके क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी** : (क) और (ख) उत्पाद की उपलब्धता के आधार पर नए फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल पम्पों) का विकास किया जाता है जो मांग की संभावना और संचालनों की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर होता है। तेल कंपनियों द्वारा प्रत्येक वर्ष में औसतन 200 फुटकर बिक्री केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई थी। 30-11-1979 से 30-11-1980 की अवधि के दौरान, ऐसा सूचित किया गया है कि तेल कंपनियों ने 194 फुटकर बिक्री केन्द्र (लीन डीजल और पेट्रोल/डीजल पंपों सहित) जोड़े/खोले हैं, जो निम्नलिखित हैं :—

| कंपनियां | लोन एच. एस. डी. | एम. एस./एच. एस. डी. सम्मिलित |
|---|---|---|
| इंडियन आयल कार्पोरेशन (3-9-80 तक) | 111 | 22 |
| हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन | 27 | — |
| भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन | 5 | 4 |
| इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कं० | 9 | 14 |
| असम आयल कं० | 2 | — |

30-11-1979 और 30-11-1980 की यथास्थिति में फुटकर बिक्री केन्द्रों के राज्यवार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उपर्युक्त पांच तेल विपणन कंपनियों में से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन एस्सो और कालटेक्स की उत्तराधिकारी हैं जिनका क्रमशः 13-3-1974 और 30-12-1976 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन बर्मा शैल की उत्तराधिकारी है जिसका 24-1-1976 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। असम तेल कंपनी को अधिग्रहण करने के संबंध में बातचीत की जा रही है।

**फिल्मों के अर्द्ध-नग्न तथा कामोत्तेजक दृश्यों को दिखाए जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विधेयक**

3994. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का फिल्मों में अर्द्ध-नग्न तथा कामोत्तेजक दृश्यों को दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए शीघ्र ही एक विधेयक लाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक; और

(ख) क्या सभी राज्यों के सूचना और प्रसारण मंत्रियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सेंसर बोर्ड को यह आदेश जारी किए हैं कि फिल्मों से कामोत्तेजक दृश्यों का कड़ाई से सेंसर किया जाय और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जाती हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न हो । फिल्मों में अर्द्ध-नग्न और सैक्सी दृश्यों से निपटने के लिए बोर्ड के लिए और मार्गदर्शी सिद्धान्त या कानून जरूरी नहीं समझा जाता।

**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों द्वारा बम्बई हाई गैस का उपयोग**

3995. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई से प्राप्त गैस को उपयोग में लाए जाने हेतु प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित करने का आधार क्या है;

(ख) इस समय प्राप्त बम्बई हाई गैस में से कितना प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और शेष गैस को इस समय किस प्रकार उपयोग में लाया जा रहा हैं; और

(ग) विद्युत उत्पादन के लिए गैस के उपयोगीकरण के बारे में क्या प्रस्ताव हैं और उस पर सरकार के निर्णय क्या हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) प्राकृतिक गैस में विद्यमान प्रत्येक विखंड की अवसर लागत पर प्राकृतिक गैस के उपयोग के आधार पर प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन में कुछ सी-3 विखंडन के साथ सी-4 विखंड का, पेट्रोरसायनों के उत्पादन में सी-2 और सी-3 विखंडनों का और सी-1 विखंड (लीन गैस) का नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में अनुकूलतम आर्थिक उपयोग है।

(ख) उच्च दबाब वाली सम्बद्ध गैस के लगभग 50% को, जिसको इस समय परिवहन किया जा सकता है, मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमि० को जिस मात्रा में वह खपत कर सकती है दी जा रही है, शेष मैसर्स टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी को अस्थायी आधार पर केवल अंतरिम व्यवस्था के रूप में जब तक उर्वरक और पेट्रोलियम संयंत्र इसको पूर्ण रूप से उपयोग करने में समर्थ नहीं होने, दी जा रही है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने एम० एस० ई० बी० की टरबाइन प्रायोजना हेतु गैस सप्लाई के लिए अनुरोध किया है परन्तु उस पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**एलकोहल, मिश्रित पेट्रोल ईंधन**

3996. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एलकोहल की पर्याप्त सप्लाई और मूल्य-निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण एलकोहल-मिश्रित पेट्रोल ईंधन के लिए परियोजना में विलम्ब हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि लम्बे अध्ययन तथा मूल्यांकन के बाद सरकार ने बहूमूल्य पेट्रोल ईंधन बचाने के लिए गैसोलीन के साथ 20 प्रतिशत तथा ईथानोल मिलाने के प्रस्ताव पर अंतिम रूप से स्वीकृति दे दी है;

(ग) क्या भारतीय तेल निगम ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थानों के सहयोग से सामान्य उपयोग के लिए एलकोहल मिश्रित ईंधन की सिफारिश भी की है; और

(घ) यदि हां, तो नए मिश्रित ईंधन के निर्माण और वितरण के बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय किए जाने में विलम्ब के क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) से (घ) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने भारतीय पेट्रोलियम, संस्थान के साथ विस्तृत क्षेत्र परीक्षण किए हैं तथा 20 प्रतिशत अल्कोहल के पेट्रोल के साथ मिश्रण का मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग की अनुशंसा की है। सरकार द्वारा अल्कोहल के पेट्रोल के साथ मिश्रण के प्रयोग की जांच के लिए गठित अन्तर्विभागीय समिति ने भी इसी प्रकार की अनुशंसा की हैं। समिति की रिपोर्ट पर इस मंत्रालय ने विचार किया था। हालांकि अल्कोहल के साथ पेट्रोल की ब्लैंडिंग की तकनीकी संभाव्यता स्थापित हो चुकी हैं, अल्कोहल उपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

**तेल के लिए वस्तु विनिमय व्यवस्था करने का अनुरोध**

3997. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक तेल उत्पादक देशों ने अपने तेल विनिमय के रूप में भारतीय वस्तुओं की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और क्या भारत सरकार इस पर सहमत हो गयी है ?

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी नहीं। किन्तु यह कहा जा सकता है कि यू० एस० एस० आर० द्वारा व्यापार योजना के अधीन कच्चे तेल की पूर्ति का मूल्य वस्तुओं के निर्यात से चुकाया जाता है। 1979 तथा 1980 के दौरान व्यापार योजना के अतिरिक्त तेल की मात्राओं की पूर्ति चावल तथा अन्य वस्तुओं के बदले में थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**विभिन्न विषयों पर संसद सदस्यों की संयुक्त अथवा वैयक्तिक वार्ताओं का प्रसारण**

3998. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी का दिल्ली केन्द्र विभिन्न विषयों पर विभिन्न दलों के संसद सदस्यों की संयुक्त अथवा वैयक्तिक वार्ताओं के प्रसारण आयोजित करता है; और

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान आयोजित वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और उसमें भाग लेने वाले संसद सदस्यों के नाम, पते आदि क्या हैं और वे किस दल से सम्बन्धित हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) सूचना विवरण में दी गई है ।

**विवरण**

| क्रम सं० | प्रसारण का विषय | संसद सदस्यों के नाम तथा उस दल का नाम जिससे वे सम्बद्ध हैं | प्रसारण की तारीख |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | चर्चा का विषय है : "लोक सभा के नव निर्वाचित सदस्यों का दायित्व" | (i) श्री जगदीश टाइटलर, (कांग्रेस-आई) | 16-1-80 |
| | | (ii) श्री धर्मदास शास्त्री, (कांग्रेस-आई) | |
| | | (iii) श्री चांगुर राम, (कांग्रेस-आई) | |
| | | (iv) श्री तारिक अनवर, (कांग्रेस-आई) | |
| 2. | गांधी जी और प्रजातन्त्र : वार्ता | श्री भगवान दीन, (कांग्रेस-आई) | 25-1-80 |
| 3. | सर्वोदय दिवस : लोक तन्त्र और सर्वोदय : वार्ता | श्री चन्द्रजीत यादव, (लोक दल) | 30-1-80 |
| | (2) श्रमिक आन्दोलन का महान स्तम्भ वी० वी० गिरी : वार्ता | | 25-6-80 |
| 4. | महात्मा गांधी : वार्ता | श्रीमती अजीजा इमाम, (कांग्रेस-यू) | 30-1-80 |
| 5. | संसद में विरोधी दलों की भूमिका : विचार-विमर्श | श्री जे० पी० माथुर, | 1-2-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | (2) राज्यों की नवगठित सरकारों के सामने चुनौतियां : "चर्चा का विषय है" में परिचर्चा | | 11-6-80 |
| | (3) टकराव की राजनीति देश के लिए साधक है या दल हित के लिए | | 26-11-80 |
| 6. | चर्चा का विषय है : "मंहगाई कितनी कृत्रिम कितनी वास्तविक" : परिचर्चा | श्री एच० के० एल० भगत | 6-2-80 |
| | (2) चर्चा का विषय है : उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण और मूल्य नियन्त्रण : परिचर्चा | | 6-8-80 |
| | (3) चैलेंजिज टू अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम (3) राइट टू रिकाल : परिचर्चा | | 7-10-80 |
| 7. | रेसिटेशन ऑफ हिज पोइम्स | श्री काजी सलीम, (कांग्रेस-आई) | 6-2-80<br>14-7-80 |
| 8. | फखरुद्दीन अली अहमद पर वार्ता : | श्री खुर्शीद आलम खां, (कांग्रेस-आई) | 11-2-80 |
| 9. | नए मूल्यों की तलाश : कला के क्षेत्र में : वार्ता | श्री श्रीकान्त वर्मा, | 21-2-80 |
| | (2) पोएट्री रेसिटेशन | | 4-5-80 |
| 10. | चर्चा का विषय है : "असम" : प्रश्न राष्ट्रीय एकता का | डा० शंकरदयाल शर्मा, (कांग्रेस-आई) | 27-2-80 |
| | (2) चर्चा का विषय है : पूर्वोत्तर अंचल में हिंसा की राजनीति : परिचर्चा | | 16-7-80 |
| | (3) चर्चा का विषय है : "साम्प्रदायिक सदभाव और नागरिक दायित्व" | | 27-8-80 |
| | (4) चैलेंजिज टू अवर पार्लियामेंट्री सिस्टम : डिफेक्शन : वार्ताओं के राष्ट्रीय कार्यक्रम में परिचर्चा | | 23-9-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 11. | महंगाई और व्यापारी विचार-विमर्श : | श्री भीकू राम जैन, (कांग्रेस-आई) | 7-3-80 |
| | (2) मूल्य-वृद्धि की रोक-थाम : विचार-विमर्श | | 6-6-80 |
| | (3) चर्चा का विषय है : चीनी और खाद्यानों का मूल्य | | 19-1-80 |
| 12. | प्रश्न है नारी की शील-रक्षा का : चर्चा | श्रीमती मोहसिना किदवई, (कांग्रेस-आई) | 12-3-80 |
| | (2) टकराव की राजनीति देश हित के लिए या दल हित के लिए : | | 26-11-80 |
| 13. | गांधीजी और स्वदेशी : वार्ता | श्री रामायण राय, (कांग्रेस-आई) | 14-3-80 |
| | (2) गांधीजी और विश्व शान्ति : वार्ता | | 22-8-80 |
| | (3) गांधीजी और आत्मविश्वास : वार्ता | | 3-10-80 |
| 14. | हरिजन समस्या और समाज : वार्ता | श्री भोला पासवान शास्त्री, (कांग्रेस-आई) | 26-3-80 |
| 15. | बी० आई० लेनिन की 110वीं जयन्ती के अवसर पर वार्ता | प्रो० हिरेन मुखर्जी, (सी० पी० आई०) | 22-4-80 |
| 16. | सैक्यूलरिज्म एज आई सी इट : वार्ता | श्री खुशवन्त सिंह (नामित) | 20-5-80 |
| 17. | चर्चा का विषय है : राज्यों की नव-गठित सरकारों के सामने चुनौतियां : परिचर्चा | श्री प्रकाश मेहरोत्रा, (कांग्रेस-आई) | 11-6-80 |
| 18. | सन् 1980 का आम बजट : परिचर्चा | श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, (भा० ज० पा०) | 18-6-80 |
| 19. | नई पीढ़ी और श्रम की प्रतिष्ठा : अखिल भारतीय कार्यक्रम में परिचर्चा | श्री राजेश पाइलट, | 23-6-80 |
| | (2) प्रश्न है राष्ट्रीय एकता का | | 12-11-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 20. | गांधी चर्चा : गांधी और दहेज : वार्ता | श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे, (कांग्रेस-आई) | 11-7-80 |
| | (2) गांधीजी और लोकतन्त्र : वार्ता | | 12-9-80 |
| 21. | चर्चा : पूर्वोत्तर अंचल में हिंसा की राजनीति : परिचर्चा | श्री कृष्णचन्द्र हलधर, [सी० पी० आई० (एम)] | 16-7-80 |
| 22. | चर्चा : धान का वसूली मूल्य | श्री जमील-उर-रहमान, (कांग्रेस-आई) | 30-7-80 |
| 23. | गांधीजी और श्रम की महत्ता : वार्ता | श्री नरसिंह नारायण पाण्डे, (कांग्रेस आई) | 1-8-80 |
| | (2) खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य | | 8-10-80 |
| 24. | भारतीय संस्कृति और लोकमान्य तिलक : वार्ता | श्री सुधाकर पाण्डे, (कांग्रेस-आई) | 1-8-80 |
| 25. | सैक्यूलरिज्म एज आई सी इट : वार्ता | श्री अटल बिहारी वाजपेयी, (भा० ज० पा०) | 12-8-80 |
| 26. | गांधीजी के सपनों का भारत : वार्ता | श्री दिनेश सिंह, (कांग्रेस-आई) | 15-8-80 |
| 27. | पिछड़े और कमजोर वर्ग की सुरक्षा : वार्ता | श्री एम० आर० सिन्धिया, (कांग्रेस-आई) | 16-8-80 |
| 28. | चैलेंज टु आवर पार्लियामैंट्री सिस्टम, कास्टली इलैक्शन | श्री ज्योतिर्मय बसु, (सी० पी० आई० (एम)) | 9-9-80 |
| 29. | –तथैव– | डा० रफीक जकारिया, (कांग्रेस-आई) | 9-9-80 |
| 30. | लाल बहादुर शास्त्री पर वार्ता | श्री हरिकृष्ण शास्त्री, (कांग्रेस-आई) | 2-10-80 |
| 31. | चर्चा : लोक तन्त्र और राम राज्य | श्री बी० एन० पाण्डे | 15-10-80 |
| | (2) इतिहास के झरोखे से : सुलहकुल | (कांग्रेस-आई) | 27-10-80 |
| | (3) इतिहास के झरोखे से : संस्कृति संगम | | 3-11-80 |
| | (4) नेहरूजी के सान्निध्य में : वार्ता | | 15-11-80 |
| 32. | ईद पर वार्ता | श्री तैयब हुसैन, (कांग्रेस-आई) | 20-10-80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 33. | ईद-उल-जुहा : वार्ता | मौलाना तैयद अहमद हाशमी, (लोक दल) | 20-10-80 |
| 34. | यू० एन० डे पर वार्ता | श्रीमती मैमूना सुल्तान, (कांग्रेस-आई) | 24-10-80 |
| 35. | चर्चा : देश का विकास और वर्तमान शासन प्रणाली, परिचर्चा | श्री श्याम सुन्दर महापात्र, (कांग्रेस-आई) | 29-10-80 |
| 36. | वर्तमान विधि व्यवस्था और सामाजिक न्याय : परिचर्चा | श्री नवल किशोर शर्मा, (कांग्रेस-आई) | 5-11-80 |
| 37. | स्वामी दयानन्द और समाज सुधार : हिन्दी में वार्ता | श्री आचार्य भगवान देव, (कांग्रेस-आई) | 7-11-80 |
| 38. | चैलेंजेज टू अवर पार्लियामैंट्री सिस्टम : आर टू हाऊसेंज निसैस्सरी, परिचर्चा | श्री भूपेश गुप्त, (सी० पी० आई०) | 11-11-80 |
| 39. | —तथैव— | श्री मुरली भंडारे, (कांग्रेस-आई) | 11-11-80 |
| 40. | ग्राम विकास और नेहरू जी | श्री मलिक मशीर अहमद खां, (कांग्रेस-आई) | 14-11-80 |

**त्रिपुरा में दोखिया स्ट्रक्चर में खुदाई**

3999. **श्री अजय श्रीविश्वास :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत-सोवियत दल त्रिपुरा में दोखिया स्ट्रक्चर में खुदाई के कार्य को प्रारंभ करने में विलम्ब किये जाने के क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** मै० टैक्नो-एक्सपोर्ट, मास्को के साथ करार पर हस्ताक्षर अप्रैल, 1980 में हुए। रूसी व्यधन दल 20.11.80 को भारत में आया और दोखिया में व्यधन कार्य 28.11.80 से प्रारम्भ हो चुका है। व्यधन कार्य में विलम्ब कुछ उस स्थान पर आन्दोलन की स्थिति तथा कुछ रूसी कर्मीदल के आने में लगने वाले समय के कारण हुआ।

**मध्य प्रदेश को पैराफिन मोम का आवंटन**

4000. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश को पैराफिन मोम की अपनी अपिष्ठापित क्षमता का 10 प्रतिशत तक आवंटन किया जा रहा है; और

(ख) पैराफिन मोम का पर्याप्त मात्रा का आवंटन करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने बतलाया है कि उसकी वर्तमान मोम पर आधारित उद्योगों की क्षमता का अनुमान 15,000 मी. टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश को वर्ष 1979 का आवंटन 1052 मी. टन था तथा 1980 में भी उसी स्तर को बनाये रखा गया। आवंटन सीमित उपलब्धता की कठिनाइयों तथा सभी राज्यों को समान वितरण की आवश्यकता को ध्यान में रख कर किया जाता है। इस प्रकार से आवंटन करने के बाद भी मध्य प्रदेश ने पिछले 3 वर्षों में कुल आवंटन की केवल 65-85% ही उठाया।

(ख) देश में पैराफिन मोम की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(1) आयात नीति में परिवर्तन करके पैराफिन मोम का आयात मै. वामर (इस मंत्रालय की एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) के माध्यम से व्यवस्थित किया गया है। पिछले तीन वर्षों में कुल आयातित मात्रा नीचे दी गई है :

1977 — 100 मी. टन

1978—7747 मी. टन

1979—10544 मी. टन

(2) मद्रास शोधनशाला में 20,000 मी. टन प्रति वर्ष पैराफिन मोम के उत्पादन के लिए एक परियोजना को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ।

**सिंध के शरणार्थियों को राजस्थान में बसाया जाना**

4001. **श्री जय नारायण सिंह रौत** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र ने राजस्थान सरकार को कहा है कि उन 3000 परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए जो सिंध से हाल में आए हैं और पुनर्वास के लिए अतिरिक्त व्यय का वहन केन्द्र द्वारा किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां। भारत-पाक संघर्ष, 1971 के दौरान भारत में आए और राहत शिविरों में रखे गए 8600 विस्थापित व्यक्ति परिवारों में लगभग 3000 विस्थापित व्यक्ति परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में बसाने की एक योजना अब मंजूर की जा चुकी है ।

(ख) प्रत्येक पात्र विस्थापित व्यक्ति परिवार को आवंटित करने के लिए, प्रति मुरब्बा लगभग 16 एकड़ की दर से 3,000 मुरब्बा भूमि के विकास की लागत,

27,000 रुपए प्रति मुरब्बा की दर से राज्य सरकार को 810 लाख रुपए सीधे ऋण के रूप में और राजस्थान नहर क्षेत्र में आधार भूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 3000 रुपए प्रति परिवार की दर से 90 लाख रुपए मंजूर किए जाने के अतिरिक्त; झोंपड़ों के निर्माण हेतु 950 रुपए और बैलों की जोड़ी/ऊंट, बीज, उर्वरक, खाद, चारा और भूमि उधार आदि के लिए प्रति परिवार 6750/-रुपए राज्य सरकार द्वारा आगे विस्थापितों को ऋण के रूप में देने की व्यवस्था है।

**धारा 408 ने अन्तर्गत कम्पनी बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति**

4002. **श्री भीकूराम जैन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1 फरवरी, 1980 से आज तक की तारीख तक किन-किन कम्पनियों पर धारा 408 लागू कर दी है अथवा उसका विस्तार कर दिया है; और

(ख) सरकार ने इन कम्पनियों के बोर्डों में कितने-कितने निदेशकों की नियुक्ति की है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

| क्रम सं० | कम्पनी का नाम | निदेशक का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | मैसर्स साउथ इण्डिया विस्कोस कोयम्बटूर (तमिलनाडु) | (1) श्री जे० वी० राव,<br>(2) श्री पी० वी० रतनम |
| 2. | मैसर्स सेन्डूर मैंगेनीज एन्ड औरे आयरन ओरेज, लि०, बैलोरी कर्नाटक | (1) श्री एस० एम० युसुफ<br>(2) श्री टी० वाई० नाइडू |
| 3. | मैसर्स त्रिसूर इण्डिया लिमिटेड बम्बई | (1) श्री एच० भाया<br>(2) श्री नन्जुदियाह<br>(3) श्री सत्यनारायण पैटी |
| 4. | मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता | (1) श्री ज़े० जी० कुमारा मंगलम्<br>(2) कुमारी रोमा मजूमदार<br>(3) श्री बी० सी० राय<br>(4) श्री सुबीर नन्दी |
| 5. | मैसर्स नैशनल रेयन, कारपोरेशन लि० बम्बई | 11-7-80 से 10-9-80 तक की अवधि के लिये |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | (1) श्री बी० आर० पटेल |
| | | (2) श्री बी० के० दत्त |
| | | (3) श्री जी० के० अम्यन्कर |
| | | (4) श्री के० सी० रामन |
| | | (5) श्री वी० आर० हरिभक्ति |
| | | (6) श्री आर० एम० मेहता |
| | | (7) श्री बी० सी० रनदेरिया |
| | | 11-9-80 से 10-7-1983 तक की अवधि के लिये |
| | | (1) श्री पी० जे० सेठ |
| | | (2) श्री राजेश्वर प्रसाद |
| | | (3) श्री के० एस० राजन |
| | | (4) श्री एस० डी० वर्मा |
| | | (5) श्री ए० सी० जैन |
| | | (6) डा० इन्द्रजीत सिंह |
| | | (7) श्री रनजीत सिंह |
| | | (8) श्री रमेश सी जैन |

**तेल की सप्लाई क सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा नार्वे का दौरा**

4003. **श्री लक्ष्मण सिंह मलिक :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने भारत को अशोधित तेल की सप्लाई के बारे में हाल में नार्वे का दौरा किया; और

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में 1980-81 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना**

4004. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषकर बटोदरा जिले में 1980-81 के दौरान कितनी यामीण विद्युतीकरण योजनाओं को शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) हरिजन बस्तियों अथवा बडोदरा जिले की कालोनियों सहित कितनी योजनाओं पर कार्य शुरू किया गया और पूरा हो गया है; और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए और इस कार्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितना ऋण स्वीकृत किया गया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान 30-11-1980 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गुजरात राज्य की 23 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। तथापि, वडोदरा जिले की कोई स्कीम इन स्कीमों में शामिल नहीं है। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31-3-1980 तक स्वीकृत की गई 186 स्कीमों के संबंध में कार्य प्रगति पर है। इनमें से 17 स्कीमें बडोदरा जिले में क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमें सामान्यतः पांच वर्ष तक की अवधि में क्रियान्वित की जानी होती हैं, जिनके लिए ऋण किस्तों में दिया जाता है। मार्च, 1980 के अन्त तक वडोदरा जिले के लिए स्वीकृत की गई 17 स्कीमों में से 5 स्कीमों के अन्तर्गत आने वाले सभी गांव तथा 3 अन्य स्कीमों के अन्तर्गत आने वाली सभी 332 हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत कर दी गई हैं।

(ग) 30-11-1980 तक ग्राम विद्युतीकरण निगम ने गुजरात की स्कीमों के लिए लगभग 56.67 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 5.01 करोड़ रुपए 1980-81 के दौरान स्वीकृत की गई स्कीमों के लिए हैं। वडोदरा जिले में 17 स्कीमों की वित्त व्यवस्था के लिए स्वीकृत ऋण राशि 8.40 करोड़ रुपए है।

**मैसर्स स्टैडमेड (प्राइवेट) लि० का बन्द किया जाना**

4005. **श्री इन्द्रजी गुप्त** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स स्टैडमेड (प्राइवेट) लि०, कलकत्ता का कारखाना तथा प्रधान कार्यालय 31 मार्च, 1980 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या इस कम्पनी द्वारा 100 से अधिक औषध और औषधियों का निर्माण किया जाता था और "हाथी" समिति द्वारा इसे "ए" वर्ग की विनिर्माण कम्पनी घोषित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कम्पनी ने इसे बन्द करने के लिए यह बहाना किया है कि वह अपने कारखाने को किसी न किसी आधार पर पश्चिम बंगाल से बाहर ले जा रही है; और

(घ) क्या सरकार का इस महत्वपूर्ण रासायनिक संयंत्र का अपने अधिकार में लेने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)**: (क) से (ग) स्टेडमेड (प्रा०) लिमिटेड मजदूर यूनियन, कलकत्ता के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन के माध्यम से सरकार

का ध्यान आकृष्ट कराया है कि मैसर्स स्टेडमेड (प्रा०) लि० कलकत्ता का कारखाना और कार्यालय 31 मार्च, 1980 से बन्द है। ज्ञापन में यह बताया गया है कि कम्पनी के पास 100 मदों से अधिक औषधों और भेषजों के उत्पादन करने का लाइसेंस है किन्तु फिलहाल यह सिर्फ 40 मदों का उत्पादन कर रही है। ज्ञापन में यह भी दावा किया गया है कि हाथी समिति ने कम्पनी "ए" श्रेणी में वर्गीकृत किया था। यद्यपि सरकार से हाथी समिति की रिपोर्ट में जो वर्ष 1975 में प्रस्तुत की गई थी (जिसकी प्रक प्रति सभा पटल पर दिनांक 8.5.1975 को प्रस्तुत की गई थी) ऐसे वर्गीकरण का ज्ञान नहीं है।

ज्ञापन में यह दोषारोपण किया गया है कि प्रबन्धक ने दमदम पश्चिम बंगाल के कारखाने को पश्चिम बंगाल के संचालन स्थल से उत्तर प्रदेश में किसी गूढ़ इरादे से स्थानान्तरित करने के लिए और कामगारों को उनके मंहगाई भत्ते और अन्य लाभों के उचित बकायों से वंचित रखा जाए।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार के परामर्श से विस्तृत सूचना एकत्र करने के बाद ही कोई राय कायम की जा सकेगी जिन्हें इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है।

**फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में डीजल की कमी**

4006. **श्री राम अबध :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन में डीजल की अत्यधिक कमी है जिसके कारण किसानों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या रवी फसल की बुआई में सिंचाई करने हेतु पम्प सैटों को चलाने के लिए अधिक डीजल की आवश्यकता है और सरकार ने इस क्षेत्र के लिये कम डीजल नियत किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तात्कालिक उपचारात्मक उपाय करने पर विचार कर रही है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) :** (क) से (ग) यह मंत्रालय हाई स्पीड डीजल तेल का आवंटन उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को करता है। उत्पाद का वास्तविक वितरण किये गये आवंटन के अन्तर्गत करना संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, जिनको यह सलाह दी गई है कि खपत के विभिन्न प्राथमिकता के क्षेत्रों में उत्पाद का सम-वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को गतिशील बनायें। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वह कृषि के लिए डीजल की आवश्यकताओं को उच्चतम प्राथमिकता दें। उत्तर प्रदेश को गत कुछ महीनों में किया गया डीजल का आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों के मूल आवंटन से 5 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित है। अक्तूबर और नवम्बर, 1980 के दौरान उत्तर प्रदेश के आवंटन में तदर्थ वृद्धि भी दी गई। सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद डिवीजन के कृषक डीजल की कमी के कारण कठिनाई उठा रहे हैं।

**गुजरात के पिछड़े जिलों में कुकिंग गैस ऐजेंसी का आवंटन**

4007. **श्री शान्तुभाई पटेल** : पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार गुजरात में साबरकण्ठ और बनासकण्ठ के पिछड़े जिलों में कुकिंग गैस एजेंसी देने सम्बन्धी मांग को मान रही है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) गुजरात में ऐसे जिलों की संख्या और नाम क्या हैं जहां कुकिंग गैस की ऐजेंसियां विद्यमान हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) एवं (ख) तेल उद्योग द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान हिम्मतनगर, साबरकठ के जिला मुख्यालय, तथा पालनपुर, बनासकंठ के जिला मुख्यालय में प्रत्येक स्थान पर एक-एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ऐजेंसी खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग) आजकल गुजरात में निम्नलिखित जिलों में खाना पकाने की गैस का विपणन किया जा रहा है :

1. अहमदाबाद
2. अमरेली
3. बड़ोदा
4. भरुच
5. भावनगर
6. गांधीनगर
7. जामनगर
8. जूनागढ़
9. खेड़ा
10. कच्छ
11. पंच महल
12. राजकोट
13. सुरेन्द्रनगर
14. सूरत
15. बलसड
16. मेहसाना
17. बनासकंठ

**तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय की क्रियान्विति**

4008 **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में मेहसाना के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति संघ ने पदोन्नति तथा संवर्ग-समेजनों के विरुद्ध गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया; और

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने उक्त निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस पर कोई अन्तिम निर्णय अभी दिया जाना है । 28-3-1979 को गुजरात उच्च न्यायालय ने केवल अन्तरिम आदेश दिया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं दिया है । तथापि तिथि 28-3-1979 के अन्तरिम आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है ।

**बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी**

4009. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिजली में कमी के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में कितनी कमी हुई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिजली पूर्ति में कितनी कमी रही; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान बिजली पूर्ति में किती कमी चल रही है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) उत्पादन में हानि के कारणों में एक कारण विद्युत की कमी है । तथापि, अकेले विद्युत की कमी के कारण उत्पादन में हुई हानि की मात्रा बताई नहीं जा सकती ।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्ष के दौरान ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता, सप्लाई और प्रतिशत कमी नीचे दिए गए अनुसार रही है :

**अखिल भारत**

| वर्ष | प्रत्याशित आवश्यकता (जी. डब्ल्यू. एच.) | सप्लाई (जी. डब्ल्यू. एच.) | कम (जी. डब्ल्यू. एच.) | कमी (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1977-78 | 102180 | 86343 | 15837 | 15.5 |
| 1978-79 | 108535 | 97349 | 11186 | 10.3 |
| 1979-80 | 118370 | 99302 | 19068 | 16.1 |
| 1980-81 | 127325 | 113000 | 14325 | 11·3 |

इस प्रकार वर्ष 1980-81 के दौरान ऊर्जा की प्रत्याशित कमी लगभग 11.3% होने का अनुमान है जो पिछले वर्ष से कम है ।

**देश में बने जेनरेटिंग सेटों का आयातित सेटों की तुलना में कार्यकरण**

4010. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

**श्री मंगल राम प्रेमी** :

**श्री दौलत राम सारण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बने जेनरेटिंग सैटों का कार्यकरण अच्छा नहीं रहा है जिसके फलस्वरूप देश में तापीय बिजली केन्द्रों का कार्य-निष्पादन कम रहा;

(ख) यदि हां, तो आयातित सैटों की तुलना देश में बने जेनरेटिंग सैटों का कार्यकरण, क्षमता तथा उत्पादन की दृष्टि से, कैसा रहा; और

(ग) उक्त कार्य-निष्पादन में सुधार करने के प्रयोजन से सरकार द्वारा क्या कदम बठाए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) देश में निर्मित उत्पादन सैटों के कार्य निष्पादन के संबंध में, ऐसे यूनिट हैं जो स्थिर होने में अधिक समय ले रहे हैं। इन यूनिटों के सहायक उपस्करों में भी प्रचालन संबंधी कठिनाइयां आ रही हैं।

(ख) राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 1974-75 से 1978-79 की अवधि के दौरान, देशी विद्युत उत्पादन सैटों और आयातित सैटों की बाबत यूनिटों की संख्या, कुल क्षमता, उपलब्धता तथा संयंत्र भार अनुपात बनाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) ताप विद्युत संयंत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) रूप विन्यास, डिजाइन और इंजीनियरी निर्माण, उत्थापन और चालू किए जाने संबंधी कमियों को जिस सीमा तक सुधारा जाना संभव है उस सीमा तक इन कमियों को परियोजना प्राधिकारियों और निर्माताओं के नवीकरण दलों द्वारा सुधारा जा रहा है।

(2) प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने के लिए, कुछ मामलों में निर्माताओं ने नए सिरे से सहयोग संबंधी व्यवस्था की है।

(3) नए चालू किए गए 200 मेगावाट के जिन यूनिटों ने सुस्थिर होने में लम्बा समय लिया है उनके मामले में समस्याओं का पता लगाने तथा एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत उपचारात्मक उपाय करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० इन्स्ट्रूमेंटेशन लि० कोटा और परियोजना प्राधिकारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(4) हल खोजने के लिए विविध संगठनों के वर्कशाप आयोजित किए जा रहे हैं।

(5) सभी विद्युत केन्द्रों को सलाह दी गई है कि वे एक "सुधार-एवं-नवीकरण कार्यक्रम की संरचना तैयार करने के लिए वे अलग-अलग विधाओं के 4/5 इंजीनियरों के एक कृतिक बल का गठन करें। राज्य बिजली बोर्डों को परिपत्रित किए गए कागजातों में इस प्रकार की संरचना के बाबत समझाया गया है।

(6) उपस्कर सप्लाईकर्ता आर राज्य बिजली बोर्डों के बीच किए जाने वाला एक माडल संविदा पत्र, विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए विद्युत विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक पार्टी के उत्तरदायित्व का, निर्माण, उत्थापन और चालू किए जाने आदि के दौरान गुणवत्ता संबंधी योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा इस संविदा पत्र में समाविष्ट होगा।

(7) बड़े ताप विद्युत केन्द्रों के अनुरक्षण और प्रचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों में से प्रशिक्षित कार्मिक तैयार करने के लिए एक विद्युत इंजीनियर प्रशिक्षण सोसायटी का गठन किया गया है। प्रशिक्षण संस्थान इस सोसायटी से सम्बद्ध है। विभिन्न राज्यों से भेजे गए कार्मिकों के लिए ये संस्थान पूर्णकालीन पाठ्यक्रम नियमित तौर पर चलाते हैं। विशिष्ट अनुरोध किए जाने पर संक्षिप्त पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

**विवरण**

भारत में स्वदेशी और आयातित विद्युत संयंत्रों का पिछले पांच वर्षों का कार्य-निष्पादन

(1974-75 से 1978-79)

| | 1974-75 | 75-76 | 76-77 | 77-78 | 78-79 |
|---|---|---|---|---|---|
| (क) स्वदेशी | | | | | |
| 1. यूनिटों की संख्या : | 17 | 24 | 30 | 38 | 46 |
| 2. ह्रासित क्षमता (मेगा.) | 1360 | 2080 | 2720 | 3530 | 4670 |
| 3. संयंत्र भार अनुपात (%) | 43.23 | 43.00 | 40.99 | 37.82 | 41.11 |
| 4. उपलब्धता | 64.37 | 63.58 | 58.23 | 55.61 | 61.68 |
| (ख) आयातित | | | | | |
| 1. यूनिटों की संख्या | 112 | 113 | 115 | 115 | 115 |
| 2. ह्रासित क्षमता (मेगा.) | 6818.5 | 6938.5 | 7178.5 | 7165 | 7165 |
| 3. संयंत्र भार अनुपात(%) | 54.25 | 54.28 | 60.56 | 59.68 | 55.62 |
| 4. उपलब्धता | 78.20 | 76.60 | 83.72 | 80.29 | 77.07 |

**पाकिस्तान से छम्ब में आये शरणार्थियों को मतदान के अधिकार**

4011. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से आए उन शरणार्थियों को, जो जम्मू तथा काश्मीर छम्ब क्षेत्र में बस गये थे 1976 तक मतदान अधिकार से वंचित रखा गया था; और

(ख) क्या उपरोक्त शरणार्थियों को उस जमीन पर मालिकाना हक अभी भी नहीं दिये जा रहे हैं जिस पर वे 1947 से खेती कर रहे हैं ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन)** : राज्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अन्तर्गत ये व्यक्ति विधान सभा के चुनावों में मतदान देने के पात्र नहीं हैं। उनके मतदान के अधिकार, संसदीय चुनावों तक ही सीमित रखे गए हैं।

(ख) पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को उस जमीन पर, जिस पर कि वे खेती कर रहे हैं, मालिकाना हक नहीं दिए गए हैं परन्तु भूमि सुधार अधिनियम, 1976 की धारा 17 के अंतर्गत उनके कब्जे के अधीन भूमि में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जाएगी ।

**उर्वरकों का उत्पादन**

4012. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों की उत्पादन लागत और बिक्री दर क्या है;

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि के कारण उर्वरकों के इस्तेमाल में कमी आई है; और

(ग) क्या कृषि उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए उर्वरकों का मूल्य बढ़ाया जाएगा ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) विभिन्न उर्वरकों की उत्पादन लागत प्लांट दर प्लांट बदलती रहती है जो पूजी लागत विन्टेज, अपनाई प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रयुक्त फीडस्टाक, अनुरक्षण लागत आदि गुद्दों पर निर्भर करती है ।

विभिन्न उर्वरकों के वर्तमान मूल्य संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं ।

(ख) हाल के उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि का उर्वरकों की खपत पर प्रभाव इतना पहले बताया नहीं जा सकता । यह आशा की जाती है कि समग्र उर्वरकों की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार ने किसानों को फसलों की सहायता/उगाही मूल्यों में उपयुक्त वृद्धि कर पूरी प्रतिपूर्ति करने का निर्णय लिया है ।

(ग) उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**विवरण**

**संबंधित विवरण-पत्र**

दिनांक 8-6-1980 से लागू वैधानिक नियंत्रण के अन्तर्गत निर्मित स्वदेशी उर्वरकों का अधिकतम खुदरा मूल्य ।

| उत्पाद का नाम | अधिकतम खुदरा मूल्य, प्रति टन (रुपयों में) |
|---|---|
| 1 2 | 3 |
| 1. यूरिया | 2000 |
| 2. डाय-अमोनियम फास्फेट | 3050 |
| 3. एन० पी० के० (17-17-17) | 2200 |
| 4. पोटाशयुक्त नाइट्रोफास्फेट (15-15-15) | 1800 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 5. | एन० पी० के० (19-19-19) | 2500 |
| 6. | अमोनियम फास्फेट सल्फेट (20-20-20) | 2200 |
| 7. | नाइट्रोफास्फेट (20-20-0) | 2050 |
| 8. | अमोनियम फास्फेट सल्फेट (15-20-0) | 1950 |
| 9. | यूरिया अमोनियम फास्फेट (25-24-0) | 2600 |
| 10. | यूरिया अमोनियम फास्फेट (28-28-0) | 3050 |
| 11. | एन० पी० के० (14-28-14) | 2600 |
| 12. | एन० पी० के० (10-26-26) | 2500 |
| 13. | एन० पी० के० (14-35-14) | 2900 |
| 14. | एन० पी० के० (12-32-16) | 2750 |
| 15. | सुपर फास्फेट ट्रिपल (दानेदार) | 2200 |
| 16. | सुपर फास्फेट ट्रिपल (पाउडर) | 2050 |

**"इम्पोर्टेड पावर इक्विपमेंट लाइंग आइडल इन ए० पी०" शीर्षक समाचार**

4013. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 नवम्बर, 1980 के इण्डियन एक्सप्रेस में "इम्पोर्टेड पावर इक्विपमेंट लाइंग आइडिल इन ए० पी०" (आन्ध्र प्रदेश में बेकार पड़ा आयातित विद्युत उपकरण) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मूल्यवान उपकरण के बेकार पड़े रहने तथा इसे अपेक्षित कार्य के लिए उपयोग में न लाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो इस लापरवाही के लिए उत्तरदायी हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) नागार्जुन पम्प स्टोरेज स्कीम की यूनिट 3 और 4 के लिए उपस्कर विदेश से मंगाने के आर्डर दे दिए गए हैं। इस उपस्कर के कुछ संघटकों की सप्लाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० द्वारा की जानी है। यद्यपि आयातित संघटक आ गए है किन्तु स्वदेशी भाग की सप्लाई में देरी हुई है क्योंकि पम्प स्टोरेज टर्बाइनों के निर्माण के लिए परिष्कृत प्रौद्योगिकी अपेक्षित है तथा इनका निर्माण देश में पहली बार हाथ में लिया जा रहा है। आशा है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० मार्च, 1980 और अगस्त, 1981 तक अपनी सप्लाई पूरी कर देगा।

**कोयले के उत्पादन और ढुलाई के संबंध में एक पैनल की स्थापना**

4014. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन और उसके ढुलाई का अध्ययन करने के लिए एक पैनल की स्थापना कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) सरकार ने कोयले के उत्पादन और इसके संचलन के अध्ययन के लिए ही कोई अलग चैनल नहीं स्थापित किया है। परन्तु "औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति" अन्य आवश्यक आर्थिक गतिविधियों की निगरानी करने के अलावा कोयले के उत्पादन और उसके संचलन की भी निगरानी करती है।

**ब्रिटेन के औद्योगिक शिष्ट मंडल की यात्रा**

4015. **श्री सुभाष यादव :**

**श्री कृष्ण प्रताप सिंह**

**श्री नवल किशोर शर्मा :**

**श्री भीकू राम जैन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हाल में इस देश की यात्रा पर आए ब्रिटेन के उच्च शक्ति प्राप्त शिष्ट मंडल से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो शिष्ट मंडल के साथ तेल उर्वरकों, पेट्रो-केमिकल्स, औषधियों तथा फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं के बारे में क्या परिणाम निकले ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) लार्ड लिमिरिक, ब्रिटिश ओवरसीज ट्रेडिंग बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक वरिष्ठ ब्रिटिश उद्योग-प्रतियों का मिशन मुझसे नवम्बर, 1980 के अन्तिम सप्ताह में मिला। यह केवल औपचारिक भेंट थी, और दल के साथ किसी विशिष्ट परियोजनाओं पर बातचीत नहीं हुई।

**राज्य सूचना मंत्रियों का सम्मेलन**

4016. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

**श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सूचना मंत्रियों का एक सम्मेलन नवम्बर, 1980 में नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के मुख्य सुझाव और सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री(कुमारी कुमुद बैन एम० जोशी)**(क) जी, हां।

(ख) सम्मेलन ने, और बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल की सिफारिशों, सेंसरशिप तथा सामुदायिक श्रवण और अवलोकन योजनाओं से संबंधित समस्याओं,

रेडियो, दूरदर्शन, क्षेत्रीय प्रचार एककों और गीत और नाटक प्रभाग के एककों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विस्तार और उनमें सुधार, लघु और मझोले समाचार पत्रों के लिए सुविधाओं तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय के बारे में विचार किया था ।

राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल द्वारा की गई सिफारिशों का आमतौर से समर्थन किया गया था । सिनेमा के विषय को राज्य सूची से केन्द्रीय/समवर्ती सूची में अंतरित करने के लिए कार्य दल की सिफारिश पर विचार किया गया था । इस बात पर सहमति थी कि राज्यों की वर्तमान विधायी शक्तियां कम नहीं की जानी चाहिएं । तथापि, केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय स्तर पर अच्छे सिनेमा के विकास में सहायता करने में अर्थ पूर्ण भूमिका अदा कर सके और फिल्म वितरण, फिल्म विधायन प्रयोगशालाओं का कार्यकरण, प्रादेशिक फिल्मों के प्रदर्शन को संवर्धन और अच्छी गुणवत्ता फिल्मों के लिए प्रदर्शन सुविधाएं उपलब्ध करने जैसे क्षेत्रों, जो सभी राज्यों के लिए समान हैं, को विनियमित कर सके तथा उनको युक्तिसंगत और सुप्रवाही बना सके, इसके लिए अधिकांश भाग लेने वाले इस बात से सहमत थे कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों और अच्छे स्तर पर की लघु बजट वाली फिल्मों के निर्माताओं की सहायता करने के लिए उपयुक्त कानूनों को बनाने के लिए आवश्यक समवर्ती अधिकार होने चाहिएं । विशेषकर कमजोर वर्गों और आदिवासी लोगों के लाभ के लिए सामुदायिक श्रवण योजना को जारी रखने की आवश्यकता महसूस की गई । राज्य सरकारें उन क्षेत्रों का पता लगायेंगी जहाँ इन योजनाओं को संशोधित करना चाहिए या जारी रखना चाहिए । सामुदायिक अवलोकन योजना के लिए, योजना आयोग से अनुरोध किया गया है कि वह इन योजनाओं के अन्तर्गत सैटों के लगाने, चलाने और अनुरक्षण के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक धन राशि आबंटित करे । रेडियो सेवा के संबंध में दो मुख्य समस्याएं विदेशी केन्द्रों के हस्तक्षेप और बिजली की कमी की है । इन समस्याओं का समाधान ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ा कर और एफ० एम० ट्रांसमीटरों की व्यवस्था करके किया जायेगा । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करें दूरदर्शन के विस्तार का कार्य चरणों में हाथ में लिया जायेगा । क्षेत्रीय प्रचार एकक राज्य सरकारों के सहयोग से अधिक से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करेंगे । आम सहमति यह थी कि समाचार पत्रों के सकेन्द्रण और प्रस्तावित डिपो की आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम द्वारा सभी राज्यों में अखबारी कागज के दो डिपो खोलने के लिए प्रयास किए जाएं । सम्मेलन ने राज्यों में अन्तः माध्यम प्रचार समन्वय समिति के कार्य संचालन की सराहना की और यह सुझाव दिया कि अधिक स्थायी परिणामों को प्राप्त करने के लिए इसकी गतिविधियों को सुप्रवाही बनाया जाए । सम्मेलन ने सर्वसम्मति से सरकार से यह अनुरोध करने का निर्णय किया कि वह देश में संचार विकास को उचित प्राथमिकता दे और संचार क्षेत्र के लिए अधिक धन राशि दे । सेंसरशिप सम्बन्धी नियमों और विनियमों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों और उनके लागू करने में कठिनाइयों, जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में अन्तर्वेशन होता है और सेंसर बोर्ड द्वारा काटे गए अंशों का प्रदर्शन होता है, पर विचार विमर्श किया गया था। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे वर्तमान ढांचे के अन्तर्गत (1)

प्रत्येक सिनेमाघर, जहां कोई फिल्म-विशेष प्रदर्शित की जाती है और (2) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों में उपलब्ध काट छांट की सूची और सेंसर प्रमाण पत्रों, आदि का उपयोग करके सेंसरशिप नियमों और विनियमों को अधिक शख्ती से लागू करें । राज्य सरकारों ने सेंसरशिप सम्बन्धी नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करने में अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया ।

(ग) कुछ सिफारिशें केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं, जबकि अन्य राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी होंगी । विभिन्न सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है ।

**मैसर्स ग्लूकोनेट लि० द्वारा पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन**

4017. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लूकोनेट लि० (जो कि सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जा चुका है) ने सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना ही, 15 अगस्त, 1980 से पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड का जो कि जीवन रक्षक औषध है, उत्पादन निलम्बित कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त औषध का उत्पादन रुकवाने में कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हाथ है; और

(ग) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो मैसर्स ग्लूकोनेट लि० द्वारा पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन बन्द किए जाने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) मैसर्स ग्लूकोनेट लि० ने 15 अक्तूबर, 1980 से पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन बन्द कर दिया है । इसको कम्पनी के निदेशक मंडल और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कम्पनी का अधिग्रहण किए जाने के फलस्वरूप उसकी प्रबन्धकीय और वित्तीय जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार ने सम्भाल ली है ।

(ख) और (ग) मैसर्स ग्लूकोनेट ने सूचित किया है कि पैथीडीन हाइड्रोक्लोराइड का उत्पादन शुद्ध रूप से जोखिम के आधार पर बन्द किया गया है क्योंकि विशेषज्ञों ने कारखाने के उस भाग को असुरक्षित घोषित कर दिया था जहां उक्त उत्पाद का उत्पादन किया जाता था और यदि उत्पादन जारी रखा जाता तो उससे जान-माल के खतरे की आशंका थी ।

**तमिलनाडु में नियुक्त किए गए विधि अधिकारी**

4018. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में नियुक्त किए गए उन विधि अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें केन्द्र सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में अपनी ओर से मामलों के संचालन के लिए नियुक्त किया है ।

(ख) उसके लिए कितना पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है; और

(ग) उनकी सेवा की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) मद्रास उच्च न्यायालय में केन्द्रीय सरकार के मुकदमों के लिए विधि मन्त्रालय के पास एक वरिष्ठ स्थायी काउन्सेल, चार अपर स्थायी काउन्सेल और वरिष्ठ काउन्सेलों का एक पेनल तथा मद्रास में नगर सिविल न्यायालयों में, किन्तु अन्य न्यायालयों में नहीं, ऐसे मुकदमों के लिए सरकारी प्लीडरों का एक पेनल है । उक्त सरकारी काउन्सेल के काम सदन के पटल पर रखी गई सूची में दिए गए हैं (उपबन्ध-1) । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग विनिर्दिष्ट प्रकार के मामलों के लिए जैसे कि रेल, आय कर आदि के मामलों के लिए काउन्सेल का एक पेनल सीधे ही प्रतिधारित करने या बनाए रखते हैं । इस प्रकार के मामलों का ब्यौरा मेरे मन्त्रालय द्वारा उल्लिखित नहीं होता है ।

(ख) और (ग) उक्त सूची में वर्णित काउन्सेल के निबन्धनों की प्रतियां भी सदन के पटल पर रख दी गई हैं । (उपाबन्ध-2 से उपाबन्ध 4-तक)

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1633/80]

**दूसरे मन्त्रालयों से ऊर्जा मन्त्रालय को स्थानान्तरित किए गए अस्थाई वेतन पाने वाले कर्मचारी**

4019. **श्री आर० पी० यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे मन्त्रालयों/विभागों से जो कर्मचारी उनके मन्त्रालयों में स्थानान्तरित किए गए हैं उन्हें प्रशासन प्रभाग के गलत कार्यकरण के कारण अपने पुराने मन्त्रालयों/विभागों से अन्तिम वेतन-प्रपत्र न मिल पाने की स्थिति में अस्थाई वेतन दिया जा रहा है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, उनके पदनाम क्या हैं और उनके अन्तिम वेतन-प्रपत्र को मंगवाने में अब तक कितना समय लग गया है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि कई माह बीत चुके हैं परन्तु प्रतिनिधि नियुक्ति/स्थानान्तरण पर उनके विभाग में आए ऐसे कर्मचारियों की भविष्य निधि राशि के लेखे भी अभी तक पूर्ण नहीं भरे गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की लापरवाही के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) यह सच नहीं है कि विद्युत विभाग और कोयला विभाग में स्थानान्तरित हुए विभिन्न कर्मचारियों को, उनके पिछले विभागों/मन्त्रालयों से अन्तिम वेतन प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण, अस्थाई वेतन मिल रहा है । तथापि, इस प्रकार का एक मामला है नामशः श्री जी० बी० एस० सोढ़ी का मामला है जो कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सिंचाई और विद्युत संवर्ग के एक नियमित उच्च श्रेणी लिपिक हैं व इस समय विद्युत विभाग में केयरटेकर के संवर्गबाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति के

आधार पर नियुक्त हैं; उनके पिछले कार्यालय, नामशः केन्द्रीय जल आयोग से जोकि सिंचाई मन्त्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है, अन्तिम वेतन प्रपत्र प्राप्त न होने के कारण 17-3-1980 से उन्हें वेतन और भत्ते अस्थाई आधार पर मिल रहे हैं ।

(ग) ऊर्जा मन्त्रालय में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के भविष्य निधि के लेखे उनके मूल विभागों द्वारा ही रखे जा रहे हैं । ऐसे कर्मचारियों के वेतन बिलों से काटी गई सामान्य भविष्य निधि के अभिदान की राशियां उनके मूल विभागों के लेखा अधिकारी को नियमित आधार पर भेज दी जाती हैं । जहां तक ऊर्जा मन्त्रालय को स्थानान्तरित हुए कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनके लिए नए लेखे खोलकर उनके पिछले लेखा अधिकारियों से भविष्य निधि लेखे मंगवाने के लिए कार्रवाई आरम्भ की जाती है । पिछले लेखा अधिकारियों द्वारा लेखे अद्यतन किए जाने में समय लगता है ।

(घ) ऊर्जा मन्त्रालय ने किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की है । यह मन्त्रालय अन्तिम वेतन प्रपत्र प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क बनाए हुए हैं ।

**आकाशवाणी के राजपत्रित अधिकारियों का निर्धारित से अधिक अवधि तक एक ही स्थान पर रहना**

4020. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों में कुछ राजपत्रित अधिकारी 6 वर्ष से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके वहां निर्धारित से अधिक समय से बने रहने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है; और

(ग) कार्यक्रमों से सम्बन्धित उन राजपत्रित अधिकारियों के नाम और पद नाम क्या हैं जो पिछले 6 वर्षों से भी अधिक समय से आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास केन्द्रों पर कार्य करते आ रहे हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

**विद्युत और कोयला विभागों द्वारा अनुवादकों के पदों पर की गई नियुक्तियां**

4021. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत तथा कोयला विभागों द्वारा राजभाषा से सम्बद्ध अनुवादक ग्रेड-II के पदों पर 1976 से अब तक कब, किस ढंग से तथा कितनी नियुक्तियां की गईं और इस प्रकार के कितने नियमित पद कब से खाली हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त सभी नियुक्तियां करते समय निष्पक्ष चयन प्रक्रिया का पालन किया गया था और योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त चयन के आधार पर 1976 में तैयार की गई सूची में से कुछ नियुक्तियां नियमित आधार पर और कुछ प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई थीं; और

(घ) यदि हां, तो उन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है जो अभी भी प्रतिनियुक्ति के आधार पर काम कर रहे हैं ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) निर्धारित भरती नियमों के अनुसार, हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-2) के पद प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा और ऐसा न किए जा सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने होते हैं। प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण पर नियुक्ति के मामले में चयन केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों/अवर श्रेणी लिपिकों में से तथा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'घ' आशुलिपिकों में से किया जाता है। इन ग्रेडों में पांच वर्ष की सेवा वाले तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी ऐच्छिक विषयों सहित डिग्रीधारी अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा आशुलिपिक (ग्रेड-डी) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-दो) के पदों पर प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। सिंचाई और विद्युत संवर्ग में हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-2) के 15 पद हैं, जो निम्नानुसार हैं :

1. विद्युत विभाग ..... 3
2. सिंचाई मंत्रालय ..... 2
3. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण .....3
5. केन्द्रीय जल आयोग .....4

ये सभी पद प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति द्वारा भरे हुए हैं। इन पदों में से कोई पद खाली नहीं है।

कोयला विभाग में हिन्दी अनुवादक ग्रेड-दो का कोई पद नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1976 में किए गए चयन के परिणामस्वरूप, भरती नियमों और उनसे संबंधित अनुदेशों के अनुरूप हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-2) के पदों पर तीन व्यक्तियों की नियुक्ति स्थानान्तरण के आधार पर की गई थी तथा दो व्यक्तियों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर की गई थी।

(घ) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्त करने के संबंध में विचार किए जाने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

**संसद सदस्यों को गैस कनेक्शन**

4022. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने जून, जुलाई और अगस्त, 1980 के दौरान एक तो अपने नाम में और दूसरा अपने बच्चों अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति के नाम में दो गैस कनेक्अन मंजूर तो करा लिये थे परन्तु उन्हें अभी तक ये कनेक्शन दिये नहीं गये हैं;

जबकि उन्होंने इस मंजूरी की सूचना भारतीय तेल निगम के चेयरमैन को भेज दी थी; और इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : इस मंत्रालय द्वारा जारी की गई मार्गदर्शक रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक संसद सदस्य प्राथमिकता के आधार पर दो गैस कनेक्शन प्राप्त करने का अधिकारी है, एक नई दिल्ली में तथा दूसरा उनके निवास शहर में या उनके रहने के स्थान पर जैसा भी उचित हो, बशर्ते उनके नाम पर पहले कोई कनेक्शन न हो। जब भी संसद सदस्यों से उनके अपने प्रयोग के लिये कनेक्शनों की प्रार्थना प्राप्त होती है, तेल कम्पनियों को शीघ्र कार्यवाही करनी होती है। जब किसी माननीय सदस्य के नाम पर कनेक्शन पहले ही दिया गया होता है तो ऐसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाता। संसद सदस्यों के आश्रितों या उनकी पसन्द के लोगों को गैस कनेक्शन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय संसद सदस्यों से उनके पसन्द के लोगों के लिये कनेक्शनों के निवेदनों पर अन्य निवेदनों के साथ गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है तथा इस मामले में सम्बद्ध तेल कम्पनी अपने विवेक के अनुसार निर्णय करती है।

**विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों का कार्यकरण**

4023. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री केन्द्र निदेशक की नियुक्ति के बारे में 19 जुलाई, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में समूचे प्रश्न की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और तत्संबंधी रिपोर्ट पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह सच है कि इन विज्ञापन केन्द्रों पर कोई प्रस्तुतीकरण कार्य नहीं है; यदि हां, तो यहां पृथक केन्द्र निदेशक लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे विज्ञापन केन्द्रों का विलय उन मुख्य केन्द्रों के साथ करने का है जहां केन्द्र निदेशक तैनात हैं; यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) विज्ञापन प्रसारण सेवा के कार्य संचालन की जांच प्रबन्ध विशेषज्ञों के एक दल द्वारा की जा रही है।

(ख) रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) सभी विज्ञापन प्रसारण केन्द्र मूल रूप से कतिपय मात्रा में कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, यद्यपि यह मात्रा अधिक नहीं है। केन्द्र निदेशकों से केवल कार्यक्रमों के निर्माण और वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण की देख-रेख की ही नहीं, अपितु विज्ञापकों और विज्ञापन एजेन्सियों से डील करने की भी अपेक्षा की जाती है।

(घ) जी नहीं।

**मालदा, पश्चिम बंगाल में कोयले के परमिट का घोटाला**

4024. **श्री सतीश अग्रवाल :**

**श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मालदा, पश्चिम बंगाल में कोयले के परमिट में घोटाले के बारे में दिनांक 30-8-1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित विस्तृत लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या लेख में यह कहा गया है कि सात मामलों में अलाटियों को यह पता ही नहीं था कि उनके नाम पर कोयले के परमिट जारी किये जा रहे हैं और 4 तथा 5 अगस्त, 1980 को अनेक तथाकथित अलाटियों से शपथ पत्र प्राप्त किये गये थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त तारीखों को अपने शपथ पत्र दायर के लिये उन व्यक्तियों को मालदा स्थित न्यायालय में लाने के लिए कोल इंडिया गाड़ियां संख्या डब्ल्यू. एम. पी. 4982, डब्ल्यू. जी. जेड. 1507, डब्ल्यू. जी. जैड. 1509, तथा डब्ल्यू. जी. जैड. 1402 और एम. टी. पी. सी. गाड़ी को प्रयोग में लाया गया था; और

(घ) यदि हां तो क्या सरकार ऐसे प्रयोजन के लिए सरकारी गाड़ियों के प्रयोग किये जाने का अनुमोदन करती है और क्या सरकार ने लेख में दिये गये तथ्यों की पूरी जाँच करा ली है और इस सम्बन्ध में उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) :** (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रिपोर्ट में बताई गई कोई भी गाड़ी कोल इंडिया लि० की नहीं है और राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की भी कोई गाड़ियां शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए लोगों को मल्दा कचहरी तक लाने में इस्तेमाल नहीं की गई थीं ।

(घ) चूंकि आरोप में बताई गई सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं किया गया था अतः इस संबंध में सरकार के अनुमोदन का प्रश्न ही नहीं उठता । पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं—जिनमें माल्दा जिले के उपभोक्ता भी शामिल हैं—को कोयला देने में कोई अनियमितता नहीं दिखाई गई और इसीलिए इस संबंध में कोई जांच आवश्यक नहीं है ।

**विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास**

4025. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाजन के पश्चात् विभिन्न राज्यों में बसे शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) पाकिस्तान, बर्मा, नेपाल और अन्य देशों से वर्षवार कितने शरणार्थी आये; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री पी० से० थुंगन)** : (क) एक विवरण (I) जिसमें विभाजन के पश्चात् विभिन्न राज्यों में बसाए गए पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों तथा वर्मा, श्रीलंका, मोजाम्बिक, युगांडा, जैसे और वियतनाम से आए प्रत्यावासियों का ब्यौरा दिया गया है, संलग्न है।

(ख) विवरण-(II) संलग्न है। यह बताना उचित होगा कि नेपाल से कोई प्रव्रजन नहीं हुआ है।

(ग) विवरण-(III) संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1634/80]

**स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा औषधों की खरीद में की गई अनियमिततायें**

4026. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का संरक्षण लेकर स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने इस वर्ष औषधों तथा औषधों की मध्यवर्तियों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं की हैं; और

(ख) उक्त अनियमितताएं करने के क्या कारण हैं और इस संदर्भ में सरकार, उक्त निगम द्वारा तुलनीय वेटाकणों की अवहेलना करके तथा बिना टेंडर आमंत्रित किये उक्त खरीद करने की कार्यवाही को सरकार किस प्रकार उचित ठहराती है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० (सी० पी० सी०) ने रिपोर्ट दी है कि चालू वर्ष (1 जनवरी, 1980 से 6 दिसम्बर, 1980 तक) के दौरान उन्होंने 70 मामलों में खरीद करने का अन्तिम निर्णय किया है। 62 मामलों में कम से कम बोली के आधार पर खरीद का निर्णय किया गया है। शेष 8 मामलों में से 3 मामलों में निर्धारित मूल्यों अथवा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर जिनकी हर छः माह के बाद जांच की जायेगी, जो क्रमशः सप्लायर के साथ किये गये दीर्घावधि करार के अन्तर्गत इस मंत्रालय द्वारा अनुमोदित शर्तों पर खरीद की गई है। शेष 5 मामलों में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के आधार पर सप्लायर देशों से आने वाले प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्तावों पर बातचीत के माध्यम से खरीद की गई है। सी० पी० सी० ने यह भी रिपोर्ट दी है कि बातचीत के माध्यम से की गई खरीद को उनकी विशेषज्ञ समिति और निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और सभी खरीद निर्धारित खरीद पद्धति के अनुसार की गई थी और उसका कोई उलंघन नहीं किया गया है।

**आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्ट**

4027. **श्री ए० नीला लोहियादसन नाडार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को पेंशन देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है; और

(ग) इसे किस तारीख से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के उन स्टाफ आर्टिस्टों, जो इस समय संविदा कर्मचारी हैं, को नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । यदि यह प्रस्ताव स्वीकार हो गया तो स्टाफ आर्टिस्ट स्वत: ही पेंशन पाने के पात्र हो जाएंगे ।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है, निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

**हिमालय कार रैली**

4028. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय कार रैली का देश के विभिन्न भागों में विरोध किया गया था; और

(ख) इस प्रकार रैली में कुल कितना पेट्रोल खर्च हुआ ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार यह एक तथ्य है कि हिमालय कार रैली का देश के विभिन्न भागों में विरोध किया गया था ।

(ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

**आकाशवाणी के "इन्फ्रास्ट्रक्चर" को मजबूत बनाने के लिए कार्यवाही**

4029. **श्री रूपचन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार आकाशवाणी के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए कोई कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ, इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न माध्यम संगठनों में संरचनात्मक परिवर्तनों के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सलाह देने के लिए सरकार ने एक सलाहकार समिति गठित की है । यह समिति आकाशवाणी के बारे में भी सुझाव देगी ।

**हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र**

4030. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के कसौली में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में हुई नवीनतम प्रगति क्या है; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ करेगा ?

**सूचना और प्रसारण उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) रिले केन्द्र के लिए प्रेषण उपकरण हासिल कर लिए गए हैं, किन्तु केन्द्र के लिए चुने गए स्थान का अधिग्रहण करना अभी तक संभव नहीं हुआ है । प्रयास जारी हैं ।

(ग) स्थान का अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद, रिले केन्द्र को 2 वर्ष की अवधि में चालू किया जा सकता है ।

**यमुना नदी पर किशाऊं बांध का निर्माण**

4031. **श्री रामलाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना परियोजना की विद्युत उत्पादन का पूरा उपयोग करने के लिए किशाऊं बांध का निर्माण करना आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो इस बांध के निर्माण में कठिनाइयां क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) यमुना नदी पर किशाऊं बांध नाम की कोई परियोजना नहीं है । तथापि यमुना की एक मुख्य सहायक नदी टोन्स पर किशाऊं बहुद्देश्यीय परियोजना का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है । इस समय लखवार बांध को छोड़कर, जो कि निर्माणाधीन है, यमुना नदी तथा इसकी सहायक नदियों पर कोई जल संचय बांध नहीं है । किशाऊ बांध की कल्पना, एक स्टोरेज परियोजना के रूप में की गई है जिसकी क्रियाशील क्षमता 1230 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी । किशाऊ परियोजना में संचित जल से न केवल सिंचाई और विद्युत उत्पादन सुनिश्चित होगा बल्कि यमुना परियोजना चरण 1, 2 और 4 में अनुप्रवाह में स्थित मौजूदा बिजलीघरों में भी अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होगा ।

(ख) उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों ने किशाऊ बांध परियोजना पर एक रिपोर्ट, फरवरी, 1978 में प्रस्तुत की थी जिसकी जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी । तटवर्ती राज्यों में यमुना के जल के बंटवारे आदि के बारे में अंतर्राज्यीय विवाद होने के कारण इस स्कीम पर आगे की कार्रवाई रुकी हुई है । इस पहलू की जांच सिंचाई विभाग को करनी होगी ।

**मध्य प्रदेश में विद्युत प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता**

4032. **श्री सत्यनारायण भाटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विद्युत प्रजनन की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और क्या विद्युत संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) मध्य प्रदेश के प्रत्येक विद्युत संयंत्र द्वारा अप्रैल, 1980 से अक्तूबर, 1980 के दौरान प्रतिमास कितनी बिजली उत्पादित की गई और किन-किन बिजलीघरों द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उत्पादन किया ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) 31-3-1980 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1300 मेगावाट थी। इसमें से 1107 मेगावाट क्षमता ताप विद्युत केन्द्रों की तथा 193 मेगावाट क्षमता जल विद्युत केन्द्रों की थी।

मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के विद्युत केन्द्रों में इस समय हो रहा विद्युत उत्पादन नीचे दिए अनुसार है :—

**1 नवम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक**

| ताप विद्युत केन्द्र | औसत लाख यूनिट प्रतिदिन | अधिकतम मांग, मेगावाट में |
|---|---|---|
| कोरबा I | 12.91 | 74 |
| कोरबा 2 | 31.97 | 171 |
| कोरबा 3 | 23.48 | 108 |
| अमरकण्टक I | 11.24 | 54 |
| अमरकण्टक 2 | 27.58 | 200 |
| सतपुड़ा I | 48.94 | 250 |
| सतपुड़ा 2 | 34.08 | 165 |
| गांधीनगर | 11.08 | 106 |
| राणाप्रताप सागर | 18.76 | 129 |
| जवाहर सागर | 13.03 | 90 |

विद्युत केन्द्रों में पूरी क्षमता पर उत्पादन किए जाने में बाधाएं मुख्य रूप से निम्न कारणों से हैं; घटिया किस्म का कोयला होना, कोरबा-III तथा अमरकंटक-II में हाल ही में चालू की गई 120-120 मेगावाट की यूनिटों में रिहीटर मैटल तापमान संबंधी सीमाएं होना तथा जल विद्युत केन्द्रों के लिए जलाशयों के स्तर निम्न होना आदि हैं।

(ख) प्रत्येक विद्युत घर में अप्रैल, 1980 से अक्तूबर, 1980 के दौरान महीने-वार हुए विद्युत उत्पादन का ब्यौरा उपाबन्ध-I में दिया गया है। जिन विद्युत केन्द्रों में पूरी क्षमता में विद्युत उत्पादन हुआ, उनका ब्यौरा उपाबन्ध-I के अभियुक्ति कालम में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1635/80]

**दहेज को समाप्त करने के लिए व्यापक विधान**

4033. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आत्महत्या तथा अन्य तरीकों से समाज में मृत्यु दर को देखते हुए देश में दहेज को समाप्त करने के लिए एक व्यापक विधान बनाने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) और (ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 तथा विभिन्न राज्यों में उस अधिनियम में किए गए संशोधनों के कार्यकरण पर विचार करने के लिए तथा उन संशोधनों पर जो समस्या से निपटने के लिए विधि में किए जाएं, अपनी रिपोर्ट देने के लिए संसद् के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति स्थापित करने के लिए स्वयं संसद् के चालू सत्र में प्रस्ताव रखने का विचार है ।

**अशोधित तेल का उत्पादन**

4034. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त हुए चालू वर्ष के पहले छह महीनों की अवधि के दौरान देश में अशोधित तेल का कुल उत्पादन कितना था;

(ख) उक्त अवधि के लिए उत्पादन का लक्ष्य कितना था और वह लक्ष्य कितना अधिक अथवा कम था और उसके कारण क्या थे;

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितना अशोधित तेल आयात किए जाने की योजना थी और 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त हुए वर्ष की पहली छमाही के दौरान इसकी कितनी मात्रा आयात की गई थी; और

(घ) विभिन्न देशों से विशेषकर इराक-ईरान युद्ध के कारण संकट को देखते हुए, इसकी बाकी आवश्यकता का आयात करने के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और ऊर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) इस अवधि में कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य, वास्तविक उत्पादन तथा उनमें भिन्नता नीचे दी गई है :

मिलियम मि० टन

| लक्ष्य | उत्पादन | भिन्नता |
|---|---|---|
| 6.35 | 4.74 | (—) 1.61 |

कमी मुख्यत: असम में आन्दोलन की स्थिति के कारण हुई ।

(ग) वर्ष 1980 के दौरान 16 मिलियन मी० टन कच्चे तेल के आयात का अनुमान है । 30 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के पूर्वावधि के दौरान आयात की गई तेल की मात्रा बतलाना जन हित में न होगा ।

(घ) और अधिक ब्यौरा देना जन-हित में न होगा ।

**पश्चिम बंगाल में उप-निर्वाचन कराना**

4035. **श्री सुधीर गिरि** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन आफिसर को पहले यह सूचना दी थी कि पश्चिमी बंगाल में 23 नवम्बर, 1980 को विधान सभा के लिए उप-निर्वाचन कराने की तैयारी की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब फिर 19-10-80 को निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन आफिसर को सूचित किया है कि उक्त उप-निर्वाचन 23-11-80 को नहीं होंगे; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने पश्चिमी बंगाल सहित उन सभी राज्यों के लिए जिनमें उप-निर्वाचन होने हैं समान रूप से एक अस्थायी कार्यक्रम तैयार किया था और इस विषय में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आफिसर सहित सम्बद्ध मुख्य निर्वाचन आफिसरों को सूचित कर दिया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) निर्वाचन आयोग को पश्चिमी बंगाल के प्रभावित निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में त्रुटियों के बारे में विभिन्न राजनैतिक दलों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उन मामलों में जिनमें निर्वाचन आयोग को विशिष्ट त्रुटियों की जानकारी दी गई थी, उपचार के तौर पर कार्रवाई की जा रही है ।

**न्यायाधीशों द्वारा अपने पदों से त्याग पत्र दिया जाना**

4036. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन मास के दौरान देश में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों ने अपने पद से त्याग पत्र दिया है; और

(ख) त्याग पत्र देने वाले न्यायाधीशों के नाम क्या हैं और त्याग पत्र दिए जाने के क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) न्यायमूर्ति श्री बी० डी० अग्रवाल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपने पद से त्यागपत्र अपने तारीख 23 अक्तूबर, 1980 के पत्र द्वारा दिया था । उनको तारीख 2 जुलाई, 1979 को न्यायमूर्ति श्री वी० के० खन्ना और न्यायमूर्ति श्री के० एम० दयाल के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दो वर्ष की अवधि के लिए अपर न्यायाधीश के रूप

में नियुक्त किया गया था । श्री बी० डी० अग्रवाल ने अपने पत्र में यह कथित किया है कि जब उन्होंने यह पाया कि न्यायाधीशों की परस्पर वरिष्ठता क्रम में श्री वी० के० खन्ना को उनसे वरिष्ठ स्थान दिया गया है तो उन्होंने अपने को अपमानित अनुभव किया । श्री बी० डी० अग्रवाल ने इस बात को सर्वथा अनुचित समझा क्योंकि उनकी आयु श्री बी० के० खन्ना की आयु से अधिक है । उन्होंने अधिक वर्ष तक वकालत की है, विधि व्यवसाय से उनकी आयु भी अधिक रही है और वह उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्य स्थायी काउन्सेल और महाधिवक्ता भी रह चुके हैं । उन्होंने यह महसूस किया कि उन्होंने इस अपमान को काफी लम्बे समय तक सहा है और अब वह पद पर बने नहीं रह सकते । उन्होंने यह बात स्पष्ट की है कि उन्हें वर्तमान सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है ।

**दण्डकारण्य परियोजना में विस्थापितों को आवंटित भूमि पर अतिक्रमण**

4037. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दण्डकारण्य परियोजना (उड़ीसा) के मलकानगिरि मण्डल पर बसे विस्थापितों से 14 मई, 1980 का ज्ञापन प्राप्त हो गया है जो विस्थापितों को आवंटित भूमि पर स्थानीय आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण के बारे में है; और

(ख) यदि हां, तो बसने वाले लोगों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां ।

(ख) गांव एम० पी० वी–27 के विस्थापितों को, जिससे अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, स्थानीय आदिवासियों द्वारा अतिक्रमण के अधीन भूमि के बदले वैकल्पिक भूमि आवंटित की जा चुकी है । साथ ही यह मामला उड़ीसा सरकार से उठाया गया था जिन्होंने यह सहमति दे दी है कि अतिक्रमण के मामले में अव्यवस्था फैलने नहीं दी जाएगी और अतिक्रमणियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाएगी । इसके अतिरिक्त, विस्थापितों को भूमि आवंटित किए जाने और उनके द्वारा कब्जा लेने के बीच का समय न्यूनतम किया जा रहा है ताकि भविष्य में अतिक्रमणों को रोका जा सके ।

**हजीरा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रगति**

4038. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में हजीरा में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति है;

(ख) संयंत्र की कुल लागत कितनी है;

(ग) उसकी उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) उत्पादन शुरू होने पर निर्धारित लक्ष्य क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) भूमि

का अधिग्रहण किया जा चुका है और बिजली, जल, रेलवे और अन्य सुविधायें लगाई जा रही हैं। स्टीम जेनरेशन प्लांट के लिये करार कर लिए गए हैं। अमोनिया और यूरिया प्लांटों के लिए परामर्शदाताओं से ठेके को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) दिसम्बर, 1979 में अनुमोदित परियोजना की कुल लागत 622.9 करोड़ रुपये है।

(ग) परियोजना के पूरा होने पर इसके यूरिया के रूप में नाइट्रोजन की 6,68,000 टन वार्षिक क्षमता होगी।

(घ) इस प्लांट से वर्ष 1985 में उत्पादन प्रारंभ होने की आशा है।

**पाइपलाइनों के जरिए खाना पकाने की गैस की सप्लाई**

4039. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पाइपलाईनों के जरिए खाना पकाने की गैस की सप्लाई आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जहां यह आरंभ की गई है;

(ग) क्या यह पद्धति सफल सिद्ध हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे सभी महानगरों में आरंभ करने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क), (ख) एवं (ग) बड़ौदा तथा असम के कुछ भागों में प्राकृतिक गैस की थोड़ी मात्रा खाना पकाने के प्रयोजन हेतु प्रयोग के लिए सप्लाई की जाती है। इसके अतिरिक्त बम्बई तथा पश्चिम बंगाल में भी कुछ कोयला गैस खाना पकाने के प्रयोजन के लिए सप्लाई की जाती है। इनकी सप्लाई के बारे में अभी तक किसी प्रकार की कठिनाई की सूचना नहीं दी गई है।

(घ) सभी महानगरों में पाइपलाइनों के द्वारा खाना पकाने की गैस सप्लाई प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव इस समय इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

**ऐसी फिल्मों के नाम जिनके लिए वित्तीय सहायता दी गई**

4040. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फिल्मों, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के नाम क्या हैं जिनके निर्माण के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी सहायता दी गई है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी) :** (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

जिन फिल्मों के निर्माण के लिए फिल्म वित्त निगम/राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा 1978, 1979 और 1980 (नवम्बर, 1980 तक) के दौरान वित्तीय सहायता दी गई, उनके नाम और प्रत्येक मामले में दी गई वित्तीय सहायता की राशि

| क्रम संख्या | फिल्म का नाम | दिया गया ऋण |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | | (लाख रुपयों में) |
| 1. | 'सस्ती सराय' [हिन्दी] | 4.50 |
| 2. | 'अनटाइटल्ड' [हिन्दी] | 4.50 |
| 3. | 'तरंग' [हिन्दी] | 4.50 |
| 4. | 'महाजबीन' [हिन्दी] | 1.00 |
| 5. | 'अपरूपा' [असमिया] | 3.50 |
| 6. | '22 जून, 1897' [मराठी] | 3.50 |
| 7. | 'आक्रोश' [हिन्दी] | 3.50 |
| 8. | 'बारा' [कन्नड़] | 3.50 |
| 9. | 'भवानी भवाई' [गुजराती] | 3.50 |
| 10. | 'गरम भात या भूत की कहानी' [हिन्दी] | 4.12 |
| 11. | 'अलबर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है' [हिन्दी] | 3.50 |
| 12. | 'चक्र' [हिन्दी] | 3.50 |
| 13. | 'रामनगरी' [हिन्दी] | 4.50 |
| 14. | 'फण्यम्मा [कन्नड़] | 2.50 |
| 15. | 'चिरूथा' [हिन्दी] | 3.50 |
| 16. | 'अभिलाषा' [उड़ीया] | 3.00 |
| 17. | 'नीरव झाड़' [उड़िया] | 2.34 |
| 18. | 'माया मृग [उड़िया] | 4.00 |
| 19. | 'अश्वमेधर घोड़ा [हिन्दी और बंगला] | 3.50 |
| 20. | 'कोंदुरा' [हिन्दी] | 5.00 |
| 21. | 'आजवाली रात अमासनी' [गुजराती] | 4.50 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 22. | 'सजाए मौत' [हिन्दी] | 3.50 |
| 23. | 'ओम स्वाहा' [हिन्दी] | 4.50 |
| 24. | 'आदि शंकराचार्य [संस्कृत] | 5.00 |
| 25. | 'यिआशीर कलकत्ता' [बंगला] | 1.98 |
| 26. | 'राधा कृष्ण' [बंगला] | 3.50 |
| 27. | '36 चौरंगी स्ट्रीट' [हिन्दी अंग्रेजी और बंगला] | 8.00 |
| 28. | 'पहला अध्याय' [हिन्दी] | 3.00 |
| | लघु फिल्में | |
| 29. | 'एल० आई० सी०' [अंग्रेजी] | 0.50 |
| 30. | 'वर्कर्स एंड प्रोड्क्टिविटी' [अंग्रेजी] | 0.30 |
| 31. | 'कमलादेवी चट्टोपाध्याय' [अंग्रेजी] | 0.53 |
| 32. | 'हरिजन चौपाल' [हिन्दी] | 0.32 |
| 33. | पेट्रोलियम कन्जर्वेशन' [अंग्रेजी] | 0.50 |
| 34. | 'पंकज मल्लिक' [अंग्रेजी] | 0.59 |
| 35. | 'अबोर्शन' [अंग्रेजी] | 0.42 |
| 36. | 'पे यूअर टैक्स एंड रिलैक्स' [अंग्रेजी] | 0.38 |
| 37. | 'सालार जंग म्यूजियम' [अंग्रेजी] | 0.31 |
| 38. | 'यामिनी कृष्णामूर्ति' [अंग्रेजी] | 0.95 |
| 39. | 'सीप्ज' [अंग्रेजी] | 0.59 |

**दण्डकारण्य शरणार्थी पुनर्वास परियोजना**

4041. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डकारण्य परियोजना के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले के मलकानगिरि, उमरकोट तथा अन्य क्षेत्रों से कुल कितनी एकड़ भूमि अधिकार में ली गयी;

(ख) क्या राज्य सरकार ने उन भूमियों को दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार को अन्तरित कर दिया है;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुनर्वास बस्तियों की संख्या कितनी है तथा वहां इस समय कितने शरणार्थी रह रहे हैं; और

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में शरणार्थियों के और आगमन पर रोक लगाने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) उड़ीसा सरकार द्वारा अब तक कुल 1,53,911 एकड़ भूमि दी गई है।

(ख) और (ग) भूमियों का अन्तरण नहीं किया गया है किन्तु अस्थायी रूप में दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण के पक्ष में दे दी गई हैं।

(घ) दण्डकारण्य परियोजना के कोरापुट क्षेत्र में स्थापित किए गए 258 पुनर्वास गांवों में 14,465 विस्थापित व्यक्ति परिवार रह रहे हैं।

(ङ) कोरापुट जिले के मलकानगिरि जोन के कर्मी शिविरों में केवल लगभग 2000 परिवार हैं जो मलकानगिरि जोन में पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं।

**राष्ट्रीय तथा राज्यस्तर पर बिजली की कमी**

4042. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक, कृषि तथा उपभोक्ता द्वारा बिजली की राष्ट्रीय तथा राज्यवार स्तर पर पृथक-पृथक खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में कुल कितने प्रतिशत लोग बिजली की घरेलू खपत करते हैं; और

(ग) सरकार का विचार सभी लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) उद्योगों, कृषि और अन्य उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की राज्यवार खपत विवरण (उपाबंध-1) में दिखाई गई है।

(ख) 1978-79 के दौरान, घरेलू खपत के अन्तर्गत आई जनसंख्या की प्रतिशतता को दिखाने वाला विवरण (उपाबंध-2) संलग्न है।

(ग) संदर्शी योजना के प्रस्तावों के अनुसार 1994-95 तक शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो जाने की संभावना है। तथापि यह, इस अवधि के बीच आवश्यक निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1636/80]

**'मैनटेनेन्स पेटिशन गैलोर बाई ड्यूण्ड गर्ल्स' शीर्षक के समाचार**

4043. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 4 सितम्बर, 1980 के इंडियन एक्सप्रेस (बम्बई संस्करण) में 'मेनटेनेन्स पेटिशन गैलोर बाई ड्यूण्ड गर्ल्स' शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए विधि में आवश्यक परिवर्तन करने का है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्नगत अधिकतर विवाह लड़कियों के माता-पिता की सम्मति से किए गए थे । यदि लड़कियों और उनके माता-पिता ने संबंधित वरों के पूर्ववृत्त और चरित्र अभिनिश्चित करने में सतर्कता बरती होती तो कोई परेशानी न हुई होती । इसलिए विधि में संशोधन करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

**पोर्टब्लेयर में भारतीय तेल निगम द्वारा जहाजों को ईंधन की सप्लाई**

4044. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्टब्लेयर स्थित भारतीय तेल निगम ने पोर्टब्लेयर में सरकारी जहाजों को ईंधन की सप्लाई करने से इन्कार कर दिया है जबकि वे पोर्टब्लेयर में गैर सरकारी जहाजों को ईंधन सप्लाई करते हैं; यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार अनुदेश जारी करेगी कि पोर्टब्लेयर से गुजरने वाले अथवा अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रवेश के अन्दर चलने वाले सभी जहाजों को चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी, भारतीय तेल निगम द्वारा पोर्टब्लेयर में ईधन सप्लाई किया जाये, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन के अनुसार, उनके पोर्टब्लेयर स्थित टर्मिनल ने सरकारी जहाजों को पोर्टब्लेयर पर ईंधन सप्लाई करने से इन्कार नहीं किया है । तथापि यदि ईंधन की सप्लाई के इन्कार करने का कोई विशिष्ट मामला उनके ध्यान में लाया गया तो इंडियन आयल कारपोरेशन इस मामले पर सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए गौर करेगी ।

**कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विरुद्ध अर्जियां**

4045. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा संबंधी मामलों में अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विरुद्ध गत तीन वर्षों के दौरान, जिलावार, कितनी रिट अर्जियां कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई थीं;

(ख) उच्च न्यायालय ने कितने मामलों में अन्तरिम व्यादेश जारी किए थे तथा कितने मामलों में सरकार ने रोक आदेश रद्द करवाने के लिए कार्यवाही की तथा उसमें सफलता प्राप्त की;

(ग) क्या मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग-अलग होने के कारण अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन को कलकत्ता में मामलों का संचालन करना कठिन लगता है;

(घ) यदि हां, तो क्या उसने विधि मंत्रालय को इस बारे में कोई सुझाव दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो वे सुझाव क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार का विचार जनहित में पोर्टब्लेयर में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी एकल न्याय पीठ की व्यवस्था करने पर विचार करने का है. यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, यदि हां, तो इसे कब तक कार्य रूप दे दिया जाएगा ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) अन्दमान और निकोबार द्वीप प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत तीन वर्षों के दौरान अन्दमान और निकोबार द्वीप प्रशासन के सरकारी सेवकों द्वारा सेवा विषयक मामलों पर तिहत्तर रिट अर्जियां अन्दमान जिले से की गई थीं और एक अर्जी निकोबार जिले से की गई थी ।

(ख) प्रशासन ने बताया है कि उक्त मामलों में से 51 मामलों में अन्तरिम व्यादेश दिया गया है । अन्दमान और निकोबार प्रशासन केवल 3 मामलों में व्यादेश के रद्द किए जाने के लिए सफलता पूर्वक कार्रवाई कर सका है । इनमें से एक मामले में व्यादेश रद्द कर दिया गया और अन्य दो मामलों में अन्तरिम आदेश उपांतरित कर दिए गए थे । एक मामले में व्यादेश रद्द किए जाने की अर्जी नामंजूर कर दी गई थी । कुछ और मामलों में अन्तरिम आदेश रद्द किये जाने के लिए अर्जियां फाइल की गईं किन्तु अभी उनकी सुनवाई और निपटारा नहीं हुआ है ।

(ग) से (ङ) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने बताया है कि उन्हें कलकत्ता में मामलों का संचालन करने में कठिनाई का अनुभव होता है । फरवरी, 1980 में उन्होंने सुझाव दिया था कि उस संघ राज्य-क्षेत्र में एक न्यायिक आयुक्त का न्यायालय स्थापित किया जाए । इससे पूर्व उन्होंने प्रस्ताव किया था कि उस संघ राज्य क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित की जाए ।

(च) प्रस्ताव पर विचार किया गया था । कार्यभार को देखते हुए यह समझा गया कि उस संघ राज्य क्षेत्र में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थायी न्याय पीठ स्थापित करने का औचित्य नहीं है । हो सकता है कि न्यायिक आयुक्त के लिए भी पूरा काम न हो । इसके अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त का न्यायालय पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय नहीं है ।

इस विषय पर कलकत्ता उच्च न्यायालय से बातचीत की गई थी और वह उच्च न्यायालय अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह को एक खण्ड न्यायपीठ और अधिक जल्दी-जल्दी वर्तमान अवधि से अधिक अवधि के लिए सर्किट में भेजने के लिए सहमत हो गया है ।

**कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच-पडताल**

4046. **श्री डी० एस० ए० शिव प्रकाशम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान किसी कम्पनी के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत किसी प्रकार की जांच-पड़ताल के आदेश दिए गए हैं;

(ख) ऐसी कितनी जांच-पड़ताल की गईं; और

(ग) सम्बन्धित कम्पनियों के क्या क्या नाम हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) हां, श्रीमान जी। 1979 तथा 1980 के वर्षों के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच का केवल एक आदेश मै० एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड के बारे में दिया गया था।

**गुजरात में खोज**

4047. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में हाल ही में कोई खोज की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) 1980-81 के दौरान ओ० एन० जी० सी० ने गुजरात में तीन नई संरचनाओं पर व्यधन कार्य प्रारम्भ किया। इसके अलावा 19 पुरानी संरचनाओं में व्यधन कार्य जारी था। वर्ष में नवम्बर, 1980 तक 25 अन्वेषी कुएं अभी तक खोदे जा चुके हैं। इस अवधि में उल्लेखनीय उपलब्धि एक नई संरचना, जिसका नाम दाहेज है, में गैस की खोज है।

**"स्वामी सिक्योर्स आयल बोनान्जा" शीर्षक समाचार**

4048. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान बम्बई के "ब्लिटज" दिनांक 22 नवम्बर, 1980 में "स्वामी सिक्योर्स आयल बोनान्जा" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) यह समाचार निराधार है।

**दामोदर घाटी निगम में नए मुख्य कार्मिक प्रबन्धक की नियुक्ति**

4049. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में एक नए मुख्य कार्मिक प्रबन्धक की नियुक्ति की गई है;

(ख) यह नियुक्ति किस प्रकार और कब की गई; और

(ग) यदि कोई नियुक्ति की गई है तो क्या वह दामोदर घाटी निगम के बोर्ड के किसी निर्णय के परिणामस्वरूप की गई है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम में किसी नए मुख्य कार्मिक प्रबंधक की नियुक्ति नहीं की गई है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक नए कार्मिक निदेशक की नियुक्ति उनके पूर्वाधिकारी के प्रत्यावर्तन के बाद 26-9-1980 से की गई है।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त संबंधी ऐसे मामलों में बोर्ड की पुर्वानुमति लेने की प्रथा दामोदर घाटी निगम में नहीं है।

**दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन की सरकारी कार में अतिरिक्त गेजेट लगाने पर खर्च**

4050. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के चेयरमैन की कार में, वर्तमान नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद, अतिरिक्त गैजेट लगाने पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ख) उक्त खर्च करने के क्या कारण हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) यात्रा के दौरान काम करने की सुविधा के लिए, चेयरमैन की सरकारी कार में पंखे और रीडिंग लैम्प लगाने के लिए 710.00 रुपये खर्च किये गए।

**डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा जूतों की खरीद**

4051. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सप्लाई किए जा रहे जूते और चप्पल डी० जी० एस० एण्ड डी० द्वारा खरीदे जाते हैं और गत तीन वर्षों के दौरान खरीदे गए जूते तथा चप्पलों के प्रत्येक जोड़े का मूल्य कितना है; और

(ख) उन फर्मों के नाम तथा पते क्या हैं जिन्होंने जूतों तथा चप्पलों की सप्लाई के लिए टेंडर प्रस्तुत किये हैं और इस तथ्य के बावजूद भी उन्हें क्रयादेश न देने के क्या कारण हैं कि उन्होंने अपने टेंडरों में इनकी सप्लाई करने वाली फर्म द्वारा वास्तव में लिए गए मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य उद्घृत किया था ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन फर्मों के नामों को दिखा दिया गया है, जिनके साथ जूतों और चप्पलों के लिए तीन वर्षों, अर्थात् 78-79, 79-80 और 80-81 में दर ठेके और मूल्य करार किये गए हैं। (अनुबन्ध 'क')

(ख) उन फर्मों के नाम और पते जिन्होंने यद्यपि जूतों और चप्पलों के लिए, निम्न दर उद्धृत किए थे लेकिन उन्हें क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए, और इसके कारण अनुबन्ध 'ख' में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1637/80]

**लेखों के विभागीकरण योजना के अधीन पूर्ति विभाग में चैक काटने की शक्ति प्राप्त अधिकारी**

4052. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में लेखों के विभागीकरण की योजना के अधीन ऐसे कितने अधिकारियों को चैक 'ड्रा' करने का अधिकार है जिनके पक्ष में मुख्य लेखा नियंत्रक (पूर्ति) द्वारा 'क्रैडिट लैटर'' जारी किये गए हैं; और

(ख) ये अधिकारी किन मंत्रालयों के हैं ?

**पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद)** : (क) लेखों के विभागीकरण की योजना के अधीन 9 अधिकारियों को चैक 'ड्रा' करने का अधिकार है । वे हैं :

1. निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र), लुधियाना : इनका लेखागत संबंध मुख्य लेखा नियंत्रक, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली से है ।
2. निरीक्षण निदेशक (धातुकर्म) जमशेदपुर : इनका लेखागत संबंध लेखा
3. निरीक्षण निदेशक (धातुकर्म) बर्णपुर : नियंत्रक, वेतन तथा लेखा
4. उप निदेशक निरीक्षण (धातुकर्म) कुल्टी : अधिकारी, पूर्ति विभाग कलकत्ता से है ।
5. निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) अहमदाबाद : इनका लेखागत संबंध उप लेखा नियंत्रक, वेतन
6. निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग) पुणे : तथा लेखा अधिकारी, पूर्ति विभाग, बम्बई
7. निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग) बड़ौदा : से है ।
8. उप निदेशक निरीक्षण, बंगलौर : इनका लेखागत संबंध उप लेखा
9. निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरिंग) हैदराबाद : नियंत्रक, वेतन तथा लेखा अधिकाकी, पूर्ति विभाग मद्रास से है ।

(ख) ये सभी 9 अधिकारी, पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय, पूर्ति विभाग के हैं ।

**बडौदा में अमोनिया और यूरिया के लिए संयंत्र स्थापित किया जाना**

4053. **श्री निहाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी द्वारा मैसर्स नर्मदा वैली फर्टिलाइलर कम्पनी के नाम पर बडौदा में किन-किन देशों के सहयोग से अमोनिया और यूरिया संयंत्रों की स्थापना की गई है और उन देशों की इस बारे में शर्तें क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त में से प्रत्येक संयंत्र पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई और उनके द्वारा कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी लि० द्वारा भरौच गुजरात के निकट स्थापित किए जा रहे प्लांटों के लिए प्रौद्योगिकी की खरीद विभिन्न प्रक्रिया लाइसेंस धारियों से तत्काल आधार पर की गई है जैसे सिन्थैसिस गैस जनरेशन के लिए यू० एस० ए० की मैसर्स टैक्साको, रैक्टीसोल वैस्ट के लिए पश्चिम जर्मनी की मैसर्स लिन्डे, अमोनिया सिन्थैसिस के लिए मैसर्स हल्डोर टोप्सो और यूरिया प्लांट के लिए इटली की मैसर्स स्नेम प्रोगेटी से प्रौद्योगिकी खरीदी गई है। अमोनिया प्लांट के लिए मूल इंजीनियरिंग पर्यवेक्षण, निर्माण और संचालन कार्य पश्चिम जर्मनी की मैसर्स लिन्डे द्वारा किया जा रहा है और यूरिया प्लांट का कार्य इटली की मैसर्स स्नैस प्रोगेटी द्वारा किया जा रहा है।

(ख) अमोनिया प्लांट के लिए 230 मिलियन डी० एम० मूल्य की विदेशी मुद्रा के एफ० डब्ल्यू० ऋण से पूरी की जाएगी। यूरिया प्लांट के लिए 22.284 मिलियन डालर की मुफ्त विदेशी मुद्रा दी गई है। इस प्लांट द्वारा जून, 1981 तक वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किए जाने की आशा है।

**दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन के आवास पर वार्षिक व्यय**

4054. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन के आवास पर निगम को सब मिलाकर कुल कितना वार्षिक व्यय करना पड़ता है और कितना वार्षिक किराया वसूल होता है;

(ख) दामोदर घाटी निगम के चैयरमैन के आवास की मरम्मत, रख-रखाव, नवीकरण और सजावट आदि पर गत 7 वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितना वार्षिक खर्च हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि अब दारोदर घाटी के चैयरमैन के आवास के पूर्ण नवीकरण पर 90,000 रुपए की धनराशि खर्च करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस खर्च के लिए मूल बजट में व्यवस्था की गई थी और निगम द्वारा उसकी मंजूरी दी गई थी ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (घ) 1971 से दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष के निवास स्थान हेतु हुआ व्यय नीचे दिए गए अनुसार है :—

(क) किराया—1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से।

(ख) बिजली प्रभार—20 रुपए प्रतिमाह की दर से।

(ग) कर्मचारियों का वेतन—18,000 रुपए से 20,000 रुपए प्रतिवर्ष—एक चौकीदार (अन्य किरायेदारों के साथ संयुक्त रूप से), एक माली और एक स्वीपर के लिए।

किराये की वसूली अध्यक्ष से, वेतन जमा नगर प्रतिपूरक भत्ते के 7% की दर से की जाती है।

पिछले सात वर्ष के दौरान, वार्षिक मरम्मत तथा रख-रखाव प्रभारों पर हुआ व्यय नीचे दिया जाता है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1973-74 | — | 977.00 रुपए |
| 1974-75 | — | 3223.00 रुपए |
| 1975-76 | — | 31236.00 रुपए |
| 1976-77 | — | 8936.00 रुपए |
| 1977-78 | — | 9455.00 रुपए |
| 1978-79 | — | 5810.00 रुपए |
| 1979-80 | — | 3086.00 रुपए |

पुराने भवन की अपरिहार्य मरम्मत के लिए निगम ने 92,232 रुपए स्वीकृत किए हैं, जिसमें ये कार्य शामिल हैं : दीवारों और छत का सीलन रोधी कार्य, डिस्टेम्पर करना, क्षय हो गए नलों आदि का बदलना, भरी हुई नालियों को खोलना, विद्युत सम्बन्धी मरम्मत का कार्य और प्रतिस्थापन कार्य । इसके लिए बजट प्रावधान संशोधित अनुमानों में किया गया है ।

**प्रेस की स्वतन्त्रता पर प्रहार पर प्रतिक्रिया**

4055. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्रकारों के राष्ट्रीय संघ (इण्डिया) और अन्य समाचार संघों ने प्रेस की स्वतन्त्रता पर हाल के प्रहारों के विरुद्ध, जैसा कि इण्डियन एक्सप्रेस, दखन हैरल्ड, प्रजावाणी और बंगलौर ने कन्नड़ प्रभा के कार्यालयों को गत सितम्बर में बन्द करने से और अलीगढ़ और मद्रास में पत्रकारों की गिरफ्तारी तथा मण्डल के आयुक्त द्वारा पत्रकारों से कथित दुर्व्यवहार से जो स्पष्ट होते हैं, आपत्ति उठाई है; और

(ख) प्रत्येक मामले में पूर्ण तथ्य क्या हैं, उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं और दोषी व्यक्तियों को किस प्रकार की सजा दी गई है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

**विवरण**

(क) और (ख) यह रिपोर्ट की गई है कि कुछ लोगों ने 22-9-80 की शाम को बंगलौर में "दक्कन हेरल्ड" और "इण्डियन एक्सप्रेस" के कार्यालयों के सामने एक उस समाचार के विरोध में प्रदर्शन किया, जो कर्नाटक के मुख्य मन्त्री से सम्बन्धित घटना के बारे में इन समाचारपत्रों में छपा था । पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को 23 सितम्बर, 1980 की सुबह को शान्तिपूर्वक तितर-बितर होने के लिए राजी कर सके । इस प्रदर्शन और समाचारपत्रों के प्रबन्धकों की प्रदर्शनकारियों से मिलने में हिचकिचाहट के कारण इन ग्रुपों के समाचारपत्रों अर्थात् "दक्कन हेरल्ड", "प्रजावाणी"

"इण्डियन एक्सप्रेस" और "कन्नड़ प्रभा" के प्रकाशन में कुछ घंटों की देरी हुई । निम्नलिखित दस व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया और प्रत्येक पर 150-150 रुपए के जुर्माने और इसके न देने पर 15 दिन की कैद की सजा दी गई थी; सभी अभियुक्तों ने जुर्माना अदा कर दिया था और मामले को खत्म कर दिया गया था।

सर्वश्री डी० श्रीधर, पी० सी० तिलाराम, एम० दुबे, पीटर शांताराज, एस० सरदार, डी० एन० अनन्तमूर्ति, आर० वी० हरीश, जी० शिवन्ना, सी० जगन्नाथ अचर और वेंकटेश ।

दो पत्रकारों अर्थात् सर्वश्री पी० के० जैन और जे० डी० शर्मा को राज्य सरकार द्वारा 7 सितम्बर, 1980 को उत्तेजक लेखों और अतिश्योक्तिपूर्ण समाचार देने के आरोप में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था और बाद में इनको उसी दिन "उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980" के अन्तर्गत नजरबन्द कर दिया गया था । उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत उनकी नजरबन्दी के आदेशों को राज्य सरकार ने 16-9-80 को रद्द कर दिया था। श्री पी० के० जैन की जमानत 22-9-80 को मंजूर की गई थी और उन्हें उसी दिन छोड़ दिया गया था। श्री जे० डी० शर्मा की जमानत 4-10-80 को मंजूर की गई थी और उन्हें 6-10-80 को छोड़ दिया गया था।

सिंडीकेट प्रेस, मद्रास के मालिक श्री चोकलिंगम को राजद्रोही सामग्री छापने के आरोप में राज्य सरकार द्वारा 29-8-80 को गिरफ्तार किया गया था। श्री शनमुगम बनाम गोर्की, मद्रास को राजद्रोही स्वरूप के साहित्य और कुछ अश्लील पुस्तकों को भी तैयार करने तथा शराब पीने तथा शराब रखने के आरोप में 23-9-1980 को गिरफ्तार किया गया था।

यह आरोप लगाया गया है कि आगरा मण्डल के आयुक्त ने स्थानीय पत्रकारों की एक अनौपचारिक बैठक में एक समाचार एजेंसी द्वारा अलीगढ़ से जारी एक इस अनुत्तरदायी समाचार कि "हाल के दंगों के दौरान 400 होमगार्ड ड्यूटी पर नहीं आए" पर टिप्पणी की और उनको अपुष्ट समाचारों के देने के विरुद्ध चेतावनी दी। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्य की विधान सभा में इस बात का खण्डन किया कि आगरा मण्डल के आयुक्त ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया था ।

भारत में प्रेस को अपने कार्यकरण में पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। तथापि, पत्र और पत्रकार उतने ही उत्तरदायी हैं जितने कि साधारण नागरिक जो देश के कानून के अधीन हैं। उनकी जिम्मेदारी तब और भी ज्यादा हो जाती है जब उनके लेख या रिपोर्टें राष्ट्रीय सुरक्षा और साम्प्रदायिक या अन्तरजातीय मेल-मिलाप के प्रश्न से सम्बद्धित होती हैं। यह देखा गया है कि कतिपय छोटे वर्गों के समाचारपत्रों की यह प्रवृत्ति है कि वे राष्ट्रीय एकता और साम्प्रदायिक मेल-मिलाप पर हानिकारक परिणाम का विचार किए बिना संवेदनावाद और अतिश्योक्ति में रत हैं। यह उम्मीद है कि पत्रकार राष्ट्रीय हित में इस पहलू पर समुचित ध्यान देंगे।

4056. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि० के प्रधान कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी और मस्टर रौल पर लगे निम्न श्रेणी लिपिकों की वर्ग-वार संख्या कितनी है और क्या इन पदों पर नियुक्तियां रोजगार कार्यालय से नामों को मंगवा कर की गई हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में मस्टर रौल पर की जाने वाली नियुक्तियों के लिए नामों का प्रस्ताव करने वाला अलग रोजगार कार्यालय है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के केन्द्रीय कार्यालय में 2 मस्टर रौल कर्मचारी हैं। एक को नौकरी पर कर्मचारी की मृत्यु के कारण रोजगार सहायता देने हेतु निगम की योजना के अन्तर्गत नियुक्त किया गया है। स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से हिंदी आशुलिपिक की भर्ती निलम्बित होने के कारण अन्य मस्टर रौल कर्मचारी को सरकारी काम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अस्थायी आधार पर हिन्दी टंकण के रूप में लगाया गया है।

(ख) जी हां।

**भारतीय उर्वरक निगम का विभाजन**

4057. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में भारतीय उर्वरक निगम पांच कम्पनियों में विभाजित किया गया था और उस समय भारतीय उर्वरक निगम के मुख्य कार्यालय तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कार्यालय को पटना में ले जाने का निर्णय भी किया गया था जिसके लिये 75 लाख रुपये की राशि भी मंजूर की गई थी।

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कार्यालयों को अभी तक पटना न ले जाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त 75 लाख रुपये की राशि कुछ अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च की जा रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) से (ग) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेट का पुनर्गठन 1.4.1978 से पांच कम्पनियों के रूप में किया गया था, अर्थात राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय बम्बई में है, और नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, जिनके मुख्यालय दिल्ली में हैं। मार्च 1979 में अस्थाई तौर पर यह निर्णय किया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० का मुख्यालय कलकत्ता में और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० का मुख्यालय बिहार में किसी उपयुक्त स्थान पर भेजा जाएगा। इस स्थानान्तरण के खिलाफ सरकार द्वारा प्राप्त कुछ अभ्यावेदनों पर विचार किए जाने तक दोनों

कारपोरेशनों को यह सलाह दी गई थी कि वे इस संबंध में कोई वित्तीय इकरारनामा न करें। मुख्यालय को बदलने के लिए हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० ने वर्ष 1979-80 के संशोधित अनुमानों में 25 लाख रुपये और वर्ष 1980-81 के बजट अनुमानों में 25 लाख रुपये की व्यवस्था की थी। इन प्रावधानों का उपयोग नहीं किया गया है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के मुख्यालय को बदलने के लिए बजट प्रावधान नहीं रखा गया था।

**बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा अपने 'एग्जीक्यूटिवज' को विदेशों को भेजने पर खर्च किया गया धन**

4058. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा अपने 'एक्जीक्यूटिवज' को विदेशों को भेजने पर खर्च किया गया धन के बारे में 12 अगस्त, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुलन-पत्रों में ऐसे व्यय किस लेखा शीर्ष में दर्शाए गए हैं;

(ख) क्या प्रशिक्षण के नाम पर विदेशी मुद्रा को इस प्रकार खर्च किए जाने पर कड़ा नियंत्रण करने तथा शेयरधारियों के हितों को रक्षा करने की दृष्टि में रखते हुए सरकार की कम्पनी नियमों में इस आशय का संशोधन करने की आवश्यकता पर ध्यान देने का विचार है कि ऐसे व्यय को वे बड़े औद्योगिक गृह अपने-अपने वार्षिक खातों में दर्शाएं; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत, कम्पनियों के लिए अपने वार्षिक लेखाओं में अलग से, अपने कार्यकारियों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर भेजने पर किये गये व्यय की बाबत सूचना भेजना जब तक अपेक्षित नहीं है, तब तक कि यह व्यय कम्पनी के कुल राजस्व का एक प्रतिशत अथवा 5,000 रु० जो भी अधिक हो से अधिक न हो (जैसा कि कम्पनी अधिनियम के भाग-2 अनुसूची-6 में अभिसांविदित है।) लघुतर राशियों के लिये, व्यय की श्रेणी "विविध व्यय" के अंतर्गत आयेगी।

(ख) तथा (ग) वित्त मंत्रालय ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जिनके लिये विदेशी मुद्रा की छूट दी जा सके, जिससे इस प्रकार के मान्य पाठ्यक्रमों में प्रतिष्ठित सार्थों में वरिष्ठ प्रबन्धकीय पदों को धारण करने वाले अच्छे शैक्षणिक रिकार्ड वाले कार्मिक प्रवेश ले सकें। इन सुविधाओं को भारत में वरिष्ठ तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्मिकों को अवसर देने के लिये संगठित किया गया है जिससे उनको विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि से नवीनतम विकासों के युगानुकूल लाया जा सके तथा इस प्रकार के कार्मिकों को प्रगतिशील देशों में मार्केट में अंगीकार की गई नूतन तकनीकियों को ग्रहण करने में समर्थ किया जा सके। इन मामलों में विदेशी मुद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चयन के आधार पर छूट दी जाती है।

**प्रेस सूचना ब्यूरो की संख्या**

4059. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कितने प्रेस सूचना ब्यूरो खोले जाने का विचार हैं;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बैन एम० जोशी)**: (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का देश के विभिन्न भागों में चरणबद्ध रूप में 13 कार्यालय व सूचना केन्द्र खोलने का विचार है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) प्रस्तावों को अभी योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाना है । उसके बाद, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक धन राशि उपलब्ध की जानी होगी ।

**'कोल ट्रांसपोर्ट बाई ट्रक' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार**

4060. **श्री आर० के० महालगी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1980 के इकनामिक टाइम्स (बम्बई) में 'कोल ट्रांसपोर्ट बाई ट्रक' गुजरात मिल्स स्पैन्ड रुपीज 8-5 क्रोरर्स मोर इन मंथस शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार सरकार के ध्यान में आई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह समाचार सही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात में वस्त्र उद्योग और रेयन उद्योग की कोयले की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेल परिवहन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है इसलिए इन उद्योगों में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए सड़क द्वारा कोयला मंगाया है । ट्रकों का प्रबंध उद्योगों ने स्वयं किया था अत: सड़क से कोयला मंगाने में किया गया वास्तविक व्यय ज्ञात नहीं है ।

**प्रेस सूचना ब्यूरो के सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रत्यय पत्र दिया जाना**

4061. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सेवानिवृत्त सूचना अधिकारियों (प्रेस सूचना ब्यूरो) को प्रत्यय पत्र प्रदान किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम तथा पद नाम क्या हैं;

(ग) वे अपने-अपने पत्रों के संवाददाता के रूप में कब से कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या प्रत्यय पत्र के लिये अपने आवेदन पत्रों में उन्होंने सभी शर्तें पूरी कर दी हैं और तत्संबंधी नियमों का अनुपालन किया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इन सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रत्यय पत्र प्रदान करने के क्या विशेष कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) उनके नाम, पदनाम और वह अवधि, जिससे उनको प्रत्यायन-पत्र प्रदान किया गया है, परिशिष्ट-1 में दिए गए हैं ।

(घ) उनमें से प्रत्येक को प्रत्यायन-पत्र इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद प्रदान किया गया था ।

(ङ) प्रश्न नहीं ऊठता ।

**विवरण**

| क्रम सं० | नाम | संगठन जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं | नियमित आधार पर प्रत्यायित करने की तिथि | पत्र सूचना कार्यालय में आखिर में जिस पद पर थे |
|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री एस० कुमार देव | दक्कन हैरल्ड | अक्तूबर, 1979 | सूचना अधिकारी |
| 2. | श्री सी० एस० सबूर | राजस्थान पत्रिका | 15-11-80 | उप प्रधान सूचना अधिकारी |
| 3. | श्री जी० डी० चंदन | मुंशिफ (उर्दू) | 15-11-80 | सूचना अधिकारी |
| 4. | श्री के० आर० सुदराजन** (लम्बी और प्रतिष्ठित सेवा) | — | 9-10-77 | सूचना अधिकारी |
| 5. | श्री बी० बी० माथुर | धरैति (उड़िया) | 10-9-79 | निदेशक, जन सम्पर्क |

** श्री सुदराजन, किसी समाचारपत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, किन्तु व्यवसाय में कम से कम 25 वर्ष की लम्बी और प्रतिष्ठित सेवा रखने वाले उन पत्रकारों, जो नियमित आधार पर किसी माध्यम संगठन से सम्बद्ध नहीं होते, को सी० पी० ए० सी० में प्रतिनिधित्व प्राप्त व्यावसायिक निकायों की सिफारिशों पर उनकी पत्रकारिता गतिविधि के लिए सुविधाएं दी जाती हैं ।

**पेराफीन मोम का उत्पादन**

4062. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेराफीन मोम के उत्पादन में हमारे देश में कमी है;

(ख) यदि हां तो क्या हमारे देश में पेराफीन मोम के उत्पादन के लिए सरकार कोई कारखाना स्थापित कर रही है; और

(ग) यदि हां तो इसे कहां स्थापित करने की योजना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मद्रास शोधनशाला में पेराफीन मोम एकक लगाने का एक प्रस्ताव है ।

**मैसर्स पैरीज कन्फेक्शनरी लिमिटेड के विरुद्ध जांच**

4063. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैं० पैरीज कन्फैक्शनरी लिमिटेड प्रादेशिक प्रतिबन्धों, पक्षपातपूर्ण तरीके से छूट देने और अस्थिर बिक्री मूल्य जैसी अवरोधक व्यापारिक प्रक्रियाएं अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने फर्म के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष रहे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) से (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने क्षेत्रीय बन्धन, विभेदपूर्ण छूट की स्वीकृति और पुनर्विक्री मूल्य रखने जैसे अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के ग्रस्त रहने पर मैसर्स पेरीज कन्फैक्शनरी लिमिटेड, मद्रास के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 10(क) (iii) और 37 के अन्तर्गत दिनांक 16-8-1980 को जांच संस्थापित की थी । जांच अभी अनिर्णीत स्तर पर है ।

**कास्टिक सोडा के लिए लाइसेंसों का उपयोग किया जाना**

4064. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कास्टिक सोडा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जारी किये गये बहुत से औद्योगिक लाइसेंस उद्यमियों द्वारा कार्यान्वित नहीं किये जा रहे हैं हालांकि इसकी गम्भीर कमी हो गई है और इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान क्षमता के उपयोग में भारी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लाइसेंसों की मंजूरी में काफी समय लगा है और इसमें संस्थापकों (प्रोमोटेर) की ओर से काफी समय सम्बद्ध है और बाजार में लाइसेंस

प्राप्त उत्पादों की कमी है और फिर भी इनका निर्माण करने के लिये लाइसेंस रखने वाले एकक इन्हें कार्यान्वयन करने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके पीछे कारणों का ब्यौरा क्या है;

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) (1) प्रति वर्ष 1,41,100 टन की कुल क्षमता वाले कास्टिक सोडा के सभी छः औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(2) बिजली की कमी के कारण स्थापित क्षमता का उपयोग वर्ष 1979-80 के दौरान केवल 72 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर, 1980 के दौरान 14 प्रतिशत हुआ।

(ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करने पर आवेदक कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज, बम्बई द्वारा संयंत्रों का आयात**

4065. **श्री रसीद मसूद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज लि०, बम्बई को को-एक्सट्यूडिड पौलिथलीन फिल्म के निर्माण के लिए 1000 टन की क्षमता वाले एक संयंत्र के बजाय 800-800 टन क्षमता वाले दो संयंत्र आयात करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज द्वारा संयंत्रों का उत्पादन क्षमता का लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक को-एक्स्ट्रा-यूडिड पोलीथलीन फिल्म का निर्माण करके दुरुपयोग न किया जाये ताकि केवल 600 टन क्षमता वाले छोटे एककों के हितों की रक्षा हो सके ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) इस मंत्रालय के पास यह बतलाने के लिए सूचना नहीं है कि मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रत्येक 800 मीट्रिक टन क्षमता वाले दो संयंत्रों का, को-एक्सट्रडेड पोलीथिलीन फिल्मों का उत्पादन करने के लिए, आयात किया है जिसके लिये 1000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष उत्पादन के लिए उनके पास एक औद्योगिक लाइसेन्स हैं। वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(ग) 2200 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष तक विस्तार करने के लिए दिए गए इस पार्टी के प्रार्थना-पत्र को नामंजूर कर दिया गया है।

**मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज, बम्बई को पोलीथलीन के निर्माण हेतु अतिरिक्त लाइसेन्स जारी किया जाना**

4066. **श्री रशीद मसूद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई को महाराष्ट्र राज्य में तालोजा में 1000 टन को-एक्सट्रूडिड पोलीथलीन फिल्म के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया है जबकि देश में अन्य 22 फर्मों को 600 टन के लिए लाइसेन्स दिए गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि तालोजा में मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज ने को-एक्सटरूसन संयंत्र नहीं लगाया है और अंधेरी स्थित अपने कारखाने में लाइसेन्स की शर्तों और महानगर की नीति का उल्लंघन करके उत्पादन आरंभ कर दिया है और सरकार से इस संबन्ध में अनेक शिकायतें की जा चुकी हैं;

(ग) यदि हां, तो मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज बम्बई को को-एक्सट्रूडिड पोलीथलीन के निर्माण हेतु अधिक क्षमता का लाइसेन्स दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उपरोक्त भाग (ख) के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी)** : (क) मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को महाराष्ट्र में तलोजा स्थान पर 1000 मी० टन प्रति वर्ष को एक्सट्रूडिड पोलीथीलीन पि:लम के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था । 25 अन्य पार्टियों को 600 मी० टन क्षमता हेतु प्रत्येक को आशय पत्र भी दिए गए थे ।

(ख) इस शिकायत को, कि मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज ने तलोजा में इस संयत्र को नहीं लगाया है और अंधेरी के अपने कारखाने में उत्पादन आरम्भ कर दिया है, देखा जा रहा है ।

(ग) मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज को 1000 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता, जिसका आवेदन किया गया था, की मंजूरी दी गई थी । बाद में इस उत्पाद के लिए बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और यह निर्णय लिया गया कि अन्य पार्टियों को प्रत्येक को 600 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता, जिसको आर्थिक रूप से व्यवहार्य समझा जाता है, के लिए आशय पत्र दे दिए जायें । 2200 मी० टन प्रति वर्ष के विस्तार के लिए मैसर्स सुप्रीम इण्डस्ट्रीज के आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दिया गया है ।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है ।

**मैसर्स सुप्रीम इन्डस्ट्रीज, बम्बई को लाइसेंस दिया जाना**

4067. **श्री रशीद मसूद** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई ने 1500 टन "कोएक्सट्राडिड पोलिथीलीन फिलम" (मल्टी लेयर) और 15 टन "शीटस" के लिए औद्योगिक लाइसेन्स हेतु आवेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके अनुरोध के अनुसार उनको लाइसेन्स देने को सहमत हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो इन लाइसेन्सों के दिए जाने के कारण इसके "एकाधिकार" उद्योग बन जाने के परिणामस्वरूप इसका लघु उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड बम्बई ने 3000 मी. टन प्रति वर्ष मल्टी लेयर प्लास्टिक फिल्म तथा शीट के उत्पादन हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उनको 1000 मी. टन प्रति वर्ष मल्टी लेयर प्लास्टिक फिल्म तथा 1500 मी० टन प्रति वर्ष मल्टी लेयर प्लास्टिक शीट के लिये एक आशय पत्र दे दिया गया है।

(ग) यह नई मदें हैं और इनका कोई वर्तमान उत्पादक नहीं है। क्योंकि इन वस्तुओं के लिए कई पार्टियों के आशय-पत्र दिये गए हैं, किसी एकक का एकाधिकार नहीं होगा। मैसर्स सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड को दिए गए आशय पत्रों से अन्य एककों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आशय-पत्र केवल इन क्षमताओं के लिए दिए गए हैं जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य मानी गई है।

**सांसदों के विशेषाधिकारों का संहिताबद्ध किया जाना**

4068. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन में, प्रेस के संबंध में संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध किए जाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार संहितावद्ध करने के जिए सरकार का संसद में कोई प्रस्ताव लाने का विचार है?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) और (ख) प्रेस के संबंध में संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन से संसदीय कार्य विभाग में अभी हाल ही में कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय पर अभी कोई विधान विचाराधीन नहीं है।

**इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण**

4069. **श्री जैनुल बशर** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लिमिटेड में शेयर हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने; और

(ग) क्या इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि० का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार इण्डियन इक्सप्लोसिस लि० में 28.98 करोड़ रुपये की प्रदत्त साम्य पूंजी में से 3.36 करोड़ रुपये मूल्य की अंशधारी है।

(ग) कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**विदेशी मत्स्य नौकाओं को भारत में ईधन लेने की अनुमति**

4070. **श्री. डी०पी० जदेजा : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल की सामान्य कमी होते हुए भी विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं को भारतीय बन्दरगाहों से ईधन लेने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी चार्टर्ड नौकाओं ने 1979, 1980 में कितनी वास्तविक राशि का ईधन किन किन बंदरगाहों से खरीदा और उन्होंने कितनी राशि नकद दी।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) विशाखापतनम ही केवल मात्र ऐसा भारतीय बन्दरगाह है जहां से विदेशी मत्स्य नौकाएं वंकर ईधन प्राप्त कर रहीं थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी, 1979 तथा अगस्त, 1980 के बीच ऐसी नौकाओं को 90.5 लाख रुपये मूल्य का 5100 किलो लिटर वंकर ईधन सप्लाई किया गया था। अगस्त, 1980 के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के कारण इन नौकाओं को वंकर ईधन सप्लाई नहीं किया गया।

**कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही**

4071. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जनवरी, 1980 से अद्यतन कम्पनी अधिनियम की प्रत्येक धारा के अन्तर्गत और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत इन धाराओं और उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण कितनी कम्पनियों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाही की गई है; और

(ख) कितने मामलों में निर्णय लिया जा चुका है और कितने मामले निर्णय हेतु अभी विचाराधीन हैं तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण तथ्य क्या हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) तथा (ख) सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

**"समाचार माध्यमों की लड़खड़ाती प्रगति" शीर्षक लेख**

4072. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दैनिक सिन्दुस्तान" दिनांक 23 नवम्बर, 1980 में "संचार माध्यमों की लड़खड़ाती प्रगति" शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार जन संचार से सम्बद्ध कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) सरकार ने 23 नवम्बर, 1980 के दैनिक हिन्दुस्तान में "संचार माध्यमों की लड़खड़ाती प्रगति" नामक शीर्षक के अन्तर्गत छपे लेख को देखा है ।

(ख) और (ग) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन निम्नलिखित संस्थान हैं जो इस समय सेवा में रत कार्मिकों और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में रत हैं जिसका उद्देश्य देश के विकासात्मक कार्यक्रमों और गतिविधियों के लिए संचार समर्थन प्रदान करने और राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों में अधिक वांछित जन सहभागिता हासिल करने में उनको व्यावसायिक रूप से उत्तरदायी बनाना है :

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे ।

भारतीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली ।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), आकाशवाणी, नई दिल्ली ।

कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम), आकाशवाणी, नई दिल्ली ।

2. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, सरकार वांछनीय परिणामों को प्राप्त करने के लिए सभी संभव उपायों का पता लगाती रहती है । इस उद्देश्य की पूर्ति में, इस मन्त्रालय ने हाल ही में एक सलाहकार समिति गठित की है जिसके विचारणीय विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ व्यापक राष्ट्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप माध्यमों में अधिक व्यावसायिक दक्षता लाने और इनके कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के उपायों की सिफारिश करना है । इसके अलावा, वर्तमान पाठ्यक्रमों के अलावा, रेडियो और दूरदर्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुप्रशिक्षित उप-सम्पादकों, रिपोर्टरों और कॉमन्टेटरों के लिए भारतीय जन संचार संस्थान द्वारा प्रसारण पत्रकारिता में एक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है ।

**मै० स्मिथ स्टानी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रबन्धकों तथा कर्मचारियों के बीच समझौता**

4073. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्मिथ स्टानी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रबन्धकों ने कलकत्ता स्थित मुख्यालय तथा देश भर में शाखाओं में अपने कर्मचारियों के साथ (मई, 1979 में) एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस समझौते के अनुसार दैनिक श्रमिकों को स्थायी बनाए जाने का लाभ दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) जी, हां।

स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि० (एस० एस० पी० एल०) के प्रबन्धकों और स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट कामगार यूनियन कलकत्ता तथा स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट कामगार यूनियन, कटक, दिल्ली, गोहाटी, कानपुर और पटना के बीच 1-5-1979 से 30-4-1982 तक की अवधि के लिए दिनांक 26-5-1979 को एक करार हुआ था। यह करार मुख्य रूप से वेतनमान, मंहगाई भत्ता आदि सहित वेतन में संशोधन के बारे में था।

(ग) दैनिक मजदूरों को कम्पनी में स्थायी किये जाने के बारे में उक्त करार में कोई प्रावधान नहीं था।

**गत दो वर्षों के दौरान पंजाब में विद्युत उत्पादन**

4074. **श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत दो वर्षों के दौरान उसकी मांग की तुलना में विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या यह सच है कि विद्युत उत्पादन तथा वास्तविक मांग के बीच काफी अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो हाल में दिल्ली में हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकार के किन प्रस्तावों पर चर्चा की गई; और

(घ) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान पंजाब में विद्युत का कुल उत्पादन क्रमशः 1362 मिलियन यूनिट तथा 1628 मिलियन यूनिट था। इसके अतिरिक्त पंजाब को भाखड़ा व्यास परियोजना से विद्युत का अपना हिस्सा मिलता है। 1978-79 यथा 1979-80 के दौरान ऊर्जा की क्रमशः 4975 मिलियन यूनिट तथा 6111 मिलियन यूनिट की आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता क्रमशः 4774 तथा 5310 मिलियन यूनिट रही।

(ख) पंजाब की ऊर्जा की वर्तमान आवश्यकता तथा विद्युत की मांग क्रमशः लगभग 15.5 से 16 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तथा 1130 मेगावाट है। नवम्बर, 1980 के दौरान वास्तविक उपलब्धता लगभग 11.5 मिलियन यूनिट प्रतिदिन तथा 900 मेगावाट थी।

(ग) और (घ) 14 नवम्बर, 1980 को हुए विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में ताप विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की स्कीमों पर तथा नई यूनिटों को चालू किए जाने पर विचार-विमर्श किया गया था। विचार-विमर्श के दौरान मै० भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के

प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए डिलीवरी सम्बन्धी समय-सूची का पालन करेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० इस बात पर सहमत हो गया था कि भटिंडा ताप विद्युत केन्द्र में अपने उपस्कर की कमियों का अध्ययन करने/सुधार करने के लिए वह अपने अधिकारियों को भेजेगा ।

**औषधों तथा भेषजों का सरणीबद्ध किया जाना**

4075. **श्री रतन सिंह राजदा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्ष-वार औषध तथा भेषज उद्योग की कितनी मदों को सरणीबद्ध किया गया है और प्रत्येक मद के मामले में उनके मंत्रालय की क्या-क्या सफारिशें हैं; और

(ख) सरणीबद्ध औषधों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक वर्ष के दौरान इनका कितना-कितना आयात किया गया है तथा सप्लाई की गई, प्रत्येक मद का मात्रा-वार और वर्ष-वार किन-किन पार्टियों को वितरण किया गया था ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** (क) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान जिन सरणीबद्ध बल्क औषधों और औषध मध्यवर्ती पदार्थों का आयात किया गया था उनकी सूची संलग्न अनुबन्ध 'क' से 'ङ' में लगी हुई है ।

(ख) पिछले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आयात की गई सरणीबद्ध औषधों की मात्रा जैसा कि सी० पी० सी० ने बताया है, संलग्न अनुबन्ध 'च' में दर्शाई गई है । पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं को वितरित की गई सरणीबद्ध कच्ची सामग्री की मात्रा से संबंधित सूचना में अत्यधिक मिलान कार्य निहित है । इन आंकड़ों को एकत्र करने में निहित समय और परिश्रम उससे निकलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे ।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1638/80]

**'बल्क' औषधियों के उत्पादन में विदेशी औषध कंपनियों का दर्जा**

4076. **श्री रत्न सिंह राजदा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1954, 1960, 1966, 1970, 1975, 1977 और इस समय 'बल्क' औषधियों के मामले में विदेशी औषध कम्पनियों का दर्जा क्या है;

(ख) मूल चरण से कितनी बल्क औषधियां निर्मित की गईं थीं और उनके नाम क्या हैं तथा इसका उत्पादन कर रहीं कम्पनियां कौन-कौन हैं; और

(ग) औद्योगिक (विकास और अनुसंधान) अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंसों/अथवा अनुमोदनों के बिना विदेशी फर्मों द्वारा कितनी बल्क औषधियां निर्मित की गई थीं/निर्मित की गई हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) वर्ष 1973, 1975-76, 1976-77 और 1978-79 के दौरान विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा उत्पादित बल्क औषधों के मूल्य निम्न प्रकार थे ;

| वर्ष | रुपये करोड़ों में |
|---|---|
| 1973 | 19.00 |
| 1975-76 | 52.00 |
| 1976-77 | 63.00 |
| 1978-79 | 56.00 |

पूर्व वर्षों के ऐसे आकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(ग) सरकार के पास उपलब्ध आंकड़े के आधार पर यह पाया गया है कि एक बल्क औषध का उत्पादन विदेशी कम्पनी द्वारा किया जा रहा है जो इनके द्वारा धारित लाइसेंस में लगाई गई शर्तों के अनुरूप है और 25 बल्क औषधें विदेशी कम्पनियों द्वारा घरेलू खपत के लिए उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम की अनुसूची की व्याख्या-11 की शर्तों के अनुरूप है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1639/80]

**सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों तथा सुपर तापीय विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति**

4077. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सितम्बर और अक्तूबर के प्रत्येक सप्ताह के दौरान भिलाई तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति क्या थी;

(ख) इसी अवधि में सुपर तापीय संयंत्रों तथा दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को बिजली सप्लाई करने वाले तापीय संयंत्रों में ऐसी ही कोयला भंडार की स्थिति क्या थी;

(ग) गत आठ महीनों के दौरान प्रत्येक राज्य की औद्योगिक आवश्यकताओं हेतु कोयले की मासिक मांग और सप्लाई स्थिति क्या थी; और

(घ) यदि कोयला सप्लाई स्थिति सन्तोषजनक नहीं है तो उसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) सितम्बर और अक्तूबर, 1980 के प्रत्येक सप्ताह में भिलाई और अन्य सरकारी कारखानों में कोयले के स्टाक की स्थिति इस प्रकार रही :

| स्टाक की तारीख | इस्पात कारखानों में कोयले का स्टाक हजार टनों में | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | भिलाई | राउरकेला | दुर्गापुर | बोकारो | इस्को |
| 8 सितम्बर | 6.3 | 3.3 | 8.5 | 27.8 | 1.7 |
| 16 सितम्बर | 23.0 | 6.3 | 10.9 | 10.1 | 0.6 |
| 23 सितम्बर | 28.5 | 6.7 | 10.0 | 14.8 | 0.5 |
| 30 सितम्बर | 20.2 | 5.4 | 4.0 | 24.8 | 4.0 |
| 7 अक्तूबर | 17.0 | 5.8 | 6.5 | 20.5 | 6.6 |
| 15 अक्तूबर | 21.4 | 4.2 | 4.6 | 25.9 | 6.1 |
| 22 अक्तूबर | 26.3 | 16.1 | 5.3 | 21.3 | 10.2 |
| 31 अक्तूबर | 38.8 | 17.6 | 11.2 | 27.3 | 11.0 |

(ख) मद्रास कलकत्ता और दिल्ली को बिजली सप्लाई करने वाले प्रमुख ताप बिजलीघरों में कोयले का स्टाक इस प्रकार रहा :

| स्टाक की तारीख | बिजली घरों में कोयले का स्टाक हजार टनों में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | डेसू | बदरपुर | संथाल डीह | बेडेंल | कलकत्ता | एन्नौर |
| 8 सितम्बर | 14 | 13 | 6 | 0 | 17 | 113 |
| 16 सितम्बर | 4 | 17 | 4 | 0 | 17 | 119 |
| 23 सितम्बर | 3 | 10 | 4 | 0 | 12 | 131 |
| 30 सितम्बर | 4 | 12 | 2 | 0 | 11 | 133 |
| 7 अक्तूबर | 13 | 8 | 3 | 0 | 13 | 131 |
| 15 अक्तूबर | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 121 |
| 22 अक्तूबर | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 114 |
| 31 अक्तूबर | 3 | 8 | 4 | 0 | 13 | 112 |

बम्बई जल विद्युत पर और ट्राम्बे ताप बिजलीघर पर निर्भर है जो कि गैस पर आधारित बिजलीघर है ।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1980 की अवधि के लिए मांग और सप्लाई की राज्य-वार सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) उपभोक्ताओं को कोयले की उपलब्धि में कुछ कमी हुई है जिसका मुख्य कारण परिवहन के साधन अपर्याप्त होना है । रानीगंज कोयला क्षेत्र में कोकर और बढ़िया ग्रेड के कोयले

के उत्पादन में भी कुछ कमी हुई है जिसका कारण है बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और कानून तथा व्यवस्था की अनिश्चित स्थिति ।

बिहार बंगाल कोयला पट्टी में कोयला खानों को अधिक बिजली सप्लाई करने और संबद्ध राज्य सरकारों की सहायता से कानून और व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । दामोदर घाटी निगम से बिजली की सप्लाई बढ़ी है और बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और फलस्वरूप अक्तूबर, 1980 से कोयले के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है । वैगनों के आवंटन और लदान में भी पिछले दिनों सुधार होने लगा है । कोयले के उत्पादन और वैगनों के संचलन की उच्चतम स्तर पर औद्योगिक आधारभूत सुविधाओं संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति भी निगरानी कर रही हैं ।

**सांचोर-बाड़मेर बेसिन में समन्वेषी तथा ड्रिलिंग गतिविधियां**

4078. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पेट्रोलियम विभाग, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अथवा किसी अन्य एजेन्सी द्वारा सांचोर बाडमेर, राजस्थान-गुजरात क्षेत्र तथा बारवासर क्षेत्र में, जो गैस तथा तेल की संभावना वाले क्षेत्र हैं, समन्वेषी तथा ड्रिलिंग गतिविधियां कब तक आरंभ की जायेंगी ?

**पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : राजस्थान-गुजरात क्षेत्र के सांचोर-बाड़मेर बेसिन में जहां तक हाइड्रोकार्बनों के होने की संभावना का प्रश्न है इसे बहुत उच्च नहीं आंका गया है । राजस्थान और गुजरात में जैसा प्रश्न में वर्णित है कोई बखासर क्षेत्र नहीं है । फिर भी झाँसी के पास बखासर नामक एक स्थान है जहां हाइड्रोकार्बनों की संभावना अधिक नहीं है : राजस्थान में बाखासर, नामक स्थान जोकि सांचोड़ के पश्चिम में तथारण आफ कच्छ के उत्तर में है, तथा सांचोर- बाड़मेर बेसिन में स्थित है तथा इस प्रकार हाइड्रोकार्बनों के होने की सम्भावना को वहां बहुत अधिक नहीं आंका गया है ।

**आयल इण्डिया द्वारा तेल और गैस के लिए खोज**

4079. **श्री बुद्धि चंद्र जैन** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयल इण्डिया द्वारा देश के किन-किन भागों में तेल और गैस के लिए खोज की जा रही है;

(ख) क्या उपरोक्त एजेन्सी को राजस्थान के कुछ रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेल के लिए खोज करने का काम सौंपा गया है और यदि हां, तो उस क्षेत्र का नाम क्या है; और

(ग) इन कार्यों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या इस बारे में पूरी जानकारी सभा पटल पर रखी जायेगी ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) ऊपरी असम में 1990 वर्ग किलोमीटर का खदान-पट्टा, अरुणाचल प्रदेश में 551 वर्ग किलोमीटर पेट्रोलियम

अन्वेषण लाइसेन्स क्षेत्र, तथा 18,800 वर्ग किलोमीटर महानदी बेसिन तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र ।

(ख) राजस्थान में किसी क्षेत्र को आवंटित करने के प्रश्न पर अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) आयल इण्डिया लिमिटेट (ओ० आई० एल०) ने 1990 वर्ग किलोमीटर के खदान पट्टे से 48 मिलियन टन खनिज तेल उत्पादित किया है जो कि देश में पेट्रोलियम युग के प्रारंभ से तटीय साधनों से प्राप्त कुल खनिज तेल का मोटे तौर पर 40 प्रतिशत है । यह उत्पादन 2.83 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष की दर से कई वर्ष तक चलते रहने की सम्भावना है ।

अरुणाचल पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत खरसांग में तेल प्राप्त हुआ है । यह सन्तुलित उपलब्धि है जिसका अर्ध-अन्वेषणात्मक कूपों का 1500 मीटर की दूरी तक विस्तार खुदाई द्वारा विकास किया जा रहा है । महानदी बेसिन सुविधा के अन्तर्गत 12,000 वर्ग किलोमीटर अपतटीय क्षेत्र तथा 6,800 वर्ग किलोसीटर तटीय क्षेत्र है । दोनों का वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण किया गया है । अपतटीय क्षेत्र में महानदी-1 को 2940 मीटर की गहराई तक खोदा गया है । महानदी-2 को 3900 मीटर से भी नीचे तक खोदा जा रहा है ।

उड़ीसा में महानदी बेसिन में तटवर्ती क्षेत्र में विस्तृत भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने की योजना तैयार की जा रही है ।

**इण्डोनेशिया द्वारा तेल की सप्लाई**

4080. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडोनेशिया भारत को तेल की सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा और यह तेल किस मूल्य पर सप्लाई किया जायेगा;

(ग) क्या संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों ने भी भारत को तेल सप्लाई करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(घ) वर्ष 1981 के दौरान इन दो देशों तथा अन्य देशों द्वारा कुल कितना तेल सप्लाई किया जायेगा ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) और (ख) इंडोनेशिया से खनिज तेल के आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दोनों सरकारों के बीच केवल प्रारंभिक बातचीत हुई है । किसी प्रकार के आश्वासन अभी नहीं दिए गए हैं ।

(ग) और (घ) संयुक्त अरब अमीरात हमें 1980 से तेल सप्लाई कर रहा है । उस देश से वर्ष 1981 के दौरान खनिज तेल के आयात के करार पर अभी हाल में हस्ताक्षर हुए हैं । वास्तविक आयातों की मात्रा बतलाना जनहित में नहीं होगा ।

**पिछड़े क्षेत्रों में औषध कारखानों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन**

4081. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या पिछड़े क्षेत्रों में औषध कारखानों की स्थापना किए जाने पर व्यवसायिक विषयों में स्नातकों और डिप्लोमाधारियों, भूतपूर्व सैनिकों अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कोई, प्रोत्साहन दिए जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा कुछ चुनीदा पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में उद्योग (औषध उद्योग सहित) स्थापित करने के लिए तैयार किए गए सहायता कार्यक्रम में अखिल भारतीय ऋणदाताओं वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली रियायती मिश्र सहायता, चुने हुए 101 पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश सहायता, आयकर रियायत, लघु उद्योग एककों द्वारा मशीनरी की किस्त पर खरीद और परिवहन सहायता शामिल हैं। वर्ष 1980-81 की आयात नीति के पैरा 44 के अन्तर्गत स्नातकों/व्यवसायी विषयों में डिप्लोमाधारियों अथवा भूतपूर्व सैनिकों/अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्तियों द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए गए औद्योगिक इकाइयों (औषध एककों सहित) के लिए कच्चे माल के आयात के लिए विशेष सुविधा दी गई है। उनको सरणीबद्ध मदों के आवंटन में भी वरीयता दी जाती है।

**विदेशी कम्पनियों द्वारा औषधियों और रसायनों का उत्पादन**

4082. **श्री तारिक अनवर :**

**श्री हीरालाल आर० परमार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित उन विदेशी कम्पनियों के नाम और उत्पाद क्या हैं जो 1973 में औषधियों तथा रसायनों के उत्पादन में लगी थीं;

(ख) उनमें से उन कम्पनियों के जिन्होंने स्वयं को भारतीयकृत कर लिया है, उनके भारतीयकरण के वर्ष से परिसम्पत्तियों, इक्विटी, लाभ, बिक्री से आय आदि का ब्यौरा क्या है,

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने स्वयं को भारतीयकृत नहीं किया है और ऐसा न करने के क्या कारण हैं, और

(घ) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें भारतीयकरण से छूट है और इन कम्पनियों का गत तीन वर्षों का कम्पनी-वार इक्विटी, परिसम्पत्तियों, बिक्री, लाभ, आयात, निर्यात आदि का विवरण क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) :** अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।

**राजस्थान को पेट्रोलियम उत्पादों का आवंटन**

4083. **श्री भीखा भाई :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य की केन्द्र द्वारा डीजल, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आवंटन के मामले में उपेक्षा की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वह राजस्थान, गुजरात और अन्य राज्यों को आवंटित उपरोक्त वस्तुओं की मात्रा दर्शाने वाला एक तुलनात्मक विवरण सभा पटल पर रखेंगे; और

(ग) राजस्थान को गुजरात की अपेक्षा कम मात्रा में उपरोक्त वस्तुएं मिलने के क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसयान और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) एवं (ग) सभी राज्यों को हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) का वर्तमान आवंटन वास्तविक आवंटन से 5 प्रतिशत अधिक तथा मिट्टी के तेल का आवंटन पिछले वर्ष के उसी माह में हुई बिक्री से पांच प्रतिशत अधिक के आधार पर किया जाता है । आवंटन का यह आधार विक्रय के एतिहासिक प्रतिमान का पूरा ध्यान रखता है जो कि उन राज्यों में संभावित मांग का उचित विश्वसनीय सूचक है । विभिन्न राज्यों के आवंटन की अप्रतिबद्ध आधार पर बिना विक्रय की मात्रा को देखकर तुलना उचित नहीं है ।

राजस्थान एवं गुजरात सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1980 के महीनों के लिये हाई स्पीड, डीजल तेल व मिट्टी के तेल के किए गए आवंटन का ब्यौरा विवरण-पत्र में संलग्न है (अनुबन्ध-1)

**विवरण**

आंकड़े मी० टनों में

| राज्य/संघ शासित प्रदेश | हाई स्पीड डीजल तेल | | | मिट्टी का तेल | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अक्तू. 80 | नव. 80 | दिस. 80 | अक्तू. 80 | नव. 80 | दिस. 80 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| आंध्र प्रदेश | 55870 | 56200 | 67400 | 25870 | 25690 | 25100 |
| अरुणाचल प्रदेश | 500 | 700 | 600 | 430 | 260 | 400 |
| अण्डमान और निकोबार | 850 | 900 | 900 | 90 | 90 | 90 |
| असम | 12000 | 12000 | 13100 | 11060 | 11080 | 10900 |
| बिहार | 31933 | 37000 | 41300 | 18090 | 19080 | 18400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चण्डीगढ़ | 1290 | 1600 | 1700 | 730 | 660 | 800 |
| दादरा और नागर हवेली | 300 | 400 | 400 | 50 | 50 | 50 |
| दिल्ली | 26000 | 29400 | 30900 | 9500 | 9720 | 10700 |
| गुजरात | 46410 | 52700 | 56000 | 31950 | 33060 | 36600 |
| गोवा, दमन और दिव | 5900 | 6200 | 7300 | 1230 | 1110 | 1300 |
| हरियाणा | 24680 | 26500 | 21600 | 6150 | 6190 | 5700 |
| हिमाचल प्रदेश | 3950 | 4500 | 3400 | 1240 | 1210 | 1500 |
| जम्मू और कश्मीर | 7000 | 7000 | 6600 | 2200 | 2450 | 3300 |
| कर्नाटक | 38000 | 38800 | 45100 | 18820 | 17380 | 19000 |
| केरल | 24560 | 26000 | 27800 | 11430 | 10880 | 11300 |
| मध्य प्रदेश | 33000 | 45400 | 40000 | 16410 | 16390 | 15250 |
| महाराष्ट्र | 90000 | 98000 | 100500 | 69000 | 72660 | 71000 |
| मणिपुर | 900 | 2000 | 1500 | 790 | 790 | 700 |
| मेघालय | 1050 | 1200 | 1200 | 540 | 600 | 600 |
| मिजोरम | 390 | 500 | 400 | 290 | 260 | 200 |
| नागालैण्ड | 640 | 600 | 800 | 340 | 370 | 400 |
| उड़ीसा | 11520 | 13100 | 15100 | 6550 | 5850 | 5950 |
| पंजाब | 51040 | 56600 | 48700 | 10690 | 9610 | 11100 |
| पाण्डिचेरी | 1790 | 1700 | 1700 | 550 | 640 | 700 |
| राजस्थान | 39853 | 42600 | 52300 | 9550 | 11060 | 12000 |
| सिक्किम | 190 | 300 | 500 | 350 | 360 | 500 |
| तमिलनाडु | 63920 | 65600 | 68300 | 28040 | 31450 | 27700 |
| त्रिपुरा | 1400 | 900 | 900 | 1200 | 750 | 700 |
| उत्तर प्रदेश | 82000 | 94000 | 92200 | 27980 | 31010 | 35300 |
| पश्चिम बंगाल | 41100 | 54000 | 57000 | 33300 | 34830 | 34450 |

**राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम को हानि**

4084. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम ने इसकी किसी परियोजना में काम शुरू होने से पहले ही हानि दर्शानी प्रारम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस हानि के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं तथा विद्युत का उत्पादन अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है । अतः कम्पनी को हानि होने की संभावना का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पश्चिम बंगाल में डीजल की कमी**

4085. **श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पश्चिम बंगाल को गत तीन वर्षों के दौरान (मास-वार) डीजल का कितना कोटा आवंटित किया गया था तथा वास्तव में कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : पश्चिम बंगाल सहित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल/एच० एस० डी० तेल के मासिक आवंटन की प्रणाली केवल अक्तूबर, 1979 से ही आरम्भ की गई थी । पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1979 से अक्तूबर, 1980 की अवधि के आवंटन और वास्तविक बिक्री के एच० एस० डी० के ब्यौरे और नवम्बर, तथा दिसम्बर 1980 के लिए उसके आवंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मी० टनों में)

| माह | एच. एस. डी. की आबंटन | एच. एस. डी. की वास्तविक बिक्री |
|---|---|---|
| अक्तूबर, 1979 | 43076 | 51730 |
| नवम्बर, 1979 | 57246 | 54911 |
| दिसम्बर, 1979 | 62301 | 60578 |
| जनवरी, 1980 | 50000 | 50619 |
| फरवरी, 1980 | 52740 | 59116 |
| मार्च, 1980 | 61000 | 52894 |
| अप्रैल, 1980 | 63400 | 56346 |
| मई, 1980 | 63400 | 52064 |
| जून, 1980 | 55600 | 41095 |
| जुलाई, 1980 | 55600 | 47145 |
| अगस्त, 1980 | 55200 | 44817 |
| सितम्बर, 1980 | 55200 | 48476 |
| अक्तूबर, 1980 | 41100 | 43240 (अस्थायी) |
| नवम्बर, 1980 | 54000 | अनुपलब्ध |
| दिसम्बर, 1980 | 57000 | " |

## हाई स्पीड डीजल की मांग

4086. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हाई स्पीड डीजल की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत और गत वर्ष हाई स्पीड डीजल की मांग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई;

(ग) उसकी मांग में वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के जिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों में हाई स्पीड डीजल तेल की खपत में हुई वृद्धि दरें नीचे दी गई हैं :—

| अवधि | पिछले वर्ष की खपत के ऊपर वृद्धि दर प्रतिशत |
|---|---|
| 1978—80 | 12.8% |
| 1978—79 | 11.2% |
| 1977—78 | 9.8% |

(ग) रेल की अपेक्षा सड़क द्वारा विपुल माल की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि के कारण, अकाल के कारण कृषि क्षेत्र से डीजल की मांग में वृद्धि और बिजली की कम उपलब्धता के कारण घरेलू डीजल जनरेटिंग सेटों को प्रयोग में लाने के कारणों से अभी हाल के वर्षों में डीजल की मांग पहले की अपेक्षा तीव्रतर गति से बढ़ रही है।

(घ) शोधनशालाओं के उत्पादन को अनुकूलतम करके और मांग को पूरा करने के लिए डीजल की अधिक मात्राओं का आयात करके डीजल की कुल उपलब्धता को बढ़ाया गया है। राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वर्तमान आवंटन के स्तर के अन्तर्गत समस्त आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त नियंत्रक प्रणाली चालू करने के लिए और वितरण में कदाचार को दबाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने का परामर्श दिया गया है।

## उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र

4087. **श्री के० प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उड़ीसा राज्य में विशेषतया दूरस्थ क्षेत्रों के आदिवासियों के लाभ के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वहां एक केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाने की आशा है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख)

कटक में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना "योजना" (1978-83) की स्वीकृत परियोजनाओं में से एक है। इस रिले केन्द्र के छठी "योजना" अवधि के दौरान चालू होने की संभावना है ।

**राज्य विद्युत बोर्डों के साथ केन्द्रीय दल की बैठकें**

4088. **श्री के० मालन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय दल ने तापीय विद्युत केन्द्रों के कार्यकरण के बारे में राज्य विद्युत बोर्डों के साथ अलग-अलग अनेक बैठकों की ताकि चल रही परियोजनाओं का अधिक उत्पादन सुनिश्चित हो सके और नई परियोजनाएं समय पर चालू हो सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो इस केन्द्रीय दल द्वारा जिन राज्यों का दौरा किया गया उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) और (ख) सचिव (विद्युत) भारत सरकार के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा किया है और राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार विमर्श किया है।

दल ने निम्नलिखित की समीक्षा की है :—

(क) ताप विद्युत और जल विद्युत दोनों प्रकार की विद्युत परियोजनाओं का कार्यकरण ।

(ख) नई परियोजनाएं चालू करने में हुई प्रगति की समीक्षा ।

(ग) विद्युत उत्पादन और पारेषण के अतिरिक्त कार्मिक प्रबंध, वित्त प्रबंध, सामग्री प्रबंध आदि में राज्य बिजली बोर्डों में आधुनिक प्रबंध आदि में राज्य बिजली बोर्डों में आधुनिक प्रबंध प्रणालियां लागू करना ।

(घ) राज्य बिजली बोर्डों में कारपोरेट आयोजना शुरू करना ।

उपर्युक्त विषयों समेत, राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श किया गया था । इन विचार-विमर्शों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिन्हें बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

**सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच तकनीकी सहयोग करार**

4089. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच हुए तकनीकी सहयोग करार की शर्तें तथा अन्य ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने तकनीकी सहयोग करार अब तक किए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसे करारों के किए जाने के बाद गत तीन वर्षों के दौरान

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों में जीवाणुनाशक औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन की निरन्तर होने वाली हानि के मुआवजे के लिए विदेशी तकनीकी जानकारी के सप्लायर को बाध्य करने के लिए करार में कौन-सा प्रतिपूरक खंड शामिल किया गया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ग) वर्ष 1977-78, 1978-79 के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई. डी. पी. एल.) में पैन्सिलिन और टेट्रासाइक्लीन के उत्पादन में गिरावट आई जब विदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग से विस्तार कार्य चालू रहा था । वर्तमान उत्पादर को जारी रखते हुए विस्तार कार्य चलाए जाने के कारण गिरावट आई ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (एच. ए. एल.) में पैनसिलिन और स्ट्रैप्टोमाइसीन का उत्पादन बढ़ रहा है सिर्फ वर्ष 1979-80 को छोड़कर जब एल. ए. एल. के कामगारों ने हड़ताल कर दी थी । एम्पीसिलिन का उत्पादन बढ़ रहा है ।

(घ) चूंकि ये करार स्ट्रैनों, जानकारी या तकनीकी सूचना को सप्लाई के बारे में हैं, उत्पादन हानि का प्रतिपूर्ति अनुच्छेद असंगत नहीं था ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1640/80]

**दामोदर घाटी निगम की बिजली दर में बृद्धि**

4090. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की बिजली दर में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) आरंभ में अब तक दामोदर घाटी निगम की बिजली दर में कितनी बार वृद्धि हुई है और मूल दर तथा अब प्रस्तावित दर के बीच वृद्धि का अन्तर कितना है;

(ग) क्या अन्तर्निमित क्षमता का यथासंभव अधिकतम उपयोग करके और अत्यधिक मितव्ययता करके प्रस्तावित वृद्धि को टाला नहीं जा सकता है; और

(घ) "फ्यूल कलाज सरचार्ज" में बढ़ी हुई मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखा गया ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन** : (क) से (घ) टैरिफ में संशोधन के लिए एक प्रस्ताव की जांच दा० धा० नि० में की जा रही है । यह प्रस्तावित संशोधन, जब भी लागू होगा, नए यूनिटों से विद्युत उत्पादन की लागत में वृद्धि तथा सभी निवेशों की लागतों में आम तौर पर हुई वृद्धि के कारण होगा । टैरिफ की दरें निर्धारित करते समय अर्थ-व्यवस्था के तथा निर्मित्त क्षमता के उपयोग को ध्यान में रखा जाता है । बढ़ी हुई लागतों की समस्त मात्रा को पूरा करने के लिए ईंधन अधिभार ही पर्याप्त नहीं होता है क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक निवेशों में ईंधन केवल एक निवेश है ।

(ख) दा० धा० नि० की मूल टैरिफ 1952 में लागू की गई थी । टैरिफ में संशोधन जनवरी, 1959 में, अप्रैल, 1965 में, फरवरी, 1971 में, अगस्त, 1974 में तथा दिसम्बर, 1974 में किया गया था । वास्तविक वृद्धि का सुनिश्चित हिसाब नहीं लगाया गया है ।

**डी० वी० सी० डब्ल्यू०, बी० एस० इ० बी० और डी० पी० एल० के बिजली-घरों को सप्लाई किए गए कोयले के प्रति मीट्रिक टन की उत्पादन लागत**

4091. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड के डी० वी० सी० डब्ल्यू०, बी० एस० इ० बी० और डी० पी० एल० के बिजलीघरों को सप्लाई किये गये कोयले के प्रति मीट्रिक टन की उत्पादन लागत क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस लागत के विभिन्न तत्वों का ब्यौरा क्या-क्या रहा है;

(ख) उत्पादन लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और इन उपायों के वास्तव में क्या परिणाम सामने आये हैं; और

(ग) धावन शाला की "मिडलिंग" का कोयले की भांति ही क्यों मूल्य लगाया जाता है, जबकि इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किये जाने वाले अच्छी किस्म के कोयले को प्राप्त करने के लिये यह संसाधन का एक उप-उत्पाद है और "मिडलिंग" का उत्पादन के सिवाय कोई और उपयोग नहीं है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) कोयले की उत्पादन लागत उपभोक्ता-वार आधार पर नहीं बल्कि कम्पनी-वार आधार पर निकाली जाती है। दामोदर घाटी निगम, पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड और दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड की कोयले की कुल जरूरत कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों से पूरी की जाती है। कोल इण्डिया लिमिटेड की खानों में कोयले की उत्पादन लागत पिछले 3 वर्षों में इस प्रकार रही है :—

उत्पादन लागत प्रति टन रुपयों में

| | 1979-80 | 1978-79 | 1977-78 |
|---|---|---|---|
| वेतन और मजदूरी | 70.55 | 50.27 | 47.02 |
| भंडार सामग्री | 10.91 | 9.70 | 9.09 |
| बिजली | 4.77 | 4.28 | 3.38 |
| कोयले और रेत का परिवहन | 2.68 | 2.12 | 2.61 |
| मूल्य ह्रास और निर्माण | 14.29 | 13.31 | 8.63 |
| अन्य जिसमें राज सहायता आदि शामिल हैं | 2.14 | 7.30 | 5.91 |
| | 105.34 | 85.98 | 76.64 |

यह आंकड़े अनन्तिम और बिना लेखा परीक्षा के हैं।

(ख) उत्पादन लागत में किफायत सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

1. कोलियरियों को बिजली, विस्फोटक पदार्थों और डीजल की सप्लाई जैसी आधारभूत बाधाओं को दूर करके कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है।

2. खनिकों में अनुपस्थिति की आदत पर नियंत्रण।

3. जनशक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में सुधार।

4. उपकरणों के उपयोग में सुधार और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

(ग) कोयले का वर्तमान कीमत ढांचा कोयले के उपयोगी ऊष्मा मूल्य पर आधारित है। मिडलिंग की कीमत समकक्ष ऊष्मा मूल्य वाले कच्चे कोयले की कीमत के अनुसार रहती है।

## प्रादेशिक चित्रहार

4092. **श्री ए० सी० दास :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन द्वारा सप्ताह में एक बार प्रादेशिक चित्रहार कार्यक्रम पेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो विगत 6 महीनों में विभिन्न प्रादेशिक फिल्मों से नृत्य एवं संगीत के कितने दृश्य दिखाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन के प्रोग्राम अधिकारी ने उड़ीया के फिल्म-गीतों की उपेक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उनका कोई कार्रवाई करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता। कार्यक्रमों के लिए गीत और नाटक अनुक्रमों का चयन स्थानीय रूप से उनकी उपलब्धता और दूरदर्शन पर उपयोग के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करता है। क्योंकि उड़िया की फीचर फिल्में सामान्यतया स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं होतीं, इसलिए उनको अन्य भाषाओं की फिल्मों, जो दिल्ली में अधिक आसानी से उपलब्ध हैं, की तुलना में अधिक नहीं दिखाया गया है।

विवरण

उन भाषायी फीचर फिल्मों (प्रादेशिक) की संख्या, जिनसे प्रादेशिक "चित्रहार" के लिए गीत और नाटक अनुक्रम लिए गए ।

| भाषा | जून | जुलाई | अगस्त | सितम्बर | अक्तूबर | नवम्बर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. तमिल | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 2. तेलुगु | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 3. मलयालम | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4. कन्नड़ | – | – | – | 4 | – | – |
| 5. कश्मीरी | – | – | – | – | – | – |
| 6. बंगला | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 7. मराठी | – | – | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8. पंजाबी | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 9. भोजपुरी | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 10. गुजराती | 1 | – | 3 | 3 | – | 3 |
| 11. सिंधी | – | – | – | – | – | – |

**जीवन रक्षक औषधियों का आयात**

4093. **श्री के० पी० सिंह देव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान जीवन रक्षक औषधियों के आयात में निरन्तर वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान ऐसी औषधियों का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अधिकांश ऐसी औषधियों का उत्पादन देश में बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है और कुछ समय पूर्व उन्होंने अपने उत्पादन में कटौती कर दी है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) अनुबन्ध-1 में संलग्न विवरण पत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान औषधि और भेषजों के आयात के सी० आई० एफ० मूल्य से देखा जा सकता है कि ऐसे आयात अधिकांश तौर पर पिछले दो वर्षों में स्थिर हो गए हैं ।

(ख) वर्ष 1978 की नई औषध नीति का एक उद्देश्य यह है कि आयात की मात्रा को कम करने की दृष्टि से औषधों के उत्पादन में स्वावलम्बन प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। औषध उद्योग से औद्योगिक लाइसेंस आशय पत्र और पंजीकरण पत्र जारी करने के लगातार प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें तेजी से निपटाया जाता हैं। वर्तमान वर्ष (जनवरी, 1980 से अक्तूबर अन्त तक) के दौरान इस सम्बन्ध में आशय पत्र और 49 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं। महानिदेश तकनीकी विकास ने भी सूचित किया है कि जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1980 के दौरान उन्होंने औषध उद्योग को 86 पंजीकरण पत्र जारी किये हैं। स्वदेशी बल्क औषध उत्पादन वर्ष 1976-77 के 150 करोड़ रुपये से वर्ष 1979-80 के दौरान 226 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। तथापि आयात से नहीं बचा जा सकता क्योंकि कुछ औषध और औषध मध्यवर्ती प्रौद्योगिकी की कमी के कारण या आर्थिक उत्पादन के लिए अपर्याप्त मांग के कारण या जिसका स्वदेशी उत्पादन अनुमानित मांग से कम है, इसलिए देश में उत्पादित नहीं किये जाते। बढ़ती मांगों और बिजली कटौती जैसे उत्पादन प्रभावित करने वाले विधिक मुद्दों के कारण स्वदेशी उत्पादन की पूर्ति के लिए आयात की आवश्यकता होगी।

(ग) वर्तमान वर्ष (अप्रैल से सितम्बर, 1980) के दौरान कुछ जीवन रक्षक और आवश्यक बल्क औषधों के उत्पादन में वर्ष 1979 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में कुछ कमी हुई है। उत्पादन में कमी विदेशी और भारतीय दोनों कम्पनियों की है। उत्पादन में कमी अनेक कारणों से है, जैसे—बिजली की कटौती, जल समस्या, कुछ यूनिटों में उपकरणों की खराबी, औद्योगिक अशान्ति और कुछ कच्चे मालों की अनुपलब्धता/समिति उपलब्धता।

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

| क्र० सं० | वर्ष | आयात का कुल सी० आई० एफ० मूल्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1975-76 | 46.02 |
| 2. | 1976-77 | 54.17 |
| 3. | 1977-78 | 82.41 |
| 4. | 1978-79 | 95.32 |
| 5. | 1979-80 | 93.81 |

**ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य**

4094. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युतीकरण के चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए कार्य का राज्यवार विवरण क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने यह आश्वासन दिया कि नए बनाए गए इन प्वाइंट्स को बिजली दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने राज्य विद्युत परिषदों को क्या निर्देश दिए हैं और उन्हें किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) ग्राम विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य समूचे वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है । 1980-81 के दौरान, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लगभग 25,000 नए गांवों को विद्युतीकृत करने और 4,13,000 पम्पसैटों का ऊर्जन करने का लक्ष्य प्रस्तावित है । प्राप्त हुई ताजा रिपोर्टों के अनुसार अगस्त, 1980 तक 6,195 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था और 1,04,323 पम्पसैटों को ऊर्जित किया जा चुका था ।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किए गए लक्ष्य और उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली सुनिश्चित आधार पर उपलब्ध कराई जाए । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने भी राज्यों को यह सूचित कर दिया है कि भविष्य में उसके द्वारा विद्युतीकरण स्कीमें तभी वित्तपोषित की जाएंगीं जब राज्य यह वचन दे कि ग्राम विद्युतीकरण निगम की स्कीमों में शामिल किए गए क्षेत्र को पर्याप्त विद्युत सप्लाई दी जाएगी । अधिकांश राज्य यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत की पर्याप्त सप्लाई मिले ।

**विवरण**

1980-81 के दौरात गांवों के विद्युतीकरण, पम्पसैटों/ट्यूब-वेलों के ऊर्जन के संबंध में लक्ष्यों तथा जिस महीने तक की प्रगति प्राप्त हुई है, उस महीने तक हुई वास्तविक उपलब्धि दिखाने वाला विवरण

| क्र० सं० | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | गांवों का विद्युतीकरण | | पम्पसैटों का ऊर्जन | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1980-81 के लिए लक्ष्य | अगस्त, 1980 के अंत तक वास्तविक उपलब्धि | 1980-81 के लिए लक्ष्य | अगस्त, 1980 के अन्त तक वास्तविक उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 1,650 | 547(*) | 42,000 | 11,653(*) |
| 2. | असम | 2,020 | 260 | 2,020 | 166(घ) |
| 3. | बिहार | 1,770 | 913(ग) | 35,550 | 221(क) |
| 4. | गुजरात | 1,500 | 469 | 25,000 | 7,420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | हरियाणा | (**) | (**) | 20,000 | 7,820 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 900 | 315(घ) | 100 | 48 (घ) |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 400 | उ० न० | 109 | उ० न० |
| 8. | कर्नाटक | 650 | 112 | 20.000 | 5,099 |
| 9. | केरल | (**) | (**) | 2,900 | 3,186 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 3,255 | 1,100 | 41,000 | 9,561 |
| 11. | महाराष्ट्र | 1,950 | 571 | 52,300 | 20,112 |
| 12. | मणिपुर | 20 | शून्य(ग) | 50 | शून्य(ग) |
| 13. | मेघालय | 185 | 50(ग) | 97 | शून्य(ग) |
| 14. | नागालैण्ड | 40 | 23 | 7 | शून्य |
| 15. | उड़ीसा | 1,600 | 208 | 5,130 | 1,020 |
| 16. | पंजाब | (**) | (**) | 30,000 | 11,972 |
| 17. | राजस्थान | 2,100 | 91(ख) | 30,000 | 1,751(ख) |
| 18. | सिक्किम | 23 | 22 | शून्य | शून्य |
| 19. | तमिलनाडु | शून्य | 21 | 50,000 | 15,292 |
| 20. | त्रिपुरा | 220 | 26 | 120 | 7 |
| 21. | उत्तर प्रदेश | 5,020 | 1,087(घ) | 55,000 | 8,067 (घ) |
| 22. | पश्चिम बंगाल | 1,600 | 439 | 1,000 | 441 |
| | जोड़ (राज्य) | 24,903 | 6,154 | 4,12,383 | 1,03,836 |
| | जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र) | 204 | 41 | 657 | 487 |
| | जोड़ (अखिल भारत) | 25,107 | 6,195 | 4,13,040 | 1,04,323 |

(*)—आंकड़े अनन्तिम हैं।

(**)—100% विद्युतीकरण हो चुका है।
उ० न०—उपलब्ध नहीं।

(क)—30-4-80 तक की प्रगति प्राप्त हुई है।

(ख) 13-5-1980 तक की प्रगति प्राप्त हुई है।

(ग) 30-6-80 तक की प्रगति प्राप्त हुई है।

(घ) 31-7-80 तक की प्रगति प्राप्त हुई है।

**मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई**

4095. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

**श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को पिछले दो वर्षों से सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई नहीं कर रही है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सीमेंट की कम मात्रा दिए जाने के कारण विद्युत उत्पादन पारेषण और वितरण तथा यामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्यों की प्रगति पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है और राज्य के विकास कार्यक्रमों पर भी उसका कुप्रभाव पड़ा है; और

(ग) मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को सीमेंट की सप्लाई के संबंध में स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये जा रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या हैं ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को सीमेंट की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय उद्योग मंत्रालय के साथ लगातार व घनिष्ठ सम्पर्क बनाए हुए है । तथापि, मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की सीमेंट की सप्लाई, विद्युत क्षेत्र के लिए समग्र रूप से सीमेंट की उपलब्धता पर निर्भर करती है, जिसका आबंटन उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है ।

**छिदवाड़ा सुपर तापीय बिजलीघर में मध्य प्रदेश के निवासियों को रोजगार देने में प्राथमिकता देना**

4096. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कोई अनुरोध किया है कि सुपर तापीय बिजलीघर छिदवाड़ा के कार्यान्वयन, परिचालन और अनुरक्षण में अधिकांशत: मध्य प्रदेश के निवासियों को रोजगार दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त सुपर तापीय बिजलीघर छिदवाड़ा के बिजली उत्पादन में केन्द्रीय सरकार का कोई योगदान है; और

(घ) यदि हां, तो कितना ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार के सुझाव पर ऊर्जा मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के बीच विचार विमर्श हुआ था तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर सहमति हुई थी कि रोजगार दिए जाने संबंधी मामलों पर विचार केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्रों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के संदर्भ में करना होगा तथा इस मामले में सरकारी नीति सभी राज्यों पर एक समान रूप से लागू करनी पड़ेगी ।

(ग) और (घ) परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में हाथ में लेने का प्रस्ताव है ।

**संवैधानिक तथा संसदीय कार्य अध्ययन संस्थान के बारे में विशेषज्ञ समिति**

4097. **श्री एन० ई० होरो** ; क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व, विट्ठल भाई पटेल हाऊस, नई दिल्ली स्थित संवैधानिक तथा संसदीय कार्य अध्ययन संस्थान के मामलों की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्थान के प्रबंध, वित्तीय नियंत्रण, भर्तियों तथा प्रशासनिक सेवाओं के बारे में इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई वार्षिक वित्तीय ब्यौरा क्या है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** (क) जी, हां ।

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार दिए गए अनुदान के संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1977–78 | 4,00,000.00 रु० |
| 1978–79 | 4,00,000.00 रु० |
| 1979–80 | कुछ नहीं |

**विवरण**

पुनर्विलोकन समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(1) संस्थान को चाहिए कि वह अपना क्रियाकलाप संवैधानिक और संसदीय अध्ययन के क्षेत्र तक सीमित रखे और ऐसे क्रियाकलापों को छोड़ दे जिनका उसके उद्देश्यों से कोई सीधा संबंध नहीं हो सकता है ।

(2) इस बात के लिए कि तदर्थ विदेशी अनुदानों के माध्यम से संस्थान अपनी पूर्विकताओं और उद्देश्यों से विचलित न हो, संस्थात्मक प्रबंध किए जाने चाहिए ।

(3) संस्थान को चाहिए कि वह सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी विदेशी या स्वदेशी स्रोत से कोई अनुदान/संदान स्वीकार न करे और न अपने कार्यकरण के संबंध में सलाह के लिए किसी विदेशी परामर्शदाता को नियुक्त करे । विदेशी बैंकों में निधियां/जमा रकमें भारत को अन्तरित की जानी चाहिए ।

(4) संस्थान को चाहिए कि वह अपनी संरचना में परिवर्तन करने तथा अपने प्रबंध व्यवस्था में और दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में सुधार करने के लिए अपने संगम ज्ञापन और नियमों में संशोधन करे ।

(5) सस्थान को चाहिए कि वह ऐसे व्यापक नियम बनाए जो अन्य बातों के साथ-साथ अपने कर्मचारियों के संबंध में भर्ती, सेवा शर्तों, उत्तरदायित्व के आबंटन आदि को लागू हों ।

(6) आरंभ में संस्थान को चार लाख रुपए का वार्षिक आवर्ती सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए परन्तु यह तब दिया जाए जबकि संस्थान समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का वचन दे।

**दूरदर्शन पर प्रत्येक राज्य के लोक-नृत्य अथवा लोक-संगीत के श्रेष्ठ कार्यक्रमों का प्रदर्शन**

4098. **श्री एन० ई० होरो** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, रविवार को छोड़कर राजपत्रित छुट्टी वाले दिन दूरदर्शन पर प्रत्येक राज्य के लोक-नृत्य अथवा लोक-संगीत के श्रेष्ठ कार्यक्रमों का प्रदर्शन करने से सम्बन्धित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या यह सच है कि पहले महीने के प्रत्येक दूसरे शनिवार को एक हिन्दी फिल्म दिखाए जाने की परम्परा थी, जिसे अब रोक दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबैन एम. जोशी)**: (क) जी, नहीं। तथापि, संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय कार्यक्रम में दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के दूरदर्शन केन्द्र तीन महीने में एक बार बारी-बारी राज्यों का लोक संगीत और नृत्य टेलीकास्ट करते हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य पहले ही टेलीकास्ट किये गए हैं और अन्य राज्यों को दूरदर्शन द्वारा यथा समय कवर किया जायेगा।

(ख) जी, हां। पहले प्रत्येक दूसरे शनिवार को हिन्दी फीचर फिल्में दिखाने की परम्परा थी। प्रादेशिक भाषाओं की अधिक फीचर फिल्मों को दिखाने के लिए, जिसके लिए समाज के विभिन्न भाषायी खंडों की निरन्तर मांगें थीं, उक्त परम्परा को समाप्त कर दिया गया था।

**फास्फेट युक्त उर्वरकों का आयात**

4099. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि फास्फेट युक्त उर्वरकों और देश में ही उसके उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चे माल के भारी आयात पर निकट भविष्य में निर्भर करने के अतिरिक्त देश के पास अन्य कोई विकल्प नहीं है;

(ख) क्या फास्फेट युक्त विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होगी; और

(ग) यदि हां, तो इन परिस्थितियों में सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क)

(क) फास्फेटिक उर्वरकों की घरेलू आवश्यकता और उत्पादन के बीच की कमी को पूरा करने के लिए देश को फास्फेटिक उर्वरकों के आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा।

फास्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन के लिए राकफास्फेट और सल्फर दो मूलभूत कच्चे माल हैं। देश में प्रारंभिक सल्फर का भंडार नहीं है और राकफास्फेट की स्वदेशी उपलब्धता अपर्याप्त है इसलिए हमारी आवश्यकताओं का अधिकतर भाग आयात से पूरा किया जाता है और किया जाएगा।

(ख) और (ग) फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**तालचेर उर्वरक संयंत्र का विस्तार**

4100. **श्री अर्जुन सेठी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तालचेर उर्वरक संयंत्र का विस्तार करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्लांट ने 1 नवम्बर, 1980 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया है। इसके कुछ समय तक संचालन के बाद ही कोयले पर आधारित उर्वरक प्लांटों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता कायम की जा सकेगी। उसके बाद ही फीडस्टाक के रूप में कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता लगाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

**टेलीविजन पर दिखाने के लिए फीचर फिल्मों के चयन मानदण्ड**

4101. **श्री छीतूभाई गामित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन पर विभिन्न केन्द्रों से दिखाने के लिए फीचर फिल्मों के चयन का मानदंड क्या है;

(ख) टेलीविजन पर दिखाने के लिए शिक्षाप्रद तथा धार्मिक फिल्मों का चयन करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं; और

(ग) गत दो वर्षों से विभिन्न टेलीविजन केन्द्रों से टेलीविजन पर कितनी धार्मिक और शिक्षाप्रद फिल्में दिखाई गई और चालू वर्ष में ऐसी फिल्में दिखाने के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फीचर फिल्मों के चयन का मानदण्ड इस प्रकार है :

(1) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली कोई भी फिल्म या अन्य सामग्री उन निर्देशों के अनुरूप होगी जो फिल्म को प्रमाणीकृत करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को जारी किए हुए हैं।

(2) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा जिन फिल्मों को "ए" प्रमाणपत्र दिया जाता है उनको दूरदर्शन पर नहीं दिखाया जायेगा ।

(3) "यू" प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्मों का भी एक विधिवत् गठित समिति द्वारा प्रिव्यू किया जाना चाहिए और फिल्म को टेलीकास्ट करने से पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए ।

(4) कोई भी ऐसी फिल्म, जिसका प्रदर्शन निलम्बित कर दिया गया है और इसलिए उसको "अप्रमाणीकृत" किया हुआ समझा गया है, दूरदर्शन पर नहीं दिखाई जाएगी ।

(5) दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली फिल्में सामाजिक उद्देश्य वाली होनी चाहिए और वे परिवार के साथ देखने योग्य होनी चाहिए ।

(ख) टेलीकास्ट करने के लिए फीचर फिल्मों का चयन करते समय फिल्मों के शैक्षिक और नैतिक पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाती है कि वे सामाजिक रूप से उद्देश्य पूर्ण हों ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

**उर्वरकों के उत्पादन में गिरावट**

4102. **श्री ए०के० राय :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी कारखाने के कई पुराने संयंत्रों को बेच दिए जाने के कारण कोयले पर आधारित उर्वरकों का उत्पादन हमेशा के लिए त्याग दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सिन्दरी कारखाना कोयला-क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है;

(ग) क्या यह सच है कि राम गुंडम और तालचेर स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों ने अब उत्पादन आरंभ कर दिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार रामागुंडम और तालचेर संयंत्रों की तरह सिन्दरी में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब, और यदि नहीं इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह):** (क) से (ङ) सिन्दरी प्लांट के पुराने और अप्रचालित हो जाने के कारण वर्ष 1978 में कोयला/कोक ओवन गैस से उर्वरकों का उत्पादन बन्द कर दिया गया था । सिन्दरी अथवा अन्य किसी स्थान पर कोयला गैसीकरण प्रक्रिया पर आधारित उर्वरक प्लांट स्थापित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है जब रामागुंडम और तालचेर स्थित कोयले पर आधारित प्लांटों के कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने 1.11.1980 से वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ किया है ऐसे प्लांटों की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित हो जाय ।

**विभिन्न राज्यों के डीजल के कोटे में वृद्धि करने का प्रस्ताव**

4103. **श्री अनादिचरण दास :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों के डीजल के कोटे में वृद्धि करने का कोई विचार है;

(ख) क्या यह सच है कि गत छः महीनों से उड़ीसा को डीजल की कम सप्लाई की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालल का विचार उड़ीसा के लिए नवम्बर-दिसम्बर 1980 की अवधि के लिए तथा वर्ष 1981 के लिए डीजल के कोटे में वृद्धि करने का है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) विभिन्न राज्यों को डीजल (एच. एस. डी.) के कोटे उत्पादन की कुल उपलब्धता और उसकी परिवहन क्षमता के अधिकतम संभव स्तर तक रखे जाते हैं ।

(ख) मई और अक्तूबर, 1980 के बीच उड़ीसा के सम्बन्ध में हाई स्पीड डीजल तेल का कुल आवंटन और बिक्री क्रमशः 77,220 मीट्रिक टन और 70,218 मीट्रिक टन थे । यद्यपि उत्पादन सुलभ था फिर भी कुछ महीनों के दौरान कम उठान के परिणामस्वरूप बिक्री आवंटन से कम थी ।

(ग) और (घ) उड़ीसा के लिए नवम्बर 1980 का आबंटन पिछले वर्ष के तद्नुरूपी महीनों के मूल आबंटन के 5 प्रतिशत वृद्धि पर आधारित हैं । राज्य सरकार के अनुरोध पर उड़ीसा को दिसम्बर, 1980 के आबंटन में 2,000 मीट्रिक टन थी तदर्थ वृद्धि दे दी गई । उड़ीसा के लिए वर्ष 1981 के लिए आबंटन उत्पादन की कुल उपलब्धता, पिछला आबंटन खपत और परिवहन क्षमता को ध्यान में रखकर मासिक आधार पर किया जाएगा ।

**फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति**

4104. **श्री एन० ई० होरो :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंसर संबंधी नियुक्तियों के सन्दर्भ में राष्ट्रीय चलचित्र नीति संबंधी अध्ययन दल ने यह पाया है कि ऐसी नियुक्ति में राजनीतिक विचार धारा ने भी भूमिका निभाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी नियमों का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बैन एम० जोशी) :** (क) जी, हां ।

(ख) अध्यक्ष को पूर्णकालिक आधार पर 2500-2750 रुपए के वेतनमान में नियुक्त किया जाता है और सदस्यों को अवैतनिक रूप से नामित किया जाता है । जीवन के विभिन्न

क्षेत्रों से ऐसे प्रख्यात व्यक्तियों को, जो केन्द्रीय सरकार की राय में इस योग्य हों कि वे फिल्मों के जनता पर प्रभाव को आंक सकें, सदस्यों के रूप में नियमित किया जाता है । अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है ।

**शीरे की कमी और इसका विनियमित वितरण**

4105. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शीरे की भारी कमी है, यदि हां, तो वास्तविक प्रयोक्ताओं को इसके विनियमित वितरण के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा मद्य निषेध नीति में छूट दिये जाने के कारण शीरे के आवंटन का कुछ हिस्सा चोरी छिपे देशी शराब के उत्पादन में प्रयुक्त किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान हरियाणा में सीरा कांड के बारे में दिनांक 10 अक्तूबर, 1980 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच-पड़ताल की है;

(ङ) क्या यह पता चला है कि जाली फर्मों तथा कुछ पार्टियों को राजनीतिक कारणों से शीरा आवंटित किया गया है; और

(च) क्या उपरोक्त तथ्यों के कारण शीरा चोर बाजारी में आसानी से उपलब्ध है और यह अन्य प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त किया जा रहा है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जैसा कि राज्य सरकारों ने दिनांक 11-11-1980 को केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक में रिपोर्ट दी है, शीरे की कुल उपलब्धता (शीरा वर्ष 1980-81 में) के लिये 20.97 लाख टन का अनुमान लगाया गया है जबकि मांग लगभग 24.77 लाख टन तक होने की संभावना है । मांग और उपलब्धता में इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि :—

1. वे अल्कोहल उत्पादन के लिये खाण्डसारी शीरे का प्रयोग बढ़ायें ।
2. चीनी कारखानों द्वारा शीरे के लिए पर्याप्त और उचित भंडारण सुविधाओं का सृजन करवायें ।
3. सभी उपलब्ध शीरे का उपयोग सुनिश्चित करें ।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) हरियाणा सरकार से प्राप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

शीरा वर्ष 1979-80 के दौरान हरियाणा से अन्य राज्यों को 24,200 टन शीरे का आवंटन किया गया था । तथापि उन राज्यों को केवल 920 टन की सप्लाई की गई थी क्योंकि शीरे का उत्पादन अनुमानित मात्रा से बहुत कम हुआ था । राज्य शीरा (नियंत्रण) अधिनियम के

अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के अन्तर्गत विभिन्न प्रयोगों के लिये 49,600 टन शीरे का आवंटन किया गया था । इस 49,600 टन में से 33,900 टन आसवनियों को, 2,000 टन राज्य व्यापार निगम को और 13,700 टन ढलाई-घरों, मुर्गी-पालन और पशु-पालन आदि को आवंटित किया गया । शिकायत प्राप्त होने पर हरियाणा सरकार ने हिसार और जींद स्थित दो पशु आहार प्लांटों को आवंटित शीरे के उपयोग के बारे में जांच करना आरम्भ कर दिया है ।

**केबलों की सप्लाई के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा आमंत्रित निविदाएं**

4106. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण का काम तेजी से करने के लिए केबलों की सप्लाई हेतु निविदाएं आमंत्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निविदाएं प्राधिकारियों द्वारा प्राप्त की जाती हैं, यदि हां, तो इस बारे में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कारण है कि विद्युत प्रदाय संस्थान प्राधिकारी उन निविदाओं पर कोई निर्णय नहीं कर सके;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 4-11-80 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में इस बारे में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि (घ) और (ङ) भाग का उत्तर सकारात्मक हो, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) जी, हां ।

(ख) विभिन्न साइजों की केवलों की खरीद के लिए अप्रैल, 80 से नवम्बर, 80 की अवधि के दौरान 12 निविदाएं खोली गई थीं । इन निविदाओं के ब्यौरे उपाबन्ध में दिए गए हैं ।

(ग) आमंत्रित की गई निविदाओं के जबाव में प्राप्त हुए प्रस्ताव, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के खरीद और प्राप्ति विंग में प्राप्त किए जाते हैं ।

(घ) सिफारिशें करने के लिए निविदाओं की जांच उपयुक्त समिति द्वारा की जाती है । 12 मामलों में से 8 मामलों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है तथा अन्य मामले जांच/अनुमोदन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ङ) समाचार-पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है तथा बाद में एक खंडन भी प्रकाशित हुआ है ।

(च) उपर्युक्त (घ) और (ङ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

केबलों की खरीद के लिए अप्रैल-नवम्बर, 1980 की अवधि के दौरान खोली गई निविदाओं का ब्यौरा

| क्रं० सं० | विवरण | मात्रा | को निविदाएं खोली गईं |
|---|---|---|---|
| 1. | एस/सी 1.5 वर्ग मिमी० | 500 के० एम० | 29.4.1980 |
| 2. | एल टी पी वी सी आरमर्ड केबल 2×25 वर्ग मिमी० | 100 के० एम० | 15.5.1980 |
| 3. | एच टी 11 के० वी० पी०.आई० एल० सी० केबल 3×150 वर्ग मिमी० | 60 के० एम० | 9.5.1980 |
| 4. | सिंगल कोर एल टी पी० वी० सी०/अन-आरमर्ड केबल, निम्न साइजों का | | 22.5.1980 |
| | 1×630 वर्ग मिमी० | 10 के० एम० | |
| | 1×195 वर्ग मिमी० | 10 के० एम० | |
| | 1×95 वर्ग मिमी० | 10 के० एम० | |
| 5. | एस/सी 10 वर्ग मिमी० | 250 के० एम० | 17.6.1980 |
| 6. | एल टी पी० वी० सी० आरमर्ड केबल 4×25 वर्ग मिमी० साइज का | 100 के० एम० | 30.6.1980 |
| 7. | एस/सी 25 वर्ग मिमी० | 60 के० एम० | 7.7.1980 |
| 8. | 4 कोर 10 वर्ग मिमी० | 60 के० एम० | 11.7.1980 |
| 9. | 2 कोर 10 वर्ग मिमी० | 300 के० एम० | 22.7.1980 |
| 10. | 2 कोर 4 वर्ग मिमी० | 100 के० एम० | 18.8.1980 |
| 11. | 11 के० वी० 23×150 वर्ग मिमी० एक्स० एल० पी० ई० केबल | 40 के० एम० | 21.8.1980 |
| 12. | 2 कोर 10 वर्ग मिमी० | 600 के० एम० | 24.11.1980 |

**महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण**

4107. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी प्रोड्यूसर सर रिचर्ड एटनबोरो को महात्मा गांधी के जीवन और काल पर फीचर फिल्म के निर्माण कों स्वीकृति दी है और उत्पादन व्यय के लिए 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है; और

(ख) क्या सरकार ने विदेशी प्रोड्यूसर से महात्मा गांधी पर अत्यधिक कीमत पर नई फीचर फिल्म बनाने का अनुरोध करने के स्थान पर गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास द्वारा गांधी शताब्दी के समय पहले से ही बनाई गई 33 रील की पूरी लम्बाई के "महात्मा" वृत्त चित्र के विस्तृत स्क्रीनिंग और परिचालन पर विचार किया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) बरतानिया के प्रख्यात अभिनेता और फिल्म निर्माता सर रिचर्ड एटनबोरो द्वारा महात्मा गांधी पर फिल्म बनाने में सहायता के लिए सम्पर्क किए जाने पर, सरकार ने इस फिल्म के निर्माण में फिल्म के मुकम्मल होने की गारन्टी के रूप में 50 लाख रुपये के संभाव्य ओवर काल के साथ 5 करोड़ रुपये तक की भारतीय भागेदारी स्वीकृत की। प्रोड्यूसर को उपलब्ध की जाने वाली कतिपय सुविधाओं की बाबत भारतीय भागीदारी 1.50 करोड़ रुपये और बढ़ जाने की सम्भावना है।

(ख) 33 रीलों वाली फिल्म "महात्मा" पूरी लम्बाई की डाकुमेंट्री फिल्म है जबकि सर रिचर्ड एटनबोरो द्वारा बनाई जा रही फिल्म एक फीचर फिल्म है। पूरी लम्बाई की डाकुमेंट्री फिल्म को फिल्म प्रभाग द्वारा अपने थियेट्रीकल सर्कट पर, दूरदर्शन द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर और गांधी स्मारक निधि द्वारा गैर-सरकारी एजेंसियों के माध्यम से व्यापक रूप से पहले ही दिखाया जा चुका है।

**सी० के० एक अधिकारी को 15 लाख रुपए की अदायगी किया जाना**

4108. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा अक्तूबर, 1980 में एम० ए० एम० सी० के एक अधिकारी को 15 लाख रुपये की अदायगी की गई है और यदि हां, तो इस प्रकार की अदायगी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह अदायगी जरूरी औपचारिकताओं को किए बिना और दामोदर घाटी निगम के वित्तीय सलाहकार द्वारा आपत्ति प्रकट किए जाने के बावजूद की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) दामोदर घाटी निगम ने एम० ए० एम० सी० के किसी अधिकारी को किसी राशि का भुगतान नहीं किया है। तथापि, दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के कोयला हैण्डलिंग संयंत्र की समय पर सप्लाई करने तथा इसको समय पर पूरा करने के लिए एम० ए० एम० सी० के पक्ष में 15 लाख रुपए का एक चैक दिया गया था।

(ख) वित्त सलाहकार ने अन्तिम निर्णय प्रबन्धकों पर छोड़ दिया था, प्रबन्धकों ने उपर्युक्त निर्णय लिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**बर्ड एण्ड कम्पनी के विरुद्ध कुप्रबन्ध की शिकायतें**

4109. **श्री एन० ई० होरो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में कुप्रबन्ध और अनियमितताओं के बारे में कुछ शिकायतें थीं;

(ख) क्या जांच से कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मामला किस अवस्था में विचाराधीन है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) से (ङ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237 (ख) के अन्तर्गत जांच से, कुप्रबन्ध तथा अनियमितताओं से सम्बन्धित दृष्टान्त प्रकाश में आए हैं, जो साथ-साथ बर्ड एण्ड कम्पनी लिमिटेड के उस समय के प्रबन्धक वर्ग द्वारा बचत न्यास की निधियों के इसके सदस्यों के विरुद्ध दुष्प्रयोग तथा दुरुपयोग से संदर्भित हैं । जांच रिपोर्ट में वर्णित सामग्री के आधार पर, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से, आगे कार्यवाही विचाराधीन है ।

**खाना पकाने की गैस के लिए कनैक्शनों की मंजूरी**

4110. **श्री राम लाल राही** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री द्वारा अपने कार्य काल के दौरान मंजूर किए गए गैस के कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भूतपूर्व मंत्री द्वारा अनुमोदित खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों को प्राथमिकता के आधार पर मंजूरी देकर उक्त कनेक्शन देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : (क) और (ख) भूतपूर्व पेट्रोलियम मन्त्री श्री एच० एन० बहुगुणा द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान मंजूर किए गए गैस कनैक्शन किसी भी तेल कम्पनी के पास लम्बित नहीं पड़े हैं ।

**भारतीय फिल्मों में चुम्बन**

4111. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय चलचित्र नीति सम्बन्धी अध्ययन दल ने भारतीय जन-संचार संस्थान के अध्ययन में नोट की गई इन प्रक्रियाओं की ओर ध्यान दिलवाया है कि देश में अधिकतर लोगों ने भारतीय फिल्मों में चुम्बन के दृश्य दिखाने का पक्ष लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभी फिल्में चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर की जाती हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, बोर्ड प्रमाणीकरण के लिए फिल्मों की जांच करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करता है कि अशिष्टता, अश्लीलता और भ्रष्टता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए ।

**ब्रुक बांड का सेन्ट्रान इण्डस्ट्रियल एलायन्स लिमिटेड में समामेलन**

4112. **श्री गीता मुखर्जी :**

**श्री विजय कुमार यादव** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज ब्रुक बांड इण्डिया लिमिटेड ने सेन्ट्रान इण्डस्ट्रियल एलायंस लिमिटेड, जो ब्लेड बनाने वाला एक रुग्ण एकक है, में समामेलन के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) हां, श्रीमान् जी, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत ।

(ख) समामेलन की योजना, महत्वपूर्ण लक्षणों के साथ-साथ निम्नलिखित उपबन्धों को सम्मिलित करती है :—

(1) समामेलन पिछली तिथि 30-6-80 से लागू होगा ।

(2) सेन्ट्रान इण्डस्ट्रीयल एलायन्स के शेयरधारकों को ब्रुक बान्ड इण्डिया लिमिटेड में, सेण्ट्रोन इण्डस्ट्रीयल एलायन्स लिमिटेट में धारित प्रत्येक पांच शेयरों के लिए एक साम्य शेयर आवंटित किया जाएगा ।

(3) बैंकों से अप्रतिभूत ऋण और सशर्त ऋण निम्नतर ब्याज पर होंगे । और बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा अभिमत वर्षाविधि में वापिस होंगे । बैंक से नकद ऋण सुविधाएं भी निम्नतर ब्याज पर होंगी ।

(4) सावधिक जमाकर्ताओं एवं व्यापारिक जमाकर्ताओं को परिपक्वता की तारीख को ब्याज दिया जाएगा और इस प्रकार के ब्याज के साथ मूलधन को क्रमबद्ध प्रक्रिया के अन्दर वापिस किया जाएगा ।

(5) सभी अन्य गैर-ब्याज वाले ऋणों को क्रमबद्ध प्रक्रिया से वापिस किया जाएगा ।

(6) सेन्ट्रान के सभी कर्मचारी ब्रुक बान्ड के कर्मचारी बन जायेंगे । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

**औषधों का चार श्रेणियों में विभाजित किया जाना**

4113. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : श्रेणी (एक), (दो), (तीन) और (चार) की कंपनियों के कुल उत्पादन की तुलना में 'फेरा' कम्पनियों के उत्पादन का प्रतिशत कितना है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) :** औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के कुछ बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। श्रेणी 1, 2 और 3 में निर्दिष्ट बल्क औषधों और फार्मूलेशनों को छोड़कर अन्य बल्क औषधों और फार्मूलेशनों पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं है। सरकार ने फेरा कम्पनियों से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की श्रेणी–1 से 2 तक के औषधों की बिक्री के बारे में श्रेणीवार आँकड़े एकत्र नहीं किये हैं।

**मै० पेपर मिल भद्रावती द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग**

4114. **श्री के० लकप्पा :**

**श्री एच० एन० नन्जे गौडा : विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मै० मैसूर पेपर मिल भद्रावती, कर्नाटक राज्य द्वारा सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया है;

(ख) क्या इस बारे में किसी जांच का आदेश दिया गया है और क्या इस कम्पनी ने कम्पनी कानून बोर्ड के नियमों तथा विनियमों आदि का उल्लंघन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) :** (क) से (ग) मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ कम्पनी की निधियों के गलत प्रयोग और दुरुपयोग के संबंध में कतिपय शिकायतें आती रही हैं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(क) के अन्तर्गत इन आरोपों को देखने के लिये निरीक्षण का आदेश दिया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, जो भी कार्यवाही आवश्यक होती है, की जायेगी।

**राज्य विद्युत बोर्डों के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारियों के चयन के बारे में अनुदेश**

4115. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके विद्युत बोर्डों के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारियों का चयन विषयपरक और क्या व्यावसायिक मानदण्ड के माध्यम से गुणावगुण के आधार पर किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने अन्य सुझाव क्या दिए हैं;

(ग) क्या उन्होंने उद्योग मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया था कि विद्युत उद्योग को उपकरणों और फालतू पुर्जों की सप्लाई समय पर ली जाए और विद्युत उपलब्धता के विनिर्माण और उत्पादन में 'गुण नियंत्रण' का सख्ती से पालन किया जाए; और

(घ) यदि हां, तो राज्यों को दिए गए सुझावों को किस हद तक पूर्णतया कार्यान्वित किया गया है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री विक्रम महाजन)** : (क)ऊर्जा मंत्री ने सरकारों को लिखा है कि अध्यक्ष, तथा वरिष्ठ अधिकारियों का चयन, उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवसायिक मानदण्डों के अनुसार गुणता के आधार पर होना चाहिए ।

(ख) ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं :

(1) परियोजना निर्माण की उत्तम आयोजना तथा प्रबन्ध, ठेके समय पर देना, परियोजना की स्वीकृति दिए जाने से पहले ही विभिन्न कियाकलापों के लिए चरणवार लक्ष्य निर्धारित करना, आवश्यक आदानों की अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से देखरेख ।

(2) विद्युत के लिए अधिक परिव्यय हेतु वित्तीय साधन जुटाना ।

(3) प्रत्येक ताप विद्युत केन्द्र के लिए सुधार एवं परिष्कार कार्यक्रम हाथ में लिए जाने चाहिएं ।

(4) राज्य बिजली बोर्डों की कार्रवाई और कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में एक मानीटरिंग समिति का गठन ।

(5) राज्य बिजली बोर्डों के प्रबन्ध में सुधार करना तथा उनमें व्यावसायीकरण शुरू करना ।

(6) औद्योगिक मतभेद तथा तनाव से विद्युती क्षेत्र को अलग रखा जाना चाहिए तथा विद्युती क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति में तथा औद्योगिक संबंधों में सुधार लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं ।

(ग) उद्योग मंत्री से अनुरोध किया गया है कि यह सुनिश्चित करें कि मुख्य उपस्कर सप्लाई कर्त्ताओं द्वारा सप्लाई समय पर की जाए ताकि उपस्करों की सप्लाई में की गई देरी, परियोजना को समयानुसार चालू न किए जाने के कारण न बने ।

(घ) उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । नवम्बर, 1980 में हुए विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सभी राज्यों ने, सभी ताप विद्युत केन्द्रों में सुधार एवं नवीकरण कार्यक्रम बनाए जाने तथा उन्हें क्रियान्वित किए जाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया था ।

**औषध कम्पनियों को संसदीय प्रश्नों की प्रतियों की सप्लाई**

4116. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको उनके मंत्रालय तथा बड़ी कम्पनियों के दिल्ली में रहने वाले प्रतिनिधियों के बीच की उस व्यवस्था की जानकारी है जिसके अन्तर्गत इन प्रतिनिधियों को न केवल औषध

उद्योग से संबंधित संसद के प्रश्नों के उत्तरों की प्रतियां अपितु उनके मंत्रालय की सलाहकार समिति की औपचारिक बैठकों का कार्यवाही सारांश भी सप्लाई किया जा रहा है तथा कभी-कभी संसद में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अग्रिम प्रतियां भी सप्लाई की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन व्यवस्थाओं पर उनकी अथवा किसी अन्य व्यक्ति की स्वीकृति दी हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : (क) इस प्रकार की किसी व्यवस्था को न तो कोई मंजूरी दी गई है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था विद्यमान है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**बिहार में दूरदर्शन केन्द्र**

4117. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित दिनांक 7 नवम्बर, 1980 के हिन्दी दैनिक नगर संस्करण—'जनशक्ति' के पृष्ठ 3 पर 'दूरदर्शन केन्द्र निर्माण' के मामले में बिहार की उपेक्षा शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समाचार में कही गई मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**सूचना और प्रसारण उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) जी, हां । 7-11-80 के 'जनशक्ति' के नगर संस्करण में 'दूरदर्शन केन्द्र निर्माण के मामले में बिहार की उपेक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की एक प्रति संलग्न है ।

(ग) बिहार के मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन प्रेषण केन्द्र पहले ही काम कर रहा है । पटना में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को छठी 'योजना' (1980-85) के प्रस्तावों के प्रारूप में शामिल किया गया है । इस स्कीम का कार्यान्वयन 'योजना' की स्वीकृति, संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा । संसाधनों की कमी के कारण रांची में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1641/80]

**मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को कोयले की सप्लाई**

4118. **श्री नन्द किशोर शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उन कारणों की जानकारी है जिनकी वजह से मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड को अपने विद्युत केन्द्र के लिए कोयला सप्लाई नहीं किया जा रहा है और इसे अन्य राज्यों से सम्बद्ध किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड प्रस्तावित विद्युत केन्द्र के स्थान के निकट मांडघाटी कोयला खानों का विकास कर रहा है और उक्त विद्युत केन्द्र को कोयला क्षेत्र से अस्थायी कोयला सप्लाई करने के बाद, मांड कोयला क्षेत्र से आसानी से जोड़ा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करने और इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के मौजूदा विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निर्माणाधीन और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए भी कोयला लिंक कर दिया गया है। कोयला एक राष्ट्रीय साधन हैं और इसे सभी विद्युत संयंत्रों से लिंक किया जाता है और इसकी सप्लाई की जाती है भले ही ये संयंत्र किसी भी स्थान पर हों। भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए प्रारम्भिक अन्वेषणों से माण्ड कोयला क्षेत्र में कोयले के भण्डारों का केवल 'पता' ही चला है। ये भण्डार अभी तक पूरी तरह अभिज्ञात नहीं किए गए हैं और इन्हें 'प्रमाणित' भण्डारों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अतः इस क्षेत्र के लिए कोयला लिंकों संबंधी कोई वचनबद्धता इस समय नहीं की जा सकती।

**मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति**

4119. **श्री चन्द्र पाल शैलानी :**

**श्री भीखा भाई :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षाओं के आधार पर 1977 और 1978 में वर्ष-वार अलग-अलग कितने मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई थी और उनके नाम क्या है;

(ख) इन मजिस्ट्रेटों की परस्पर वरिष्ठता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 1978 में नियुक्त किए गए मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों को अनुसूचित जाति समुदाय के उन मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेटों से वरिष्ठ बना दिया गया था जो 1977 में नियुक्त हुए थे; और

(घ) यदि हां, तो उनकी वरिष्ठता में हेर-फेर किए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें उनकी उचित वरिष्ठता पर कब रखा जाएगा ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर)** ; (क) (1) दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार 1976 की परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार 1977 में निम्नलिखित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट भर्ती किए गए थे :—

1. श्री वी० के० जैन
2. श्री जी० पी० मित्तल
3. श्री ओ० पी० नाहर (अ० जा०)

4. श्री घनश्याम गुप्त

5. श्री एम० एल० मेहता

6. श्री डी० एन० कादियान (अ० जा०)

7. श्री रघुबीर सिंह महला (अ० जा०)

8. श्री राजेश कुमार (अ० जा०)

तथा (ii) 1978 में वर्ष 1976 की परीक्षा की योग्यता सूची के अनुसार निम्नलिखित भर्ती किए गए थे :—

1. श्री राजेश कपूर

2. श्री पी० डी० गुप्त

3. श्री अक्षय कुमार

4. श्री गुरदीप कुमार (अ० जा०)

(ख) उक्त अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में नियत की गई है :—

1. श्री वी० के० जैन

2. श्री जी० पी० मित्तल

3. श्री ओ० पी० नाहर (अ० जा०)

4. श्री घनश्याम गुप्त

5. श्री एम० एल० मेहता

6. श्री राकेश कपूर

7. श्री पी० डी० गुप्त

8. श्री अक्षय कुमार

9. श्री डी० एन० कादियान (अ० जा०)

10. श्री रघुबीर सिंह महला (अ० जा०)

11. श्री राजेश कुमार (अ० जा०)

12. श्री गुरदीप कुमार (अ० जा०)

(ग) जी, हां। दिल्ली उच्च न्यायालय के अनुसार "उनकी ज्येष्ठता योग्यता सूची में उनकी स्थिति के सर्वथा अनुसार नियत की गई है। अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को वरीयता दी गई थी और उनकी नियुक्तियां आरक्षण रोस्टर में रिक्त पदों की स्थिति के कारण जल्दी की गई थीं। इस रोस्टर से ज्येष्ठता अवधारित नहीं होती है। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति अधिसूचना में एक अनुबंध यह था कि उनकी ज्येष्ठता नवम्बर, 1976 में आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप चयन समिति द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार

अवधारित की जाएगी । किसी भी परीक्षा के प्रत्यक्ष भर्ती वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता उस परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त योग्यता क्रम के अनुसार होती है ।''

(घ) इस विषय में दिल्ली प्रशासन और दिल्ली उच्च न्यायालय से पूछताछ की जा रही है ।

**मै० हिन्दुस्तान लीवर और लिपटन का विलय**

4120. **श्री आर० एल० भाटिया :**

**श्री नारायण चौबे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान लीवर और लिपटन अपने मूल स्तर पर यूनी-लीवर के नाम और कार्य पद्धति के अन्तर्गत एक ही कम्पनी है;

(ख) क्या देश में हिन्दुस्तान लीवर और लिपटन का उच्चतम और निम्नतम स्तरों पर वस्तुतः विलय किया जा रहा है;

(ग) क्या इस कम्पनी द्वारा अपने विलय/उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई कार्य-पद्धति अपने उत्पादों के लिए सामान्य व्यवसायिक प्रबन्धक और वितरक नियुक्त करना है;

(घ) क्या विलय का उद्देश्य डूबती हुई लिपटन कम्पनी के उत्पादों को हिन्दुस्तान लीवर के स्वामित्व वाली वस्तुओं, डालना, विभिन्न तरह के साबुन, शृंगार-प्रसाधनों तथा बहुत से अन्य उत्पादों की मदद से आगे बढ़ाना है;

(ङ) क्या सरकार ने विलय की अनुमति दे दी है; और यदि हां, तो कब और किन बातों को ध्यान में रख कर; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का विचार इस कम्पनी द्वारा किए जा रहे ऐसे कदाचारों को रोकने के लिए क्या उपाय करने का है ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और मैसर्स लिपटन इण्डिया लिमिटेड दो अलग अस्तित्व वाले निगमित निकाय हैं । दोनों कम्पनियों ने स्वैच्छिक रूप से अपने ''अन्तः सम्बद्ध'' को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कराया है । यूनी लीवर का हिन्दुस्तान लीवर में 51 प्रतिशत और लिपटन इण्डिया में 40 प्रतिशत धारण है ।

(ख) तथा (ग) हिन्दुस्तान लीवर का केवल एक पूर्णकालिक निदेशक लिपटन इण्डिया में गैर कार्यकारी निदेशक है । लिपटन इण्डिया का प्रबन्ध निदेशक, यूनीलीवर का नामित निदेशक है । हिन्दुस्तान लीवर और लिपटन इण्डिया दोनों ही व्यवसायिक रूप से प्रबन्धित कम्पनियां हैं और हिन्दुस्तान लीवर ने 500 व्यवसायिक प्रबन्धकों को नियुक्त किया हुआ है । हिन्दुस्तान लीवर और लिपठन इण्डिया के मध्य प्रबन्धकीय कार्मिकों में समान संवर्ग या अन्तः प्रभार कार्य नहीं है । तथापि, विगत पांच वर्षों में, हिन्दुस्तान लीवर के पांच प्रबन्धकों ने लिपटन इण्डिया में नौकरी प्राप्त की है और हिन्दुस्तान लीवर से नौकरी छोड़ दी है ।

(घ) हिन्दुस्तान लीवर और लिपटन इन्डिया के मध्य विपणन सम्बन्धी कोई बन्धित सम्बन्ध नहीं है। हिन्दुस्तान लीवर ने सम्पूर्ण देश में अपने उत्पादनों के लिए 4000 स्टाकिस्टों को रखा हुआ है। यह सम्भव है कि इनमें से कुछ स्टाकिस्ट, लिपटन इण्डिया के उत्पादनों को भी अन्य कम्पनियों के उत्पादनों के साथ रखते हैं।

(ङ) इस प्रकार का सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(च) उत्पन्न नहीं होता।

**लखनऊ की एक मस्जिद में बम फैक्टरी पाए जाने से संबंधित समाचार**

4121. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पी० टी० आई० द्वारा 25 अक्तूबर, 1980 को लखनऊ से दिए गए इस समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है कि पुराने लखनऊ की एक मस्जिद के अन्दर बने भूमिगत कारखाने से 15,000 हाथ के बम बरामद किए गए हैं;

(ख) क्या विशेष रूप से प्रतिरोध के सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हुए इसे "एक पूजा के स्थान" कहने के बजाय विशेष जोर देकर मस्जिद कह कर प्रकट करते हुए तनाव को और बढ़ाने तथा विभिन्न समुदायों में आपसी सम्बन्धों को कटु बनाने वाले समाचार को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के घोर अनियन्त्रित समाचार के विषय में कोई जांच की गई है क्योंकि उक्त समाचार में कहा गया है कि ऐसे बम मुरादाबाद और अलीगढ़ में ही प्रयुक्त किए गए थे; और

(ग) यदि इस पर कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के अनुसार, 25-10-80 का उनका समाचार पुलिस की ब्रीफिंग पर आधारित था। प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने राज्य सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता की ब्रीडिंग पर आधारित 27-10-80 के एक समाचार द्वारा अपने पहले समाचार का खण्डन कर दिया है, बाद वाला समाचार 28/29-10-80 को समाचारपत्रों में छपा था। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया को 25-10-80 के अपने समाचार में "मस्जिद" शब्द के स्थान पर "पूजा का स्थान" शब्द प्रयुक्त करना चाहिये था। प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया का ध्यान इस ओर दिलाया जायेगा।

**"सिक्किम" शीर्षक वाला वृत्त-चित्र**

4122. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री सत्यजीत रे द्वारा वर्ष 1976 में बनाए गए "सिक्किम" शीर्षक वाले वृत्त-चित्र का सेन्सरशिप का प्रमाण-पत्र वापिस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस मामले का पुनरीक्षण करने तथा वृत्त-चित्र को एक बार पुनः प्रदर्शित करने के लिए रिलीज करने के सम्बन्ध में कोई अपील प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या विचार किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) और (ख) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, कलकत्ता को श्री सत्यजीत द्वारा निर्देशित "सिक्किम" नामक लघु फिल्म को प्रमाणित करने के लिए एक आवेदन पत्र अप्रैल, 1973 में प्राप्त हुआ था। चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस फिल्म को प्रमाण-पत्र देने से इनकार कर दिया गया था।

(ग) और (घ) मामले में सरकार को कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

**आकाशवाणी का विज्ञापन सेवा में "प्रोडक्शन वर्क" के लिए कर्मचारी**

4124. **श्री रामायण राय** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा के विभिन्न केन्द्रों में "प्रोडक्शन वर्क" नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग और स्टेशन डायरेक्टरों जैसे प्रोग्राम कर्मचारियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन विज्ञापन केन्द्रों को एक नया रूप देने और इन केन्द्रों में प्रोडक्शन एसिस्टेंटों को प्रोड्यूसरों के रूप में कार्य करने के लिए पदोन्नत करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इन केन्द्रों में प्रोडक्शन एसिस्टेंटों को प्रोड्यूसरों के रूप में पदोन्नत न करने का क्या कारण है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : (क) विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र में मूल रूप से कार्यक्रम तैयार करने का काम सीमित है।

(ख) विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्र में कार्य प्रशासनिक और जन संपर्क के स्वरूप का है जिसमें विज्ञापकों के साथ सम्पर्क रखने और स्पाटों की सूची बनाने, आदि का काम निहित है। इस कार्य के लिए केन्द्र निदेशकों और प्रोग्राम एक्जीक्यूटिवों को उपयुक्त समझा जाता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विज्ञापन प्रसारण सेवा केन्द्रों में प्रोड्यूसर के पद नहीं हैं। अतः इन केन्द्रों पर प्रोडक्शन एसिस्टैंटों को प्रोड्यूसरों के रूप में पदोन्नत करने का कोई प्रश्न नहीं है।

**दूरदर्शन के संबंध में अन्तर्विभागीय समिति**

4124. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन से सम्बन्धित अन्तर्विभागीय पुनरीक्षण और युक्तिकरण समिति ने प्रोड्यूसरों, कैमरामैनों, सीनिक डिजाइनरों आदि जैसे व्यावसायिकों की ऐसी ही श्रेणी में भिन्न-भिन्न प्रकार के दो प्रबन्धकीय पदों की शिफारिश की है;

(ख) क्या समिति ने प्रयोगशाला अथवा प्रोडक्शन ऐसिस्टेंट को दूरदर्शन के लिए पदोन्नति का अवसर प्रदान करने में जान-बूझकर भेद-भाव किया है जबकि साउण्ड रिकार्ड करने वालों, कैमरामैनों, एसिस्टेंटों आदि जैसी अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को केवल प्रबन्धक के पद तक ही रोक दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो व्यावसायिकों, जो दूरदर्शन पर प्रस्तुतीकरण करने में समान रूप से सम्बद्ध हैं, की ऐसी ही तथा समान श्रेणी में प्रबन्धकों के दो पदों की सिफारिश करने का क्या औचित्य है ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) समिति ने प्रोडक्शन विभाग में 1100-1600 रु० के वेतमान में वरिष्ठ प्रबन्धक के एक पद, जो प्रस्तुतीकरण विभाग को भी देखेगा, की सिफारिश की है। उसको ही तो प्रोडक्शन विभाग और प्रस्तुतीकरण विभाग के क्रमश: प्रबन्धक (कार्यक्रम/प्रबन्धक) (प्रस्तुतीकरण) द्वारा की जायेगी। इसी प्रकार, डिजाइन सेवा विभाग और फिल्म सेवा विभाग के लिए, समिति द्वारा प्रबन्धक (डिजाइन सेवा) और प्रबन्धक (फिल्म सेवा) के एक-एक पद की सिफारिश की गई है। इन सभी चारों विभागों में प्रबन्धक 900-1400 रु० के वेतनमान में होंगे।

(ख) और (ग) समिति ने सिफारिश की है कि वरिष्ठ प्रबन्धक का पद पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा; तथापि, उसने विशिष्ट रूप से यह नहीं कहा है कि पदोन्नति केवल प्रबन्धक (कार्यक्रम) और प्रबन्धक (प्रस्तुतीकरण) से ही होगी या प्रबन्धक (डिजाइन सेवा) और प्रबन्धक (फिल्म सेवा) भी इसके लिए पात्र होंगे। कार्यान्वयन से पहले इस पहलू पर विचार किया जायेगा।

**सहायक केन्द्र निदेशक की पदोन्नति**

4125. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** 13 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3324 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने 1977 में जिन कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों को सार्वजनिक रूप से चयन में अनुपयुक्त पाया था उन्हें अब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा सहायक केन्द्र निदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों को अब सहायक केन्द्र निदेशक के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है उनमें से कुछ को 1974 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव के पद के लिए भी उपयुक्त नहीं पाया गया था;

(ग) यदि हां, तो इन अनुपयुक्त पाए गए व्यक्तियों को बेहतर ग्रेडों में क्यों नियुक्त किया जा रहा है जबकि प्रोड्यूसरों को जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उच्च ग्रेड नहीं दिया गया है; और

(घ) क्या कार्यक्रमों में सुधार के लिए सरकार का विचार प्रोड्यूसरों को वरिष्ठ ग्रेड में नियुक्त करने अथवा कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों के स्थान पर वर्तमान प्रोड्यूसरों को वरिष्ठ ग्रेड देने का है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार, सहायक केन्द्र निदेशक के ग्रेड में 25% पद संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 75% पद संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों में से पदोन्नतिद्वारा भरे जाते हैं । दोनों पद्धतियों अर्थात् सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति भिन्न-भिन्न हैं । यह बात कि कतिपय उम्मीदवार सीधी भर्ती में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुना गया, उसको विभागीय कोटे में पदोन्नति के माध्यम से चुने जाने के लिए वंचित नहीं करती यदि वह विचारणीय क्षेत्र के अन्दर हो और योग्य पाया जाए । यह पद्धति केवल सहायक केन्द्र निदेशकों के पदों पर ही नहीं अपितु, भारत सरकार के उन सभी पदों पर भी लागू होती है, जहां भर्ती सीधी भर्ती और विभागीय पदोन्नति दोनों के माध्यम से है ।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों को संविदाओं पर नियुक्त किया जाता है और सम्बन्धित भर्ती नियमों के अनुसार, उप मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नति का और समिति चयन द्वारा मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नति का उनका अपना अलग चैनल है ।

(घ) प्रोड्यूसरों के लिए पदोन्नति के अवसरों को बढ़ाने के लिए, संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । ये सिफारिशें फिलहाल सरकार के विचाराधीन हैं ।

**कर्मचारियों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे विज्ञापन एजेंट**

4126. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विज्ञापन एजेंसियां बम्बई के "सेन्ट्रल सेल्स यूनिट" और आकाशवाणी दिल्ली के विज्ञापन केन्द्र के कर्मचारियों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन कर्मचारियों के खिलाफ झूठे आरोप लगाये गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ एजेंसियां विभाग पर दबाव डालने के लिये प्रयास कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एजेंसियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है और उनकी मान्यता अब तक वापस न लेने के क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली स्थित एक विज्ञापन एजेंसी के मालिक पर शारीरिक प्रहार के एक आरोप की जांच की जा रही है । आरोप झूठा है या नहीं इसका पता जांच के पूरा होने के बाद लगेगा ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**निर्वाचन विधि में संशोधन विषयक समिति**

4127. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1972 (पांचवीं लोक सभा) में सरकार ने एक समिति-निर्वाचन विधि में संशोधन विषयक संयुक्त समिति का गठन किया था;

(ख) क्या इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन के सम्बन्ध में सूची प्रणाली अथवा अन्य कोई प्रणाली अपनाने की सम्भावनाओं की एक विशेषज्ञ समिति जांच करे;

(ग) क्या सरकार ने इस सिफारिश की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर)** : (क) निर्वाचन विधि में संशोधन विषयक संयुक्त समिति का गठन तारीख 22 जून, 1971 को लोक सभा में पारित और तारीख 25 जून, 1971 को राज्य सभा में एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था।

(ख) समिति ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, जिसके अन्तर्गत कुछ देशों में प्रचलित "सूची प्रणाली" भी है, अपनाने के प्रश्न पर विचार किया था। समिति की राय थी कि लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन की विद्यमान प्रणाली जारी रखी जाए, तथापि सरकार प्रख्यात विधिवेत्ताओं, सांविधानिक विधि विशेषज्ञों की एक विशेषज्ञ समिति "सूची प्रणाली" या कोई अन्य प्रणाली लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सम्बन्ध में अपनाने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(ग) से (ङ) निर्वाचन सुधारों के विभिन्न प्रस्ताव विचाराधीन रहे हैं। इनके अन्तर्गत लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के सम्बन्ध विद्यमान निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन, जिसका हमसे प्रायः "द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" नियम के रूप में उल्लेख किया जाता है, और "सूची प्रणाली" या कोई अन्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रस्ताव भी है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने दो प्रणालियों के मिश्रण के बराबर-बराबर अंश में अपनाए जाने का भी सुझाव दिया है। इनमें से एक प्रणाली तो विद्यमान प्रणाली है और दूसरी प्रणाली पश्चिम जर्मनी में प्रचलित सूची प्रणाली है। ये प्रस्ताव व्यापक स्वरूप के हैं और इनके दूरगामी प्रभाव होंगे तथा इसकी कार्यवाही में अर्थात् कुछ मामलों में राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से परामर्श करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भी इन विभिन्न प्रस्तावों पर अन्तिम निर्णय करने में काफी समय लगेगा।

**प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स की सहायक निदेशकों के रूप में पदोन्नति**

4128. **श्री रामायण राय** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में कितने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स की सहायक निदेशकों के रूप में पदोन्नति की गई और कितनों को आगामी 2 महीनों में पदोन्नत किया जा रहा है;

(ख) कितने प्रोड्यूसरों को पिछले चार वर्षों में डिपुटी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नत किया गया और कितनों का आगामी 2 महीनों में डिपुटी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नत किया जायेगा;

(ग) क्या यह सच है कि सीनियर प्रोड्यूसरों की असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के समतुल्य एक नया ग्रेड दिया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) 1-12-76 से 30-11-80 तक की अवधि के दौरान 42 व्यक्तियों को कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव के ग्रेड से सहायक केन्द्र निदेशकों के रूप में पदोन्नत किया गया है । विभागीय पदोन्नति समिति ने हाल ही में सहायक केन्द्र निदेशक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए कार्यक्रम एग्जीक्यूटिव के मामलों पर विचार किया है । उसकी सिफारिशों के आधार पर, कुछ और कार्यक्रम एग्जीक्यूटिवों को अगले कुछ महीनों में सहायक केन्द्र निदेशकों के रूप में पदोन्नत कर दिया जायेगा । यह उपलब्ध रिक्तियों पर निर्भर करेगा ।

(ख) पिछले वर्ष के दौरान केवल एक प्रोड्यूसर को ही उप मुख्य प्रोड्यूसर (पश्चिमी संगीत) के पद पर पदोन्नत किया गया है । इस समय किसी भी प्रोड्यूसर को उप मुख्य प्रोड्यूसर के रूप में पदोन्नत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) संवर्ग पुनरीक्षण समिति ने वरिष्ठ प्रोड्यूसर के नये ग्रेड के उस शुल्कमान में सृजन की सिफारिश की है जो सहायक केन्द्र निदेशकों के वेतनमान के समान है । यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है ।

**उर्दू दैनिक के सम्पादक पर चलाया गया मुकद्दमा**

4129. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्दू दैनिक "प्रताप" के सम्पादक, श्री के० नरेन्द्र पर मुकद्दमा चलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी)** : (क) और (ख) दैनिकों "प्रताप" और "वीर अर्जुन" के सम्पादक श्री के० नरेन्द्र के विरुद्ध सितम्बर,

1980 में "अलीगढ़ के दंगे" नामक लेख लिखने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अन्तर्गत दिल्ली प्रशासन द्वारा अभियोग चलाया गया है।

**समाचार एजेन्सियों की कार्य प्रणाली का अध्ययन**

4130. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

**श्री पी० एम० सईद :**

**श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार एजेन्सियों की कार्यप्रणाली पर सरकार अध्ययन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें समाचार एजेन्सियों की कार्यप्रणाली के विरुद्ध बड़ी संख्या में शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(ग) प्राप्त शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(घ) उनकी कार्यप्रणाली में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) समाचार एजेन्सियों की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन सरकार के ध्यान में आए हैं।

(घ) और (ङ) समाचार एजेन्सियां निजी क्षेत्र में हैं। उनके कार्यकरण में कोई परिवर्तन लाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं हैं। तथापि, सरकार प्रेस आयोग, जिसका एक विचारणीय विषय ',समाचार समावेशन और समाचार मूल्य; समाचार एजेन्सियों और फीचर एजेन्सियों का ढांचा और उनका संचालन; भारत से और भारत में समाचारों के अवागमन" से संबंधित है, की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

**मध्य प्रदेश में मिट्टी के तेल के वितरकों की नियुक्ति**

4131. **श्री नन्द किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के खाद्य राज्य मंत्री ने 26 जुलाई, 1980 को तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री को इस राज्य के प्रत्येक ब्लाक मुख्यालय में मिट्टी के तेल का कम से कम एक वितरक नियुक्त करने के लिए लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण क्या है।

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) :** (क) जी, हां। मध्य प्रदेश राज्य के प्रत्येक दो अरक्षित ब्लाकों में एक थोक एजेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव था।

(ख) राज्य में मिट्टी के तेल की वर्तमान वितरण प्रणाली को गतिशील बनाने के लिये तेल उद्योग ने राज्य सरकार को इस बारे में कुछ सुझाव दिये हैं। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

———

## विशेषाधिकार के प्रश्न आदि के बारे में

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री कुरियन।

**प्रो० पी० जे० कुरियन** (मवेलीकारा) : महोदय, यह एक बड़ा गम्भीर मामला है, मंत्री महोदय द्वारा एक बदनाम करने वाला वक्तव्य···

**अध्यक्ष महोदय** : आप कहना क्या चाहते हैं ?

**श्री पी० जे० कुरियन** : मन्त्री महोदय श्री अनन्त प्रसाद शर्मा···

**अध्यक्ष महोदय** : उस पर मैं विचार कर रहा हूं। मैं तथ्यों की जांच करूंगा।

(व्यवधान)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बट) : नियम 222 और 353 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

**प्रो० पी० जे० कुरियन** : महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये···

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने तथ्य मंगाए हैं। मुझे तथ्य प्राप्त हो जाने दीजिए।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाये। आपको मेरी अनुमति के बिना नहीं बोलना चाहिये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ज्योतिर्मय बसु।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : महोदय नियम 353 के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 353 में कहा गया है :

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोप के स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को सूचना न दे दी हो···"

**अध्यक्ष महोदय** : आप कौन सा प्रश्न उठा रहे हैं ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : श्री कुरियन ने जो प्रश्न उठाया है। मुझे प्रश्न उठा लेने दीजिए···

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अनुमति नहीं दूंगा । मैं मामले की जांच करूंगा । आप मुझे कुछ समय क्यों नहीं दे रहे हैं, आज सवेरे ही तो यह मुझे मिला है । मुझे इस पर विचार करना है और तथ्य प्राप्त करने हैं ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये ।

**श्री हरिकेश बहादुर** (गोरखपुर) महोदय, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । मन्त्री महोदय को इस पर एक वक्तव्य देना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति नहीं है ।

**श्री राजेश कुमार सिंह** (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, नियम 222 के अन्तर्गत मैंने नागर विमानन मंत्री श्री अनन्त प्रसाद शर्मा के वक्तव्य के विरुद्ध, जिसमें जान बूझकर उन्होंने सदन को गुमराह किया है, विशेषाधिकार का नोटिस दिया है···

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सूचित कर दिया था । मैं भी इसे देखूंगा ।

**प्रो० अजित कुमार मेहता** (समस्तीपुर) : मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है ··

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार कर रहा हूं ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है कि 5 लाख रक्षा कर्मचारी 18 तारीख को हड़ताल करने जा रहे हैं ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अनुमति नहीं दी है श्री मायातेवर ।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (पोल्लाचि) : श्री तेवर तो पहले ही आपसे निवेदन कर चुके हैं·····

**अध्यक्ष महोदय** ; यह विचाराधीन है ।

**श्री निरेन घोष** (दमदम) : मैंने श्री चिरंजीलाल शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है । मुझे यह सूचना दी गई थी कि यह आपके विचाराधीन है । उसका क्या हुआ ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह स्वरूप प्राप्त करेगा·····घोष जी आप कृपया मुझे मेरे कक्ष में मिलें ।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : कल मैंने 'योजना' के प्रधान सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार के हनन का प्रस्ताव रखा था । मुझे सूचित किया गया था कि यह आपके विचाराधीन है·····

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे अन्तिम उत्तर के लिए भेज दिया है ।

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** (कलकत्ता-दक्षिण) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक हड़ताल पर हैं । शिक्षा मन्त्री महोदय को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** । अनुमति नहीं दी गई है·····

(व्यवधान)

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती****

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं । कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए ।

**श्री सी० टी० दण्डपाणि** : श्री मायातेवर, जो इस सभा के एक माननीय सदस्य हैं, और जब वे अपने मतदाताओं की ओर से अपने चुनाव-क्षेत्र में अपने कर्त्तव्य का पालन कर रहे थे तो उन्होंने राज्य सरकार से एक अपील की·····

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार कर रहा हूं । मैं इस पर सक्रियता से विचार कर रहा हूं।

श्री गनी खान चौधरी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : नियम 380 में कहा गया है :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं ।"

कम से कम श्री ए० पी० शर्मा के कहे हुए शब्दों के बारे में तो आपको विचार करना चाहिये कि आया उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाए ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ कार्यवाही आवश्यक है मैं अवश्य करूंगा ।

**प्रो० पी० जी० कुरियन** : उन्हें सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिये ।

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) योजना, 1980; राजस्थान और आन्ध्र-प्रदेश कोयला खान (तृतीय संशोधन) योजना, 1980 और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन !**

**ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1948 की धारा 7(क) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कोयला खान भविष्य निधि (चौथा संशोधन) स्कीम, 1988, जो दिनांक 8 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० सा० नि० 1159 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) आन्ध्र प्रदेश कोयला खान (भविष्य निधि) (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1980, जो दिनांक 8 नवम्वर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1160 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि, (तीसरा संशोधन) स्कीम 1980, जो दिनांक 8 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां नि० 1161 में प्रकाशित हुई थी।

[गन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1584/80]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1585/80]

**इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1979-80; बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, असम की वर्ष 1978-79; मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड मनाली की वर्ष 1979-80; हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) की वर्ष 1979-80; पायराफेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) की वर्ष 1979-80; राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1979-80 और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई की वर्ष 1979-80 की समीक्षाएं और वार्षिक प्रतिवेदन।**

**पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(क) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०-1586/80]

(ख) (एक) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लि. बोंगाईगांव, जिला गोआलपाड़ा (असम) के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-केमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव, जिला गोआलपाड़ा (असम) का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1587/80]

(ग) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मनाली मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मनाली मद्रास के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवदन, लेखापरिक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-मसालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं० एल.टी-1588/80]

(घ) (एक) हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान ओरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रसायनी (महाराष्ट्र) के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1589/80]

(ङ) (एक) पायरइफेट्स, फासट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पायराइफेट्स, फासट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन (बिहार) के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1590/80]

(च) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1591/80]

(छ) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1979/80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1592/80]

**उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1980; उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1980; उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1980 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 के कार्यान्वयन पर वर्ष 1979 का वार्षिक प्रतिवेदन ।**

**विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर):** मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम, 1980 जो दिनांक 16 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 854 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1980 जो दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 871 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1593/80]

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन, नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 23 अगस्त, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 870 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1594/80]

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के लिये उक्त अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1595/80]

**राजस्थान में बिजली की कमी के बारे में और देश की बिजली की आवश्यकता के बारे में दिनांक 2.12.80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 और 2077 के दिए गए उत्तरों की शुद्धियां ।**

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राजस्थान में बिजली की कमी के बारे में श्री जय नारायण रौत के अतारांकित प्रश्न संख्या 2123 के 2 दिसम्बर, 1980 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1596/80]

(2) बिजली की आवश्यकता के बारे में श्री मनोरंजन भक्त के अतारांकित प्रश्न संख्या 2077 के 2 दिसम्बर, 1980 को दिए गए उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1597/80]

**चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पूणे का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं ।**

**सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबैन एम० जोशी)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पुणे के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(2) चलचित्र तथा दूरदर्शन संस्थान, पूणे के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1598/80]

**पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण ।**

**पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० के० थुन्गन)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपयुक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-1599/80]

व्यवधान*

**अध्ययक्ष महोदय** : यदि मेरी अनुमति के बिना बोला जाता है तो कुछ भी कार्यवाही बृतान्त में सम्मिलित न किया जाए·····

श्री मायातेवर जी, मैं इस पर विचार कर रहा हूं। इस पर सक्रियता से विचार हो रहा है। जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, मैं अवश्य करूंगा। कृपया बैठ जाएं।

---

## सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (तीसरा प्रतिवेदन)

**श्री बंशीलाल** (भिवानी) : मैं सरकारी उपक्रमों द्वारा भंडारण स्थान किराये पर लेने में हुए व्यय के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

**एक माननीय सदस्य** : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों के लिए जो भूमि रखी गई थी उसे दिल्ली प्रशासन ने मोदी मिलों को दे दिया है·····

**अध्यक्ष महोदय** : स्वीकृति नहीं दी जाती है।

व्यवधान

**श्री सूरज भान** (अम्बाला) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एजोर्नमेंट मोशन दिया है। प्रधान मंत्री जी ने बयान दिया है कि वे रिजर्वेशन खत्म करने को तैयार हैं अगर अपोजीशन इस बात के लिए तैयार हो।

व्यवधान

मेरे एजोर्नमेंट मोशन का जवाब दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इसे अनुमति नहीं दी है।

---

**कार्यवाही तृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया।

## बाल दत्तक ग्रहण विधेयक

**विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. शिवशंकर)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल दत्तक ग्रहण तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि बाल दत्तक ग्रहण तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

**श्री पारुलेकर .**

**श्री बापू साहिब पारुलेकर** (रत्नगिरि) : मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं। इसके उद्देश्यों में कहा गया है :—

"इस मांग का आधार संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि राज्य अपनी नीति का ऐसे संचालन करेगा कि यह सुनिश्चित हो जाये कि शैशव और किशोर अवस्था शोषण से तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से संरक्षण होगा"।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में ऐसा कोई कारण नहीं दिया गया है जिसके अन्तर्गत सरकार ने इस विधेयक की धारा 8 के प्रावधान बनाने की जरूरत महसूस की हो, जिसके अधीन मुस्लिमों के इस विधेयक के अन्तर्गत गोद लेने से मुक्त किया गया हो। मेरे विचार में यह संविधान के अनुच्छेद 44 का स्पष्ट उल्लंघन है जिसके बारे में सरकार तथा विधि मंत्री बार-बार कहते हैं कि नीति निदेशक सिद्धान्त, मूलभूत अधिकारों से आगे हैं तथा अधिक महत्वपूर्ण हैं। अनुच्छेद 44 में स्पष्ट कहा गया है :

"राज्य भारत भर के सभी नागरिकों के लिये समान संहिता बनाने का प्रयास करेगा।"

अतः इस प्रकार के कानून में, इस विशेष विधेयक का खंड 8 संविधान के अनुच्छुद 44 में दर्शित नीति निदेशक सिद्धान्तों का सीधा उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 390 के अन्तर्गत अनाथ बच्चों का भी बचाव करना है। मैं जानना चाहूंगा कि विधेयक में ऐसी व्यवस्था यदि है तो क्या इसका अर्थ यह है कि मुस्लिमों के बच्चे अनाथ नहीं होते और वे गरीब बच्चे नहीं होते और उनकी देखरेख क्या ढीले ढंग से होती है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार के भेदभाव का क्या कारण है ? अनुच्छेद 44 के अतिरिक्त यह संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 15 की भावना का स्पष्ट उल्लंघन भी करता है। अतः मेरा कहना है कि यह विधेयक अनुचित तथा असंवैधानिक है। इसके अतिरिक्त मैं यह नहीं समझ पाया कि सरकार किसी अन्य सम्प्रदाय के बच्चों को गोद क्यों नहीं लेने देती और मुस्लिम बच्चों के अन्य व्यक्ति द्वारा गोद क्यों नहीं लेने देती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा अनाथालयों के अनाथ बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। उनकी देखभाल गोद लेने से अच्छी प्रकार हो सकती है।

अतः मेरे विचार में यह संविधान के अनुच्छेद 39 तथा 44 और अनुच्छेद 14 तथा 15 के सिद्धान्तों के विरुद्ध है ।

अतः मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करता हूं ।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (बन्नानी) : मुझे विपक्ष का विरोध करने की अनुमति दें ।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : यह असंवैधानिक कानून है—कोई व्यैक्तिक कानून नहीं ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शिवशंकर ।

**श्री पी० शिवशंकर** : इस कानून का तात्पर्य अनुच्छेद 39 में उल्लिखित उद्देश्य को पूरा करना है । तर्क दिया गया है कि कानून अनुच्छेद 44 के विरुद्ध होगा ।

मैंने आज सुबह अपने माननीय मित्र को बताया कि अनुच्छेद 44 तथा संविधान के भाग IV के अन्य अनुच्छेदों की भाषा के बीच में बहुत अन्तर हैं । मैं स्थिति स्पष्ट करता हूं क्योंकि आपने संवैधानिक तथा कानूनी आपत्तियां उठायी हैं । उदाहरणार्थ, अनुच्छेद 92 में कहा गया है :—

"राज्य काम के लिए न्यायोचित तथा मानवीय परिस्थितियां और प्रछूति राहत उपलब्ध करने सम्बन्धी प्रावधान बनायेगा" ।

जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, यह अनिवार्य है । लेकिन अनुच्छेद 44 में कहा गया है :—

'राज्य प्रयास करेगा'

यह प्रयास करेगा । इसका अर्थ अनिवार्य होने से नहीं है । 'प्रयास' शब्द का अर्थ यह है कि राज्य को यह काम विभिन्न अवस्थाओं में जरूरी तौर पर करना है ।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : यह मेरा विचार है ।

**श्री पी० शिवशंकर** : दुर्भाग्यवश यह आपका विचार है । इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता । लेकिन यदि आप अपने आप को शाबाश देना चाहते हैं, तो यह आप पर निर्भर करता है ।

अब प्रश्न यह है कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, निस्संदेह इसमें मुस्लिम बच्चों को गोद लेने तथा मुस्लिमों द्वारा गोद लेने से बाहर रखा गया है क्योंकि शरियात कानून के अधीन गोद लेना मना है (व्यवधान) जब इसे अनुच्छेद 25, जो एक मूलभूत अधिकार है, के अन्तर्गत माना गया है और जिसके अन्तर्गत धर्म की आजादी दी गयी है और जब मुस्लिम सम्प्रदाय के एक बड़े भाग ने इस विधेयक का विरोध किया हो कि यह विधेयक व्यैक्तिक कानून के विरुद्ध होगा और इससे अनुच्छेद 25 में उल्लिखित उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लघन होगा । इस स्थिति में सरकार को लोगों की धार्मिक भावनाओं को जरूरी तौर पर ध्यान में रखना पड़ा ।

जैसे कि मैं कह चुका हूं, जब धर्म का प्रश्न सामने आता है और कानून, जो अधिक महत्व-पूर्ण है, यह है कि प्रभावित वर्ग के लोगों को इस मांग के साथ सामने आना चाहिये कि एक ऐसा कानून जरूरी है । लेकिन उनके सामने आये बिना यदि सरकार को अनुच्छेद 25 का उल्लंघन

करते हुए तथा लोगों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिये आगे बढ़ना पड़े, तो यह अनुचित होगा ।

अत: जहां तक सरकार का सम्बन्ध हैं, मेरे विचार में अनुच्छेद 44 के उल्लंघन का कोई प्रश्न नहीं है और खंड 8 को भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता ।

(व्यवधान)

मेरे माननीय मित्रों को मद्रास उच्च न्यायालय के एक पत्नि, एक पति प्रथा के विरुद्ध हिन्दु विवाह अधिनियम के बारे दिए गये उस निर्णय की जानकारी है कि यह भेदभाव का मामला है क्योंकि मुस्लिम शरियात के अन्तर्गत 4 पत्नियां रख सकते हैं । यह कानून संख्या को कैसे कम कर सकता है और एक पति—एक पत्नी प्रथा को कैसे लागू कर सकता है ।

**श्रीराम जेडमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम): निर्णय का सिद्धान्त यह था कि बहुविवाह एक सजा है और मुस्लिमों को किसी अधिकार से वन्चित नहीं किया जायेगा ।

**श्री पी० शिवशंकर** : श्री जेठमलानी, आपने केवल तस्करों के मामलों से बहुत पैसा कमाया है । आपने अनुच्छेद 25 को नहीं समझा ।

**श्री राम जेठमलानी** : मैं तस्करों की अपेक्षा कांग्रेसियों की अधिक रक्षा करता हूं । मैंने कांग्रेसियों से अधिक पैसा कमाया है ।

**श्री पी० शिवशंकर** : उनसे जो आपके पक्ष में हो गये हैं ।

**श्री राम जेठमलानी** : मेरे सब तस्कर मुवक्किल चले गये हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश ले लिया है ।

**श्री पी० शिवशंकर** : दुर्भाग्यवश आप उनकी कीमत पर फलते फूलते आये हैं । आपकी स्थिति यह है । संवैधानिक कानून समझना होगा ।

मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय अनुच्छेद 14 के भेदभावपूर्ण पहलू से सम्वन्धित था और उन्होंने कहा था कि यह भेदभाव का मामला नहीं है । अत: मुझे पूरा विश्वास है कि मुस्लिम को गोद लेने के कानून से बाहर रखने से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होगा क्योंकि इसके बारे न्यायालयों ने निर्णय दे रखे हैं । मेरा यही अनुरोध है ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि बाल दत्तक ग्रहण तथा उससे सम्वन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**श्री पी० शिवशंकर** : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

———

## राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा में विधेयक पर आगे खण्डवार विचार किया जायेगा ताकि तत्संबन्धी कुछ मामलों में निरोधक नजरबन्दी की व्यवस्था की जा सके।

अब हम खण्ड 3 को लेते हैं। खण्ड 3 के संशोधन अब प्रस्तुत किए जायेंगे।

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 35 से 41 और 1 से 16 का **लोप किया जाए।** (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18,—

'या अनुमोदन किया जाता है, **का लोप किया जाए।** (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,—

"सात दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 34 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :

"(2-क) उप धारा (2) के अधीन तब तक कोई निरोध आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि किसी क्षेत्र में विद्यमान या विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों का ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण न हो कि सम्बन्धित व्यक्ति लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य कर सकता है।" (80)

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

"या पुलिस आयुक्त" **के स्थान पर**

"और पुलिस आयुक्त या समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी या उस जिले के पुलिस विभाग का प्रधान" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (19)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" **के स्थान पर** "एक मास" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (20)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"तीन मास" **के स्थान पर** "एक मास" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (21)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" **के स्थान पर** "सात दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (22)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 13 से 16 का लोप कर दिया जाए । (23)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 17 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

"(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा तब तक कोई आदेश नहीं किया जा सकेगा जब तक राज्य सरकार तथ्य की रिपोर्ट और साथ में वे आधार, जिन पर वह आदेश करने का प्रस्ताव है और अन्य ऐसी विशिष्टियां जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं, केन्द्रीय सरकार को नहीं भेज देती और केन्द्रीय सरकार उस आदेश को पास करने की अनुमति नहीं देती ।" (24)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 से 24,—

"या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से" का लोप कर दिया जाए । (35)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए । (36)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"तीस मास" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए : (37)

पृष्ठ 3 पंक्ति 11,—

"बारह दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (38)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"पांच दिन के पश्चात्" के स्थान पर "प्रथम दिन" प्रतिस्थापित किया जाए (39)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"दस दिन" के स्थान पर "दूसरे दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (40)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (41)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,—

"सात दिन" के स्थान रर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (42)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 17 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"(5) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई आदेश नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार ने तथ्यों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को और साथ में वे आधार, जिन पर वे आदेश करने की प्रस्थापना है और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं, भेज न दी हों और केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आदेश किये जाने के लिये सम्मति न दे दी हो।" (282)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य को उस समय इस प्रकार निरुद्ध नहीं किया जायेगा, जब संसद् या राज्य विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो।" (51)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त" के **स्थान पर** "सेशन न्यायाधीश" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (52)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39-40,—

"जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त" के **स्थान पर** "सेशन न्यायाधीश" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (53)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :

"परन्तु यह और कि निरोध की तीन मास की अवधि एक ही आधार पर तथा तब तक नहीं बढ़ाई जायेगी जब तक कि निरोध की अवधि के बढ़ाये जाने के लिये सलाहकार बोर्ड का पूर्व अनुमोदन नहीं करा लिया जाता।" (55)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** ।

"(6) निरोध आदेश तामील किये जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिये जायेंगे अन्यथा आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा। : (59)

पृष्ठ 2 पंक्ति 31,

"नहीं है" के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** ।

"और ऐसा कार्य भी नहीं है जिसके लिए देश की सामान्य विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती है" (257)

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 8 से 25 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाये** :

"3(1) (क) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी सरकारों से सम्बन्ध या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, अथवा

(ख) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी विदेशी के भारत में उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है,

तब केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये ।

(2) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिये आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से उसे निरुद्ध करना आवश्यक है,

तब केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये । (69)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 और 18,—

"राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है" के **स्थान पर** "कोई आदेश किया जाता है" **प्रतिस्थापित किया जाये** । (71)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये** :

"(6) ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार, यथाशक्य शीघ्र, इस बात पर विचार करने के लिए अग्रसर होगी कि क्या आदेश की धारा 14 के अधीन प्रतिसंहृत किया जा सकता है ।" (72)

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 से 24,—

"या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने

पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से" का लोप कर दिया जये । (91)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 1 से 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि किसी भी दशा में दो मास से अधिक की नहीं होगी ।" (92)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19

"सात दिन" के स्थान पर "पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (93)

श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन जब संसद या राज्य विधान मंडल का सत्र एक सप्ताह के भीतर होना हो और उनके सत्र पर्यन्त कोई संसद सदचेय या राज्य विधान मंडल का सदस्य इस प्रकार निरुद्ध नहीं किया जायेगा । (108)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

परन्तु यह और कि निरोध की अवधि बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना उन ही आधारों पर निरोध की अवधि तीन मास से अधिक समय तक नहीं बढ़ायी जायेगी ।" (112)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (113)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"पांच दिन के पश्चात्" के स्थान पर "अगले दिन" प्रतिस्थापित किया जाये (114)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"दस दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (115)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (116)

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(6) निरोध आदेश तामील किये जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिये जायेंगे अन्यथा निरोधी आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा। (159)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर

"पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (172)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"तीन मास" के स्थान पर

"पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (173)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11;—

"बारह दिन" के स्थान पर

"पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (175)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"दस" के स्थान पर

"सात" प्रतिस्थापित किया जाये। (176)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"बारह दिन" के स्थान पर

"पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (177)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर

"दस दिन" प्रतिस्थापिव किया जाये। (178)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(6) निरोध आदेश तामील किये जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिये जायेंगे अन्यथा निरोध आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।" (179)

**श्री हन्नान मोल्लाह** : (उल्लूबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10,—

"भारत के विदेशी सरकारों से सम्बन्ध" का **लोप कर दिया जाये ।** (189)

**श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** : —

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई भी सरकार निरुद्ध करने के कारणों की वगैर पूर्व सूचना दिए तथा सफाई का उचित अवसर प्रदान किए किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं करेगी;

परन्तु यह और कि संसद सदस्य के मामले में संसद् के दोनों सदनों एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्य के मामले में सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी संसद् सदस्य या किसी राज्य विधान मण्डल के सदस्य को निरुद्ध नहीं किया जायेगा ।" (216)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 26 से 34 का **लोप किया जाये ।** (217)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त" **के स्थान पर** "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (218)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36-37,—

"या विद्यमान हो सकने वाली" का **लोप कर दिया जाए ।** (219)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39-40,—

"जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त" **के स्थान पर** "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" **प्रतिस्थापित किया जाये ।** (220)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" **के स्थान पर** "बीस दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (221)

पृष्ठ 3, पंक्ति 3,—

"राज्य सरकार" **के स्थान पर** "सलाहकार बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (222)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4-5—

"समय-समय पर संशोधित करके ऐसी अवधि को एक बार में अधिक से अधिक तीन मास तक के लिए बढ़ा सकेगी" **के स्थान पर** "संशोधित करके केवल एक बार अधिक से अधिक 10 दिनों तक के लिए बढ़ा सकेगी ।" **प्रतिस्थापित किया जाऐ ।** (223)

पृष्ठ 3, पंक्ति 8,—

"तुरन्त" के स्थान पर "उपरोक्त आदेश के दो दिनों के अन्दर" प्रतिस्थापित किया जाये। (224)

**श्री टी० आर० शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ट 3, पंक्ति 2,—

"मास" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (234)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"मास" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (235)

**प्रो० रूपचन्द पाल** (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (242)

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"परन्तु कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे वह संसद् सदस्य हो अथवा विधान मण्डल का सदस्य हो, सत्रावधि के दौरान इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध नहीं किया जायेगा।" (253)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के पश्चात् प्रतिस्थापित किया जाए :

" परन्तु यह और भी कि सलाहकार बोर्ड की सम्मति के बिना निरोध की अवधि छह सप्ताह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।" (254)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 और 11,—

"या भारत की सुरक्षा" का लोप कर दिया जाये। (262)

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 19 से 42 और 1 से 21 का लोप कर दिया जाए। (263)

पृष्ठ 2—

पंक्ति 35 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि किसी भी दशा में एक मास से अधिक की नहीं होगी।" (275)

**अध्यक्ष महोदय :** ये संशोधन सभा के समक्ष हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी पड़ेगी कि समान संशोधनों के प्रस्ताव न हो।

अब श्री जी० एम० बनातवाला बोलेंगे।

**श्री जी० एन० बनातवाला** (पौन्नानी) : जनाव स्पीकर सहाब, मैं इतना कहना चाहता हूं कि एतियाती नजरबन्दी का हक पुलिस कमिश्नर को भी दिया जा रहा है और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी दिया जा रहा है। जरा होम मिनिस्टर साहब यह समझने की कोशिश करें कि मैं अगर इख्तिलाफ़ के लिए खड़ा हुआ तो कोई मुखालिफ़त या मुकाबले का जज्बा लेकर नहीं खड़ा हुआ हूं। मैंने तो अपनी पहली तकरीर में हकूमत पर यह इल्जाम भी नहीं रखा था कि वह कोई पालिटिक्स मोटिव लेकर आ रही है। आप चाहते हैं कि हालात सुधरें। लेकिन जो तरीका आप अख्तियार करने जा रहे हैं वह तरीका गलत है। मैंने कहा था कि यह मिसकंसेप्शन है कि डिटेंशन इज दी पैनीशिया आफ आल इल्सा इस बात को मैंने वाजेह करने की कोशिश की है। आपने खुद कहा है कि जनता पार्टी के राज में बदकिस्मती से फिरकेवारना अनासिर हमारे इंतजामिया में दाखिल हो गये और उन्होंने रेस्पेक्टेबिलिटी भी ले ली। और आपके इस बयान को तस्लीम करते हुए, 100 फ़ीसदी दुरुस्त समझते हुए, उसकी ताईद करते हुए सिर्फ इतना मतालबा कर रहा हूं कि मेहरबानी करके अपने इंतजामिया से इन छोटे मोटे अफसरों को, जिनके बारे में आप कहते हैं कि कम्युनल ऐलीमेंट्स घुस गये हैं, उनको डिटेंशन आर्डर का हक न दिया जाय। इसीलिये यह अपेंडमेंट मैंने रखा है। वरना हालात के अन्दर और भी खराबी पैदा होगी, इस बात को समझना चाहिये। जनता पार्टी ने अवाम को मायूस कर दिया। अब अगर आप भी मायूस कर देंगे तो अवाम की यह मायूसी मुल्क और जम्हूरियत के लिये तबाही और बरबादी का बायस बन जायगी। अगर मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं तो उसको समझने की कोशिश कीजिये। कोई मुकाबले की बात नहीं है, लेकिन सही इलाज की तरफ आपको दावत देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि डिटेंशन अगर हम करते हैं तो उसके बारे में हमारा कुछ दृष्टिकोण होना चाहिये। मैं होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं कि किसी आदमी को आप जेल में रखते हैं तो उसको किस रूप में रखना चाहते हैं। पहले तो आपने पावर सेन्ट्रल गवर्नमेंट को, फिर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी और स्टेट गवर्नमेंट ने वह पावर पुलिस कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को दे दी। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप डिटेंशन करना चाहते हैं और पावर आपने दी है और आपने लिखा है कि फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यह जो आपका क्लाज है उसमें भी यह साफ मालूम नहीं होता कि जहां पुलिस कमिश्नर नहीं है वहां कौन डिटेंशन आर्डर देगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास तो वैसे ही और बहुत से काम हैं। हमारे राजस्थान में पुलिस कमिश्नर नहीं है, और भी बहुत से राज्यों में पुलिस कमिश्नर नहीं हैं। तो क्या वहां पर एस० पी० डिटेंशन का आर्डर करेगा, या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करेगा ? आप अपनी पावर्स डेलीगेट करते हैं और डेलीगेट करने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, मैजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को पावर देते हैं। लेकिन एक बात सोच लीजिये कि कानून में आप अधिकार दे रहे हैं लेकिन उसका कहीं मिसयूज

न होने लगे और जो परपज है कि जो लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालना चाहते हैं उनके खिलाफ यह कानून लागू होगा इस बात को लेकर यह पावर कहीं आर्डिनरी पुलिस अफसर को न मिल जाय और उसका मिसयूज होने लगे । इस बात का क्या सेफगार्ड है ?

दूसरी बात यह है कि आपने 12 दिन का टाइम लिया है इत्तिला करने का । मैं समझता हूं कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट समझदार है तो 7 दिन में इत्तला कर सकता है । एक आदमी को आप 12 दिन तक डिटेंशन में रख सकते हैं, 1980 में आप क्या बनाते हैं, सिविल राइट्स की बात आप करते हैं, हयूमन फ्रीडम की बात करते हैं ऐसा कोई आदेश 12 दिन से अधिक हो जाने के बाद भी उस समय तक लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि इसी बीच राज्य सरकार द्वारा इसे स्वीकृत नहीं कर लिया जाता है । मैं समझता हूं कि इतने दिन तक नहीं रखना चाहिये, बहुत कम दिन, वह 7 दिन में कर सकता है । इसके लिए मैंने यह अमैंडमैंट मूव की है :

"इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा तब तक कोई आदेश नहीं किया जा सकेगा जब तक राज्य सरकार तथ्य की रिपोर्ट और साथ में वे आधार, जिन पर वह आदेश करने का प्रस्ताव है और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो राज्य लरकार की राय से उस आदेश की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं, केन्द्रीय सरकार को नहीं भेज देती और केन्द्रीय सरकार उस आदेश को पास करने की अनुमति नहीं दे देती ।"

मेरा इसमें परपज था कि कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 22 और 23 में कहा गया है ।

अनुच्छेद 22 (5) :

"निवारक निरोध उपबंधित करने वाली विधि के अधीन दिये गए आदेश के अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है तब आदेश देने वाला प्राधिकारी यथाशाक्य शीघ्र उस व्यक्ति को..... बतायेगा ।"

यथाशीघ्र– शब्दों का प्रयोग किया गया है ।

आपने कानून का उद्देश्य जो रखा है, कानून बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन लागू करने वालों की नियत का सवाल है ।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने संशोधन द्वारा यह मांग की है कि नजरबन्द करने की अवधि कम-से-कम रखी जाये । इसके पेज नं० 2 में जहां जिक्र है :—

"समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से " ऐसी व्यवस्था करके इस कानून में आपने हड़ताल करने को गैर-कानूनी किए बगैर हड़ताल करने वालों पर पाबन्दी लगा दी है । इस तरह से कारखानों में अगर कोई हड़ताल करेगा तो जाहिर बात है कि उनकी बातें सही होंगी, फिर भी अगर वह आन्दोलन करेंगे तो ऐसे लोगों को आप पकड़कर इस कानून के तहत नजरबन्द कर देंगे और ज्यादा से ज्यादा एक साल तक आप रख सकेंगे । जो प्रावधान आप इस विधेयक में कर रहे हैं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये ।

संविधान के मुताबिक संगठन बनाना, शांतिमय तरीके से आन्दोलन करना, यह अधिकार हिन्दुस्तान में तमाम नागरिकों को प्राप्त है। इस तरह से अगर आप उस पर बंदिश लगायेंगे तो उनके संवैधानिक अधिकारों पर प्रहार होगा। मैं चाहता हूं कि इस तरह की बात इसमें न रखी जाये। इसको निकाल दिया जाए और बाकी संशोधनों के द्वारा मैंने कहा है कि नजरबन्दी कानून गलत है, जनतंत्र विरोधी है। लेकिन जब आप इसे पास कर रहे हैं तो कम-से-कम 1 दिन से लेकर 7 दिन, 10 दिन या महीने से ज्यादा किसी को नहीं रख सकें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर :** श्रीमान, मैंने सात संशोधनों के प्रस्ताव किये हैं। कृपया संशोधनों की संख्या ध्यान में रखिए और मुझे पर्याप्त समय देने की कृपया कीजिए, मैं पहले भी नहीं बोला हूं।

संशोधनों की विशेषताएं बताने से पूर्व मैं गृह मन्त्री की कल की इस टिप्पणी का जिसके बारे में श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भी उल्लेख किया है विरोध करना अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि हमने प्रचार के लिए तथा अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन्हें परिचालित करने के लिए इन संशोधनों को पेश किया है। हमारा मतलब असली कार्य है। उनका अनुभव हो सकता है परन्तु हमने इस उद्देश्य के लिए इन संशोधनों का प्रस्ताव नहीं किया है।

मैंने जो संशोधन पेश किये हैं, अब मैं उन पर आता हूं। मैंने अपने संशोधन सं० 56 में कहा है कि नजरबन्द किए जाने वाले व्यक्तियों को नजरबन्दी का आदेश देते समय नजरबन्दी के कारण बताये जायें अन्यथा, श्रीमान 'सन्तुष्ट हो गए' शब्द बहुत लचीला है, किसी भी व्यक्ति को 'सन्तुष्टी' शब्द के साथ नजरबन्द किया जा सकता है।

श्रीमान, माननीय सदस्यों के लाभ के लिए मैं एक घटना की सूचना देना चाहूंगा जो नवम्बर, 1975 में नासिक में हुई थी। श्रीमान, इससे मालूम होगा कि हम स्वतंत्रता से चिन्तित हैं। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। नासिक के एक वरिष्ठ एडवोकेट को नजरबन्दी वारंट भेजा गया था। जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा, "मैं सन्तुष्ट हूं कि आपकी गतिविधियां....."

श्रीमान, कृपया सुनिये इसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस सभा में साधारण रूप से स्पष्ट कीजिए।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर :** श्रीमान, अब यह घटना समय पर हुई है। कृपया एक क्षण के लिए सुनिये। श्रीमान, जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा एक आदेश भेजा गया था जिसमें यह कहा गया था कि फलां-फलां आदमी, मैं सन्तुष्ट हूं कि आपकी गतिविधियां राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक हैं। श्रीमान, पुलिस अधिकारी घर पर गया। उनके पुत्र ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा "आपके पिताजी के नाम में मुझे यह आदेश मिला है।" उनके पुत्र ने पुलिस अधिकारी को बताया "मुझे खेद है। यदि आप आदेश तामील करना चाहते हैं तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। मेरे पिताजी की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है।" श्रीमान, आपात स्थिति घोषित करवा दी थी। यह नासिक का दृष्टान्त है। मैं नाम बता सकता हूं। कार्यकारी अधिकारियों की सन्तुष्टी का प्रयोग कैसे किया गया था जिस समय आंसुका लागू था। इसलिए श्रीमान, जिस बात का उल्लेख मैंने किया है वह यह है कि उसी समय कारण बताए जाने चाहिएं। मुझे मालूम नहीं है कि आपके पास कारण कब आ जाते हैं।

आपको कारण बताने में क्या एतराज है । जबतक आप कारणों को ढूंढ निकालना नहीं चाहते हैं । तब तक क्या आप किसी की सिफारिश, फोन पर या अनुदेशों पर नजरबन्द करते हो ? इसलिए श्रीमान मैं जानना चाहता हूं कि इस विशेष खण्ड में इसका क्यों उल्लेख नहीं किया गया है ।

दूसरे संशोधन 55 है । श्रीमान यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है । श्रीमान नजरबन्दी आदेश की जांच सलाहकार बोर्ड द्वारा की जानी है । परन्तु यह केवल तीन मास के लिए है । परन्तु तीन मास के पश्चात् मामले को सलाहाकार बोर्ड भेजे बिना नजरबन्दी जारी रखी जा सकती है । इसलिए 9 महीने तक आप नजरबन्दी को सलाहकार बोर्ड को भेजे बिना जारी रख सकते हैं । इसलिए श्रीमान मैंने सुझाव दिया है कि यदि तीन महीने से अधिक के लिए जैसाकि विशेष खण्ड में उल्लिखित हैं नजर बन्दी को जारी रखा जा सकता है तो यह आवश्यक है कि सलाहकार बोर्ड की पूर्वानुमति आवश्यक है । अन्यथा मेरा मतलब है कि स्वीकृति तीन महीने की नजरबन्दी के केवल उद्देश्य के लिए है और नौ महीने के लिए यह व्यक्ति कार्यपालिका की मनमानी पर है ।

मेरा तीसरा संशोधन यह है कि उन्होंने खंड 3 के परन्तुक से उल्लेख किया है कि इसमें वे मामले शामिल नहीं किए जाएंगे जो चोरबाजारी अधिनियम के अधीन आते हैं परन्तु मैंने उल्लेख किया है कि यह जोड़ दिया जाना चाहिए कि इसमें वह कार्य शामिल नहीं किया जाता है जिस पर देश के साधारण कानून से कार्यवाही की जा सकती है । उदाहरणार्थ, नजरबन्दी आदेश दिया जाता है तो साधारण रूप से यह उल्लेख किया जाता है कि आपने इस मोर्चे में भाग लिया, आपने इस गिरोह में भाग लिया । श्रीमान, वे नजरबन्दी के कारण नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसे कार्य हैं जो दण्डनीय नहीं हैं । जैसा कि माननीय गृह मंत्री महोदय ने कहा है, कि हम व्यक्तियों को नजरबन्द कर रहे हैं, हम दण्ड नहीं दे रहे हैं, ताकि वे उन गतिविधियों में न पड़ें जो राष्ट्र के हितों के लिए हानिकारक हैं । इसके बाद, श्रीमान, वे कार्य जो साधारणतया किये जाते हैं और जो अपराध का रूप धारण कर लेते हैं, वे नजरबन्दी आदेश के आधार नहीं होने चाहिएं । इसलिए मैंने इस विशेष संशोधन और दो अन्य छोटे संशोधनों का उल्लेख किया है ।

श्रीमान, ये शक्तियां सत्र न्यायाधीशों को क्यों नहीं दी जाती हैं जो अपने न्यायिक मस्तिष्क को इस्तेमाल कर सकते हैं । आप इसे जिला मजिस्ट्रेट को क्यों दे रहे हो ताकि राजनैतिक हस्तक्षेप हो । टेलीफोन काल हो सकती है जिसमें यह कहा जाता है कि इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए ? परन्तु सरकार सत्र न्यायाधीशों के लिए इसे नहीं कर सकती है । इसलिए अधिक संरक्षण देने के लिए मैं सुझाव दूंगा कि जिला मजिस्ट्रेट के स्थान पर सत्र न्यायाधीश होना चाहिए और अन्तिम संशोधन यह है जिसे मैंने पेश किया है कि विधान सभाओं में या विधान परिषदों में जनता के प्रतिनिधियों या संसद सदस्यों को उस समय नजरबन्द नहीं किया जाएगा जब संसद का सत्र चालू हो । यदि उन्हें नजरबन्द किया जाना है तो उनको यहां लाया जा सकता है, उनकी देख-रेख की जा सकती है । हमें पीछे का अनुभव है कि जब आपको विधेयक पारित करने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है तो आप विपक्ष की आवाज सुनना नहीं चाहते । लोगों को नजरबन्द कर लेते हैं । श्रीमान, संशोधन को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है ।

श्रीमान, धन्यवाद ।

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन 59 से 72 तक के समर्थन में बोल रहा हूं परन्तु ऐसा करने से पहले, यदि आप बुरा न मानें, तो मैं दूसरी तरफ के माननीय मित्र श्री मूलचन्द डागा की सराहना के लिए थोड़ा सा समय लूंगा । उन्होंने एक सिद्धान्त-सत्तारूढ दल के रुख के प्रति एक बहुत विरोधाभास की नवीन व्याख्या की है । एक मात्र शिकायत जो मुझे है वह यह है कि एक फूल के खिलने से बहार नहीं आती और अकेले श्री डागा से कांग्रेस (आई) नहीं बनी है । सरकार की ओर से जो मिलता है वह मानव अधिकारों के प्रति एक प्रकार का कठोर और संवेदनात्मक रवैया और जो सब हमने आज इस संशोधन से 69 व 72 के माध्यम से जिस बात की वकालत कर रहे हैं वह यह है कि आपको कार्यपालिका प्राधिकार के पूर्णतः विषय पर सन्तुष्टी के स्थान पर कम से कम परिस्थितियों के उद्देश्यपूर्ण अस्तित्व को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और इन्हीं उद्देश्यों के अन्तर्गत नजरबंदी के अधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए ।

हमारा उच्चतम न्यायालय श्री बुद्धिराम के प्रसिद्ध मामले में पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका हूं कि हालांकि ये कानून इस तरीके में कहे गये हैं तो भी न्यायालय हस्तक्षेप करने में पूर्णतः शक्तिहीन नहीं है, और न्यायालय इस आधार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं कि प्राधिकारी ऐसे गलत निष्कर्ष पर पहुंच गये हैं कि कोई सही प्राधिकारी उस पर कभी पहुंचा हो; तब न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे । यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित यही कानून है तो कम से कम मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के प्रभारी मंत्री महोदय से इतनी ईमानदारी तथा सच्चाई की उम्मीद कर सकता हूं कि वे स्थिति स्पष्ट करेंगे और उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस संशोधन से नजरबन्दी की आपकी शक्ति पूर्णतः सुरक्षित बनी रहती है । आप उनका प्रयोग कर सकते हैं परन्तु आप केवल उनका प्रयोग कर सकते हैं यदि केन्द्रीय सरकार इस बात को समझती है कि इस बात पर विश्वास करने के कारण हैं कि "व्यक्ति को रोकने के विचार से प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से ...आदि" । मैं नहीं मानता हूं कि किसी ईमानदार सरकार को इस प्रस्ताव को मानने में जरा सी परेशानी होनी चाहिए क्योंकि यह प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय ने ही लगभग निर्धारित किया है ।

इस संशोधन की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नजरबन्दी के इन आदेशों के मामले में इससे अधीनस्थ अधिकारियों के, या तो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारियों की शक्ति छीन ली जाएगी । यदि आप इस कानून के उपबन्धों की तुलना उसको फोफेपोसा के उपलन्धों से करते हो जिससे तस्करों तथा विदेशी मुद्रा में हेरा-फेरी करने वालों पर कार्यवाही की जाती है तो आपको मालूम हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा फल साधक तथा तस्करी नियन्त्रण के अन्तर्गत नजरबन्दी के आदेश देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों को कोई शक्ति नहीं दी गई है । इसलिए आप इन लोगों को ऐसे लोग मान रहे हो जो राजनीति में हों, असन्तुष्ट हों, सरकार पर हमला करने में लगे हों; इन व्यक्तियों पर कार्यवाही करते समय आप उस तरीके से उन पर कार्यवाही कर सकते हैं जो उस तरीके से बुरा है जिसमें

आप तस्करों तथा विदेशी मुद्रा में हेरा-फेरी करने वालों के साथ कार्यवाही कर रहे हो । जो सब कुछ हम कह सकते हैं वह यह है कि जैसा कि विदेशी मुद्राफल साधक तथा तस्करी नियन्त्रण अधिनियम में इस शक्ति का प्रयोग केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तो इस शक्ति को इस कानून में भी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों तक सीमित रखिये ।

बाकी संशोधन केवल आनुषंगिक हैं ।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : इस खंड के लिये मैंने अपने संशोधन संख्या 91, 92 तथा 93 दिये हैं । विरोध करना हमारा अधिकार है और हम इस विधेयक का विरोध हर अवस्था पर करेंगे ।

इस विधेयक की परिधि बहुत व्यापक है जो देश के श्रमिकों के अहित में है । इस विधेयक द्वारा किसी भी उचित अथवा न्यायोचित हड़ताल का सामना किया जा सकता है । अतः उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया है :

"जो लोगों को अनिवार्य वस्तुओं की सप्लाई तथा सेवाओं के लिए हानिकारक हो" । ये शब्द आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी हैं । जब ये बातें उस अधिनियम में हैं और ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है, तो इसी बात को यहां भी क्यों लाया गया है ? इरादा बुरा है; अर्थात् श्रमजीवी वर्ग को सबक सिखाना; उन्हें औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत उचित तथा कानूनी हड़ताल करने से रोकना है । अतः इन शब्दों को इस विधेयक में नहीं रखा जाना चाहिये । मेरा दूसरा प्रश्न यह है : जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त को शक्तियां प्रदान की गयी हैं । एक शक्ति के अनुसार पहले नजरबन्दी आदेश तीन महीने के लिए होगा और यदि राज्य सरकार अनुभव करे और जरूरी समझे तो इसे और तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है । मेरा संशोधन इस बारे में है । यदि आप अनुभव करें कि किसी व्यक्ति को कुछ हानिकारक कार्य करने से रोकने के लिए बन्दी बनाया जाना है, तो इसके लिए 2 महीने की अवधि पर्याप्त है । आपने जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस आयुक्त को नजरबन्दी की अवधि बढ़ाने का अधिकार क्यों दिया है ? वे पहली बार उसे तीन महीने के लिये नजरबन्द कर सकते हैं । उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस कमिश्नर इसे फिर तीन महीने के लिये बढ़ा सकते हैं, फिर और तीन महीने के लिये बढ़ा सकते हैं । यह शायद राजनैतिक विरोधी की स्थायी नजरबन्दी है जिसके बारे में सलाहकार बोर्डों को भी नहीं पूछा जायेगा अतः अध्यक्ष महोदय आपको सदस्यों के क्रोध तथा चिंता को समझना चाहिये । इससे उन्हें अनिश्चित काल के लिये स्थायी नजरबन्दी की शक्तियां मिल गयी हैं । अतः मैं चाहता हूं कि इस प्रावधान के स्थान पर मेरा यह संशोधन रखा जाये :

> "शर्त यह है कि इस उपधारा के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में निर्धारित अवधि दो मास से अधिक की नहीं होगी ।"

तीसरा प्रश्न यह है : इस विधेयक के अन्तर्गत राज्य सरकार सात दिनों के अन्दर केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगी । मेरे विचार में इसे पांच दिन किया जाये ।

खंड 2

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : इस विधेयक पर दिये गये 11 संशोधनों के बारे में मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। गृह मंत्री ने हमें बताया है कि इस विधेयक का उपयोग। राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध नहीं किया जायेगा। यदि ऐसा है तो संसद अथवा विधान सभा सदस्यों के अधिवेशन के दौरान नजरबन्द करना एक गुनाह होगा। संसद अथवा विधान सभा सदस्यों के अधिवेशन शुरू होने से एक सप्ताह पहले नजरबन्द नहीं किया जाना चाहिये। मेरे संशोधन का एक ठोस आधार है। हमें लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिये पांच वर्षों के लिये चुना गया है, यह संविधान के ही अनुकूल है और सरकार को देखना चाहिये कि कोई ऐसा काम न हो जिससे कि संविधान की भावनाओं को आघात पहुंचे। विधान सभा अथवा संसद सदस्य पांच वर्षों के लिये चुने जाते हैं और यदि उन्हें अधिवेशन के दौरान नजरबंद किया जाता है तो वे अपने चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व न कर सकेंगे।

मेरे दूसरे संशोधन का उद्देश्य नजरबन्दी की अवधि को तीन महीने से घटाकर एक महीने करना तथा यह भी है कि नजरबन्दी के कारण राज्य सरकार को 15 दिन के बजाय 3 दिनों के अन्दर बताये जायें। मैं सभा से मेरे संशोथन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ताकि इस विधेयक के अंतर्गत सरकार द्वारा किये जाने वाले गुनाहों में कुछ कमी हो सके।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री योगेन्द्र झा। क्या आपने इसे पेश नहीं किया ? आप वहां नहीं थे। श्री सतीश अग्रवाल।

**श्री योगेन्द्र झा** : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा तथा आपसे अपना संशोधन पेश करने की अनुमति चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अब नहीं।

**श्री सतीश अग्रवाल** : मेरा संशोधन श्री रामजेठमलानी द्वारा प्रस्तुत संशोधनों की ही तरह है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इन्हें आपने प्रस्तुत किया ?

**श्री सतीश अग्रवाल** : उन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है। वे मेरे ही संशोधनों की तरह हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं।

**श्री के० ए० राजन** (त्रिचूर) : मेरे चार संशोधन हैं, 156 से 159 तक/खंड 3, "जो लोगों को अनिवार्य वस्तुओं की सप्लायी तथा सेवाओं के लिये हानिकारक·····" से सम्बन्धित है। यह एक खतरनाक प्रावधान है और यदि इसे रहने दिया जाये तो इसका दुरुपयोग श्रमजीवी वर्ग के हड़ताल के अधिकार के विरुद्ध किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस प्रावधान को हटाना चाहता हूं। संशोधन संख्या 159 नजरबन्दी आदेश के बारे में है। नजरबंदी के आधार, नजरबंदी आदेश की तामील करते समय नजरबंद व्यक्ति को बतायें जायेंगे अन्यथा नजरबंद व्यक्ति को तत्काल ही रिहा किया जायेगा। मैं यह संशोधन उस खंड में करना चाहता हूं।

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**अध्यक्ष महोदय :** जी हां, श्रीमती गीता मुखर्जी ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** मुझे इस पर बोलने का अवसर नहीं मिला है।

(व्यबधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं बोलने के अवसर की अनुमति नहीं दे रहा ।

(व्यवधान)

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** मैं संशोधन प्रस्तुत करूंगी·····

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको दो मिनट दूंगा ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** इस प्रकार के कानून के अन्तर्गत जब मुझे पहले नजरबंद किया गया था तो मुझे यह कारण बताया गया कि मैं धनुष बाण वाले संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी । अपने जीवन में पहली बार मैंने ऐसा सुना था । अतः मैंने इन दो बातों का विरोध किया था, सरकारी आदेश और अनिवार्य वस्तु कानून । मैं कारणों को दोहराना नहीं चाहती ।

मैं दूसरा सशोधन प्रस्तुत कर रही हूं । नजरबंदी के कारण नजरबंद किये जाने से पहले बताये जाने चाहिये । प्यारे द्वारा मुझे वही कारण बताये गये । मुझे दो बार नजरबंद किया गया । वह पहला समय था । बाद में हम सभों को एक ही कारण बताया गया । ये कारण कितने गम्भीर हैं, इसका अनुमान हर उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अनुभव से लग सकता है, जिसे कभी नजरबंद किया गया हो । इसी कारण मैंने बताया है कि इसके लिये सलाहकार बोर्ड की पूर्व अनुमति होनी चाहिये । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये मैंने अपने संशोधन दिये हैं । मैं इन बातें को दोहराना नहीं चाहता । मेरा आखरी संशोधन यह था कि नजरबंदी के कारण व्यक्ति को गिरफ्तार करते हुए बताने चाहिएं । यह बात समझ में नहीं आती कि एक व्यक्ति को जब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने के दोष में गिरफ्तार किया जा रहा हो तो कार्यपालिका को यही पता न हो कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है और उसे ये कारण गिरफ्तार करने के समय नहीं बताये जा सकते । इससे पक्षपातपूर्ण भावना का पता चलता है . यदि व्यक्ति को तत्काल यह न बताया जाये कि उसे किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** श्री हन्नान मोल्लाह ।

**श्री हन्नान मोल्लाह** (उलूबेरिया) : इन संशोधनों का विरोध करने सम्बन्धी सत्तारूढ़ दल के रवैये को मैं समझता हूं । हम अनुभव से जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल साम्राज्यवादी शक्तियों से सहयोग के विरुद्ध नहीं और ऐसा समय आ सकता है जब वे साम्राज्यवादियों से सहयोग कर सकते हैं । उस स्थिति में उनके कृत्य साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष के विरुद्ध भी जा सकते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य बतायें कि वे इस संशोधन को क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं ।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : मैं उस बात पर आ रहा हूं। दूसरे मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह विधेयक श्रमजीवी वर्ग विरोधी है। जहां तक मजूरी संघर्ष का सम्बन्ध है, मान लो कि कपड़ा कारखाने के श्रमिक बोनस के लिए हड़ताल पर हों तो कहा जायेगा कि कपड़ा एक अनिवार्य वस्तु है और कपड़ा मिल की हड़ताल से कपड़े के उत्पादन और अनिवार्य वस्तु की सप्लायी में बाधा पड़ती है। इस प्रकार हड़ताल इस अधिनियम की परिधि में आती है। इस प्रकार इस अधिनियम का दुरुपयोग हड़ताल के विरुद्ध किया जायेगा। इस कारण मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : बस ठीक है।

(व्यवधान)

हां। श्री विजय कुमार यादव।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालंदा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने 13 अमेण्डमेन्ट्स दी हैं, लेकिन मैं चार-पांच पर ही जोर डालूंगा। पहली बात तो यह है कि ला-एण्ड-आर्डर और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के सिलसिले में जो कानून बनाया गया है और प्रीवेन्टिव डिटेन्शन की बात कही गई है—इसके पीछे मैलाफाइड-इन्टेन्शन है और निश्चित तौर पर यह पोलिटीकली-पोटिवेटेड है, इसलिए मैंने अमेण्डमेन्ट के जरिये मांग की है कि इसको हटाया जाय। आप इस तरह का कानून बनाकर मजदूरों के ट्रेड यूनियन राइट्स और पोलिटिकल राइट्स को नहीं दबा सकते।

दूसरी बात यह है कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि डिटेन्शन के पहले उनको ग्राउण्ड्स की जानकारी दी जानी चाहिए। मैंने इसमें एक कदम और आगे बढ़कर संशोधन दिया है कि ग्राउण्ड्स तो दिये ही जाय, साथ-साथ उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, उस सिलसिले में जो उन पर अभियोग लगाये जायें उसकी सफाई देने का और सफाई का मौका मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की बात की जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्वाइन्ट आ चुका है।

**श्री विजय कुमार यादव** : यह प्वाइन्ट अभी नहीं आया है। फर्स्ट पार्ट की चर्चा की है, लेकिन जो सैकेण्ड पार्ट है वह यह है कि उनको प्रापर अपारचुनिटी मिलनी चासिये सफाई देने के बाद ही इस तरह की कार्यवाही की जाय। और इसी में मैंने तमाम माननीय सदस्यों

का भी ख्याल रखा है क्योंकि पता नहीं इस एक्ट के बन जाने के बाद कौन गिरफ्तार होगा और कौन नहीं होगा। इसलिए मैंने अपने एमेंडमेंट के जरिये इस बात की चर्चा की है कि पार्लियामेंट के मेम्बरों और विधानसभाओं के मेम्बरों के साथ अगर यह कानून लागू करने की बात होती है, तो अगर बिधान सभा का मैम्बर है, तो विधान मंडल, जो दोनों हाऊसेज का होता है और अगर संसद सदस्य के बारे में यह कानून लागू करने की बात होती है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाऊसेज के बगैर पहले से मंजूरी किये हुए, उन पर यह कानून लागू न किया जाए।

सरकारी अधिकारियों के बारे में भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि उनको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए क्योंकि हमारा जो पुराना तजुर्बा है, उसमें हमने यह देखा हैं कि ऐसे अधिकार का दुरुपयोग हुआ है। मैंने अपने एमेंडमेंट के जरिये इस बात की चर्चा की हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर की जगह पर यह अधिकार डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज को मिलना चाहिए, तभी न्याय की बात पो सकती है।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें डिटेंशन के बारे में कहा गया है। इसमें 'ऐसी परिस्थिति मौजूद हो' के साथ-साथ एक बात और जोड़ी गई है कि अगर ऐसी परिस्थिति की सम्भावना हो, पासीबिलिटी पर भी किसी को डिटेन कर सकते हैं। अगर यह प्रावधान रहने दिया गया तो ये अपनी व्याख्या के हिसाब से और अपनी समझ से किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। यह एक मौलिक एमेंडमेंट है क्योंकि इसमें 'हो सकने वाली परिस्थिति' का जिक्र किया गया है। इससे इनको डिक्टेटोरियल पावर्स मिल जाएंगी और ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि इस चीज को खत्म किया जाए। डिटेंशन के बारे में निश्चित काल के लिए रिन्यु करके ये किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। एक बार डिटेंशन के बाद केवल एक ही बार और वे आगे कर सकते हैं और वह भी 10 दिन के लिए और उससे ज्यादा नहीं, ऐसी माग मैंने अपने एमेंडमेंट के जरिये की है।

**श्री टी० आर० शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : कुछ नेताओं को छोड़कर, मेरे कांग्रेसी मित्र नहीं समझते कि जेल का जीवन क्या होता है और जेल में लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यदि उन सभी को एक अथवा दो महीनों के लिए जेल में डाला जाये तो वे समझ जायेंगे कि वास्तव में यह क्या हैं। मेरे संशोधन अधिकांश नजरबन्दी की अवधि से सम्बन्धित हैं। हर व्यक्ति को न्यायालय से न्याय मिलना चाहिये। यदि वास्तव में उसने कोई अपराध किया हो तो उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अतः मैंने अवधि को कम से कम करने का प्रयत्न किया है और मैंने महीनों को सप्ताहों में बदला है। यदि मेरे संशोधन किसी प्रकार से नकारात्मक हों तो इन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा। मैंने सूचना देने और गिरफ्तारी के आरोप लगाने की अवधि कम से कम की है। यदि सरकार इस अवधि को कम से कम करती है तो इससे काफी सहायता मिलेगी।

कुछ मामलों में जहां किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है तो उसके परिवार को सूचना नहीं दी जाती और परिवार को महीनों तक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः जब भी किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाये तो परिवार को तत्काल सूचना दी जाये कि वह कहां है और उसे गिरफ्तार क्यों किया गया है? गठित सलाहकार बोर्ड ने कोई भी सिफारिश की ही, सरकार को साधारणतः उन्हें स्वीकार करना ही चाहिए। वह एक दूसरा संशोधन है। एक अन्य संशोधन द्वारा मैंने नजरबन्दी की अवधि को 12 महीने से घटाकर 1 महीने रखा है। हमें देखना है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को न्याय मिले। अतः यहा कम से कम अवधि रखी गई है।

हम सबको गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। श्री दोराई स्वामी, जो एक सर्वोदयी कार्यकर्त्ता हैं, को केवल इस कारण कई महीनों तक हिरासत में रखा गया क्योंकि उन्होंने प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा था। अतः इस उद्देश्य से, कि गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अधिक कष्ट न हो, उसे अविलम्ब न्याय मिलना चाहिये। मैंने जो संशोधन पेश किये हैं, उनसे बहुत से खण्डों का लोप वांछनीय है। यह नकारात्मक संशोधन नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने अवधि कम कर दी है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

**प्रो० रूप चन्द पाल** (हुगली) : यह विडम्बना है कि सबसे बड़ा लोकतन्त्र निवारक निरोध कानून के बिना नहीं चल सकता। वे दिन-प्रतिदिन दावा करते हैं कि इसी अवलम्ब के सहारे वे सत्ता में आए परन्तु वे ऐसे उपबन्धों के अभाव में सरकार नहीं चला सकते। किसी भी सभ्य समाज में, अदालत में अपने बचाव का अवसर दिए बिना हिरासत में रखना सदा ही आपत्तिजनक, हेय और लोगों के पवित्र अधिकारों पर डाका डालना है। यह सरकार लोगों की किसी भी समस्या को सुलझाने में असफल रही है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप संशोधनों पर आइए।

**प्रो० रूप चन्द पाल** : मैं पूरे निवारक निरोध उपबन्धों का विरोध करता हूं, जिसके असफल होने पर अब मैंने हिरासत की अवधि घटाने का प्रयत्न किया है जिससे इस कठोर कानून के शिकार असहाय लोगों को थोड़ी-बहुत राहत मिल सके। मेरे अपने अनुभव से आपातकाल के दौरान और लगभग तानाशाही के दिनों के दौरान भी, पश्चिम बंगाल में हमने देखा था कि निवारक निरोधक के साइक्लोस्टाइल्ड आदेश तैयार रखे गए थे और अर्ध रात्रि में हस्ताक्षर करके उनकी तामील की गई तथा अध्यापकों, मजदूर-संघ के कार्यकर्त्ताओं, किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया है उसके संदर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इनकी मंशा स्पष्ट है और ये सत्यनिष्ठा के साथ लागू करना चाहते हैं और आर्थिक अपराधियों और सामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो इसमें कोई मतभेद नहीं है। अगर आप कानून के सामने अपराधी को समान मानते हैं तो आपके भी सदस्य विरुद्ध हो जाएंगे और जेल चले जाएंगे। आप जिस तरह ये जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को अधिकार दे रहे हैं उस तरह से उनका बहुत दुरुपयोग होगा। पहले भी उनके हाथों से बड़ा दुरुपयोग हुआ है। अभी हमारी पार्लियामेंट के सदस्य श्री कुंवर राम जी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया था और विधान सभा सचिवालय के सामने किया गया था। अगर इसका व्यवहार समान रूप से सभी पर किया जाएगा तो आपकी पार्टी के भी कई सदस्य अपराधी हो सकते हैं। यह केवल अपोजिशन को क्रश करने के लिए आप लागू करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों को सत्रावधि के दौरान इस अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध न किया जाए।

दूसरा मेरा संशोधन है कि जो समय आपने रखा है कि 6-6 महीने बढ़ाते चले जाओ, यह ठीक नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसकी जांच-पड़ताल 6 हफ्ते में भी हो सकती है और

फिर आप सलाहकार बोर्ड से उसकी राय लें । इस तरह से उसके विरोध की अवधि 6 सप्ताह से अधिक न बढ़ाएं ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्ताधारी दल द्वारा विधेयक के पक्ष में दिये गये जोरदार तर्क और उल्लासपूर्ण समर्थन को सुनने के बाद हम और भी सुनिश्चित हो गए हैं कि इस कठोर कानून को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिये । इसीलिए हम इस संशोधन में यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस कानून का एक भी शब्द पसन्द नहीं करते । परन्तु जब उनके पास अस्थायी भारी बहुमत है, तो हम इसे मानवता के नाते जितना कम हो सके उतना कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं । कृपया मेरे संशोधन सम्बन्धी सुझावों को देखें ।

यदि वे वास्तव में देश की सुरक्षा बनाए रखने के लिए जागरूक हैं तो उन्हें केवल उन्हीं मामलों के बारे में यही शक्ति प्राप्त करनी चाहिये जो भारती की सुरक्षा और विदेशों से भारत के संबंधों के लिए घातक हों । आपको याद होगा कि संविधान के चवालीसवें संशोधन ने आपात काल की घोषणा करने की शक्ति, सैनिक विद्रोह और विदेशी शक्तियों से संबंधों तक, पहले जैसी स्थिति जैसे अन्य आधारों पर नहीं, सीमित कर दिया है । ये असाधारण शक्तियां भारत की रक्षा तथा विदेशी संबंधों विषयक वास्तविक कारणों तक ही सीमित क्यों नहीं कर दी जानी चाहिएं ? यदि बाहरी खतरा हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं । परन्तु इस देश के लोगों के विरुद्ध इसको उपयोग करने की शक्ति सरकार के पास क्यों होनी चाहिए ? यदि उनमें भावुकता की भावना है तो उन्हें महसूस होगा कि, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, उन्हें हर तरफ विपक्ष से टक्कर लेनी पड़ी । कामगार वर्ग, छात्र, अध्यापक, किसान लोगों का हर वर्ग इसके विरुद्ध है, फिर भी गृह मंत्री आसानी से कहेंगे कि 95 प्रतिशत लोग इसके पक्ष में हैं । ऐसी स्थिति में इस प्रश्न पर उन्हें जनमत संग्रह के लिए तैयार होना पड़ेगा । परन्तु वे इस पर जनमत लेने के लिए तैयार नहीं हैं । इसीलिए हम कहते हैं कि हम उनके वास्तविक निश्चय की नेकनीयती की जाँच करना चाहते हैं ।

कल गृह मंत्री सत्ताधारी सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट के साथ बहुत सी अनियमितताओं के बारे में बोले परन्तु श्री ए० के० राय को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसका कोई उत्तर नहीं दिया । कोई उत्तर नहीं दिया गया; "श्री स्टीफन, संचार अभाव मंत्री," या "श्री साठे गलत सूचना मंत्री," या "गृह विध्वंसक मंत्री" में से कोई भी श्री ए० के० राय की गिरफ्तारी के बारे में एक भी शब्द न कह सके । फिर भी सब आसानी से कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा । बिहार में एक एम० एल० ए० को क्यों गिरफ्तार किया गया ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जादवपुर के वकील भाषण दे रहे हैं ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं जादवपुर के वकील के रूप में बात नहीं कर रहा हूं । वास्तव में, जादवपुर की कर्तव्यनिष्ठ जनता द्वारा यहां भेजने पर मैं अपने आपको भाग्यशाली व सम्मानित महसूस करता हूं । वे लोकतान्त्रिक आन्दोलन में अग्रणी हैं और मुझे उन पर गर्व है । मुझे उनके विचार इस सभा में व्यक्त करने हैं ।

यदि श्री सिद्धार्थ शंकर राय सत्ता में होते तो श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय उनके भय से कांप रहे होते क्योंकि पश्चिम बंगाल में श्री सिद्धार्थ शंकर राय द्वारा अपमे शासनकाल में सबसे अधिक संख्या में कांग्रेस जनों को गिरफ्तार किया था। वे अब इसे भूल रहे हैं। ये कठोर कानून हैं।इसलिए मैंने कहा था कि अनुच्छेद 452, उप-खण्ड (1) को हटा दिया जाना चाहिए। आपने पर्याप्त मात्रा में हमारे संविधान को कलुषित किया है, आपने इस देश में हमारी संविधि संग्रह को पर्याप्त मात्रा में दूषित किया है। अत: और अधिक समय तक ये गैर.कानूनी नहीं रहने चाहिएं। यदि आप वास्तव में देश के बारे में चिन्तित हैं, केवल अपने नेता के लिए नहीं, यदि आप लोगों के लिए चिन्तित हैं न कि अपनी पार्टी के लिए, तो आपको मेरा संशोधन किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेना चाहिए और इसे सर्वसम्मति से पारित करना चाहिए।

**गृह मंत्री (श्री जैल सिंह)** : आनरेबल मैम्बर साहिबान, ने जिन्होंने इस क्लाज के अन्दर संशोधन रखे हैं उनको मैंने बड़े गौर से देखा है। उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ अपने संशोधन के पक्ष में अपने विचार यहां पेश किए हैं और उनको मेंने बड़े गौर के साथ सुना है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हू कि उनकी जो शंकायें हैं और जो बार-बार यह कहा है कि सरकार की मैलाफाइड इंटैंशज हैं वे सही नहीं हैं। मजदूरों की इसमें आजादी छीन ली जाएगी और वे अपना हक नहीं मांग सकेंगे यह कहा गया है विधायकों को सैशन के दिनों में गिरफ्तार न किया जाए यह भी उन्होंने कहा है। सैशन के दिनों की बात तो क्या हम सैशन के बगैर भी नहीं चाहते हैं कि किसी को गिरफ्तार किया जाए। मैं नहीं समझता हूं कि इसकी जद में कोई नेता या कोई विधायक आएगा।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : श्री ए० के० राय को क्यों पकड़ा गया और क्यों छोड़ दिया गया ?

**श्री फूलचन्द वर्मा** : उनको गिरफ्तार करने के क्या कारण थे यह तो बताएं।

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : श्री ए० के० राय को क्यों गिरफ्तार किया ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : श्री जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि उनकी पिछली कार्रवाईयों के कारण गिरफ्तार किया गया।

**श्री आर० के० महालगी** (ठाणे) : आप अपराध स्वीकार क्यों नहीं करते ?

**श्री जैल सिंह** : बसु साहब, आप जरा सब्र से काम लिया करें। श्री ए० के० राय के मुताल्लिक मेरा कहना यह है कि यह तो ठीक है कि उनको गिरफ्तार किया गया.लेकिन उसी सककार ने जिस सरकार के किसी कर्मचारी ने उनको गिरफ्तार किया था, उनको रिहा भी कर दिया।

इनमें से कोई भी येमेंडमेंट मुझे मंजूर नहीं है और मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

**श्री आर० के० महालगी** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री ने नहीं दिया।

**उपाध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि वे सभी संशोधनों का विरोध करते हैं।

**श्री आर० के० महालगी :** क्या यह उत्तर है ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** जी, हां। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए नहीं कह सकता।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे कारण बताए जाने चाहिएं, इस मांग का उनके पास क्या उत्तर है ?

**श्री ज्योतिर्मंत बसु :** मानीय सदस्यों ने विशिष्ट प्रश्न रखे हैं। संसद् के प्रति शिष्टाचार के रूप में मंत्री को उत्तर देना चाहिए। अपनी स्थिति को दुर्बल न बनाएं। कृपया उनसे अनुरोध करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** नहीं, मैं नहीं कर सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** बनातवाला जी, क्या आप अपने संशोधनों को रखना चाहते हैं ?

**श्री जी० एम० बनातवाला :** जी, हां।

**श्री सी० एम० स्टीफन :** महोदय, जब तक कोई सदस्य इस बात पर जोर नहीं देता कि उनका संशोधन-विशेष अलग से मतदान के लिये रखा जाये, सभी संशोधनों को इकट्ठा रखा जायेगा। नियम तो यह है कि सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ रखा जा सकता है परन्तु प्रत्येक सदस्य को यह कहने का अधिकार है कि उनके संशोधन को अलग से रखा जाए। यह मानकर चलने की आवश्यकता नहीं है कि सभी सदस्य अपने संशोधनों को अलग से रखना चाहते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या आप किस संशोधन-विशेष पर बल देना चाहते हैं ?

**श्री जी० एम० बनातवाला :** मेरे संशोधन पर मतदान कराया जाए, फिर चाहे आप इकट्ठें रखें या अलग से।

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2 और 3,—

क्रमशः पंक्ति 35 से 41 और 1 से 16 का **लोप कर दिया जाए।** (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 18,—

"या अनुमोदित किया जाता है" का **लोप किया जाए।** (3)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,—

"सात दिन" **के स्थान पर** "दो दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 34 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए।** (3)

"(2-क) उप-धारा (2) के अधीन तब तक कोई निरोध आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि किसी क्षेत्र में विद्यमान या विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण न हो कि सम्बन्धित व्यक्ति लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य कर सकता है।" (80)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**मत विभाजन संख्या : 26**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, श्री मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| बर्मन, श्री पलाश | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, श्री चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अंसारी, श्री जियाउर्रहमान |
| विश्वास, श्री अजय | अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद |
| बसु, श्री ज्योतिर्मय | अप्पाला नायडू, श्री एम० आर० ए० एस० |
| चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन | अर्जुनन, श्री के० |
| चरण सिंह, श्री | बरवा, श्री बनवारी लाल |
| चटर्जी, श्री सोमनाथ | बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चतुर्भुज, श्री | बालेश्वर राम, श्री |
| चौधरी, श्री मोती भाई आर० | बन्सी लाल, श्री |
| चौधरी, श्री त्रिदिव | बहेरा, श्री रास बिहारी |
| चौधरी, श्री सैफुद्दीन | भगत, श्री एच० के० एल० |
| दंडवते, प्रो० मधु | भक्त, श्री मनोरन्जन |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भारद्वाज, श्री परसराम |
| दास, श्री रेणुपद | भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल |
| देव, श्री वी० किशोर चंद्र एस० | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष, श्री जिरेन | भोये, श्री रेशमा मोतीराम |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | वीरेन्द्र सिंह राव, श्री |
| गिरि, श्री सुधीर | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री |
| गुप्त, श्री इन्द्रजीत | बूटा सिंह, श्री |
| हन्नान मोल्लाह, श्री | चक्रधारी सिंह, श्री |
| हरिकेश बहादुर, श्री | चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल |
| हसदा, श्री मतिलाल | चरण जीत सिंह, श्री |
| होरो, श्री एन० ई० | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| जगपाल सिंह, श्री | चव्हाण, श्री एस० बी० |
| जाटिया, श्री सत्यनारायण | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| झा, श्री भोगेन्द्र | चिगयांग कोनयक, श्री |
| खां, श्री गयूर अली | चिन्नास्वामी, श्री सी० |
| खां, श्री महमूद हसन | चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान |
| कोडियन, श्री पी० के० | डागा, श्री मूलचन्द |
| लारेंस, श्री एम० एम० | दलबीर सिंह, श्री |
| मधुकर, श्री कमला मिश्र | दलबीर सिंह, श्री |
| महाटा, श्री चित्त | दास, श्री अनादि चरण |
| मैत्रा, श्री सुनील | डेनिस, श्री एन० |
| मंडल, श्री धनिक लाल | देसाई, श्री बी० वी० |
| मंडल, श्री सनत कुमार | दंडपाणि, श्री सी० टी० |
| मसुदल हुसैन, श्री सैयद | डोगरा, श्री गिरधारी लाल |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | दुबे, श्री रामनाथ |
| महालगी, श्री आर० के० | ईरा अनबारासु, श्री |
| मिश्र, श्री गार्गी शंकर | फर्नान्डीस, श्री ओस्कर |
| मिश्र, श्री सत्यगोपाल | गाडगिल, श्री बी० एन० |
| मोदक, श्री विजय | गधावा, श्री भेरावदन के० |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गायकवाड़, श्री आर० पी० |
| नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री | गामित, श्री छीतु भाई |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | गहलोत, श्री अशोक |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गोमांगो, श्री गिरिधर |
| परुलेकर, श्री बापूसाहिब | गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते |
| पाठक, श्री आनन्द | हेम्ब्रम, श्री सेत |
| राजन, श्री के० ए० | जदेजा, श्री दौलतसिंह जी |
| राजदा, श्री रतनसिंह | जाफर शरीफ, श्री स० के० |
| राजेश कुमार सिंह, श्री | जयदीप सिंह, श्री |

पक्ष में

रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
सैनी, श्री मनोहर लाल
शास्त्री, श्री रामावतार
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रविन्द्र
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री शिव चरण
यादव, श्री चन्द्रजीत
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, श्री एम०
कौल, श्रीमयी शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण दत्तर, श्री
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुंचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगींना राय, श्री

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | नायडू, श्री पी० राजगोपाल |
| | नायक, श्री जी० देवराय |
| | नामग्याल, श्री पी० |
| | नन्दी येल्लैया, श्री |
| | नटराजन, श्री कुमबुम एन० |
| | नेहरू, श्री अरुण कुमार |
| | निहाल सिंह, श्री |
| | निहाल सिंहवाला, श्री जी० एस० |
| | उरांव, श्री कार्तिक |
| | पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानीअप्पन, श्री सी० |
| | पांडे, श्री केदार |
| | पांडे, श्री कृष्णचन्द्र |
| | पनिका, श्री राम प्यारे |
| | पारधी, श्री केशवराव |
| | पटेल, श्री शान्तुभाई |
| | पाटिल, श्री ए० टी० |
| | पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, श्री शंकर राव |
| | पाटिल, श्री शिवराज वी० |
| | पाटिल, श्री वीरेन्द्र |
| | पाटिल, श्री विजय एन० |
| | पुजारी, श्री जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री आन्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम, श्री |
| | कादरी, श्री एस० टी० |
| | रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, श्री के० |
| | रणवीर सिंह, श्री |
| | राठौर, श्री उत्तम |
| | राउत, श्री भोला |
| | रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह |
| | रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |
| | रेड्डी, श्री टी० दामोदर |
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, श्री वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |
| | सेठी, श्री अर्जुन |
| | शंकरानन्द, श्री बी० |
| | शनमुगम, श्री पी० |
| | शर्मा, श्री चिरंजी लाल |
| | शर्मा, श्री काली चरण |
| | शर्मा, श्री नन्द किशोर |
| | शर्मा नवल किशोर |
| | शर्मा, श्री प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, श्री धर्मदास |
| | शास्त्री, श्री हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, श्री पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री |
| | सिदनाल, श्री एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, श्री के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, श्री हरिहर |
| | स्टीफन, श्री सी० एम० |
| | सुखाड़िया, श्री मोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दर सिंह, श्री |
| | तारिक अनवर, श्री |
| | तैयब हुसैन, श्री |
| | थुंगोन, श्री पी० के० |
| | तिवारी, श्री नारायण दत्त |
| | तिवारी, श्री राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, श्री कमलापति |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | टुडु, श्री मनमोहन |
| | वैराले, श्री मधुसूदन |
| | वेंकटरामस, श्री आर० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजय राघवन, श्री वी० एस० |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामन्द्र |
| | यादव, श्री रास सिंह |
| | जैल सिंह, श्री |
| | जैनुल बशर, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अव्यधीन मत विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 77

विपक्ष में : 169

निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ; निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हो गए हैं।

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्री रामविलास पासवान |
| | श्रीमती गायत्री देवी |
| | श्री बी० डी० सिंह |
| **विपक्ष में :** | श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर |
| | ,, ऊषा प्रकाश चौधरी |
| | श्री दिग्विजय सिंह |
| | ,, नारायण साहू |
| | ,, हाकमसिंह |
| | ,, आर० मुनु कुवारू |
| | ,, के० बी० एस० मनी |
| | ,, बृजेन्द्रपाल सिंह यादव |
| | ,, एस० मुरुगैथन |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा प्रस्तुत किए गये संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं·····

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमण्ड हार्बर) महोदय, कृपया संशोधनों को पढ़कर सुना दीजिए। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे सभा में मतदान के लिए रखा जा रहा है·····

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी इन्हें जानते हैं और सदस्य इन पर बोल भी चुके हैं। मैं इन्हें फिर से दोबारा क्यों पढ़कर सुनाऊं ? इन्हें परिचालित किया गया था। प्राविधिकता की बारीकी में मत जाइये। अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधनों, खण्ड 3 में संख्या 19 से 24 तक को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है ;

पृष्ठ 2, पंक्ति 40,—

"या पुलिस आयुक्त" **के स्थान पर**

"और पुलिस आयुक्त या समतुल्य पंक्ति का कोई अन्य अधिकारी या उस जिले के पुलिस विभाग का प्रधान" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (19)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" **के स्थान पर** "एक मास" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (20)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"तीन मास" **के स्थान पर** "एक मास" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (21)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" **के स्थान पर** "सात दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (22)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 13 से 16 **का लोप कर दिया जाए।** (23)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 17 से 21 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(5) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा तब तक कोई आदेश नहीं किया जा सकेगा जब तक राज्य सरकार तथ्य की रिपोर्ट और साथ में वे आधार, जिन पर वह आदेश करने का प्रस्ताव है और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं, केन्द्रीय सरकार को नहीं भेज देती और केन्द्रीय सरकार उस आदेश को पास करने की अनुमति नहीं दे देती।" (24)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

मत विभाजन संख्या 27

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, श्री मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| बर्मन, श्री पलाश | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, श्री चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान |
| भीम सिंह, श्री | अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद |
| विश्वास, श्री अजय | अप्पाला नायडू, श्री एस० आर० ए० एस० |
| बसु, श्री ज्योतिर्मय | अर्जुनन, श्री के० |
| चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन | बरवा, श्री बनवारी लाल |
| चन्द्रपाल सिंह, श्री | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चटर्जी, श्री सोमनाथ | बालेश्वर राम, श्री |
| चतुर्भुज, श्री | बन्सी लाल, श्री |
| चौधरी, श्री मोती भाई आर० | बहेरा, श्री रास बिहारी |
| चौधरी, श्री त्रिदिव | भगत, श्री एच० के० एल० |
| चौधरी, श्री सैफुद्दीन | भक्त, श्री मनोरंजन |
| दंडवते, प्रो० मधु | भारद्वाज, श्री परसराम |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल |
| दास, श्री रेणुपद | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० | भोई, श्री रेशमा मोतीराम |
| देसाई, श्री बी० वी० | बीरेन्द्र सिंह राव, श्री |
| गायत्री देवी, श्रीमती | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| घोष, श्री निरेन | बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | बूटा सिंह, श्री |
| गुलाम मोहम्मद खां, श्री | चक्रधारी सिंह, श्री |
| गिरि, श्री सुधीर | चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | चरणजीत सिंह, श्री |
| गुप्त, श्री इन्द्रजीत | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र | चव्हाण, श्री एस० बी० |
| हन्नान मोल्लाह, श्री | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| हरिकेश बहादुर, श्री | चिगयांग कोनयक, श्री |
| हसदा, श्री मतिलाल | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| होरो, श्री एन० ई० | चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान |

**पक्ष में**

जगपाल सिंह, श्री
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
खां, श्री गयूर अली
खां, श्री महमूद हसन
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री मुकुन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री ए० के०
राजदा, श्री रतन सिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार

**विपक्ष में**

डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डेनिस, श्री एन०
दंडपाणि, श्री सी० टी०
दिग्विजय सिंह, श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गामित, श्री छीतुभाई
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
हाकम सिंह, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सिंह, श्री बी० डी० | कोसलराम, श्री के० टी० |
| सूरज भान, श्री | कृष्ण दत्तर, श्री |
| सूर्य नारायण सिंह, श्री | कृष्ण, श्री एस० एम० |
| तिरकी, श्री पीयूष | कृष्ण प्रताप सिंह, श्री |
| त्रिलोक चन्द्र, श्री | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| वाजपेयी, श्री अटल बिहारी | कुचन, श्री गंगाधर एस० |
| वर्मा, श्री रवीन्द्र | कुंवर राम, श्री |
| वर्मा, श्री फूलचन्द | लास्कर, श्री निहार रंजन |
| वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| वर्मा, श्री शिव सरण | महाबीर प्रसाद, श्री |
| यादय, श्री राजेन्द्र प्रसाद | महाजन, श्री विक्रम |
| जायनल अवेदिन, श्री | मालन्ना, श्री के० |
| | मलिक, श्री लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन, श्री |
| | मणि, श्री के० बी० एस० |
| | मीणा, श्री रामकुमार |
| | मिश्र, श्री गार्गी शंकर |
| | मिश्र, श्री रामनगीना |
| | मिश्र, श्री नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह, श्री |
| | मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, श्री एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, श्री एस० |
| | मुथु कुमारन, श्री आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद श्री |
| | नगीना राय, श्री |
| | नायडू, श्री पी० राजगोपाल |
| | नायक, श्री जी० देवराय |
| | नायकर, श्री डी० के० |
| | नाम दयाल, श्री पी० |
| | नन्दी येल्लैया, श्री |
| | नारायण, श्री के० एस० |
| | नटराजन, श्री कुमबुम एन० |
| | नेहरू, श्री अरुण कुमार |
| | निहाल सिंह, श्री |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | निहालसिंहवाला, श्री जी० एस० |
| | उरांव, श्री कार्तिक |
| | पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानीअप्पन, श्री सी० |
| | पांडे, श्री केदार |
| | पांडे, श्री कृष्णचन्द्र |
| | पनिका, श्री राम प्यारे |
| | पारधी, श्री केशवराव |
| | पाटिल, श्री ए० टी० |
| | पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, श्री शंकरराव |
| | पाटिल, श्री शिवराज बी० |
| | पाटिल, श्री वीरेन्द्र |
| | पाटिल, श्री विजय एन० |
| | पुजारी, श्री जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | कादरी, श्री एस० टी० |
| | राजामल्लू, श्री के० |
| | राम, श्री राम स्वरूप |
| | रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, श्री के० |
| | रणबीर सिंह, श्री |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, श्री जलगाम कोन्डाला |
| | राठौर, श्री उत्तम |
| | राउत, श्री भोला |
| | रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह |
| | रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |
| | रेड्डी, श्री टी० दामोदर |
| | साहू, श्री नारायण |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, श्री बसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेठी, श्री अर्जुन |
| | शंकरानन्द, श्री बी० |
| | शनमुगम, श्री पी० |
| | शर्मा, श्री चिरंजी लाल |
| | शर्मा, श्री कालीचरण |
| | शर्मा, श्री नन्द किशोर |
| | शर्मा, श्री नवल किशोर |
| | शर्मा, श्री प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री श्री, हरि कृष्ण |
| | शिवशंकर, श्री पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री |
| | सिदनाल, श्री एस० बी० |
| | सिंह देव, श्री के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, श्री हरिहर |
| | स्टीफन, श्री सी० एम० |
| | सुखाड़िया, श्री मोहनलाल |
| | सुखवन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह, श्री |
| | तारिक अनवर, श्री |
| | तैयब हुसैन, श्री |
| | थुंगोन, श्री पी० के० |
| | तिवारी, श्री नारायण दत्त |
| | तिवारी, श्री रामगोपाल |
| | त्रिपाठी, श्री कमलापति |
| | टुडु, श्री मनमोहन |
| | वैराले, श्री मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, श्री आर० |
| | वेंकटसुब्बया, श्री पी० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, श्री बी० एस० |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, श्री राम सिंह |
| | जैल सिंह, श्री |
| | जैनुल बशर, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का * परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 81

विपक्ष में : 179

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा |
| | ,, विजय कुमार यादव |
| विपक्ष में : | श्री धर्मदास शास्त्री |
| | डा० बी० एन० सिंह |
| | श्री आर० आर० भोले |
| | ,, एम० कुन्डास्वामी |
| | ,, काजी सलीम |

**मत बदल**

पक्ष से विपक्ष में : श्री बी० वी० देसाई

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों के अति सक्रिय विचारण के लिए एक सुझाव रखना चाहता हूं, जो कि केवल सुझावमात्र है। ऐसे बहुत से संशोधन हैं जिन्हें माननीय सदस्य पहले ही रख चुके हैं। मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक खण्ड के संशोधनों पर हम एक साथ विचार करेंगे·····

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव तो आपके सहानुभूतिपूर्वक विचारण के लिए है। मैं आप पर इसे थोप नहीं रहा हूं। यह एक सुझाव है। उदाहरणस्वरूप, खण्ड 3 के लिए आए संशोधनों को हम इकट्ठे ही रखेंगे।·····श्री वाजपेयी जी·····आप तो इससे घबरा गये। ठीक है, मैं आपकी सहायता करना चाहता था ।

**श्री सी० टी० दंडपाणि** (पोल्लाचि) : कल भी यह सुझाव आया था कि विधेयक को आज दो बजे अपरान्ह से पूर्व पारित कर दिया जाए तो उस पर तर्क-वितर्क हुआ था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप मेरे सुझाव से सहमत हैं ?

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री के संशोधन संख्या 35 से 41 तक और 282 को लेता हूं। श्रीमन शास्त्री जी, क्या आप अपने संशोधनों को लाना चाहते हैं ?

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : महोदय, बिल्कुल लाना चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: मेरा विचार था कि आप उन्हें वापिस ले लेंगे, क्योंकि आपके भाई लक्ष्मण ऐसी मांग कर रहे हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : वापिस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, मैं संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्री रामावतार शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधनों 35 से 41 और 282 को स्वीकार कर लिया जाए।"

जो इसके पक्ष में हैं वे 'हां' कहेंगे।

**कुछ माननीय सदस्य** : हां।

**उपाध्यक्ष महोदय** : जो इसके विरुद्ध हैं वे 'नहीं' कहेंगे।

**बहुत से माननीय सदस्य** : नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ है, निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ है।

**कुछ माननीय सदस्य** : निर्णय 'हां' वालों के पक्ष गया है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दीर्घाएं पहले ही खाली हो चुकी हैं। क्या हम तुरंत मत विभाजन करा सकते हैं ?

**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप वह भी नहीं चाहते हैं। दीर्घाएं खाली की जाएं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : दीर्घाएं खाली की जा चुकी हैं।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 से 24,—

"या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से" **का लोप कर दिया जाए।** (35)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (36)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

"तीन मास" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (37)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (38)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"पांच दिन के पश्चात्" के स्थान पर "प्रथम दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (39)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"दस दिन" के स्थान पर "दूसरे दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (40)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (41)

282. पृष्ठ 3,—

पंक्ति 17 से 21 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(5) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक कोई आदेश नहीं किया जायेगा जब तक कि राज्य सरकार ने तथ्यों की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को और साथ में वे आधार, जिन पर वह आदेश करने की प्रस्थापना है और अन्य ऐसी विशिष्टियां, जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से सम्बन्धित हैं, भेज न दी हों और केन्द्रीय सरकार ने ऐसा आदेश किये जाने के लिये सम्मति न दे दी हो।" (282)

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ।**

**मत विभाजन संख्या—28**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, श्री मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| वर्मन, श्री पलाश | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, श्री चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अंसारी, श्री जियाउर्रहमान |
| भीमसिंह, श्री | अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद |
| विश्वास, श्री अंजय | अप्पाला नायडू, श्री एम० आर० ए० एस० |
| चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन | बरवा, श्री बनवारी लाल |
| चन्द्रपालसिंह, श्री | बालेश्वर राम, श्री |
| चरण सिंह, श्री | बन्सी लाल, श्री |
| चटर्जी, श्री सोमनाथ | बहेरा, श्री रास विहारी |
| चतुर्भुज, श्री | भगत, श्री एच० के० एल० |
| चौधरी, श्री मोती भाई आर० | भक्त, श्री मनोरन्जन |
| चौधरी, श्री त्रिदिव | भारद्वाज, श्री परसराम |
| चौधरी, श्री सैफुद्दीन | भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल |
| दंडवते, प्रो० मधु | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भोले श्री आर० आर० |
| दास, श्री रेणुपद | भोये, श्री रेशमा मोतीराम |
| गायत्री देवी, श्रीमती | वीरेन्द्र सिंह राव, श्री |
| घोष, श्री निरेन | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| गिरि, श्री सुधीर | वृजेन्द्रपाल सिंह, श्री |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बूटा सिंह, श्री |
| गुप्त, श्री इन्द्रजीत | चक्रधारी सिंह, श्री |
| हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र | चन्द्रशेखर सिंह, श्री |
| हन्नान मोल्लाह, श्री | चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल |
| हरिकेश बहादुर, श्री | चरणजीत सिंह, श्री |
| हसदा, श्री मतिलाल | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| होरो, श्री एन० ई० | चव्हाण, श्री एस० बी० |
| जगपाल सिंह, श्री | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| जाटिया, श्री सत्यनारायण | चिगयांग कोनयक, श्री |
| झा, श्री भोगेन्द्र | चिन्नास्वामी, श्री सी० |
| खां, श्री गयूर अली | चौधरी श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| कोडियन, श्री पी० के० | चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान |
| लारेंस, श्री एम० एम० | डागा, श्री मूलचन्द |
| मधुकर, श्री कमला मिश्र | दलबीर सिंह, श्री |
| महाटा, श्री चित्त | दलबीर सिंह, श्री |
| मैत्रा, श्री सुनील | दास, श्री अनादि चरण |
| मंडल, श्री धनिक लाल | डेनिस, श्री एन० |
| मण्डल, श्री मुकुन्द | देसाई, श्री बी० वी० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मंडल, श्री सनत कुमार | दंडपाणि, श्री सी० टी० |
| मसुदल हुसैन, श्री सैयद | दिग्विजय सिंह, श्री |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | डोगरा, श्री गिरधारी लाल |
| महालगी, श्री आर० के० | दुबे, श्री रामनाथ |
| मिश्र, श्री सत्यगोपाल | ईरा अनबारासु, श्री |
| मोदक, श्री विजय | फर्नान्डीस, श्री ओस्कर |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गाडगिल, श्री बी० एन० |
| नगनगीम मोहेन्द्रा, श्री | गधावा, श्री भैरावदन के० |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | गामित, श्री छीतु भाई |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गहलोत, श्री अशोक |
| परुलेकर, श्री बापूसाहिब | गौमांगो, श्री गिरिधर |
| पासवान, श्री रामविलास | गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते |
| पाठक, श्री आनन्द | गुलशेर अहमद, श्री |
| राही, श्री रामलाल | हाकम सिंह, श्री |
| राजन, श्री के० ए० | हेम्ब्रम, श्री सेत |
| राजदा, श्री रतनसिंह | जदेजा, श्री दौलतसिंह जी |
| राजेश कुमार सिंह, श्री | जाफर शरीफ, श्री सी० के० |
| रशीद मसूद, श्री | जयदीप सिंह, श्री |
| रियान, श्री बाजू बन | जैन, श्री भीकू राम |
| राय, श्री ए० के० | जैन, श्री वृद्धि चन्द्र |
| राय, डा० सरदीश | जमीलुर्रहमान, श्री |
| राय प्रधान, श्री अमर | जेना, श्री चिन्तामणि |
| साहा, श्री अजित कुमार | जितेन्द्र प्रसाद, श्री |
| शास्त्री, श्री रामावतार | कामाक्षैया, श्री डी० |
| सिंह श्री बी० डी० | कमल नाथ, श्री |
| नुब्बा श्री पी० एम० | कमलाकुमारी, कुमारी |
| सूरज भान, श्री | कंडास्वामी, श्री एम० |
| सूर्य नारायण सिंह, श्री | कर्मा, श्री लक्ष्मण |
| तिरकी, श्री पीयूष | कौल, श्रीमयी शीला |
| त्रिलोक चन्द्र, श्री | खां, श्री आरिफ मोहम्मद |
| वाजपेयी, श्री अटल बिहारी | खां, श्री मलिक एम० एम० ए० |
| वर्मा, श्री रविन्द्र | खां, श्री जुल्फिकार अली |
| वर्मा, श्री फूलचन्द | किदवई, श्रीमती मोहिसिना |
| वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद | कोसलराम, श्री के० टी० |
| वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह | कृष्ण दत्तर, श्री |

पक्ष में

वर्मा, श्री शिव चरण
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
कुंचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मुथु कुमारन, श्री आर०
नगींना राय, श्री
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
नायक, श्री जी० देवराय
नायकर, श्री डी० के०
नामग्याल, श्री पी०
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नटराजन, श्री कुमबुम एन०
निहाल सिंह, जैन श्री
निहाल सिंहवाला, श्री जी० एस०
उरांव, श्री कार्तिक
पलानीअप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | पारधी, श्री केशव राव |
| | पटेल, श्री शान्तुभाई |
| | पाटिल, श्री ए० टी० |
| | पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, श्री शंकर राव |
| | पाटिल, श्री शिवराज वी० |
| | पाटिल, श्री वीरेन्द्र |
| | पाटिल, श्री विजय एन० |
| | पुजारी, श्री जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी संलीम, श्री |
| | कादरी, श्री एस० टी० |
| | राम, श्री राम स्वरूप |
| | रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, श्री के० |
| | रणवीर सिंह, श्री |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, श्री जलगाम कोन्डाला |
| | राठौर, श्री उत्तम |
| | राउत, श्री भोला |
| | रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |
| | रेड्डी, श्री टी० दामोदर |
| | साहू, श्री नारायण |
| | साठे, श्री वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेठी, श्री अर्जुन |
| | शंकरानन्द, श्री बी० |
| | शनमुगम, श्री पी० |
| | शर्मा, श्री चिरंजी लाल |
| | शर्मा, श्री काली चरण |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | शर्मा, श्री नन्द किशोर |
| | शर्मा श्री नवल किशोर |
| | शर्मा, श्री प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, श्री धर्मदास |
| | शास्त्री, श्री हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, श्री पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री |
| | सिदनाल, श्री एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, श्री के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, श्री हरिहर |
| | स्टीफन, श्री सी० एम० |
| | सुखाड़िया, श्री मोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दर सिंह, श्री |
| | सूर्यवंशी श्री नरसिंह |
| | तारिक अनवर, श्री |
| | तैयब हुसैन, श्री |
| | थुंगोन, श्री पी० के० |
| | तिवारी, श्री नारायण दत्त |
| | त्रिपाठी, श्री कमलापति |
| | टुडु, श्री मनमोहन |
| | वैराले, श्री मदसूदन |
| | वेंकटरामन, श्री आर० |
| | वेंकट सूब्बया, श्री पी० |
| | बर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, श्री वी० एस० |
| | व्यास, श्री गिरधारी लाल |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, श्री राम सिंह |
| | जैल सिंह, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार हैं :

पक्ष में : 80

विपक्ष में : 180

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्री टी० आर० शमन्ना |
| | ,, मोहम्मद हसन खान |
| **विपक्ष में :** | श्री राम गोपाल तिवारी |
| | ,, पी० एस० एस० रामास्वामी |
| | डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी |
| | श्री के० राजा माल्लू |
| | ,, समीबुद्दीन |
| | ,, आर० वाई० घोरपड़े |
| | ,, एम० राजशेखर मूर्ति |
| | ,, आर० पी० गायकवाड़ |
| | ,, मौलाना सय्यद मुज्जफर हुसैन |
| | ,, के० बी० एस० मणि |
| | ,, एस० मुरुगैयन |

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से मेरी एक बार फिर से अपील है । क्या मैं सभी संशोधनों को इकट्ठा रख सकता हूं ?

**बहुत से माननीय सदस्य** : नहीं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत ठीक । मैं तो केवल सुझाव दे रहा हूं । यह तो आप पर छोड़ा जाता है ।

**श्री पी० वेंकट सुब्बया** (नन्दयाल) : आप प्रो० दण्डवते से विशिष्ट आग्रह कीजिए जिनकी प्रेरणा से सरकार ने इसे आज के दिन के लिए स्थापित किया था । मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि विपक्ष के सदस्य तर्क संगत बातें करें ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : एक तर्कसंगत शब्दावली ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : शब्द 'तर्कसंगत' को अपना अर्थ बदलना होगा ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** सन्दर्भ सहित ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा खण्ड 3 में रखे गये संशोधनों संख्या 51 से 53 तक, 55, 66 और 257 को सभा में मतदान हेतु रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के किसी सदस्य को उस समय इस प्रकार निरुद्ध नहीं किया जायेगा, जब संसद् या राज्य विधान मण्डल का सत्र चल रहा हो ।" (51)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त" के स्थान पर "सेशन न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाए । (52)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39-40,

"जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त" के स्थान पर "सेशन न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाए । (53)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"परन्तु यह और कि निरोध की तीन मास की अवधि एक ही आधार पर तथा तब तक नहीं बढ़ाई जायेगी जब तक कि निरोध की अवधि के बढ़ाये जाने के लिए सलाहकार बोर्ड का पूर्व अनुमोदन नहीं करा लिया जाता ।" (55)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए ।

"(6) निरोध आदेश तामील किये जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिये जायेंगे अन्यथा निरोध आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा ।" (56)

पृष्ठ 2, पंक्ति 31,—

"नहीं है" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"और ऐसा कार्य भी नहीं है जिसके लिए देश के सामान्य विधि के अधीन कार्यवाही की जा सकती है ।"

**लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत-विभाजन संख्या—29

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री वसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद श्री मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| बर्मन, श्री पलाश | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, श्री चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान |
| भीम सिंह, श्री | अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद |
| विश्वास, श्री अजय | अप्पाला नायडू, श्री एस० आर० ए० एस० |
| चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन | अर्जुनन, श्री के० |
| चन्द्रपाल सिंह, श्री | बरवा, श्री बनवारीलाल |
| चरण सिंह, श्री | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चटर्जी, श्री सोमनाथ | बालेश्वर राम, श्री |
| चतुर्भुज, श्री | बन्सी लाल, श्री |
| चौधरी, श्री मोती भाई आर० | बहेरा, श्री रास बिहारी |
| चौधरी, श्री सैफुद्दीन | भगत, श्री एच० के० एल० |
| दंडवते, प्रो० मधु | भक्त, श्री मनोरंजन |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भारद्वाज, श्री परसराम |
| दास, श्री रेणुपद | भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष, श्री निरेन | भोले, श्री आर० आर० |
| गिरि, श्री सुधीर | भोये, श्री रेशमा मोतीराम |
| गोपाल, श्रीमती सुशील | बीरेन्द्र सिंह राव, श्री |
| गुप्त, श्री इन्द्रजीत | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र | बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री |
| हन्नान मोल्लाह, श्री | बूटा सिंह, श्री |
| हरिकेश बहादुर, श्री | चक्रधारी सिंह, श्री |
| हसदा, श्री मतिलाल | चन्द्रशेखर सिंह, श्री |
| होरो, श्री एन० ई० | चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल |
| जगपाल सिंह, श्री | चरणजीत सिंह, श्री |
| जाटिया, श्री सत्यनारायण | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| झा, श्री भोगेन्द्र | चव्हाण, श्री एस० बी० |
| खां, श्री गयूर अली | चेन्नुपत्ति श्रीमती विद्या |

पक्ष में

खां, श्री महमूद हसन
कोडियन, श्री पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री धनिक लाल
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदिक, श्री विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० बसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
पाठक, श्री आन्नद
राही, श्री रामलाल
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतन सिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी०
सुब्बा, श्री पी० एम०

विपक्ष में

चिगयांग कोनयक, श्री
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री रेणुपद
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०
दंडपाणि, श्री सी० टी०
दिग्विजय सिंह, श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर०पी०
गामित, श्री छीतुभाई
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हाकम सिंह, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जैन, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री

पक्ष में

सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री शिव सरण
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

कमलाकुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
कुचन, श्री गंगाधर एस०
कुंवर राम, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मणि, श्री के० वी० एस०
मीणा, श्री रामकुमार
मिश्र, श्री गार्गी शंकर
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
मूर्ति, श्री एम० राजशेखर
मुरुगैयन, श्री एस०
मथु कुमारैन; श्री आर०
मुजफ्फर हुसैन, श्री सैयद
नगीना राय, श्री
नायडू, श्री पी० राजगोपाल

पक्ष में

विपक्ष में

नायक, श्री जी० देवराय
नामग्याल, श्री पी०
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के० एस०
नटराजन, श्री कुमबुम एन०
उरांव, श्री कार्तिक
पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी
पलानी अप्पन, श्री सी०
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पारधी, श्री केशवराव
पटेल, श्री शान्तुभाई
पाटिल, श्री० ए० टी०
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटिल, श्री वीरेन्द्र
पाटिल, श्री विजय एन०
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
कादरी, श्री एस० टी०
राम, श्री रामस्वरूप
रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, श्री जलगाम कोन्डाला
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |
| | साहू, श्री नारायण |
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, श्री वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेटी, श्री अर्जुन |
| | शंकरानन्द, श्री बी० |
| | शनमुगम, श्री पी० |
| | शर्मा, श्री चिरंजी लाल |
| | शर्मा, श्री काली चरण |
| | शर्मा, श्री नन्दकिशोर |
| | शर्मा, श्री नवल किशोर |
| | शर्मा, श्री प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, श्री धर्मदास |
| | शास्त्री, श्री हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, श्री पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री |
| | सिदनाल, श्री एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, श्री के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, श्री हरिहर |
| | स्टीफन, श्री सी० एम० |
| | सुखाड़िया, श्री सोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह, श्री |
| | सूर्यवंशी, श्री नरसिंह |
| | तारिक अनवर, श्री |
| | तैयब हुसैन, श्री |
| | थुंगोन, श्री पी० के० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | तिवारी, श्री नारायण दत्त |
| | तिवारी, श्री राम गोपाल |
| | त्रिपाठी श्री कमलापत्ति |
| | टडु, श्री मनमोहन |
| | वैराले, श्री मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, श्री आर० |
| | वेंकट सुब्बया, श्री० पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजय राघवन, श्री वी० एस० |
| | व्यास श्री गिरधारी लाल |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, श्री रामसिंह |
| | जैल सिंह, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 81

विपक्ष में : 184

निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ ।

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्री त्रिविन चौधरी |
| **विपक्ष में :** | श्री सी० के० जाफर शरीफ |
| | ,, के० राजा मल्लू |
| | ,, आर० वी० घोरपडे |
| | ,, टी० दामोदर रेड्डी |
| | ,, जी० एस० निहाल सिंह वाला |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री जेठमलानी द्वारा रखे गये संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा । ये हैं खण्ड 3 के संशोधन संख्या 69, 71 और 72 ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 8 से 25 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"3.(1) (क) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी सरकारों से सम्बन्ध या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, अथवा

(ख) जब भी यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी विदेशी के भारत में उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है,

तब केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये ।

(2) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिये आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से उसे निरुद्ध करना आवश्यक है ।

तब केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाये :" (69)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17, और 18,—

"राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है"

**के स्थान रर "कोई आदेश किया जाता है" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (71)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 21 के पश्चात निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाथे :**

"(6) ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार, यथाशक्य शीघ्र, इस बात पर विचार करने के लिए अग्रसर होगी कि क्या आदेश की धारा 14 के अधीन प्रतिसंहृत किया जा सकता है ।" (72)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत विभाजन संख्या-30

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | अमरीन्द्र सिंह |
| भट्टाचार्य, सुशील | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० |
| भीम सिंह | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास, अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अप्पाला नायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चन्द्रपाल सिंह | अर्जुन, के० |
| चरण सिंह, | वरवा, बनवारी लाल |
| चटर्जी, सोमनाथ | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चतुर्भुज, | बालेश्वर राम |
| चौधरी, मोती भाई आर० | बन्सी लाल |
| चौधरी, त्रिदिव | बहेरा, राम बिहारी |
| चौधरी, सैफुद्दीन | भगत, एच० के० एल० |
| दंडवते, प्रो० मधु | भक्त, मनोरंजन |
| दडवते, श्रीमती प्रमिला | भारद्वोज, परसराम |
| दास, रेणुपद | भाटिया, रघुनन्दल लाल |
| घोष, निरेन | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | भोले, आर० आर० |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | भोये, रेशमा मोतीराम |
| गुप्त, इन्द्रजीत | भूरिया, दिलीप सिंह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | वीरेन्द्र सिंह राव, |
| हन्नान मोल्लाह | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| हरिकेश बहादुर, | बृजेन्द्रपाल सिंह |
| हसदा, मतिलाल | बूटा सिंह, |
| होरो, एन० ई० | चक्रधारी सिंह |
| जगपाल सिंह | चन्द्रशेखर सिंह |
| जाटिया, सत्यनारायण | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| झा, भोगेन्द्र | चरण सिंह |
| खां, गयूर अली | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| खां, महमूद हसन | चह्वाण, एस० बी० |
| कोडियन, पी० के० | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| लारेंस, एम० एम० | चिंगयांग कोनयक |
| मधुकर, कमला मिश्र | चिन्नास्वामी, सी० |
| महाटा, चित्त | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| मैत्रा, सुनील | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| मंडल, धनिक लाल | डागा, मूलचन्द |
| मन्डल, मुकुन्द | दलबीर सिंह |
| मण्डल, सनत कुमार | दलबीर सिंह |
| मसुदल हुसैन, सैयद | दास, अनादि चरण |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | डेनिस, एन० |
| महालगी, आर० के० | देसाई, बी० वी० |
| मिश्र, सत्यगोपाल | दंडपाणि, सी० टी० |
| मोदक, विजय | दिग्विजय सिंह, |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | डोगरा, गिरधारी लाल |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | दुबे, राम नाथ |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | ईरा अनबारासु, |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | फर्नान्डीस, ओस्कर |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गधावी, भेरांवदन के० |
| पासवान, राम विलास | गायकवाड़, आर० पी० |
| पाठक, आनन्द | गामित, छीतुभाई |
| राही, रामलाल | गहलोत, अशोक |
| राजन, के० ए० | गोमांगो, गिरिधर |
| राजदा, रतनसिंह | गौडा, डी० एम० पुत्ते |
| राजेश कुमार सिंह | गुलशेर अहमद |
| रशीद मसूद | हाकम सिंह |
| रियान, बाजू बन | जदेजा, दौलत सिंह जी |
| राय, ए० के० | जाफर शरीफ, सी० के० |
| राय, डा० सरदीश | जयदीप सिंह, |
| राय प्रधान, अमर | जैन, भीकू राम |
| साहा, अजित कुमार | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| शमन्ना, टी० आर० | जमीलुर्रहमान |
| शास्त्री, रामावतार | जेना, चिन्तामणि |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सिंह, बी० डी० | जितेन्द्र प्रसाद |
| सुब्बा, पी० एम० | कामाक्षैया, डी० |
| सूरज भान | कमल नाथ, |
| सूर्य नारायण सिंह | कमलाकुमारी, कुमारी |
| तिरकी, पीयूष | कंडास्वामी, एम० |
| त्रिलोक चन्द्र | कर्मा, लक्ष्मण |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | कौल, श्रीमती शीला |
| वर्मा, रवीन्द्र | खां, आरिफ मोहम्मद |
| वर्मा, फूलचन्द | खां, मलिक एम० एम० ए० |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | खां, जुल्फिकार अली |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| वर्मा, शिवशरण | कोसलराम, के० टी० |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | कृष्ण दत्त |
| यादव, विजय कुमार | कृष्ण, एस० एम० |
| जायनल अबेदिन | कृष्ण प्रताप सिंह, |
| | क्षीरसागर, श्रीमती कैशरबाई |
| | कुचन, गंगाधर एस० |
| | कुंवर राम |
| | लास्कर, निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महाबीर प्रसाद |
| | महाजन, विक्रम |
| | मालन्ना, के० |
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, हरिनाथ |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, एस० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायकर डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | निहाल सिंह |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायाची, एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानीअप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पराशर, प्रो० नारायण चन्द |
| | पारधी, केशवराव |
| | पाटिल, ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल, वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | पोटदुखे, शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, राम स्वरूप |
| | रामलिंगन, एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, के० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | रणवीर सिंह, |
| | राव. श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, जलगाम कोन्डाला |
| | राठौर, उत्तम |
| | रानुत, भोला |
| | रेड्डी, जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |
| | रेड्डी, श्री टी० दामोदर |
| | साहू, नारायण |
| | साठे, वसन्त |
| | सतींश प्रसाद सिंह |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेठी, अर्जुन |
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, चिरंजीलाल |
| | शर्मा, काली चरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिवेन्द्र वहादुर सिंह, |
| | सिदनाल. एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहनलाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यबन्शी, नरसिंह |
| | तारिक अनवर |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | तैयब हुसैन, |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकट रामन, आर० |
| | वेंकट सुब्बया, पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजय राघवन, वी० एस० |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, राम सिंह |
| | जैल सिंह |
| | जैनुल बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है।

पक्ष में : 81

विपक्ष में : 182

निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ।

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्रीमती गायत्री देवी |
| | श्री सुधीर कुमार गिरी |
| **विपक्ष में :** | श्री नवल किशोर शर्मा |
| | ,, समीनुद्दीन |
| | ,, के० पी० सिंह देव |
| | ,, आर० वाई० घोरपड़े |
| | ,, देवराया नायक |
| | ,, शान्तु भाई पटेल |
| | ,, वी० के० गाडगिल |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री चित्त बसु के संशोधन संख्या 91 से 93 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 से 24,—

"या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से" **का लोप कर दिया जाए ।** (91)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 1 से 5 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**

"परन्तु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि किसी भी दशा में दो मास से अधिक की नहीं होगी ।" (93)

पृष्ठ 3, पंक्ति 19,—

"सात दिन" **के स्थान पर**

"पांच दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (93)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

मत विभाजन संख्या—31

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | अमरीन्द्र सिंह |
| भट्टाचार्य, सुशील | अंकिनीडू प्रसा रावद, पी० |
| भीम सिंह | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास, अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चन्द्रपाल सिंह | अर्जुनन, के० |
| चरण सिंह | बेरवा, बनवारी लाल |
| चटर्जी, सोमनाथ | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| चतुर्भुज | बालेश्वर राम |
| चौधरी, मोतीभाई आर० | बन्सी लाल |
| चौधरी, त्रिदिव | बहेरा, रास बिहारी |
| चौधरी, सैफुद्दीन | भगत, एच० के० एल० |
| दंडवते, प्रो० मधु | भक्त, मनोरंजन |
| दंडवते, ीमती प्रमिला | भारद्वाज, परसराम |
| दास, रेणुपद | भाटिया, रघुनन्दन लाल |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष, निरेन | भोले, आर० आर० |
| घोष, गोस्वामी | भोये, रेशमा मोतीराम |
| गिरि, सुधीर | बीरेन्द्र सिह राव |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बृजेन्द्रपाल सिह |
| गुप्त, इन्द्रजीत | बूटा सिह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | चक्रधारी सिह |
| हन्नान मोल्लाह | चन्द्रशेखर सिह |
| हरिकेश बहादुर | चन्द्राकर, चन्दू लाल |
| हसदा, मतिलाल | चन्द्रशेखरप्पा, टी० वी० |
| होरों, एन० ई० | चरणजीत सिह |
| अगपाल सिह | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| जाटिया, सत्यनारायण | चव्हाण, एस० बी० |
| झा, भोगेन्द्र | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| खां, गयूर अली | चिगयाग कोनयक |
| खां, महमूद हसन | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| कोडियन, पी० के० | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| लारेंस, एम० एम० | डागा, मूलचन्द |
| मधुकर, कमला मिश्र | दलबीर सिह |
| महाटा, चित्त | दलबीर सिह |
| मैत्रा, सुनील | डेनिस, एन० |
| मण्डल, धनिक लाल | देसाई, बी० वी० |
| मण्डल, मुकुन्द | दंडपाणि, सी० टी० |
| मण्डल, सन्त कुमार | दिग्विजय सिह |
| मसुदल हुसैन, सैयद | डोगरा, गिरधारी लाल |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | ईरा अनबारासु |
| महालगी, आर० के० | फर्नान्डीस, ओस्कर |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मिश्र, सत्यगोपाल | गाडगिल बी० एन० |
| मोदक, विजय | गधावी, भेरावदन के० |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गायकवाड़, आर० पी० |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | गामित, छीतुभाई |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | गहलोत, अशोक |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गोमांगो, गिरिधर |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गौडा, डी० एम० पुत्ते |
| पासवान, श्री राम विलास | गुलशेर अहमद |
| पाठक, आनन्द | हाकम सिंह |
| राही, रामलाल | हेम्ब्रम, सेत |
| राजन, के० ए० | जदेजा, दौलतसिंहजी |
| राजदा, रतनसिंह | जाफर शरीफ, सी० के० |
| राजेश कुमार सिंह | जयदीप सिंह |
| रशीद मसूद, | जैन, भीकू राम |
| रियान, बाजूबन | जैन, वृद्धिचन्द्र |
| राय, ए० के० | अमीलुर्रहमान |
| राय, डा० सरदीस | जाटिया, सत्य नारायण |
| राय प्रधान, अमर | जेना, चिन्तामणि |
| साहा, अजित कुमार | जितेन्द्र प्रसाद |
| शमन्ना, टी० आर० | कामाक्षैया, डी० |
| शास्त्री, रामावतार | कमल नाथ, |
| सिंह, डा० बी० डी० | कमला कुमारी, कुमारी |
| सुब्बा, पी० एम० | कंडास्वामी, एम० |
| सूरज भान | कौल, श्रीमती शीला |
| सूर्य नारायण सिंह, श्री | खां, आरिफ मोहम्मद |
| तिरकी, पीयूष | खां, मलिक एम० एम० ए० |
| त्रिलोक चन्द्र | खां, जुल्फिकार अली |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| वर्मा, रविन्द्र | कोसलराम, के० टी० |
| वर्मा, फूलचन्द | कृष्ण दत्त |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | कृष्ण, एस० एम० |
| वर्मा. रघुनाथ सिंह . | कृष्ण प्रताप सिंह |
| वर्मा, शिवशरण | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | कुंचन, गंगाधर एस० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| यादव, विजय कुमार | लास्कर, निहार रंजन |
| जायनल अदेदिन | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महाबीर प्रसाद |
| | महाजन, विक्रम |
| | मालन्ना, के० |
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन, |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायक, जी० देवराय |
| | नायकर, डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | निहाल सिंह |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायाची, एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानी अप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | परमार, हीरालाल आर० |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल, ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | पोटदुखे, शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम, |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, रामस्रूप |
| | रामलिंगम, एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, के० |
| | रणवीर सिंह, |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, जलगाम कोन्डाला |
| | राठौर, उत्तम |
| | राउत, भोला |
| | रेड्डी, जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |
| | रेड्डी टी० दामोदर |
| | साहू, नारायण |
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेठी, अर्जुन |

| पक्ष में | विपक्ष में |
| --- | --- |
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, चिरंजी लाल |
| | शर्मा, कालीचरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदनाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |
| | तैयब हुसैन |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | त्रिपाठी, श्री रामनारायण |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वेराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वेंकटसुब्बया, पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, राम सिंह |
| | जैल सिंह |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 83

विपक्ष में : 183

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | कोई नहीं |
| **विपक्ष में :** | सर्वश्री लक्ष्मण कमी, रामनाथ दुबे अनादिचरण दास, आर० वाई० घोरपाडे गुरबिन्द्रर कौर, कंवर राम, तारिक अनवर तारिक अनवर |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री आर० के० महालगी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन संख्या 108, 112 से 116 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के **पश्चात** निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन जब संसद या राज्य विधान मंडल का सत्र एक सप्ताह के भीतर होना हो और उनके सत्र पर्यन्त कोई संसद सदस्य या राज्य विधान मंडल का सदस्य इस प्रकार निरुद्ध नहीं किया जायेगा ।" (108)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाये** :

"परन्तु यह और कि निरोध की अवधि बढ़ाने के लिए सलाहाकार बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना उन ही आधारों पर निरोध की अवधि तीन मास से अधिक समय तक नहीं बढ़ायी जायेगी।" (112)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (113)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"पांच दिन के पश्चात" के स्थान पर "अगले दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (114)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"दस दिन" के स्थान पर "तीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (115)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (116)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन संख्या—32

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बनातवाला, जी० एम० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बर्मन, पलाश | अजीत प्रताप सिंह |
| बसु, चित्त | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| भट्टाचार्य, सुशील | अमरीन्द्र सिंह |
| भीम सिंह | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० |
| विश्वास, अजय | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| चन्द्रपाल सिंह, | अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चरण सिंह | अर्जुनन, के० |
| चटर्जी, सोमनाथ | बरवा, बनवारी लाल |
| चतुर्भुज | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चौधरी, मोती भाई आर० | बालेश्वर राम, |
| चौधरी, त्रिदिव | बन्सी लाल |
| चौधरी, सैफुद्दीन | बहेरा, रास बिहारी |
| दण्डवते, प्रो० मधु | भगत, एच० के० एल |
| दण्डवते, श्रीमती प्रमिला | भक्त, मनोरंजन |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| दास, रेणुपद | भारद्वाज, परसराम |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भाटिया, रघुनन्दल लाल |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| गिरि, सुधीर | भोले, आर० आर० |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | भोये, रेशमा मोतीराम |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | बीरेन्द्र सिंह राव, |
| हन्नान मोल्लाह, | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| हरिकेश बहादुर, | बृजेन्द्रपाल सिंह, |
| हसदा, मतिलाल | बूटा सिंह, |
| होरो, एन० ई० | चक्रधारी सिंह, |
| जगपाल सिंह, | चन्द्रशेखर सिंह, |
| जाटिया, सत्यनारायण | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| झा, भोगेन्द्र | चरणजीत सिंह, |
| खां, गयूर अली | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| खां, महमूद हसन | चव्हाण, एस० बी० |
| कोडियन, पी० के० | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| लारेंस, एम० एम० | चिगंयाग कोनयक, |
| मधुकर, कमला मिश्र | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| महाटा, चित्त | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| मैत्रा, सुनील | डागा, मूलचन्द |
| मंडल, धनिक लाल | दलबीर सिंह |
| मंडल, मुकुन्द | दलबीर सिंह, |
| मंडल, सनत कुमार | दास, रेणुपद |
| मसुदल हुसैन, सैयद | डेनिस, एन० |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | बेसाई, बी० वी |
| महालगी, आर० के० | दंडपाणि, सी० टी० |
| मिश्र, सत्यगोपाल | दिग्विजय सिंह, |
| मोदक, विजय | डोगरा, गिरधारी लाल |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | दुबे, रामनाथ |
| नगनगोम मोहेन्द्रा, | ईरा अनबारासु |
| पाल० प्रो० रूप चन्द | फर्नान्डीस, ओस्कर |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गाडगिल, बी० एन० |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गधावी, भेरावदन के० |
| पासवान, राम विलास | गामित, छीतुभाई |
| पाठक, आनन्द | गहलोत, अशोक |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| राजन, के० ए० | गोमांगो, गिरिधर |
| राजदा, रतनसिंह | गौडा, डी० एम० पुत्ते |
| राजेश कुमार सिंह | गुलशेर अहमद |
| रशीद मसूद | हाकम सिंह, |
| रियान, बाजू बन | हेम्ब्रम, सेत |
| राय, ए० के० | जदेजा, दौलतसिंह जी |
| राय, डा० सरदीश | जाफर शरीफ, सी० के० |
| राय प्रधान, अमर | जयदीप सिंह |
| साहा, अजित कुमार | जैन, भीकू राम |
| शमन्ना, टी० आर० | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| शास्त्री, रामावतार | जमीलुर्रहमान |
| सिंह, बी० डी० | जेना, चिन्तामणि |
| सूरज भान | जितेन्द्र प्रसाद |
| सूर्य नारायड सिंह | कामाक्षेया, डी० |
| तिरकी, पीयूष | कमल नाथ |
| त्रिलोक चन्द्र | कमलाकुमारी, कुमारी |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | कंडास्वामी, एम० |
| वर्मा, रवीन्द्र | कर्मा, लक्ष्मण |
| वर्मा फूलचन्द | कौल, श्रीमती शीला |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | खां, आरिफ मोहम्मद |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | खां, मलिक एम० एम० ए० |
| वर्मा, शिव चरण | खां, जुल्फिकार अली |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| यादव, विजय कुमार | कोसलमाम, के० टी० |
| जायनल अबेदिन | कृष्ण दत्तर |
| | कृष्ण, एस० एम० |
| | कृष्ण प्रताप सिंह |
| | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| | कुचन, गुंगाधर एस० |
| | लास्कर, निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महाबीर प्रसाद |
| | महाजन, विक्रम |
| | मालन्ना, के० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायक, जी० देवराय |
| | नायकर, डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | निहाल सिंह जैन |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायाची, एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानीअप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल, विरेन्द्र |

पक्ष में

विपक्ष में

पाटिल, विजय एन०
पुजारी, जनार्दन
पोटदुखे, शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, एस० एन०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम
कादरी, एस० टी०
राजामल्लू, के०
राम, राम स्वरूप
रामलिंगम, एन० कुदन्तई
राममूर्ति, के०
रणवीर सिंह
राव, श्रीमती वी० राधावाई आनन्द
राव, जलगाम कोन्डाला
रोठौर, उत्तम
राउत, भोला
रेड्डी, जी० नरसिम्हा
रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, पी० वेंकट
रेड्डी, टी० दामोदर
साहू, नारायण
समीनुद्दीन
साठे, वसन्त
सतीश प्रसाद सिंह
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेठी, अर्जुन
शंकरानन्द, बी०
शनमुगम, पी०
शर्मा, चिरंजी लाल
शर्मा, काली चरण
शर्मा, नन्द किशोर
शर्मा, नवल किशोर
शर्मा, प्रताप भानु

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिवशंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदलाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहनलाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह, |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |
| | तारिक अनवर, |
| | तैयब हुसैन, |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वकटसुब्बया, पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, वालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, राम सिंह |
| | जैलसिंह |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 78

विपक्ष में : 187

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया

**पक्ष में :** सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त
पी० जे० क्रियन
रामलाल राही, ई०
बालनन्दन
श्री निरेन घोष ।

**विपक्ष में :** सर्व श्री आर० आई० घोर पांडे
आर० पी० गायकवाड़
कुंवर राम

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री के० ए० राजन द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 159 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3,— 3

पंक्ति 21 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए :**

"(6) निरोध आदेश तामील किए जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिये जायेंगे अन्यथा निरोध आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा ।" (159)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**मतविभजन संख्या—33**

| **पक्ष में** | **विपक्ष में** |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, श्री मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, श्री ई० | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| बर्मन, श्री पलाश | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, श्री चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान |

पक्ष में

भीम सिंह, श्री
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चरण सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री मोती भाई आर०
चौधरी, श्री त्रिदिब
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
गायत्री देवी, श्रीमती
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन० ई०
जगपाल सिंह, श्री
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
खां, श्री गयूर अली
खां, श्री महमूद हसन
कोडियन, श्री पी० के०
कुरियन, प्रो० पी० के०
लारेंस, श्री एम० एम०
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील

विपक्ष में

अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अप्पाला नायडू, श्री एस० आर० ए० एस०
अर्जुनन, श्री के०
बरवा, श्री बनवारी लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सी लाल, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच० के० एल०
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाटिया, श्री रघुनन्दल लाल
भोये, डा० कृपासिन्धु
भोले, श्री आर० आर०
भोई, श्री रेशमा मोतीराम
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर, सिंह श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चरणजीत सिंह, श्री
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, श्री एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक, श्री
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री रेणुपद
डेनिस, श्री एन०
देसाई, श्री बी० वी०

पक्ष में

मंडल, श्री धनिक लाल
मंडल, श्री मुकुन्द
मंडल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, श्री आर० के०
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री राम विलास
राही, श्री रामलाल
राजन, श्री ए० के०
राजदा, श्री रतन सिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
वाजपेयी अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री फूलचन्द

विपक्ष में

दंडपाणि, श्री सी० टी०
दिग्विजय सिंह, श्री
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गामित, श्री छीतुभाई
गहलोत, श्री अशोक
घोरपाडे, श्री आर० वाई०
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हाकम सिंह, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री
कमलांकुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह | कोसलराम, श्री के० टी० |
| वर्मा, श्री शिव सरण | कृष्ण दत्त, श्री |
| यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद | कृष्ण, श्री एस० एम० |
| यादव, श्री विजय कुमार | कृष्ण प्रताप सिंह, श्री |
| जायनल अबेदिन, श्री | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| | कुचन, श्री गंगाधर एस० |
| | कुलनदईवेलु, डा० वी० |
| | कुन्हम्बु, श्री के० |
| | कुंवर राम, श्री |
| | लास्कर, श्री निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महाबीर प्रसाद, श्री |
| | महाजन, श्री विक्रम |
| | मालन्ना, श्री के० |
| | मलिक, श्री लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन, श्री |
| | मणि, श्री के० बी० एस० |
| | मीणा, श्री रामकुमार |
| | मिश्र, श्री गार्गी शंकर |
| | मिश्र, श्री रामनगीना |
| | मिश्र, श्री नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह, श्री |
| | मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, श्री एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, श्री एस० |
| | मुथु कुमारन, श्री आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद श्री |
| | नगीना राय, श्री |
| | नायडू, श्री पी० राजगोपाल |
| | नायक, श्री जी० देवराय |
| | नायकर, श्री डी० के० |
| | नामग्याल, श्री पी० |
| | नन्दी येल्लैया, श्री |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | नारायण, श्री के० एस० |
| | निहालसिंहवाला, श्री जी० एस० |
| | पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानीअप्पन, श्री सी० |
| | पांडे, श्री केदार |
| | पांडे, श्री कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि |
| | पनिका, श्री राम प्यारे |
| | पारधी, श्री केशवराव |
| | पटेल, श्री शान्तु भाई |
| | पाटिल, श्री ए० टी० |
| | पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, श्री शिवराज बी० |
| | पाटिल, श्री वीरेन्द्र |
| | पाटिल, श्री विजय एन० |
| | पुजारी, श्री जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी, सलीम श्री |
| | कादरी, श्री एस० टी० |
| | राजामल्लू, श्री के० |
| | राम, श्री राम स्वरूप |
| | रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, श्री के० |
| | रणबीर सिंह, श्री |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, श्री जलगाम कोन्डालाल |
| | राठौर, श्री उत्तम |
| | राउत, श्री भोला |
| | रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | साहू, श्री नारायण |
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, श्री बसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेठी, श्री अर्जुन |
| | शंकरानन्द, श्री बी० |
| | शनमुगम, श्री पी० |
| | शर्मा, श्री चिरंजी लाल |
| | शर्मा, श्री कालीचरण |
| | शर्मा, श्री नन्द किशोर |
| | शर्मा, श्री नवल किशोर |
| | शर्मा, श्री प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, श्री धर्मदास |
| | शास्त्री श्री, हरि कृष्ण |
| | शिवशंकर, श्री पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री |
| | सिदनाल, श्री एस० बी० |
| | सिंह, डा० वी० एन० |
| | सिंह देव, श्री के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, श्री हरिहर |
| | स्टीफन, श्री सी० एम० |
| | सुखाड़िया, श्री मोहनलाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह, श्री |
| | सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह |
| | तारिक अनवर, श्री |
| | तैयब हुसैन, श्री |
| | थुंगोन, श्री पी० के० |
| | तिवारी, श्री नारायण दत्त |
| | तिवारी, श्री रामगोपाल |
| | त्रिपाठी, श्री कमलापति |
| | टुडु, श्री मनमोहन |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | वैराले, श्री मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, श्री आर० |
| | वेंकटसुब्बया, श्री पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, श्री बी० एस० |
| | व्यास, श्री गिरधारी लाल |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, श्री राम सिंह |
| | जैल सिंह, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन भत-विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 82

विपक्ष में : 186

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्री आनन्द पाठक |
| विपक्ष में : | श्री कार्तिक उरांव |
| | श्री टी० दामोदर रेड्डी |
| | श्री एस० बी० पाटिल |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 172, 173, 175 से 179 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर

"पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (172)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5—

"तीन मास" के स्थान पर

"पन्द्रह दिन" प्रतिस्थापित किया जाये । (173)

पृष्ठ 3, पंक्ति 11,—

"बारह दिन" के स्थान पर

"पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (175)

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,—

"दस दिन" के स्थान पर

"सात दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (176)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

"बारह दिन" के स्थान पर

"पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (177)

पष्ठ 3, पंक्ति 16,–

"पन्द्रह दिन" के स्थान पर

"दस दिन" प्रतिस्थापित किया जाये। (178)

पृष्ठ 3,–

पंक्ति 21 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(6) निरोध आदेश तामील किए जाने के समय निरुद्ध व्यक्ति को निरोध के आधार दिए जायेंगे अन्यथा निरोध आदेश अवैध होगा और इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।" (179)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

मत विभाजन संख्या—34

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, श्री बसुदेव | अब्बासी, श्री काजी जलील |
| अग्रवाल, श्री सतीश | अहमद, श्री कमालुद्दीन |
| बालानन्दन, श्री ई० | अजीत प्रताप सिंह, श्री |
| बनातवाला, श्री जी० एम० | अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस |
| वर्मन, श्री पलाश | अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी० |
| बसु, श्री चित्त | अंसारी, श्री जियाउर्रहमान |
| भट्टाचार्य, श्री सुशील | अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद |
| भीमसिंह, श्री | अप्पाला नायडू, श्री एम० आर० ए० एस० |
| विश्वास, श्री अजय | अर्जुन, श्री के० |
| चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन | बरवा, श्री बनवारी लाल |
| चन्द्रपालसिंह, श्री | बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| चरण सिंह, श्री | बालेश्वर राम, श्री |
| चटर्जी, श्री सोमनाथ | बन्सी लाल, श्री |
| चतुर्भुज, श्री | बहेरा, श्री रास बिहारी |
| चौधरी, श्री मोती भाई आर० | भगत, श्री एच० के० एंल० |
| चौधरी, श्री त्रिदिव | भक्त, श्री मनोरन्जन |
| चौधरी, श्री सैफुद्दीन | भारद्वाज, श्री परसराम |
| दंडवते, प्रो० मधु | भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| दास, श्री रेणुपद | भोले श्री आर० आर० |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भोये, श्री रेशमा मोतीराम |
| घोष, श्री निरेन | वीरेन्द्र सिंह राव, श्री |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विमा | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| गिरि, श्री सुधीर | बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बूटा सिंह, श्री |
| गुप्त, श्री इन्द्रजीत | चक्रधारी सिंह, श्री |
| हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र | चन्द्रशेखर सिंह, श्री |
| हन्नान मोल्लाह, श्री | चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल |
| हरिकेश बहादुर, श्री | चरणजीत सिंह, श्री |
| हसदा, श्री मतिलाल | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| होरो, श्री एन० ई० | चौधरी, श्री त्रिविद |
| जाटिया, श्री सत्यनारायण | चव्हाण, श्री एस० बी० |
| झा, श्री भोगेन्द्र | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| खां, श्री गयूर अली | चिगयांगं कोनयक, श्री |
| खां, श्री महमूद हसन | चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनीखान |
| कोडियन, श्री पी० के०. | डागा, श्री मूलचन्द |
| कुरियन प्रो. पी. गे. | दलबीर सिंह, श्री |
| लारेंस, श्री एम० एम० | दलबीर सिंह, श्री |
| मधुकर, श्री कमला मिश्र | दास, श्री अनादि चरण |
| महाटा, श्री चित्त | डेनिस, श्री एन० |
| मैत्रा, श्री सुनील | देसाई, श्री बी० वी० |
| मंडल, श्री धनिक लाल | दंडपाणि, श्री सी० टी० |
| मण्डल, श्री मुकुन्द | दिग्विजय सिंह, श्री |
| मंडल, श्री सनत कुमार | डोगरा, श्री गिरधारी लाल |
| मसुदल हुसैन, श्री सैयद | दुबे, श्री रामनाथ |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | ईरा अनबारासु, श्री |
| महालगी, श्री आर० के० | |

पक्ष में

मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा, श्री
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पासवान, श्री रामविलास
पाठक, श्री आनन्द
राही, श्री रामलाल
राजन, श्री के० ए०
राजदा, श्री रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह, श्री
रशीद मसूद, श्री
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शमन्ना, श्री टी० आर०
शास्त्री, श्री रामावतार
सिंह, श्री बी० डी०
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
तिरकी, श्री पीयूष
त्रिलोक चन्द्र, श्री
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री फूलचन्द
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
वर्मा, श्री शिव चरण
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी० एन०
गधावी, श्री भेरावदन के०
गायकवाड़, श्री आर० पी०
गामित, श्री छीतु भाई
गहलोत, श्री अशोक
घोरपाडे, श्री आर० वाई०
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडा, श्री डी० एम० पुत्ते
गुलशेर अहमद, श्री
हाकम सिंह, श्री
हेम्ब्रम, श्री सेत
जदेजा, श्री दौलतसिंह जी
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जयदीप सिंह, श्री
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
जितेन्द्र प्रसाद, श्री
कामाक्षैया, श्री डी०
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, श्री एम०
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कौल, श्रीमयी शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम० एम० ए०
खां, श्री जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहिसिना
कोसलराम, श्री के० टी०
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण, श्री एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | कृष्णन्, श्री जी० वाई० |
| | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| | कुंचन, श्री गंगाधर एस० |
| | कुंवर राम, श्री |
| | लास्कर, श्री निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महावीर प्रसाद, श्री |
| | महाजन, श्री विक्रम |
| | मकवाना, श्री नरसिंह |
| | मालन्ना, श्री के० |
| | मलिक, श्री लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन, श्री |
| | मणि, श्री के० बी० एस० |
| | मीणा, श्री रामकुमार |
| | मिश्र, श्री गार्गी शंकर |
| | मिश्र, श्री रामनगीना |
| | मिश्र, श्री नित्यानंन्द |
| | मोतीलाल सिंह, श्री |
| | मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, श्री एम० राजशेखर |
| | मुरुगैवन, श्री एस० |
| | मुथु कुमारन, श्री आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, श्री सैसद |
| | नगींना राय, श्री |
| | नायडू, श्री पी० राजगोपाल |
| | नायक, श्री जी० देवराय |
| | नायकर, श्री डी० के० |
| | नामग्याल, श्री पी० |
| | नन्दी येल्लैया, श्री |
| | नारायण, श्री के० एस० |
| | नटराजन, श्री कुमबुम एन० |
| | निहाल सिंहवाला, श्री जी० एस० |
| | उरांव, श्री कार्तिक |
| | पांडे, श्री केदार |
| | पांडे, श्री कृष्णचन्द्र |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि |
| | पनिका, श्री राम प्यारे |
| | पारधी, श्री केशव राव |
| | पटेल, श्री शान्तुभाई |
| | पाटिल, श्री ए० टी० |
| | पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, श्री शंकर राव |
| | पाटिल, श्री शिवराज वी० |
| | पाटिल, श्री वीरेन्द्र |
| | पाटिल, श्री विजय एन० |
| | पुजारी, श्री जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम, श्री |
| | कादरी, श्री एस० टी० |
| | राजामल्लू, श्री के० |
| | राम, श्री राम स्वरूप |
| | रामलिंगम, श्री एन० कुदन्तई |
| | राममूर्ति, श्री के० |
| | रणवीर सिंह, श्री |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, श्री जलगाम कोन्डाला |
| | राठौर, श्री उत्तम |
| | राउत, श्री भोला |
| | रेड्डी, श्री जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, श्री के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, श्री के० ओबुन |
| | रेड्डी, श्री एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, श्री पी० वेंकट |
| | साहू, श्री नारायण |
| | समीनुद्दीन, श्री |
| | साठे, श्री वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह, श्री |

पक्ष में

विपक्ष में

सत्यदेव सिंह, प्रो०
सेठी, श्री अर्जुन
शंकरानन्द, श्री बी०
शनमुगम, श्री पी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नन्द किशोर
शर्मा श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिव शंकर, श्री पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिंह देव, श्री के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सी० एम०
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुखबन्स कौर, श्रीमती
सुन्दर सिंह, श्री
सूर्यवंशी श्री नरसिंह
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
थुंगोन, श्री पी० के०
तिवारी, श्री नारायण दत्त
तिवारी, श्री राम गोपाल
त्रिपाठी, श्री कमलापति
टुडु, श्री मनमोहन
वैराले, श्री मदसूदन
वेंकटरामन, श्री आर०
वेंकट सुब्बया, श्री पी०
वर्मा, श्रीमती ऊषा

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | विजयराघवन, श्री वी० एम० |
| | व्यास, श्री गिरधारी लाल |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, श्री राम सिंह |
| | जैल सिंह, श्री |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 82

विपक्ष में : 186

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्री जगपालसिंह |
| विपक्ष में : | श्री एस०एस० रामास्वामी यदायाची |
| | श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी |
| | श्री मोहम्मद असरार अदमत |
| | श्री टी० दामोदर रेड्डी |

**श्री ए० के० राम** : (धनबाद) श्रीमानजी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया नियम 367 को देखिए । मैं नियम 367 के उप खण्ड (3) (क) और (ख) को उद्धृत करता हूं ।

"3 (क) यदि किसी प्रश्न के विनिश्चिय के सम्बन्ध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति की जाये तो वह 'विभाजन' किए जाने का आदेश देगा ।"

(ख) दो मिनट बीतने पर वह प्रश्न को दूसरी बार रखेगा और घोषित करेगा कि आया उसकी राय में 'हाँ' वाले जीत गये या 'ना' वाले ।"

परन्तु आप ऐसा नहीं कर रहे हैं । दो मिनट गुजरने तक तो आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए । आप इस प्रकार से जल्दबाजी में कार्यवाही नहीं चला सकते ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं इसे पहले ही कर चुका हूं । अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 189 सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10–

"भारत के विदेशी सरकारों से सम्बन्ध" का लोप कर दिया जाए (189)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत विभाजन संख्या—35

पक्ष में

आचार्य, बसुदेव
अग्रवाल, सतीश
बालानन्दन, ई०
बनातवाला, जी० एम०
बर्मन, पलाश
भट्टाचार्य, सुशील
भीम सिंह
विश्वास, अजय
चक्रवर्ती, सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह
चरण सिंह
चटर्जी, सोमनाथ
चतुर्भुज
चौधरी, मोती भाई आर०
चौधरी, सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, रेणुपद
गायत्री देवी, श्रीमती
घोष, निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशील
गुप्त, इन्द्रजीत
हाल्दर, कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह
हरिकेश बहादुर
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
जगपाल सिंह
जाटिया, सत्यनारायण
झा, भोगेन्द्र
कोडियन, पी० के०

विपक्ष में

अब्बासी, काजी जलील
अहमद, मोहम्मद असरार
अहमद, कमालुद्दीन
अजीत प्रताप सिंह,
अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस
अंकिनीडू प्रसाद राव, पी०
अन्सारी, जियाउर्रहमान
अनुरागी, गोदिल प्रसाद
अप्पाला नायडू, एस० आर० ए० एस०
अर्जुनन, के०
बरवा, बनवारीलाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम
बन्सी लाल
बहेरा, रास बिहारी
भगत, एच० के० एल०
भक्त, मनोरंजन
भारद्वाज, परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, आर० आर०
भोये, रेशमा मोतीराम
बीरेन्द्र सिंह राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह
बूटा सिंह
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चरणजीत सिंह
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| कुरियन, प्रो० पी० जे० | चिरंयाग कोनयक |
| लारेंस, एम० एम० | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| मधुकर, कमला मिश्र | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| महाटा, चित्त | डागा, मूलचन्द |
| मैत्रा, सुनील | दलबीर सिंह |
| मंडल, धनिक लाल | दलबीर सिंह |
| मण्डल, मुकुन्द | दास, रेणुपद |
| मण्डल, सनत कुमार | डेनिस, एन० |
| मसुदल हुसैन, सैयद | देसाई, बी० वी० |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | दंडपाणि, सी० टी० |
| महालगी, आर० के० | दिग्विजय सिंह |
| मिश्र, सत्यगोपाल | डोगरा, गिरधारी लाल |
| मोदक, विजय | दुबे, रामनाथ |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | ईरा अनबारासु |
| नगनगोम मोहेन्द्रा, | फर्नान्डीस, ओस्कर |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | गाडगिल, बी० एन० |
| पंडित, डा० बसन्त कुमार | गधावी, भेरावदन के० |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गायकवाड़, आर० पी० |
| पासवान, राम विलास | गामित, छीतुभाई |
| पाठक, आनन्द | गहलोत, अशोक |
| राही, रामलाल | घोरपाडे, आर० वाई० |
| राजन, के० ए० | गोमांगो, गिरिधर |
| राजदा, रतन सिंह | गौडा, डी० एम० पुत्ते |
| राजेश कुमार सिंह | गुलशेर अहमद |
| रशीद मसूद | हाकम सिंह |
| रियान, बाजू बन | जदेजा, दौलतसिंहजी |
| राय, ए० के० | जाफर शरीफ, सी० के० |
| राय, डा० सरदीश | जयदीप सिंह |
| राय प्रधान, अमर | जैन, भीकू राम |
| साहा, अजित कुमार | जैन, निहाल सिंह |
| शमन्ना, टी० आर० | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| शास्त्री, रामावतार | जमीलुर्रहमान |
| सूरज भान | जैन, चिन्तामणि |
| सिंह बी. डी. | जितेन्द्र प्रसाद |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सूर्य नारायण सिंह | कामाक्षैया, डी० |
| तिरकी, पीयूष | कमल नाथ |
| त्रिलोक चन्द्र | कमलाकुमारी, कुमारी |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | कंडास्वामी, एम० |
| वर्मा, रवीन्द्र | कर्मा, लक्ष्मण |
| वर्मा, फूलचन्द | कौल, श्रीमती शीला |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | खां, आरिफ मोहम्मद |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | खाँ, मलिक एम० एम० ए० |
| वर्मा, शिव शरण | खां, जुल्फिकार अली |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| यादव, विजय कुमार | कोसलराम, के० टी० |
| जायनल अबेदिन | कृष्ण दत्त |
| | कृष्ण, एस० एम० |
| | कृष्ण प्रताप सिंह |
| | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| | कुचन, गंगाधर एस० |
| | लास्कर, निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महावीर प्रसाद |
| | महाजन, विक्रम |
| | मालन्ना, के० |
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायक, जी० देवराय |
| | नाईक, सरूप सिंह हिरया |
| | नायकर, डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | नटराजन, कुमबुम एन० |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायाची, एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानी अप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल, ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल, वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | पोटदुखे, श्री शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, रामस्वरूप |
| | राममूर्ति, के० |
| | रणवीर सिंह |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | राय, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, जलगाम कोन्डाला |
| | राउत, भोला |
| | रेड्डी, जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, एम० रामगोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |
| | साहू, नारायण |
| | समीनुद्दीन |
| | साठे, वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सेटी, अर्जुन |
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, चिरंजी लाल |
| | शर्मा, काली चरण |
| | शर्मा, नन्दकिशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदनाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, सोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | तारिक अनवर |
| | तैयब हुसैन |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी कमलापत्ति |
| | टडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वेंकट सुब्बया, पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजय राघवन, वी० एस० |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, रामसिंह |
| | जैल सिंह |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का* परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 79

विपक्ष में : 184

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | सर्वश्री त्रिदिव चौधरी |
| | चित्त बसु |
| | गयूर अली खां |
| | महमूद हसन खां |
| विपक्ष में : | सर्वश्री कवर राम |
| | हरीहर सोरन |
| | टी० दामोदर रेड्डी |

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन कोई भी सरकार निरुद्ध करने के कारणों की वगैर पूर्व सूचना दिए तथा सफाई का उचित अवसर प्रदान किए किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं करेगी;

परन्तु यह और कि संसद् सदस्य के मामले में संसद् के दोनों सदनों एवं राज्य विधान मण्डल के सदस्य के मामले में सम्बन्धित राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी संसद् सदस्य या किसी राज्य विधान मण्डल के सदस्य को निरुद्ध नहीं किया जायेगा।" (216)

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 26 से 34 का लोप किया जाये। (217)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"जिसा मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त" के स्थान पर "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाए। (218)

पृष्ठ 2, पंक्ति 36-37,—

"या विद्यमान हो सकने वाली" का लोप कर दिया जाये। (219)

पृष्ठ 2, पंक्ति 39-40,—

"जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त" के स्थान पर "जिला एवं सत्र न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाए। (220)

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

"तीन मास" के स्थान पर "बीस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (221)

पृष्ठ 3, पंक्ति 8,—

"राज्य सरकार" के स्थान पर "सलाहकार बोर्ड प्रतिस्थापित किया जाए। (222)

पृष्ठ 3, पंक्ति 4-5,—

"समय-समय पर संशोधित करके ऐसी अवधि को एक बार में अधिक से अधिक तीन मास तक के लिए बढ़ा सकेगी" के स्थान पर

"संशोधित करके केवल एक बार अधिक से अधिक 10 दिनों तक के लिए बढ़ा सकेगी।" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (223)

पृष्ठ 3, पंक्ति 8,—

"तुरन्त" **के स्थान पर** "उपरोक्त आदेश के दो दिनों के अन्दर" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (224)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

मत विभाजन सख्या—36

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० |
| भट्टाचार्य, सुशील | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास, अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| बसु, ज्योतिर्मय | अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अराकल, जेवियर |
| चन्द्रपाल सिंह | अर्जुनन, के० |
| चरण सिंह | बरवा, बनवारी लाल |
| चटर्जी, सोमनाथ | वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चतुर्भुज | बालेश्वर राम |
| चौधरी, मोतीभाई आर० | बन्सी लाल |
| चौधारी, त्रिदिव | बहेरा, राम बिहारी |
| चौबे, नारायण | भगत, एच० के० एल० |
| चौधरी, सैफुद्दीन | भक्त, मनोरंजन |
| दंडवते, प्रो० मधु | भारद्वाज, परसराम |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भाटिया, रघुनन्दन लाल |
| दास, अनादि चरण | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भोले, आर० आर० |
| घोष, निरेन | भोये, रेशमा मोतीराम |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | बीरेन्द्र सिंह राव |
| गिरि, सुधीर | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बृजेन्द्रपाल सिंह |
| गोयल, कृष्ण कुमार | बूटा सिंह |
| गुप्त, इन्द्रजीत | चक्रधारी सिंह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | चन्द्रशेखर सिंह |
| हन्नान मोल्लाह | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| हरिकेश बहादुर | चरणजीत सिंह |
| हसदा, मतिलाल | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| होरो, एन० ई० | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| जगपाल सिंह | चिंगयाग कोनयक |
| जाटिया, सत्यनारायण | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| झा, भोगेन्द्र | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| कोडियन, पी० के० | डागा, मूलचन्द |
| कुरियल, प्रो० पी० जे० | दलबीर सिंह |
| लारेंस, एम० एम० | दलबीर सिंह |
| मधुकर, कमला मिश्र | दास, रेणुपद |
| महाटा, चित्त | डेनिस, एन० |
| मैत्री, सुनील | देसाई, बी० वी० |
| मंडल, धनिक लाल | दंडपाणि, सी. टी. |
| मण्डल, मुकुन्द | दिग्विजय सिंह |
| मण्डल, सनत कुमार | डोगरा, गिरधारा लाल |
| मसुदल हुसैन, सैयद | दुबे, बिन्देश्वरी |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | ईरा अनबारासु |
| महालगी, आर० के० | गाडगिल, बी. एन. |
| मिश्र, सत्यगोपाल | गधावी, भेरावदन के. |
| मोदक, विजय | गायकवाड़, आर. पी. |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गामित, छीतुभाई |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | गहलोत, अशोक |
| पाल०, प्रो० रूप चन्द | घोरपाडे, आर. वाई. |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गोमांगो, गिरिधर |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गुलशेर अहमद |
| पासवान, राम विलास | हाकम सिंह |
| पाठक, आनन्द | हेम्ब्रम, सेत |
| राजन, के० ए० | जदेजा, दौलतसिंह जी |
| राजदा, रतनसिंह | जाफर शरीफ, सी० के० |

पक्ष में

राजेश कुमार सिंह
राकेश, आर० एन०
रशीद मसूद
रियान, बांजू बन
राय, एन० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार
शास्त्री, रामावतार
सिंह, बी० डी०
सूरज भान
सूर्य नारायण सिंह
तिरकी, पीयूष
त्रिलोक चन्द
वाजपेयी, अटल बिहारी
वर्मा, रवीन्द्र
वर्मा, फूलचन्द
वर्मा, रीतलाल प्रसाद
वर्मा, रघुनाथ सिंह
वर्मा, शिव शरण
यादव, डी० पी०
यादव, राजेन्द्र प्रसाद
यादव, विजय कुमार
जायनल अबेदिन

विपक्ष में

जयदीप सिंह
जैन, भीकू राम
जैन, निहाल सिंह
जैन, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान
जेना, चिन्तामणि
झा, कमल नाथ
जितेन्द्र प्रसाद
कामाक्षैया, डी०
कमल नाथ
कमलाकुमारी, कुमारी
कंडास्वामी, एम०
कर्मा, लक्ष्मण
कौल, श्रीमती शीला
खां, आफिर मोहम्मद
खां, मलिक एम० एम० ए०
खां, जुल्फिकार अली
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कोसलराम, के० टी०
कृष्ण दत्त
कृष्ण एस० एम०
कृष्ण प्रताप सिंह
क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई
कुचन, गंगाधर एस०
कुंवर राम
लास्कर, निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद
महाजन विक्रम
मालन्ना, के०
मलिक, लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन
मणि, के० बी० एस०
मीणा, रामकुमार

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन आर० |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायकर, डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण के० एस० |
| | नटराजन, कुमबुम एन० |
| | निहालसिंहवाला जी० एस० |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायची, एस० एस० रामास्वामी |
| | पलानी अप्पल, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्ण चन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल, ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल, वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पट्टाभि रामा राव, एस० वी० पी० |
| | फुलवारिया, विरदा राम |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | पोटदुखे, शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | पुलय्या, दारुर |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, राम स्वरूप |
| | राममूर्ति, के० |
| | रणवीर सिंह |
| | राणे, श्रीमती संयोगिता |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, जगन्नाथ |
| | राठौर, उत्तम |
| | राउत, भोला |
| | रेड्डी, जी० नरसिम्हा |
| | रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |
| | रेड्डी, टी० दामोदर |
| | साहू, नारायण |
| | समीनुद्दीन |
| | साठे, वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सावन्त, टी० एम० |
| | सिन्धिया, माधवराव |
| | सेठी, अर्जुन |
| | शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी |
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, चिरंजी लाल |
| | शर्मा, कालीचरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, प्रताप भानु |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिवशंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदनाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह, सी० पी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्पैरो, आर० एस० |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यबन्शी, नरसिंह |
| | टन्डन, प्रभुनारायण |
| | तपेश्वरसिंह |
| | तारिक अनवर |
| | तैयब हुसैन |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वेंकटसुब्बया, पी० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजय राघवन, वी० एस० |
| | वीरभद्र सिंह |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, रामसिंह |
| | जैल सिंह |
| | जैनुल बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 83

विपक्ष में : 198

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

**पक्ष में :** श्री राम जेठमलानी

**विपक्ष में :** सर्वश्री नगीना राय
नाथूराम शक्यावर
टी० नागरत्नम्

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,—

**"मास" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (234)

पृष्ठ 3, पंक्ति 5,—

**"मास" के स्थान पर "सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (235)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत विभाजन संख्या—37

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पंलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी. |
| भट्टाचार्य, सुशील | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास, अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| बसु, ज्योतिर्मय | अप्पालानायडू, एस. आर. ए. एस. |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अराकल, जेवियर |
| चन्द्रपाल सिंह | अर्जुनन, के. |
| चटर्जी, सोमनाथ | बरवा, बनवारी लाल |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| चतुर्भुज | बैठा, डूमर लाल |
| चौधरी, मोतीभाई आर० | वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी |
| चौधरी, त्रिदिव | वालेश्वर राम |
| चौबे, नारायण | बन्सी लाल |
| चौधरी, सैफुद्दीन | बहेरा, राम बिहारी |
| दंडवते, प्रो० मधु | भगत, एच. के. एल. |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भक्त, मनोरंजन |
| दास, रेणुपद | भारद्वाज, परसराम |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भाटिया, रघुनन्दन लाल |
| घोष, निरेन | भोई, डा. कृपासिन्धु |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | भोले, आर. आर. |
| गुलाम मोहम्मद खां | बीरेन्द्र सिंह राव |
| गिरि, सुधीर | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बृजेन्द्रपाल सिंह |
| गोयल, कृष्ण कुमार | बूटा सिंह |
| गुप्त, इन्द्रजीत | चक्रधारी सिंह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | चन्द्रशेखर सिंह |
| हन्नान मोल्लाह | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| हरिकेश बहादुर | चरणजीत सिंह |
| हसदा, मतिलाल | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| होरो, एन० ई० | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| जगपाल सिंह | चिंगयाग कोनयक |
| जाटिया, सत्यनारायण | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| जेठमलानी, राम | चौधरी, ए. बी. ए. गनीखान |
| झा, भोगेन्द्र | डागा, मूलचन्द |
| खां, गयूर अली | दलबीर सिंह |
| कोडियन, पी० के० | दलबीर सिंह |
| लारेंस, एम० एम० | दास, अनादि चरण |
| मधुकर, कमला मिश्र | डेनिस, एन. |
| महाटा, चित्त | देसाई, बी. वी. |
| मैत्रा, सुनील | दंडपाणि, सी. टी. |
| मण्डल, मुकुन्द | दिग्विजय सिंह, |
| मण्डल, सनत कुमार | डोगरा, गिरधारी लाल |
| मसुदल हुसैन, सैयद | दुबे, रामनाथ |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | ईरा अनबारासु |
| महालगी, आर० के० | गाडगिल, वी. एन. |
| मिश्र, सत्यगोपाल | गधावी, भेरावदन के. |
| मोदक, विजय | गायकवाड़ आर. पी. |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गामित, छीतुभाई |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | गहलोत, अशोक |
| पाल, प्रो० रूप चन्द | घोरपाडे आर. वाई. |
| पंडित, वसन्त कुमार | गोमांगो, गिरिधर |
| परुलेकर, बापूसाहिब | गुलशेर अहमद |
| पासवान, रामविलास | हाकम सिंह |
| राजन, के० ए० | हेम्ब्रम, सेत |
| राजदा, रतनसिंह | जदेजा, दौलतसिंह जी |
| राजेश कुमार सिंह | जाफर शरीफ, सी. के. |
| राकेश, आर० एन० | जयदीप सिंह |
| रशीद मशूद | जैन, भीकू राम |
| रियान, बाजू बन | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| राय, ए० के० | जमीलुर्रहमान |
| राय, डा० सरदीश | जैना, चिन्तामणि |
| राय प्रधान, अमर | झा, कमल नाथ |
| साहा, अजित कुमार | जितेन्द्र प्रसाद |
| शमन्ना, टी० आर० | कामाक्षैया, डी. |
| शास्त्री, रामावतार | कमल नाथ |
| सिंह, बी० डी० | कमलाकुमारी, कुमारी |
| सूरज भान | कंडास्वामी, एम. |
| सूर्य नारायण सिंह | कर्मा, लक्ष्मण |
| तिरकी, पीयूष | कौल, श्रीमती शीला |
| त्रिलोक चन्द्र | खां, आरिफ मोहम्मद |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | खां, मलिक एम. एम. ए. |
| वर्मा, रवीन्द्र | खां, जुल्फिकार अली |
| वर्मा, फूलचन्द | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | कोसलराम, के. टी. |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | कृष्ण दत्त |
| वर्मा, शिव शरण | कृष्ण. एस. एम. |
| यादव, डी० पी० | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | कुचन, गंगाधर एस. |
| यादव, विजय कुमार | कुंवर राम |
| जायनल अबेदिन | लास्कर, निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महाबीर प्रसाद |
| | महाजन, वाई. एस. |
| | मालन्ना, के. |
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर. |
| | नागरत्नम, टी. |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी. राजगोपाल |
| | नायकर, डी. के. |
| | नामग्याल, पी. |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के. एस. |
| | निहाल सिंह |
| | निहालसिंहवाला, जी. एस. |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पदायाची, एस. एस. रामास्वामी |
| | पलानी अप्पन, सी. |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |

विपक्ष में

विपक्ष में

पारधी, केशवराव
पटेल, शान्तुभाई
पाटिल, ए. टी.
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
पाटिल, शंकरराव
पाटिल, शिवराज वी.
पाटिल, वीरेन्द्र
पाटिल, विजय एन.
पट्टाभि रामा राव, एस. वी. पी.
फुलवारिया, बिरदा राम
पुजारी, जनार्दन
पोटदुखे, शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, एस. एन.
पुलय्या, दारुर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम
कादरी, एस. टी.
राजामल्लू, के.
राम, राम स्वरूप
रामलिंगम, एन. कुदन्तई
रणवीर सिंह
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
राउत, भोला
रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी के. ब्रह्मानन्द,
रेड्डी, एम. राम गोपाल
रेड्डी, पी. वेंकट
रेड्डी, टी. दामोदर
साहू, नारायण
समीनुद्दीन
साठे, वसन्त

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | सतीश प्रसाद सिंह |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो. |
| | सावन्त, टी. एम. |
| | सिन्धिया, माधवराव |
| | सेठी, अर्जुन |
| | सेठी, पी. सी. |
| | शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी |
| | शक्यवार, नाथूराम |
| | शंकरानन्द, बी. |
| | शनमुगम, पी. |
| | शर्मा, काली चरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, डा. शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, पी. |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदनाल, एस. बी. |
| | सिंह, डा. बी. एन. |
| | सिंह, सी. पी. एन. |
| | सिंह देव, के. पी. |
| | सिन्हा, श्रीमती किशोरी |
| | सोहन, हरिहर |
| | सुन्दरराजन, एन० |
| | स्पैरो, आर० एम० |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहन लाल |
| | सुखवन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |
| | टन्डन, प्रभुनारायण |
| | तपेश्वर सिंह |
| | तारिक अनवर |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | तेइयेंग, साबेंग |
| | तैयब हुसैन |
| | तिवारी, प्रो० के० के० |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | टडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |
| | वीरभद्र सिंह |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, रामसिंह |
| | जैल सिंह |
| | जैनुल बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के मध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 83

विपक्ष में : 200

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 2,–

"तीन मास" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाए ।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्री आनन्द पाठक |
| विपक्ष में : | श्री रेशमा मोतीराम भोये |
| | श्री कुमबुम एन० नटराजन |

मत विभाजन संख्या—38

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० |
| भट्टाचार्य, सुशील | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास, अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| बसु, ज्योतिर्मय | अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अराकल, जेवियर |
| चन्द्रपाल सिंह | अर्जुनन, के० |
| चरण सिंह | आजाद, गुलाम नबी |
| चटर्जी, सोमनाथ | बरवा, बनवारी लाल |
| चतुर्भुज | बैठा, डूमर लाल |
| चौधरी, मोती भाई आर० | बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चौधरी, त्रिदिव | बालेश्वर राम |
| चौबे, नारायण | बंसी लाल |
| चौधरी, सैफुद्दीन | बहेरा, राम बिहारी |
| दंडवते, प्रो० मधु | भगत, एच० के० एल० |
| दंडवते, श्रीमती प्रमिला | भक्त, मनोरंजन |
| दास, रेणुपद | भारद्वाज, परसराम |
| गायत्री देवी श्रीमती | भाटिया, रघुनन्दन लाल |
| घोष, निरेन | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | भोले, आर० आर० |
| गुलाम मोहम्मद खां | भोये, रेशमा मोतीराम |
| गिर, श्री सुधीर | बीरेन्द्र सिंह राव |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| गोयल, कृष्ण कुमार | बृजेन्द्रपाल सिंह |
| गुप्त, इन्द्रजीत | बूटा सिंह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | चक्रधारी सिंह |
| हन्नान मोल्लाह | चन्द्रशेखर सिंह |
| हरिकेश बहादुर | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| हसदा, मतिलाल | चरण सिंह |
| होरो, एन० ई० | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |

पक्ष में

जगपाल सिंह
जाटिया, सत्यनारायण
झा, भोगेन्द्र
खां, गयूर अली
कोडियन, पी० के०
लारेंस, एम० एम०
मधुकर, कमला मिश्र
महाटा, चित्त
मैत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल
मन्डल, मुकुन्द
मण्डल, सनत कुमार
मसुदल हुसैन, सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, आर० के०
मिश्र, सत्यगोपाल
मोदक, विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
पासवान, राम विलास
पाठक, आनन्द
राजन, के० ए०
राजदा, रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह
राकेश, आर० एन०
रशीद मसूद
रियान, बाजू बन
राय, ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार
शमन्ना, टी० आर०

विपक्ष में

चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान
डागा, मूलचन्द
दलबीर सिंह
दलबीर सिंह
दास, अनादि चरण
डेनिस, एन०
देसाई, बी० वी०
दंडपाणि, सी० टी०
दिग्विजय सिंह
डोगरा, गिरधारी लाल
दुबे, राम नाथ
ईरा अनबारासु
गाडगिल, बी० एन०
गधावी, भेरावदन के०
गायकवाड़, आर० पी०
गामित, छीतुभाई
गहलोत, अशोक
घोरपाडे, आर० बाई०
गोमांगो, गिरिधर
गुलशेर अहमद
हाकम सिंह
हेम्ब्रम, सेत
जदेजा, दौलत सिंह जी
जाफर शरीफ, सी० के०
जयदीप सिंह
जैन, भीकू राम
जैन, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान
जेना, चिन्तामणि
झा, कमल नाथ
जितेन्द्र प्रसाद

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| शास्त्री, रामावतार | कामाक्षैया, डी० |
| सिंह, बी० डी० | कमल नाथ |
| सूरज भान | कमलाकुमारी, कुमारी |
| सूर्य नारायण सिंह | कंडास्वामी, एम० |
| तिरकी, पीयूष | कर्मा, लक्ष्मण |
| त्रिलोक चन्द्र | कौल, श्रीमती शीला |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | खां, आरिफ मोहम्मद |
| वर्मा, रवीन्द्र | खां, मलिक एम० एम० ए० |
| वर्मा, फूलचन्द | खां, जुल्फिकार अली |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | कोसलराम, के० टी० |
| वर्मा, शिवशरण | कृष्ण दत्त |
| यादव श्री डी० पी० | कृष्ण, एस० एम० |
| यादव, विजय कुमार | क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई |
| जायनल अबेदिन | कुचन, गंगाधर एस० |
| यादव, राजेन्द्रप्रसाद | कुंवर राम |
| | लास्कर, निहार रंजन |
| | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| | महावीर प्रसाद |
| | महाजन, विक्रम |
| | मालन्ना, के० |
| | मलिक, लक्ष्मण |
| | मल्लिकार्जुन |
| | मणि, के० बी० एस० |
| | मेहता, प्रो० अजीत कुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | नागरत्नम, टी० |

पक्ष में

विपक्ष में

नगीना राय
नायडू, पी० राजगोपाल
नायकर, डी० के०
नामग्याल, पी०
नन्दी येल्लैया
नारायण, के० एस०
निहाल सिंह
निहालसिंहवाला, जी० एस०
उरांव, कार्तिक
पांडे, केदार
पांडे, कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, चिन्तामणि
पनिका, राम प्यारे
पारधी, केशवराव
पटेल, शान्तुभाई
पाटिल, ए० टी०
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
पाटिल, शंकरराव
पाटिल, शिवराज वी०
पाटिल, वीरेन्द्र
पाटिल, विजय एन०
पट्टाभि रामा राव, एस० बी० पी०
फुलवारिया, विरदा राम
पुजारी, जनार्दन
पोटदुखे, शान्ताराम
प्रसन्न कुमार, एस० एन०
पुलय्या, दारुर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम
कादरी, एस० टी०
राजामल्लू, के०
राम, राम स्वरूप
रामलिंगम, एन० कुदन्तई
रणवीर सिंह,

पक्ष में

विपक्ष में

राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
राउत, भोला
रावत, हरीशचन्द्र सिंह
रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, पी० वेंकट
रेड्डी, टी० दामोदर
साहू, नारायण
समीनुद्दीन
साठे, वसन्त
सतियेन्द्रन, एम० एस० के०
सतीश प्रसाद सिंह
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, टी० एम०
सिन्धिया, माधवराव
सेठी, अर्जुन
सेठी, पी० सी०
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, नाथूराम
शंकरानन्द, बी०
शनमुगम, पी०
शर्मा, काली चरण
शर्मा, नन्द किशोर
शर्मा, नवल किशोर
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, धर्मदास
शास्त्री, हरि कृष्ण
शिवशंकर, पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह
सिदनाल, एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | सिंह, सी० पी० एन० |
| | सिंह, देव के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्पैरो, आर० एस० |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहनलाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |
| | टंडन, प्रभुनारायण |
| | तपेश्वर सिंह |
| | तारिक अनवर |
| | तेइयेंग, साबेंग |
| | तैयब हुसैन, |
| | तिवारी, प्रो० के० के० |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिरकी, पीयूष |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |
| | वीरभद्र सिंह |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | जैल सिंह |
| | जैनुल बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 84

विपक्ष में : 198

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | सर्वश्री हरीश कुमार गंगवार |
| | राम जेठमलानी |
| | बापूसाहिब परुलेकर |
| | श्रीमती इन्द्रा कुमारी |
| विपक्ष में : | सर्वश्री राम सिंह यादव |
| | रामेश्वर निखरा |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा संशोधन संख्या 253 और 254 रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2,—

पंक्ति 25 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए :**

"परन्तु कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि चाहे वह संसद् सदस्य हो अथवा विधान मंडल का सदस्य हो, सत्रावधि के दौरान इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध नहीं किया जायेगा ।" (253)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 5 के **पश्चात्** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**

"परन्तु यह और भी कि सलाहकार बोर्ड की सम्मति के बिना निरोध की अवधि छह सप्ताह से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।" (254)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**मत विभाजन संख्या—39**

| **पक्ष में** | **विपक्ष में** |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |

पक्ष में

बनातवाला, एम०
बर्मन, पलाश
बसु, चित्त
भट्टाचार्य, सुशील
विश्वास, अजय
बसु, ज्योतिर्मय
चक्रवर्ती, सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह
चरण सिंह
चटर्जी, सोमनाथ
चतुर्भुज
चौधरी, मोतीभाई आर०
चौधरी, त्रिदिव
चौबे, नारायण
चौधरी, सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती, प्रमिला
दास, रेणुपद
गायत्री देवी, श्रीमती
घोष, निरेन
घोष, गोस्वामी, श्रीमती विभा
गुलाम मोहम्मद खां
गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोयल, कृष्ण कुमार
गुप्त, इन्द्रजीत
हाल्दर, कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह
हरिकेश बहादुर
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
इन्द्रा कुमारी, श्रीमती
जगपाल सिंह
जाटिया, सत्यनारायण
जेठमलानी, राम

विपक्ष में

अजीत प्रताप सिंह
अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस
आनन्द सिंह
अंकिनीडू प्रसाद राव, पी०
अन्सारी, जियाउर्रहमान
अनुरागी, गोदिल प्रसाद
अप्पाला नायडू, एस० आर० ए० एस०
अराकल, जेवियर
अर्जुनन, के०
वरवा, बनवारी लाल
बैठा, डूमर लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम
बन्सी लाल
बहेरा, रास बिहारी
भगत, एच० के० एल०
भक्त, मनोरंजन
भारद्वाज, परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, आर० आर०
बीरेन्द्र सिंह राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
वृजेन्द्रपाल सिंह
बूटा सिंह
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दू लाल
चरणजीत सिंह
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| झा, भोगेन्द्र | डागा, मूलचन्द |
| खां, गयूर अली | दलबीर सिंह |
| कोचक, गुलाम रसूल | दलबीर सिंह |
| कोडियन, पी० के० | दास, अनादि चरण |
| लारेंस, एम० एम० | डेनिस, एन० |
| मधुकर, कमला मिश्र | देसाई, बी० वी० |
| महाटा, चित्त | दंडपाणि, सी० टी० |
| मैत्रा, सुनील | दिग्विजय सिंह |
| मण्डल, धनिक लाल | डोगरा, गिरधारी लाल |
| मण्डल, मुकुन्द | डूंगर सिंह |
| मण्डल, सन्त कुमार | दुबे, रामनाथ |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | ईरा अनबारासु |
| महालगी, आर० के० | गाडगिल, बी० एन० |
| मिश्र, सत्यगोपाल | गधावी, भेरावदन के० |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गायकवाड़ आर. पी. |
| मुजफ्फर हुसैन, सैयद | गामित, छीतुभाई |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | गोमांगो, गिरिधर |
| पंडित, डा० वसन्त कुमार | गुलशेर अहमद |
| परुलेकर, बापूसाहिब | हाकम सिंह |
| पासवान, राम विलास | हेम्ब्रम, सेत |
| पाठक, आनन्द | जदेजा, दौलतसिंहजी |
| राही, रामलाल | जैन, भीकू राम |
| राजन, के० ए० | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| राजदा, रतनसिंह | जमीलुर्रहमान |
| राजेश कुमार सिंह | जेना, चिन्तामणि |
| राकेश, आर. एन. | झा. कमल नाथ |
| रशीद मसूद | जितेन्द्र प्रसाद |
| रियान, वाजू बन | कामाक्षैया, डी० |
| राय, ए० के० | कमल नाथ |
| राय, डा० सरदीश | कमला कुमारी, कुमारी |
| राय प्रधान, अमर | कंडास्वामी, एम० |
| साहा, अजित कुमार | कर्मा लक्ष्मण |
| शमन्ना, टी० आर० | कौल, श्रीमती शीला |
| शास्त्री, रामावतार | खां, आरिफ मोहम्मद |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सिंह, बी० डी० | खां, मलिक एम० एम० ए० |
| सूरज भान | खां, जुल्फिकार अली |
| सूर्य नारायण सिंह | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| तिरकी, पीयूष | कोसलराम, के० टी० |
| त्रिलोक चन्द्र | कृष्ण दत्त |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | कृष्ण, एस० एम० |
| वर्मा, रविन्द्र | कुंचन, गंगाधर एस० |
| वर्मा, फूलचन्द | कुंवर राम |
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | लास्कर, निहार रंजन |
| वर्मा. रघुनाथ सिंह | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| वर्मा, शिवशरण | महाबीर प्रसाद |
| यादव, डी. पी. | महाजन, विक्रम |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | मलिक, लक्ष्मण |
| यादव, विजय कुमार | मल्लिकार्जुन |
| जायनल अबेदिन | मणि, के० बी० एस० |
| | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | नागरत्नम, टी० |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायकर, डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | निहालसिंहवाला, जी० एस० |
| | निखरा, रामेश्वर |
| | ओडेदरा, मालदेवजी एम० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | उरांव, कार्तिक |
| | पलानी अप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल, ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पट्टाभि रामा राव, एस० वी० पी० |
| | फुलवारिया, विरदा राम |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |
| | पुलय्या, दारुर |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | काजी सलीम, |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, रामस्रूप |
| | राममूर्ति, के० |
| | राणे, श्रीमती संयोगिता |
| | राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द |
| | राव, जगन्नाथ |
| | राठौर, उत्तम |
| | राउत, भोला |
| | रावत, हरीश चन्द्र सिंह |
| | रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द |
| | रेड्डी, एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |

| पक्ष में | विपक्ष में |
| --- | --- |
| | रेड्डी टी० दामोदर |
| | साहू, नारायण |
| | समीनुद्दीन |
| | साठे, वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह |
| | सत्यदेव सिंह, प्रो० |
| | सावन्त, टी० एम० |
| | सिन्धिया, माधवराव |
| | सेठी, अर्जुन |
| | सेटी, पी० सी० |
| | शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी |
| | शक्यवार, नाथूराम |
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, कालीचरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिव शंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदनाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह, सी० पी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | स्पैरो, आर० एस० |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहन लाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | टन्डन, प्रभुनारायण |
| | तपेश्वर सिंह |
| | तारिक अनवर |
| | तेइयेंग, सावेंग |
| | तैयब हुसैन |
| | तिवारी, प्रो० के० के० |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |
| | त्रिपाठी, रामनारायण |
| | टुडु, मनमोहन |
| | वेराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |
| | वीरभद्र सिंह |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, राम सिंह |
| | जैल सिंह |
| | जैनुल बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 87

विपक्ष में : 192

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्री हरीश कुमार गंगवार |
| | ,, बिजय-मोदक |
| **विपक्ष में :** | सर्वश्री शान्ताराम पोडदुखे |
| | आर. वाई. घोरपाडे |
| | जयदीप सिंह |
| | अशोक गहलोत |
| | एस. मुरुगैयन |

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 262, 263 और 275 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : पृथक-पृथक, श्रीमान।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी एक साथ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यदि इन लोगों को भूख लगी है तो मैं सहमत हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 2, पंक्ति 10 और 11, —

"या भारत की सुरक्षा" का लोप कर दिया जाये। (262)

पृष्ठ 2 और 3, —

क्रमशः पंक्ति 19 से 42 और 1 से 21 का लोप कर दिया जाये। (263)

पृष्ठ 2, —

पंक्ति 35 से 39 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"परन्तु यह कि इस उप-धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि किसी स्थिति में एक मास से अधिक नहीं होगी।" (275)

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**मत विभाजन संख्या—40**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| आचार्य, बसुदेव | अब्बासी, काजी जलील |
| अग्रवाल, सतीश | अहमद, मोहम्मद असरार |
| बालानन्दन, ई० | अहमद, कमालुद्दीन |
| बनातवाला, जी० एम० | अजीत प्रताप सिंह |
| बर्मन, पलाश | अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस |
| बसु, चित्त | आनन्द सिंह |
| भट्टाचार्य, सुशील | अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० |
| वसु, ज्योतिर्मय | अन्सारी, जियाउर्रहमान |
| विश्वास. अजय | अनुरागी, गोदिल प्रसाद |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० |
| चन्द्रपाल सिंह | अराकल, जेवियर |
| चरण सिंह | अर्जुनन, के० |
| चटर्जी, सोमनाथ | बैरवा, बनवारी लाल |
| चतुर्भुज | बैठा, डूमर लाल |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| चौधरी, मोती भाई आर० | बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी |
| चौधरी, त्रिदिव | बालेश्वर राम |
| चौबे, नारायण | बन्सी लाल |
| चौधरी, सैफुद्दीन | बहेरा, रास बिहारी |
| दण्डवते, प्रो० मधु | भगत, एच० के० एल० |
| दण्डवते, श्रीमती प्रमिला | भक्त, मनोरंजन |
| दास, रेणुपद | भारद्वाज, परसराम |
| डोगरा, गिरधारी लाल | भाटिया, रघुनन्दल लाल |
| गायत्री देवी, श्रीमती | भोई, डा० कृपासिन्धु |
| घोष, निरेन | भोले, आर० आर० |
| घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा | बीरेन्द्र सिंह राव |
| गुलाम मोहम्मद खां | ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर |
| गिरि, सुधीर | बृजेन्द्रपाल सिंह |
| गोपालन, श्रीमती सुशीला | बूटा सिंह |
| गोयल, कृष्ण कुमार | चक्रधारी सिंह |
| गुप्त, इन्द्रजीत | चन्द्रशेखर सिंह |
| हाल्दर, कृष्ण चन्द्र | चन्द्राकर, चन्दूलाल |
| हरिकेश बहादुर | चरणजीत सिंह |
| हसदा, मतिलाल | चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती |
| होरो, एन० ई० | चव्हाण, एस० बी० |
| इन्द्रा कुमारी, श्रीमती | चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| जगपाल सिंह | चिगंयाग कोनयक |
| जाटिया, सत्यनारायण | चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश |
| जेठमलानी, राम | चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान |
| झा, भोगेन्द्र | डागा, मूलचन्द |
| खां, गयूर अली | दलबीर सिंह |
| कोचक, गुलाम रसूल | दलबीर सिंह |
| कोडियन, पी० के० | दास, अनादिचरण |
| लारेंस, एम० एम० | डेनिस, एन० |
| मधुकर, कमला मिश्र | देसाई, बी० बी० |
| महाटा, चित्त | दंडपाणि, सी० टी० |
| मैत्रा, सुनील | दिग्विजय सिंह |
| मंडल, धनिक लाल | दुबे, रामनाथ |
| मंडल, मुकुन्द | ईरा अनबारासु |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मंडल, सनत कुमार | गाडगिल, बी० एन० |
| मसुदल हुसैन, सैयद | गधावी, भेरावदन के० |
| मेहता, प्रो० अजित कुमार | गायकवाड़, आर० पी० |
| महालगी, आर० के० | गामित, छीतुभाई |
| मिश्र, सत्यगोपाल | गहलोत, अशोक |
| मोदक, विजय | घोरपाडे, आर० वाई० |
| मुखर्जी, श्रीमती गीता | गोमांगो, गिरिधर |
| नगनगोम मोहेन्द्रा | गुलशेर अहमद |
| परुलेकर, बापूसाहिब | हाकम सिंह |
| पासवान, राम विलास | हेम्ब्रम, सेत |
| पाठक, आनन्द | जदेजा, दौलतसिंहजी |
| राही, रामलाल | जयदीप सिंह |
| राजन, के० ए० | जैन, भीकू राम |
| राजदा, रतनसिंह | जैन, वृद्धि चन्द्र |
| राजेश कुमार सिंह | जमीलुर्रहमान |
| राकेश, आर० एन० | जेना, चिन्तामणि |
| रशीद मसूद | झा, कमल नाथ |
| रियान, बाजू बन | जितेन्द्र प्रसाद |
| राय, ए० के० | कामाक्षैया, डी० |
| राय, डा० सरदीश | कमल नाथ |
| राय प्रधान, अमर | कमलाकुमारी, कुमारी |
| साहा, अजित कुमार | कंडास्वामी, एम० |
| संगमा, पी० ए० | कर्मा, लक्ष्मण |
| शमन्ना, टी० आर० | कौल, श्रीमती शीला |
| शास्त्री, रामावतार | खां, आरिफ मोहम्मद |
| सिंह, बी० डी० | खां, जुल्फिकार अली |
| सूरज भान | किदवई, श्रीमती मोहसिना |
| सूर्य नारायण सिंह | कोसलराम, के० टी० |
| तिरकी, पीयूष | कृष्ण दत्त |
| त्रिलोक चन्द्र | कृष्ण, एस० एम० |
| वाजपेयी, अटल बिहारी | कुचन, गंगाधर एस० |
| वर्मा, रवीन्द्र | कुंवर राम |
| वर्मा फूलचन्द | लास्कर, निहार रंजन |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| वर्मा, रीतलाल प्रसाद | माधुरी सिंह, श्रीमती |
| वर्मा, रघुनाथ सिंह | महावीर प्रसाद |
| वर्मा, शिव शरण | महाजन, विक्रम |
| यादव, डी० पी० | मलिक, लक्ष्मण |
| यादव, राजेन्द्र प्रसाद | मल्लिकार्जुन |
| यादव, विजय कुमार | मणि, के० बी० एस० |
| जायनल अबेदिन | मीणा, रामकुमार |
| | मिश्र, गार्गी शंकर |
| | मिश्र, रामनगीना |
| | मिश्र, नित्यानन्द |
| | मोतीलाल सिंह |
| | मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल |
| | मूर्ति, एम० राजशेखर |
| | मुरुगैयन, एस० |
| | मुथु कुमारन, आर० |
| | नागरत्नम, टी० |
| | नगीना राय |
| | नायडू, पी० राजगोपाल |
| | नायकर, श्री डी० के० |
| | नामग्याल, पी० |
| | नन्दी येल्लैया |
| | नारायण, के० एस० |
| | निहालसिंहवाला, जी० एस० |
| | निखरा, श्री रामेश्वर |
| | उरांव, कार्तिक |
| | पलानीअप्पन, सी० |
| | पांडे, केदार |
| | पांडे, कृष्णचन्द्र |
| | पाणिग्रही, चिन्तामणि |
| | पनिका, राम प्यारे |
| | पारधी, केशवराव |
| | पटेल, शान्तुभाई |
| | पाटिल ए० टी० |
| | पाटिल, चन्द्रभान आठरे |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | पाटिल, शंकरराव |
| | पाटिल, शिवराज वी० |
| | पाटिल, वीरेन्द्र |
| | पाटिल, विजय एन० |
| | पट्टाभि रामा राव, एस. वी. पी. |
| | फुलवारिया, विरदाराम |
| | पुजारी, जनार्दन |
| | पोटदुखे, शान्ताराम |
| | प्रसन्न कुमार, एस० एन० |
| | पुलय्या, दारुर |
| | पुष्पा देवी सिंह, कुमारी |
| | कादरी, एस० टी० |
| | राजामल्लू, के० |
| | राम, राम स्वरूप |
| | रामलिंगम, एन० कुदन्तई |
| | राणे, श्रीमती संयोगिता |
| | राव, श्रीमती वी० राधावाई आनन्द |
| | राव, जगन्नाथ |
| | राठौर, उत्तम |
| | राउत, भोला |
| | रावत, हरीश चन्द्र सिंह |
| | रेड्डी, एम० राम गोपाल |
| | रेड्डी, पी० वेंकट |
| | रेड्डी, टी० दामोदर |
| | साहू, नारायण |
| | समीनुद्दीन |
| | साठे, वसन्त |
| | सतीश प्रसाद सिंह |
| | सावन्त, श्री टी० एम० |
| | सिन्धिया, श्री माधवराव |
| | सेठी, अर्जुन |
| | सेठी पी० सी० |
| | शक्तावत, प्रो निर्मला कुमारी |
| | शक्यवार नाथूराम |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | शंकरानन्द, बी० |
| | शनमुगम, पी० |
| | शर्मा, काली चरण |
| | शर्मा, नन्द किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, नवल किशोर |
| | शर्मा, डा० शंकर दयाल |
| | शास्त्री, धर्मदास |
| | शास्त्री, हरि कृष्ण |
| | शिवशंकर, पी० |
| | शिवेन्द्र बहादुर सिंह |
| | सिदलाल, एस० बी० |
| | सिंह, डा० बी० एन० |
| | सिंह, सी० पी० एन० |
| | सिंह देव, के० पी० |
| | सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी |
| | सोरन, हरिहर |
| | सुन्दरराजन, एन० |
| | स्पेरो, आर. एस० |
| | स्टीफन, सी० एम० |
| | सुखाड़िया, मोहनलाल |
| | सुखबन्स कौर, श्रीमती |
| | सुन्दरसिंह, |
| | सूर्यवन्शी, नरसिंह |
| | टन्डन, प्रभुनारायण |
| | तपेश्वर सिंह |
| | तारिक अनवर |
| | तेइयेंग, सावेग |
| | तैयब हुसैन |
| | तिवारी, प्रो० के० के० |
| | थुंगोन, पी० के० |
| | तिवारी, नारायण दत्त |
| | तिवारी, राम गोपाल |
| | त्रिपाठी, कमलापति |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| | टुडु, मनमोहन |
| | वैराले, मधुसूदन |
| | वेंकटरामन, आर० |
| | वर्मा, श्रीमती ऊषा |
| | विजयराघवन, वी० एस० |
| | वीरभद्र सिंह |
| | व्यास, गिरधारी लाल |
| | वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र |
| | यादव, राम सिंह |
| | जैलसिंह |
| | जैनुल, बशर |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 86

विपक्ष में : 193

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | सर्वश्री हरीश कुमार गंगवार |
| | डा० वसंत कुमार पंडित |
| | हन्नान मोल्लाह |
| विपक्ष में : | श्री गिरधारी लाल डोगरा |
| | प्रो० सत्य देव सिंह |

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**मत विभजन संख्या 41**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अहमद, कमालुद्दीन | *अब्बासी, काजी जलील |
| अजीत प्रताप सिंह | आचार्य, बसुदेव |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | अग्रवाल, सतीश |
| आनन्द सिंह | *बरवा, बनवारी लाल |

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | बालानन्दन, ई० |
| अन्सारी, जियाउर्रहमान | बनातवाला, जी० एम० |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | बर्मन, पलाश |
| अराकल, जेवियर | बसु, चित्त |
| अर्जुनन, के० | भट्टाचार्य, श्री सुशील |
| बैठा, डूमर लाल | *भोले, आर० आर० |
| बालेश्वर राम बी० | विश्वास, अजय |
| बन्सी लाल | बसु, ज्योतिर्मय |
| बहेरा, रास बिहारी | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| भगत, एच० के० एल० | चन्द्रपाल सिंह |
| भक्त, मनोरंजन | चटर्जी, सोमनाथ |
| भारद्वाज, परसराम | चतुर्भुज |
| भाटिया, रघुनन्दल लाल | चौधरी, मोती भाई आर० |
| भोई, डा० कृपासिन्धु | चौधरी, त्रिदिव |
| बीरेन्द्र सिंह राव | *चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | चौबे, नारायण |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बूटा सिंह | दंडवते, प्रो० मधु |
| चक्रधारी सिंह | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| चन्द्रशेखर, सिंह | दास, रेणुपद |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | *डेनिस, एन० |
| चरणजीत सिंह | गंगवार, हरीश कुमार |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | *गहलोत, अशोक |
| चव्हाण, एस० बी० | घोष, निरेन |
| चिंगयाग कोनयक | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | गिरि, सुधीर |
| चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| डागा, मूलचन्द | गोयल, कृष्ण कुमार |
| दलबीर सिंह | गुप्त, इन्द्रजीत |
| दलबीर सिंह | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| दास, अनादिचरण | हन्नान मोल्लाह |
| देसाई, बी० वी० | हसदा, मतिलाल |
| दंडपाणि, सी० टी० | होरो, एन० ई० |

*गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| दिग्विजय सिंह | इन्द्रा कुमारी, श्रीमती |
| डोगरा, गिरधारी लाल | जगपाल सिंह |
| दुबे, रामनाथ | झा, भोगेन्द्र |
| ईरा अनबारासु | खां, गयूर अली |
| गाडगिल, बी० एन० | कोडियन, पी० के० |
| गधावी, भेरावदन के० | लारेंस, एम० एम० |
| गामित, छीतुभाई | मधुकर, कमला मिश्र |
| घोरपाडे, आर० वाई० | महाटा, चित्त |
| गुलशेर अहमद | मैत्रा, सुनील |
| हाकम सिंह | मंडल, धनिक लाल |
| हेम्ब्रम, सेत | मण्डल, मुकुन्द |
| जदेजा, दौलतसिंह जी | मण्डल, सनत कुमार |
| जयदीप सिंह | मसुदल हुसैन, सैयद |
| जैन, भीकू राम | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | महालगी, आर० के० |
| जमीलुर्रहमान | मिश्र, सत्यगोपाल |
| जेना, चिन्तामणि | मोदक, विजय |
| *जेठमलानी, राम | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| झा, कमल नाथ | नगनगोम मोहेन्द्रा |
| जितेन्द्र प्रसाद | पंडित, डा० वसन्त कुमार |
| कामाक्षैया, डी० | परुलेकर, बापूसाहिब |
| कमल नाथ | पासवान, राम विलास |
| कमलाकुमारी, कुमारी | पाठक, आन्नद |
| कंडास्वामी, एम० | राजन, के० ए० |
| कौल, श्रीमती शीला | राजेश कुमार सिंह |
| खां, आरिफ मोहम्मद | *रामलिंगम, एन० कुदन्तई |
| खां, जुल्फिकार अली | रसीद मसूद |
| किदवई, श्रीमंती मोहसिना | रियान, बाजू बन |
| कोसलराम, के० टी० | राय, ए० के० |
| कृष्ण दत्त | राय, डा० सरदीश |
| कृष्ण, एस० एम० | राय प्रधान, अमर |
| कुचन, गंगाधर एस० | साहा, अजित कुमार |
| लास्कर, निहार रंजन | शास्त्री, रामावतार |

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| महाबीर प्रसाद | सिंह, बी० डी० |
| महाजन, विक्रम | सूरज भान |
| मलिक, लक्ष्मण | *तारिक अनवर |
| मल्लिकार्जुन | तिरकी, पीयूष |
| मीणा, रामकुमार | त्रिलोक चन्द्र |
| मिश्र, गार्गी शंकर | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| मिश्र, रामनगीना | वर्मा, रवीन्द्र |
| मिश्र, नित्यानन्द | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| मोतीलाल सिंह | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल | वर्मा, शिव शरण |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | यादव, डी० पी० |
| मुरुगैयन, एस० | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| मुथु कुमारन, आर० | *यादव, राम सिंह |
| नागरत्नम, टी० | यादव, विजय कुमार |
| नगीना राय | जैनुल बशर |
| नायडू, पी० राजगोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| निहालसिंहवाला, जी० एस० | |
| निखरा, रामेश्वर | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पलानीअप्पन, सी० | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तु भाई | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शंकरराव | |
| पाटिल, शिवराज बी० | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |

*गलती सेविपक्ष में मतदान किया।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पाटिल, विजय एन० | |
| पट्टाभि रामा राव, एस० वी० पी० | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० रामगोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| साहू, नारायण | |
| सज्जन कुमार | |
| समीनुद्दीन | |
| साउे, बसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्न, टी० एम० | |
| सिन्धिया, माधवराव | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, कालीचरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिवशंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिंह, डा० वी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिंह देव, के० पी० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहनलाल | |
| सुखबन्स कौर, श्रीमती | |
| सुन्दरसिंह | |
| सूर्यवन्शी, नरसिंह | |
| टन्डन, प्रभुनारायण | |
| तपेश्वर सिंह | |
| तेइयेंग, साबेंग | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| तिवारी, नारायण दत्त | |
| तिवारी, रामगोपाल | |
| त्रिपाठी, कमलापति | |
| टुडु, मनमोहन | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, बी० एस० | |
| व्यास, गिरधारी लाल | |
| वीरभद्र सिंह | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 171

विपक्ष में : 85

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

**पक्ष में :**

श्रीमती संयोगिता राणे
श्री लक्ष्मण कर्मा
डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी
सर्वश्री के० राजमल्लू
गिरिधर गोमांगो
श्रीमती माधुरी सिंह
श्री एस० बी० सिदनाल
मोहम्मद असरार अहमद
राम प्यारे पनिका
आर० पी० गायकवाड़
कुंवर राम
रामस्वरूप राम
टी० दामोदर रेड्डी
के० बी० एस० मणि
ए० टी० पाटिल
एन० डेनिस
श्रीमती चेन्नुपत्ति विद्या
श्री आर० आर० भोले
श्री एन० के० रामलिंगम
काजी जलील अब्बासी
श्री राम सिंह यादव
श्री अशोक गहलोत
श्री तारिक अनवर
श्री बनवारी लाल बेरवा

विपक्ष में : डा० वसंत कुमार पंडित
अब्दुल समद
श्री आर० एन० राकेश
श्री रामलाल राही
श्री सत्य नारायण जटिया
श्री चरण सिंह
श्रीमती गायत्री देवी
गुलाम मोहम्मद खान
श्री राम जेठमलानी

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्ड 4 पर आते हैं।

**संचार मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन)** : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । हम नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान नियम 86 की तरफ आकर्षित करता हूं। इसके अनुसार :

"जब यह प्रस्ताव स्वीकृत हो गया हो कि विधेयक पर विचार किया जाए तो कोई सदस्य अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर विधेयक में यह संशोधन प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी उसने पहले सूचना दे दी हो।"

जब किसी विधेयक पर अधिक संख्या में संशोधन सभा पटल पर रखे गए हों तो सभा का समय बचाने के लिए अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को प्रस्तावित किए जाने वाले संसोधनों का क्रमांक लिखी पर्चियां सभा पटल पर रखने को कहा जाता है। तत्पश्चात् अध्यक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधनों के क्रमांक घोषित करते हैं। निसंदेह, आपको उन दोनों तरीकों में से किसी एक का स्वविवेक प्राप्त है।

यहां हम ऐसी स्थिति में हैं जहां समय कम है। अब प्रत्येक खण्ड को लिया जा सकता है और संशोधनों के लिए कहा जा सकता है। लेकिन यह नियम की भावना नहीं है । नियम की भावना यह है कि जब प्रस्ताव विचार के लिए स्वीकार कर लिया गया हो तो विधेयक पर सभी संशोधन अवश्य प्रस्तावित किए जाएं और सभी संशोधनों को लेते हुए एक चर्चा की जाए। फिर खण्डवार मतदान किए जाएं और तब संशोधन निपटाए जाएं। अतः, मेरा निवेदन है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि विधेयक का प्रत्येक संशोधन प्रस्तावित किया जाए, और फिर वही सदस्य पांच या दस बार बोले। यह अपेक्षित नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। अतः मेरा सुझाव है कि, आगे बढ़ने से पहले, जो भी संशोधन हों वे नियम 86 के अन्तर्गत प्रस्तावित किए जाएं। दो तरीके संभव हैं या तो वे पर्चियां भेज सकते हैं, जिसमें अब काफी देर हो गई है वे कहें, "हम इन संशोधनों का प्रस्ताव कर रहे हैं" और उन संशोधनों को प्रस्तावित समझा जाये। फिर चर्चा का प्रश्न उठता है। यहां इस पर खण्डवार चर्चा नहीं है। नियम में उपबन्ध है :

"परन्तु समय बचाने और तर्कों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए एक दूसरे पर आश्रित कितने ही संशोधनों के सम्बन्ध में एक ही चर्चा करने की अनुमति दी जा सकेगी।"

हालांकि सभा पटल पर संशोधन रखने से सदस्य को भाषण देने का अधिकार नहीं मिल जाता, फिर भी, यदि समय बचता है तो सदस्य को संशोधनों के पक्ष में बोलने का अवसर मिल सकता है। फिर संशोधनों पर क्रमबद्ध रूप से विचार किया जाता है। संशोधनों का प्रस्ताव एक साथ होगा और उनका निपटान खण्डवार हो सकता है। अतः मेरा सुझाव है कि सभी संशोधनों का एक साथ प्रस्ताव किया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं नियम 85 का खण्ड (1) पढ़ूंगा :

"साधारणतया संशोधनों पर विधेयक के उन खण्डों के क्रम में विचार किया जाएगा जिनसे कि वे क्रमशः सम्बन्धित हों; और ऐसे किसी खण्ड के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव किया गया समझा जाएगा : "कि यह खण्ड विधेयक का अंग बने।"

**श्री सी० एम० स्टीफन** : विचार किया जाना प्रस्ताव किए जाने से भिन्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : नियम 85 का खण्ड (2) कहता है :

"अध्यक्ष, यदि वह ठीक समझे, किसी खण्ड के एक से संशोधनों को एक प्रश्न के रूप में रख सकेगा :

परन्तु यदि कोई सदस्य प्रार्थना करे कि कोई संशोधन अलग से रखा जाए तो अध्यक्ष उस संशोधन को अलग से रखेगा।"

**श्री सी० एम० स्टीफन** : यह तो स्पष्ट है। इस पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है। इस सम्बन्ध में दो अलग-अलग धारणाएं हैं—एक धारणा संशोधन को सभा के विवेक पर छोड़ने की है; दूसरी धारणा संशोधन का प्रस्ताव, चर्चा और खण्डों पर विचार करने की है। मेरा निवेदन है कि संशोधनों का प्रस्ताव किया जाना नियम 86 के अधीन आता है; संशोधन एक साथ प्रस्तावित किए जाते हैं। उस पर चर्चा नियम 86 के परन्तुक के अनुसार होगी जिसका कौल और शकधर द्वारा समन्वित सभा के नियमों में विस्तार कर दिया गया है। चर्चा एक साथ होनी है ताकि एक ही सदस्य हर समय न बोलता रहे। फिर, क्योंकि केवल एक ही संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसलिए किसी को भी सभा में बोलते रहने का मूलभूत अधिकार नहीं हो जाता। यह समय के नियन्त्रण पर निर्भर करता है ·····(व्यवधान) तथा उपाय है जिससे अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मैं किसी पर रोक नहीं लगाना चाहता। परन्तु चर्चा एक साथ होने दीजिए। नियम यही कहता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं चर्चा एक साथ की जा सकती है। इसमें कोई हानि नहीं है। परन्तु इन सभी सुझावों और नियमों के उद्धृणों को लाने से अधिक माननीय सदस्यों की सामान्य सूझ-बूझ तथा सभा से मैं एक व्यैक्तिक अपील करूंगा। प्रत्येक को भूख महसूस हो रही है। अतः मुझे आशा है कि आप सब सहयोग करेंगे। निसन्देह, आपने सांविधानिक रूप में, इस विधेयक पर अपना जोरदार विरोध दर्शाया है। अतः अब आपको सहयोग करना चाहिए। अब हम खण्ड 4 पर विचार करेंगे।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 24, –

**अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :**

"किन्तु किसी भी दशा में उस व्यक्ति को, जिस पर निरोध-आदेश निष्पादित किया जाता है, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी अथवा रस्सी से बांधा नहीं जाएगा ।" (57)

**श्री आर० के० महालगी** (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,—

**अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :**

"परन्तु किसी भी स्थिति में उस व्यक्ति को जिसको निरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी या रस्सी से नहीं बांधा जाएगा ।" (119)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालंदा) :

पृष्ठ 3, पंक्ति 24,—

**अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :**

"किन्तु किसी भी स्थिति में निरुद्ध व्यक्ति को न तो हथकड़ी लगाई जाएगी और न रस्सी से बांधा ही जाएगा ।" (228)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : महोदय, विधेयक के खण्ड 4 के अनुसार :

"निरोध-आदेश का निष्पादन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जाएगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में गिरफ्तारी के वारण्टों के निष्पादन के लिए उपबन्धित है ।"

मेरा संशोधन इस खण्ड के अन्त में निम्नलिखित जोड़ना चाहता है :

"किन्तु किसी भी दशा में उस व्यक्ति को जिस पर निरोध-आदेश निष्पादित किया जाता है, हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी अथवा रस्सी से बांधा नहीं जाएगा ।"

माननीय गृह मन्त्री तथा दूसरी ओर के अन्य माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया, कहा कि निवारक निरोध किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए नहीं है परन्तु तदन्नतर अपराध करने से रोकने के लिए है । परन्तु इस विधेयक का खण्ड 4 कार्यकारियों को किसी व्यक्ति को उसी प्रकार गिरफ्तार करने की शक्ति देता है जिस तरह दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, किसी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध करने पर गिरफ्तार करने की शक्तियां दी गई हैं ।

इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस को किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का या रस्सी से बांधने का अधिकार है। यह एक छोटा मुद्दा नहीं है। महोदय, भाग्यवश या दुर्भाग्यवश, आपको इसका पता नहीं है परन्तु मैं इसका शिकार हुआ था। प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया है परन्तु कार्यकारी अनुभव करते हैं या उन्हें आशंका है कि वह अपराध कर सकता है, तो क्या कार्यकारी को किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने या रस्सी से बांधने की शक्ति दे देनी चाहिए। किसी व्यक्ति को इसलिए हिरासत में नहीं रखा जाता है, कि उसने कोई अपराध किया है बल्कि इसलिए कि उसे अपराध करने से रोका जा सके, तो सामान्य सूझ-बूझ की मांग है कि उसे हथकड़ी न लगायी जाये या रस्सी से न बांधा जाए। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक में अमानवीय परन्तुक न लाएं। मैं उनसे अपील करूंगा कि इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*श्री आर० के० महालगी (ठाणे) : खण्ड 4 : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य, श्री बापूसाहिब परुलेकर द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। मैं दो और मुद्दे जोड़ना चाहूंगा। माननीय गृह मंत्री यह तर्क देना चाहेंगे कि हथकड़ी लगाना पुलिस अधिकारियों के विवेक पर छोड़ देना बेहतर होगा क्योंकि गुंडे और समाज-विरोधी तत्व भाग सकते हैं। मैं इस प्रश्न का उत्तर सभा का ध्यान उन दो अधिनियमों की ओर दिलाते हुए दूंगा जिन्हें संसद पहले ही पास कर चुका है—वे हैं, विदेशी मुद्रा छल साधक और तस्करी निवारण अधिनियम और 1980 का आवश्यक वस्तु अधिनियम। दोनों अधिनियम समाज-विरोधी तत्वों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होंगे।

गृह मंत्री ने टिप्पणी की थी कि विपक्ष के सदस्यों को डर के कारण कुछ आशंकाएं हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि हमारी आशंकाएं भयस्वरूप नहीं हैं बल्कि पिछले अनुभवों पर आधारित हैं। नजरबन्दी दोषसिद्ध नहीं है; परन्तु 1975 में श्री बापूसाहिब परुलेकर को इस तरह नजरबन्द किया गया था मानो उनका अपराध सिद्ध हो गया हो। उन्हें हथकड़ी लगाई गई और उनको घर से जेल ले जाया गया था। यदि विपक्षी दलों के प्रति प्रतिशोध की मनोवृत्ति नहीं है तो इस संशोधन में कोई गलत बात नहीं है। अतः मैं सभा से, अपना संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अमैंडमैंट के जरिए मैंने केवल यह बात चाही है कि अभी जो प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट बनाने की बात कही जा रही है, उसमें किसी भी नजरबन्द व्यक्ति को अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजने का प्रावधान है।

पिछली बार एमर्जेंशी के दौरान देखा गया है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजकर किस प्रकार से उस पर जुल्म और अत्याचार किया गया है, इसलिए मैंने इस अमेंडमैंट के जरिए चाहा है कि जिस व्यक्ति को इस तरह से निरोध किया जाए, उसको उससे सम्बन्धित राज्य में ही रखा जाए, उस राज्य से बाहर न भेजा जाए।

*मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**श्री के. ए. राजन** (त्रिचूर) : खड़े हुए—

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप इस पर नहीं बोल सकते हैं। आपका संशोधन भी उसी समान है जैसा कि श्री परुलेकर द्वारा रखा गया संशोधन संख्या 57 है। वे उस पर पहले ही बोल चुके हैं।

**श्री के. ए. राजन** : किस नियम के अन्तर्गत मुझे बोलने की मना है ? मैं नये मुद्दे भी उठा सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने भी ऐसा ही संशोधन रखा है। वे इस पर पहले ही बोल चुके हैं, आपको बोलने की अनुमति नहीं है।

**श्री सुनील मैत्रा** (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) उन्हें बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इसका कोई अधिकार नहीं है। आप प्राविधियों को लेकर क्यों खड़े हैं ? उनका संशोधन भी श्री परुलेकर जैसा ही है। आप कौन सा नया मुद्दा उठाना चाहते हैं ? तर्क तो संगत होना चाहिये। वे उस पर पहले ही बोल चुके हैं।

**श्री ए. के. राय** : चाहे एक मिनट के लिए ही क्यों न हो उन्हें अनुमति तो मिलनी ही चाहिये।

**श्री सुनील मैत्रा** : आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों नहीं दे देते ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे आदेश मत दीजिए। मैं श्री राजन को अनुमति नहीं दे सकता हूं। उन्हें मेरी अनुमति तो लेनी चाहिये। और मैं अनुमति दे नहीं रहा हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं सभी संशोधनों को इकट्ठा रखूं।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : संशोधनों के बारे में गृह मंत्री महोदय का क्या कहना है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें कुछ कहने का निदेश नहीं दे सकता हूं।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं गृह मन्त्री महोदय से पूछ रहा हूं।

यह भी तो सहयोग का ही प्रश्न है। हमें यह पता लगना चाहिये कि संशोधनों और उठाए गए मुद्दों के बारे में गृह मंत्री महोदय को क्या कहना है। मैं तो अपने द्वारा उठाए गए मामले पर उनका स्पष्टीकरण चाहता हू। आपको हमें संरक्षण देना चाहिये। इसमें जल्दी क्या है ? मैं जानता हूं कि हमें काम पूरा करना है। परन्तु इस प्रकार नहीं। गृह मंत्री महोदय चुप बैठे हैं और इसके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं।

**श्री आर० के० महालगी** (ठाणे) : गृह मंत्री महोदय को उत्तर देना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह गृह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है कि आया वे उत्तर दें या न दें।

**गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो संशोधन रखे हैं और पहले रखे थे, उनमें कोई बहुत अन्तर नहीं है। मैं पूरी तरह से सोचने विचारने के बाद

इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सरकार पूरी नेक-नीयती से इस राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को सदन के सामने लाई है। माननीय सदस्य जो संशोधन सुझा रहे हैं उनसे इस विधेयक की मंशा, उसका इरादा और सिद्धान्त दुरुस्त नहीं रहता है। इसलिए मैं इन तमाम संशोधनों के बारे में प्रार्थना करता हूं कि मैं उन्हें कबूल नहीं कर सकता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूं ?

**कुछ माननीय सदस्य :** जी हां।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं संशोधन संख्या 57, 119 और 228 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

मत विभाजन संख्या—42

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, कमालुद्दीन | अग्रवाल, सतीश |
| अजीत प्रताप सिंह | बालानन्दन, ई० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बनातवाला, जी० एम० |
| आनन्द सिंह | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंसारी, जियाउर्रहमान | विश्वास, अजय |
| अप्पाला नायडू, एम० आर० ए० एस० | वसु, ज्योतिर्मय |
| अराकल, जेनियर | चन्द्रपाल सिंह |
| अर्जुनन, के० | चटर्जी, सोमनाथ |
| बागुन सुम्बरुई | चतुर्भुज |
| बरवा, बनवारी लाल | चौधरी, मोती भाई आर० |
| बैठा, डूमर लाल | चौत्ररी, त्रिदिव |
| वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चौबे, नारायण |
| बालेश्वर राम | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, प्रो० मधु |
| भगत, एच० के० एल० | दास, रेणुपद |
| भक्त, मनोरन्जन | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भारद्वाज, परसराम | घोष, निरेन |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |

पक्ष में

भोई, डा० कृपासिन्धु
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बूटा सिंह,
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चरणजीत सिंह,
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, ए. बी. ए. गनीखान
दलबीर सिंह
दलबीर सिंह
दास, अनादि चरण
डेनिस, एन०
देसाई, बी० वी०
दंडपाणि, सी० टी०
डोगरा, गिरधारी लाल
दुबे, रामनाथ
एक्का, क्रिस्टोफर
ईरा अनबारासु
गाडगिल, बी० एन०
गधावी, भेरावदन के०
गायकवाड़, आर० पी०
गामित, छीतू भाई
गहलोत, अशोक
गौडा, डी० एम० पुत्ते
जदेजा, दौलतसिंह जी
जाफर शरीफ, सी० के०
जैन, भीकू राम
जैन, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान
जेना, चिन्तामणि
झा, कमल नाथ

विपक्ष में

गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोयल, कृष्ण कुमार
गुप्त, इन्द्रजीत
हाल्दर, कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह
हरिकेश बहादुर
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
दन्द्रा कुमारी, श्रीमती
जगपाल सिंह
जाटिया, सत्यनारायण
जेठमलानी राम
झा, भोगेन्द्र
खां, गयूर अली
कोडियन, पी० के०
कुन्हम्बु, श्री के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
मधुकर, कमला मिश्र
महाटा, चित्त
मैत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल
मण्डल, मुकुन्द
मण्डल, सनत कुमार
मसुदल हुसैन, सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, आर० के०
मिश्र, सत्यगोपाल
मोदक, विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
नगनगोम मोहेन्द्रा
पंडित, डा० बसन्त कुमार
परुलेकर, बापूसाहिब
पासवान, राम विलास
पाठकआनन्द,

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| जितेन्द्र प्रसाद | पटनायक, बीजू |
| कामाक्षैया, डी० | राजन के० ए० |
| कमल नाथ | राजदा, रतन सिंह |
| कमलाकुमारी, कुमारी | राजेश कुमार सिंह |
| कर्मा, लक्ष्मण | रियान, बाजू बन |
| कौल, श्रीमती शीला | राय, ए० के० |
| खां, आरिफ मोहम्मद | राय, डा० सरदीश |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | राय प्रधान, अमर |
| कोसलराम, के० टी० | साहा, अजित कुमार |
| कृष्ण दत्त | षाडंगी, रुद्र प्रताप |
| कृष्ण, एस० एम० | शमन्ना, टी० आर० |
| कृष्ण प्रताप सिंह | शास्त्री, रामावतार |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | सिंह, बी. डी. |
| कुंचन, गंगाधर एस० | सूरज भान |
| लास्कर, निहार रंजन | सूर्य नारायण सिंह |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | तिरकी, पीयूष |
| महावीर प्रसाद | *त्रिपाठी राम नारायण |
| महाजन, विक्रम | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| मालन्ना, के० | वर्मा, रवीन्द्र |
| मलिक, लक्ष्मण | यादव, डी० पी० |
| मल्लिकार्जुन | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| मिश्र, गार्गी शंकर | यादव, विजय कुमार |
| मिश्र, रामनगीना | जायनल अबेदिन |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नागरत्नम, टी० | |
| नगींना राय | |
| नायकर, डी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |

गलती से विपक्ष में मतदान किया ।

पक्ष में

नटराजन, कुमबुम एन०
निहाल सिंह
निखरा, रामेश्वर
उरांव, कार्तिक
पदायाची, एस० एस० रामास्वामी
पलानीअप्पन, सी०
पांडे, केदार
पांडे, कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, चिन्तामणि
पनिका, राम प्यारे
पारधी, केशवराव
पटेल, शान्तुभाई
पाटिल, ए० टी०
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
पाटिल, शंकरराव
पाटिल, शिवराज वी०
पाटिल, वीरेन्द्र
पाटिल, विजय एन०
पट्टाभि रामा राव, एस० बी० पी०
फुलवारिया, विरदा राम
पाइलट, राजेश
पुजारी, जनार्दन
पोटदुखे, शान्ताराम
प्रभु, आर०
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम
कादरी, एस० टी०
राजामल्लू, के०
राम, राम स्वरूप
रामलिंगम, एन० कुदन्तई
राममूर्ति, के०
राणे, श्रीमती संयोगिता
राव, जगन्नाथ
राठौर, उत्तम
राउत, भोला

पक्ष में

रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, पी० वेंकट
रेड्डी, टी० दामोदर
साहू, नारायण
समीनुद्दीन
सतीश प्रसाद सिंह
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, टी० एम०
सेटी, अर्जुन
सेठी, पी० सी०
शैलानी, चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, नाथूराम
शंकरानन्द, बी०
शर्मा, काली चरण
शर्मा, नन्दकिशोर
शर्मा, प्रताप भानु
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, धर्मदास
शास्त्री, हरि कृष्ण
शिव शंकर, पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह
सिंह, सी० पी० एन०
सिंह देव, के० पी०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सुन्दरराजन, एन०
स्पैरो, आर० एस०
स्टीफन, सी० एम०
सुन्दर सिंह
तारिक अनवर
तैयब हुसैन
तिवारी, प्रो० के० के०
थुंगोन, पी० के०
तिवारी, नारायण दत्त

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| तिवारी, राम गोपाल | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| बर्मा, फूलचन्द | |
| बर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम निम्न प्रकार है :

पक्ष में : 168

विपक्ष में : 78

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री जैलसिंह
श्री प्रभू नारायण टण्डन
श्री चिंगयाग कोनयक
डा० बी० एन० सिंह
श्री रणबीर सिंह
श्री अमेन्द्र सिंह
श्री आर० एन० त्रिपाठी

विपक्ष में : श्री हरीश कुमार गंगवार
श्रीमती प्रमिला दण्डवते
श्री फूल चन्द वर्मा
श्री चरण सिंह

खण्ड 5

**श्री टी. आर. शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए :**

"परन्तु यह और कि निरोध अधिकारी निरोध के 48 घंटे के भीतर निरुद्ध व्यक्ति के परिवार को सही जानकारी भेजेगा कि उसे कहां निरोध में रखा गया है।" (237)

**श्री जी. एम. बनातवाला** (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हू ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 और 31,—

"चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में" के स्थान पर "उसी राज्य में" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (5)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 33 से 35 का **लोप कर दिया जाये ।** (6)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 और 27,—

"और ऐसी दशाओं में, जिनके अन्तर्गत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग के लिए दण्ड भी है," के स्थान पर "जो उसके घर के अधिक निकट होगा, उसके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए सुगम होगा और जो उसके लिए आरोग्यवर्धक स्थान होगा," **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (43)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32,—

"हाटाया" के स्थान पर "नहीं हटाया" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (44)

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 और 31,—

"चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में, समुचित सरकार के आदेश द्वारा" के स्थान पर "जेल में निरुद्ध व्यक्ति की लिखित सम्मति के बिना" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (45)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 35 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए :**

"परन्तु यह और कि एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाये जाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उस आदेश का सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं कर दिया गया हो तथा उस व्यक्ति को आदेश की एक प्रति न दे दी गई हो।"

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, —

पंक्ति 35 के **पश्चात् निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(2) इस धारा की कोई बात कोई ऐसी शर्त लगाने या कोई ऐसा अनुशासन अधिरोपित करने के लिए प्राधिकार न देगी जो उस प्रयोजन के लिए सर्वथा आवश्यक न हो जिसके लिए निरोध आदेश किया गया है।" (73)

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 34,—

"सरकार" **के पश्चात** "सम्बद्ध निरुद्ध व्यक्ति" **अन्तःस्थापित किया जाए।** (182)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30-31,—

"चाहे वह उसी राज्य में हो या दूसरे राज्य में" **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :**

"उसी राज्य में कम से कम एक सप्ताह पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को उसकी लिखित सूचना देने के पश्चात् और सलाहकार बोर्ड से मंजूरी लेकर ही।" (229)

**श्री रामावतार शास्त्री** : उपाध्यक्ष जी, मेरा संशोधन संख्या 43, पृष्ठ संख्या 3, पंक्ति 16 से 18 में है। मैं चाहता हूं कि :

"और ऐसी दशाओं में, जिनके अन्तर्गत भरण-पोषण, अनुशासन तथा अनुशासन भंग के लिए भी दण्ड है," **के स्थान पर** "जो उनके घर के अधिक निकट होगा, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के लिए आरोग्यवर्धक स्थान होगा," **प्रतिस्थापित किया जाए।**

आप यह चाहते हैं कि नजरबन्द को जहां चाहें भेज दें, किसी दूसरे प्रान्त में या अपने ही प्रान्त की किसी सुदूर जेल में। मैं समझता हूं यह गलत है। वह व्यक्ति जहां का रहने वाला है वहीं की जेल में उसको आप रखें ताकि उसके परिवार के लोग उससे मिल सकें। आप उसको

किसी अस्वास्थ्यकर जगह पर भी न भेजें । इस सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मैं 1948 से 1950 तक जेल में था । एक साल के बाद मुझे पटना जेल से हजारीबाग जेल भेज दिया गया । मैं जब तक वहां रहा, बराबर बीमार ही रहा, मेरी किसी से भेंट भी नहीं हो सकती थी । बहुत बीमार रहने पर मुझे भागलपुर सेन्ट्रल जेल भेजा गया और उसके बाद भागलपुर कैंप जेल भेजा गया । इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस तरह की बात मत कीजिए, अधिकारियों को यह अधिकार मत दीजिए ।

दूसरे क्लाज (5) में ही पृष्ठ 3, लाइन 20 में जहां आपने लिखा है :

"(ख) एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाना," के स्थान पर "नहीं ले जाना" प्रतिस्थापित किया जाये ।

मैं चाहता हूं कि "टु बी" के स्थान पर "नाट टु बी" सब्स्टीट्यूट कर दिया जाए । मेरा तीसरा अमैंडमैंट इस प्रकार से है :

"चाहे उसी राज्य में या अन्य राज्य में उचित सरकार के आदेश से ।"

आपने अपने बिल में जो लिखा है, मैं चाहता हूं कि उसको हटाकर के लिख दीजिए जेल में रखे गए व्यक्ति की लिखित सहमति के बिना । जो डिटेंड डैटीन्यू है, उससे रिटन मांगिए, अगर आप उसको नहीं भेजना चाहते हैं । अगर वह लिखकर कहे कि हम तैयार हैं, मुझे इस जेल से दूसरे जेल में भेज दीजिए । ऐसे नहीं भेजिए, नहीं तो उनको बहुत तरह की परेशानी होती है और आप कहते हैं कि आप उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं । जेल ही में रखना चाहते हैं – यही तो परेशानी है । इसलिए मेरे तीनों संशोधन बड़े ही स्पष्ट हैं । अगर आप जेल में रहे होंगे तो आपको स्वयं कठिनाई हुई होगी, उन कठिनाइयों को देखते हुए मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लीजिए ।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में मैंने सुझाव दिया है कि इस आशय का एक उपबन्ध खण्ड 5 में जोड़ दिया जाए कि "यदि किसी बन्दी को किसी राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए या एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जाए तो मामले की जांच सलाहकार बोर्ड द्वारा की जाए ।" मैं आपका ध्यान 1975 में घटी उस घटना की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका सम्बन्ध संसद सदस्य प्रो० मधु दण्डवते और श्रीमती प्रमिला दण्डवते से है । श्रीमती प्रमिला दण्डवते को पूना जेल में रखा गया था और प्रो० दण्डवते को बंगलौर जेल में । 18 मास की अवधि में उन दोनों को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया गया । जब याचिका दायर की गई और उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि या तो प्रो० दण्डवते को पूना ले जाया जाए अथवा श्रीमती प्रमिला दण्डवते को बंगलौर ले जाया जाए तो सरकार ने उनसे 2000 रुपये जमा कराने के लिए कहा तथा पूना से बंगलौर या बंगलौर से पूना तक अनुरक्षक का सभी प्रकार का खर्चा देने के लिए कहा गया । यदि इस मामले पर सलाहकार बोर्ड, जिसमें कम से कम एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता, विचार करता तो मुझे विश्वास है कि ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाता । विशेषकर जबकि बन्दी को एक राज्य

से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जा रहा हो, यह एक ऐसा मामला है जिसमें एक प्रकार से सजा मिलती है क्योंकि उसे उसके परिवार के सदस्यों से दूर ले जाया जाता है, उसके राज्य और उस वातावरण से दूर ले जाया जाता है जिसमें वह प्रायः रहता है। किसी को पूना से तिहाड़ जेल भी ले जाया जा सकता है। जब किसी बन्दी को एक राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है तो यह कार्यकारिणी की सनक होती है और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाता है तो यह राज्य सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, विधेयक के अनुसार, बन्दीकरण के आदेश देते समय उसके कारण आवश्यक नहीं हैं और बन्दीकरण तीन मास से भी अधिक तक चल सकता है अर्थात् एक वर्ष तक बिना सलाहकार बोर्ड से सलाह-मशविरा किए तथा सलाहकार बोर्ड की सलाह किए बिना ही किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

सलाहकार बोर्ड से परामर्श केवल एक बहाना है। मैंने अपने संशोधन में सिर्फ परन्तुक के संयोजक का सुझाव दिया है जिसका उल्लेख मैंने किया है। माननीय मंत्री द्वारा बताया गया विधेयक का लक्ष्य इस परन्तुक के संयोजन से व्यर्थ या असफल नहीं होगा। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि आप किसी संशोधन को नहीं मानेंगे। जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इससे सरकार के आचरण की प्रबलता का पता चलता है। मैं गृह मंत्री से अनुरोध तथा पुनरावेदन करूंगा कि वे मेरा संशोधन स्वीकार करें। मेरा श्रद्धापूर्वक आत्म निवेदन है कि यह विशिष्ट संशोधन एक बिल्कुल निष्कपट संशोधन है और एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरण किये जाने वाले नजरबन्दियों के पक्ष में है।

**श्री राम जेटमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस विधेयक के खण्ड 5 में एक अन्य उपकरण (2) जोड़ने का प्रस्ताव है, यथा;

> "(2) इस धारा के अन्तर्गत किसी भी बात से ऐसी शर्त या अनुशासन जो उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए यह नजरबन्दी का आदेश दिया जाता है, आवश्यक नहीं है, लागू नहीं किया जा सकेगा।"

किसी भी सभ्य सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये। संविधान केवल निवारक नजरबन्दी की अनुमति देता है न कि दण्डात्मक नजरबन्दी की और फिर भी, यह अनुभव का मामला है कि पीछे निवारक नजरबन्दी का दण्डात्मक नजरबन्दी के लिए गलत उपयोग किया गया। एक अग्रगण्य महिला, जो पिछली लोक सभा में इस सदन की सदस्या थी, को आपातकाल के दौरान अकोला जेल में नजरबन्द रखा गया। उन्हें एक सुनसान सैल में रखा गया। उनकी दायीं ओर वाली कोठरी में एक चीखती हुई पागल थी और बायीं ओर वाली में एक बदबूदार कोढ़ी स्त्री थी। उस महिला को दण्ड देने के लिए ऐसा किया गया था। हमारे पास बम्बई उच्च न्यायालय का एक मामला है जिसमें आपातकाल के दौरान एक नजरबन्दी को दाढ़ी बनाने के लिए अपना सामान प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार प्रत्येक नजरबन्द को जेल के नाई से दाढ़ी बनवानी होती है। एक व्यक्ति को टायलेट पेपर इस्तेमाल नहीं करने दिया क्योंकि उसे बताया गया कि जेल में मिलने वाला अति ठण्डा पानी ही इस्तेमाल करें। एक

व्यक्ति को शतरंज और कैरम खेलने नहीं दिया जबकि उसे ताशों से जुआ खेलने की अनुमति दे दी गई। इस प्रकार का अनुशासन तथा नियंत्रण नजरबन्दियों पर लगाया जाता है। यह खण्ड, जैसा कि आज इसे बनाया गया है नियंत्रणों के आरोप और अनुशासन के आरोपण की अनुमति देता है जो संविधानिक रूप से अनुज्ञेय होंगे और फिर भी, संविधानिक रूप से जो अनुज्ञेय नहीं हैं उनकी भी अनुमती देता है। अतः यह विधेयक अमान्य है और जो भी हो, यह खण्ड अमान्य है। यदि यह सरकार सभ्य सरकार होने का दावा करती है तो इसे कम से कम यह स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा यह पता लगेगा कि वे निवारक निरोध कानून को निरोध के उद्देश्य हेतु प्रयोग करेंगे नजरबन्दियों की आत्मा और शरीर तोड़ने के लिए नहीं।

***श्री आर० के० महालगी** : खण्ड 5 :

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के परन्तुक सत्ताधारी दल के नेताओं और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रशासनिक तंत्र के लिए प्रतिशोध के अवसर प्रदान करता है। इस विधेयक का खण्ड 5 किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी भाग में नजरबन्द करने के लिए सरकार को समर्थ बनाता है। इस प्रकार उसका परिवार पुलिस द्वारा सताया जाएगा और यंत्रणा दी जाएगी। उसके परिवार को इस उत्पीड़न से बचाने के लिए मैंने इस संशोधन द्वारा सुझाव दिया है कि संबंधित व्यक्ति को उसके सामान्य निवास स्थान के पास ही नजरबन्द किया जाए जिससे उसके परिवार को परेशानी और यन्त्रणा न सहनी पड़े।

**श्री अटल विहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्री जी ने फैसला कर लिया है कि जैसा विधेयक है, वैसा ही पास करना चाहते हैं या विरोधी दलों की ओर से जो अच्छे-अच्छे सुझाव आ रहे हैं उनको भी स्वीकार करेंगे ? अब लोग नजरबन्द तो होने वाले हैं, लेकिन आप नजरबन्द करते हैं इसलिए कि वे आगे कोई गड़बड़ न कर सकें। इसमें प्रीवेन्टिव है, प्यूनिटिव नहीं है, आप सजा नहीं दे रहे हैं। आगे कोई गड़बड़ न कर सके, इसलिए उसको स्थानाबद्ध कर रहे हैं। अपने घर से दूर किसी जेल में रखना, उस आदमी के लिए केवल कष्टदायक ही नहीं है, बल्कि उसके परिवारवालों के लिए भी बहुत तकलीफदेह है। क्या आपने उसके बीवी-बच्चों को भी सजा देने का फैसला किया है ? उसके परिवारवालों को उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है। मिलने के बारे में जेलों के नियम कितने हास्यास्पद हैं। मैं आपको बतलाता हूं श्री अडवानी मेरे साथ बैंगलोर जेल में नजरबन्द थे। उस जेल का मैनुअल यह कहता है कि मिलने वाला अपने साथ एक और व्यक्ति को ला सकता है। श्री अडवानी की पत्नी मिलने के लिये जाती थी, उनके दो बच्चे थे, मगर जेल अधिकारी दोनों बच्चों को एक-साथ नहीं जाने देते थे। कहते थे कि एक साथ दो जा सकते हैं, उनकी पत्नी के साथ एक बच्चा जायगा, दूसरे को बाहर छोड़ जाइये। बच्चा बाहर रहने के लिए तैयार नहीं था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि नजरबन्द को वहीं रखा जाय, किसी दूर जेल में न भेजा जाय और दूसरे राज्य में भेजने का तो सवाल ही नहीं उठता।

---

*मराठा में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एक बात और कहना चाहता हूं आप नजरबन्द करते हैं तो जिस व्यक्ति को नजरबन्द करते हैं, यदि वह घर के लिए कमाने वाला एक ही व्यक्ति है तो उसके परिवार का पालन-पोषण कैसे होगा ? अदालत ने उसको सजा नहीं दी है, उसने कोई जुर्म भी नहीं किया है, केवल आपको डर हैं कि वह आगे चलकर जुर्म करेगा, इसलिए उसको जेल में बन्द कर दिया, मगर उसके बीवी-बच्चों का क्या होगा ? कौन उनका पेट भरेगा ? इसलिए मैं चाहता हूं कि नजरबन्द किये जाने वाले के परिवारवालों को भत्ता दिये जाने के बारे में बिचार होना चाहिए । लेकिन ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी ने फैसला कर लिया है कि न वह किसी की सुनेंगे और न मानेंगे, जैसे का तैसा विधेयक हमारे गले के नीचे उतारना चाहते हैं । यह सदन देख रहा है, दुनियां देख रही है । आपका रवैया कितना गलत है, कितना अन्यायपूर्ण है ।

**श्री विजय कुमार यादव** : इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि वैसे तो पिछला एमैंडमैंट बड़ा ही मामूली हथकड़ी वाला था जोकि माना नहीं गया लेकिन इस एमैंडमैंट में भी इसी बात का जिक्र किया गया है कि जिसकी गिरफ्तारी हो, उसको अपने राज्य से दूसरे राज्य में न भेजा जाए । मैं समझता हूं कि यह इतना मामूली एमैंडमैंट है कि इसमें गवर्नमेंट की जो प्रीवेंटिव डिटेशन की पालसी हैं, उसके विरोध में यह नहीं जाता है ।

मैंने इसमें एक और बात की माग की है कि यकायक रातोंरात किसी आदमी को जेल से कहीं बाहर भेज दिया जाता है और वह भी रात को 12 बजे, 1 बजे या 3 बजे भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए । मुझे पटना से यकायक हजारीबाग जेल भेज दिया गया । तो इस सिलसिले में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि जिस आदमी को आप ट्रान्सफर करना चाहते हैं, राज्य के अन्दर ही ट्रान्सफर कीजिए लेकिन इसकी जानकारी उसे एक सप्ताह पहले दीजिए और यह ट्रान्सफर भी जो आपने एडवाइजरी बोर्ड बताया है, उसकी सेंक्शन लिए बगैर नहीं होना चाहिए ।

इन्हीं बातों की मांग मैंने अपने इस एमैंडमैंट में की है ।

**श्री टी० आर० शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण खण्ड है जो सरकार को यह निर्णय करने के लिए समर्थ बनाता है कि नजरबन्द को कहां रखा जाए अथवा क्या उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित किया जाए । इस संबंध में मेरा बहुत कड़वा अनुभव है । 1930 में जब मुझे गिरफ्तार किया गया तब मैं बीजापुर केन्द्रीय कारागार मे था और मुझे यर्वदा जेल भेज दिया गया । इसकी सूचना मेरे घर नहीं दी गई थी । मेरे पिता का चिकित्सालय में स्वर्गवास हो गया । मुझे इसका पता नहीं लगा । कर्नाटक से आए किसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे पिता अस्वस्थ थे परन्तु जब तक मुझे उनसे मिलने का अवसर मिलता, वे दूसरी दुनिया में चल बसे । अतः मेरे नजरबन्द किए जाने की सूचना मेरे परिवार को नहीं दी गई थी । यह बहुत कठिन होगा । अतः जब किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जाता है तो यह आवश्यक है कि सूचना उसके परिवार को दी जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो आवश्यक कानूनी और चिकित्सकीय सहायता भी प्रदान की जानी चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिस पर मैं जोर देता हूं । जिस प्रकार संसद के किसी सदस्य या विधान सभा के किसी सदस्य को

गिरफतार किया जाता है तो उसके गिरफतार और रिहा करने की सूचना देने का कर्तव्य पुलिस अधिकारियों का होता है ऐसा ही नजरबन्द व्यक्ति के संबंध में होना चाहिए। यदि उसे नजरबन्द किया जाता है तो उसके परिवार को नजरबन्दी की सूचना देनी चाहिए। धन्यवाद।

**गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह)** : डिप्टी स्पीकर साहब, श्री रामावतार शास्त्री से लेकर श्री विजय कुमार यादव, कर्नाटक के एक मेम्बर और वाजपेयी जी, तकरीबन सब का एक मत है कि किसी नजरबन्द को एक रियासत से दूसरी रियासत में न भेजा जाय। इसके लिए मैं नम्रता से (प्रार्थना) करूंगा कि आम तौर पर ऐसा होगा नहीं कि हर एक को दूसरी रियासत में भेजा जाए लेकिन इस बिल में यह चीज कैसे रखी जा सकती है कि अगर किसी को भेजना पड़े तो सरकार उसे भेज नहीं सकती।

दूसरी बात यह है कि भारत में जो कानून बनते हैं, उनमें इस बात को रखना निहायत जरूरी है कि देश की एकता और यकजहती को पूरे तौर पर माना जाए। यह देश एक है और इसमें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में या एक जिले से दूसरे जिले में न जाने का प्रतिबंध लगाना इस भावना को पैदा करता है कि यहा के लोग एक-दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते।

(व्यवधान)

**श्री रामाधतार शास्त्री** : यह बड़ा बचकाना जबाव है। यह ठीक जबाव नहीं है।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : यहां तो जेल में जाने की बात है।

**श्री जैलसिंह** : श्री रामावतार शास्त्री ने मुझ से यह पूछा कि मैं जेल में रहा हूं या नहीं। मैं जनता सरकार की जेल में रहा हूं, ब्रिटिश सरकार की जेल में रहा हूं। और रियासत की जेल में रहा हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मेंने यह नहीं पूछा कि आप जेल में रहे हैं या नहीं। मैंने कहा था कि आप वहां के बारे में जानते होंगे।

**श्री जैल सिंह** : मैं एक रियासत की जेल में लगातार पूरे 5 साल एक जेल में कैदी रहा हूं। इसलिए मुझे पूरा तजुर्बा है, हर वक्त की सरकार का, हर वक्त की जेल का। इसलिए मैं जानता हूं कि इस बात का ख्याल रखना निहायत जरूरी है कि किसी भी आदमी को जेल में भेजने से पहले, कई बार इस बारे में सोचना जरूरी है कि वाकई इसको जेल भेजना जरूरी है या नहीं।

आपको मालूम है कि इसी बिल को कोर्ट प्लाज (आठवीं) में यह आया है कि पांच दिन और ज्यादा से ज्यादा दस दिन के लिए उसे वाजेह दलील देनी होगी उसके बाद उसका केस एड-वायजरी बोर्ड के पास चला जायेगा। जब केस एडवायजरी बोर्ड के पास चला जाए तो फिर उसको यह भी काम दिया जाए कि किस को भेजें और किसको न भेजें तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि ये जो संशोधन आए हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है।

जो एक सूबे से दूसरे सूबे में भेजने का प्रोविजन है, वह भी यहां की सरकार के हाथ में है और उसकी मंजूरी से ही भेजा जायेगा। इसलिए मैं इस संशोधन को भी मंजूर नहीं कर सकता।

इस बारे में जो कहा गया है, उसका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस संशोधन को भी मैं मंजूर नहीं कर सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब खण्ड 5 के सभी संशोधन एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या 5, 6, 43, 44, 45, 58, 73, 132, 229 और 237 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने"।

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**मत विभाजन संख्या—43**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी. सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| अमरीन्द्र सिंह | बसु, चित्त |
| आनन्द सिंह | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अप्पाला नायडू, एम० आर० ए० एस० | बसु. ज्योतिर्मय |
| अराकल, जेसियर | चन्द्रपाल सिंह |
| बरवा, बनवारी लाल | चरण सिंह |
| बैठा, डूमर लाल | चटर्जी, सोमनाथ |
| वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चतुर्भुज |
| बालेश्वर राम | चौधरी, त्रिदिव |
| बन्सीलाल | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, प्रो० मधु |
| भगत बी० आर० | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भगत, एच० के० एल० | दास, रेणुपद |
| भक्त, मनोरन्जन | गंगवार, हरीशकुमार |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | गायत्री देवी श्रीमती |
| भोये रेशमा मोतीराम | घोष, निरेन |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| बूटा सिंह, | गुलाम मोहम्मद खां |
| चक्रधारी सिंह | गिरि, श्री सुधीर |
| चन्द्रशेखर सिंह | गोपालन, श्रीमती सुशीला |

| पक्ष में | विपक्ष |
|---|---|
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | गोयल, कृष्ण कुमार |
| चरणजीत सिंह | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | हन्नान मोल्लाह |
| चव्हाण, एस० बी० | हरिकेश बहादुर |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | हसदा, मतिलाल |
| चिंगयाग कोनयक | होरो, एन० ई० |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | इन्द्रा कुमारी श्रीमती |
| चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान | जगपाल सिंह |
| डागा, मूलचन्द | जाटिया, सत्यनारायण |
| दलबीर सिंह | जेठमलानी, राम |
| दलबीर सिंह | झा, भोगेन्द्र |
| दास, अनादि चरण | खां, गयूर अली |
| देसाई, बी० वी० | मधुकर, कमला मिश्र |
| दंडपाणि, सी० टी० | महाटा, चित्त |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मैत्रा, सुनील |
| दुबे, राम नाथ | मंडल, धनिक लाल |
| एक्का, क्रिस्टोफर | मण्डल, मुकुन्द |
| ईरा अनबारासु | मण्डल, सनत कुमार |
| फर्नांडीस, ओस्कर | मसुदल हुसैन, सैयद |
| गाडगिल, वी० एन० | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| गधावी, भेरावदन के० | महालगी, आर० के० |
| गायकवाड़, आर० पी० | मिश्र, सत्यगोपाल |
| गामित, छीतुभाई | मोदक, विजय |
| गौडा, डी० एम० पुत्ते | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| जाफर शरीफ, सी० के० | नेगी टी० एस० |
| जैन, भीकू राम | पाल, प्रो० रूप चन्द |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | पंडित, डा० वसन्त कुमार |
| जमीलुर्रहमान | पासवान, राम विलास |
| जेना, चिन्तामणि | पाठक, आनन्द |
| झा, कमल नाथ | पटनायक, बीजू |
| जितेन्द्र प्रसाद | राजदा, रतनसिंह |
| कामाक्षैया, डी० | राजेश कुमार सिंह |
| कमल नाथ | रियान, बाजू बन |
| कमला कुमारी, कुमारी | राय, ए० के० |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| कर्मा, लक्ष्मण | राय, डा० सरदीश |
| कौल, श्रीमती शीला | राय प्रधान, अमर |
| खां आरिफ मोहम्मद | साहा, अजित कुमार |
| खां, जुल्फिकार अली | शास्त्री, रामावतार |
| कोसलराम, के० टी० | *स्टीफन सी० एम० |
| कृष्ण दत्त | सुब्बा, पी० एम० |
| कृष्ण, एस० एम० | सूरज भान |
| कृष्ण प्रताप सिंह | सूर्य नारायण सिंह |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | त्रिलोक चन्द्र |
| कुचन, गंगाधर एस० | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| लास्कर, निहार रंजन | वर्मा, रवीन्द्र |
| म धुरी सिंह, श्रीमती | वर्मा, शिवशरण |
| महावीर प्रसाद | यादव, डी० पी० |
| महाजन, विक्रम | यादव, राजेन्द्रप्रसाद |
| मालन्ना, के० | यादव, विजय कुमार |
| मलिक, लक्ष्मण | जायनल अबेदिन |
| मल्लिकार्जुन | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति एम० राजशेखर | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी० राजगोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पदायाची, एस० एस० रामास्वामी | |
| पांडे, केदार | |

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

Jain, Shri Nihal Singh
Jain, Shri Virdhi Chander
Jamilur Rahman, Shri
Jena, Shri Chintamani
Jha, Shri Kamal Nath
Jitendra Prasad, Shri
Kamakshaiah, Shri D.
Kamal Nath, Shri
Kamla Kumari, Kumari
Kandaswamy, Shri M.
Karma, Shri Laxman
Kaul, Shrimati Sheila
Khan, Shri Arif Mohammad
Khan, Shri Malik M. M. A.
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Kidwai, Shrimati Mohsina
Kosalram, Shri K. T.
Krishan Dutt, Shri
Krishna, Shri S. M.
Kshirsagar, Shrimati Kesharbai
Kuchan, Shri Gangadhar S.
Kunwar Ram, Shri
Laskar, Shri Nihar Ranjan
Madhuri Singh, Shrimati
Mahabir Prasad, Shri
Mahajan, Shri Vikram
Mallanna, Shri K.
Mallick, Shri Lakshman
Mallikarjun, Shri
Mani, Shri K. B. S.
Meena, Shri Ram Kumar
Mishra Shri Gargi Shankar
Mishra, Shri Ram Nagina
Misra, Shri Nityananda
Motilal Singh, Shri
Mukhopadhyay, Shri Anand Gopal
Murugian, Shri S.
Muthu Kumaran, Shri R.
Nagaratnam, Shri T.
Nagina Rai, Shri
Naidu, Shri P. Rajagopal
Naikar, Shri D. K.
Namgyal, Shri P.
Nandi Yellaiah, Shri
Narayana, Shri K. S.
Nihalsinghwala, Shri G. S.
Oraon, Shri Kartik
Panday, Shri Kedar
Pandey. Shri Krishna Chandra
Panigrahi, Shri Chintamani
Panika, Shri Ram Pyare
Pardhi, Shri Keshaorao
Patel, Shri Shantubhai
Patil, Shri A. T.
Patil, Shri Chandrabhan Athare
Patil, Shri Shankarrao
Patil, Shri Shivraj V.
Patil, Shri Veerendra
Patil, Shri Vijay N.
Pattabhi Rama Rao, Shri S. B. P.
Phulwariya, Shri Virda Ram
Poojary, Shri Janardhana
Potdukhe, Shri Shantaram
Prasan Kumar, Shri S. N.
Pulluaiah, Shri Darur
Pushpa Devi Singh, Kumari
Qazi Saleem, Shri
Quadri, Shri S. T.
Rajamallu, Shri K.
Ram, Shri Ramswaroop
Ramalingam, Shri N. Kudanthai
Ran Vir Singh, Shri
Rane, Shrimati Sanyogita
Rao, Shrimati B. Radhabai Ananda
Rao, Shri Jagannath
Rathod, Shri Uttam
Raut, Shri Bhola
Rawat, Shri Harish Chandra Singh
Reddy, Shri K. Brahmananda
Reddy, Shri M. Ram Gopal
Reddy, Shri P. Venkata
Reddy, Shri T. Damodar
Sahu, Shri Narayan
Saminuddin, Shri
Sathe, Shri Vasant
Satish Prasad Singh, Shri

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| झर्मा, चिरंजी थाल | |
| शर्मा, काली चरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिवशंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिंह देव, के० पी० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| सुन्दरसिंह | |
| टंडन, प्रभुनारायण | |
| तारिक अनवर | |
| तइयब हुसेन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| तिवारी, नारायण दत्त | |
| तिवारी, राम गोपाल | |
| त्रिपाठी, रामनारायण | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वर्मा, जयराम | |
| वेंकटरामन, आर० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| व्यास, गिरधारी लाल | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 169

विपक्ष में : 75

मदतान 'हां' वालों के पक्ष में रहा ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 5 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | सर्वश्री सी० पी० एन० सिंह |
| | गौदिल प्रसाद अनुरागी |
| | शिव कुमार सिंह |
| | सी० एम० स्टीफन |
| विपक्ष में : | सर्वश्री टी० आर० शमन्ना |
| | पीयूष तिरकी |
| | नगनगोम मोहेन्द्रा |

खण्ड 6

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 38 और 39,—

"आदेश करने वाली सरकार या अधिकारी" के स्थान पर "सरकार"

**प्रतिस्थापित किया जाए ।** (7)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 41 का **लोप कर दिया जाए ।** (8)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3,—

(i) पंक्ति 36—

"केवल इस कारण अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील" के स्थान पर "विधिमान्य और प्रवर्तनशील" प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) और (iii) पंक्ति 37,—

"कि" के स्थान पर "क्योंकि" प्रतिस्थापित किया जाए । (133)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 37,—

"न" का लोप कर दिया जाये । (231)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अब खण्ड 6 के संशोधन संख्या 7, 8, 133 तथा 231 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7, 8, 133 तथा 231 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुये ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत विभाजन संख्या—44

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| आनन्द सिंह | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू, एम० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | बसु, ज्योतिर्मय |
| अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| अराकल, जेवियर | चन्द्रपाल सिंह |
| बरवा, बनवारी लाल | चरण सिंह |
| बैठा, डूमर लाल | चटर्जी, सोमनाथ |
| वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चतुर्भुज |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| बालेश्वर राम | चौधारी, त्रिदिव |
| बन्सी लाल | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बहेरा, राम बिहारी | दंडवते, प्रो० मधु |
| भगत, एच० के० एल० | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भक्त, मनोरंजन | दास, रेणुपद |
| भारद्वाज, परसराम | गंगवार, हरीश कुमार |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | घोष, निरेन |
| भोई, डा० कृपासिन्धु | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| भोये, रेशमा मोतीराम | गुलाम मोहम्द खां |
| बीरेन्द्र सिंह राव | गिरि, सुधीर |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | गोयल, कृष्ण कुमार |
| बूटा सिंह | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| चक्रवर्ती, सत्यसाधन | हन्नान मोल्लाह |
| चक्रधारी सिंह | हरिकेश बहादुर |
| चन्द्रशेखर सिंह | हसदा, मतिलाल |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | होरो, एन० ई० |
| चरणजीत सिंह | इन्द्रा कुमारी, श्रीमती |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | जगपाल सिंह |
| चव्हाण, एस० बी० | जाटिया, सत्यनारायण |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | जेठमलानी, राम |
| चिंगयाग कोनयक | झा, भोगेन्द्र |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | खां, गयूर अली |
| चौधरी, ए० बी० ए० गनीखान | कोडियन, पी० के० |
| डागा, मूलचन्द | मधुकर, कमला मिश्र |
| दलबीर सिंह | महाटा, चित्त |
| दलबीर सिंह | मैत्रा, सुनील |
| दास, अनादि चरण | मंडल, धनिक लाल |
| देसाई, बी० वी० | मण्डल, मुकुन्द |
| दंडपाणि, सी० टी० | मण्डल, सनत कुमार |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मसुदल हुसैन, सैयद |
| दुबे, रामनाथ | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| एक्का, क्रिस्टोफर | महालगी, आर० के० |
| ईरा अनबारासु | मिश्र, सत्यगोपाल |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| फर्नान्डीस, ओस्कर | मोदक, विजय |
| गाडगिल, बी० एन० | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| गधावी, भेरावदन के० | नगनगोम मोहेन्द्रा |
| गायकवाड़ आर. पी. | पाल०, प्रो० रूप चन्द |
| गामित, छीतुभाई | परुलेकर, बापूसाहिब |
| गहलोत, अशोक | पासवान, राम विलास |
| गौडा, डी० एम० पुत्ते | पाठक, आनन्द |
| जैन, भीकू राम | राही, रामलाल |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | राजन, के० ए० |
| जमीलुर्रहमान | राजदा, रतनसिंह |
| जेना, चिन्तामणि | राजेश कुमार सिंह |
| झा. कमल नाथ | रियान, बाजू बन |
| जितेन्द्र प्रसाद | राय, ए० के० |
| कामाक्षैया, डी० | राय, डा० सरदीश |
| कमल नाथ | राय प्रधान, अमर |
| कमला कुमारी, कुमारी | साहा, अजित कुमार |
| कर्मा, लक्ष्मण | शमन्ना, टी० आर० |
| कौल, श्रीमती शीला | शास्त्री, रामावतार |
| खां, आरिफ मोहम्मद | सिंह, बी० डी० |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | *सोरन, हरिहर |
| कोसलराम, के० टी० | सूरज भान |
| कृष्ण दत्त | सूर्य नारायण सिंह |
| कृष्ण, एस० एम० | त्रिलोक चन्द्र |
| कृष्ण प्रताप सिंह | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | वर्मा, रवीन्द्र |
| कुंचन, गंगाधर एस० | वर्मा, फूलचन्द |
| लास्कर, निहार रंजन | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | वर्मा, शिव शरण |
| महाबीर प्रसाद | यादव, डी० पी० |
| महाजन, विक्रम | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| मालन्ना, के० | यादव, बिजय कुमार |
| मलिक, लक्ष्मण | जायनल अबेदिन |
| मल्लिकार्जुन | |

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

पक्ष में

मायातेवर, के०
मिश्र, गार्गी शंकर
मिश्र, रामनगीना
मिश्र, नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह
मूर्ति, एम० राजशेखर
मुथु कुमारन, आर०
नगीना राय
नायडू, पी० राजगोपाल
नायकर, डी० के०
नायर, बी० के०
नामग्याल, पी०
नन्दी येल्लैया
नारायण, के० एस०
उरांव, कार्तिक
पदायाची, एस० एस० रामास्वामी
पांडे, केदार
पांडे, कृष्णचन्द्र
पनिका, राम प्यारे
पारधी, केशवराव
पटेल, शान्तुभाई
पाटिल, ए० टी०
पाटिल, चन्द्रभान आठरे
पाटिल, शंकर राव
पाटिल, शिवराज वी०
पाटिल, वीरेन्द्र
फुलवारिया, बिरदा राम
पोटदुखे, शान्ताराम
प्रभु, आर०
पुलय्या, दारुर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
कादरी, एस० टी०
राजामल्लू, के०
राजू, पी० वी० जी०

विपक्ष में

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| रणवीर सिंह | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शर्मा, चिरंजी लाल | |
| शर्मा, काली चरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नबल किशोर | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिव शंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिंह, डा० बी० एन० | |
| सिंह, देव, के० पी० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दर सिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| ठाकुर शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| तिवारी, नारायण दत्त | |
| तिवारी, राम गोपाल | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वर्मा, जय राम | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| *वर्मा रीतलाल प्रसाद | |
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजय राघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| व्यास, गिरधारी लाल | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

*गलती से पक्ष में मतदान किया ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुये ।

**सभापति महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 176

विपक्ष में : 80

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्री सी० के० जाफर शरीफ |
| | श्रीमती संयोगिता राणे |
| | प्रो० के० के० तिवारी |
| | सर्वश्री जी० बी० गोहिल |
| | अमेन्द्र सिंह |
| | पी० एम० सुब्बा |
| | हरिहर सोरत |
| विपक्ष में : | श्रीमती गायत्री देवी |
| | श्री पीयूष तिरकी |
| | श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा |

**खण्ड 7**

**श्री जी. एम. बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 और 2,—

"या धारा 3 की उपधारा (3) में वर्णित अधिकारी" **का लोप कर दिया जाए ।** (9)

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

"एक वर्ष" **के स्थान पर** "सात दिन" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (46)

पृष्ठ 4, पंक्ति 24,—

"जुर्माने से" **के पश्चात्** "जो दस रुपए से अधिक नहीं होगा" **अन्त स्थापित किया जाए ।** (47)

**श्री ए. के. राजन** (त्रिचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि।

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 25 और 26 का **लोप कर दिया जाए।** (161)

**श्री विजय कुमार यादव :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 13 से 17 का **लोप कर दिया जाये।** (195)

पृष्ठ 4, पंक्ति 23 और 24,—

"वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से" **के स्थान पर** "वह जुर्माने से जो पन्द्रह रुपये से अधिक नहीं होगा" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (196)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26,—

"संज्ञेय" **के स्थान पर** "असंज्ञेय" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (197)

पृष्ठ 4, पंक्ति 1-2,—

"यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा 3 में वर्णित अधिकारी" **के स्थान पर** "सलाहकार बोर्ड" **प्रतिस्थापित किया जाये।** (222)

पृष्ठ 4, पंक्ति 4,—

"सरकार या अधिकारी" का **लोप कर दिया जाये।** (233)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सभापति जी, धारा 7 में यह व्यवस्था की गई है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नजरबन्दी का वारन्ट जारी किया गया हो, अगर वह नहीं मिलता है, और फिर आगे जाकर गिरफ्तार होता है, या फिर गिरफ्तार करके लाया जाता है, या स्वयं चला आता है, तो उसको एक साल की सजा होगी और जुर्माने भी होंगे। मैं चाहता हूं कि उसको एक साल की जगह पर सात दिन की सजा हो या जुर्माना किया जाये, दोनों नहीं। अगर सजा दी जाये तो सात दिन और अगर जुर्माना किया जाये, तो केवल दस रुपये।

अगर सरकार इतने साधारण संशोधत को भी नहीं मानती है, तो यह अच्छा नहीं है।

**श्री जैल सिंह :** सभापति महोदय, हम श्री रामावतार शास्त्री का यह सुझाव ध्यान में रखेंगे। यह जरूरी नहीं है कि एक साल कैद होगी और जुर्माना भी होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि अगर सजा हो जाये, तो फिर उसको माफ नहीं किया जा सकता है। इस बारे में हम नर्मी का इस्तेमाल करेंगे।

**सभापति महोदय** : मैं अब श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 9, श्री रामावतार शास्त्री द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 46 और 47, श्री के० ए० राजन द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 161 तथा विजय कुमार यादव द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 195, 196, 197, 232 तथा 233 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 46, 47, 161, 195, 196, 197, 232 तथा 233 मतदान के लिए सभा में रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**मत विभाजन संख्या—45**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| अमरीन्द्र सिंह | भट्टाचार्य, सुशील |
| आनन्द सिंह | विश्वास, अजय |
| अंकिनीडू, एम० | बसु, ज्योतिर्मय |
| अंकिनीडू, प्रसाद राव, पी० | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | चन्द्रपाल सिंह |
| अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० | चरण सिंह |
| अराकल, ज़ेवियर | चटर्जी, सोमनाथ |
| बागुन सुम्बरुई | चतुर्भुज |
| बरवा, बनवारी लाल | चौधरी, त्रिदिव |
| बैठा, डूमर लाल | चौबे, नारायण |
| बाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बालेश्वर राम | दंडवते, प्रो० मधु |
| बन्सी लाल | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| बहेरा, राम बिहारी | दास, रेणुपद |
| भगत, एच. के. एल. | गंगवार, हरीश कुमार |
| भारद्वाज, परसराम | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | घोष, निरेन |
| भोई, डा. कृपासिन्धु | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| भोय, रेशमा मोतीराम | गुलाम मोहम्मद खां |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| बार, श्रीमती गुरविन्दर कौर | गिरि, सुधीर |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| बूटा सिंह | गोयल, कृष्ण कुमार |
| चक्रधारी सिंह | गुप्त, इन्द्रजीत |
| चन्द्रशेखर सिंह | हन्नान मोल्लाह |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | हरिकेश बहादुर |
| चरणजीत सिंह | हसदा, मतिलाल |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | होरो, एन० ई० |
| चव्हाण, एस. बी. | जगपाल सिंह |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | जाटिया, सत्यनारायण |
| चिंगयाग कोनयक | झा, भोगेन्द्र |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | कोडियन, पी० के० |
| डागा, मूलचन्द | कुन्हम्बु, के० |
| दलबीर सिंह | *कुवर राम |
| दलबीर सिंह | लारेंस, एम० एम० |
| दास, अनादि चरण | मधुकर, कमला मिश्र |
| देसाई, बी. बी. | महाटा, चित्त |
| दंडपाणि, सी. टी. | मैत्रा, सुनील |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मण्डल धनिक लाल |
| दुबे, रामनाथ | मण्डल, मुकुन्द |
| एक्का, क्रिस्टोफर | मण्डल, सनत कुमार |
| ईरा अनबारासु | मसुदल हुसैन, सैयद |
| फर्नान्डीस, ओस्कर | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| गाडगिल, वी. एन. | महालगी, आर० के० |
| गधावी, भेरावदन के. | मिश्र, सत्यगोपाल |
| गायकवाड़, आर. पी. | मोदक, विजय |
| गामित, छीतुभाई | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| गहलोत, अशोक | नगनगोम मोहेन्द्रा |
| गोहिल, जी. बी. | पाल, प्रो० रूप चन्द |
| गौडा, डी. एम. पुत्ते | पासवान, रामविलास |
| जाफर शरीफ, सी. के. | पाठक, आनन्द |
| जैन, भीकू राम | पटनायक, बीजू |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | राजन, के० ए० |
| जमीलुर्रहमान | राजदा, रतनसिंह |
| जेना, चिन्तामणि | राजेश कुमार सिंह |

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| झा, कमल नाथ | रियान, बाजू बन |
| जितेन्द्र प्रसाद | रोथूआमा, डा० आर० |
| कामाक्षैया, डी. | राय, ए० के० |
| कमल नाथ | राय, डा० सरदीश |
| कमलाकुमारी, कुमारी | राय प्रधान, अमर |
| कर्मा, लक्ष्मण | साहा, अजित कुमार |
| कौल, श्रीमती शीला | शमन्ना, टी० आर० |
| खां, आरिफ मोहम्मद | शास्त्री, रामावतार |
| खां, जुल्फिकार अली | सिंह, बी० डी० |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | सूरज भान |
| कोसलराम, के. टी. | सूर्य नारायण सिंह |
| कृष्ण दत्त | तिरकी, पीयूष |
| कृष्ण, एस. एम. | त्रिलोक चन्द्र |
| कृष्ण प्रताप सिंह | उन्नीकृष्णन, के० पी० |
| कुंचन, गंगाधर एस. | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| लकप्पा, के. | वर्मा, रवीन्द्र |
| लास्कर, निहार रंजन | वर्मा, फूलचन्द |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| महाबीर प्रसाद | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| महाजन, विक्रम | वर्मा, शिव शरण |
| मालन्ना, के. | यादव, डी० पी० |
| मलिक, लक्ष्मण | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| मल्लिकार्जुन | यादव, विजय कुमार |
| मायातेवर के. | जायनल अबेदिन |
| मिश्र, मार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम. राजशेखर | |
| मुथु कुमारन, आर. | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी. राजगोपाल | |
| नायकर, डी. के. | |
| नायर, बी. के. | |
| नामग्याल, पी. | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के. एस. | |
| नटराजन, कुमबुम एन. | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पदायाची, एस. एस. रामास्वामी | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |
| पाटिल, ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शंकरराव | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| रणवीर सिंह | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |

पक्ष में

विपक्ष में

रावत, हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, जी० नरसिम्हा
रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द
रेड्डी, एम० राम गोपाल
रेड्डी, पी० वेंकट
रेड्डी, टी० दामोदर
साही, श्रीमती कृष्णा
साहू, नारायण
समीनुद्दीन
सतीश प्रसाद सिंह
सत्यदेव सिंह, प्रो०
सावन्त, टी० एम०
सेठी, अर्जुन
सेठी, पी० सी०
शैलानी, चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शक्यवार, नाथूराम
शंकरानन्द, बी०
शर्मा, चिरंजी लाल
शर्मा, कालीचरण
शर्मा, नन्द किशोर
शर्मा, डा० शंकर दयाल
शास्त्री, धर्मदास
शास्त्री, हरि कृष्ण
शिवशंकर, पी०
शिवेन्द्र बहादुर सिंह
सिदनाल, एस० बी०
सिंह, डा० बी० एन०
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोनकर, कल्पनाथ
सोरन, हरिहर
स्पैरो, ओर० एस०
स्टीफन, सी० एम०
सुब्बा, पी० एम०

पक्ष में

सुखाड़िया, मोहन लाल
सुन्दरसिंह
सूर्यवन्शी, नरसिंह
तारिक अनवर
तैयब हुसैन
तिवारी, प्रो० के० के०
ठाकुर, शिव कुमार सिंह
थुंगोन, पी० के०
तिवारी, नारायण दत्त
तिवारी, राम गोपाल
त्रिपाठी, राम नारायण
वैराले, मधुसूदन
वर्मा, जयराम
वेंकटरामन, आर०
वर्मा, श्रीमती ऊषा
विजयराघवन, वी० एस०
वीरभद्र सिंह
व्यास, गिरधारी लाल
वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, रामसिंह
जैल सिंह
जैनुल बशर

विपक्ष में

**सभापति महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

**पक्ष में : 183**

**विपक्ष में 83**

---

*निम्नखिलित सदस्यों ने भी मतदान किया :

**पक्ष में :**

श्री मनोरंजन भक्त
श्री शान्ताराम पोटदुखे
श्रीमती केशरबाई क्षीरसागर
श्री पी० वी० जी० राजू
श्री कुवंर राम

विपक्ष में : सर्वश्री राम जेठमलानी
श्री बापू साहिब परुलेकर
गयूर अली खां
श्रीमती इन्द्रा कुमारी

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 8

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

"पांच" के स्थान पर "तीन" प्रतिस्थापित किया जाए । (27)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,

"दस" के स्थान पर "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए । (28)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"लोक हित" के स्थान पर "भारत की सुरक्षा" प्रतिस्थापित किया जाए । (29)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29,—

"पांच दिन" के स्थान पर "दो दिन" प्रतिस्थापित किया जाए : (48)

पृष्ठ 4, पंक्ति 30,—

"दस दिन" के स्थान पर "तीन दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (49)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 33 से 35 का लोप कर दिया जाये । (134)

बापूसाहिब परुलेकर : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए ।

"8. प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध के सभी आधार और तथ्य प्रकट करेगा तथा निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अपनी पसन्द के अधिवक्ता से परामर्श करने सहित उसे सभी अवसर प्रदान करेगा" । (61)

श्री राम जेटमलानी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"8. जब कोई व्यक्ति किसी निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी लिखित रूप में उसे वे आधार तुरन्त संसूचित करेगा जिन पर वह आदेश किया गया है और समुचित सरकार से उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उसे शीघ्रतम अवसर देगा।" (74)

पृष्ठ 4, —

पंक्ति 33 से 35 का लोप कर दिया जाये। (75)

**श्री जी० एम० बतातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 8. के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"8. किसी भी व्यक्ति को ऐसे निरोध के आधारों से संसूचित किये बिना निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न ही उसे :

(क) शीघ्रतम अवसर पर आदेश के विरुद्ध अभ्यावेडन देने से और

(ख) अपनी पसन्द के विधि व्यवसायी से परामर्श लेने और उसके द्वारा प्रतिवाद करने के अधिकार से वंचित किया जायेगा। (81)

**श्री के० ए० राजन** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"8. प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध के सभी आधार और तथ्य प्रकट करेगा तथा निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे अपनी पसन्द के अधिवक्ताओं से परामर्श करने के सभी अवसर प्रदान करेगा। (162)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"8. प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध के सभी आधार और तथ्य प्रकट करेगा तथा निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन

करने के लिए अपनी पसन्द के अधिवक्ताओं से परामर्श करने तथा जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त की प्रतिपरीक्षा करने सहित उसे सभी अवसर प्रदान करेगा।" (180)

**श्री विजय कुमार यादव** (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 28 और 29, —

"यथाशक्य शीघ्र किन्तु निरोध की तारीख से मामूली तौर पर पांच दिन के भीतर" के स्थान पर "निरोध के दिन ही" प्रतिस्थापित किया जाए। (198)

**प्रो० रूपचन्द पाल** (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29, —

"पांच दिन" के स्थान पर "चौबीस घंटे" प्रतिस्थापित किया जाए। (244)

पृष्ठ 4, पंक्ति 29 और 30, —

"तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, दस दिन के भीतर" का लोप कर दिया जाए। (245)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 29 और 30, —

"तथा असाधारण परिस्थितियों में और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दस दिन के भीतर," का लोप कर दिया जाए। (265)

**सभापति महोदय** : अब सभी संशोधन प्रस्तुत हो चुके हैं। श्री रामावतार शास्त्री।

**श्री रामावतार शास्त्री** : सभापति जी, मेरा संशोधन संख्या 134 बहुत ही साधारण है जिसको स्वीकार करने में मन्त्री महोदय को कोई आनाकानी नहीं करनी चाहिए। मेरे संशोधन का अर्थ यह भी है कि इसको स्वीकार करने से यह बिल छोटा हो जायेगा। इस बिल की धारा (8) की उपधारा (2) जो है जिसमें कहा गया है :

"उपधारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझता है।"

मैं चाहता हूं इसको हटा दिया जाए। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह संशोधन कितना साधारण है। जब आप किसी को नजरबन्द करना चाहते हैं तो कम से कम इतनी शराफत बरतिये कि उसे बता दीजिए कि भाई, आपको इन वजूहात से हम जेल में रखना चाहते हैं, अगर आप बाहर रहिएगा तो इन वजूहात से आप अशांति पैदा कीजिएगा। आप इसको क्यों गुप्त रखना चाहते हैं ? पब्लिक इन्ट्रेस्ट में बताना उचित नहीं होगा—ऐसी व्यवस्था आप क्यों रखना चाहते हैं ? आप अगर किसी को नजरबन्द रखिए तो

उसको बताइये कि इस वजह से नजरबन्द रखना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस उप-धारा को निकाल दिया जाए।

**श्री मूलचंद डागा** : सभापति जी, एक बात यह है कि गृह मन्त्री जी ने जो क्लॉज में लिखा है, वह उसको समझ लें। उन्होंने लिखा है कि :

> "जब किसी व्यक्ति को नजरबन्दी आदेश के अन्तर्गत नजरबन्द किया जाये तो आदेश देने वाला अधिकारी शीघ्रातिशीघ्र ....."

आप कह रहे हैं कि ज्यों ही उसको अन्दर रखा जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी इत्तिला कर दी जाएगी और कारण बतलाया जाएगा तथा साथ-साथ यह भी कह रहे हैं कि उसको पांच दिन का समय दिया जाएगा। आर्टिकल-22 में "एज-सून-एज" का उल्लेख है। जब आप किसी आदमी को डिटेन करना चाहते हैं तो उसको जल्दी से जल्दी कारण बतलाया जाना चाहिए कि इस कारण से रखना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में यह पांच दिन भी बहुत ज्यादा समय है, मेहरबानी करके आप इस पर सोचिएगा। मेरा फर्ज है कि मैं आपको कहूं अगर आप किसी आदमी की आजादी को खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें पब्लिक इन्टरेस्ट क्या है? आप कहते हैं कि पब्लिक इन्टरेस्ट —यह क्या लम्बा चौड़ा शब्द है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। यह कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि किसी आदमी की आजादी को खतरे में डालने के पहले उसके कारण 24 घंटे में बतलाने चाहिएं और आप पांच दिन का टाइम दे रहे हैं।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** (रत्नगिरी) : अपने संशोधन संख्या 61 के द्वारा मैंने खण्ड 8 का लोप करने तथा निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया था। मेरा संशोधन संख्या 61 इस प्रकार है :— मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

खण्ड 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

> "8. प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को उसके निरोध के सभी आधार और तथ्य प्रकट करेगा तथा निरोध के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये अपनी पसन्द के अधिवक्ता से परामर्श करने सहित उसे सभी अवसर प्रदान करेगा।" (61)

पहले भाग में इसे प्रतिस्थापित किया जायेगा। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उप खण्ड (2) की ओर दिलाना चाहता हूं जो मेरे विचार में एक अनुचित प्रावधान है और इसमें कहा गया है :—"उपधारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोक हित के विरुद्ध समझता है।" यह 1975 के आंसुका (मीसा) की ही तरह है। नजरबन्दी आदेशों की तामील की जायेगी। कारण पूछे जाने पर हमें बताया जायेगा कि कारण बताना जनहित के विरुद्ध होगा। इस तरह जेल भेजने के लिये कोई भी कारण नहीं होगा। इससे कार्यपालिका को बन्दी व्यक्ति को कारण बताये बिना नजरबन्द करने का अधिकार मिला है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रावधान को विधेयक में छलपूर्वक रखा गया है ताकि आप किसी व्यक्ति को अकारण ही नजरबन्द कर सकें।

मेरा भाग (1) के बारे में भी एक अनुरोध है। कहा गया है कि बन्दी यथाशीघ्र अभ्यावेदन दे सकता है। यदि हम समूचे विधेयक को पढ़ें; खंड (4) को देखें तो पता चलेगा कि बन्दी को सलाहाकार बोर्ड के सामने अपना बचाव करने के लिये वकील की सहायता लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हम इस खंड को इस पृष्ठभूमि में पढ़ें तो हम देखेंगे कि वकील अथवा कानूनी सलाह के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। नजरबन्दी आदेश अंग्रेजी भाषा में दिये जाते हैं। कई लोग अंग्रेजी नहीं जानते। वे कानून के बारे में कुछ नहीं जानते और आप उन्हें तीन या चार दिनों के अन्दर अभ्यावेदन देने के लिये कहते हैं। अतः मैंने सुझाव दिया है कि इस नजरबन्दी आदेश के दिये जाने के बाद तथा अभ्यावेदन दिये जाने के बाद उन्हें अपनी इच्छानुसार वकील की राय लेने का अधिकार होना चाहिये। अतः मेरा अनुरोध है कि बिना कारण बताये नजरबन्द किये जाने वाले उपखंड का लोप करने सम्बन्धी सुझाव तथा इस संशोधन को स्वीकार किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम जेठमलानी।

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : मैं एक बार फिर दूसरे पक्ष के संवैधानिक विवेक की एकमात्र आवाज की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। मेरा संशोधन संख्या 74, जिसे मैंने प्रस्तुत किया है, उसी आधार पर है जिसकी वकालत श्री मूलचन्द डागा ने भी की है। मैं चाहता हूं कि इस खंड को संविधान के अनुच्छेद 22 के सदृश्य बनाया जाये जिसमें कहा गया है कि नजरबन्दी के कारण यथाशीघ्र बताये जाने चाहियें जबकि आपके इस खंड में कहा गया है :—"जितनी जल्दी भी हो लेकिन 5 दिनों के अन्दर और अधिक से अधिक दस दिनों के अन्दर" आदि आदि। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि नजरबन्दी के कारण बताये जाने चाहियें और आदेश पर हस्ताक्षर होने से पहले विद्यमान होने चाहियें। यदि नजरबन्दी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कारण बताये या बताये जायें तो गिरफ्तारी के समय इन्हें बताने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये और इस प्रकार जितनी जल्दी भी हो वाक्यांश का पालन तत्काल ही कारण बताकर हो सकता है और वास्तव में मेरे संशोधन का उद्देश्य भी यही है।

इस सभा की परेशानी यह है कि जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे सामने एक भ्रामक तस्वीर पेश की जाती है। मैं गृह मंत्री को क्षमा कर सकता हूं लेकिन मैं विधि मंत्री को क्षमा नहीं कर सकता। चूंकि यहां हमारी संवैधानिक दलील की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिये हमें उन्हें अदालतों के सामने रखने के लिये बाध्य होना पड़ता है और जब उन्हें अदालतें संविधान पढ़ाती हैं तो वे न्यायपालिका तथा वकीलों की निंदा करने लग जाते हैं। अतः यदि आपके दिल में संविधान के लिये कोई सम्मान है तो जितनी जल्दी भी हो शब्दों का उपयोग करें, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 22 में भी है और इस पांच या दस दिन की अवधि को हटायें। यदि आपके दिल में संविधान के लिये कोई सम्मान है और आप इसे भलीभाँति समझते हैं तो इस संशोधन को स्वीकार करें।

(व्यवधान)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : यह प्रश्न उठाया जा चुका है। यह बात

खेदजनक है कि खंड(8)में यह व्यवस्था है कि बन्दी को लगभग 10 दिनों तक नजरबन्दी के कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं । कोई भी सभ्य राष्ट्र ऐसी स्थिति पर विश्वास नहीं करेगा । जब सम्बन्धित अधिकारी कारणों को जानते हैं और समझते हैं कि नजरबन्दी के कारण उचित हैं तो बन्दी को नजरबन्द करने के समय कारण बताने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिये । मैंने अपने संशोधन में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह रखा है कि बन्दी को अपनी इच्छानुसार किसी वकील की राय लेने तथा उसके द्वारा बचाव करने का अधिकार होगा । एक साधारण नागरिक को कानून की पेचीदगियों की जानकारी नहीं होती और इस बात से कोई हानि नहीं होगी यदि हर स्टेज पर उसके मामले का उचित ढंग से प्रतिनिधित्व हो । ऐसा उस स्थिति में है जब उसकी आजादी खतरे में हो । हम सरकार के सामने एक उचित संशोधन रख रहे हैं और मुझे आशा है कि सरकार किसी न किसी समय इस बारे में उचित दृष्टिकोण अपनायेगी और इस आपत्ति पर विचार करके हमारे संशोधन को स्वीकार करेगी ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : सभ्य राष्ट्र के लिए सभ्य सरकार ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : जहां तक खण्ड (8) का सम्बन्ध है । कृपया इसकी अंतर्निहित संभावनाओं को देखिये न केवल संभावनाओं को अपितु इसके निश्चित दुरुपयोग को । जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास उसका आधार होना चाहिये । वे गिरफ्तारी के सम्बन्ध में आधार बताने के लिए पांच दिन चाहते हैं । मुझे विश्वास है, मंत्री महोदय को यदि वे समझ सकते हैं तो यह जानना चाहिए कि कारण वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए । यह व्यक्तिपरक नहीं हो सकता । व्यक्तिपरक टिप्पणियां तैयार की जा सकती हैं, परन्तु वास्तविकता होनी चाहिये । यह बात साबित हो गई है कि कई अवसरों पर साइक्लोस्टाइल किए हस्ताक्षरों सहित साइक्लोस्टाइल किए हुए नजरबन्दी के आदेश पुलिस के सिपाहियों और सब-इंस्पेक्टरों को नामों की सूची के साथ दिए गए हैं । दूसरे पक्ष के कुछ सदस्यों का ऐसा अनुभव रहा है । उनमें से कुछ ने दल बदल कर लिया है और कुछ अभी भी वहीं हैं । आज भी यह कहा गया था कि एक मृत व्यक्ति के खिलाफ नजरबन्दी का आदेश दिया गया था । ये कुछ अन्तर्निहित संभावनाएं अथवा दुरुपयोग की निश्चयता है । इसलिए, अपरिहार्य आवश्यकता यह होनी चाहिए कि वहां वास्तविकता यह होनी चाहिए जिसके आधार पर व्यक्तिपरक निष्कर्षों पर पहुंचा जाए । वे पांच दिन क्यों लगाते हैं ? उनकी निश्चित अक्षमता को जानते हुए मैंने दो दिनों की व्यवस्था की है । वे उसे भी स्वीकार नहीं करते । उनकी कल्पना शक्ति अथवा बात गढ़ने की शक्ति भी उस तेजी से काम नहीं करती । इसी कारण वे पांच दिन का समय चाहते हैं ।

दूसरी बात, यह बताया गया है, "लिखित में दिए कारणों से, अपवादस्वरूप परिस्थितियों में यह समय दस दिन से ज्यादा नहीं हो ।" ये अपवादस्वरूप परिस्थितियां बाद में दर्ज की जाती हैं, लेकिन कहां ? नजरबंद व्यक्ति को वे नहीं बतायी जातीं । इसे कहां दर्ज किया जाता है ? इस बात की गारंटी कहां है कि उनके पुलिसमैन इसे उसी समय दर्ज करेंगे क्योंकि अनुभव

दूसरा है ? इसलिए, छूट का यह प्रावधान अथवा समय बढ़ाने का प्रावधान उसमें होना चाहिए। उनको यह शक्ति देना खतरनाक है। मैं जोरदार रूप से इस पर आपत्ति करता हूं।

मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री हमें यह बताएं कि आधार और तथ्यों के बीच अन्तर क्या है। वे इसे स्पष्ट करें; वह इस विधेयक का मार्ग निर्देशन कर रहे हैं। मुझमें कुछ विनम्रता है - श्री स्टीफन ने अपनी विनम्रता खो दी है—मैं हमेशा ही कुछ सीखने-समझने के लिए तैयार रहता हूं माननीय गृह मंत्री यह स्पष्ट करें कि तथ्यों और आधार के मध्य क्या अन्तर है। यदि उस अन्तर को मानने के लिए मुझे समझा दिया जाता है तो हम इसे वापस ले सकते हैं अथवा इस पर दोबारा विचार कर सकते हैं।

इसके बाद वे कहते हैं :

> "उपधारा (1) की कोई बात प्राधिकारी से यह अपेक्षा न करेगी कि वह ऐसे तथ्य प्रकट करे जिन्हें प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझता है।"

कौन इस बात का निर्धारण करता है कि लोकहित क्या है ? वे तथ्य क्या हैं जिन्हें प्रकट नहीं किया जाना चाहिए ? आधार बताया जाना चाहिए। यदि आधार में कोई वस्तुपरक सामग्री नहीं है तो आधार क्या होंगे ? क्या वस्तुपरक सामग्री तथ्य है ? नजरबंदी के आधारों में वे तथ्य क्या हैं ? भूतकाल में एक भी आश्वासन पूरा नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के स्तर पर आश्वासन दिए गए थे। कोई भी पूरा नहीं किया गया। शर्म की भावना दूसरे पक्ष में है ही नहीं। खुले तौर पर कह रहे हैं और खुले तौर पर यह कर रहे हैं। परन्तु हम उसे जहां तक संभव हो, मानवीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, यद्यपि यह एक क्रूर उपाय है। मुझे इस बात का विश्वास है कि यदि स्वतंत्र मतदान हो तो 100 सदस्य भी उनके साथ न होंगे। उन्होंने उनकी चेतना अन्तरात्मा को गिरवी रख लिया है। उनके सोच की प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो गई है। वे स्वयं सोच-विचार नहीं कर सकते। इसलिए, वे सभी सम्भावित शिकार हैं। लेकिन जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध हैं, उन्हें संवैधानिक आदेश का पालन करना चाहिए। उन्हें दो दिन से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। और उन्हें 'आधारों' तथा तथ्यों के मध्य अंतर के बारे में नजरबंद व्यक्ति को जानकारी देने से इन्कार नहीं करना चाहिए।

इसलिए, मैं कहता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : दूसरी ओर मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगी कि नजरबंदी के आधार के रूप में एक नोटिस मेरी एक महिला साथी को दिया गया था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसमें एक आधार के रूप में 'बलात्कार किया' शामिल था।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : ये दोनों रूप में हो सकता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : लगता है श्री स्टीफन इसके विशेषज्ञ हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या आप सोच सकते हैं कि इस तरह की बात लोकहित में है ?

मैं चाहती हूं कि न केवल किसी व्यक्ति को वकील के माध्यम से अभ्यावेदन करने की अनुमति होनी चाहिए अपितु नजरबंद किए गए व्यक्ति को भी जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस से जिरह करने का अधिकार होना चाहिए। यदि हम उन कार्यपालिका अधिकारियों से, जिन्होंने मंत्रियों के आदेश पर शक्तियों का दुरुपयोग किया है तो हम में से कोई भी उनके सिर पैर के आधारों को खत्म कर सकता है।

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : सभापति जी मैं कह रहा हूं कि अभी इस बिल में जो प्रावधान किया गया है उसमें एक तरफ तो यह कहा गया है कि जिसको डिटेन किया जाएगा उसको डिटेन करने का आधार बताया जाएगा और दूसरी तरफ यह कहा गया है कि अगर सरकार यह समझेगी कि उसको आधार न दिया जाए तो सरकार पर उस आधार को देने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

मैं सिर्फ एक सवाल सरकार से करना चाहता हूं और वह यह है कि क्या सरकार यह समझती है कि नहीं कि जिसको डिटेन किया जाए उसको आधार देना चाहिए, क्या यह भी समझती है कि यह कानून सम्मत है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका यह अधिकार होता है कि उसको गिरफ्तार करने का आधार बताया जाए ? अगर सरकार यह समझती है कि आधार बताना कानूनी हक है तो ऐसी स्थिति में जो अमेंडमेंट मैंने दिया है उसको मान लेना चाहिए अन्यथा इसका यही मतलब होगा कि सरकार डिटेन करने के बाद भी उस व्यक्ति को आधार नहीं बताना चाहती है।

**श्री जैल सिंह :** चेयरमैन साहब, जितने अमेंडमेंट्स आए हैं, रामावतार जी, चटर्जी, यादव साहब, डागा साहब, परुलेकर जी, श्री जेठमलानी और गीता मुखर्जी, इन सबकी मंशा-मुबारिक यही है कि समय 5 दिन का ज्यादा है, दूसरी बात वकील होना चाहिए और तीसरी बात जेठमलानी जी ने कहा कि यह बात सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाती है, मैं सिर्फ इतनी विनती करना चाहता हूं कि इसमें फैक्ट और ग्राउंड, इस बात पर चटर्जी साहब ने बड़ा जोर दिया कि इसके मायने किए जाएं, इसके अर्थ किए जाएं, अर्थ तो शायद मेरे से ज्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन हर एजूकेटेड पर्सन जानता है कि ग्राउंड के माने क्या हैं और फैक्ट के माने क्या हैं और अगर चटर्जी साहब जैसे पर्सन को इस बात की जरूरत है कि उन्हें माने बताए जाएं तो देर बड़ी लग जाएगी, माने तो बताए जा सकते हैं।

जहां तक हमारे दोस्त मुस्लिम लीग के नेता का सवाल है, वे कह रहे हैं कि मेरा अमेंडमेंट बड़ा रीजनेबल है। मैं इतना ही कहूंगा कि रीजनेबल तो है, लेकिन रीजन का कोई टाइम नहीं रहा, एक्सेप्टेबल नहीं है और इतनी मैं प्रार्थना करूंगा कि पैक्ट बहुत डिटेल में आते हैं। मान लीजिए ग्राउंड दे दिया कि इस आदमी ने वहां झगड़ा करने के लिए लोगों को उकसाया है, एक मिसाल के तौर पर, लेकिन फैक्ट में यह भी आ सकता है कि कौन सी जगह, यह भी आएगा, क्या टाइम था, यह भी आएगा, कितनी बार उसने ऐसा किया, लेकिन पब्लिक इंट्रेस्ट में यह बात है कि डिस्क्लोज नहीं करना है तो मैं समझता हूं कि नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : आपके विधि मन्त्री महोदय शर्म अनुभव कर रहे हैं।

**श्री जैल सिंह** : ला मिनिस्टर भी बैठे हैं, स्टीफन साहब बैठे हैं, वहां बहुत लर्नेड पर्सन बैठे हैं, उनके सामने गलत बात करने से कोई फायदा नहीं है। जेठमलानी जी बड़े मशहूर वकील हैं, लेकिन आज मुझे भ्रम हुआ इस बात का कि वकील का काम है कि जब कोई सायल आए उसके पास, बेशक वह लुटेरा हो, कातिल हो, स्मगलर हो, उसकी वकालत करनी होती है, लेकिन पार्लियामेंट के मेम्बर का यह काम नहीं एज ए वकील भी करें, लेकिन आज मैं जेठमलानी जी से आशा रखता था कि यह तो गुण्डागर्दी को खत्म करने के लिए बिल है आप उनकी वकालत क्यो करते हैं। खैर मैं इतना कहता हूं कि

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : श्री ए० के० राय जैसे गुण्डे।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**श्री जैल सिंह** : चटर्जी महाराज ऐसे हैं कि कोई बात वैस्ट बंगाल की आ जाए तो उसी वक्त खड़े हो जाते हैं।

(व्यवधान)

मैं जेठमलानी जी को जानता हूं और मेरे मन में उनकी बड़ी कद्र है और वे मशहूर वकील हैं। लेकिन आज मेरे सामने उन्होंने वकालत की है, मैं यह कहता हूं कि यह आपके खिलाफ आर्डिनेंस नहीं है, बिल नहीं है, यह गुण्डों के खिलाफ है इसलिए मैं कहता हूं कि आप उनकी वकालत न करें।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मीसा पेश करने के वक्त उस समय के० सी० पन्त ने वही बात बोला था और क्या किया था ?

**श्री जैल सिंह** : ज्योतिर्मय बसु एक बात सुनिये।

**श्री एम० एम० लारेंस** (इडुक्की) : यहां तक कि जय प्रकाश नारायण तथा अन्य लोगों को भी गुण्डा कहा गया था। अब भी आप वही सब करेंगे।

**श्री जैल सिंह** : मैंने किस को गुण्डा कहा है ? मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने गुण्डागर्दी को खत्म करने के लिये कहा है।

(व्यवधान)

कहा गया कि एज सून एज मे बी०, यह कंसीडरेशन में जरूर लिखा है, लेकिन जब मे बी लिखा है तो इसके मायने यह हैं कि जल्द से जल्द उनको बताया जाये, ग्राउन्ड बताये जायें। बिल में कहा है इसका मतलब यह है कि 5 दिन से ज्यादा न हो और ज्यादा हो तो उसको कारण बताना पड़े। यह तो कांस्टीट्यूशन की मंशा के मुताबिक है, नहीं तो कोई कह सकता है कि मैं 10 दिन के बाद लूंगा। इसके लिये एक कंडीशन और लगा दी गई है, 5 दिन का समय कोई

ज्यादा समय नहीं है । 5 दिन का समय इसलिये नहीं लिया कि 5 दिन से पहले कोई ग्राउन्ड नहीं बतायेंगे, वह जल्द से जल्द बतायेंगे, लेकिन कुछ टाइम लगाना बहुत जरूरी है ।

एक मेम्बर साहब ने कहा कि सिविलाइरड तरीका नहीं । हम तो उनको सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं, जो अन-सिविलाइज्ड हैं, यह बिल इसीलिये ला रहे हैं । हमारा और तो कोई निशाना नहीं है ।

एक विनती मैं और करना चाहता हूं कि आपने अमेंडमेंट तो पेश कर लिये, उसके साथ ही जो पिछली कहानी सुनाने लगते हैं, अपने तजुर्बे और एक्सपीरियेन्सेज बताने लगते हैं कि हमारे साथ जेल में यह हुआ, वह हुआ, तो न तो पुराने आप रहे हैं और न हम रहे हैं । हम भी नये ढंग से चलते हैं, आप भी नये ढंग से सोचें । जब जमाना आयेगा तो देखा जायेगा, अभी से क्यों डरते हैं ? पुराने तजुर्बे छोड़ दीजिये, इन्सान आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़िये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं खण्ड 8 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

**संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

**मत विभजन संख्या - 46**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| आनन्द सिंह | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू, एम० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास. अजय |
| अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० | वसु, ज्योतिर्मय |
| अराकल, जेवियर | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| बागुन सुम्बरुई | चटर्जी, सोमनाथ |
| बरवा, बनवारी लाल | चतुर्भुज |
| बैठा, डूमर लाल | चौधरी, त्रिदिव |
| बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चव्हाण, यशवन्तराव |
| बालेश्वर राम | चौबे, नारायण |
| बन्सी लाल | चौधरी, सैफुद्दीन |

**पक्ष में**

बहेरा, रास बिहारी
भगत, एच० के० एल०
भारद्वाज, परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोये, रेशमा मोतीराम
बीरेन्द्र सिंह राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दु कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह
बूटा सिंह
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चरणजीत सिंह
चतुर्वेदी, विद्यावती
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चिंगयाग कोनयक
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
डागा, मूलचन्द
दलबीर सिंह
दलबीर सिंह
दास, अनादि चरण
देसाई, बी० वी०
दंडपाणि, सी० टी०
दुबे, रामनाथ
एक्का, क्रिस्टोफर
ईरा अनवारासु
फर्नान्डीस, ओस्कर
गाडगिल, बी० एन०
गधावी, भेरावदन के०
गायकवाड़, आर० पी०
गामित, छीतू भाई
गोमांगो, गिरधर
गौडा, डी० एम० पुत्ते

**विपक्ष में**

दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, रेणुपद
गंगवार, हरीश कुमार
गायत्री देवी, श्रीमती
घोष, निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, इन्द्रजीत
हाल्दर, कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह
हरिकेश बहादुर
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
इन्द्रा कुमारी, श्रीमती
जगपाल सिंह
जाटिया, सत्यनारायण
कंडास्वामी, एम०
खां, गयूर अली
कोडियन, पी० के०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
लारेंस, एम० एम०
मधुकर, कमला मिश्र
महाटा, चित्त
मैत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल
मण्डल, मुकुन्द
मण्डल, सनत कुमार
मसुदल हुसैन, सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, आर० के०
मिश्र, सत्यगोपाल
मोदक, विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
पाल, प्रो० रूप चन्द

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| जदेजा, दौलतसिंह जी | परुलेकर, बापूसाहिब |
| जयदीप सिंह | पाठक, आनन्द |
| जैन, भीकू राम | पटनायक, बीजू |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | राजन, के० ए० |
| जैन, निहाल सिंह | राजदा, रतन सिंह |
| जमीलुर्रहमान | राजेश कुमार सिंह |
| जाटिया, सत्यनारायण | रियान, बाजू बन |
| जेना, चिन्तामणि | राय, ए० के० |
| झा, कमल नाथ | राय, डा० सरदीश |
| जितेन्द्र प्रसाद | राय प्रधान, अमर |
| कामाक्षैया, डी० | साहा, अजित कुमार |
| कमलाकुमारी, कुमारी | शमन्ना, टी० आर० |
| कर्मा, लक्ष्मण | शास्त्री, रामावतार |
| कौल, श्रीमती शीला | सिंह, बी. डी. |
| खां, आरिफ मोहम्मद | सूरज भान |
| खां, जुल्फिकार अली | सूर्य नारायण सिंह |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | तिरकी, पीयूष |
| कोसलराम, के० टी० | त्रिलोक चन्द्र |
| कृष्ण दत्त | उन्नीकृष्ण, के० पी० |
| कृष्ण, एस० एम० | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| कृष्ण प्रताप सिंह | वर्मा, रवीन्द्र |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | वर्मा, फूलचन्द |
| कुंचन, गंगाधर एस० | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| कुंवर राम | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| लकप्पा, के० | वर्मा, शिवसरण |
| लास्कर, निहार रंजन | यादव, डी० पी० |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| महावीर प्रसाद | यादव, विजय कुमार |
| महाजन, विक्रम | जायनल अबेदिन |
| मकवाना, नरसिंह | |
| मालन्ना, के० | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मायातेवर, के० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मीणा, रामकुमारी | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी० राजगोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, वी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पदायाची, एस० एस० रामास्वामी | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |
| पाटिल, ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, एस० बी० पी० | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| काजी सलीम | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, पी० वी० जी० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| रणवीर सिंह | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० एस० | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| समीनुद्दीन | |
| साठे, वसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सिन्धिया, माधवराव | |
| सेबस्तियन, एस० ए० दोराई | |
| सेठी, अर्जुन | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, चिरंजी लाल | |
| शर्मा, काली चरण | |
| शर्मा, नन्दकिशोर | |
| शर्मा, प्रताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिव शंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, डा० बी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुब्बा, पी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दर सिंह | |
| सूर्यवन्शी, नरसिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| ठाकुर, शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| टुडु, मनमोहन | |
| वैराले, मधुसूदन | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| वर्मा, जय राम | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| बर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| व्यास, गिरधारी लाल | |
| वासनिक, वालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 196

विपक्ष में : 82

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 8 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्री जी० पी० अनुरागी |
| | श्री नवीन रवाणी |
| | श्री नटवरसिंह सोलंकी |
| | श्री कल्पनाथ सोनकर |
| | डी० पत्तुस्वामी |
| **विपक्ष में :** | श्री मोती भाई आर० चौधरी |
| | श्री चरणसिंह |

**खण्ड 9**

**श्री सत्यनारायण जाटिया** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

**पंक्ति 1 से 3 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड ऐसे तीन व्यक्तियों से मिलकर गठित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं ।" (10)

**श्री जी. एम. बनातवाला :** मैं प्रस्ताव करता हू कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 2 और 3,—

"या नियुक्त किए जाने के लिए आई है" का **लोप कर दिया जाये ।** (11)

पृष्ठ 5, पंक्ति 6,—

"या रह चुका है" का **लोप कर दिया जाए ।** (12)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 8 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्त:स्थापित किया जाए :**

"(4) उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक बोर्ड समुचित सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट विरोध के सब मामलों के बारे में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मामले में निरोधक आधार और उन पर उसकी राय भी होगी और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को भिजवाएगा और उन्हें यह निदेश देगा कि वे प्रतिवेदन विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखें ।" (82)

**श्री मूलचन्द डागा :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 1 से 8 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(2) ऐसे प्रत्येक बोर्ड का गठन समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिशों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) ऐसा प्रत्येक बोर्ड अध्यक्ष और कम से कम दो अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा, और अध्यक्ष समुचित उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश होगा और अन्य सदस्य किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत या सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे ।" (30)

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 1 से 3 **के स्थान पर** निम्न **प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(2) ऐसा प्रत्येक बोर्ड तीन व्यक्तियों को मिलकर गठित होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अथवा रह चुके हैं ।" (104)

**श्रीमती गीता मुखर्जी :** मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"समुचित सरकार" ' के स्थान पर "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (164)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"समुचित सरकार" के स्थान पर "उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (165)

पृष्ठ 5, पंक्ति 7 और 8,—

"किसी व्यक्ति की, जो किसी राज्य के न्यायालय का न्यायाधीश है, नियुक्ति, समवृक्त राज्य सरकार के अनुमोदन से की जाएगी" के **स्थान पर** "उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी जो किसी राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (166)

**श्री मुकुन्द मंडल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4, पंक्ति 36,—

"जब भी आवश्यक हो," का **लोप कर दिया जाए ।** (191)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1,—

"तीन व्यक्तियों" के स्थान पर "पांच व्यक्तियों" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (192)

**श्री हन्नान मोल्लाह** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"समुचित सरकार" के स्थान पर "उच्चतम न्यायालय या सम्बन्धित उच्च न्यायालयों" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (193)

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 3,—

"समुचित सरकार" के स्थान पर "समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सिफारिशों" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (202)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 4 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित **प्रतिस्थापित किया जाए :**

"(3) प्रत्येक सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो समुचित उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश हो ।" (203)

**प्रो० रूपचंद पाल** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति !,—

"तीन व्यक्तियों" के **स्थान पर** "नौ व्यक्तियों" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (247)

पृष्ठ 5, पंक्ति 3, —

"समुचित सरकार" **के स्थान पर** "उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय"

**प्रतिस्थापित किया जाए ।** (248)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 2 और 3,—

"या रह चुके हैं या नियुक्त किए जाने के लिए आई है" **का लोप कर दिया जाए ।** (267)

**श्री सत्य नारायण जाटिया** : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब छोड़िये ।

**एक माननीय सदस्य** : दो-दो मिनट दे दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : दो-दो मिनट करके बहुत हो रहा है ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, दोनों हाथों से ताली बजती है । एक किस्म से सारा सलाह करके जितना वक्त दिया था उससे डबल वक्त दिया है । फिर भी, ठीक है अगर करना चाहते हैं तो कीजिए ।

अच्छी बात है, मैं कल इस बारे में विचार करूंगा ।

**श्री सत्य नारायण जाटिया** : अध्यक्ष महोदय, मेरा ही नम्बर आया तो आप ऐसा कर रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमान जाटिया, मैं केवल आपसे नहीं, सारे सदन से बात कर रहा हूं । (व्यवधान) । मैं सहयोग करना चाहता हूं, मैं समझता हूं आपको भी सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए ।

**श्री सत्य नारायण जाटिया** : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति को निरोध में लिया जायगा उसकी समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारें तीन व्यक्तियों के तीन सदस्यीय बोर्ड को नियुक्त करेंगीं लेकिन वह ऐसे लोग होंगे जिनको कि सरकार नियुक्त करना चाहेगी । अगर न्याय ही देना है और न्याय की बात करनी है तो पूरे मन से करें । हाई कोर्ट के जज क्यों न उसका फैसला करें । मैं सोचता हूं कि न्याय की बात सरकार के दिमाग में नहीं है, केवल न्याय का नाटक करके अपने विरोधियों को किसी न किसी प्रकार से दबाने के लिए शुरूआत है, ऐसा मैं समझता हूं । यह प्रजातंत्र है और

प्रजातंत्र के अन्दर न्याय की जो व्यवस्था है वह स्वतंत्र होनी चाहिए। न्याय हो, यही काफी नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से यह दिखाई देना चाहिए कि न्याय किया गया। इसलिए आवश्यक है कि यह जो न्याय की बात है इसे आधे मन से न किया जाय। न्याय देने के लिए तीन हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने चाहिएं जो हर प्रकार से उसकी बात सुनने के लिए तत्पर हों। ऐसे लोग न हों जिनकी नियुक्ति राजनैतिक कृपा के आधार पर कर दी गई हो और जो सरकार की मर्जी के अनुसार कार्य करें। इसलिए मैं चाहूंगा कि तीन हाईकोर्ट के जजों के माध्यम से इसका फैसला होना चाहिए।

**श्री मूलचंद डागा** : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। गृह मन्त्री जी ने पहले आर्डिनेन्स लागू किया था लेकिन आर्डिनेन्स के जो क्लाजेज थे उनको ऐक्ट में बदल दिया।

आपने जब प्रिवेन्टिव डिटेंशन ऐक्ट पेश किया था तब आपने कहा था :

"इस तरह के प्रत्येक बोर्ड का संविधान समुचित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और इस तरह के प्रत्येक बोर्ड की सिफारिशों के अनुरूप होगा।"

इसी प्रकार से जब आपने प्रिवेंशन आफ ब्लैक-मार्केटिंग एण्ड मेन्टिनेन्स आफ एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट पास किया उसमें भी आपने हाईकोर्ट के जज को रखा। इसी तरह से कंजर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज एण्ड प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टिविटीज ऐक्ट पास किया तो उसमें भी आपने हाईकोर्ट के जज को रखा। आप जब इस आर्डिनेन्स को लाए तब भी आपने हाईकोर्ट को ही रखा लेकिन अब बिल में आप अपनी च्वाइस का आदमी रखना चाहते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप मेहरबानी करके हाईकोर्ट को पावर दीजिए और हाईकोर्ट को एप्वाइन्ट कीजिए।

**श्री अटल बिहारी बाजपेयी** (नई दिल्ली) : मैं श्री डागा का समर्थन करता हूं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मेरी बात भी श्री डागा की बात जैसी है। मैं श्री डागा का समर्थन करती हूं।

**श्री हन्नान मोल्लाह** : मेरी बात भी श्री डागा की बात जैसी है। मैं श्री डागा का समर्थन करता हूं।

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं भी डागा जी के अमैंडमैंट का समर्थन करता हूं। साथ ही मैं चाहता हूं कि सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष हो वह भी सिटिंग जज ही होना चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : इस संशोधन के सम्बन्ध में हम गृह मन्त्री से विशेष अनुरोध करते हैं। श्री डागा ठीक कह रहे हैं। जो अध्यादेश जारी किया गया उसमें—मैं इसे मन्त्रिमंडल की स्वीकृति से जारी किया गया मानता हूं—आपने इस बात का प्रावधान किया है कि सलाहकार बोर्ड में न्यायाधीश होना चाहिए— वर्तमान न्यायाधीश अथवा निवर्तमान न्यायाधीश। चवालीसवें संशोधन विधेयक द्वारा संशोधन संस्थापित किया गया था। जिसे छठी लोकसभा का प्रचंड समर्थन प्राप्त था, श्री स्टीफन और श्री साठे तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने जो उस समय विपक्ष में थे, उसका समर्थन किया था। अब आप नैतिक रूप से तथा संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। इसलिए

मेरा अनुरोध है कि अनुच्छेद 22 (ग) के सम्बन्ध में एक अधिसूचना जारी न करने में हुई जनता पार्टी की आकस्मिक अथवा सुविचारित, जो भी कमी का लाभ उठाते हुए कार्यपालिका निर्णय की मात्र आकस्मिक परिस्थितियों के कारण अनुच्छेद 22 (ग) के संशोधन के सम्बन्ध में वह अधिसूचना जारी नहीं की गई जी; यही कारण है कि वह सही अर्थों में सविधान का अंग नहीं बन पाया है—संसद के उस सुविचारित निर्णय की अवहेलना न करिए जिस पर कांग्रेस (आई) के सदस्यों की रजामन्दी थी। इसलिए, मैं गंभीरता-पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि वे अध्यादेश पर प्रनर्विचार करें, उसमें क्या है; इस सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। जहां तक सलाहकार बोर्ड का सम्बन्ध है, वे उसे स्वीकार करें।

**श्री जैलसिंह :** स्टीफन साहब, इस मामले पर बड़ी रीजनेबल बात सदस्यों ने कही है। लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो बिल है वह भारतीय संविधान के अनुसार है और जो हमारे डागाजी ने कहा है कि पहले जो आर्डिनेन्स जारी किया था उसको क्यों बदल दिया गया।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** गृह मंत्री के अनुसार वह अध्यादेश गैर कानूनी है। क्या बात कर रहे हैं? अध्यादेश गैर कानूनी है, अधिकार के परे है।

(व्यवधान)

**श्री जैल सिंह :** चटर्जी साहब, आप तशरीफ रखिए। यह पार्लियामेंन्ट जो है वह लॉ मेकर है, अगर कोई गलत लॉ बना हो तो उसको समाप्त करके नया लॉ बनाया जा सकता है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** इस तरह के नैमित्तिक तरीके से उन्हें इस मामले को नहीं संभालना चाहिए।

**श्री रवीन्द्र वर्मा :** संसद कानून बदल सकती है, कानून तोड़ नहीं सकती।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** आर्डिनेन्स को क्यों बदला?

**श्री जैलसिंह :** आर्टिकल 22 की क्लाज–4 को जरा गौर से देखिए :

"निवारक निरोध उपबन्धित करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक कालावधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत तब तक न करेगी जब तक कि—

तीन महीने की अवधि कान्स्टीचूशन में दी हुई है और आगे बोर्ड को अधिकार है—

"ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, रह चुके हैं अथवा नियुक्त होने की अर्हता रखते हैं, मिलकर बनी मंत्रणा मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण हैं।

यहां पर यह लिखा है कि जज बनने के जो काबिल है – वह रिटायर्ड जज हो, जज भी कह सकते हो, लेकिन हम तो कान्स्टीचूशन के मुताबिक चलते हैं। इसीलिए आर्डिनेन्स में यह गलती रह गई थी, उसको दुरुस्त किया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : इसमें आपका भी हाथ है। क्या आपकी दलील यह है कि अध्यादेश शक्तिवाहन है ? आपने अध्यादेश में शक्तिवाहन उपबन्ध गलती से किया है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : अध्यादेश के अधीन कितने लोगों सो नजरबंद किया गया है ?

**श्री जैल सिंह** : मैं कान्स्टीचूशन के खिलाफ उसको नहीं मानता हूं, लेकिन कान्स्टीचूशन के मुताविक·····

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : फिर इसे अध्यादेश में शामिल क्यों किया ? क्योंकि उन्होंने यह समझा कि जनता सरकार ने अधिसूचना जारी की थी। जब उन्होंने यह समझा कि यह जारी नहीं की गई तव उन्हें इसमें परिवर्तन करना पड़ा।

**श्री जैल सिंह** : चटर्जी साहव, आप जरा यह भी देख लीजिए : ·····

(व्यवधान)

स्पीकर साहब, उनको कहिए, यदि वे दोवारा बोलना चाहते हैं, तो बोललें, लेकिन मेरी वात पूरी हो जाने दें। यह कहा गया है कि 44 अमैंडमैंट अभी तक कान्स्टीचूशन का हिस्सा नहीं बना, यह जनता सरकार की गलती है। उसका फायदा हम उठाते हैं—यह वात गलत है। हम इसका फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि जब 44 अमैंडमैंट इस सदन में पास हुआ तो इसो पार्लियामेंट ने यह अधिकार भी दिया कि इसकी जो भी धारायें हैं, वे जब तक गवर्नमेंट नोटिफाई नहीं करती है, तब तक वे कान्स्टीचूशन का हिस्सा नहीं बनतीं। मैं आपको और बताता हूं —एक ही नहीं अब तक कान्स्टीचूशन के अन्दर संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम, 1956 :

> "धारा 8 (2) के अंतर्गत अनुच्छेद 168 के खण्ड-1 (क) में 'मध्य प्रदेश' शब्द मध्य प्रदेश में विधान परिषद की स्थापना का अधिकार प्रदान करता है" इस उपबन्ध को अभी भी लागू नहीं किया गया है।

1956 का प्रोवीजन जो है, वह अब तक नहीं आया, क्योंकि सरकार को इसका अधिकार है कि वह जब चाहे नोटीफाई करे। इससे आगे:

संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1956 के उपबन्ध अभी तक लागू नहीं किए गए हैं :

धारा 18—संशोधी अनुच्छेद 100
धारा 19—संशोधी अनुच्छेद 102
धारा 21—संशोधी अनुच्छेद 106
धारा 22—संशोधी अनुच्छेद 118
धारा 31—संशोधी अनुच्छेद 189
धारा 32—संशोधी अनुच्छेद 191

ये अब तक पड़े हुए हैं, हिन्दुस्तान के संविधान का हिस्सा नहीं बन सके । न बनने की ताकत किसने दी है—पार्लियामेन्ट ने दी है । यह पार्लियामेन्ट का दिया हुआ अधिकार है जो सरकार इस्तेमाल नहीं करती—इसलिये मैं समझता हूं कि उसकी बुद्धि, दीर्घकालिक दृष्टि और समय के अनुसार काम करने की अकल होनी चाहिये । इसको उस सरकार ने नहीं किया या इस सरकार ने नहीं किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मगर यह हकीकत है कि पार्लियामेन्ट के दिये हुए अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह कांस्टीचूशन का हिस्सा नहीं बना । हमने जो धारा रखी है वह कांस्टीचूशन के मुताबिक है । आपको कांस्टीचूशन के खिलाफ़ नहीं जाना चाहिये, संवैधानिक तरीके से इस की बहस करनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 9 के सभी संशोधन एक साथ रखता हूं ।

**संशोधन रखे गये और अस्वीकृत हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

**अनेक माननीय सदस्य** : हम मत विभाजन चाहते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा दीर्घायें खाली की जायें ।

**अध्यक्ष महोदय** : दीर्घायें खाली कर दी गई हैं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

**मत विभाजन संख्या 47**

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी अलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बर्मन, पलाश |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बसु, चित्त |
| आनन्द सिंह | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | बसु, ज्योतिर्मय |
| अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० | चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन |
| अराकल, जेवियर | चटर्जी, सोमनाथ |
| आजाद, भागवत झा | चतुर्भुज |
| बागुन सुम्बरुई | चौधरी, मोतीभाई आर० |
| बरवा, बलवारी लाल | चौधरी, त्रिदिव |
| बैठा, डूमर लाल | चव्हाण, यशवन्तराव |
| बाजपेयी, राजेन्द्र कुमारी | चौबे, नारायण |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| बालेश्वर राम | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बन्सी लाल | दंडवते, प्रो० मधु |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भगत, एच० के० एल० | दास, रेणुपद |
| भक्त, मनोरंजन | गंगवार, हरीशकुमार |
| भारद्वाज, परसराम | घोष, निरेन |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भोई, डा० कृपासिन्धु | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| भोये, रेशमा मोतीराम | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| बीरेन्द्रसिंह राव | गुप्त, इन्द्रजीत |
| बोड्डेपल्ली, राजगोपाल राव | हन्नार मोल्लाह |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | हसदा, मतिलाल |
| बृजेन्द्रपालसिंह | होरो, एन० ई० |
| बूटा सिंह | जगपाल सिंह |
| चक्रधारी सिंह | जाटिया, सत्यनारायण |
| चन्द्रशेखर सिंह | जेठमलानी, राम |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | खां, गयूर अली |
| चरणजीत सिंह | कोडियन, पी० के० |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | कुरियन प्रो० पी० जे० |
| चव्हाण, एस० बी० | लारेंस, एम० एम० |
| चेन्नपत्ति श्रीमती विद्या | मधुकर, कमला मिश्र |
| चिंगयाग कोनयक | महाटा, चित्त |
| चिन्नास्वामी, सी० | मैत्रा, सुनील |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | मंडल, धनिक लाल |
| डागा, मूलचन्द | मंडल, मुकुन्द |
| दलबीर सिंह | मंडल, सनत कुमार |
| दलवीर सिंह | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| दास, अनादिचरण | महालगी, आर० के० |
| देसाई, बी० बी० | मिश्र, सत्यगोपाल |
| दंडपाणि, सी० टी० | मोदक, विजय |
| दिग्विजय सिंह | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| डोंगरा, गिरधारी लाल | मुरुगैयन, एस० |
| एक्का, क्रिस्टोफर | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| ईरा अनबारासु | नगनगोम मोहेन्द्रा |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| फर्नान्डीस, ओस्कर | परुलेकर, बापूसाहिब |
| गाडगिल, बी० एन० | पटनायक, बीजू |
| गधावी, भेरावदन के० | राजन, के० ए० |
| गायकवाड़, आर० पी० | राजदा, रतनसिंह |
| गामित, छीतुभाई | राजेश कुमार सिंह |
| घोरपाडे, आर० वाई० | रियान, बाजू बन |
| मोहिल, जी० बी० | राय, ए० के० |
| गोमांगो गिरिधर | राय, डा० सरदीश |
| गौडा, डी० एम० पुत्ते | राय प्रधान, अमर |
| हाकम सिंह | साहा, अजित कुमार |
| हेम्ब्रम, सेत | शमन्ना, टी० आर० |
| जदेजा, दौलतसिंह जी | शास्त्री रामावतार |
| जैन, भीकू राम | सिंह, बी० डी० |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | सूरज भान |
| जमीलुर्रहमान | सूर्य नारायण सिंह |
| जेना, चिन्तामणि | तिलोक चन्द्र |
| झा, कमल नाथ | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| जितेन्द्र प्रसाद | वर्मा, रवीन्द्र |
| कामाक्षैया, डी० | वर्मा रीत प्रसाद |
| कमलाकुमारी, कुमारी | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| कंडास्वामी, एम० | वर्मा, शिवचरण |
| कर्मा, लक्ष्मण | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| कौल, श्रीमती शीला | जायनल अबेदिन |
| खां, जुल्फिकार अली | |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | |
| कोचक, गुलाम रसूल | |
| कोसलराम, के० टी० | |
| कृष्ण दत्त | |
| कृष्ण, एस० एम० | |
| कृष्ण प्रताप सिंह | |
| क्षीरसागर श्रीमती केशरबाई | |
| कुचन, गंगाधर एस० | |
| कुंवर राम | |
| लकप्पा के० | |
| लक्ष्मण जी० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह श्रीमती | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना, नरसिंह | |
| मालन्ना के० | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मायातेवर के० | |
| मीणा, रामकुमार | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी० राजगोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तु भाई | |
| पाटिल ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शिवराज बी० | |
| पाटिल, वसन्त राव | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पट्टाभि रामा राव, एस० वी० पी० | |
| पेंचालैया, पसाला | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, पी० वी० जी० | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० रामगोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| साठे, वसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सिन्धिया, माधवराव | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, कालीचरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, प्रताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिवशंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, डा० वी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोलंकी, नटवरसिंह | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुब्बा, पी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहनलाल | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| ठाकुर शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| टुडु, मनमोहन | |
| बैरालै, मधुसूदन | |
| वर्मा, जय राम | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| विजयराघवन, बी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**अध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में—197

विपक्ष में—75

मत विभाजन 'हां' वालों के पक्ष में हुआ ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

**पक्ष में :** श्री सुन्दर सिंह

श्री रामचन्द्र रथ

**विपक्ष में :** श्री चरण सिंह

श्री हरिकेश बहादुर

**खण्ड 10**

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11 और 12,—

"उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर" **के स्थान पर** "यथाशक्य शीघ्र किन्तु किसी भी दशा में उस आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के निरोध की तारीख से एक सप्ताह के भीतर" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (77)

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11,—

"तीन सप्ताह" के स्थान पर "पांच दिन" प्रतिस्थापित किया जाए। (83)

**श्री चित्त बसु** (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हू :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11,—

"तीन सप्ताह" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए। (95)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 11,—

"तीन सप्ताह" के स्थान पर "सात दिन" प्रतिस्थापित किया जाए : (136)

**श्री राम जेठमलानी** : महोदय, खण्ड 10 में मेरा संशोधन संख्या 77 कहीं अच्छा है। यह कार्यपालिका विकृत कानून को स्थायी बनाने के लिए कृतसंकल्प है। संविधानी शक्ति के रूप में कार्य करते हुए इस देश की विधायिका ने अनुच्छेद 22 में संशोधन किया है और कार्यपालिका इसे लागू करने के लिए तैयार नहीं है। यदि आप मंत्रणा बोर्ड के स्वरूप में सुधार करने के लिए, तैयार नहीं हैं तो मैं यह कहूंगा कि विधेयक में की गई व्यवस्था के अनुसार मंत्रणा बोर्ड को भेजकर अधिक समय नष्ट न करें। यह यथाशीघ्र होना चाहिए परन्तु किसी भी स्थिति में आदेश के अधीन किसी व्यक्ति के नजरबंद करने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर होना चाहिए।

महोदय, वे मंत्रणा बोर्ड द्वारा तीन महीने की अवधि के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने से अधिकाधिक लाभ उठाना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते थे लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते वे मानवीय आजादी की परवाह न करते हुये कानून की त्रुटियों से अधिकाधिक लाभ उठाना चाहते हैं।

पहला कानून इस बात पर आधारित था कि निवारक नजरबन्दी कानून को केवल अनुच्छेद 22 का पालन करना चाहिये। वर्तमान स्थिति के अनुसार निवारक नजरबन्दी कानून को न केवल अनुच्छेद 22 का पालन करना चाहिये बल्कि अनुच्छेद 19 का भी पालन करना चाहिये। अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत इससे एक उचित प्रतिबंध की व्यवस्था होनी चाहिथे। यदि आप सलाहकार बोर्ड के पास जाने के लिये तीन महीनों तक प्रतीक्षा करना चाहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप किसी व्यक्ति को बिना सुनवायी और सलाहकार बोर्ड की सलाह के बिना नजरबन्द करना चाहते हैं। यह अनुचित है। यदि आप सभा में दी गयी संवैधानिक सलाह को नहीं सुनना चाहते तो लड़ाई अदालतों में लड़ी जायेगी।

**श्री जी० एम० बनातवाला** (पोन्नानी) : मैंने अपने संशोधन रख दिये हैं। मुझे और कुछ नहीं कहना।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद।

**श्री चित्त बसु** : जैसा कि आप देख रहे हैं नजरबन्दी के कारण बताए जा सकते हैं तथा 3 सप्ताह के भीतर परामर्श समिति के समक्ष रखे जा सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा किया गया है ।

**श्री चित्त बसु** : जैसे ही किसी व्यक्ति को बन्दी बनाया जाये उसे तुरन्त उसके कारण बताये जायें । इसीलिए मैंने संशोधन रखा है । इसीलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए ।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैंने संशोधन दिया है कि इस अवधि को सात दिन ही रखा जाना चाहिए ।

**गृह मंत्री (श्री जैल सिंह)** : स्पीकर साहब, इस मामले में श्री जेठमलानी जी के सुझाव को मैंने बड़े आदर और प्रेम के साथ सुना है । यह तो उन्होंने एक थ्यौरी बतायी है लेकिन आज इन्सान पुराने जमाने का नहीं है इसीलिए यह सारे उपाय किये जा रहे हैं और इखलाख के मुताबिक इस बिल में बहुत से सेफगार्डस भी रखे गये हैं । इनके मुताबिक इस बात को लाजमी किया गया है कि सारे मामले को तीन हफ्ते की अवधि के अन्दर एडवायजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा ।

जो तरमीमें पेश की गयी हैं उसमें आमतौर पर यही सुझाव दिया गया है कि तीन हफ्ते की अवधि को कम किया जाए । लेकिन यह सरकार के हक में भी और डिटेन्यु के हक में भी नहीं होगा क्योंकि इतनी अवधि में दोनों ही अच्छी तरह से सोच सकते हैं ताकि कोई गलती न हो । इसलिए मैं इस तरमीम को मानने में लाचार हूं ।

**क्षध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 10 के सभी संशोधन (संख्यां 77, 83, 95 और 136) सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन 77, 83, 95 तथा 136 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ**

**मत विभाजन संख्या—48**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अशफाक हुसैन |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| आनन्द सिंह | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू, एम० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | बसु, ज्योतिर्मय |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अप्पाला नायडू, एम० आर० ए० एस० | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| अराकल, जेबियर | चरण सिंह |
| आजद, भागवत झा | चटर्जी, सोमनाथ |
| बागुन सुम्बरुई | चतुर्भुज |
| बरवा, बनवारी लाल | चौधरी, मोतीभाई आर० |
| बैठा, डूमर लाल | चौधारी, त्रिदिव |
| वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चव्हाण, यशवन्तराव |
| बालेश्वर राम | चौबे, नारायण |
| बन्सीलाल | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बरवे, जे० सी० | दंडवते, प्रो० मधु |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भगत, ऐच० के० एल० | दास, रेणुपद |
| भक्त, मनोरन्जन | गंगवार, हरीश कुमार |
| भारद्वाज, परसराम | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भोई, डा० कृपासिन्धु | गहलोत, अशोक |
| भोये, रेशमा मोतीराम | घोष, निरेन |
| बीरेन्द्र सिंह राव | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| बोड्डेपल्ली, राजगोपाल राव | गिरि, सुधीर |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | गुप्त, इन्द्रजीत |
| बूटा सिंह | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| चक्रधारी सिंह | हन्नान मोल्लाह |
| चन्द्र शेखर सिंह | हसदा, मतिलाल |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | होरो, एन० ई० |
| चरणजीत सिंह | जगपाल सिंह |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | जाटिया, सत्यनारायण |
| चव्हाण, एस० बी० | जेठमलानी, राम |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | खां, गयूर अली |
| चिंगयाग कोनयक | कोडियन, पी० के० |
| चौधरी, चित्तुरी सुब्बा राव | कुरियन, प्रो० पी० जे० |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | लारेंस एम० एम० |
| डागा, मूलचन्द | मधुकर, कमला मिश्र |
| दलबीर सिंह | महाटा, चित्त |
| दलबीर सिंह | मैत्रा, सुनील |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| दास, अनादि चरण | मंडल, धनिक लाल |
| डेनिस, एन० | मण्डल, मुकुन्द |
| देसाई, बी० बी० | मण्डल, सनत कुमार |
| दंडपाणि, सी० टी० | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| दिग्विजय सिंह | महालगी, आर० के० |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मिश्र, सत्यगोपाल |
| दुबे, राम नाथ | मोदक, विजय |
| एक्का, क्रिस्टोफर | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| ईरा अनवारासु | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| फर्नांडीस, ओस्कर | पाल, प्रो० रूप चन्द |
| गाडगिल, बी० एन० | पटनायक, बीजू |
| गधावी, भेरावदन के० | राजन, के० ए० |
| गामित, छीतुभाई | राजदा, रतनसिंह |
| घोरपाडे, आर० वाई० | राजेश कुमार सिंह |
| गोहिल, जी० बी० | रियान, बाजू बन |
| गोमांगो, गिरिधर | राय, ए० के० |
| गौडा, डी० एम० पुत्ते | राय, डा० सरदीश |
| हाकम सिंह | राय प्रधान, अमर |
| हेम्ब्रम, सेत | साहा, अजित कुमार |
| जदेजा, दौलतसिंहजी | शमन्ना, टी० आर० |
| जैन, भीकू राम | शास्त्री, रामावतार |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | सिंह, बी० डी० |
| जमीलुर्रहमान | सूरज भान |
| जेना, चिन्तामणि | सूर्य नारायण सिंह |
| झा, कमल नाथ | तिरकी, पीयूष |
| जितेन्द्र प्रसाद | त्रिलोक चन्द्र |
| कामाक्षैया, डी० | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| कमलाकुमारी, कुमारी | वर्मा, रवीन्द्र |
| कंडास्वामी, एम० | वर्मा, फूंलचन्द |
| कर्मा, लक्ष्मण | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| कौल, श्रीमती शीला | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | वर्मा, शिवशरण |
| कोसलराम, के० टी० | यादव, विजय कुमार |
| कृष्ण दत्त | जायनल अबेदिन |
| कृष्ण, एस० एम० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| कृष्ण प्रताप सिंह | |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | |
| कुचन, गंगाधर एस० | |
| कुंवर राम | |
| लक्कप्पा, के० | |
| लक्ष्मनन्, जी० | |
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | |
| महावीर प्रसाद | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना, नरसिंह | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मायातेवर, के० | |
| मीणा, रामकुमार | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुरुगैयन, एस० | |
| नगीना राय | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, वसन्त राव | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, एस. वी. पी. | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, वी० वी० जी० | |
| *राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रंगा, प्रो० एन० जी० | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राउत, भोला | |
| खाणी, नवीन | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| समीनुद्दीन | |
| साठे, वसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, कालीचरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, प्रताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिव शंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, डा० बी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोलंकी, नटवर सिंह | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुब्बा, पी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दरसिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| ठाकुर, शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| टुडु, मनमोहन | |
| बैरागे, मधुसूदन | |
| वर्मा, जयराम | |
| बेंकटरामन, आर० | |
| वर्मा श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| बैनुल बशर | |

**अध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम निम्न प्रकार रहा :

पक्ष में : 193

विपक्ष में : 76

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन किया :

पक्ष में : श्री सी० पी० एन० सिंह
श्री आश करन शंकवार
श्री एन० सुन्दर राजन

खण्ड 11

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 21,—

**"स्वयं" का लोप कर दिया जाए ।** (13)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

**"का हकदार न बनाएगी" के स्थान पर "से वंजित न करेगी" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (14)

पृष्ठ 5, पंक्ति 22,—

"सात सप्ताह" के स्थान पर "तीन सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए । (84)

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 और 28, —

"ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जायेगा" के स्थान पर "बोर्ड की यह राय समझी जायेगी कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है" प्रतिस्थापित किया जाए । (85)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31 से 33,—

"तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी" का लोप कर दिया जाए । (86)

**श्री राम जेठमलानी** (बम्बई उत्तर-पश्चिम) ; मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 29 से 33 का लोप कर दिया जाए । (78)

**श्री सत्यनारायण जाटिया** (उज्जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5,—

"पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(4) वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए विधि व्यवसायी की सहायता प्राप्त कर सकेगा तथा उसके लिए प्रदान किये जाने वाले निर्णय की कार्यवाही गोपनीय नहीं होगी ।" (15)

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 22,—

"सात सप्ताह" के स्थान पर "दस दिन" प्रतिस्थापित किया जाए । (137)

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 21,—

"स्वयं" के पश्चात् "और यदि वह चाहे, तो उसके पसन्द के अधिवक्ता के माध्यम से उसे" अन्तःस्थापित किया जाए । (181)

पृष्ठ 5, पंक्ति 22,—

"सात सप्ताह" के स्थान पर "दो सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाए । (182)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 27 और 28,—

"तब ऐसे सदस्यों की बहुसंख्या की राय को बोर्ड की राय समझा जायेगा" के स्थान पर "तब निरोध आदेश रद्द समझा जायेगा और निरुद्ध व्यक्ति अविलम्ब रिहा कर दिया जायेगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (206)

पृष्ठ 5, —

पंक्ति 29 से 33 के स्थान पर "निम्नलिखित" प्रतिस्थापित किया जाए :

"(4) इस धारा की सभी बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है, इस बात का हकदार बनाएगी कि वह सलाहकार बोर्ड को निर्देश से सम्बन्धित सभी मामले में विधि व्यवसायी द्वारा हाजिर हो तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित व्यक्ति को निःशुल्क प्राप्त करे।" (207)

**श्री टी० आर० शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 22,—

"सात सप्ताह" के स्थान पर "एक सप्ताह" प्रतिस्थापित किया जाये। (239)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"(5) असाधारण प्रतिस्थितियों में के सिवाय सरकार सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार और लागू करेगी।" (240)

**प्रो० रूपचन्द पाल** (हुगली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 29 और 30,—

"इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है, इस बात का हकदार न बनायेगी" के स्थान पर "कोई भी व्यक्ति, जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है इस बात का हकदार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए। (250)

पृष्ठ 5, पंक्ति 31 से 33,—

"तथा सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस भाग के सिवाय, जिसमें बोर्ड की राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी" के स्थान पर "और वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा निरोध आदेश

तामील किया गया है, उसी निरोध आदेश को विधि न्यायालय में चुनौती देने का हकदार होगा" **प्रतिस्थापित किया जाए ।** (251)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (यादवपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"न" का **लोप कर दिया जाये ।** (272)

**श्री सत्य नारायण जाटिया** (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, डिटेंशन करने के बाद उस व्यक्ति को न्याय मिल सके, इसके लिए न कोई वकील, न कोई अपील और न दलील देना, मैं समझता हूं कि कोई न्यायसम्मत नहीं होगा । इसलिये मैं समझता हूं कि डिटेन किये हुए व्यक्ति के लिये वकील और कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिये प्रावधान किया जाना चाहिये ।

न्यायालय का जो निर्णय हुआ है, उस फैसले को काफीडैंशियल रखने का कोई कारण नहीं है, उस व्यक्ति को उसकी पूरी जानकारी दी जानी चाहिये ।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : कारण बताने के लिए सरकार सात सप्ताह क्यों लेती है ? बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को इतनी लंबी अवधि तक हिरासत में क्यों रखा जाये । इनके पास सभी बातें तैयार हैं इसलिए दो सप्ताह की अवधि पर्याप्त है ।

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं इसके जरिये दो बातें कहना चाहता हूं । सलाहकार बोर्ड के मेम्बरों में अगर आपसी मतभेद हो तो वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति को निरोध किया गया है, उसको तुरन्त रिहा किया जाना चाहिये । इतने बड़े सवाल पर अगर मतभेद होता है तो इससे जाहिर होता है कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, तभी सलाहकार बोर्ड में मतभेद हो सकता है ।

इसके अलावा चाहे रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, उसको फ्री आफ कास्ट कागजात दिये जाने चाहियें और वकील रखने की आजादी होनी चाहिये ।

**श्री टी० आर० शमन्ना** : महोदय, मैंने दो संशोधन पेश किए हैं, उनमें से एक सलाहकार बोर्ड के निर्णय से सम्बन्धित है । यहां सलाहकार बोर्ड को सात सप्ताह और नजरबन्द करने वाले प्राधिकारी को तीन सप्ताह का समय दिया गया है । इसका मतलब है कि ये सात और तीन सप्ताह को मिलाकर समय हुआ, अर्थात् दस सप्ताह तथा साथ में नजरबन्द के लिए 12 महीने यह बहुत लम्बा समय है । न्याय दिलाने में देरी करना न्याय से वंचित करना है । इसी कारण मैंने यह संशोधन पेश किया है कि 7 सप्ताह की बजाय वहां एक सप्ताह प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

इसके बाद, मैंने दूसरा संशोधन पेश किया है । सलाहकार बोर्ड का गठन सरकार द्वारा किया जाता है । इसी कारण मैंने अपना यह संशोधन पेश किया है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, सरकार को सलाहकार बोर्ड के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए ।

**प्रो० रूपचन्द पाल** : महोदय, मेरा संशोधन बहुत ही सीधा और निर्दोष है। मुझे आशा है, दूसरे पक्ष में बैठे लोग इसे कम से कम स्वीकार तो करें। मेरे संशोधन का प्रयोजन यह है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ नजरबन्दी आदेश दिया जाए, उसे न्यायालय में चुनौती देने की अनुमति होनी चाहिए और कार्यवाही खुले आम होनी चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : विधेयक में खन्ड 11 में स्पष्टतया एक छपाई की गलती है। मैंने संशोधन पेश किया है कि 'हकदार होगा' के स्थान पर 'हकदार नहीं होगा' प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। उन्हें यह मुद्रण की गलती ठीक करनी चाहिए। अब उन्होंने गैर न्यायाधीशों का सलाहकार बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है, बशर्ते कि वे कानूनी कार्य कर सकते हों। इस विधेयक को और ज्यादा कार्य करने योग्य बनाने के लिए यह सर्वाधिक कारण है। हर बात अंधेरे में या रहस्य में क्यों की जानी चाहिए ? इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा संशोधन युक्ति-संगत और समीचीन है और उन्होंने जो छपाई की गलती की है, वह उन्हें ठीक करनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं, खण्ड 11 में पेश किए गए सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

**संशोधन मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ।**

**मत विभाजन संख्या—49**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बर्मन, पलाश |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू, एम० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू, प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अनुरागी, गोदिल प्रसाद | बसु, ज्योतिर्मय |
| अराकल, जेवियर | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| आजाद, भागवत झा | चरण सिंह |
| बागुन सुम्बरुई | चटर्जी, सोमनाथ |
| बरवा, बनवारी लाल | चतुर्भुज |
| बैठा, डूमर लाल | चौधरी, मोतीभाई आर० |
| वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी | चौधरी, त्रिदिव |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| बालेश्वर राम | चव्हाण, यशवन्तराव |
| बन्सी लाल | चौबे, नारायण |
| बरवे, जे० सी० | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, प्रो० मधु |
| भगत, एच. के. एल. | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भक्त, मनोरंजन | दास, रेणुपद |
| भारद्वाज, परसराम | गंगवार, हरीश कुमार |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भोई, डा. कृपासिन्धु | घोष, निरेन |
| भोये, रेशमा मोतीराम | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| बीरेन्द्र सिंह राव | गिरि, सुधीर |
| बोड्डेपल्ली, राजगोपाल राव | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर | गुप्त, इन्द्रजीत |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| बूटा सिंह | हन्नान मोल्लाह |
| चक्रधारी सिंह | हसदा, मतिलाल |
| चन्द्रशेखर सिंह | होरो, एन० ई० |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | जगपाल सिंह |
| चरणजीत सिंह | जाटिया, सत्यनारायण |
| चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती | जेठमलानी, राम |
| चव्हाण, एस. बी. | खा, गयूर अली |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | कोडियन, पी० के० |
| चिंगयाग कोनयक | लारेंस, एम० एम० |
| चौधरी, चित्तूरी सुब्बा राव | मधुकर, कमला मिश्र |
| डागा, मूलचन्द | महाटा, चित्त |
| दलबीर सिंह | मैत्रा, सुनील |
| दलबीर सिंह | मण्डल धनिक लाल |
| दास, अनादि चरण | मण्डल, मुकुन्द |
| डेनिस, एन० | मण्डल, सनत कुमार |
| देसाई, बी. बी. | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| दंडपाणि, सी. टी. | महालगी, आर० के० |
| दिग्विजय सिंह | मिश्र, सत्यगोपाल |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मोदक, विजय |
| दुबे, रामनाथ | मुखर्जी, श्रीमती गीता |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| एक्का, क्रिस्टोफर | मुजफ्फर हुसैन, सैयद |
| ईरा अनबारासु | पाल, प्रो० रूप चन्द |
| फर्नान्डीस, ओस्कर | पंडित, डा० वसन्त कुमार |
| गाडगिल, बी. एन. | परुलेकर, बापूसाहिब |
| गधावी, भेरावदन के. | पासवान, रामविलास |
| गामित, छीसुभाई | पाठक, आनन्द |
| गहलोत, अशोक | पटनायक, बीजू |
| घोरपाडे, आर० वाई० | राजन, के० ए० |
| गोहिल, जी. वी. | राजदा, रतनसिंह |
| गोमांगो, गिरिधर | राजेश कुमार सिंह |
| गौडा, डी. एम. पुत्ते | रियान, बाजू बन |
| हाकम सिंह | राय, ए० के० |
| हेम्ब्रम, सेत | राय, डा० सरदीश |
| जदेजा, दौलतसिंह जी | राय प्रधान, अमर |
| जैन, भीकू राम | साहा, अजित कुमार |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | शमन्ना, टी० आर० |
| जमीलुर्रहमान | शास्त्री, रामावतार |
| जेना, चिन्तामणि | सिंह, बी० डी० |
| झा, कमल नाथ | सूरज भान |
| जितेन्द्र प्रसाद | सूर्य नारायण सिंह |
| कामाक्षैया, डी. | सिरकी, पीयूष |
| कमलाकुमारी, कुमारी | त्रिलोक चन्द्र |
| कंडास्वामी, एम० | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| कर्मा, लक्ष्मण | वर्मा, रवीन्द्र |
| कौल, श्रीमती शीला | वर्मा, फूलचन्द |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| कोसलराम, के. टी. | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| कृष्ण दत्त | वर्मा, शिव शरण |
| कृष्ण, एस. एम. | यादवें, राजेन्द्र प्रसाद |
| कृष्ण प्रताप सिंह | यादव, विजय कुमार |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | जायनल अबेदिव |
| कुंचन, गंगाधर एस. | |
| कुंवर राम | |
| लकप्पा, के. | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | |
| महावीर प्रसाद | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना नरसिंह | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मणि, के० बी० एस० | |
| मायातेवर, के. | |
| मीणा, रामकुमार | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम. राजशेखर | |
| मुरुगैयन, एस० | |
| मुथु कुमारन, आर. | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी. राजगोपाल | |
| नायकर, डी. के. | |
| नायर, बी. के. | |
| नामग्याल, पी. | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के. एस. | |
| निखरा, रामेश्वर | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |
| पाटिल, ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पाटिल वसन्त राव | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, ए० बी० पी० | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, पी० वी० जी० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्ताई | |
| राणे, श्रीमती सयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती बी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ्र | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| समीनुद्दीन | |
| साठे, बसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सावन्त, टी० एम० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सेबस्तियन, एस० ए० दोराई | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, काली चरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, प्रताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिवशंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, डा० बी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोलंकी, नटवरसिंह | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुब्बा, पी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दर सिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| ठाकुर, शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| टुडु, मनमोहन | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वर्मा, जय राम | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 198

विपक्ष में : 79

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**नया खण्ड 11 (क)**

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| **पक्ष में :** | श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी |
| **विपक्ष में :** | श्री जी० एम० बनातवाला |

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं सूचित करता हूं कि लगभग 20 माननीय सदस्यों ने विधेयक के तीसरे वाचन के दौरान भाषण देने के लिए अपने नाम दिए हैं । अब, एक नया खण्ड अन्त:स्थापित करने के लिए एक संशोधन है । श्रीमान परुलेकर क्या आप नया खण्ड पेश कर रहे हैं ?

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : जी हां, महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :

"11-क (1) प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें किसी व्यक्ति के निरोध की अवधि तीन मास से अधिक समय तक जारी रहनी है, समुचित सरकार निरोध की अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरोध जारी रखने के समस्त कारण रखेगी ।

(2) यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं हैं तो उस व्यक्ति को अवधि समाप्त होने पर तुरन्त छोड़ दिया जाएगा।'' (64)

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है : कि

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 33 के **पश्चात** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :

''11-क (1) प्रत्येक ऐसे मामले में किसी व्यक्ति के निरोध की अवधि तीन मास से अधिक समय तक जारी रहनी है, समुचित सरकार निरोध की अवधि समाप्त होने से कम से कम पन्द्रह दिन पहले सलाहकार बोर्ड के समक्ष निरोध जारी रखने के समस्त कारण रखेगी।

(2) यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध व्यस्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को अवधि के समाप्त होने पर तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।'' (64)

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।**

खण्ड 12

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री डागा जी, क्या आप कोई संशोधन पेश कर रहे हैं ?

**श्री मूलचन्द डागा** : नहीं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि

पृष्ठ 5, पंक्ति 36, और 37, —

''उतनी अवधि-पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे'' के **स्थान पर** ''एक मास से अनधिक अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी'' **प्रतिस्थापित किया जाए।** (139)

पृष्ठ 6, पंक्ति 4,—

**अन्त में** निम्नलिखित **जोडा जाए** :

''और निरुद्ध व्यक्ति को वित्तीयहानि के लिए उसे उतना समुचित प्रतिकर देगी, जितना बोर्ड विनिश्चित करे''। (140)

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 36-37,—

"उतनी अवधि पर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी, जितनी वह ठीक समझे" के स्थान पर "निरुद्ध के दिन से ज्यादा से ज्यादा बीस दिनों तक निरुद्ध रख सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (208)

**श्री रीति लाल प्रसाद वर्मा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए: –

"और सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति के भरणपोषण तथा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रतिकर मन्जूर करेगा।" (256)

**श्री रामावतार शास्त्री** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल नई बात बोल रहा हूं। आपका भी उसमें फायदा होगा। मेरा यह कहना है कि धारा 12 की उपधारा (2) देखिए, जिसमें लिखा हुआ है :

"किसी ऐसे मामले में, जिसमें सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट दी है कि सम्बद्ध व्यक्ति के निरोध के लिए उसकी राय में पर्याप्त कारण नहीं है, समुचित सरकार निरोध आदेश वापस ले लेगी तथा उस व्यक्ति को तुरन्त छुड़वा देगी।"

इसी के आखिर में मैं जो जोड़ना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

"निरुद्ध हुए व्यक्ति को हुए आर्थिक नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति जो भी बोर्ड निश्चित करे, दे साथ।"

उपाध्यक्ष जी, मैं यह इसलिए करना चाहता हूं कि फर्ज कर लीजिए, कोई संसत्सदस्य, विधान मण्डल का सदस्य या कोई भी व्यक्ति, किसी प्रकार का धंधा करने वाला, नजरबन्द कर दिया जाता है लेकिन एडवाइजरी बोर्ड की राय में उसकी नजरबन्दी सही नहीं है तो सरकार उसको छोड़ जरूर देगी परन्तु मैं चाहता हूं कि उसने जो आर्थिक नुकसान सहा है, जो उसने आर्थिक क्षति बरदाश्दत की है उसकी पूर्ति सरकार करे। जैसे यहां पर हम संसत्सदस्यों को मीटिंग के दौरान 51 रुपए का भत्ता मिलता है, एम० एल० एज० को भी इसी प्रकार से मिलता है या फिर कोई भी धंधा करने वाला कोई व्यक्ति है उसकी जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी जवाददेही आपको लेनी होगी। ऐसे केसेज में जिसमें नजरबन्दी सही न मानी जाए उसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति सरकार को करनी चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें आपको कोई कठिनाई हो सकती है। मन्त्रीजी को इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए ताकि आपके अधिकारी बदमाशी या मनमानी न कर सकें क्योंकि उस हालत में सरकार को आर्थिक क्षतिपूर्ति करनी पड़ जाएगी। यही मेरे इस संशोधन का आशय है।

**विजय कुमार यादव** : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 12 (1) के अन्तर्गत सरकार सम्बद्ध व्यक्ति को उतनी अवधिपर्यन्त निरुद्ध रख सकेगी जितनी वह ठीक समझे। यह जो अनलिमिटेड

पीरियड तक किसी व्यक्ति को अन्दर रखने की बात कही गई है इस सम्बन्ध में मैंने अमेन्डोन्ट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा 20 दिनों तक के लिए जेल के अन्दर रखा जाए। यह बहुत उपयुक्त संशोधन है और मन्त्री जी को इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन के द्वारा चाहा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो जरूरी हो जाता है कि उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए। यदि आप किसी को जेल में बन्द कर देते हैं तो उसका परिवार संकटग्रस्त हो सकता है, भूखों भी मर सकता है। इसलिए आवश्यकतानुसार आर्थिक क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं समझता हूं इसमें कोई निरोधाभास नहीं है। आप किसी को बन्द करते हैं तो बन्द कीजिए लेकिन साथ में अगर आप इसको जोड़ देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। मेरा आग्रह है मन्त्री जी इसको मान लेने की कृपा करें।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 12 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने"

**लोक सभा में मत विभाजित हुआ।**

**मत विभजन संख्या —50**

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी जलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| अजीत प्रताप सिंह | बनातवाला, जी० एम० |
| अल्लूरी, सुभाष चन्द्र बोस | बर्मन, पलाश |
| आनन्द सिंह | बसु, चित्त |
| अंकिनीडू, एम० | भट्टाचार्य, सुशील |
| अंकिनीडू प्रसाद राव, पी० | विश्वास, अजय |
| अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस० | बसु, ज्योतिर्मय |
| अराकल, जेवियर | चक्रवर्ती, सत्यसाधन |
| आजाद, भागवत झा | चरण सिंह |
| बागुन सुम्बरुई | चटर्जी, सोमनाथ |
| बरवा, बनवारी लाल | चौधरी, मोतीभाई आर० |
| बैठा, डूमर लाल | चौधरी, त्रिदिव |
| बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी | चव्हाण, यशवन्तराव |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| बालेश्वर राम | चौबे, नारायण |
| बन्सी लाल | चौधरी, सैफुद्दीन |
| बरवे, जे० सी० | दंडवते, प्रो० मधु |
| बहेरा, रास बिहारी | दंडवते, श्रीमती प्रमिला |
| भगत, एच० के० एल० | दास, रेणुपद |
| भक्त, मनोरंजन | गंगवार, हरीश कुमार |
| भारद्वाज, परसराम | गायत्री देवी, श्रीमती |
| भाटिया, रघुनन्दन लाल | घोष, निरेन |
| भोई, डा० कृपासिन्धु | घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा |
| भोये, रेशमा मोतीराम | गिरि, सुधीर |
| बीरेन्द्र सिंह राव | गोपालन, श्रीमती सुशीला |
| ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दु कौर | हाल्दर, कृष्ण चन्द्र |
| बृजेन्द्रपाल सिंह | हन्नान मोल्लाह |
| बूटा सिंह | हसदा, मतिलाल |
| चक्रधारी सिंह | होरो, एन० ई० |
| चन्द्रशेखर सिंह | जाटिया, सत्यनारायण |
| चन्द्राकर, चन्दूलाल | जेठमलानी, राम |
| चतुर्वेदी, विद्यावती | खां, गयूर अली |
| चव्हाण, एस० बी० | कोडियन, पी० के० |
| चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या | लारेंस, एम० एम० |
| चिंगयाग कोनयक | मधुकर, कमला मिश्र |
| चौधरी, चित्तुरी सुब्बा राव | महाटा, चित्त |
| चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश | मैत्रा, सुनील |
| डागा, मूलचन्द | मंडल, धनिक लाल |
| दलबीर सिंह | मण्डल, मुकुन्द |
| दलबीर सिंह | मण्डल, सनत कुमार |
| दास, अनादि चरण | मसुदल हुसैन, सैयद |
| डेनिस, एन० | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| देसाई, बी० बी० | महालगी, आर० के० |
| दंडपाणि, सी० टी० | मिश्र, सैत्यगोपाल |
| दिग्विजय सिंह | मोद्गक, विजय |
| डोगरा, गिरधारी लाल | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| दुबे, रामनाथ | पाल, प्रो० रूप चन्द |
| एक्का, क्रिस्टोफर | पंडित, डा० वसन्त कुमार |
| ईरा अनबारासु | परुलेकर, बापूसाहिब |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| फर्नान्डीस, ओस्कर | पासवान, रामविलास |
| गाडगिल, बी० एन० | पाठक, आनन्द |
| गधावी, भेरावंदन के० | पटनायक, बीजू |
| गामित, छीतू भाई | राजन, के० ए० |
| गहलोत, अशोक | राजदा, रतन सिंह |
| घोरपाडे, आर० वाई० | राजेश कुमार सिंह |
| गोहिल, जी० बी० | रियान, बाजू बन |
| गोमांगो, गिरधर | राय, ए० के० |
| गौडा, डी० एम० पुत्ते | राय, डा० सरदीश |
| हाकम सिंह | राय प्रधान, अमर |
| हेम्ब्रम, सेतु | साहा, अजित कुमार |
| जदेजा, दौलतसिंह जी | शमन्ना, टी० आर० |
| जैन, भीकू राम | शास्त्री, रामावतार |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | सिंह, बी० डी० |
| जमीलुर्रहमान | सूरज भान |
| जेना, चिन्तामणि | सूर्य नारायण सिंह |
| झा, कमल नाथ | तिरकी, पीयूष |
| जितेन्द्र प्रसाद | त्रिलोक चन्द्र |
| कामाक्षैया, डी० | उन्नीकृष्ण, के० पी० |
| कमलाकुमारी, कुमारी | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| कंडास्वामी, एम० | वर्मा, रवीन्द्र |
| कर्मा, लक्ष्मण | वर्मा, फूलचन्द |
| कौल, श्रीमती शीला | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| कृष्ण दत्त | वर्मा, शिवशरण |
| कृष्ण प्रताप सिंह | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | यादव, विनय कुमार |
| कुंचन, गंगाधर एस० | जायनल अबेदिन |
| कुंवर राम | |
| लकप्पा, के० | |
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | |
| महावीर प्रसाद | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना, नरसिंह | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| मालन्ना, के० | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मोतीलाल सिंह | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुरुगैयन, एस० | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायडू, पी० राज गोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| निहाल सिंह | |
| निखरा, रामेश्वर | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पांडे, केदार | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |
| पाटिल, ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शंकरराव | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, एस० वी० पी० | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| प्रभु, आर० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुलय्या, दारुर | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, पी० वी० जी० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| रणवीर सिंह | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| राव, श्रीमती वी० राधाबाई आनन्द | |
| राव, जगन्नाथ | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, के० ब्रह्मानन्द | |
| रेड्डी, एम० राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| समीनुद्दीन | |
| साठे, वसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सेबस्तियन, एस० ए० दोराई | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| शक्यवार, नाथूराम | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, काली चरण | |
| शर्मा, नन्दकिशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, प्रताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिव शंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंगारावाडीवेल, एस० | |
| सिंह, डा० बी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोलंकी, नटवर सिंह | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुब्बा, पी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दर सिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| ठाकुर, शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| टुडु, मनमोहन | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वर्मा, जय राम | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| वेंकटरामन, आर० | |
| बर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है ।

**पक्ष में : 197**

**विपक्ष में : 88**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 13**

**श्री मूलचन्द डागा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

**"बारह मास" के स्थान पर "छह मास" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (34)

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

**"बारह मास" के स्थान पर "चार मास" प्रतिस्थापित किया जाए ।** (87)

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 9 **के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :**

**"परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को तीन मास से अधिक अवधि तक निरुद्ध नहीं रखा जायेगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड ने उसके मामले का पुनरीक्षण न किया हो और तीन मास की उक्त अवधि की समाप्ति से दो सप्ताह पूर्व यह रिपोर्ट न दी हो कि उसकी राय में ऐसे निरोध को जारी रखने के लिए पर्याप्त कारण है ।"** (88)

**श्री चित्त बसु** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

"बारह मास" के स्थान पर "दो मास" प्रतिस्थापित किया जाए । (96)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 8 और 9 का लोप कर दिया जाये । (97)

**श्री आर० के० महालगी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

"बारह मास" के स्थान पर "तीन मास" प्रतिस्थपित किया जाए । (129)

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 7,—

"बारह मास" के स्थान पर "एक मास" प्रतिस्थापित किया जाये । (141)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 9,—

"या उपांतरित करने" का लोप कर दिया जाये । (277)

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या मैं अब भाषणों की अनुमति दे सकता हूं ?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या आपकी अनुमति है या उनकी अनुमति ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं निवेदन कर रहा हूं ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : ठीक है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 13 के लिए प्रस्तावित किए गए सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में रखता हूं ।

**सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुये ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब दीर्घायें खाली कर दी गई हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत-विभाजन संख्या—51

पक्ष में

अब्बासी, काजी जलील
अहमद, मोहम्मद असरार
अहमद, कमालुद्दीन
अजीत प्रताप सिंह
आनन्द सिंह
अंकिनीडू प्रसाद राव, पी०
अनुरागी, गोदिल प्रसाद
अप्पाला नायडू, एम० आर० ए० एस०
अराकल, जेवियर
अर्जुनन, के०
आजाद, भागवत झा
बागुन सुम्बरुई
बरवा, बनवारी लाल
वाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम
बन्सीलाल
बरवे, जे० सी०
बहेरा, रास बिहारी
भगत, एच० के० एल०
भक्त, मनोरन्जन
भाटिया रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोये, रेशमा मोतीराम
बीरेन्द्र सिंह राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह
बूटा सिंह
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती
चव्हाण, एस० बी०
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या

विपक्ष में

आचार्य, बसुदेव
अग्रवाल, सतीश
बालानन्दन ई०
बर्मन, पलाश
भट्टाचार्य, सुशील
विश्वास, अजय
बसु, ज्योतिर्मय
चक्रवर्ती, सत्यसाधन
चरण सिंह
चटर्जी, सोमनाथ
चौधरी, मोतीभाई आर०
चौधारी, त्रिदिव
चव्हाण, यशवन्तराव
चौबे, नारायण
चौधरी, सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, रेणुपद
गंगवार, हरीश कुमार
घोष, निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हन्नान मोल्लाह
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
जाटिया, सत्यनारायण
जेठमलानी, राम
झा, भोगेन्द्र
खां, गयूर अली
कुरियन, प्रो० पी० जे०
लारेंस एम० एम०
मधुकर, कमला मिश्र

**पक्ष में**

चिंगयाग कोनयक
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
डागा, मूलचन्द
दलवीर सिंह
दलबीर सिंह
दास, अनादि चरण
डेनिस, एन०
देसाई, बी० वी०
दंडपाणि, सी० टी०
दिग्विजय सिंह
डोगरा, गिरधारी लाल
दुबे, राम नाथ
एक्का, क्रिस्टोफर
ईरा अनबारासु
फर्नांडीस, ओस्कर
गाडगिल, बी० एन०
गधावी, भेरावदन के०
गामित, छीतुभाई
गहलोत, अशोक
घोरपाडे, आर० वाई०
गोहिल, जी० बी०
गोमांगो, गिरिधर
गौडा, डी० एम० पुत्ते
हाकम सिंह
हेम्ब्रम, सेत
जदेजा, दौलतसिंहजी
जैन, भीकू राम
जैन, वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान
जेना, चिन्तामणि
झा, भोगेन्द्र
जितेन्द्र प्रसाद
कामाक्षैया, डी०
कमलाकुमारी, कुमारी
कर्मा, लक्ष्मण

**विपक्ष में**

महाटा, चित्त
मैत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल
मण्डल, मुकुन्द
मसुदल हुसैन, सैयद
मेहता, प्रो० अजित कुमार
महालगी, आर० के०
मोदक, विजय
मुखर्जी, श्रीमती गीता
पाल, प्रो० रूप चन्द
पंडित, डा० वसन्त कुमार
परुलेकर, बापूसिंह
पासवान, राम विलास
पाठक, आनन्द
पटनायक, बीजू
राय, एम० रामन्ना
राजन, के० ए०
राजदा, रतनसिंह
राजेश कुमार सिंह
रियान, बाजू बन
राय, ए० के०
राय, डा० सरदीश
राय प्रधान, अमर
साहा, अजित कुमार
शमन्ना, टी० आर०
शास्त्री, रामावतार
सिंह, बी० डी०
सूरज भान
सूर्य नारायण सिंह
तिरकी, पीयूष
त्रिलोक चन्द्र
उन्नीकृष्णन, के० पी०
वर्मा, रवीन्द्र
वर्मा, फूलचन्द
वर्मा, रीतलाल प्रसाद

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| कौल, श्रीमती शीला | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | वर्मा, शिवशरण |
| कृष्ण दत्त | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |
| कृष्ण प्रताप सिंह | यादव, विजय कुमार |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | जायनल अबेदिन |
| कुचन, गंगाधर एस० | |
| कुंवर राम | |
| लक्कप्पा, के० | |
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह, श्रीमती | |
| महाबीर प्रसाद | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना, नरसिंह | |
| मालन्ना के० | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मायातेवर, के० | |
| मीणा, रामकुमार | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुरुगैयन, एस० | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायडू पी० राजगोपाल | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| निहाल सिंह | |
| निखरा, रामेश्वर | |
| उरांव, कार्तिक | |
| पलानीअप्पन, सी० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पांडे, केदार | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तुभाई | |
| पाटिल, ए. टी. | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, बसन्तराव | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, एस. वी. पी. | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस. एन. | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू०, पी० वी० जी० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन. कुदन्तई | |
| रणवीर सिंह | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द | |
| राव, जलगाम कोन्डाला | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राव, पी० सी० नरसिंह | |
| राठवा, अमरसिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन, | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, एम. राम गोपाल | |
| रेड्डी, पी. वेंकट | |
| रेड्डी, टी. दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| समीनुद्दीन | |
| साठे, वसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |
| सावन्त, टी० एम० | |
| सेबस्तियन, एस० ए० दोराई | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, कालीचरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नबल किशोर | |
| शर्मा, पताप भानु | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शास्त्री, हरि कृष्ण | |
| शिव शंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, बी० डी० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोलंकी, नटवरसिंह | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहन लाल | |
| सुन्दरसिंह | |
| तपेश्वर सिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| ठाकुर, शिव कुमार सिंह | |
| थुंगोन पी० के० | |
| त्रिपाठी, राम नारायण | |
| वैराले, मधुसूदन | |
| वर्मा, जय राम | |
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, वी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**उपाध्यक्ष महोदय :** शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 193

विपक्ष में : 73

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

*निम्न सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : श्री डूमर लाल बैठा
मनमोहन टुडु

विपक्ष में : श्री एम० कंडास्वामी
के० सी० हाल्दर
पी० के० कोडियन

**श्री एस० बी० पी० पट्टाभिराम राव :** मैं अव्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। वास्तव में मैंने देखा है कि श्री जेठमलानी, एक विद्वान वकील ने पहले दूसरे, उस स्थान से मतदान किया है जहां पर श्री जगजीवन राम बैठते हैं। यद्यपि उन्होंने अब एक विभिन्न स्थान से मतदान किया है फिर भी उनके सही स्थान का पता लगाइये जहां से मतदान करने के पात्र हैं।

**खण्ड 14**

**बापूसाहिब परुलेकर :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

**अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये :**

"परन्तु किसी भी मामले में नया निरोध आदेश उन ही कारणों पर पारित नहीं किया जाये, जिन पर उस व्यक्ति को पहले निरुद्ध किया गया था।" (66)

**श्री चित्त बसु :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 19 से 24 का **लोप कर दिया जाए।** (98)

**श्री विजय कुमार यादव :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 24,—

"न" का **लोप कर दिया जाये।** (210)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

(i) पंक्ति 15, —

(ii) पंक्ति 17 और 18,—

"या उपांतरित किया जा सकेगा" का **लोप कर दिया जाये।** (278)

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं खण्ड 14 के लिए प्रस्तावित किए गए सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

**संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुये।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

**खण्ड 15**

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाए** :

"परन्तु यदि निरोध-आदेश के अनुसरण में निरुद्ध व्यक्ति संसद् सदस्य या राज्य विधान मण्डल का सदस्य है, तो उसे संसद् या राज्य विधान मण्डल के सत्र की अवधि के लिए छोड़ दिया जायेगा ।" (7)

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 40,—

"दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" के **स्थान पर** "दस दिन तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस रुपए से अधिक का नहीं होगा," **प्रतिस्थापित किया जाए** । (142)

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 और 29,—

"और उसका छोड़ा जाना किसी भी समय रद्द कर सकेगी" का **लोप कर दिया जाए** । (211)

पृष्ठ 6 और 7,—

क्रमशः पंक्ति 30 से 42 और 1 से 3 का **लोप कर दिया जाए** । (212)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 6, पंक्ति 27,—

"ऐसी" के **पश्चात्** "युक्तियुक्त" **अन्तःस्थापित किया जाए** । (208)

पृष्ठ 6,—

पंक्ति 29 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :

"परन्तु निरुद्ध व्यक्ति की गंभीर बीमारी की दशा में, जिसे

चिकित्सा व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा या उसके निकट सम्बन्धी की मृत्यु होने पर समुचित सरकार निरुद्ध व्यक्ति को उचित अवधि के लिए छोड़ देगी।" (259)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—

खण्ड 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"15. समुचित सरकार किसी भी समय निदेश दे सकेगी कि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ दिया जाए।" (280)

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस विशेष खण्ड के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन का सुझाव दिया है और मैं कम से कम मानवीय आधारों पर इस संशोधन पर विचार करने के लिए माननीय मन्त्री महोदय से अपील करूंगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सहानुभूति पूर्वक।

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : यदि आप संशोधन पढ़ें तो आप मुझ से सहमत हो जाओगे कि यह एक ऐसा संशोधन है जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति स्वीकार कर लेगा। मैंने निम्न शब्दों को जोड़ने का सुझाव दिया है :

"परन्तु निरुद्ध व्यक्ति की गंभीर बीमारी की दशा में, जिसे चिकित्सका व्यवसायी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा या उसके निकट सम्बन्धी की मृत्यु होने पर समुचित सरकार निरुद्ध व्यक्ति को उचित अवधि के लिए छोड़ देगी।"

हमें पीछे अनुभव हो चुका है जब, हालांकि निरुद्ध व्यक्ति के निकट सम्बन्धी की मृत्यु हो गई है तो भी मामले को राज्य सरकार को भेजने की आवश्यकता हुई थी और इसमें लगभग 20 दिन या अधिक समय लिया जाया करता था। इसीलिए मैंने सुझाव दिया है कि निकट संबन्धी की मृत्यु के मामले में यदि जेल प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया है तो उन्हें निरुद्ध व्यक्ति को इन उचित दशाओं में छोड़ देना चाहिए, जिनका वहां पर उल्लेख है। देश की रक्षा या देश की सुरक्षा खतरे में नहीं होती यदि एक विशेष व्यक्ति अपने परिवार में जा रहा है जिस परिवार में मृत्यु हो चुकी है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि मानवीय आधारों पर गृह मन्त्री महोदय को इस विशेष संशोधन को स्वीकार करना चाहिए।

दूसरे, यदि विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्य नजरबन्द हों तो उन्हें पैरोल पर छोड़ देना चाहिए जिस समय विधान सभा तथा संसद का अधिवेशन चालू हो। निसंदेह वे उचित प्रतिबन्ध लगा सकते हैं। पहले ही माननीय गृह मन्त्री महोदय यह घोषणा कर चुके हैं कि इस अधिनियम का उद्देश्य उनके विरुद्ध नहीं है। परन्तु ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने की दुर्भाग्यपूर्ण

घटना में, जैसा कि श्री ए० के० राम के मामले में हुआ उसे सभा में उपस्थित होने के लिए पैरोल पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह सात लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे आशा है माननीय मन्त्री महोदय इन संशोधनों को स्वीकार करेंगे।

गृह मन्त्री (श्री जैल सिंह): डिप्टी स्पीकर साहिब, ये बातें पहले भी आ चुकी हैं और मैं समझता था कि अब टाइम भी बहुत लेट हो गया है इसलिए इसके प्रश्न, उत्तर में न पड़ें। लेकिन मैं एक बात आनरेबल मेम्बर साहेबान को कह देना चाहता हूं कि सरकार का रवैया जालिमाना नहीं है, इन्साफाना है। इसीलिए इस क्लाज में यह रखा गया है कि जब भी चाहे सरकार छोड़ सकती है। शादी हो, गम हो, पेरोल पर, शर्त पर, बेशर्त, हरेक तरह से सरकार छोड़ सकती है। फिर यही नहीं कि वह खुद बीमार हो और डाक्टर कहे कि वहां उसका इलाज नहीं हो सकता है तभी उसे छोड़ा जा सकता है, अगर उसके रिश्तेदार, माता-पिता भी कहें तो छोड़ा जा सकता है। आपने पहले भी देखा होगा कि बहुत से लोग बाहर रहे थे, पैरोल पर छोड़े हुए थे। अब तो आप भी बदल गये हैं, हम भी बदल गये हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस हो गया है, आपका भी एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए इस तरमीम की जरूरत नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 15 के सभी सन्शोधनों को मत विभाजन के लिए सभा में रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 16

श्री सत्य नारायण जाटिया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

खंड 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"16 (1) यदि किसी व्यक्ति को अकारण निरुद्ध किया जाता है तो सरकार उसको इसके कारण हुई क्षति की पूर्ति करेगी;

(2) क्षतिपूर्ति के लिए वाद उपयुक्त न्यायालय में चलाया जा सकेगा ;

(3) यदि इस निरुद्धता के लिए किसी भी प्रकार का बल प्रयोग किया जाता है तो सम्बद्ध व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर सके।" (16)

श्री राम जेठमलानी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 7 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"स्पष्टीकरण-सदभाव का वही अर्थ होगा जो इसका भारतीय दण्ड संहिता में है।" (79)

**श्री विजय कुमार यादव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, —

खण्ड 16 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"16 यदि किसी व्यक्ति को पर्याप्त कारण के बिना निरुद्ध किया जाता है तो सरकार उसको इस कारण हुई क्षति की पूर्ति करेगी।" (213)

**श्री राम जेठमलानी** : मेरे अनुसार, किसी भी सद्भावना वाली सरकार को "सद्भाव" की परिभाषा स्वीकार अवश्य करनी चाहिए। "सदभाव" शब्द का एक अर्थ से अधिक अर्थ है, एक तो सामान्य खण्ड अधिनियम में दूसरा भारतीय दंड प्रक्रिया में ? भारतीय दंड प्रक्रिया में इसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है : सद्भाव में उस समय तक कुछ नहीं किया गया है जब तक कि इसे सावधानी से नहीं किया गया हो। और चूंकि "सद्भावना' शब्द धारा में सरकार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियों से बचने के लिए किया गया है। मैं इस बात को मानता हूं कि श्री जैलसिंह सरकार को मुकदमों से बचाना चाहते हैं जबकि सरकार ने कार्य बड़ी सावधानी से किया है। क्या वह चाहते हैं कि जब भी वे बड़ी लापरवाही से कार्य करते हों तो उनकी रक्षा की जानी चाहिए ! यदि वे वैसा चाहते हैं तो उन्हें इसका निश्चय कर लेना चाहिए। यदि उनमें कुछ औचित्य का मादा है तो वे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सारे संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

**संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने !"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :**

**खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**उपाध्यक्ष महोदय**, नये खण्ड में जोड़ने के लिए संशोधन

**श्री बापूसाहब पुलेकर** : मैं प्रस्तुत करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए:

"16(क) यदि कोई व्यक्ति पदाभास के अधीन देश की विधि के प्रतिकूल कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य को असद्भावपूर्वक किया गया माना जायेगा और ऐसा व्यक्ति कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

स्पष्टीकरण—विधि के प्रतिकूल कार्य के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोरे निरोध-आदेश फार्मों पर हस्ताक्षर करना भी है ।" (260)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन सं० 260 को सभा के समक्ष पेश करता हूं ।

**संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 17**

**श्री बापूसाहिब परुलेकर** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"परन्तु किसी राज्य निवारक निरोध विधि के अधीन निरोध से छोड़े गये व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन्हीं कारणों पर निरुद्ध नहीं किया जायेगा, जिन पर उसे राज्य विधि के अधीन निरुद्ध किया गया था ।" (681)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 25 से 29 का लोप कर दिया जाए । (281)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सभी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 18**

**श्री जी० एम० बनातवाला** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 37 से 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"2. (क) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे :

परन्तु कोई ऐसी अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जायेगी जब तक यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण न हो, कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं या होने की सम्भावना है जिनमें इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करना आवश्यक है, तथा जब तक इस आशय की घोषणा राजपत्र में प्रकाशित न की जाए ।

(ख) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक घोषणा संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी और एक मास के अवसान पर प्रवृत्त न रहेगी जब तक कि संसद् के दोनों सदन उस अवधि के अवसान से पूर्व एक संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर देते ।

(ग) इस प्रकार अनुमोदित प्रत्येक घोषणा, जब निरसित नहीं कर दी जाती, खण्ड (ख) के अधीन घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प के पारित किये जाने की तारीख से छह मास की अवधि का अवसान होने पर प्रवृत्त न रहेगी :

परन्तु यह और कि यदि और जब-जब संसद् के दोनों सदन एक संकल्प द्वारा ऐसी घोषणा के प्रवृत्त रहने का अनुमोदन कर देते हैं, तो ऐसी प्रत्येक घोषणा, जब तक निरसित नहीं की जाती, अन्यथा प्रवृत्त न रहने की तारीख से छह मास की और अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

(घ) खन्ड (क) के अधीन घोषणा के प्रवृत्त न रहने पर यह अधिनियम प्रवृत्त न रहेगा ।" (274)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं प्रस्ताव को सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

**संशोधन प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

**"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"**

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया :**

खण्ड 1

**श्री चित्त बसु** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

अन्त में निम्नलिखित **जोड़ा जाए** :

"और यह समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवृत्त होगा।" (90)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1 पंक्ति 4 के पश्चात् निम्नलिखित को जोड़ा जाए :

"जहां तक उस राज्य में इस अधिनियम के लागू होने का संबंध है, राज-पथ में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से यह लागू होगा।" (261)

**श्री चित्त बसु** : मेरा संशोधन बहुत ही सामान्य है। विधेयक कठोर है और हम यह शक्ति सरकार को नहीं देना चाहते हैं। बहुत स्पष्ट है परन्तु मैं इस बात को अनेच्छिक रूप से मानता हूं कि इन शक्तियों का प्रयोग केवल बाहरी खतरे के समय किया जा सकता है। शान्ति के समय में इस किस्म का विधेयक लागू नहीं होना चाहिए। कुछ समय के लिए अधिनियम की कठोरताओं को समाप्त कर देना चाहिए। तदनुसार मैं खण्ड 1 के इस परिमाणी संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं आप राज्यों के कार्यों के उस समय तक हामी हैं जब तक कि आप एकदम ही नहीं बदल जाने।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं न केवल उस बात का बल्कि बहुत सी बातों का समर्थक हूं।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : आप राज्यों के कार्यों का समर्थन कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप उस कार्य को कर रहे हैं जो आपको अति प्रिय है। इसलिए, कृपया अपने प्रभाव का प्रयोग उनके लिए करें।

यदि आप संशोधन को पढ़ने का कष्ट करें तो **इसमें इस प्रकार कहा गया है** :

**"जहां तक उस राज्य में इस अधिनियम को लागू होने का संबंध है राज-पत्र में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से यह लागू होगा।"**

मैं नहीं जानता हूं कि सरकार को इसका विरोध क्यों करना चाहिए। आखिरकार इस बात को देखने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकार की है कि राज्य में सब बातें ठीक हैं। कम से कम उन्हें ये शक्तियां दी जानी चाहिए। यदि उन्हें इसकी आवश्यकता है तो वह इसे ले सकते हैं और इसे लागू कर सकते हैं। जहां तक राज्य सरकार का संबंध है उन्होंने अपने स्वयं के कानूनों को पास कर लिया है जिनको केन्द्रीय सरकार बनाये हुए है और उन्हें बनाये

रखेगी । उन कानूनों का निरसन नहीं किया जा सकता है । स्वयं राज्य सरकारों को इस बात का निर्धारित करना चाहिए कि वे इस बृहत और अधिक क्रूर कानून को अपने यहां चाहते हैं अथवा नहीं । यदि वे इस जन-विरोधी तथा मजदूर विरोधी कानून के बिना अपने कार्य कर सकते हैं तो आप उन पर कानून थोपते क्यों हैं ?

उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय सरकार यहां सभी प्रकार के गैर कानूती आदेश पारित करे और उन्हें निष्पादन और कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों पर थोपने की कोशिश करे जिसे कि राज्य सरकारें नहीं चाहतीं । इसलिए, राज्यों को स्वयं इस बात का निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए कि वे राज्य में इस कानून को चाहते हैं अथवा नहीं । यदि वे हस कानून को चाहते हैं तो वे राज्य में कानून को लागू करने के लिए शासकीय राजपत्र में हर सामान्य अधि-सूचना द्वारा इसे अपना सकते हैं । इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं, हमारे देश में जो भी असंतोष-जनक अर्द्ध संघीय ढांचा है, हमें कम से कम इसकी कुछ सराहना तो करनी चाहिए । हमारे देश में अर्द्ध संघीय ढांचा है । यह पूरी तरह संघीय ढांचा नहीं है । यदि उनमें राज्यों के अधिकारों के लिए कुछ भी आदर है तो उन्हें इस संशोधन को स्वीकार करना चाहिए । इससे कानून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

महोदय, आपकी शुभकामनाओं के साथ मैं इस संशोधन का जोरदार समर्थन कर रहा हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं खण्ड 1 के सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखूंगा ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : कोई प्रतिक्रिया नहीं ? उन्होंने सोचना भी बंद कर दिया है; उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करना भी बन्द कर दिया है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी आपके संशोधन के बारे में विचार कर रहे हैं ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्हें एक प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए । दूसरे पक्ष में विवेक का अभाव है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या 90 और 261 को सदन के मतदान के लिए पेश करता हूं ।

**संशोधन मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकार हुए ।**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खन्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

नाम

**श्री चित्त बसु** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वृहत नाम में.—

"कुछ मामलों में" के स्थान पर "बाह्य आक्रमण के समय" प्रतिस्थापित किया जाए। (89)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या 89 को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक के साथ जोड़ दिया गया।

**श्री जैल सिंह** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत है जो विधेयक पर तीसरे वाचन के दौरान बोलना चाहते हैं। जैसा कि सदन जानता है, विधेयक के लिए निर्धारित समय से बहुत ज्यादा समय पहले ही निकल गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस स्थिति में विस्तार से चर्चा किए बिना प्रत्येक ग्रुप से केवल एक सदस्य संक्षेप में बोले। जो सदस्य विधेयक पर आम चर्चा के दौरान बोल चुका है, वह भी दोबारा न बोले।

**श्री चरण सिंह** (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा कुछ तफसील के साथ बोलने का था, लेकिन चूंकि बहुत देर हो गई है, इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय लेने की कोशिश करूंगा—दस पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं। एक बात मैं अपने दोस्तों को, खास तौर से सरदार जैल सिंह को बता देना चाहता हूं कि मैं वाद-विवाद की स्पिरिट में भी नहीं बोलना चाहता हूं, कान्ट्रोवर्सी या कनटेन्शन में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूं, जो देश के भले के लिए है और रूलिंग पार्टी, शासक दल, के भी हित की बात है, अगर्चे मैं जानता हूं कि ज्ञानी जैल सिंह हों या प्राइम मिनिस्टर हों या ट्रेजरी बैंचिज पर बैठे हुए हमारे दोस्त हों, आज उन्हें कोई भी बात कहना पानी में लिखने के बराबर है, या बालू में हल चलाने के बराबर है—उसका कोई असर नहीं होने वाला है। (व्यवधान) मैंने कोई कड़वी बात तो नहीं कही है। मैं कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया है, ताकि श्री जैल सिंह को बुरा न लगे।

इस बिल की क्लाज 3(1) (ए) में कहा गया है कि जहां तक देश की रक्षा, डिफेंस का सवाल है, उसकी सिक्युरिटी का सवाल है, जिस आदमी से यह खतरा हो कि वह उसके खिलाफ

काम करने जा रहा है, उसको रोकने का अधिकार गवर्नमेंट आफ इण्डिया को हैं। "प्रजुडिशल टु दि सिक्युरिटी आफ इण्डिया" ये अंग्रेजी के लफ्ज हैं। ये लफ्ज अगली सब-क्लाज में भी इस्तेमाल किये गये हैं, जो गैर-जरूरी हैं। उसमें भी यह लिखा है :

> "यदि किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था दनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है..."

यह हरएक में इस्तेमाल किया है। सेक्योरिटी आफ स्टेट को रिपीट किया गया है जिसकी आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं थी। क्या इसकी जरूरत पड़ी, इन दोनों में अन्तर क्या है, अगर उनको समय मिले तो हाउस को समझाने की कोशिश करें। इसके अलावा जैसी ड्रीफ्टिंग है कि सब जगह कहा गया है :

> "प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से उसे रोकने की दृष्टि से ..."

यह तीन जगह तीन बार तीन बातों के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक क्लाज में हो जाता जो तीनों बातों को गवर्न करता। खैर।

मुझे इसमें एतराज न तो जहां तक फारेन नेशनल्स की बात है उसकी बाबत है, न डिफेंस की बाबत है और न सेक्योरिटी आफ स्टेट की बाबत है। मैं समझता हूं कि शायद इसके लिए सर्वसम्मति होगी, सबको यह चीज मंजूर होगी। हो सकता है कि किसी साहब को इसमें भी मतभेद हो। लेकिन मुझको दो चीजों पर आपत्ति है। एक तो आप कहते हैं कि पब्लिक आर्डर के लिए हानिकारक हो यानी शांति व्यवस्था के लिए और एक यह है कि जो जरूरी चीजें हैं कम्यूनिटी के लिए, कौम के लिए उनके मुहैया करने में कोई रुकावट हो। अब ये इतने वाइड टर्म्स हैं, इतने व्यापक शब्द हैं कि इनका अर्थ गवर्नमेंट जो चाहे लगा सकती है। अब जैसे कि हम लोग अपोजीशन में बैठ कर समझते हैं कि कंट्री के लिए फलां काम करना है, आपकी राय ठीक उसकी उल्टी हो सकती है और उसके जज होंगे आप। मसलन बिहार में बहुत लोग अन्धे किए गए। उसमें जहां तक मुझे मालूम हुआ, मैं तो यहां मौजूद नहीं था, प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत अफसोस जाहिर किया। लेकिन उस पर अब तक क्या हो रहा है ? चीफ मिनिस्टर की कोशिश यह है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन पुलिस वालों को डिफेंस करने की। दुनिया में आज तक इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से पुलिस करे इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आप ट्रायल कराइए तो उसमें भी फांसी की सजा है, ब्लाइन्ड करने की सजा कहीं पीनल कोड में नहीं है। लेकिन पुलिस एग्जीक्यूटिव आर्डर से या अपने मन से चाहे वह लोग कितने ही बदमाश रहे हों, लेकिन उनको ब्लाइन्ड कर दे और एक को नहीं, दो को नहीं, बाकायदा एक सिस्टेमेटिक वे में उसे करना—वह जब जेल पहुंचते हैं तो जेल का सुपरिंटेंडेंट उस बात को नोटिस में लाता है

सुप्रीम कोर्ट को उसने शिकायत की है कि मुझको खतरा है और यह चीज नोटिस में आ गई थी जुलाई में चीफ मिनिस्टर के या स्टेट गवर्नमेंट के तो क्या ऐसा शख्स जिसकी नोटिस में यह बात आ गई और उसने कोई ऐक्शन नहीं लिया वह स्टेट का चीफ मिनिस्टर होने लायक है ? दुनिया में कहीं हो सकता था सिवाय हिन्दुस्तान के ? आज के इंडियन एक्सप्रैस को पढ़ें उन पर एक क्रिमिनल केस चल रहा था करप्शन का आलरेडी पहले से चल रहा था ··(व्यवधान) ·· जगन्नाथ मिश्र को ही कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर को, उनके खिलाफ अब्दुल गफूर खां साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उनका दायर किया हुआ केस चल रहा था । तो आते ही डा० जगन्नाथ मिश्र ने जो प्राजीक्यूटर था उसका ट्रांसफर किया । दूसरा आया, उसने जो लोग गवाह थे उनको तोड़ने की और उनको खरीदने की कोशिश की । वे ईमानदार आदमी निकले, वे तैयार नहीं हुए । तो फिर मजिस्ट्रेट को भी शायद बदलने की कोशिश हुई, लेकिन जो चीफ मजिस्ट्रेट था पटना का उसने मना कर दिया इस बात के लिए । उसने कहा कि जो मेरी ड्यूटी है उसको मैं अंजाम दूंगा । अब कोशिश हो रही है उस केस को दबाने की । केस दबे या न दबे, सारा सवाल यह है कि जब करप्शन का केस उनके खिलाफ पहले से चल रहा था ·· (व्यवधान)—मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने आपत्ति की बात कौन सी कह दी ? यह जानते हुए कि इनके खिलाफ केस चल रहा है प्राजीक्यूशन का और दूसरा चीफ मिनिस्टर दायर कर गया है, उसके बाद भी उनको एप्वाइंट करना, आपका जो भी स्टैंडर्ड हो, जो भी पैमाना हो, उसके मुताबिक ठीक हो सकता है लेकिन मैं समझता हूं कि दुनिया में कहीं किसी भी पैमाने के मुताबिक वह बात मुनासिब नहीं थी । लेकिन इस बात को छोड़िए ।·· (व्यवधान) ···आप क्या बात कर रहे हैं, देखिए, इस तरह से आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए । आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा या अपने होम मिनिस्टर से कहिएगा वह जवाब देंगे । आप बात क्या कर रहे हैं ? एक सही बात मैं कह रहा हूं, बजाय उसका स्वागत करने के आप कह रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए ।

अब मैं आपको ऐक्शंस बतलाता हूं ।

(व्यवधान)

**श्री कमल नाथ झा** (सहरसा) : आपके राज में आंख निकाली गईं । शुरुआत वहीं से हुई । आपका ट्रायल होना चाहिए । जब आप प्रधान मंत्री थे उस वक्त आंख निकाली गईं । अगर आपके अन्दर नैतिकता का एक जर्रा भी बचा हुआ है तो इसको कन्फेस कीजिए ।

आप कहना चाहते हैं कि जनता गवर्नमेंट के जमाने में आंखें निकाली गई थीं । लेकिन इस तरह से आप दुनियां को धोखा नहीं दे सकते हैं । (व्यवधान) मैं बहुत ठंडे दिमाग से यह अर्ज कर रहा था कि जनता गवर्नमेंट या मेरे जमाने में मेरी नोटिस में ऐसा कोई केश नहीं आया । अगर मेरी नोटिस में आया हो और मैंने कार्यवाही न की हो तो आप मेरी शिकायत कर सकते हैं । हो सकता है, इतना बड़ा देश है, कोई ब्लाइंडिंग मेरे जमाने में भी हो गया तो, मैं इनकार नहीं करता लेकिन मेरी नोटिस में आया हो, मैंने ऐक्शन न लिया हो, ऐसा एक केश भी आप नहीं बता सकते हैं । (व्यवधान) मैं बड़े जोर से नहीं बोल सकता, मेरी सेहत इजाजत नहीं देती है, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए ।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह):** बेलची का केस आपकी नोटिस में आया तो आपने क्या किया ?

**श्री चरण सिंह :** बेलची का केस जो मेरी नोटिस में आया उसमें दो गिरोहों का झगड़ा था जो कि पहले से चल रहा था और उसमें ऐक्शन लिया गया। (व्यवधान) आप मेरी बात सुनिये। इसका ब्लाइंडिंग से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन फिर उधर से भी बोलने नहीं दिया जाएगा। जब प्राइवेट आदमियों में, दो गिरोहों में झगड़ा होता है तो वहां पर डी० एम० और एस० पी० जाते हैं और अगले रोज डी० आई० जी० और कमिश्नर जाते हैं, वह केस चलता है और वे सजा पाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे जमाने में जुर्म नहीं हुए लेकिन मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि पुलिस के जरिए इस प्रकार का एग्जीक्यूटिव ऐक्ट और कहीं नहीं हुआ है और दूसरे यह कि उसको चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाया गया मगर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

मैं इस तरह के दो तीन केसेज और बतलाता हूं। अलमोड़ा जिले में कफालटा में 15 हरिजनों को जला दिया गया, यह भी आपके जमाने में हुआ। (व्यवधान) चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, आप सुनिए। बेलची में दो गिरोहों का झगड़ा हुआ था लेकिन कफालटा में एकतरफा 15 हरिजनों को जला दिया गया। जब यू० पी० में आपका प्रेसिडेंशल रूल था तब यह वाकया हुआ। (व्यवधान) बूटा सिंह जी, आप तो मिनिस्टर हैं, आपको जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। उस वक्त यू० पी० में प्रेसिडेंशल रूल था और बिहार में भी यही रूल था, डायरेक्ट रूल नहीं था।

**श्री बूटा सिंह :** हम भुक्त भोगी हैं, हमारे बुजर्गों को मारा गया है।

**श्री चरण सिंह :** आप दो गिरोहों के झगड़े को पुलिस अन्याय के साथ इक्वैट करना चाहते हैं यह आपको मुबारक हो।

अब एक दूसरा जुर्म आपको बतला रहा हूं। अभी हमारी पार्टी के एक एक्स मिनिस्टर जो अब यू० पी० में लोकदल के अध्यक्ष हैं उनका बहुत तफसील के साथ एक बयान निकला है, उनसे अभी मेरी बातचीत नहीं हुई है, मैं उनको बुला रहा हूं। देवरिया में 30-40 आदमियों को एन्काउन्टर दिखाकर शूट कर दिया गया हैं। उनमें एक शख्स ऐसा था, जिसका नाम भी दिया है, जिसके तीन-चार भट्टे चल रहे हैं और जिसके दो सगे भाई इंजीनियर्स हैं। (व्यवधान) उससे किसी की रंजिश नहीं थी, लेकिन उसको मार डाला गया, यह कह कर कि एन्काउन्टर दिखा दिया जाएगा। आप मुझसे एक सवाल कर सकते थे, जो आपने नहीं किया कि इस बिल से इसका क्या ताल्लुक है ? आप बागपत के मामले को लीजिए।

(व्यवधान)

मैं यह अर्ज करता हूं कि बागपत में तीन आदमियों को दिन-दहाड़े चौराहे पर शूट किया जाता है और एक नौजवान लड़की को पुलिस नंगा करती है, नंगा करके उसको बाजार में घुमाती है। मर्डर सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है, लेकिन अपराध की दृष्टि से "रेप" को भी मैं उस से बड़ा जुर्म समझता हूं..... (व्यवधान)..... मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं "रेप" को मर्डर

से बड़ा जुर्म समझता हूं । लेकिन "रेप" से भी ज्यादा किसी नौजवान लड़की को नंगा करके पुलिस के सब-इंस्पैक्टर और आफिसरों के जरिये सड़क पर घुमाना - हजारों आदमियों के सामने- बड़ा जुर्म है। मैं यह जानना चाहता हूं —क्या हिस्ट्री में इस बात की कोई मिसाल है ? कोई मिसाल नहीं है। आज मामूली-मामूली बातों पर सब-इंस्पैक्टरों को सस्पेण्ड कर दिया जाता है, लेकिन इस मामले पर सस्पैण्ड नहीं किया गया। इसके पीछे जो रीजन्ज हैं - जाहिर है कि मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अगर इस तरह के जुर्म हों 30-40 आदमियों को अन्धा कर दिया जाय, 30-40 आदमियों को एन-काउन्टर दिखाकर मार दिया जाय, औरतों को नंगा करके सड़क पर घुमाया जाय, तो बतलाइये ऐसी हालत में अपोजीशन का क्या फर्ज है ? फर्ज आपका भी है और हमारा भी कुछ फर्ज है। हमारा फर्ज यह है कि इन सब बातों के लिए हम आपको समझायें और अगर इन माकूल बातों को भी आप न मानें और आप अपने फर्ज को अदा न करें, तो फिर हमारा फर्ज यह हो जाता है कि हम उसके लिए एजीटेशन करें। अगर हम एजीटेशन नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते हैं। मैं ज्ञानी जैल सिंह जी से· · · ·

**श्री वसन्त साठे** : शान्ति के साथ एजीटेशन करें ।

**श्री चरण सिंह** : शान्ति के साथ एजीटेशन करते हैं और जो अब तक की हैं वे भी शान्ति के साथ की हैं ···(व्यवधान)···आप क्या बातें करते हैं, बोलने दीजिये ।··यह कोई शराफत की बात नहीं है, यह कोई तरीका नहीं है कि आप मुझे बोलने नहीं देते हैं ।···

मैं अर्ज कर रहा था कि इसके लिए हम एजीटेशन करेंगे । बेशक सेबोटाज और वायलेंस देश के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी हानिकारक हैं, लेकिन हम उसके लिए एजीटेशन करेंगे । मैं माननीय गृह मन्त्री जी से जानना चाहता हूं वह बार-बार कहते हैं गुण्डागर्दी को दबायेंगे । हमने जो एजीटेशन किया, किलिंग्ज के खिलाफ—क्या वह गुण्डागर्दी कहा जाएगा ? क्या यह हमारी गुण्डागर्दी होगी या हमारे कर्तव्य का पालन होगा ? मुश्किल यह है कि आप पब्लिक आर्डर के नाम पर डिस-आर्डर करना चाहें, इस डेफिनीशन के आधार पर उन सत्याग्रहियों को जो सच्चाई के रास्ते पर चलकर देश की सेवा करना चाहते हैं, जेल में ठूंस सकते हैं—इससे कौन रोक सकेगा, क्योंकि यह प्रेजुडीशियल टु पब्लिक आर्डर में आता है । इसी तरह से रिश्वत की बात है और डा० जगन्नाथ मिश्र की बात तो मैं पहले ही कह चुका हूं ।

अब दूसरी बात को सुनिये—यह मुजफ्फर नगर के विद्याभूषण के बारे में है, जिनका नाम अखबार में निकल चुका है, सुप्रीटेन्डेन्ट-पुलिस का बयान मौजूद है । चूंकि उनका नाम अखबार में आ गया है इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन दूसरे नाम का जिक्र नहीं करूंगा, मालूम नहीं अखबार में आया है या नहीं आया है···पाली गांव मुजफ्फर नगर से मिला हुआ है, लेकिन मेरठ जिले में है । मैं अनेक बार गांव में गया हूं । वहां डाका पड़ा, उस मकान में एक विडो थी और उसके दो बच्चे थे । गांव वालों ने मदद की । डाकू पकड़े गये । जो उनका लीडर था, उसकी जेब से एक खत मिलता है और वह खत विद्या भूषण का है, जो आपके टूरिज्य और फारेस्ट के मिनिस्टर हैं···

**एक माननीय सदस्य** : यह गलत है ।

**श्री चरणसिंह :** गलत नहीं है। इसके लिये शर्त लगाइये, अगर गलत है। उस खत में लिखते हैं कि आपने इलैक्शन में बहुत मदद की है—यह बात वे उस डाकू—गिरोह के सरदार को लिखते हैं मैं आपका बहुत-बहुत कृतज्ञ हूं, मशकूर हूं। जब आप लखनऊ आयें, तो मुझ से मिलने की कृपा कीजियेगा।

दूसरी बात, जो रायफल पकड़ी गयी—उसका नम्बर मौजूद है। अखबार में अनेक बार आ चुका है मुजफ्फर नगर के ही एक कांग्रेसी एम० एल० ए० के नाम उसका लाइसेंस है। मैं पूछना चाहता हूं क्या उस मिनिस्टर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, उसको अब तक क्यों मिनिस्ट्री में रखा हुआ है? कुछ एक्शन तो लिया है, लेकिन बहुत हल्का है। वहां के चीफ मिनिस्टर ने फारेस्ट का महकमा उस मिनिस्टर से ले लिया है, लेकिन टूरिज्म का महकमा अभी भी उनके पास है···

**श्री बसन्त साठे :** अब उसका क्या करना है? वैद्यलिंगम कमेटी की रिपोर्ट आपके खिलाफ है···

**श्री चरणसिंह :** क्या कहा, मेरे खिलाफ? कौन-सी रिपोर्ट है?

**श्री बसन्त साठे :** वैद्यलिंगम कमेटी की रिपोर्ट जो निकली थी।

**श्री चरणसिंह :** आप साठे साहब बोल रहे हैं। अच्छा मियां साठे साहब, अब मेरी बात सुनिये। जिस वक्त यह रिपोर्ट निकली और मुझे मालूम है, जिसमें कहा गया है ··(व्यवधान) अब आप मेरी बात सुनिये। उसमें कहा गया है कि 14 हजार रुपया मेरी वाईफ ने 10-12 आदमियों से रिश्वत के ले लिये—ऐसा एक आदमी ने कहा है ··

**श्री बसन्त साठे :** मुझे सुनाने से क्या फायदा है। बिल पर नहीं बोलना है और मुझे ही सुनाना है, तो सुनाईये।

**श्री चरणसिंह :** वह रिपोर्ट जैसी आयी है, वह यह है कि न कोई शहादत ली गयी, न कोई टैस्टिगोनी की गयी, न आदमी पेश हुए इस तरह की वह रिपोर्ट है। लेकिन जैसे ही पेपर में निकला, मैंने बयान दे दिया, प्रेस को। उन्होंने कहा था कि इस पर जुडीशियल एन्क्वारी कमीशन बैठाइये। लेकिन मैंने कहा एन्क्वारी कमीशन नहीं, सीधे कोर्ट में दावा दायर कीजिये —मेरी वाईफ के खिलाफ और आज भी आप को चेलेन्ज करता हूं अगर आप में हिम्मत है तो दावा दायर कीजिये। आर्डिनरी कोर्ट में तो देर लगेगी, स्पेशल कोर्ट में दावा दायर कीजिये — मेरे और मेरी वाइफ के खिलाफ। मेरा बयान रिकार्ड पर मौजूद है। 10-12 आदमियों से··· (व्यवधान)···दो-दो हजार रुपये रिश्वत ली है, जब कि मैं 14 करोड़ या 14 लाख रुपया किसी से भी ले सकता था·· आप को लज्जा आनी चाहिए थी···

(व्यवधान)

**श्री बसन्त साठे :** हमारी नीयत अलग है और आपकी नीयत अलग है। हम आपकी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे।

**श्री चरणसिंह :** मेरी वाइफ का कोई खत नहीं है, कि उसने रिश्वत ली है, लेकिन आपके मिनिस्टर का तो खत है कि डाकू साहब, आपने बड़ी मदद की है। जो एटीचूड साठे साहब का

है और अगर यही एटीचूड आपकी सरकार का है तो आपके मिनिस्टर के करप्शन के खिलाफ···

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : जब कई मन्त्री इस तरह हो-हल्ला मचाते रहें तो क्या इससे सदन की शालीनता और गरिमा को क्षति नहीं पहुंचती ?

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैंने किसी अन्य अवसर पर पहले ही अपनी टिप्पणी दे दी है कि जब राजनीतिक दलों के नेता बोलें तो ज्यादा व्यवधान नहीं पैदा किया जाना चाहिए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : दूसरे सदस्य व्यवधान कर सकते हैं। मन्त्रियों के बारे में क्या कहोगे ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : महोदय, मैं उस बात पर आपत्ति करता हूं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहते हैं। क्या मन्त्री किसी अलग वर्ग से सम्बन्धित हैं ? क्या वे सदन के सदस्य नहीं हैं ? जब एक माननीय सदस्य अपना भाषण दे रहा हो तो क्या मन्त्रियों को प्रश्न करने और व्यवधान करने का हक नहीं है ? (व्यवधान) हमें समान अधिकार मिले हैं।

(व्यवधान)

**श्री रामविलास पासवान** (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बात ये करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बोल सकतीं।

(व्यवधान)

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपके माध्यम से मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से अपील कर रहा हूं कि किसी उपयुक्त समय पर वे सभी दलों से सलाह-मशविरा करें और कोई समझौता तथा आचार संहिता तैयार करें जो मन्त्रियों पर भी लागू हो।

(व्यवधान)

**श्री सी० एम० स्टीफन** : 'मन्त्रियों पर भी'।

**श्री कमल नाथ झा** : उपाध्यक्ष महोदय, ये इस सदन के बुजुर्ग सदस्य हैं और इस देश के सम्मानित नेता हैं···

···(व्यवधान)···

**श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : यदि आप विपक्ष के सदस्यों को नहीं बोलने देंगे, तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे।

(व्यवधान)

**श्री रामविलास पासवान** ; उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस तरह से ये बीच-बीच में बोलते रहे, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बोलने देंगे। वे भी नहीं बोल सकेंगीं। यह कोई मजाक है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। चरणसिंह जी, कृपया अपनी बात जारी रखें।

**श्री चरण सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी की एक कीमत यह है कि हर आदमी को दूसरे की बात सुननी चाहिए। हो सकता है कि मैं एक गलत बात कहूं। हर आदमी से गलती होती है, मुझसे भी गलती हो सकती है। अब भी शायद मैं सारी बात गलत कह रहा हूं। लेकिन आपका फर्ज है कि आप खामोशी से मेरी बात सुनें। आपको भी मौका मिलेगा, तब आप उसका जवाब दीजिए। मैंने कुछ कहा तो आपने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ठीक है कि आपकी तादाद बहुत ज्यादा है लेकिन जैसा हमारे नौजवान दोस्त कह रहे थे कि इस तरह की बात होगी तो फिर हाऊस का चलना मुश्किल हो जाएगा।... (व्यवधान)... यह जो नशा हो रहा है, यह नहीं चलेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये। अब आप अपनी बात जारी रखें।

**श्री चरण सिंह** : मैं सबजेक्ट पर ही आ रहा था कि अगर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, तो हम एजीटेशन करें, यह निहायत माकूल बात है। मान लीजिए किसी मिनिस्टर के खिलाफ इन्क्वायरी कमीशन की फाइंडिंग्स हों और उनको केबिनेट रिजेक्ट कर दे तो उस पर अपोजिशन अपना प्वाएंट आफ व्यू प्रेजेन्ट करना चाहती है, पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहती है और एजीटेशन करती है, जिसमें वायलेंस न हो, देश को हानि पहुंचाने वाली बातें न हों तो क्या वह शांति से यह कर सकती है? क्या वह इस बारे में प्रचार या सत्याग्रह कर सकती है? आपके जो लफ्ज सुने हैं उनसे ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते हैं और अगर हम इन कामों को करेंगे तो आप हमें जेल भेज सकते हो।

आपने पहले भी यह बात कही थी और आपके प्रेडीसेशर ने सन् 1974 में यह बात कही थी कि हमारी मंशा पोलिटिकल वर्कर्स के फिलाफ इसका इस्तेमाल करने की नहीं है। माननीय देसाई ने उस समय कहा था जबकि गुजरात का आन्दोलन चल रहा था कि राइटिंग में दीजिए कि मीसा का इस्तेमाल पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ नहीं होगा और उन्होंने राइटिंग में ले भी लिया था फिर भी उसका इस्तेमाल हुआ। आपकी नीयत को अच्छी हम कैसे मानें जबकि आपके होम मिनिस्टर ने कहा, किसी और मिनिस्टर की बात तो ऐसे मामलों में चलती नहीं है, खुद प्राइम मिनिस्टर ने फरमाया कि इसका इस्तेमाल हम पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ नहीं करेंगे। अपोजिशन से मशविरा लेकर उन्होंने ये सब बातें की थीं और फिर भी पोलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। अब इसमें जबानी आश्वासन देने या कस्म देने से या किसी और तरह से आप हमें यह कहें तो यह तो हमें बेवकूफ बनाने की बात है। इस तरह से तो यह नहीं होगा।

अब एशियाड का मामला है जिस पर सरकार का दो सौ करोड़ रुपया खर्च होना है।

**श्री वसंत साठे** : यह किस तरह प्रासंगिक है?

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया सही विषय पर आइए।

इसकी रेलेवेंसी है । मैंने पहले भी यह कहा था कि पहले इस पर 32 करोड़ रुपया खर्च होना था, फिर 48 करोड़ रुपया हुआ, फिर 57 करोड़ रुपया हुआ । उसकी पूरी तफसील प्रेस में निकली है । एयरवेज प्रोजेक्ट बनाना है । और भी बहुत-सी बातें आपको एशियाड के लिए करनी हैं इसलिए दो सौ करोड़ रुपये से कम खर्च नहीं होगा ।

अब मैं आप से पूछना चाहता हूं कि हमारी प्रायरिटीज क्या है ? 52 परसेंट लोग जो बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिलता, उनके लिए कुछ करना जरूरी है या दो सौ करोड़ रुपया पब्लिक का एशियाड पर खर्च करना जरूरी है ?

उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान ने पहले 1982 में अपने यहां एशियन गेम्स कराने के लिए औफर किया था फिर उसने इन्कार कर दिया । पहले जब उसने औफर किया था तो उस समय इन पर 32 करोड़ रुपये खर्च होने थे अब इन पर दो सौ करोड़ रुपये से कम खर्च होने वाले नहीं हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब हमारे देश में आधे आदमी भूखे पेट सोते हैं तो पहले उनके खाने का प्रबन्ध करना हमारी प्रायरिटी है या अपने यहां एशियाड कराना प्रायरिटी है ?

इन एशियन गेम्स के बारे में मैं पहले भी कह चुका हूं और लोक दल भी कह चुका है जिसमें लोक दल के नुमाइन्दे भी शामिल हैं । अगर हम सिविल डिसऔबिडियेंस मूवमेंट इसके फिलाफ करते हैं और कहते हैं यह दो सौ करोड़ रुपया गरीबों पर लगाओ तो क्या आप उसको एजीटेशन कहेंगे, क्या हमको गुण्डा कहेंगे और उसमें हमको गिरफ्तार करेंगे ? तो पाइन्ट यह है कि···

(व्यवधान)

ये कहेंगे कि हम गुण्डागर्दी के खिलाफ यह कह रहे हैं । आप हर चीज को पब्लिक आर्डर में ला सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, डेमोक्रेसी में आर्थिक नीतियों में जो मतभेद होते हैं उसकी बिना पर पालिटिकल पार्टियां बनती हैं । हमारी राय में गन्ने का दाम बढ़ना चाहिए, आपकी राय ऐसी नहीं होगी ।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपने गन्ने की क्या कीमत दी थी ?

(व्यवधान)

**श्री चरण सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, कोई सीमा होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था, मेरे दोस्त यह कह रहे हैं कि आपने कितने दाम दिए थे किसानों को और गन्ना जलाया गया था और आप जनता पार्टी के मेम्बर थे, मैं उनको जवाब दूंगा, लेकिन इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप शांति से सुनिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरे जमाने की बात है तो ढाई और तीन रुपए फी किलो चीनी का दाम था।

(व्यवधान)

मैं एक बात कहकर बैठ जाता हूं। ज्ञानी जी के जरिये मैं और मिनिस्टर साहिबान से भी यह कहना चाहता हूं कि जितने वे बैठे हुए हैं मुझे अगर बोलने नहीं दिया जाता है तो मैं वार्न करता हूं कि इनमें से भी किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री ज्योतिर्मय बसु बोलें।

**प्रो० मधु दंडवते** : महोदय, क्या आपने वह बातें सुनीं जो श्री चरण सिंह ने कहीं — "यदि सत्तारूढ़ दल के सदस्य इस तरह मेरे भाषण में व्यवधान करते रहेंगे—इसमें मन्त्री भी शामिल हैं जो मुझे टोक रहे थे—तो मैं बैठ जाऊंगा लेकिन उनके दल के लोगों को भी बोलने नहीं दिया जाएगा।" (व्यवधान)

**श्री चरण सिंह** : मैंने कहा है कि आप इसके लिए राजी हैं ? अगर राजी हैं तो मैं भी राजी हूं और मैं बैठ जाता हूं लेकिन कोई बोलने नहीं देता है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चरण सिंह अपनी बात जारी किए हुए हैं। वे बोलने जा रहे हैं। कृपया आप सभी बैठ जाइए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वे सहयोग की बात कर रहे हैं। क्या यही सहयोग का तरीका है ?

**प्रो० मधु दंडवते** : हमने सभी भाषणों को अपनी नागरिक स्वतंत्रताओं का दमन करते हुए सहन किया है। हमने उनकी बातें खामोशी से सुनी हैं। वे हमारी बात न सुनने की धृष्टता कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आपको श्री चरण सिंह की आयु का विचार करना चाहिए, और आपको उनकी बात सुननी चाहिए। कृपया व्यवधान पैदा न करें। कृपया बैठ जाइए। आपको उनके स्वास्थ्य का भी विचार करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

**श्री चरण सिंह** : मैं अर्ज कर रहा था कि पोलिटिकल और इकोनोमिक पालिसीस में लाइन खींचना आसान नहीं है। जो पोलिटिकल मैटर है उसका इकोनोमिक रूप भी है और जो इकोनोमिक मैटर है उसका एक पोलिटिकल रूप भी है। जब हम इकोनोमिक सवाल उठाएंगे तब क्या वह पोलिटिकल भी नहीं बन जाता है ? गन्ने को ही आप लें। गन्ने के दाम किसानों को कम मिल रहे हैं। उसके लिए हम स्ट्राइक करायेंगे और नान वायोलेंट एजीटेशन करायेंगे तो वह चीज इस कानून के परव्यू में आती है या नहीं आती है, हम इसके परव्यू में आते हैं या नहीं आते हैं ? आ जाते हैं। यही नहीं। यू० पी० के चीफ मिनिस्टर का बाकायदा बयान है कि जो लोग हड़ताल कराएंगे, गन्ने के ज्यादा दाम दिलाने के लिए भड़काएंगे वे एन० एस० ओ० के अन्दर गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ही इज आन रिकार्ड। कल एक मीटिंग थी तराई में उत्तर प्रदेश में

जहां पर एक चीनी मिल है। वहां पर हमारा एम० पी० गया हुआ था। उन्होंने आकर मुझे सुनाया है कि कांग्रेस आई का, जो उस इलाके का एम० एल० ए० है, वह भी किसानों की डिमांड के साथ था, और काम कर रहा था और कह रहा था कि इनको ज्यादा दाम मिलने चाहियें। वह एजीटेशन में शामिल था। उसको डी० एम० बुलाता है और कहता है कि देखो, अगर तुमने यह काम किया तो हम तुमको एन० एस० ओ० में भेज देंगे, चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे। वह खामोश हो गया।

**श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत** (अल्मोड़ा) : कौन है। वहीं का मैं हूं। नाम बता दें।

**श्री चरण सिंह** : तराई वह इलाका है जो नैनीताल और रामपुर के बीच में पीलीभीत जिले में पड़ता है। खटीमा एक जगह है वहां पर शूगर फैक्ट्री है। वहां एक एम० पी० कल जाता है किसानों के एड्रेस करने के लिए और आज सुबह मुझे आकर बताया है कि कांग्रेस आई के एम० एल० ए० को डी० एम० ने कहा है कि एन० एस० आर० में तुम भी गिरफ्तार किए जा सकते हो। इससे क्या फर्क पड़ा अगर मैंने फैक्ट्री का नाम नहीं बताया ? अब महाराष्ट्र में एक ऐजीटेशन हुआ, एक इंडिमेंडेंट आदमी ने किया, लेकिन दुनिया को मालूम है कि···

(व्यवधान)

पब्लिक आर्डर के प्रीजीडुशियल हो, शांन्ति व्यवस्था के कायम रखने में कोई चीज हासल हो तो जेल भेजा जा सकता है। यह एन० एम० ओ० में भाषा लिखी हुई है : "कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल" अगर इकोनामिक और पब्लिक क्वेश्चन पर हम कोई ऐजीटेशन करते हैं तो हम भी सब उसके अन्दर आ जायेंगे और यह यू० पी० के चीफ मिनिस्टर का ब्यान है और कांग्रेस (आई) के एम० एल० ए० को डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने यह कल कहा, और उसको चुप होना पड़ा। यह कांग्रेस (आई) का लखनऊ का एम० एल० ए० है।

महाराष्ट्र में एक इंडिपेंडेंट आदमी ने ऐजीटेशन किया प्राइसेज के लिये, श्री शरद जोशी ने, और दुनिया को मालूम है कि जो कांग्रेस (आई) के एम० एल० ए० और एम० पी० थे उनमें से कुछ उनकी बात को बाजिब और उचित समझते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि एन० एस० ओ० में शब्द वाइडली वर्डड हैं और इनका मिसयूज हो सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : एक रिक्वेस्ट मेरी सुन लीजिए। थोड़ा समय का ध्यान रखकर अपना भाषण सम अय कीजिये।

**श्री चरण सिंह** : मैं, साल में अध्यक्ष महोदय, केवल दो बार बोला हूं। मैं कोई इर्रेलीवेंट बात नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आप उधर कम डांटते हैं और इधर ज्यादा डांटते हैं।

**श्री चरण सिंह** : मेरी तन्दुरुस्ती ऐसी नहीं है जो ज्यादा बोलूं।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप डिबेट में बोलते तो जितना वक्त चाहते मिल जाता। आपने थर्ड रीडिंग में 15 मिनट के लिये कहा था, लेकिन 55 मिनट हो गये आपको बोलते। इसलिये आप थोड़ा सम अप कीजिये।

**श्री चरण सिंह** : अगर आप अपने आफिस में सब बातें सुन रहे थे तो आपने सुना होगा मेरे दोस्तों ने कितना शोर मचाया । मुझे माफ कीजिये, आपका हक था कि आप इनसे आकर कहते, न कि मुझसे कहते । अगर नहीं चाहते मैं बोलूं तो मैं नहीं बोलता ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब आपने मेरे से बहस शुरू कर दी । लिबरल ऐटीट्यूट लेकर मैंने बहस कराई है उतना कोई नहीं करवा सकता ।

**श्री चरण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह मामूली बिल नहीं है, इस पर बहस हो तो अच्छा है । जितनी देर टोकाटाकी हुई इतनी देर में तो मैं खत्म कर देता । 15 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा ।

तो मैं कह रहा था कि इस तरह से पब्लिक आर्डर शब्द रखा है उसका मिसयूज किया जा सकता है ।

यह किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में मेरे पास एक चिट्ठी है । एक शख्स को मुरादाबाद में गिरफ्तार किया गया, उसका नाम है मिर्जा असलम बेग । 21 अक्तूबर की रात्रि में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत उसको गिरफ्तार किया गया । वह एक निर्दोष सामाजिक कार्यकर्ता है, पोलिटिकल नहीं है । वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान सभा का चुनाव भी लड़ा था, किसी पार्टी की तरफ से नहीं लड़ा । उसके पिता ने जब जिला अधिकारी मुरादाबाद से शिकायत की तो जिला अधिकारी, मुरादाबाद ने कहा कि गलती हो गई है, अगर इसी नाम के दूसरे व्यक्ति को ले आवें तो मैं आपके लड़के को छोड़ दूंगा ।

शायद श्री जैल सिंह जी को यकीन नहीं आयेगा, किसी को नहीं आये, मिर्जा असलम बेग के पिता ने लखनऊ हाई कोर्ट में जिला अधिकारी के वक्तव्य का टेप सुना दिया और अभी 11 दिसम्बर, 1980 को उसी आधार पर उच्च न्यायालय ने मिर्जा असलम बेग को छोड़ दिया ।

मैं यह अर्ज करता हूं, मैंने नहीं सुना है, बीच में किसी ने इन्ट्रप्ट किया था कि एक शख्स मर गया था और उसके खिलाफ भी वारन्ट जारी किये गये । मेरी बहिन गीता मुखर्जी कह रही थीं कि एक शख्स पर चार्ज लगाया गया, जब उसे गिरफ्तार किया गया कि तुमने रेप कमिट किया है । अगर उसने रेप कमिट किया है तो क्राइम का केस था, चालान अदालत के सामने होना था, लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब आप मौजूद नहीं थे, हमारे मिनिस्टर आफ लॉ यहां बैठे हुए, थे उन्होंने कहा कि ठीक तो था । क्राइम होंगे तो क्राइम का चार्ज लगेगा वह इसमें गिरफ्तार होंगे ।

श्री जैल सिंह जी मौजूद हैं, मैं उनके मुंह पर और सबके मुंह पर कह रहा हूं कि लॉ मिनिस्टर ने कहा कि ठीक हुआ । इसी तरीके से यह इस्तेमाल होगा ।

आप जो कमेटी बना रहे हैं, वह है जो पुराने कांस्टीट्यूशन में रखा हुआ था कि गवर्नमेंट एप्वाइन्ट करेगी रिव्यू बोर्ड को । उस आदमी को भी उसका मेम्बर बनाया जा सकता है, जो कि हाईकोर्ट का जज बनने की काबिलयत रखता हो । या तो जैल सिंह जी लीडर रहे होंगे या घर का काम किया होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वकालत नहीं की है, यह बता जा रहा हूं ।

10 साल की स्टैंडिंग जिस एडवोकेट की हो, वह हाईकोर्ट का जज हो सकता है। तो फिर मेम्बर को गवर्नमेंट एप्वाइन्ट करेगी और वह 10 साल के किसी भी एडवोकेट को, चाहे वह किसी भी करैक्टर का आदमी हो, इस कमेटी का मेम्बर बना सकती है। इसलिये मैंने कहा कि श्री जैल सिंह जी को मालूम नहीं और हर वकील हो सकता है हर आदमी जो डिस्ट्रिक्ट जज है, हजार डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उसमें से किसी को वह मेम्बर बना सकते हैं। हमने यह रखा था कि हाई कोर्ट का जज सर्विंग या रिटायर्ड, तीनों जज होंगे और चीफ जस्टिस उस रिव्यू बोर्ड को बनायेगा और उसके नाम गवर्नमेंट को भेजेगा, जिन्हें गवर्नमेंट एनाउन्स करेगी और वह रिव्यू बोर्ड हो।...

रिव्यू बोर्ड आपने पुराना रखा है। पहले आपने इस अध्यादेश में रखा था जो अमेंडेड था और उसको फिर अमैंड किया। हम उसको यों नहीं बना पाये कि असेम्बली उस वक्त आधे से ज्यादा।

(व्यवधान)

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर अगर नियत केवल यही है कि इन्साफ हो, रेप वाला या गलत आइडिएन्टिटी वाला या मरा हुआ आदमी गिरफ्तार न हो जाये तो जो पहले से गवर्नमेंट कर गई थी, जिसे श्री चटर्जी ने बहुत तफसील के साथ कहा कि आप सबने कांस्टीट्यूशन के उस अमैंडमैंट को पसन्द किया था और सपोर्ट किया था, तो उसके मुताबिक आज रिव्यू बोर्ड क्यों नहीं बनाते हैं ?

बात केवल एक रह गई है जिसे हम जानना चाहते थे। हमारे ज्ञानी जी बार-बार कहते रहे कि हम भी चेंज हो गये आप भी चेंज हो गये। उन्होंने यह बात दस दफे कही, आपके सामने भी कही, 4, 5 दफे तो हमारे सामने कही गई। अगर आप चेंज हो जाते तो जो पुराना एक्ट आपने मीसा का बनाया था, उसमें चेंज करते, लेकिन वह तो चेंज आपने नहीं किया और फिर यह कि हम इसका नाम क्या यह रखते कि सिविलाइजेशन आर्डिनन्स, लोगों को मुहज्जब बनाते। आप मुहज्जब तो नहीं बनाते, लेकिन कहना चाहता हूं कि जो रवैय्या है, माननीय प्रधान मंत्री जी का एक बयान निकला था कल या परसों कि कांग्रेस (आई) के जिन लोगों पर केसेज चल रहे हैं जनता पार्टी के जमाने से, ऐसी बात उसमें कुछ नहीं, अनक्वालीफाइड आर्डर है, वह सब वापिस हो जाने चाहिएं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पांडेय** : बिल्कुल।

**श्री चरण सिंह** : करिये, वह आपका नशा है, मैं जानता हूं। (व्यवधान) अगर आप इस तरीके से करेंगे, मेरे दोस्त दुनिया में लॉ आफ काजेशन है; काज और इफैक्ट का नियम है, जो आप करने जा रहे हो, मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं कि जो गत पिछली बार बनी थी, उससे ज्यादा बनेगी, यह बिल आपका दाह-संस्कार साबित होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सब मेम्बर साहबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कोआपरेट करें। अगर हम इसी तरीके से टाइम लेते जायेंगे, तो खत्म करने में रात के 12 बज जायेंगे। सब

पार्टियों के मेम्बर बोल चुके हैं। कल अंडरस्टैंडिंग थी कि आज 2 बजे तक इस बिल को पास कर देंगे। थोड़ा-थोड़ा बोल कर पायंट्स को सम अप कर दीजिए। सारा डिसकशन हो चुका है। मेम्बर साहबान सात-सात मिनट में अपनी बात कह दें।

**श्री राम जेठमलानी** : चौधरी साहिब कभी-कभी सदन में आते हैं। इसीलिए उन्होंने ज्यादा समय लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर वह पहले आ जाते, तो मैं उन्हें डीबेट में बुला लेता।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) महोदय, यदि सरकारी पक्ष के मेरे मित्र हाल के अन्तर्राष्ट्रीय निर्णयों को पढ़ना पसन्द करेंगे, विशेषकर एमनेस्टी इन्टरनेशनल का निर्णय, तो इसमें स्पष्टतया कहा गया है कि जो देश संसदीय लोकतन्त्र और लोकतन्त्र की बात करते हैं, उनमें निवारक निरोध कानून अनावश्यक तथा अनुचित है क्योंकि दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकतीं। आप एक ही समय में उत्तर तथा दक्षिण की यात्रा नहीं कर सकते। 1961 में निवारक निरोध अधिनियम रद्द हो गया था और उस समय श्रीमती गांधी एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहीं थीं और इसलिए उन्हें लोकतंत्र और समाजवाद की छवि बनाये रखनी पड़ी। निवारक निरोध अधिनियम दोबारा नहीं लाया जा सका क्योंकि इसके लिए उन्हें अन्य दलों से समर्थन प्राप्त करना पड़ता और यह लिटमस टैस्ट था कि देश बिना निवारक निरोध अधिनियम के रह सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। हम पूर्ण रूप से समझते हैं कि उनका जीवन दर्शन क्या है। वे ''जिसकी लाठी उसकी भैंस'' में विश्वास करती हैं। ऐसा ही है अन्यथा मैंने कुछ और सोचा होता। जो श्री डागा ने कहा मैं उसको भली प्रकार समझता हू और मैं दूसरी ओर के अपने और अधिक मित्रों से यह अपेक्षा करता कि वे समझते कि पहले क्या हुआ था और उससे सबक लेते। क्या वे भूल गये हैं कि हमारे मित्र श्री चन्द्रशेखर के साथ क्या हुआ जो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे ? क्या वे भूल गये कि श्री रामधन के साथ क्या हुआ, जो संसदीय ग्रुप के सचिव थे और 1959 में दल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे ? (व्यवधान) क्या वे भूल गए कि श्री कृष्णकान्त के साथ क्या हुआ ? क्या वे भूल गये कि निवारक निरोध का किस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है ? आप याद करें कि 85 वर्षीय श्री भीमसेन सच्चर के साथ क्या हुआ ? वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए थे, वह व्यक्ति जो मुश्किल से चल सकता था। वे अब क्या कर रहे हैं ? मुरादाबाद में आयोग के समक्ष गवाही देने से रोकने के लिए वे राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं। जब आंसुका लागू था, तब हुगली में मुझे याद है कि हमारे दल के एक कार्यकर्त्ता की नजरबन्दी का एक कारण दिया गया था जिसमें कहा गया था कि ''आपको नजरबन्द किया जायेगा क्योंकि आपने श्री 'क' को धमकी दी है कि आप पुलिस को बता देंगे कि वह एक डकैती के मामले में शामिल था।'' आश्चर्यजनक मामला। मैंने इस सभा के पटल पर इसकी फोटोस्टेट कापी रखी थी जहां जिला दण्डाधिकारी बर्दवान ने स्वीकार किया था कि उन्होंने आपातकाल के दौरान एक कोरे दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। पुलिस द्वारा दिए गए नजरबन्दी आदेशों के बन्डल सिविल अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किए गए और उन्हें उन पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। यदि आप शाह आयोग के समक्ष गवाही पढ़ें तो आप उनमें से कई ऐसे मामले पायेंगे। जो हम कर रहे हैं, यह निरर्थक

प्रक्रिया है क्योंकि जिन्हें नजरबन्द किया गया था वे जानते थे कि तीन सप्ताह या छह महीने नगण्य हैं। आपको नजरबन्द किया गया। आपको रिहा करने का आदेश दिया गया। आपने अपना सामान बांधा और बाहर आये। जब आपका एक पाँव बाहर था और दूसरा अन्दर तब आपको नया निवारक नजरबन्दी आदेश दे दिया जाता है। आप हममें से बहुत से ऐसे लोगों को जानते हैं जिनको यह भोगना पड़ा। मैं अपने दावे को सिद्ध करने के लिए काफी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता हूं। अपहरणकर्त्ता का क्या हो रहा है···?

**अध्यक्ष महोदय** : आप दोहरा रहे हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : वे अपराध कार्य को दबाने को बिलकुल उत्सुक नहीं हैं। उन्होंने अपहरणकर्त्ता के विरुद्ध केस वापस ले लिया है।

(व्यवधान)

भ्रष्टाचार के केस वापस लिए जा रहे हैं। नन्दिनी सत्पक्षी का मामला साफ मामला है। वे उत्सुक नहीं हैं। यह सब राजनीतिक विरोधियों, मजदूर संघ कार्यकर्त्ताओं और अपनी पार्टी के विरुद्ध असन्तुष्टों की आवाज के विरुद्ध है। श्री जगन्नाथ मिश्र के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में बिहार के पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) पर दबाव डाला जा रहा है कि वे देखें कि भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए हैं ?

हमारे सरदार जैलसिंह कहां हैं ? मैं उन्हें कहूंगा कि वे अपने आपको सुधारें। गुरुदेवसिंह समिति रिपोर्ट का क्या हुआ उस अपराध कार्य का क्या हुआ ? जो बताया जाता है कि मुख्यमन्त्री ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके किया ? उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वे इस सभा में विधेयक को प्रस्तुत करने आते हैं।

1974 में एक युवा पुलिस अधिकारी ने एक मामला पकड़ा था। वह उस समय सत्ताधारी दल के राजनीतिक चरित्र को नहीं जानता था। अतः उसने श्री एस० के० मोदी को गिरफ्तार कर लिया। 4990 बोरी गेंहूं काला बाजार में बेचने के लिए गैर-कानूनी तौर पर स्टोर किया गया था। मेरे पास····· द्वारा हस्ताक्षरित पत्र हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : सात मिनट समाप्त हो गये हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मामला अभी भी अटका हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : यही परेशानी है। मैं लोक सभा में 14 वर्षों से हू। यदि अध्यक्ष सत्ताधारी दल से आया है तो हमारे लिए कठिनाई हो जाती है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे दूसरे ढंग से नहीं ले सकते।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मैं जानता हूं। अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार केस बताता हूं। वे कालाबाजारियों, जमाखोरों और आर्थिक अपराधियों को रोकना चाहते थे। मुझे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में श्री जुगल किशोर सिंघानिया के औद्योगिक संस्थानों की जांच करनी थी। उन्हें बीजक में 49.5 लाख रुपए कम लिखने के बारे में पकड़ा गया था और सत्ताधारी दल

के कोषाध्यक्ष ने उस व्यक्ति को रिहा कराने के लिए 25 लाख रुपये लिए। क्या आपको इस सब को रोकना नहीं चाहिये। इस कानून का उपयोग हमें बन्द करने के लिए किया जाएगा। वे लोकतंत्र को उपहास का विषय बना रहे हैं। और उन्होंने जो आश्वासन दिए हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, जिस कागज पर यह लिखा गया है उसकी भी कोई कीमत नहीं है।

मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

**श्री राम जेठमलानी** : अध्यक्ष महोशय, मैं इस ओर के भाषण सुन रहा था। परन्तु सरकारी पक्ष के भाषण मैंने बड़े आदर और ध्यान से सुने। मैं विशेषकर उस अलोचना के प्रति सचेत हूं जो श्री स्टीफन ने कुछ दिन पहले की थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग अर्थात इस ओर के जिन्होंने पहले निवारक निरोध विधेयक का समर्थन किया था, अब उनकी सरकार द्वारा इस बिल को लाने पर विरोध करने से, वे नैतिक दृष्टि से विरुद्ध हो गए हैं। मैं थोड़ी शर्म के साथ यह स्वीकार करने के लिए बाध्य हूं कि उनकी आलोचना कुछ हद तक न्यायसंगत है। परन्तु जहां तक मेरा संबंध है मुझे आशा है कि श्री स्टीफन भी यह स्वीकार करेंगे कि निवारक निरोध कानून का समनुरूप तौर पर विरोध करने का मेरा रिकार्ड है, चाहे उसे लाने वाली श्रीमती इन्द्रा गांधी थीं या तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह थे (व्यवधान) आप अपने विवेक पर कुछ भरोसा नहीं करते ? मैंने इसका उत्तर सैकड़ों बार दिया है। श्रीमान, मैं अपने भूतकाल से किसी भी निरोध से परेशान नहीं हूं।

परन्तु चरण सिंह सरकार के प्रति न्याय करते हुए जो यह विधेयक लाई थीं और जिसका उल्लेख श्री स्टीफन ने किया, मुझे कहने दिया जाय कि उस कानून में सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि नजरबन्द करने के उनके अधिकारों को नितान्त सीमित कर दिया जाएगा। मैंने सोचा कि कम से कम जब आप उन उदाहरणों का उल्लेख करते हैं तो आप चरण सिंह सरकार के उस उदाहरण से सबक सीखने का प्रयत्न करेंगे। उस विधेयक में, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक था, हमने विशेष रूप से, बहुत स्पष्ट तथा सुस्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया था कि "लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना", "भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना" इत्यादि का क्या अर्थ होगा। श्री जैल सिंह के लाभ के लिए, इस आशा में, मुझे इस विधेयक के उन अनुच्छेदों को उद्धृत करने दिया जाए कि शायद उन्हें, देर से ही सही, समझ आ जाए। इसके अनुसार :

"उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए"—

(क) "राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना" से अभिप्रेत है, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार को उलटने के लिए या आतंकित करने के लिए किन्हीं प्राणहर आयुधों का (जिनके अंतर्गत अग्न्यायुध, विस्फोटक पदार्थ और संक्षारक पदार्थ भी हैं) प्रयोग करने के लिए तैयारी करना या प्रयोग करने का प्रयत्न करना या प्रयोग करना या प्रयोग करने के लिए उकसाना, उद्दीप्त करना या अन्यथा दुष्प्रेरित करना;

(ख) "लोक-व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना" से अभिप्रेत है, :

(i) धर्म, मूलवंश, जाति या समुदाय के आधार पर शत्रुता या घृणा या असामंजस्य की भावना को बढ़ावा देना, उसका प्रचार करना या उसे पैदा करने का प्रयत्न करना;

(ii) किन्हीं प्राणहर आयुधों का (जिनके अंन्तर्गत अग्न्यायुध, विस्फोटक पदार्थ और संक्षारक पदार्थ भी हैं) प्रयोग करने के लिए तैयारी करना या प्रयोग करने का प्रयत्न करना या प्रयोग करना या प्रयोग करने के लिए उकसाना, उद्दीप्त करना या अन्यथा दुष्प्रेरित करना जहां ऐसी तैयारी, प्रयोग, प्रयत्न, उकसाने, उद्दीपन या दुष्प्रेरण से लोक-व्यवस्था विक्षुब्ध की जाती है या उसका विक्षुब्ध किया जाना संभव है।"

परिभाषाओं की भावना इस प्रकार है। इसके दो और व्यापक खण्ड हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : इसके अन्तिम उप-खण्ड को भी पढ़ें जिसमें शरारत को भी इस परिभाषा के अन्तर्गत में लाया गया है।

**श्री राम जेठमलानी** : चूंकि आगजनी भी एक प्रकार से शरारत है अतः इसे रखना पड़ा।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : "आगजनी" और "शरारत" भिन्न हैं। "शरारत" का अलग अर्थ है। बस पर पत्थर फेंकना भी एक प्रकार का आन्दोलन है। इसे भी इसमें लाया जा सकता था। हर बात इसके अन्तर्गत लायी जा सकती है, उप-खण्ड (क) और (ख) से आप क्या रोकना चाहते हैं। आप इसे आगे क्यों नहीं पढ़ते ?

**श्री राम जेठमलानी** : मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपको पढाने नहीं आया हूं।

मेरी दूसरी आलोचना यह है कि यह विधेयक द्वारा फायदा उठाने का प्रयास है···

**श्री सी० एम० स्टीफन** : इस विधेयक का उप-खण्ड (iii) के अनुसार : "लोक सम्पत्ति या लोक यातायात के साधनों के सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 425 के अर्थ में रिष्टि करने का प्रयत्न करना या रिष्टि करना या रिष्टि करने के लिये उकसाना या उद्दीप्त करना या अन्यथा दुष्प्रेरित करना जहां ऐसी रिष्टि करने से लोक-व्यवस्था विक्षुब्ध की जाती है या उसका विक्षुब्ध किया जाना सम्भव है।"

अतः यह भी वहां है।

**श्री राम जेठमलानी** : अब आप समझे कि यह आगजनी से सम्बन्ध रखते हैं। श्री स्टीफन के साथ यह परेशानी है कि वे किसी प्रकार के वकील नहीं हैं।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैं सहमत हूं कि मैं वकील नहीं हूं। मैं सांसद हूं।

**श्री राम जेठमलानी** : इस विधेयक में नजरबन्दी की शक्ति चार आधारों पर ली गई है। एक भारत की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डालता है। मैं कहता हूं कि इस समय भारत की सुरक्षा के लिए कोई प्रत्यक्ष आशंका नहीं है, सिवाय इसके कि यह सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में

जानबूझ कर मुसीबत मोल लेने का प्रयत्न कर रहा है और इस तरह पड़ौसी देशों के साथ प्रत्यक्ष रूप से तनाव पैदा कर रही है ।

दूसरी बात विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आधार के सम्बन्ध में है । मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति को नजरबन्द करने के लिए यह हानिकर आधार है क्योंकि इसका सम्बन्ध विपक्ष से है और मेरा यह आरोप है कि आप उन शक्तियों का पक्ष ले रहे हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है । जिनका मानवाधिकारों में विश्वास नहीं है । आपका साथ गलत लोगों से है । उसका प्रतिबिम्ब आपके घरेलू कार्यों में परिलक्षित होता है । वास्तव में आप लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं । किसी विदेशी शक्तियों की आलोचना करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है । आपको यह बताना हमारा लोकतात्रिक अधिकार है । कि आप कुछ विदेशी ताकतों की बुरी संगत में हो ।

तीसरी बात राष्ट्रीय सुरक्षा की है । हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी किस्म के खतरे तथा कोई दृष्टि गोचर आशंका की बात नहीं है यदि इस क्षण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को किसी खतरे की बात है तो वह देश के विभिन्न भागों में आपकी कार्यवाहियों का प्रत्यक्ष परिणाम है । भारत की सीमाओं, विशेष रूप से उत्तर-पूर्व सीमाओं की रक्षा करने में गत 30 वर्षों से आपकी आपराधिक लापरवाही का प्रत्यक्ष परिणाम है । इसलिए ये कारण पैदा करके आप इन्हीं कारणों का लाभ नहीं उठा सकते जो आपने स्वयं नागरिकों के अधिकारों का हनन करने के लिए उत्पन्न किए हैं ।

उसके बाद आप जन-जीवन के लिए अनिवार्य पूर्तियों तथा सेवाओं के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली गतिविधि की बात करते है । यह आपकी त्रुटिपूर्ण औद्योगिक नीति के कारण है कि आज उत्पादन कम हो गया है, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा रहा है । आपकी वितरण प्रणाली दोषयुक्त तथा भ्रष्ट है । इसलिए इन दोषयुक्त आर्थिक नीतियों ने यह स्थिति पैदा कर दी है तथा आप पुनः अपनी गलतियों का फायदा उठा रहे हैं ।

इसलिए मेरी शिकायत है कि हर मोर्चे पर अपनी भारी असफलता को छुपाने के लिए यह विधेयक एक घूमपट तथा छद्मभावरण है । यह आपकी अक्षमता का तथा आपके भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष परिणाम है कि आप इसके समाधान का प्रयास कर रहे हो ।

इस सभा तथा विशेष रूप से इन सज्जनों को जो सब कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आज जिस नये हथियार को आप बना रहे हैं उसी हथियार से आप नष्ट हो जायेंगे । आप एक नई आग भड़का रहे हैं और आप इस आग से शीघ्र नष्ट हो जाओगे । आप हथियार का प्रयोग दूसरों के विरुद्ध करने से पूर्व स्वयं अपने विरुद्ध करेंगे । इतिहास अपने को दोहरायेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री इन्द्रजीत गुप्त आपको पांच मिनट का समय दिया जाता है ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (बसीरहाट) : किसी भी अवसर पर इस विधेयक पर मैंने एक शब्द नहीं बोला है ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप न बोले हों पर आपके दल के सदस्य बोल चुके है। कृपया मेरी सहायता कीजिए।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आपने थोड़े ही पहले यह कहा कि आप सात या आठ मिनट का समय दे रहे हैं। अब आप पांच मिनट के समय के लिए कहते हैं। उसके बाद आप दो मिनट के समय के लिए कहेंगे। यह मेरी समझ में नहीं आता है।

मैं सभा को इस बात का स्मरण कराना चाहूंगा कि अभी तक इस सरकार के सत्ता में आने का एक वर्ष पूरा नहीं हुआ है। हम इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं और भाग्य तथा इतिहास की यह विडम्बना है, और मैं नहीं जानता हूं कि क्या कुछ है कि एक वर्ष पूरा होने से पूर्व ही इस सरकार को निवारक नजरबन्दी के इस कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि वे इसके बिना चल नहीं सकते हैं।

निःसन्देह, बल्कि यह विचित्र तमाशा है कि पहले और अब के निवारक नजरबन्दी के समर्थक यहां इस बात पर बहस कर रहे हैं कि एक खण्ड दूसरे की अपेक्षा अच्छा था या बुरा।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : समर्थकों में से आपने किस को सहयोग दिया।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किसी विदेशी ताकत के साथ किसका सम्बन्ध है कोई सा भी पक्ष हो– श्री जेठमलानी विदेशी संबंधों का उल्लेख कर रहे थे। मुझे मालूम नहीं है कि वे किस विदेशी गठबन्धन में होना पसंद करेंगे परन्तु निश्चित रूप से दोनों एक दूसरे के साथ होड़ लगा रहे हैं और इसलिये आप इसे दंड प्रक्रिया संहिता में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मामले की सच्चाई यह है कि सरकार पूरे संकट में फंस गई है और अब इसका विश्वास अन्य उन कानूनों पर नहीं रह पाया है जो इसके पास हैं। तथा अन्तिम उपाय के रूप में इस निवारक नजरबन्दी विधेयक को लाना पड़ा है, परन्तु बहुत से मित्रों ने यहां पर हमें याद दिलाया है कि पुराना निवारक नजरबन्दी अधिनियम या भारत रक्षा अधिनियम या आंसुका या वर्तमान विधेयक समय-समय पर सारे भिन्न-भिन्न नामों से आते रहे और हर बार हमें यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि इसका प्रयोग राजनैतिक विपक्ष के विरुद्ध नहीं किया जाएगा। इसका प्रयोग वैध मजदूर संघ गतिविधियों आदि को दबाने के लिए नहीं किया जाएगा। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बार-बार कहा है कि इसका प्रयोग केवल समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध, देश के शत्रुओं के विरुद्ध, गुंडों के विरुद्ध किया जाएगा। मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने श्री बनातवाला को यह कहकर शान्त करने का प्रयास किया, "आप इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं इस विधेयक का उद्देश्य अल्प संख्यकों की सुरक्षा करना है।" वैसी ही बात यहां पर आंसुका के दिनों के दौरान कही गई थी। जब बंगला देश का युद्ध हुआ तो आंसुका के पहले पीड़ित हजारों निर्दोष मुस्लिम थे जो गिरफ्तार किये गये थे और नजरबन्द किये गए थे क्योंकि उनके विरुद्ध रुचि लेने वाले दलों द्वारा शिकायतें की गई थीं कि वे पाकिस्तान रेडियो अथवा कुछ और सुन रहे थे। लोगों ने उस तरह से अपयी पुरानी रंजिस निकाली। उन्हें बाद में सबको छोड़ना पड़ा था। कृपया यह मत कहिये कि यह विधेयक अल्प संख्यकों की सुरक्षा करने के लिए लाया

जा रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब इस हथियार का अल्प संख्यकों के विरुद्ध प्रयोग होता है न कि उनकी सुरक्षा करने के लिए ।

मैं आपको यह भी स्मरण कराना चाहूंगा कि मैं पुराने निवारक नजरबन्दी अधिनियम का शिकार रह चुका हूं । 1953 में मैं पहली बार नजरबन्द किया गया था क्योंकि मैं प० बंगाल में उन जूट मिल मजदूरों के बोनस के लिए किसी आन्दोलन का नेतृत्व कर रहा था जिन्हें उस समय तक बोनस का एक भी पैसा नहीं मिला था । मैंने कलकत्ता में एक विशाल सभा को सम्बोधित किया था । मैं स्वीकार करता हूं कि जूट मिल मजदूरों को मैंने कहा था यदि बोनस का यह अधिकार उन्हें नहीं दिया जाता तो उनको हड़ताल के लिए तैयार रहना होगा ।'' अपने भाषण के बाद, मैं सभा से चला आया । तब घर के रास्ते में सड़क पर सादे कपड़ों में पुलिस वालों ने मेरा पीछा किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत तीन महीने के लिए नजरबन्द कर दिया था । बाद में मुझे बताये गए कारणों में कहा गया था कि किसी गुप्त बैठक में किसी स्थान या अन्य स्थान पर मैंने लोगों को बमों तथा पाइप गनों और क्या नहीं का प्रयोग करने के लिए उकसाया था ? मुझे तीन महीने के बाद बन्दी-प्रत्यक्षीकरण याचिका पर चच्च न्यायालय कलकत्ता से रिहा किया गया ।

1959 में मुझे दूसरी बार प० बंगाल में खाद्य के लिए विशाल आन्दोलन के समय निवारक नजरबन्दी के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया, जब सैकड़ों लोगों को नजरबन्द किया गया—उस समय श्री प्रो० फूल चन्द्र सैन की सरकार सत्तारूढ़ थी । गांवों से आए भूखे लोगों के विशाल प्रदर्शन पर गोली चलाई गई और बहुत से लोगों को नजरबन्द किया गया तथा मौत के घाट उतार दिया था । अन्ततः इससे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ । अगले वर्ष मैं इस सभा के लिए पहली बार निर्वाचित किया गया और श्री पी० सी० सैन का मुझे मालूम नहीं है कहां हैं । क्या कारण बताए गए थे ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर बार कारणों से यह सिद्ध हुआ कि वे सब झूठे थे जो असंबंधित नजरबन्द व्यक्तियों के विरुद्ध घड़े गए थे तथा उनका उसके वास्तविक कृत्यों से कोई सम्बन्ध नहीं था । इसलिए हमें इन आश्वासनों में तनिक विश्वास नहीं है जो यहां पर बेशर्मी से दिए गए हैं और जिनका हर बार उल्लंघन किया जाता है ।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में, औद्योगिक अशान्ति, आवश्यक सप्लाई तथा सेवाओं आदि जैसी बातों का उल्लेख है । अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि सदैव इसका प्रयोग मजदूर संघ संचालकों के विरुद्ध किया गया है । नियोजकों के विरुद्ध कभी नहीं किया गया जो कारखानों को बन्द करने, तालाबन्दी की घोषणा करने, बन्द करने की घोषणा करने तथा औद्योगिक अशांति उत्पन्न करने के दोषी हैं । इसका उनके विरुद्ध कभी प्रयोग नहीं किया गया है । यदि आप एक भी दृष्टांत पेश कर सकते हों तो हमें बताइये कि एक भी नियोजक या उद्योगपति जिसे निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार तथा नजरबन्द किया गया हो । मैं आपको उन सैकड़ों और हजारों मजदूर संघों की सूची दे सकता हूं जिनके विरुद्ध इस शक्ति का प्रयोग किया गया है । श्री स्टीफन को कम से कम उस बात से अवगत होना चाहिए ।

श्री ए० के० राय का मामला बार-बार यहां उठाया जा रहा है । कोई उत्तर नहीं दिया जाता है क्योंकि कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है । वे बिहार से इस सभा के एक निर्वाचित सदस्य हैं । मैं गृह मंत्री महोदय की इस बात में सुधार करना चाहूंगा क्योंकि वे सोचते थे कि वे प० बंगाल से निर्वाचित हुए थे । वे बिहार से निर्वाचित हुए हैं ।

**श्री सी० एम० स्टीफन** : उन्हें 24 घंटों के भीतर रिहा कर दिया गया था ।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : 24 घंटे या 40 घंटे के लिए किसी व्यक्ति की स्वतन्त्रता छीन लेना और उसे रिहा करना बुरा नहीं मानते हैं आपके अनुसार वह एक बड़ा दाव है । गृह मंत्री महोदय के लिए यह मान लेना उपयुक्त होता कि श्री ए० के० राय के मामले में उन्होंने मानवीय स्वतन्त्रता का बड़ा गंभीर उल्लंघन किया है और ऐसी बात फिर कभी नहीं होगी । उन्हें यह कहना चाहिए था । पर उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा । यदि एक संसद सदस्य के साथ यह किया जा सकता है और वे उसके लिए एक भी हवाला देने का कष्ट नहीं करते हैं तो हम उससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ?

इसलिए यह एक राक्षसी अधिनियम है जिसका प्रयोग —मैं सभा को चेतावनी दे रहा हूं उसी ढंग से किया जायेगा जिस ढंग से पीछे किया जा चुका है । इसका प्रयोग उस उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा जिस पर गृहमंत्री महोदय ने यहां पर बल दिया है । क्या उन्हें यह कहने की हिम्मत है कि इस विधेयक का समर्थन 90 प्रतिशत लोग कर रहे हैं ? लगभग 48 प्रतिशत लोगों ने इस सरकार को निर्वाचित किया था । उन्होंने कम से कम यह कहा होता कि 42 या 48 प्रतिशत जनता ने इस विधेयक का समर्थन किया । मुझे यह बात बुरी न लगती यदि उन्होंने वह बात कही होती । परन्तु उन्हें यह बात कहने का वह अधिकार किसने दिया है कि 90 प्रतिशत जनता ने इस विधेयक का समर्थन किया है ? क्या उन्होंने जनमत किया है, क्या उन्होंने जनता की राय जानी है ? वे 90 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं । सरकार जनता के अल्पमत —42 या 46 प्रतिशत से निर्वाचित हुई है । और वे 90 प्रतिशत की बात कर रहे हैं ! यह तो अतिशयोक्ति है जिसे सहन नहीं किया जा सकता है और हम इसे सहन नहीं करने वाले हैं क्योंकि देश में चाहे कीमतें हों, मुद्रा स्फिति या बेरोजगारी ही सब बातें हाथ से निकली जा रही हैं । अब पुलिस नियन्त्रण के बाहर है । पुलिस विभिन्न स्थानों पर विद्रोह कर रही है । इसलिये हम इस विधेयक का विरोध करते हैं । यहां पर हमने हर अवस्था में इसका बिरोध किया है । हम बाहर भी इसका विरोध करेंगे । हम इससे डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक कार्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें इस विधेयक की परिधि में नहीं लाया जा सकता है ।

**श्री ए० के० राय** (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद की समाप्ति पर मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो कि पहले ही कही जा चुकी हैं । जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, मैं जानता हूं कि यह विधेयक तानाशाहीपूर्ण एकतन्त्रीय क्रूर है । इन विशेषणों को दोहराना बेकार है क्योंकि इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं, इसलिए नहीं कि पहले के कानूनों की तरह ही इसका भी दुरुपयोग किया जायेगा । इस विधेयक के परिणाम तो उनसे भी कहीं बुरे होंगे । इससे

भी अधिक व्याकुल करने वाली चिन्ता की बात यह है कि यह सरकार केवल एक निष्क्रय सरकार ही नहीं है, बल्कि वे देख भी नहीं सकते हैं। असाधारण शक्ति का प्रयोग केवल असाधारण उद्देश्यों के लिए और असामान्य स्थिति या समय पर किया जाना चाहिये। इस विधेयक को इस सदन में हमारे समक्ष प्रस्तुत करते समय सरकार हमें इस बारे में सन्तुष्ट करने में असफल रही है कि ऐसी कौन सी असामान्य स्थिति पैदा हो गई है, इसका ऐसा कौन सा असाधारण लक्ष्य है जो वे ऐसी असाधारण शक्ति के प्रयोग की बात लेकर आये हैं।

लोग अपनी शंकाएं व्यक्त कर चुके हैं कि इसे राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा। राजनीतिक लोगों के इस प्रकार दमन का मैं रोना-धोना नहीं रोऊंगा क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि उस प्रकार का दमन तो राजनीतिक जीवन का एक अंग है और यदि इसका चक्र चलाया जाता है तो हम इसका सामना करेंगे। परन्तु जिस ढंग से इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका प्रयोग निकृष्ट उद्देश्यों के लिए किया जायेगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मन्त्री महोदय ने इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मुझे बन्दी क्यों बनाया गया था। उन्होंने अपना कर्त्तव्य निभाया और हम उसका मुकाबला करेंगे। हम अपने पूरे राजनीतिक जीवन के दौरान सदैव सभी प्रकार के सुरक्षा अधिनियमों के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी के अधीन बन्दी रहे हैं। अतः मैं इसका बुरा नहीं मानता। मैं इस पर चर्चा करना भी बुरा नहीं मानता क्योंकि यह अत्यन्त स्वाभाविक सी बात है और हमें इसका सामना करना चाहिये। परन्तु मुझे इस बात का आश्चर्य है कि यह सरकार कितने नीच उद्देश्य पर, कितने निम्न स्तर पर उतर आई है। उनका कहना है कि इसे गुन्डों को और डाकुओं के क्रियाकलापों को रोकने के लिए काम में लाया जायेगा, परन्तु मेरी गिरफ्तारी के उद्देश्य से बहुत को आश्चर्य होगा। यह केवल एक मामूली से अपराधिक उद्देश्यार्थ था, जो कि घृणित उद्देश्य था। वे धनबाद जिला बोर्ड, जिला परिषद् का चैयरमैन एक अपने आदमी को बनाना चाहते थे, जिसके हाथ से करोड़ों रुपये का लेन-देन होना होता है और वह व्यक्ति मुख्यमन्त्री महोदय का प्रस्तावित व्यक्ति था। वे आतंकित हो गये क्योंकि यदि हम बन्दी नहीं बनाए गये तो हम उसके विरुद्ध अभियान चला सकते हैं, हम किसी अभियान का प्रबन्ध कर सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को गुंडा अधिनियम के अधीन धनाबाद से बाहर निकाला जा चुका था। उसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट भी था। (व्यवधान) यदि कोई शब्द गलत है तो मैं अपने संसदीय पद से त्यागपत्र दे दूंगा···(व्यवधान) मैंने एक भी संशोधन नहीं रखा है क्योंकि इससे मेरा सम्बन्ध है इसलिए इसके लिए मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता हूं परन्तु मैं आपको बता देता हूं कि इस विधेयक की इस प्रकार से तैयार किया गया है जिससे इसे ऐसे निकृष्ट उद्देश्यों के लिए काम में लाया जा सके। संगीन से कोई कुछ भी कर सकता है। परन्तु कोई इस पर बैठ नहीं सकता है। सरकार इस संगीन पर बैठने जा रही है। इसका परिणाम वही होगा जो इतिहास देख चुका है।

**अध्यक्ष महोदय :** मिस्टर होम मिनिस्टर।

**श्री रामावतार शास्त्री :** आप थोड़ा-सा रूल तो बताइये कि किस के तहत जो 20-22 आदमी बोलने वाले थे उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर रूल के हिसाब से चलना था तो यह बहस आठ घंटे में खत्म हो जानी चाहिए थी। अब 15 घंटे हो गये हैं।

**श्री रामावतार शास्त्री** : आप किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों का भी बोलने का हक है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिए।

(व्यवधान)*

सभी दलों की सलाह से मैं ऐसा कर रहा हूं। परन्तु आप फिर भी इस प्रकार जोर देते हैं तो यह गलत है। श्री जैल सिंह।

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, इस बिल के ऊपर बहुत लम्बी-चौड़ी चर्चा हुई। बहुत से सदस्यों ने अपने-अपने विचार इस पर रखे। मुझे इस बात की खुशी है कि इतना टाइम लगा करके बहुत से सदस्यों ने अपने-अपने विचार दिये। बेशक इसमें इतना समय लग गया मगर हरेक मेम्बर की, जो कि इस पर बोले, भावना इसमें आ गयी है।

(व्यवधान)

**श्री निरेन घोष** : मैं तानाशाही रुख, रवैये के आगे नहीं झुकूंगा और मैं इसका विरोध करता हूं तथा सदन त्याग करता हूं।

(इसके पश्चात् श्री निरेन घोष सभा भवन से उठकर बाहर चले गये।)

**श्री जैल सिंह** : हो सकता है कि कुछ मेम्बरों को अभी भी बोलने की ख्वाहिश रह गयी हो लेकिन ख्यालात जो सभी पार्टियों के थे वे इस पर आ गये हैं।

आज चौधरी चरण सिंह जी यहां बहुत लम्बी स्पीच करके गये हैं। मेरे मन में चौधरी साहब के लिए बड़ा आदर और सत्कार है।

मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी पदवी का ही सत्कार करते हों, लेकिन जिसकी उम्र बड़ी है, उसका सत्कार हर कीमत पर करता हूं। चौधरी साहब ने इस बिल पर बहुत कुछ कहा, लेकिन चौधरी साहब ने एक बात जरूर कही बिल पर कि इसके क्लाज—3 (1) में जो लिखा गया है वह 3 (2) में भी लिखा गया है तो इसकी क्या जरूरत थी ? मैं श्रीमान जी, इतनी बात कहना चाहता हूं कि चौधरी साहब बड़े लर्नेड पर्सन हैं, वकील भी हैं, उनको आज इस बात का भी ख्याल आया कि वह वकील हैं, ताकि मुझे कह सकें कि मैं वकील नहीं हूं। खैर यह तो उनके मन की भावना है, मगर मैं कंस्टीट्यूशन के सेवन्थ शेड्यूल की फर्स्ट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में यह बताना चाहता हूं कि वे लफ्ज दो जगह इस कंस्टीट्यूशन में आए हैं, वे क्यों आए हैं, उनकी क्या जरूरत थी। यूनियन लिस्ट में यह जो आयटम नंबर-9 है, वे लिखते हैं कि :

"रक्षा, विदेश-कार्य या भारत की सुरक्षा से सम्बद्ध कारणों से निवारक नजरबन्दी, इस प्रकार की नजरबन्दी से सम्बद्ध व्यक्तियों"

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

ये लफ्ज इसके जो क्लाज 3 (1) में आए हैं आगे सब क्लाज (2) में उन्होंने कहा था कि ये दोबारा दोहराए गए हैं, वे दोहराए क्यों गए हैं, इसके लिए मैं अदब से जो प्रार्थना करना चाहता हूं, वह यह है कि सेवन्थ शेड्यूल की लिस्ट नंबर थ्री, करेंट लिस्ट, में उसको दोहराया गया । उसमें लिखा है कि :—

"राज्य की सुरक्षा, जन व्यवस्था को बनाए रखना या सप्लाई चालू रखना तथा समाज के लिए आवश्यक वस्तुएं; जिन लोगों को इस प्रकार बन्दी बनाया गया हो ।"

चौधरी साहब तशरीफ ले गए, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया । चौधरी साहब ने कुछ बातें ऐसी भी बताईं जो भागलपुर की थीं, लेकिन चौधरी साहब यहां बैठे होते तो अच्छा होता, मगर मैं समझता हूं कि चौधरी साहब को कल तक तो मेरी स्पीच पहुंच ही जाएगी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि उन्होंने हर बात के आखिर में यह कहा कि हम मोर्चा लगाएंगे, जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और धमकी दी कि जो गन्ने की कीमत है इसके खिलाफ लड़ेंगे । चौधकी साहब यह बात भूल गए कि उनको तराई के इलाके वालों ने कहा था कि चौधरी साहब, आप हमको कीमत नहीं दे सके, हम गन्ना जलाएंगे, लकड़ियों की जगह और आप कृपा करके उस समागम को प्रेजाइड करें, तो चौधरी साहब वहां नहीं गए और गन्ने की कीमत नहीं दी, लेकिन इस वक्त जब सुगर-केन की कीमत सरकार ने वाजिब दी है, इस कीमत से किसान संतुष्ट हो रहा है, तब उसको संतुष्ट न होने देने के लिए उन्होंने कहा है ।

(व्यवधान)

आप संतुष्ट नहीं हैं । मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि चौधरी साहब शांतिमय आंदोलन, सत्याग्रह, तकरीरें, तहरीरें, जिनसे बदअमनी न फैलती हो, उसमें हम रुकावट नहीं बनेंगे । लेकिन हमारा यह वादा है कि किसी आन्दोलन के बहाने कोई बदअमनी पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर होना कोई लाइसेंस नहीं है । जो मर्जी आए करता रहे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है । ला एण्ड आर्डर को हर कीमत पर बहाल रखा जायेगा (इन्टरप्शंज) । रामावतार शास्त्री ही हमारे बड़े गहरे दोस्त हैं । वह फ्रीडम फाइटर भी हैं । इनको बहुत तेजी रहती है । मैं समझता हूं न तो मैं आपकी बातों से कनविंस हुआ हूं और न आप मेरी बातों से या यहां दूसरों की बातों से कनविंस हुए हैं और न होंगे इस वास्ते फैसला तो दिखाई देता है कि आखिर में वोट से ही होगा ।

चौधरी चरण सिंह को मैं इतना ही कहूंगा कि आप इस बात की बिल्कुल फिक्र न करें । हम बदले की भावना से काम करने वाले नहीं हैं । हम झूठे मुकदमे बनाकर लोगों को जेलों में फेंकना और कमीशनों पर पैसा उड़ा देना और हिन्दुस्तान की तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जो लोगों का पैंडेट लेकर आई थीं, यहां बैठकर उनको इन्होंने जो निकाल दिया था, जेल में भेज दिया था, इस तरह के काम हम नहीं करेंगे । हम इन्साफ को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे । यह हमारा निशाना है । इस मुल्क के रहने वाले हमारे विरोधी हो सकते हैं ।

उनको सम्मान मिलेगा, आदर मिलेगा, सत्कार मिलेगा। हम चाहते हैं कि डिगनिफाइड तरीके से पोलिटिकल लड़ाई लड़ी जाए और मुल्क की उसारी हो। हम यह भी चाहते हैं कि परसनैलिटीज को भी बदनाम न किया जाए। कुछ दोस्त बिल्कुल परसनल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि वे भी ध्यान रखें। चौधरी साहब से मैं अर्ज करना चाहता हूं।

"चौधरी साहब सारे अव्वाम को बता देना गुनाह मेरे"

मगर इतना जरूर कहना कि यह बात सब लोक दल के जमाने की थी। उस वक्त की जो पैदावार थी उस पैदावार की वजह से आज भी कई मेम्बर साहबान ने कहा है कि सरकारी अफसरों पर एतबार नहीं किया जा सकता है। बनातवाला जी का एक एमैंडमैंट था। मैंने कोई एमैंडमैंट मंजूर बेशक नहीं की है लेकिन बादलील और उसारू एमैंडमैंट के लिए मेम्बर साहिबान ने जो कुछ कहा है चाहे वे विरोधी दल के ही हों, मैंने कहा है कि मैं इसका ध्यान जरूर रखूंगा और सरकार उस बात को भूलेगी नहीं।

चौधरी साहब ने यह भी कहा कि एशियन गेम्ज पर दो सौ करोड़ रु० खर्च आएगा। पता नहीं कहां से उन्होंने यह फीगर ली है। मैंने तो इस फिगर को सुना नहीं है। मैं भी इस गवर्नमेंट का एक मेम्बर हूं। उन्होंने कहा कि पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगीं, मैदान बनेंगे और यह रुपया बरबाद किया जा रहा है। वह भूल गए कि जिस वक्त उन्होंने एशियन गेम्ज के लिए इन्कार किया था उस वक्त उन्होंने यह नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी नेशन और इतना बड़ा मुल्क जिसके लिए यह एक छोटी सी रकम थी—शायद तीस करोड़ का अन्दाजा था—और इससे कितना फायदा होता था। कौमें किस बात से जिन्दा रहती हैं ? आप अन्दाजा लगाएं कि 65 करोड़ की आबादी में अगर 33 करोड़ खर्च हो जाता है तो पर हैड पचास पैसे पड़ते हैं और इससे नेशन का नाम कितना ऊंचा उठता है और नौजवान के जजबात और उनकी सेहत कैसे बुलन्दी पर आ जाती है। आप भूल गए हैं। हम इस बात की इन्तजार में हैं कि दुनिया में कौमें मैदाने जंग में न लड़ें, आपस में प्यार रखें, संसार सारा एक रहे लेकिन जीत और हार की जो बाजी है वह सिर्फ खेल में खत्म हो जाया करे। उस वक्त इन्कार करने वाले लोग जानते हैं कि खेलें जिन्दगी का एक हिस्सा हैं। खेल एक कल्चर है, एक वर्जिश है और नौजवानों की खुशी के लिये यह जरूरी है। यह भी जिन्दगी का एक हिस्सा है। यह जो कौम का पौदा है इसके साथ सब कुछ है, लेकिन फूल पत्तियों के बगैर कोई पौदा फूल नहीं सकता। खैर उनकी मर्जी है, वह अपना आंदोलन चलाना चाहें तो चलायें। माननीय ज्योतिर्मय बसु, शायद नहीं हैं···

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : हम सब जानते हैं गुरुदेव सिंह कमीशन की रिपोर्ट।

**श्री जैल सिंह:** माननीय ज्योतिर्मय बसु को मैंने तीन बार देखा और हमेशा उन्सोंने अपनी पार्टी के लिये कुछ न कुछ नुकसान ही किया। कुछ कहे बगैर नहीं रह सकते। आप गुरुदेव सिंह कमीशन की बात करते हो, लेकिन जो आपके वेस्ट बंगाल से रिपोर्ट्स आती हैं उनको इन्हें दिखाइये तो पता लगेगा कि क्या है, आपका सर शर्म ने झुक जायगा। मैं समझता था कि श्री ज्योति बसु और ज्योतिर्मय बसु में समानता होगी। मेरा ख्याल था कि श्री ज्योति बसु जो

सिद्धान्तपूर्ण प्रश्न लेकर चलते हैं वैसे ही कुछ यह भी बात करेंगे । लेकिन श्री ज्योतिर्मय बसु कुछ और ही किस्म के साबित हुए ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : गुरुदेव सिंह कमीशन की रिपोर्ट यहां पर पेश कीजिये ।

**श्री जैल सिंह** : गुरुदेव सिंह कमीशन की रिपोर्ट दिखा दो इनको । आप मेरे ऊपर मुकदमा चलाइये ।...

(व्यवधान)

स्पीकर साहब, मैं तो हमेशा इस बात की कोशिश करता हूं कि माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उनका जवाब देते वक्त उनका नाम आदर से लूं, सत्कार से नाम लूं और उनकी बात का जवाब दूं ।...

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

**अध्यक्ष महोदय** : किस नियम के अधीन ?

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : नियम 376 के अधीन ।

(व्यवधान)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : महोदय, उन्होंने पश्चिम-बंगाल सरकार और श्री ज्योति बसु को, जो कि यहां अपना बचाव करने के लिए उपस्थित नहीं हैं, इस विवाद में घसीटा है । प्रसिद्ध मुद्गल मामला इससे सम्बद्ध है । इस सभा का सदस्य होने के नाते उनका व्यवहार अक्षम्य है । उन्हें पहले गुरूदेव आयोग द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को दूर करना चाहिए । उन्हें इस प्रकार के विधेयक को लाने का अधिकार नहीं है ।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : पश्चिम-बंगाल सरकार का तो इसमें कोई जिक्र ही नहीं है । व्यवस्था का प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता है ।

(व्यवधान)

स्पीकर साहब, बड़े आदर से नाम लिया, कुछ कहा नहीं था, लेकिन इतनी-सी बात में भी भड़क पड़े ? आपका आदर किया, सम्मान से आपका नाम लिया । हर मेम्बर महसूस करता है कि हमारी बात का किसी ने नोटिस लिया है या नहीं । मैंने सबका नोटिस लिया है, आप मेरे स्वभाव को नहीं जानते—

ये हुस्न वाले मेरे कातिल हैं, मेरा यह दावा है,
मगर इनको सजा मिले, मुझे मंजूर नहीं ।

मैं बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, अपने सी० पी० एम० के भाईयों को कहता हूं कि उन्होंने पिछले 10 साल से हिन्दुस्तान की राजनीति में जो अपनी रविश रखी है, और

उन्होंने लैफ्ट विंग का अपने आपको एक बड़ा नेता बताने की कोशिश की है, उनको मुबारक हो, लेकिन यह तो न लैफ्ट रहे और न राइट रहे और न सैंट्रलिस्ट रहे, ये जिगजैग विंग है, कभी इस तरफ और कभी इस तरफ, कभी हमको बुरा, कभी उनको बुरा ।

स्पीकर साहब, मैं इस सदन के आनरेबल मेम्बर साहेबान से पहले कह चुका हू, मेरी बातों से तो इन्होंने कंबिन्स नहीं होना, लेकिन इतनी बात फिर दोहराता हूं कि यह नेशनल सिक्योरिटी के लिये है, यह बिल डैमोक्रेटिक रवायात को मजबूत करने के लिये है, यह बिल हिन्दुस्तान के गरीब, हिन्दुस्तान के बेकस लोग, हिन्दुस्तान की माइनौरिटी, हिन्दुस्तान के वीकर सैक्शन को प्रोटेक्शन देने वाला है । यह बिल हिन्दुस्तान से अलैहदा होने वाली जो ताकतें हैं, उनको काबू में करने के लिये है । यह बिल हमारे देश में जो नफरत पैदा करने वाली ताकतें हैं, जात-पांत का सवाल पैदा करने वाली ताकतें हैं, गरीबों को मारने वाली ताकते हैं, मजदूरों को लूटने वाली ताकतें हैं, लोगों के खून-पसीने की कमाई को बहाकर जो लोगों पर सवारी करने का प्रयत्न करते हैं, उनको काबू करने के लिये है । यह जो कहा जाता है कि अथौरिटेरियन की तरफ सरकार जा रही है, यह सरकार···

(व्यवधान)

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : ज्ञानी जी, अपने आपको श्रीमती गांधी का जल्लाद मत बनने दो ।

**श्री जैल सिंह** : स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि आप आनरेबल मेम्बरों को उपदेश दें कि बहुत शांति से बैठें, मैं कोई उनसे चुराकर नहीं ले जाऊंगा । मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि आपने नुक्ताचीनी भी कर ली और अपने अमैंडमैंट्स भी कर लिये, अब यह केवल पास होने वाला है । इसमें खूबसूरती रहेगी और सरकार को भी यह एहसास रहेगा कि आपने इस बिल की सपोर्ट की थी, किसी के साथ ज्यादती न हो । मैं उनकी फराखदिली देखना चाहता हूं । यह बिल तो पास हो जायेगा, लेकिन अगर आप फराखदिली दिखाकर इसको सर्वसम्मति से पास करवा दें, तो मैं आपका मशकूर हूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : अब दीर्घाओं को खाली कर दिया गया है ।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

**लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।**

मत विभाजन सं० 52

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| अब्बासी, काजी अलील | आचार्य, बसुदेव |
| अहमद, मोहम्मद असरार | अग्रवाल, सतीश |
| अहमद, कमालुद्दीन | बालानन्दन, ई० |
| आनन्द सिंह | बर्मन, पलाश |

पक्ष में

अंकिनीडू प्रसाद राव, पी०
अनुरागी, गोदिल प्रसाद
अनवार अहमद
अप्पालानायडू, एस० आर० ए० एस०
अराकल, जेवियर
अर्जुनन, के०
आजाद, भागवत झा
बैठा, डूमर लाल
वाजपेयी, राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम
बन्सी लाल
बरवे, जे० सी०
वहेरा, रास बिहारी
भगत, एच० के० एल०
भक्त, मनोरंजन
भारद्वाज, परसराम
भाटिया, रघुनन्दन लाल
भोई, डा० कृपासिन्धु
भोले, आर० आर०
भोये, रेशमा मोतीराम
बीरेन्द्रसिंह राव
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपालसिंह
बूटा सिंह
चक्रधारी सिंह
चन्द्रशेखर सिंह
चन्द्राकर, चन्दूलाल
चव्हाण, एस० बी०
चेन्नपत्ति श्रीमती विद्या
चिन्नास्वामी, सी०
डागा, मूलचन्द
दलबीर सिंह
दलबीर सिंह
दास, अनादिचरण

विपक्ष में

बसु, चित्त
भट्टाचार्य, सुशील
विश्वास, अजय
बसु, ज्योतिर्मय
चक्रवर्ती, सत्यसाधन
चटर्जी, सोमनाथ
चतुर्भुज
चौधरी, मोतीभाई आर०
चौधरी, त्रिदिव
चव्हाण, यशवन्तराव
चौधरी, सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो० मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, रेणुपद
गंगवार, हरीश कुमार
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, इन्द्रजीत
हाल्दर, कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह
हरिकेश बहादुर
हसदा, मतिलाल
होरो, एन० ई०
जाटिया, सत्यनारायण
जेठमलानी, राम
झा, भोगेन्द्र
कोडियन, पी० के०
लारेंस, एम० एम०
मधुकर, कमला मिश्र
महाटा, चित्त
मैत्रा, सुनील
मंडल, धनिक लाल

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| डेनिस, एन० | मंडल, मुकुन्द |
| देसाई, बी० वी० | मंडल, सनत कुमार |
| दंडपाणि, सी० टी० | मसुदल हुसेन, सैयद |
| दुबे, रामनाथ | मेहता, प्रो० अजित कुमार |
| एक्का, क्रिस्टोफर | महालगी, आर० के० |
| ईरा अनबारासु | मोदक, विजय |
| फर्नान्डीस, ओस्कर | मुखर्जी, श्रीमती गीता |
| गाडगिल, बी० एन० | पाल, प्रो० रूप चन्द्र |
| गधावी, मेरावदन के० | पंडित, डा० यसन्त कुमार |
| गहलोत, अशोक | परुलेकर, बापूसाहिब |
| गोहिल, जी० बी० | पासवान, राम विलास |
| गोमांगो गिरिधर | पाठक, आनन्द |
| हाकम सिंह | राय, एम० रामन्ना |
| जदेजा, दौलतसिंह जी | राजन, के० ए० |
| जाफर शरीफ, सी० के० | राजदा, रतनसिंह |
| जैन, भीकू राम | राजेश कुमार सिंह |
| जैन, वृद्धि चन्द्र | रियान, बाजू बन |
| जमीलुर्रहमान | राय, ए० के० |
| जेना, चिन्तामणि | राय, डा० सरदीश |
| झा, कमल नाथ | राय प्रधान, अमर |
| जितेन्द्र प्रसाद | साहा, अजित कुमार |
| कमलनाथ | शास्त्री, रामावतार |
| कमलाकुमारी, कुमारी | सिंह, बी० डी० |
| कंडास्वामी, एम० | सूरज भान |
| कर्मा, लक्ष्मण | सूर्य नारायण सिंह |
| कौल, श्रीमती शीला | तिरकी, पीयूष |
| खां, आफिर मोहम्मद | तिलोक चन्द्र |
| किदवई, श्रीमती मोहसिना | उन्नीकृष्णन, के० पी० |
| कोसलराम, के० टी० | वाजपेयी, अटल बिहारी |
| कृष्ण दत्त | वर्मा, रवीन्द्र |
| कृष्ण, एस० एम० | वर्मा फूल चन्द |
| कृष्ण प्रताप सिंह | वर्मा, रीतलाल प्रसाद |
| क्षीरसागर, श्रीमती केशरबाई | वर्मा, रघुनाथ सिंह |
| कुचन, गंगाधर एस० | वर्मा, शिवशरण |
| कुंवर राम | यादव, राजेन्द्र प्रसाद |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| लकप्पा के० | यादव, विजय कुमार |
| लक्ष्मनन जी० | जायनल अबेदिन |
| लास्कर, निहार रंजन | |
| माधुरी सिंह श्रीमती | |
| महाबीर प्रसाद | |
| महाजन, विक्रम | |
| मकवाना, नरसिंह | |
| मलिक, लक्ष्मण | |
| मल्लिकार्जुन | |
| मणि, के० बी० एस० | |
| मायातेवर, के० | |
| मिश्र, गार्गी शंकर | |
| मिश्र, रामनगीना | |
| मिश्र, नित्यानन्द | |
| महन्ती, बृजमोहन | |
| मुखोपध्याय, आनन्द गोपाल | |
| मूर्ति, एम० राजशेखर | |
| मुरुगैयन, एस० | |
| मुथु कुमारन, आर० | |
| नगीना राय | |
| नायकर, डी० के० | |
| नायर, बी० के० | |
| नामग्याल, पी० | |
| नन्दी येल्लैया | |
| नारायण, के० एस० | |
| पलानी अप्पन, सी० | |
| पांडे, केदार | |
| पांडे, कृष्णचन्द्र | |
| पाणिग्रही, चिन्तामणि | |
| पनिका, राम प्यारे | |
| पारधी, केशवराव | |
| पटेल, शान्तु भाई | |
| पाटिल, ए० टी० | |
| पाटिल, चन्द्रभान आठरे | |
| पाटिल, शंकरराव | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| पाटिल, शिवराज वी० | |
| पाटिल, वीरेन्द्र | |
| पट्टाभि रामा राव, एस० बी० पी० | |
| फुलवारिया, विरदा राम | |
| पाइलट, राजेश | |
| पुजारी, जनार्दन | |
| पोटदुखे, शान्ताराम | |
| प्रभु, आर० | |
| प्रसन्न कुमार, एस० एन० | |
| पुष्पा देवी सिंह, कुमारी | |
| कादरी, एस० टी० | |
| राजामल्लू, के० | |
| राजू, पी० वी० जी० | |
| राम, राम स्वरूप | |
| रामलिंगम, एन० कुदन्तई | |
| राममूर्ति, के० | |
| रणवीर सिंह | |
| राणे, श्रीमती संयोगिता | |
| रणजीत सिंह | |
| राव, एम० नागेश्वर | |
| राठवा, अमर सिंह | |
| राठौर, उत्तम | |
| राउत, भोला | |
| रवाणी, नवीन | |
| रावत, हरीश चन्द्र सिंह | |
| रेड्डी, जी० नरसिम्हा | |
| रेड्डी, एम० रामगोपाल | |
| रेड्डी, पी० वेंकट | |
| रेड्डी, टी० दामोदर | |
| साही, श्रीमती कृष्णा | |
| साहू, नारायण | |
| समीनुद्दीन | |
| साठे, बसन्त | |
| सतीश प्रसाद सिंह | |
| सत्यदेव सिंह, प्रो० | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| सावन्त, टी० एम० | |
| सिन्धिया, माधवराव | |
| सेबस्तियन, एस० ए० दोराई | |
| सेठी, अर्जुन | |
| सेठी, पी० सी० | |
| शैलानी, चन्द्रपाल | |
| शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी | |
| शंकरानन्द, बी० | |
| शनमुगम, पी० | |
| शर्मा, कालीचरण | |
| शर्मा, नन्द किशोर | |
| शर्मा, नवल किशोर | |
| शर्मा, डा० शंकर दयाल | |
| शास्त्री, धर्मदास | |
| शिवशंकर, पी० | |
| शिवेन्द्र बहादुर सिंह | |
| सिदनाल, एस० बी० | |
| सिंह, डा० वी० एन० | |
| सिंह, सी० पी० एन० | |
| सिंह देव, के० पी० | |
| सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी | |
| सोनकर, कल्पनाथ | |
| सोरन, हरिहर | |
| सुन्दरराजन, एन० | |
| स्पैरो, आर० एस० | |
| स्टीफन, सी० एम० | |
| सुखाड़िया, मोहनलाल | |
| सुन्दर सिंह | |
| स्वामीनाथन, आर० वी० | |
| तपेश्वर सिंह | |
| तारिक अनवर | |
| तैयब हुसैन | |
| तिवारी, प्रो० के० के० | |
| थुंगोन, पी० के० | |
| तिवारी, नारायण दत्त | |

| पक्ष में | विपक्ष में |
|---|---|
| तिवारी, राम गोपाल | |
| टुडु, मनमोहन | |
| बैरागे, मधुसूदन | |
| वेंकटरामन, आर० | |
| वेंकटसुब्बया, पी० | |
| वर्मा, श्रीमती ऊषा | |
| विजयराघवन, बी० एस० | |
| वीरभद्र सिंह | |
| वासनिक, बालकृष्ण रामचन्द्र | |
| यादव, रामसिंह | |
| जैल सिंह | |
| जैनुल बशर | |

**अध्यक्ष महोदय** : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का *परिणाम निम्नलिखित है :

पक्ष में : 190

विपक्ष में : 74

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब कल ग्यारह बजे प्रातः तक स्थगित होती है ।

7.41 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 17 दिसम्बर, 1980/अग्रहायण 26, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

| | |
|---|---|
| पक्ष में : | श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी |
| विपक्ष में : | श्री गयूर अली खां |

——

P.L.S. 48 11/21/80 (एन.)
210

© 1980 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय द्वारा।

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक, सनलाईट प्रिंटर्स, 2265, एच० सी० सेन रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।